ा, खंड 8, अंक 14

गुरुवार, 17 मार्च, 2005
26 फाल्गुन, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 11 से 20 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 2005/1926 (शक)]

अंक 14, गुरुवार, 17 मार्च, 2005/26 फाल्गुन, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 203 और 205	2–41
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 204 और 206 से 220	41–71
अतारांकित प्रश्न संख्या 2184 से 2375	72–287
सभा पटल पर रखे गए पत्र	287–292
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
132वां से 138वां प्रतिवेदन	293–294
एथेंस ओलम्पिक में दूरदर्शन को हुए घाटे के बारे में दिनांक 2.12.2004 के तारांकित प्रश्न संख्या 40 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला वक्तव्य	
श्री एस. जयपाल रेड्डी	294–295
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
बेरोजगारी लाभ योजना शुरू किया जाना	
श्री के. चन्द्रशेखर राव	295–299
गोवा बजट, 2005-2006	300
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (गोवा), 2004-2005	300
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) नानावती आयोग की रिपोर्ट को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में	301–304
(दो) टेलीविजन चैनलों पर बढ़ रही अश्लीलता के बारे में	305–307
(तीन) क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बधाई देने के बारे में	319–320

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	320–329
(एक) किसानों के लाभ के लिए परमविकुलम बांध से अपर बांध को पानी छोड़े जाने के लिए तमिलनाडु सरकार को सलाह दिए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.के. खारवेनथन	321
(दो) देश की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्री कुलदीप बिश्नोई	321–322
(तीन) जम्मू क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता	
श्री मदन लाल शर्मा	322
(चार) मेवात क्षेत्र के विकास के लिए अलीगढ़-पलवल-अलवर रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता	
श्री अवतार सिंह भडाना	323
(पांच) राजस्थान के कोटा शहर में रंगपुर रोड रेलवे गेट पर उपरि रेल पुल के निर्माण में शीघ्रता लाए जाने की आवश्यकता	
श्री रघुवीर सिंह कौशल	323–324
(छह) महाराष्ट्र में सम विकास योजना, ग्रामीण विकास परियोजनाओं और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. महादेवराव शिवनकर	324
(सात) मध्य प्रदेश में सागर दूरदर्शन केन्द्र में ''नैरो ब्रोडकास्टिंग स्कीम'' शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	324–325
(आठ) महाराष्ट्र के गोंदीया जिले में बीपीएल और अंत्योदय परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री शिशुपाल एन. पाटले	325
(नौ) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के प्रधान कार्यालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री सांताश्री चटर्जी	325
(दस) देश में मिलावटी पेट्रोल की बिक्री की रोकथाम किए जाने की आवश्यकता	
श्री पारसनाथ यादव	325–326
(ग्यारह) तमिलनाडु में होगेनेकाल में समन्वित पेयजल परियोजना के कार्य को पूरा करने के उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री ई.जी. सुगावनम	326–327
(बारह) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में घाघरा नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजेश वर्मा	327

विषय	कॉलम
(तेरह) महाराजगंज-मशरक रेल लाइन पर शीघ्र कार्य शुरू किए जाने के लिए निधि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रभुनाथ सिंह	327-328
(चौदह) भटिंडा रिफायनरी के नियम और शर्तों को पुनः परिभाषित किए जाने और रिफायनरी को अर्थक्षम बनाने की लागत को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्कों में राहत देकर वहन किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	328-329
(पन्द्रह) सशस्त्र बलों के "यूनिट द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीनों" के कर्मचारियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री बालेश्वर यादव	329
बिहार बजट, 2005-2006	358
अनुपूरक अनुदानों की मांगें-(बिहार), 2004-2005	358
सामान्य बजट, 2005-2006—सामान्य चर्चा **लेखानुदानों की मांगें-(सामान्य) 2005-2006** और **अनुपूरक अनुदानों की मांगें-(सामान्य) 2004-2005**	329-358, 358-606
श्री पी.एस. गढ़वी	330-334
श्री ब्रजेश पाठक	334-339
श्री एन.सी.वी. चित्तन	339-342
श्री गुरूदास दासगुप्त	342-351
श्री सुखबीर सिंह बादल	351-358
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"	358-362
श्री गणेश सिंह	362-366
डा. सिबैस्टियन पाल	366-367
श्री बालासाहिब विखे पाटील	367-376
श्री खारबेल स्वाईं	376-382
श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन	382-385
श्री रेवती रमण सिंह	385-389
श्री डी. नरबुला	389-391
श्री राजेश वर्मा	391-395
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	395-398

विषय कॉलम

श्रीमती कृष्णा तीरथ 398–400

श्री सुरेश चन्देल 400–403

श्री अब्दुल रशीद शाहीन 403–406

श्री प्रसन्न आचार्य 406–411

श्री जोवाकिम बखला 411–413

डा. के.एस. मनोज 413–415

डा. चिन्ता मोहन 416–423

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा 423

श्री कैलाश मेघवाल 424–428

श्री एस.के. खारवेनथन 428–432

डा. टोकचोम मैन्या 432–434

श्री किशन सिंह सांगवान 435–438

श्री राम कृपाल यादव 438–442

श्री जे.एम. आरून रशीद 442–446

श्री ई.जी. सुगावनम 446–448

श्री इकबाल अहमद सरडगी 448–451

श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन 451–454

श्री किन्जरपु येरननायडु 454–458

श्री वीरेन्द्र कुमार 459–460

श्री के.सी. सिंह ''बाबा'' 461–467

श्री चन्द्रशेखर साहू 467–468

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश 468–473

श्रीमती किरण माहेश्वरी 473–477

श्री बीर सिंह महतो 477–478

श्री बी. विनोद कुमार 478–484

श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों 484–485

श्री एल. राजगोपाल 486–487

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण 487–489

श्री असादूद्दीन ओवेसी 489–492

विषय कॉलम

श्री लालमणि प्रसाद 492

श्री प्रदीप गांधी 492–494

श्री सानछुमा खुंगुर बेसीमुथियारी 494–501

श्री राकेश सिंह 502–504

श्री के.वी. तंगबालु 505–510

श्री रामदास आठवले 510–512

श्रीमती प्रतिभा सिंह 512–515

श्री रघुबीर सिंह कौशल 516–517

डा. करण सिंह यादव 517–520

श्रीमती नीता पटेरिया 520–522

श्री इलियास आजमी 522–525

श्री एस.पी. सिंह बघेल 525–528

श्री धर्मेन्द्र यादव 528–531

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 531–534

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य 534–536

श्री निखिल कुमार चौधरी 536–541

श्रीमती के. रानी 541–543

श्री रायापति सांबासिवा राव 543–545

श्री बापू हरि चौरे 545–546

श्री हरिभाऊ राठौड़ 546–549

डा. सी. कृष्णन 549–552

श्री जी. करूणाकर रेड्डी 552–556

सरदार रतन सिंह अजनाला 556–558

श्री टेक लाल महतो 558–559

श्री रामजी लाल सुमन 560–561

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी 561–562

श्री तुफानी सरोज 562–563

श्री हंसराज जी. अहीर 563–566

डा. वल्लभभाई कथीरिया 566–569

डा. रामकृष्ण कुसमरिया 569–571

श्री पी. चिदम्बरम 571–590

विषय	कॉलम
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005—पुर:*स्थापित*	607–608
विचार करने के लिए प्रस्ताव	608
श्री पी. चिदम्बरम	608–609
खंड 2 से 4 और 1	608
पारित करने के लिए प्रस्ताव	609
विनियोग विधेयक, 2005—पुर:*स्थापित*	609–610
विचार करने के लिए प्रस्ताव	609
श्री पी. चिदम्बरम	609
खंड 2 से 3 और 1	609
पारित करने के लिए प्रस्ताव	610
कार्य मंत्रणा समिति	
नौवां प्रतिवेदन	610
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	611
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	612–618
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	619–620
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	619–620

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

गुरुवार, 17 मार्च, 2005/26 फाल्गुन, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, नानावती कमीशन की रिपोर्ट पर हमने पिछले दिनों में कई नोटिस दिए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल के बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। हमें प्रश्न पूछने के इस अवसर का उपयोग करना चाहिए।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

पत्तन संपर्क परियोजनाएं

***201. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पत्तन/पश्चप्रदेश रेल संपर्क परियोजनाओं के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) आज की तारीख तक प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) पत्तन/पश्चप्रदेश रेल संपर्क परियोजनाओं की प्रगति, मार्च, 2004 तक किए गए व्यय और चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2004-05 के दौरान उनके लिए आबंटित की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कि.मी.	प्रत्याशित लागत	मार्च 2004 तक व्यय	परिव्यय 2004-05	कार्य की प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
नई लाइनें						
1.	पनवेल-करजत	28	137.44	113.82	5.00	सभी प्रकार से कार्य पूरा हो चुका है। रेल संरक्षा आयुक्त से प्रमाणपत्र मिलने के बाद इस लाइन को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।
2.	हरिदासपुर-पारादीप	82	301.63	24.1	6.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और 46 गांवों से भूमि ले ली गई है। इस परियोजना को विश्वसनीय पाया

1	2	3	4	5	6	7
						गया है और विशेष प्रयोजन योजना प्रक्रियाधीन है। इस परियोजना को रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
3.	दैतारी-बांसपानी	155	590.60	446.52	83.00	बांसपानी-जोरूली-क्योंझर (57 कि.मी.) खंड के बीच लाइन का कार्य पूरा हो गया है। क्योंझर-तोमका (दैतारी) (98 कि.मी.) खंड में मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी और अन्य कार्य प्रगति पर हैं। क्योंझर और तोमका के बीच रेलपथ और सिगनल संबंधी कार्यों को एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाना है। रेलपथ और सिगनल संबंधी कार्यों के लिए निविदाओं पर रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
आमान परिवर्तन						
4.	अरसीकेरे-हसन-मंगलौर	230	357.11	271.67	0.01	अरसीकेरे-हसन-सकलेशपुर (89 कि.मी.) और मंगलौर (कनकनाडी)-सुब्रमणिया रोड (86 कि.मी.) खंड पूरे हो चुके हैं। सुब्रमणिया रोड-सकलेशपुर घाट खंड (55 कि.मी.) में संरचना संबंधी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और रेलपथ संपर्क कार्य प्रगति पर हैं। यह के आर आई डी ई (कर्नाटक रेल अवसंरचना विकास) परियोजना में से एक है।
5.	पीपावाव तक विस्तार सहित सुरेंद्रनगर-भावनगर-राजुला और सिहोर-पालिताना	385	527.4	165.38	10.27	सुरेन्द्रनगर-पीपावाव मुख्य लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य को रेल मंत्रालय और पीपापाव पत्तन लिमिटेड की भागीदारी से गुजरात पीपावाव रेल निगम लिमिटेड नामक एसपीवी के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। इस लाइन को पहले ही माल यातायात और आंशिक रूप से यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर हैं ताकि यात्री गाड़ी संचलन के लिए परियोजना को पूरा किया जा सके।

1	2	3	4	5	6	7
6.	वृधाचलम के रास्ते सलेम-कुड्डालोर	191	261	40.7	25.00	इस कार्य को रेल मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच 50:50 लागत वहन करने के आधार पर किया जाएगा। इस परियोजना की आरवीएनएल द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और इसे प्रथम दृष्ट्या विश्वसनीय पाया गया है। वृधाचलम-कुड्डालोर (57 कि.मी.) खंड पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है वृधाचलम-अट्टूर (83 कि.मी.) खंड को आरवीएनएल के लिए दक्षिण रेलवे द्वारा निष्पादित किया जा रहा है जहां मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी और गिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। इस खंड को 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। अट्टूर-सेलम खंड के लिए निविदाएं आरवीएनएल द्वारा प्रक्रियाधीन हैं।
7.	तंजावूर-विषुपूरम	192	231.00	49.89	15.00	तंजावूर-कुंभकोणम (39 कि.मी.) खंड पूरा हो गया है और 02.03.04 को यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है। कुंभकोणम-मयिलादुतरई (32 कि.मी.) के कार्य को आरवीएनएल द्वारा दक्षिण रेलवे को सौंप दिया गया है और 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। इस खंड में मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। शेष खंड को 2006-07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
8.	गांधीधाम-पालमपुर	313	344.63	80.52	13.00	इस परियोजना को रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस लाइन के लिए कच्छ रेलवे कंपनी (केआरसी) नामक विशेष प्रयोजन योजना का गठन किया गया है। विशेष प्रयोजन योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की इक्विटी रखी गई है जिसमें आरवीएनएल, गुजरात सरकार, कांडला और मुंडला पत्तनों का हिस्सा क्रमश: 50%, 4%, 26% और 20% है। इक्विटी को प्रत्येक शेयरधारक द्वारा एसपीवी के पास जमा करवा दिया गया है। पालनपुर-समख्याली (248 कि.मी.) को 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है और शेष को

1	2	3	4	5	6	7
						2006-07 के दौरान पूरा किया जाएगा। इस परियोजना को रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी और गिट्टी आदि संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।
9.	भिलडी-समदड़ी	223	244.74	2.86	20.00	इस परियोजना को रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस कार्य को कच्छ रेलवे कंपनी (केआरसी) को सौंपने हेतु स्टेक होल्डरों के साथ 13.01.05 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एसपीवी का गठन प्रक्रियाधीन है। समदड़ी-भीनमल खंड पर मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं।
10.	मानसी-सहरसा-पूर्णिया	142	210.51	80.02	20.00	मानसी-सहरसा खंड पर मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी और रेलपथ संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।
11.	दिल्ली-रेवाड़ी दूसरी लाइन	83	140	41.38	0.50	इस परियोजना को 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है और इसे रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
12.	आनंद सागर नौतनवा सहित गोंडा-गोरखपुर लूप	250	381.17	16.99	20	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। 8.85 लाख क्यूबिक मीटर में से 5.04 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी संबंधी कार्य, 47 बड़े पुलों में से 6 और 145 छोटे पुलों में से 30 का कार्य पूरा हो चुका है। गिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। यह कार्य राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत है और सकल बजटीय सहायता के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है।
13.	शाखा लाइनों सहित रंगिया-मुरकोंगसलेक	501.33	915.70	0	3	योजना और अनुमानों को तैयार करना शुरू कर दिया गया है। यह कार्य राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अधीन है और इसे बजटीय सहायता के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7
दोहरीकरण						
14.	पनवेल-जसई-जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी)	28.5	53.25	3.63	25.00	इस कार्य को मध्य रेल द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। इस परियोजना को 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
15.	रजतगढ़-नारगुंडी	28	82.87	81.6	1.00	परियोजना पूरी हो गई है और यातायात के लिए खोल दी गई है।
16.	नारगुंडी-कटक-रघुनाथपुर	43	160	131.35	15.0	कपिलास रोड-बिरूपा केबिन (7.88 कि.मी.), बिरूपा पुल ब्लाक केबिन-केंद्रपाड़ा रोड (2.6 कि.मी.) और कटक यार्ड रिमाडलिंग (3.8 कि.मी.) को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मतगजपुर-बड़ाखंडिता (17.40 कि.मी.) खंड पर भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी और अन्य कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है।
17.	रहामा-पारादीप	23	63.47	57.68	11.90	परियोजना पूरी हो गई है और यातायात के लिए खोल दी गई है।
18.	पांसकुड़ा-हल्दिया-चरण-1 (पांसकुड़ा-राजगोडा)	14	26.02	0.91	10.00	इस कार्य को आरवीएनएल के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। मिट्टी संबंधी और छोटे पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। पांसकुड़ा-रघुनाथबाड़ी (6 कि.मी.) खंड के 2004-05 के दौरान पूरा होने की संभावना है जहां रेलपथ संपर्क का कार्य पूरा हो चुका है। राजगोडा तक का शेष खंड 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
19.	होस्पेट-गुंतकल	111	154.14	82.21	65.00	बेल्लारी-तोरंगल्लू (30 कि.मी.) पूरी हो चुकी है। गुंतकल-हगरी (35 कि.मी.) खंड लगभग पूरा होने वाला है। हगरी-बेल्लारी (14 कि.मी.) और तोरंगल्लू-होस्पेट (32 कि.मी.) को वर्ष 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। इस कार्य को आरवीएनएल के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
20.	बरौनी-तिलरथ	14	15.37	0	12.00	कार्य हाल ही में पूरा हुआ है।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, गुजरात में पत्तन एवं पश्चप्रदेश की परियोजनाएं लम्बे समय से बंद हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वर्मा, मुझे खेद है कि आपको अपने स्थान पर जाना होगा।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: मेरी यही सीट है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह आपकी सीट नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: मैं यहीं बैठता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा न करें। हमें कुछ अनुशासन बनाये रखना चाहिए। वहां क्या गलत है? वह इस सदन के कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग है कि आपको कहां सीट दी गयी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अपने समीप रखना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, गुजरात राष्ट्र का एक प्रगतिशील, औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न एवं पश्चिमी क्षेत्र का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला राज्य है, फिर भी इस राज्य की जो रेल योजनाएं हैं, उन पर काम नहीं हो रहा है और जिन पर काम चल रहा है, वह काफी मंद गति से चल रहा है। गुजरात के साथ इस बार के रेल बजट में भी बड़ा अन्याय किया गया है। गुजरात के बंदरगाहों में एक जगह से दूसरी जगह माल ढोने के संबंध में एक एमओयू साइन हुआ है, मैं उसके बारे में भी जानकारी चाहूंगा। रेल विकास निगम लि. के अंतर्गत दिनांक 13 जनवरी, 2005 को जीआईजीसी और गुजरात में मैरीटाइम के बीच यह एमओयू साइन हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि आज भरूच-दहेज गेज कंवर्शन, सूरत-हजीरा आमान परिवर्तन, गांधीधाम-पालनपुर के बीच गेज कंवर्शन तथा भिलड़ी-समदड़ी गेज कंवर्शन का जो काम अधूरा पड़ा है, वह कब शुरू किया जाएगा और कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, क्या आपके पास सारी संबंधित जानकारी है?

श्री आर. वेलु: महोदय, इस विशिष्ट प्रश्न पर आने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि अब ये परियोजनाएं कार्यान्वयन हेतु रेल विकास निगम लिमिटेड (आर.वी.एन.एल.) द्वारा ले ली गयी है। इस उद्देश्य हेतु हम एस.पी.वी. अर्थात् विशिष्ट उद्देश्य वाली योजना बना रहे हैं। जब हम इस उद्देश्य के लिए संसाधन जुटाने में सक्षम होंगे तब राज्य सरकार पत्तन प्राधिकरण रेलवे और अन्य लाभार्थी इसमें शामिल हो जायेंगे।

जैसाकि उन्होंने ठीक ही बताया है कि इस बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं और इन सभी परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। वस्तुत: हमें इन सभी परियोजनाओं को वर्ष 2009 तक पूरा करने के लिए पांच वर्ष का समय दिया गया है। जहां तक गुजरात का संबंध है, हम उसके प्रति विचारशील हैं। यहां तक कि आर.वी.एन.एल. के अस्तित्व में आने से पहले ही दो एस.पी.वीज. नामत: पिपावाव रेल निगम तथा कच्छ रेलवे कम्पनी पत्तन सम्पर्कता देने तथा भीतरी क्षेत्रों में बहुआयामी अवसंरचना स्थापित करने में सहायता कर रही है।

इस तरह, हम गुजरात को किसी भी तरह वंचित नहीं रख रहे हैं। हम माननीय सदस्य की इस चिन्ता को समझते हैं और यदि आवश्यक हुआ तो हम इस संबंध में अतिरिक्त प्रयास भी करेंगे। जिस भी मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं उसे गम्भीरता से लिया जाता है, हम ध्यान रखेंगे कि शुरू किये गए ये कार्य पांच वर्ष की अवधि के भीतर ही पूरे हो जाएं।

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए। आपको अपने प्रश्न का उत्तर और आश्वासन दोनों मिल गये हैं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में गुजरात की एक ही लाइन की बात कही है। गुजरात

की शेष योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया है। गुजरात में एक्सट्रा-ट्रैक बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है। वीरनगाम, समखयाली, अहमदाबाद, महसाणा, आबु रोड और इसके साथ कांडला-भटिंडा के लिए डबल-ट्रैक की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि अहमदाबाद, बोटाक, सौराष्ट्र के बहुत ही शार्ट-टाइम प्रोजैक्ट है। ब्राडगेज के लिए भावनगर, बोटाक, सुरेन्द्र नगर, वीरनगाम लाइन भी आती है। मैं कहना चाहता हूं कि बोटाक से अहमदाबाद गेज-कंवर्जन हेतु सर्वे करने के लिए पिछली पांच टर्म से मैं मांग कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत अधिक अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, मैंने आपको अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या माननीय मंत्री जी इसके सर्वे पर ध्यान देंगे। गुजरात के हमारे माननीय मंत्री राठवा जी बैठे हुए हैं। उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि रेलों के मामले में गुजरात के साथ अन्याय हुआ है, गुजरात को कुछ नहीं मिला है। जो वहां एडीशनल ब्राडगेज ट्रैक बनाना है, वह आप कब तक बनाएंगे? गुजरात से पूरे पोर्ट ट्रस्ट, पूरे नार्थ इंडिया—पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक के लोगों को लाभ मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह एक्सट्रा ट्रैक आप कब तक बनाएंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मुद्दा रेलवे बजट पर व्यापक बहस होने के बाद उठाया जा रहा है।

श्री आर. वेलु: हमारे मंत्रालय में एक मंत्री महोदय गुजरात से हैं। वह गुजरात के हितों का भली प्रकार ध्यान रख रहे हैं।

दूसरे, अहमदाबाद के जिस भी रेल मार्ग के बारे में उन्होंने कहा है वह भीतरी क्षेत्रों की सम्पर्कता से संबंधित है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इन परियोजनाओं का कार्य त्वरित गति से किया जाए। इसी कारण से आर.वी.एन.एल. का गठन किया गया। उसके साथ ही विशिष्ट उद्देश्यों संबंधी एक परियोजना शुरू कर रहे हैं ताकि आपके हितों का ध्यान रखा जा सके, मैं माननीय सदस्य तथा गुजरात सरकार को इस संबंध में आश्वस्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: अध्यक्ष जी, मैं माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि महाराष्ट्र राज्य की पनवेल-करजत परियोजना को रेल संरक्षा आयुक्त से प्रमाणपत्र कब तक मिल जाएगा और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की दस परियोजनाओं में से पोर्ट को जोड़ने वाली आठ परियोजनाओं का अभी तक अनुमोदन नहीं हुआ है, उसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: पनवेल-करजत परियोजना के संबंध में कार्य सभी प्रकार से पूरा हो चुका है। हम रेलवे सुरक्षा आयुक्त को उस संबंध में पहले ही लिख चुके हैं। इस परियोजना को शीघ्र चालू किया जाएगा।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, रेल विकास योजना और आर.वी.एन.एल. का उद्देश्य भीतरी क्षेत्रों और सड़कों के बीच सम्पर्कता में सुधार लाना है। मंत्री महोदय को यह मालूम ही होगा कि कोलकाता पत्तन राष्ट्रीय राजमार्ग-6, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 और राष्ट्रीय राजमार्ग-34 से जुड़ा है तथा हल्दिया पत्तन राष्ट्रीय राजमार्ग-41 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-6 से जुड़ा है। दिये गये विवरण से पता चलता है कि इस बारे में मार्च 2004 तक किया गया व्यय बहुत कम है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री अधीर चौधरी: कोलकाता और हल्दिया गोदी-प्रणाली पूर्वोत्तर तथा नेपाल की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है। राष्ट्रीय रेल विकास योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि निर्धारित की गयी है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हल्दिया और कोलकाता के संबंध में रेल सम्पर्कता की प्रगति धीमी क्यों है। क्या मंत्रालय को इसमें किसी किस्म की कोई बाधा आ रही है? कोलकाता पत्तन का महत्व दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें जवाब देने दें।

श्री अधीर चौधरी: अतएव कोलकाता और हल्दिया पत्तनों को शीघ्र सम्पर्कता प्रदान की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही मूल्यवान घंटा है।

श्री आर. वेलु: मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्य सोच रहे हैं इसमें कोई समस्या या बाधा नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि धनराशि को प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं है। जैसाकि मैंने पहले ही कहा है विशिष्ट उद्देश्य संबंधी योजना वर्ष 2003 में ही अस्तित्व में आयी है अब हमने इस बारे में पर्याप्त निधियों के आबंटन की दिशा में सही

कदम उठाये हैं। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहूंगा कि यह कार्य बहुत आसानी से तथा त्वरित गति से किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री लक्ष्मण सेठ। क्या आपका भी वही प्रश्न है या इससे कुछ अलग है?

श्री लक्ष्मण सेठ: महोदय, यह एक नया प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में तथा विशिष्ट प्रश्न ही पूछें।

श्री लक्ष्मण सेठ: माननीय मंत्री द्वारा दिये वक्तव्य से यह पता चलता है कि पंसकुरा-हल्दिया मार्ग पर 14 किलोमीटर रेल लाईन के दोहरीकरण के कार्य को पूरा करने हेतु दिये गए 10 करोड़ रुपये में से मात्र 90 लाख रुपए खर्च किये गए हैं। पंसकुरा और हल्दिया के बीच 72 किलोमीटर लम्बा रेलमार्ग है परन्तु इसमें से केवल 14 किलोमीटर मार्ग पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। इस कार्य की प्रगति इतनी धीमी है कि मैं नहीं जानता यह कब चालू होगी। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं यह दोहरी रेल लाइन का कार्य कब पूरा होगा। हल्दिया दक्षिण-पूर्वी रेलवे को 50 प्रतिशत राजस्व देता है, अत: मैं इस दोहरी रेल लाइन के पूरा किये जाने की निर्धारित तिथि के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री आर. वेलु: यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जानी है। पहला चरण 14 किलोमीटर मार्ग का है। इसके लिए 26 करोड़ का आवंटन किया गया है। हम सभी कार्य पूरा करने के प्रयास कर रहे हैं। 14 किमी मार्ग के इस पहले चरण का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाना चाहिए और शेष कार्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2005-06 का लक्ष्य रखा गया है। यह इसी प्रकार से किया जा रहा है और इसके पूरा होने में कोई समस्या नहीं है।

श्री अनंत कुमार: महोदय, यह आश्चर्य की बात है कि हुबली-अंकोला की प्रतिष्ठित पत्तन सम्पर्कता परियोजना, जिसके लिए स्वीकृति व बजट प्रावधान किया जा चुका है तथा तीन वर्ष पहले पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका उद्घाटन किया था के बारे में उत्तर में कुछ भी नहीं कहा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस परियोजना के लिए निधियों का आबंटन क्यों नहीं किया गया है। यदि इसमें पर्यावरण संबंधी कोई अड़चन है तो रेल मंत्रालय द्वारा इन अड़चनों को दूर करने के लिए किया जा रहा है।

दूसरे, मंगलौर-बंगलौर रेल लाइन के आमान परिवर्तन के बारे में माननीय मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर दिया है परन्तु मात्र एक लाख रुपये का आबंटन किया गया है। मुझे नहीं पता कि मात्र एक लाख रुपये के आबंटन से कैसे इस बंगलौर-मंगलौर वाया हसन और अरसीकेरे रेल लाइन का कार्य पूरा होगा।

श्री आर. वेलु: महोदय, इस प्रश्न का पहला भाग पत्तन सम्पर्कता परियोजना से संबंधित नहीं है। चूंकि यह प्रश्न पत्तन सम्पर्कता के बारे में है। इसके लिए एक पृथक सूचना दी जानी चाहिये उसके बाद मैं माननीय सदस्य को जवाब दूंगा।

श्री अनंत कुमार: महोदय, अंकोला-हुबली रेल लाइन का प्रश्न इससे संबंधित है। यह देश के पूर्वी तट और पश्चिमी तट को जोड़ता है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा।

मंत्री महोदय, श्री अनन्त कुमार इस सभा के जिम्मेदार सदस्य हैं। वे कहते हैं कि एक ऐसी परियोजना है जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। कृपया इसे देखें और माननीय सदस्य को इसकी सूचना दें व इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जाएं।

श्री अनन्त कुमार: महोदय, यह सी-बर्ड नामक एक नौसेना बेस है जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपये है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि यह पत्तन सम्पर्कता से संबंधित नहीं है परन्तु फिर भी इसके बारे में पता लगाएंगे।

श्री अनंत कुमार: महोदय, मंगलौर देश का एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्तन है।

अध्यक्ष महोदय: आपको एक दूसरे से सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए।

श्री अनन्त कुमार: महोदय, मंगलौर देश का एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्तन है।

श्री आर. वेलु: मुझे यह मालूम है परन्तु यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: अंकोला भी एक पत्तन है। मंगलौर भी एक पत्तन है। यह प्रश्न पत्तनों को जोड़ने से ही संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है वह आपको इस विषय पर जानकारी देंगे।

श्री अर्जुन सेठी: महोदय, प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्रीजी ने बताया है कि पारादीप पत्तन से जोड़ने वाली हरिदासपुर-पारादीप रेल लाइन के साथ-साथ उड़ीसा के दैतारी-बांसपानी रेल संपर्क पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसका कार्य शुरू किया जाएगा परन्तु इसके लिए निर्धारित पिछले वर्ष की निधियां तथा इस वर्ष की निधियां कतई पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने बताया है

विशिष्ट उद्देश्य संबंधी योजना प्रक्रियाधीन है। विशिष्ट उद्देश्य संबंधी इस योजना को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा। पारादीप पत्तन को जोड़ने वाली दैतारी-बांसपानी रेल लाइन के लिए निर्धारित निधि भी बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। आप इस क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। आप इस क्षेत्र से भली-भांति परिचित हैं। पारादीप पत्तन से संपर्क हेतु यह अत्यावश्यक है। जब तक इन रेल परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जाता पारादीप पत्तन का विकास नहीं होगा। अत: मैं जानना चाहता हूं तथा माननीय मंत्री जी से इसका विशिष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहता हूं कि इस विशिष्ट उद्देश्य संबंधी योजना को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा।

इसी प्रकार, इसके लिए निर्धारित धनराशि भी बहुत कम है। क्या आप सभा को आश्वासन देंगे कि इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा तथा इसके साथ ही इस पर शीघ्र कार्य किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: इस मामले में अंतिम स्थान का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। यह शुरूआती चरण में है। भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है और 46 गांवों में भूमि अधिग्रहण कर ली गई है। परियोजना को विश्वसनीय पाया गया है। विश्वसनीयता का तात्पर्य है कि एस पी वी गठित करने की कोई समस्या नहीं है। परन्तु यह आर वी एन एल के अंतर्गत भी आ रहा है। हम जल्दी ही इस पर विचार करेंगे। मैं सदस्य को भरोसा दिलाता हूं कि हमने इस वर्ष 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अतिरिक्त राशि आवंटित की जाए। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रारम्भिक चरण में है। हम ऐसा करेंगे।

श्री अर्जुन सेठी: निर्धारित राशि बहुत कम है *...(व्यवधान)*

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी: यद्यपि ये यह व्यवस्था कर रहे हैं परन्तु ये धन खर्च नहीं कर रहे हैं। गत वर्ष केवल 5 से 6 प्रतिशत खर्च किया गया था। यह पर्याप्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी, आपकी टिप्पणी यहां है। मैं उन टिप्पणियों को हटा नहीं रहा हूं।

श्री एम.एम. पल्लम राजू: महोदय, काकीनाडा पत्तन काकीनाडा में है जो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़े जिले का मुख्यालय है। यह आंध्र प्रदेश का प्रमुख चावल उत्पादक जिला भी है हर वर्ष यहां लगभग 3 लाख टन चावल पैदा होता है जिसमें हर वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या पत्तन को जोड़ने का कोई विशेष प्रस्ताव है। माननीय मंत्री ने काकीनाडा पत्तन का दौरा किया है। मैं जानता हूं कि यदि इसे मुख्य लाइन पर लाया जाता है तो आवश्यकता का एक भाग पूरा हो जाएगा। क्या भीतरी भाग और पत्तन को रेल सम्पर्क प्रदान करने हेतु राज्य सरकार का कोई स्पष्ट प्रस्ताव है? यदि नहीं तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करने की कृपा करेंगे? आप परियोजना में कितना शीघ्र तेजी लाएंगे?

श्री आर. वेलु: माननीय सदस्य जानते हैं कि मैंने उस क्षेत्र का दौरा किया था। उन्हें यह भी पता है कि कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। वस्तुत: यदि आवश्यकता हो तो इन्हें राज्य सरकार के माध्यम से इसकी पहल करनी चाहिए ताकि हम यह इमानदारी से सुनिश्चित कर सकें कि कुछ किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या-222

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव: यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महोदय, मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने पहले ही रेल बजट पर 15 घंटे से अधिक चर्चा कर ली है। फिर भी मैंने 5 अनुपूरक प्रश्न और 2 मूल सदस्यों को अनुमति दी है। यह संख्या-7 है। फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मेरी समस्या भी जानते हैं। कृपया मेरी समस्या को भी ध्यान में रखें। श्री रामदास आठवले। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, मैं आज अपनी सीट पर बैठा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अनुशासित सदस्य होने पर अच्छा लगता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को स्वायत्ता देना

***202. श्री रामदास आठवले:**
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन सी एस सी) को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने का है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में सामाजिक संगठनों और माननीय संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आयोग को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत विशिष्ट कर्त्तव्यों और शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत इसमें अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक शक्तियां निहित हैं।

(ख) सामाजिक संगठनों या माननीय संसद-सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के साथ अन्याय होता है और उन्हें न्याय देने के लिए आर्टिकल 338 के मुताबिक एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद 1990 में एससीएसटी कमीशन बना। 2004 में एससी और एसटी कमीशन अलग-अलग हुए। जिस उद्देश्य से इस कमीशन का निर्माण किया गया, उसे सफल बनाने के लिए ही मैंने प्रश्न किया है कि इसे पूर्ण स्वायत्तता मिलनी चाहिए क्योंकि अभी इस कमीशन को केवल समन भेजने का अधिकार है। जिस तरह के ह्यूमन राइट्स कमीशन को अधिकार प्राप्त हैं, वैसे ही अधिकार इस कमीशन को मिलने चाहिए। अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास कोई केस भेजा जाता है और वह देखता है कि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के माध्यम से केस को फाइल किया जा सकता है। उसी प्रकार एससी एसटी कमीशन को आटोनामी देने के संबंध में सरकार को विचार करना चाहिए। जैसा आपने बताया कि और अनुच्छेद 338 के अंतर्गत इस कमीशन को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए शक्तियां दी गई हैं, लेकिन उतनी शक्तियां इसके पास नहीं हैं। इसे आटोनामी देने के बारे में मंत्री महोदया क्या करने वाली हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक माननीय सदस्य एक अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हो गए हैं और व्यवधान चल रहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती मीरा कुमार: मैं आपके माध्यम से माननीय संसद सदस्य को बताना चाहती हूं कि इस समय एससी कमीशन का जो स्तर है वह सबसे ऊंचा है। इस तरह के पांच कमीशन हैं— फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, इलैक्शन कमीशन, एससी कमीशन और एसटी कमीशन। इनसे ऊंचा किसी और कमीशन का स्टेटस नहीं है। इसके बाद जो कमीशन आते हैं, उनका स्टेटस स्टेट्यूटरी कमीशन की तरह है और उसके बाद आटोनमस बाडी आती है, जिनका स्थान कान्सटीटुएंशल कमीशन और स्टेट्यूटरी कमीशन के बाद आता है, जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं। मैं मैन्युअल आफ आफिस प्रोसीजर से पढ़ना चाहती हूं कि आटोनोमस बाडी क्या है—

[अनुवाद]

ऐसे निकाय जिनकी सरकारी कार्यों से संबंधित क्रियाकलाप करने के लिए सरकार द्वारा स्थापना की जाती है, तथापि ऐसे निकायों को संगम ज्ञापन इत्यादि के अनुसार अपने कार्य करने हेतु स्वायत्तता दी जाती है, परन्तु सरकारी नियंत्रण रहता है चूंकि इनका भारत सरकार द्वारा वित्तपोषण किया जाता है।

[हिन्दी]

मैं बताना चाहती हूं कि जो उनकी चिंता और कन्सर्न है कि उसे ज्यादा पावर्स दी जाएं, उसे पहले ही सबसे ज्यादा पावर्स दी गई हैं।

श्री रामदास आठवले: महोदय, सबसे ज्यादा पावर्स नहीं दी गई हैं। मैंने पहले भी कहा है कि इसके सामने हर साल 36000 केसिस आते हैं और एससीएसटी कमीशन के चेयरमैन समन भेजकर जब किन्हीं अधिकारियों को बुलाते हैं परंतु अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। जिस उद्देश्य के लिए इस कमीशन का निर्माण किया गया है, वह उद्देश्य सफल नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न स्वायत्तता के बारे में है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: जिस तरह से एससी और एसटी कमीशन को अलग कर दिया गया है और एसटी कमीशन के चेयरमैन को कैबिनेट का दर्जा दिया गया, लेकिन एससी कमीशन के चेयरमैन को कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसे स्ट्रैंग्थन करना चाहते हैं, एससी कमीशन के चेयरमैन को भी कैबिनेट का दर्जा मिलना चाहिए। इसे ह्यूमेन राइट्स कमीशन के समान अधिकार देने के लिए, आपको विचार करना चाहिए क्योंकि सरकार अपनी है। *...(व्यवधान)* एससीएसटी के वोटों पर हम सत्ता में आए हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे पीछे कर दिया है, जबकि मैं आगे आना चाहता हूं। मेरी सीट इतनी पीछे रखी गई है और फिर भी मैं आगे आता रहूंगा। यहां सीट का सवाल नहीं है *...(व्यवधान)* मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ह्यूमेन राइट कमीशन को जो आटोनामी और अधिकार दिए गए हैं, वैसे अधिकार एससी कमीशन को देने के बारे में आपकी सरकार की क्या राय है। इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि एससी कमीशन के चेयरमैन को कैबिनेट का दर्जा मिलना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, उस सीट से भी आप पर पूरा ध्यान दिए जा रहा है। आपको पहली पंक्ति में लाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री को निर्णय लेना है मुझे नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: आप आदेश दे दीजिए।

श्रीमती मीरा कुमार: माननीय संसद सदस्य ने दो प्रश्न किए हैं। वे बार-बार कह रहे हैं कि इस कमीशन के चेयरमैन को कैबिनेट का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन वर्ष 2003 में एस.सी.एस.टी. कमीशन के लिये जो नोट बनाया गया, उसमें चेयरमैन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की बात नहीं कही गई थी। इसलिये उसे कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया गया है। जब यह बात हमारे सामने आई है, यह विचाराधीन है। यह मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बार-बार मानवाधिकार आयोग की पावर्स का हवाला दिया है। मैं उन्हें फिर से बता देना चाहता हूं कि यह संवैधानिक आयोग नहीं है, केवल सांविधिक आयोग है। उसका दर्जा इससे कम है। एस.सी. कमीशन को सिविल कोर्ट्स के समान राइट्स मिले हुये हैं, इसे सिविल सूट्स की तरह ट्राई करने के पूरे अधिकार मिले हुये हैं। क्लाज-8 (एफ) में कहा गया है कि इसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति जी और जो भी उचित समझेंगे, उन्हें नियमानुसार कार्य करने के अधिकार दे देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल ब्रजेश पाठक की बातों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, मैंने अभी आपको बधाई दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वीकार किया है कि अनुसूचित जाति आयोग को स्वायत्तता प्रदान करने जा रही है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि उसे संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, उसके चेयरमैन को कैबिनेट मंत्री का ओहदा मिला हुआ है। क्या सरकार *...(व्यवधान)*

श्रीमती मीरा कुमार: नहीं, नहीं।

श्री ब्रजेश पाठक: नहीं, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि एस.सी. कमीशन के चेयरमैन को कैबिनेट का दर्जा दिये जाने पर विचार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कृपया शांत रहिये।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राजेश पाठक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सवाल माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जैसे-जैसे यहां सरकारों में परिवर्तन होता रहता है, अनुसूचित जाति आयोग की संस्तुतियों को लागू कराने में देखा जाता है कि आयोग सक्षम नहीं है। कोई सरकार उसकी बातों को मानती है और कोई नहीं मानती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसकी संस्तुतियों को लागू कराने के लिए कोई कानून बनाने पर विचार करेगी? मेरा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सरकार एस.सी. कमीशन द्वारा आज तक की गई संस्तुतियों पर संसद में बहस कराये जाने पर विचार करेगी या नहीं?

श्रीमती मीरा कुमार: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सारगर्भित प्रश्न पूछे हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि एस.सी. कमीशन की सिफारिशें नहीं मानी जाती हैं, लेकिन मैं इन्हें बता देना चाहती हूं कि एस.सी. कमीशन की छठीं रिपोर्ट जो यहां रखी गई थी। उनकी 90 प्रतिशत सिफारिशों को हम लोगों ने पूरे तौर पर कंसीडर किया है। इसलिये, यह कहना ठीक नहीं कि उसकी सिफारिशें नहीं मानी जाती हैं।

अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछा है कि यहां एस.सी. कमीशन की जो वार्षिक या स्पेशल रिपोर्ट्स यहां रखी जाती हैं, उन पर सदन में विचार होना चाहिये। मेरा माननीय सदस्य से कहना है कि यह संसद सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे इस बारे में नोटिस दें ताकि डिसकशन के लिये समय दिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत सक्षम उत्तर है। मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: महोदय, माननीय मंत्री पहले ही सहमत हो गई हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए कोई अधिकार अथवा शक्तियां नहीं हैं।

श्रीमती मीरा कुमार: महोदय, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय: आप विवाद पैदा कर रहे हैं।

माननीय सदस्य, माननीय मंत्री ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि यह अब सांविधानिक निकाय जो सांविधिक निकाय से अधिक शक्तिशाली है।

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: खैर, अनुसूचित जातियों के प्रश्न के संबंध में विशेषकर उससे पैदा होने वाली अनेक समस्याएं राष्ट्रीय आयोग को भेजी गई हैं। किसी तरह महाराष्ट्र में अनेक स्कूल हैं जिन्हें पहले ही अनुसूचित जातियों के लिए शुरू किया गया है परन्तु मान्यता नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय: यह केवल इस आयोग की स्थिति के संबंध में है।

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या जिन समस्याओं को पहले ही राष्ट्रीय आयोग अथवा किसी ऐसे निकाय के पास भेजा गया है उस पर वे विचार करेंगे अथवा नहीं।

श्रीमती मीरा कुमार: महोदय, यह इस प्रश्न के दायरे से बाहर है। यह प्रश्न राष्ट्रीय आयोग की स्वायत्तता के बारे में है। इस मामले में माननीय सदस्य की बात पर हम अलग से विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: वास्तव में प्रश्न अलग से नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि एस.सी. कमीशन के बारे में कहा गया है कि इसे बड़ी शक्तियां प्राप्त हैं, मैं जानना चाहती हूं कि इस कमीशन को कितनी शक्तियां प्राप्त हैं, कमीशन के सामने ऐसे कितने केसिज आये और उनका कैसे निपटान किया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार करने वाले अफसरों के विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद 338 का जोर देकर जिक्र किया है। प्रश्न स्वायत्तता से संबंधित है। उन्होंने कहा है कि एक संवैधानिक निकाय के तौर पर पूर्ण स्वायत्तता उपलब्ध है। अब, यदि इस प्रश्न के बारे में ब्यौरा मांगा जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथः कमीशन को कितनी शक्तियां प्राप्त हैं?

अध्यक्ष महोदयः बहुत शक्तियां हैं। माननीय सदस्य को आप भेज दीजिए।

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मिडियम।

यदि युक्तिसंगत प्रश्न है तो मैं आपको अनुमति दूंगा। अन्यथा, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कृपया स्वायत्तता संबंधी प्रश्न पूछिये।

डा. बाबू राव मिडियमः क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक बात जान सकता हूं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग उन समुदायों की अपेक्षाओं को अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि 1989 के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत कितने मामले दर्ज किये गए। मैं राज्य-वार ब्यौरा भी जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः आप राज्य-वार ब्यौरा जानना चाहते हैं।

श्रीमती मीरा कुमारः महोदय, माननीय सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार निवारण अधिनियम की बात कर रहे हैं। अब माननीय सदस्य को उसके लिये मुझे अलग सूचना देनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदयः कृपया मुझे दूसरी सूचना दीजिये।

श्री इलियास आजमी।

यदि आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो तुरंत अपनी सीट पर जाइये। अन्यथा, आपको अनुमति नहीं मिलेगी। अपनी सीट पर जाइये। यह कुछ नहीं है। कभी-कभी कोई माननीय सदस्य अपनी सीट ही भूल जाते हैं। हमें उन्हें ध्यान दिलाना पड़ता है।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माइनोरिटी कमीशन को भी कोई अख्तियार दिये गये हैं और अगर नहीं दिये गये हैं तो इसे कब तक आप कांस्टीट्यूशनल दर्जा देने का विचार रखते हैं?

अध्यक्ष महोदयः पहले ही दे दिया है।

श्री इलियास आजमीः माइनोरिटी कमीशन को कब तक दर्जा देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अल्पसंख्यक का प्रश्न नहीं उठता।

श्री तूफानी सरोज।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोजः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय निश्चित रूप से कार्रवाई करता है। यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में मंत्रालय की कितनी सिफारिशों पर कार्रवाई की गई, यदि नहीं की गई तो क्यों?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपको इसके लिए नया प्रश्न पूछना होगा।

यात्रियों की संख्या में कमी

***203. श्री जी. करूणाकर रेड्डीः** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रतिदिन संचालित इंडियन एयरलाइन्स और अन्य गैर-सरकारी एयरलाइन्स के अंतर्गत कितने विमान हैं तथा ये किस-किस प्रकार के हैं;

(ख) क्या हाल ही में इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों की संख्या में धीरे-धीरे कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय विमान कंपनियों को अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इंडियन एयरलाइन्स तथा निजी नामित विमान कंपनियों के विमानों की संख्या तथा किस्म के संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

विमान की किस्म	इंडियन एयरलाईन्स	एलाइंस एयर	जेट एयरवेज	सहारा एयरलाइन्स	डेक्कन एविएशन
ए-300	03	–	–	–	–
ए-320	46	–	–	–	03
बी-737	–	11	34	14	–
एटीआर-72	–	–	08	–	–
एटीआर-42	–	04	–	–	10
सीआरजे	–	–	–	07	–
डीओ-228	02	–	–	–	–
जोड़	51	15	42	21	13

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार, राष्ट्रीय वाहकों को अपनी सेवाओं का उन्नयन करने तथा बचत के उपाय अपनाने के लिए समय-समय पर प्रोत्साहित करती रहती है। इसके अतिरिक्त इंडियन एयरलाइन्स के हवाई बेड़े का विस्तार/उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव सरकार के अधीन सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

श्री जी. करूणाकर रेड्डी: महोदय, विमान किराये बहुत ज्यादा हैं। केवल धनी लोग ही विमान सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। यदि विमान किराये कम किए जाते हैं तो मध्यम आय वर्ग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। विमान किराये कम करके यात्री यातायात और लाभ बहुत बढ़ सकते हैं। महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का लाभकारी मार्गों पर विमान सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाकर विमान किरायों में कमी करने का प्रस्ताव है।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, इससे यह प्रश्न नहीं उठता। जहां तक विमान किरायों का संबंध है तो मैं माननीय सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि अधिक प्रतिस्पर्धा से विमान किरायों में कमी आएगी और देश में सम्पर्क में वृद्धि होगी।

मैं समझता हूं कि सरकार भारत में उड्डयन के विकास के लिए अपना पूर्ण प्रयास कर रही है।

श्री जी. करूणाकर रेड्डी: महोदय, मेरे जिले बेल्लारी में हम्पी नामक एक विश्व विरासत केंद्र है। हर रोज हजारों विदेशी और भारतीय पर्यटक वहां जाते हैं। उसके अलावा बेल्लारी औद्योगिक रूप से तीव्र विकासशील शहर है जहां बड़े और मध्यम उद्योग आ गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न के किस भाग के अंतर्गत यह आता है?

श्री जी. करूणाकर रेड्डी: वहां बहुत सी खनन गतिविधियां चल रही हैं और विभिन्न देशों को लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है। व्यावसायिक रूप से यह बहुत व्यवहार्य शहर है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का वहां विमानपत्तन में सुधार करने और विमान सेवाएं शुरू करने का विचार है क्योंकि इस स्थान के लिए कोई विमान सेवाएं नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: वह उत्तर देने के लिए बाध्य हैं।

श्री जी. करूणाकर रेड्डी: मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वहां रात्रि में विमान उतारने की सुविधा भी दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: मैं कोलकाता विमानपत्तन के बारे में भी उतना ही चिंतित हूं। वह कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रफुल पटेल: मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं। हम्पी हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण विरासत स्थल है और सरकार इसे जोड़ने के लिए अपना पूर्ण प्रयास कर रही है। वहां निजी हवाई पट्टी भी....

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): यह एक विश्व विरासत स्थल है।

श्री प्रफुल पटेल: यह एक विश्व विरासत स्थल है जैसाकि श्री जयपाल रेड्डी ने मेरी बात में सुधार किया है। माननीय संस्कृति मंत्री को अवश्य ही हम्पी के विरासत स्थल के बारे में अधिक जानकारी होगी परन्तु सच्चाई यह है कि ये वहां अधिक सम्पर्क चाहते हैं। इसलिए, अब वहां निजी हवाई पट्टी को भी अनुसूचित यात्री सेवाओं के लिए भविष्य में नियमित हवाई पट्टी में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा रही है। वहां पर रात्रि में विमान उतारने जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। फिर भी हम उनकी बात पर समग्र रूप से दिए गए ध्यान को मद्देनजर रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी, क्या आप इस बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: नहीं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: माननीय, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मुख्य प्रश्न के भाग डी की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें पूछा गया है कि सरकार ने राष्ट्रीय विमान कंपनियों को अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

अध्यक्ष जी, हम सब सांसदों को मालूम है कि मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में दिन-पर-दिन फ्लाइट्स लगातार डिले होती जा रही हैं। हम सब परेशान होकर बैठे रहते हैं। जब पूछा जाता है कि फ्लाइट डिले क्यों है, तो कहते हैं कि टेकिंग आफ और लैंडिंग वेटिंग में चल रहा है। मैं एक गंभीर समस्या आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर लैंडिंग वेटिंग में है तो इसका मतलब हुआ कि आधा घंटे तक हवाई जहाज दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों के ऊपर उड़ता रहेगा, जिससे ईंधन का बहुत नुकसान और खर्चा होगा। इसलिए वेटिंग पीरिडय कम करना चाहिए। सिर्फ फ्लीट बढ़ाने से हम स्पर्द्धा में नहीं जा पाएंगे। जब तक आप अधिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं कराएंगे, विशेषकर बड़े महानगरों में अधिक हवाई पट्टियां नहीं बनाएंगे तब तक प्रतिस्पर्द्धा में हम खड़े नहीं हो पाएंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन चार महानगरों में जहां लैंडिंग और टेक आफ में वेटिंग के कारण पैसे और ईंधन का नुकसान हो रहा है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के नाम पर हवाई अड्डे और अच्छे मकान बनाने से कुछ नहीं होगा

[अनुवाद]

जब तक कि हवाई पट्टियां नहीं बढ़ाई जाती। मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, कोई भी प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय: परन्तु ये आपके ज्ञान पर भरोसा कर रहे हैं।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, मैं माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यह सच है कि हमारे देश में हवाई यातायात बहुत तेजी से बढ़ रहा है और चालू वर्ष में ही 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो गई है। इसलिए, हमें बेहतर उड्डयन अवसंरचना की जरूरत है। विशेषकर बड़े महानगरों में यह समस्या ज्यादा गम्भीर हो रही है। हमारे यहां मुम्बई और दिल्ली में लगभग 25 विमान प्रति घंटा उड़ान भरते हैं परन्तु उसे बढ़ाये जाने की जरूरत है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। हम इस वर्ष के अंत तक इसे कम से कम 35 उड़ानें प्रति घंटा करने पर विचार कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि पूरी तरह बल्कि इससे कुछ हद तक भीड़भाड़ समाप्त होगी। वह सही कहते हैं कि हवाई यातायात में तेजी से वृद्धि होने पर विशेषकर दिल्ली और मुम्बई में और अतिरिक्त धावन पट्टियों की जरूरत होगी।

जहां तक अहमदाबाद सहित अन्य विमानपत्तनों का प्रश्न है तो उन पर और तेजी से कार्य करना पड़ेगा। मैं ऐसा इसिलए कह रहा हूं क्योंकि जब तक हम प्रमुख महानगरों से यातायात को अन्यत्र नहीं बांटते तब तक समस्या बनी रहेगी।

मैं माननीय अध्यक्ष को भी भरोसा दिला सकता हूं कि कोलकाता विमानपत्तन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रफुल पटेल: एक सुंदर टर्मिनल बनाया जा रहा है। मैं आपसे समय लूंगा और आपको वह स्थान दिखाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया श्री हरिन पाठक को भी आमंत्रित कीजिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय सबसे लोकप्रिय मंत्रालय बन गया है।

मेरे पास केवल 25 माननीय सदस्यों के नाम हैं जो इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं कुछ नामों को समय देने की कोशिश करूंगा। इससे सबसे अलग आपकी जिम्मेदारी प्रदर्शित होती है और मुझे विश्वास है कि आप इनका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मुझे लगता है कि यदि यही मामला है तो मुझे सूची में अपने मंत्रालय से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने का मौका नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं उस पर आऊंगा।

श्री एल. राजगोपाल: मैं इंडियन एयरलाइंस से बार-बार यात्रा करता रहता हूं। मैंने एक मिलियन मील से अधिक यात्रा की है। यह अकेली एयरलाइंस है जो मुझे पूरी यात्रा के दौरान बिना बाधा पहुंचाए सोने देते हैं। परन्तु बहुत से लोग विमान सेवाओं में बेहतर परिवेश और बेहतर सज्जा देखना चाहते हैं वे वही फटी हुई और रंग खराब हुई सीटें नहीं देखना चाहते। हमें नियमित आधार पर विमान सेवाओं में साज-सज्जा परिवर्तित करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय: श्री राजगोपाल, हमारे सामने यात्रियों की संख्या में गिरावट का प्रश्न है।

श्री एल. राजगोपाल: निजी विमान सेवा और इंडियन एयरलाइंस में यही मुख्य अंतर है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। निजी विमान सेवाएं हमेशा समय पर चलती हैं और उनके द्वारा परिचालित उड़ानों में विलम्ब नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका प्रश्न क्या है?

श्री एल. राजगोपाल: महोदय, निजी विमान सेवाएं सदैव समय पर होती हैं।

अध्यक्ष महोदय: काश, मैं आपकी बात से सहमत होता परन्तु अनुभव ऐसा नहीं है।

श्री एल. राजगोपाल: क्या मंत्रालय इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के कर्मचारियों के लिए कोई पैकेज लाने पर विचार कर रहा है ताकि उन्हें हरेक विलम्बित उड़ान के लिए दंडित किया जा सके और समय पर उड़ान के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाए। यह उन्हें उड़ानों में विलम्ब के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार बनायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें इसके लिए एक विशेष पैकेज लाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही हेतु सुझाव है।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, माननीय सदस्य के लिए एक छोटा सा सुझाव है कि उन्हें इंडियन एयरलाइंस की आलोचना करने से पूर्व अन्य विमान सेवाओं को भी आजमाना चाहिए।

मैं माननीय सदस्य की चिंता समझता हूं परन्तु सामान्य तौर पर सभी विमान सेवाओं में विलम्ब होता है। इसलिए, हमें इसकी इतनी आलोचना नहीं करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ ने पहले ही टिप्पणी की है कि स्थिति वैसी नहीं है जैसी इन्होंने बतायी है। अन्य विमान सेवाओं में भी विलम्ब होता है।

श्री उमर अब्दुल्लाह: महोदय, माननीय मंत्री को जानकारी होगी कि केंद्र और राज्यों में उत्तरवर्ती सरकारों ने जम्मू और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। माननीय मंत्री को जानकारी होनी चाहिए कि इस समय परिवार अपने ग्रीष्मावकाश के लिए योजना बनाना शुरू करते हैं। परन्तु ट्रेवल एजेंट पहले ही उन लोगों को जो जम्मू और कश्मीर विशेषकर श्रीनगर की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें सूचित कर रहे हैं कि उड़ानों में सीट उपलब्ध नहीं हैं।

क्या माननीय मंत्री श्रीनगर के लिए इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें बढ़ाने पर विचार करेंगे। क्या यह कश्मीर जाने वाले पर्यटकों को बढ़ावा देने हेतु विशेष किराये के बारे में भी विचार करेंगे?

श्री प्रफुल पटेल: माननीय सदस्य ठीक कहते हैं कि श्रीनगर में पुन: पर्यटन के मामले में तेजी आ रही है। हम भीड़भाड़ वाले पर्यटक मौसम के दौरान श्रीनगर के लिए अधिक उड़ानें देने पर विचार करेंगे।

जहां तक विशेष किरायों का संबंध है तो मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धा होने से सभी एयरलाइंस अधिक योजनाओं और किरायों की पेशकश करेंगी। मैं बार-बार यह कहता रहा हूं। शायद, श्रीनगर के लिए ऐसी योजनाओं की अभी पेशकश नहीं की गई है परन्तु अंततोगत्वा यह पेशकश अवश्य की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री चंद्रकांत खैरे। क्या आप अपनी आवंटित सीट पर हैं?

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारा जो संभाजी नगर औरंगाबाद चिकनखाना एयरपोर्ट है, उसके लिए जेबीआईसी की तरफ से

60 करोड़ रुपये और एयरपोर्ट अौथोरिटी की तरफ से 13 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, यानी कुल-मिला कर 73 करोड़ रुपये से यह एयरपोर्ट बन रहा है। यह एक छोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और इसे अजंता-एलोरा हेतु भी बनाया जा रहा है। एक मार्ग दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, संभाजी नगर, औरंगाबाद और मुम्बई है जिस पर पहले आईसी-491 तथा आईसी-492 चलता था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मामले की तह में जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: इस मार्ग को फिर से चलाने के लिए कई पर्यटकों ने कहा है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इंडियन एयरलाइंस के पास 51 एयरक्राफ्ट्स हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री खैरे, आपने बहुत दूर-दूर की यात्राएं की हैं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: इस मार्ग को क्या आप इंडियन एयर लाइन्स या अन्य एयरवेज के माध्यम से फिर चालू कराएंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, आप केवल हां या ना कहकर उत्तर दे सकते हैं।

श्री प्रफुल पटेल: हम कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: अध्यक्ष जी, इंडियन एयरलाइंस की जो कंपैरेटिव सर्विसेस हैं, यदि उन्हें देखें, तो पाएंगे कि इंडियन एयरलाइन, दूसरी एयरलाइंस की तुलना में इनफीरियर स्थिति में है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न न करते हुए, एक सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति यदि एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट लेकर, इंडियन एयरलाइन्स के काउंटर पर, बोर्डिंग कार्ड लेने जाता है, तो भले ही दो ही व्यक्ति खड़े हों, फिर भी उसे बोर्डिंग कार्ड लेने में दस मिनट लग जाते हैं क्योंकि इंडियन एयरलाइन के कर्मचारी काउंटर पर ही गप्पें मारते रहते हैं। यह मैंने अक्सर देखा है। ऐसी स्थिति दूसरी एयरलाइंस में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपके एम्पलाइज का यात्रियों के प्रति यह जो इंडिफरेंट एटीट्यूड है, यह रुकना चाहिए। मैं इस बारे में आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं, यह मेरा केवल सुझाव है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री प्रफुल पटेल: मैं माननीय सदस्य के विचारों पर गम्भीरता से विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से, जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि निजी हवाई जहाजों से लोग अधिक यात्रा करना पसन्द करते हैं, बनिस्बत सरकारी एयरलाइंस के? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु वर्तमान व्यवस्था में जो त्रुटियां पाई गई हैं, उन्हें कब तक दूर कर दिया जाएगा ताकि सरकारी एयरलाइंस प्राफिट में चलें?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, यह बेहतरी और उन्नयन की एक सतत प्रक्रिया है, जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि इंडियन एयरलाइंस ने गत 16 वर्षों से अपनी क्षमता विस्तार नहीं किया है। अर्थात् नए विमान नहीं जोड़े हैं। अब हम बहुत जल्द इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे ही इंडियन एयरलाइंस की क्षमता का विस्तार हो जाएगा। हम अधिक कुशलतापूर्वक प्रतियोगिता का सामना कर पाएंगे और अभी तक हमने जो कुछ किया है उससे बेहतर कर पाएंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने पांच या छह सदस्यों को अवसर दिया है।

प्रश्न संख्या 204—इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। हमने रेल बजट पर 15 घंटे तक चर्चा की थी।

पुरस्कृत फिल्में

***205. श्री सुरेश कुरूप:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रसार भारती द्वारा देश में बनी बेहतरीन तथा पुरस्कृत फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ख) क्या जनता के लाभ के लिए दूरदर्शन ने इन फिल्मों को टी.वी. चैनलों पर दिखाने के लिए कोई समय निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए निश्चित समय तथा फिल्मों के लिए भुगतान ढांचे में कटौती की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन अपने राष्ट्रीय चैनल पर प्रत्येक माह के अन्तिम रविवार को रात्रि 11.30 बजे एक पुरस्कार-प्राप्त फिल्म का प्रसारण करता है। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्र भी इसकी क्षेत्रीय भाषा सेवा में पुरस्कार-प्राप्त फिल्मों को प्रसारण करते हैं।

(ग) दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर, स्वर्ण कमल और रजत कमल से पुरस्कृत फिल्मों का प्रसारण किया जाता है। दूरदर्शन की क्षेत्रीय सेवा में निम्नलिखित फिल्मों का प्रसारण किया जाता है:-

* राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत क्षेत्रीय फिल्में
* किसी भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/फिल्मोत्सव के भारतीय खण्ड और मुख्य खण्ड में शामिल क्षेत्रीय फिल्में
* राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्म
* राष्ट्र या राज्य स्तर पर पुरस्कृत सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म

(घ) और (ङ) वित्तीय बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती ने यह निर्णय लिया था कि राष्ट्रीय नेटवर्क पर उन्हीं फिल्मों का प्रसारण किया जाए जो स्वर्ण अथवा रजत कमल पुरस्कृत हों। इस निर्णय के फलत: प्रसारित की जाने वाली फिल्मों की संख्या में कमी आई है जिससे ऐसी फिल्मों के एक सप्ताह में एक बार की जगह एक महीने में एक बार प्रसारण की जरूरत पड़ी।

स्वर्ण कमल पुरस्कृत फिल्मों के लिए रायल्टी दरें 15 लाख रुपये से घटाकर 8 लाख रुपये और रजत कमल पुरस्कृत फिल्मों के लिए 12 लाख रुपये से घटाकर 5 लाख रुपये कर दी गयी हैं। यह निर्णय प्रसार भारती बोर्ड द्वारा संसाधनों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 2003 में लिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, चूंकि दूरदर्शन सरकार के स्वामित्व वाला चैनल है अत: पुरस्कार-प्राप्त फिल्मों का प्रसारण करना इसकी जिम्मेदारी है। महोदय, सभा में बहुत व्यवधान है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें। मैं आप सभी से सभा में व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध करता हूं।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, लोगों को अक्सर दूरदर्शन पर ही इन फिल्मों को देखने का अवसर मिलता है क्योंकि अक्सर ये फिल्में सामान्य सिनेमाघरों पर प्रदर्शित नहीं होती। हम सभी यह जानते हैं कि महान पटकथाकार व निदेशक श्री सत्यजीत रे को अपनी लीक से हटकर बनी फिल्म 'पाथेर पंचाली' को पूरा करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।

महोदय, अब दूरदर्शन ने नियम बदल दिए हैं। उनका कहना है कि वे अब स्वर्ण कमल फिल्मों या रजत कमल फिल्मों को ही प्रदर्शित करेंगे। उन्होंने इन फिल्मों के लिए दी जाने वाली धनराशि को भी बहुत कम कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रायल्टी की राशि को पूर्व की भांति स्वर्ण कमल फिल्मों के लिए 15 लाख रुपये और रजत कमल फिल्मों के लिए 12 लाख रुपये किया जाएगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सभी पुरस्कृत फिल्मों—रजत कमल स्वर्ण कमल और क्षेत्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा क्योंकि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सभी अनुपूरक प्रश्न इसी प्रश्न में नहीं पूछ सकते।

श्री सुरेश कुरूप: इन फिल्मों को प्रसारित करना दूरदर्शन की जिम्मेदारी है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, माननीय सदस्य श्री सुरेश कुरूप ने प्रासंगिक प्रश्न पूछे हैं। मैं उनकी चिंता को समझता हूं और उसमें सहभागी हूं। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि वे इस बात को समझें कि प्रसार भारती केवल एक सीमा तक ही ऐसी

जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकता है। इनका यह प्रश्न ठीक ही है कि प्रक्रिया बदल गई है और वह जिस प्रकार बदली है उससे इन पुरस्कार प्राप्त लोगों को हानि पहुंची है।

तथापि, ऐसा प्रसार भारती की वित्तीय कठिनाइयों के कारण हुआ है और वह एक बड़ा प्रश्न है। महोदय, आप कृपया इस बात को समझें कि यह आवश्यक नहीं है कि पुरस्कृत फिल्में व्यवसायिक प्रकार के दर्शकों को आकर्षित करेंगी ही या उनसे राजस्व मिलेगा। इसी कारणवश वह प्रक्रिया बदलनी पड़ी थी।

श्री सुरेश कुरूप: मुझे मेरे महान मित्र श्री जयपाल रेड्डी से कभी भी ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। मैं उनसे उन नियमों को बदलने का अनुरोध करूंगा, वे अच्छी तरह से ऐसा कर सकते हैं। वर्षों पहले इन फिल्मों के लिए क्रमश: 15 लाख और 12 लाख रुपये की धनराशि दी जाती थी। अब, इन्हें बनाने की लागत बहुत बढ़ गई है और अक्सर इन फिल्मों को बनाने के पश्चात इन लोगों के पास धन की कमी हो जाती है, जिसके बारे में मंत्रालय को ज्ञात है।

अध्यक्ष महोदय: आप पुन: उसी के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुरूप: इन सबसे ऊपर, इन लोगों को इन फिल्मों के प्रसारण हेतु प्रसार भारती के प्रत्येक अधिकारी को खुश रखना पड़ता है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह जानता हूं कि वहां ऐसी चीजें होती हैं। इसलिए, ऐसे कोई निश्चित नियम होने चाहिएं कि इन फिल्मों को प्रति माह एक निर्धारित दिन प्रसारित किया ही जाना चाहिए। मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि स्वर्ण कमल और रजत कमल दोनों ही प्रकार की फिल्मों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से उनके लिए दी जाने वाली रायल्टी में भी वृद्धि की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: इस अनुरोध को प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं पूर्ण रूप से उनकी भावनाओं में सहभागी हूं। मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती प्रक्रिया के अनुसार, प्रसार भारती से 6.26 लाख रुपये का निर्गम हुआ करता था। इसके अनुरूप हम इस धनराशि में कोई भी बढ़ोत्तरी किए जाने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए निर्गम में कमी की गई है।

महोदय, माननीय सदस्य ने पुरस्कृत फिल्मों के निर्माताओं द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों के बारे में भी प्रश्न उठाया है। मैं इसे देखूंगा कि उन कठिनाइयों को दूर किया जाए और यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि इन अच्छी फिल्मों के प्रसारण की एक समयावधि निर्धारित की जा सके।

[हिन्दी]

श्रीमती गीता पटैरिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आजकल देश में निजी चैनलों के माध्यम से जो कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, उससे सीधे-सीधे भारतीय संस्कृति पर हमला हो रहा है। देश के सामने जिस तरह अश्लीलता दिखाई जा रही है, क्या इस ओर सरकार का ध्यान गया है, अगर हां, तो उसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सरकार का क्या प्रयास होगा? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न पुरस्कार प्राप्त फिल्मों के बारे में है।

[हिन्दी]

श्रीमती गीता पटैरिया: हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या यह सही है कि निजी चैनलों के द्वारा महिलाओं की छवि गलत तरीके से टीवी पर पेश की जा रही है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्रीमती गीता पटैरिया: ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं दिखाया जाता, जो एकसाथ परिवारजनों के साथ घर में बैठ कर देखा जा सके।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: महोदया, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन यह यहां उत्पन्न नहीं होता। मैं इससे सहमत हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह प्रश्न पुरस्कृत फिल्मों के बारे में है।

[हिन्दी]

श्रीमती गीता पटैरिया: क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि निजी चैनलों के ऐसे कार्यक्रमों से देश को बचाने और स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या सरकार के पास कोई योजना है? क्या आप इसे ठीक करने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं, यदि हां, तो कब तक इस पर कार्यवाही की जाएगी—कृपया बताने का कष्ट करें?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, परंतु यह इससे उत्पन्न नहीं होता।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: यद्यपि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है तथापि मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा क्योंकि टी.वी. चैनलों पर बढ़ती अश्लीलता पर ये चिंताए बढ़ती ही जा रही हैं। इसलिए, मैंने पूर्व में इस सभा में यह कहा था कि हम एक अर्ध-न्यायिक विनियामक प्राधिकरण गठित किए जाने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ-साथ मंत्रालय सक्रिय रूप से इस प्रश्न पर ध्यान दे रहा है। हाल ही में हमने इन प्रश्नों पर विचार करने हेतु इससे संबंधित सभी पक्षों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की थी।

श्री जे.एम. आरून रशीद: महोदय, तमिलनाडु में पुरस्कृत फिल्मों को टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया किसी के भी द्वारा दिग्भ्रमित न हों।

श्री जे.एम. आरून रशीद: पुरस्कृत फिल्मों को टी.वी. पर दिखाया जाता है। लेकिन उन्होंने उन पर कुछ विनियम लगाए हुए हैं। बहुत सी फिल्में जिनमें अश्लीलता नहीं है, उस प्रकार की फिल्मों को सरकारी टी.वी. पर वरीयता दी जानी चाहिए जिससे कि आम आदमी को लाभ हो ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही के लिए सुझाव।

श्री जे.एम. आरून रशीद: मैं माननीय मंत्री जी से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि प्रसार भारती एक सार्वजनिक प्रसारणकर्त्ता है जिसके नाते वह केवल वही फिल्में प्रदर्शित करता है जो सार्वभौमिक रूप से तथा निर्बाध प्रदर्शन के योग्य हैं। मंत्री जी या एक सदस्य की इस चिंता पर ध्यान दिया जा रहा है।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर दूरदर्शन फिल्म उद्योग की उभरती हुई और प्रतिष्ठित योग्यता को प्रोत्साहित करने व उसे बढ़ावा देने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। पहले यह परंपरा थी कि पुणे फिल्म संस्थान और सत्यजीत रे फिल्म संस्थान के सफल छात्र प्रयोगात्मक वृत्तचित्र बनाते थे जिन्हें दूरदर्शन और वैकल्पिक वृत्तचित्र उत्सवों में भी प्रदर्शित किया जाता था। लेकिन इन दिनों, हमें लगता है कि दूरदर्शन ऐसे सराहनीय वृत्तचित्रों को भी प्रदर्शित नहीं कर रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या दूरदर्शन इन संस्थानों में उभरती हुई प्रतिभाओं द्वारा बनाई जा रही इन प्रयोगात्मक चीजें को बढ़ावा देगा?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, हम पुन: उसी प्रश्न पर वापस आ रहे हैं। मैं वास्तव में माननीय सदस्य की भावना में सहभागी हूं। मेरा दर्शन भी इन्हीं की भांति है। लेकिन समस्या यह है कि मेरे मित्र श्री चिदम्बरम ने अभी 'हाल' में प्रवेश किया है— यह वित्त से संबंधित प्रश्न है। लेकिन, इसके बावजूद हम वृत्तचित्रों के प्रसारण के प्रश्न पर भी विचार करेंगे।

श्रीमती जयाप्रदा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहती हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछें।

श्रीमती जयाप्रदा: जी हां, महोदय। किसी भी अन्य निजी चैनल की भांति वे साप्ताहिक रूप से अमित जी की फिल्में दिखाते हैं। उदाहरण के लिए एक सप्ताह वे केवल अमित जी की फिल्में ही दिखाते हैं। क्या उनकी भविष्य में एक सप्ताह तक महान निदेशकों की फिल्में, जैसे सत्यजीत रे की फिल्में और सभी रजत कमल फिल्में, पुरस्कृत फिल्में ही प्रदर्शित करने की कोई योजना है? उनका ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्मों को कोई समय नहीं दिया जाता है। ये फिल्में उन्हें शिक्षा देती हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह एक अच्छा प्रश्न है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राज कपूर की कालजयी फिल्मों को प्रदर्शित करने का हमारा हाल का अनुभव बहुत अच्छा रहा है और हम इसे दोहराते रहेंगे। जहां तक बाल फिल्मों का संबंध है मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूं। हम प्रसार भारती से अनुरोध करेंगे कि बाल फिल्मों को बढ़ावा दिया जाए यद्यपि उसमें भी धन व्यय होगा।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

[अनुवाद]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': उन्हें प्रतिदिन अवसर मिल रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां मेरे साथ एक विशेष प्रबन्ध है।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: महोदय, अब यह औपचारिक है। आप यह स्वीकार कर चुके हैं कि पार्टी में वे इसके लिए जाने जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: किसकी अयोग्यता? मेरी या उनकी?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फिल्मों को पुरस्कृत करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है? क्या फिल्मों को पुरस्कृत करने के लिए कोई लाबी या पैरवी करने की आवश्यकता पड़ती है या कोई पब्लिक डिमांड आती है? ऐसी फिल्में हमें देखने को मिलती हैं, जिनकी कोई पब्लिक डिमांड नहीं होती लेकिन फिर भी उन फिल्मों को पुरस्कृत किया गया है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, कुल मिलाकर यहां अपवाद हैं। ज्यूरी द्वारा जिस फिल्म के पक्ष में निर्माण दिया जाता है उसे हमेशा सराहा जाता है। परन्तु, एक सफल फिल्म हमेशा टिकट खिड़की पर भी सफल नहीं होती है। हमें इन दोनों में अंतर करना पड़ेगा। राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा प्रमाणीकृत फिल्मों के अलावा कई राज्य सरकारें भी पुरस्कार देती हैं। और हम उन फिल्मों को भी प्रदर्शित करते हैं जिन्हें इस देश की विभिन्न राज्य सरकारों ने पुरस्कार प्रदान किए हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए सक्रिय सहयोग के लिए उनका आभारी हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों और जल की गुणवत्ता

***204. श्री एस.के. खारवेलथन:**
श्री देविदास पिंगले:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलगाड़ियों में तथा स्टेशनों पर परोसे/बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों और जल की गुणवत्ता खराब होती जा रही है तथा वहां घटिया मिनरल वाटर और खाद्य पदार्थ धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक इस संबंध में प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की-गई-कार्रवाई का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खाद्य पदार्थों और जल की गुणवत्ता की जांच के लिए किसी निगरानी प्राधिकरण द्वारा अचानक कोई निरीक्षण किया जा रहा है अथवा इस अवैध धंधे में लिप्त लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) रेलगाड़ियों में तथा स्टेशनों पर घटिया खाद्य पदार्थ और जल बेचने और परोसने को रोकने तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कड़े उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) जी नहीं। गाड़ियों में और स्टेशनों पर आमतौर पर बढ़िया किस्म का भोजन और पानी मुहैया कराया जाता है।

(ग) 2004-05 के दौरान (फरवरी, 2005 तक) गाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर परोसे और बेचे गए भोजन की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायतों और रेलवे द्वारा उन पर की गई कार्रवाई का जोनवार ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान (फरवरी, 05 तक) औचक जांचों/किए गए निरीक्षणों और गाड़ियों में और स्टेशनों पर परोसे गए और बेचे गए भोजन और पानी की गुणवत्ता के संबंध में पाए गए दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का जोनवार ब्यौरा विवरण-III और IV में दिया गया है।

(च) बेहतर ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने, गाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर खानपान सेवाओं के मानक और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए रेलवे ने विभिन्न कदम उठाए हैं अर्थात् थाली वाले भोजन के स्थान पर तीन कैसरोलों में पैक किया हुआ भोजन उपलब्ध

कराना, पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग सामग्री प्रयोग करना, कुल्हड़ों में दही उपलब्ध कराना, पैकेज पेय जल की गुणत्ता सुनिश्चित करना, राजधानी/शताब्दी और अन्य मेल/एक्सप्रेस/सुपरफास्ट गाड़ियों में भोजन और सेवाओं की समीक्षा करना। खानपान सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर नियमित निरीक्षण किए जाते हैं और औचक जाचें की जाती हैं। समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है और चूक करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, स्टेशनों पर और गाड़ियों में खानपान और अतिथि-सत्कार संबंधी सेवाओं के उन्नयन, व्यवसायीकरण और प्रबंधन के लिए भारतीय रेल पर भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड स्थापित किया गया है।

विवरण I

वर्ष 2004-05 के दौरान (फरवरी 2005 तक) भारतीय रेलों पर भोजन के संबंध में औचक जांचों की संख्या और की-गई-कार्रवाई

रेलवे	शिकायतों की संख्या	की गई कार्रवाई							सिद्ध नहीं हो पाए
		चेतावनी	जुर्माना	रद्दकरण	उपयुक्त रूप से सलाह	अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई	जांच लंबित	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य	71	27	4	0	3	11	0	45	26
पूर्व	35	4	1	0	10	2	0	17	18
उत्तर	32	1	16	0	0	0	0	17	15
पूर्वोत्तर	10	4	2	0	4	0	0	10	0
पूर्वोत्तर सीमा	3	1	2	0	0	0	0	3	0
दक्षिण	188	19	2	0	0	10	0	31	157
दक्षिण मध्य	52	19	11	0	1	1	0	32	20
दक्षिण पूर्व	40	18	1	0	2	3	13	37	3
पश्चिम	128	19	16	2	25	1	0	63	65
पूर्व मध्य	26	2	5	0	7	1	0	15	11
पूर्व तटीय	18	1	2	0	4	1	0	8	10
उत्तर मध्य	38	2	1	0	12	9	0	24	14
उत्तर पश्चिम	24	6	6	0	5	0	4	21	3
दक्षिण पूर्व मध्य	28	4	1	0	6	0	0	11	17
दक्षिण पश्चिम	16	2	4	0	0	2	0	8	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम मध्य	31	10	12	0	3	0	0	25	6
आईआरसीटीसी	297	55	54	0	98	6	7	220	77
जोड़	1037	194	140	2	180	47	24	587	450

विवरण II

वर्ष 2004-05 के दौरान (फरवरी 2005 तक) भारतीय रेलों पर बोतलबंद पीने के पानी के संबंध में शिकायतों की संख्या और की-गई-कार्रवाई

रेलवे	शिकायतों की संख्या	की गई कार्रवाई							
		चेतावनी	जुर्माना	रद्दकरण	उपयुक्त रूप से सलाह	अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई	जांच लंबित	जोड़	सिद्ध नहीं हो पाए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्व	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर	1	0	0	0	0	0	0	0	1
पूर्वोत्तर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्वोत्तर सीमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दक्षिण	1	0	0	0	0	0	0	0	1
दक्षिण मध्य	10	0	5	0	2	0	1	8	2
दक्षिण पूर्व	3	1	0	0	0	0	2	3	0
पश्चिम	19	6	9	0	4	0	0	19	0
पूर्व मध्य	3	0	0	0	1	2	0	3	0
पूर्व तटीय	1	0	0	0	0	0	0	0	1
उत्तर मध्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर पश्चिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दक्षिण पूर्व मध्य	1	0	0	0	0	0	0	0	0
दक्षिण पश्चिम	0	0	0	0	0	0	0	0	1
पश्चिम मध्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आईआरसीटीसी	6	0	1	0	0	0	0	1	5
जोड़	45	7	15	0	7	2	3	34	11

विवरण III

वर्ष 2004-05 के दौरान (फरवरी 2005 तक) भारतीय रेलों पर भोजन के संबंध में औचक जांचों की संख्या और की-गई-कार्रवाई

रेलवे	औचक जांचों की संख्या	की गई कार्रवाई						सिद्ध नहीं हो पाए
		चेतावनी	जुर्माना	रद्दकरण	उपयुक्त रूप से सलाह	अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य	11	0	0	0	0	0	0	11
पूर्व	6	0	0	0	3	0	3	3
उत्तर	546	67	65	0	97	0	229	317
पूर्वोत्तर	26	6	4	0	6	0	16	10
पूर्वोत्तर सीमा	14	1	0	0	3	0	4	10
दक्षिण	218	38	8	0	4	3	53	165
दक्षिण मध्य	57	8	4	0	6	0	18	39
दक्षिण पूर्व	27	6	7	0	0	0	13	14
पश्चिम	305	101	27	0	103	4	235	70
पूर्व मध्य	142	12	14	0	10	0	36	106
पूर्व तटीय	87	0	7	0	0	2	9	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर मध्य	44	12	8	0	0	3	23	21
उत्तर पश्चिम	169	22	36	0	20	0	78	91
दक्षिण पूर्व मध्य	12	3	5	0	4	0	12	0
दक्षिण पश्चिम	46	8	6	0	4	0	18	28
पश्चिम मध्य	50	4	32	0	5	0	41	9
आईआरसीटीसी	304	67	55	0	73	12	207	97
जोड़	2064	355	278	0	338	24	995	1069

विवरण IV

वर्ष 2004-05 के दौरान (फरवरी 2005 तक) भारतीय रेलों पर बोतलबंद पीने के पानी के संबंध में औचक की संख्या और की-गई-कार्रवाई

रेलवे	औचक जांचों की संख्या	की गई कार्रवाई						सिद्ध नहीं हो पाए
		चेतावनी	जुर्माना	रद्दकरण	उपयुक्त रूप से सलाह	अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य	11	0	0	0	0	0	0	11
पूर्व	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर	5	4	0	0	0	0	4	1
पूर्वोत्तर	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्वोत्तर सीमा	10	0	0	0	0	0	0	10
दक्षिण	0	0	0	0	0	0	0	0
दक्षिण मध्य	42	0	0	0	0	0	0	42
दक्षिण पूर्व	1	0	0	0	0	0	0	1
पश्चिम	50	15	0	0	11	0	26	24
पूर्व मध्य	75	7	1	0	5	0	13	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्व तटीय	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर मध्य	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर पश्चिम	44	0	2	0	0	0	2	42
दक्षिण पूर्व मध्य	0	0	0	0	0	0	0	0
दक्षिण पश्चिम	16	0	0	0	0	0	0	16
पश्चिम मध्य	40	17	1	0	7	0	25	15
आईआरसीटीसी	12	1	0	0	1	1	3	9
जोड़	306	44	4	0	24	1	73	233

ग्रामीणों/किसानों को मुआवजा

***206. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:**
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना ने बारूदी सुरंग बिछाने हेतु पंजाब और अन्य राज्यों से लगी भारत-पाक सीमा पर बसे ग्रामीणों/किसानों से कृषि भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित कितनी भूमि सेना के कब्जे में है;

(ग) मुआवजे के भुगतान करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों/ग्रामीणों को कितनी मुआवजा राशि दी गयी है;

(घ) क्या बारूदी सुरंग हटाने के पश्चात् किसानों को उनकी भूमि लौटा दी जाती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे कब तक लौटाए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां। पंजाब, राजस्थान तथा जम्मू व कश्मीर में भारत-पाक सीमा पर किसानों की कुछ भूमि सशस्त्र बलों द्वारा सुरंगें बिछाने तथा संक्रिया पराक्रम के लिए अन्य प्रयोजनों हेतु कब्जे में ली गई थी।

(ख) पंजाब और अन्य राज्यों में 710.216 एकड़ भूमि अभी भी सेना के कब्जे में है।

(ग) 2001-02 की रबी की फसल के नुकसान के लिए फसल मुआवजा स्वीकार्य था तथा रबी फसल के बाद भूमि पर कब्जे के लिए कृषि योग्य भूमि के लिए मुआवजा कुल अनुमानित उत्पाद के 50 प्रतिशत की दर से स्वीकार्य था। गैर-कृषि योग्य भूमि के लिए किराया मुआवजा स्वीकार्य था। विगत तीन वर्षों के दौरान फसल और किराया मुआवजा के रूप में 2,70,15,82,696/- रुपए की राशि मंजूर की गई है।

(घ) से (च) प्रारंभ में कब्जे में ली गई 1,62,864 एकड़ भूमि में से 1,62,153.784 एकड़ भूमि किसानों को वापस कर दी गई है। शेष 710.216 एकड़ क्षेत्र में से 376.544 एकड़ क्षेत्र जम्मू व कश्मीर में राज्य सरकार की भूमि है। शेष 333.672 एकड़ क्षेत्र निजी भूमि है जिसकी संक्रियात्मक प्रयोजनों हेतु आवश्यकता है।

''गेल'' द्वारा विदेशों में उद्यम स्थापित किया जाना

***207. श्री राजेश वर्मा:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैर-प्राधिकरण लिमिटेड ''गेल'' के पास विदेशों के तेल और गैस क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ''गेल'' ने अब तक किन देशों में उद्यम स्थापित किए हैं तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिनके तेल और गैस क्षेत्र में ''गेल'' द्वारा भविष्य में उद्यम स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) ''गेल'' द्वारा विदेशों में ऐसे उद्यम स्थापित करने के पीछे क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) गेल ने विदेश में अनेक तेल और गैस परियोजनाओं में कार्य किया है। गेल ने म्यांमार में ए1 ब्लाक में 10% प्रतिभागिता हित, मिस्र में फायूम गैस कंपनी (एफजीसी) में 19% प्रतिभागिता हित, शेल सीएनजी (एससीएनजीई), मिश्र में 22% प्रतिभागिता हित और राष्ट्रीय गैस कंपनी (नेटगैस) में 15% प्रतिभागिता हित अर्जित किया है। इसने 10% इक्विटी की खरीद के लिए चाइना गैस होल्डिंग कंपनी के साथ एक शेयर अभिदान करार किया है। इन उद्यमों के अलावा गेल के ईरान, रूस, तुर्की, कजाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और फिलीपींस में हित हैं और वह यहां परियोजनाओं पर कार्रवाई कर रही है।

गेल देश में गैस/एलएनजी की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए अवसरों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अपनी मुख्य सक्षमता के क्षेत्र में पूरे विश्व में व्यावसायिक अवसरों के अनुसरण और इस प्रकार देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत है।

आधुनिकीकरण योजनाओं हेतु धनराशि

***208. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे आधुनिकीकरण योजनाओं हेतु निजी क्षेत्र से धनराशि जुटाने जा रही है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी की सहायता से अवसंरचना के विकास एवं इसे सुदृढ़ बनाने के लिए अवसंरचना संबंधी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने अपनी विकास परियोजनाओं के लिए निजी संसाधनों का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। सरकार ने निम्नलिखित के दृष्टिगत माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है:

(1) ऐसी नीतियां तैयार करना जिससे विश्व स्तरीय अवसंरचना का समयबद्ध सृजन और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सेवाओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित हो सके।

(2) ऐसी संरचना का विकास करना ताकि अवसंरचना के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी क्षेत्रों की भागीदारी की भूमिका अधिकतम हो सके।

(3) महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखना ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

(घ) जी नहीं। समिति द्वारा रेल सेक्टर के बारे में अभी विचार किया जाना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) रेल मंत्रालय मुख्यत: संयुक्त उद्यमों के गठन, बी ओ टी (बनाएं, मालिक बने और हस्तांतरित करें) माडल और निजी स्वामित्व वाली अवसंरचनाओं आदि के माध्यम से निजी संसाधनों का दोहन कर रहा है। रेल मंत्रालय ने इस पहल के अंतर्गत पीपावाव और मुंद्रा पोर्ट के लिए रेल संपर्क पहले ही मुहैया करा दिया है। निजी क्षेत्र और अन्य एजेंसियों से निवेश के माध्यम से गांधीधाम-पालनपुर आमान परिवर्तन परियोजना और हसन-मंगलौर आमान परिवर्तन परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। कतिपय पहचानी गई रेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन एल) नामक एक विशेष प्रयोजन योजना (एस पी वी) भी बनाई गई है।

प्रसार भारती को स्वायत्तता

***209. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती एक ऐसा निगम है जिसे प्रसार भारती अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए कर्त्तव्ययों का निर्वहन करने की वांछनीय स्वायत्तता प्राप्त है;

(ख) क्या वरिष्ठ एवं कनिष्ठ स्तर के अधिकांश कार्यकारी अधिकारी अभी भी सरकारी कर्मचारी ही हैं और सरकारी कर्मचारियों की तरह ही उन्हें सभी सुविधाएं प्राप्त हैं;

(ग) क्या वित्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए प्रसार भारती द्वारा कोई संसाधन नहीं जुटाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रसार भारती के भविष्य के संबंध में ऐसी अनिश्चितता के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। वरिष्ठ एवं कनिष्ठ स्तर के कार्यपालकों सहित अधिकांश कर्मचारी प्रसार भारती में समवत्-प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों के रूप में कार्यरत हैं। यद्यपि उन्हें सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध लगभग सभी लाभ मिलते रहे हैं तथापि, सरकारी आवास के आबंटन और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा (सी.जी.एच.एस.) की सुविधाओं के लिए उनकी पात्रता के संबंध में कतिपय कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं।

(ग) सार्वजनिक प्रसारक के रूप में प्रसार भारती केवल आन्तरिक संसाधन जुटाकर वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता है। तथापि, प्रसार भारती ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें व्यय नियंत्रण, विभिन्न फिल्मों और गैर-फिल्म आधारित कार्यक्रमों की वाणिज्यिक क्षमता का दोहन करना तथा प्रसारण क्षेत्र में तकनीकी परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करना शामिल हैं।

(घ) और (ङ) प्रसार भारती के भविष्य को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय रेल की प्रचालन लागत

***210. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेलवे की प्रचालन लागत चीन, अमेरिका और फ्रांस की प्रचालन लागत से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो भारत, चीन, अमेरिका और फ्रांस में रेलवे की प्रचालन लागत का देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा रेलवे की प्रचालन लागत को घटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) चीन, अमेरिका और फ्रांस की रेलों की परिचालन लागत संबंधी आंकड़े रेल मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, इंटरनेशनल यूनियन आफ रेलवेज (यू आई सी), पेरिस द्वारा प्रकाशित ''इंटरनेशनल रेलवे स्टैटीस्टिक्स'' में दिए गए आंकड़ों के आधार पर अमेरिका और फ्रांस के वर्ष 2002 के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। जहां तक चीन का संबंध है, यूआईसी ने कहा था कि चीन की रेलवे अंतर्राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का उपयोग नहीं करती हैं और आंतरिक आंकड़ों के आधार पर निष्पादन आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं:

देश/रेलवे	मिलियन में मुद्रा	मार्ग लंबाई कि.मी. में	परिचालन व्यय	परिचालन आय	परिचालन व्यय से परिचालन आय का अनुपात
फ्रांस (एस.एन.सी.एफ.)	यूरो	29352	15415	15398	1.001
अमेरिका (ए.ए.आर. श्रेणी 1 और (एमट्रैक)	यूरो	235071	34749	39620	0.877
चीन	आरएमबी	59530	131070	142048	0.923
भारत	रुपया	63140	379969	411477	0.923

टिप्पणी:
1. एसएनसीएफ: फ्रैंच रेलवे
2. एएआर श्रेणी 1: एसोसिएशन आफ अमेरिकन रेलरोड श्रेणी-1
3. एमट्रैक: नेशनल रेलरोड पैसंजर्स कार्पोरेशन
4. आरएमबी: चीनी मुद्रा अर्थात् रेनमिनबी
5. अमेरिका के रेल आंकड़ों को यूरो में परिवर्तित किया गया है।

(ग) परिचालन लागत में कमी लाने के लिए रेलवे द्वारा लागत में कटौती करने संबंधी लिए गए/प्रस्तावित महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) प्रौद्योगिकी में सुधार जैसे उच्च अश्व शक्ति वाले इंजन।

(2) नए डिजाइन के सवारी डिब्बों/मालडिब्बों की शुरूआत जैसे अधिक विश्वसनीयता और कम अनुरक्षण लागतों वाले अधिक यात्री क्षमता वाले एलएचबी डिब्बे।

(3) विभिन्न उपायों के माध्यम से ऊर्जा खपत में कमी करके ऊर्जा को संरक्षित करना, ऊर्जा टैरिफ संबंधी लाभ उठाना, ऊर्जा की अधिकतम खपत में कमी लाना आदि।

(4) गाड़ी परीक्षण, यांत्रिकीकृत सामग्री सम्हलाई आदि के बीच अंतराल बढ़ाकर प्रणाली में सुधार।

(5) जन शक्ति योजना, और

(6) आतिथ्य, यात्रा खर्चों आदि पर खर्च में नियंत्रण रखते हुए प्रशासनिक खर्च में मितव्ययिता।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का प्रबंधन

***211. श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी: क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विमानपत्तनों के कुशल प्रबंधन में बुरी तरह विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत के नागर विमानन क्षेत्र में त्वरित गति से यातायात में वृद्धि हुई है, जिसमें विमान आवागमन, यात्री एवं कार्गों शामिल हैं। कुछ हवाईअड्डों पर अवसंरचनात्मक विकास यातायात में हुई वृद्धि के मुकाबले उतनी तेजी से नहीं हो पाया है। ऐसे हवाईअड्डों पर एयर साइड और टर्मिनलों दोनों ही तरफ क्षमता संबंधी बाध्यतायें अनुभव की जा रही हैं। परिणामस्वरूप एयरलाइनें और यात्री, विशेष रूप से व्यस्ततम समय में, कठिनाई महसूस कर रहे हैं। सरकार ने दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों को विश्वस्तरीय मानकों वाले हवाईअड्डों के रूप में विकसित करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी से इन हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है। प्रारम्भिक तौर पर चुने गए 25 गैर-मैट्रो हवाईअड्डों को विकसित करने के लिए भी निर्णय लिया गया है जिसमें एयर और सिटी साइड के विश्वस्तरीय विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हवाईअड्डा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए, ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों को प्रोन्नत करने और देश में हवाईअड्डा अवसंरचना के विकास में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रयासों में सहयोग देने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार ने पहले ही हैदराबाद के निकट शमशाबाद में, बंगलौर के निकट देवनहल्ली और गोवा में मोपा में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना की मंजूरी दे दी है। सरकार ने मुम्बई हवाईअड्डे पर टर्मिनल 1-बी के विस्तार एवं सुधार और दिल्ली हवाईअड्डे पर टर्मिनल-1-बी के सुधार के लिए अनुमोदन दे दिया है। मुम्बई हवाईअड्डे पर टर्मिनल-2-बी के विस्तार और नवीकरण को भी अनुमोदित किया जा चुका है। दिल्ली और मुम्बई में एयरसाइड क्षमता और टर्मिनल सुविधाएं बढ़ाने के लिए सुचारू चैक-इन के लिए कामन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट (सीयूटीई) की शुरूआत, हवाई यातायात प्रवाह प्रबंधन (एटीएफएम) की शुरूआत, उच्च गति टैक्सी-वे के प्रावधान, समान्तर टैक्सी-वे तथा रनवे जैसे कदमों की योजना भी बनाई गई है।

[हिन्दी]

सैन्य अभ्यास

***212. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवाद की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए भारत और चीन के बीच सैन्य अभ्यास करने के लिए समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सैन्य अभ्यास कब तक प्रारंभ होने की संभावना है;

(ग) निकट भविष्य में सशस्त्र सेनाओं का संयुक्त अभ्यास किन देशों के साथ किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या वर्ष 2004-2005 के दौरान भारतीय सेना ने विदेशी सैनिकों को कोई प्रशिक्षण दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रशिक्षित किये गये सैनिकों की देश-वार संख्या कितनी है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) फिलहाल, चीन के साथ किसी संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए कोई समझौता नहीं हुआ है। दिसंबर, 2005 तक हमारी सशस्त्र सेनाओं का निम्नलिखित देशों के साथ संयुक्त अभ्यास करने का प्रस्ताव है:

सेना

सिंगापुर, अमरीका और रूस।

नौसेना

अमरीका, रूस, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ओमान और यू के की नौसेनाओं के साथ नियमित रूप से अभ्यास किए जाते हैं। इसके अलावा, पश्चिमी प्रशांत राष्ट्र संगोष्ठी के अधीन एक राष्ट्र संघ, जिसमें आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमरीका, सिंगापुर, जापान, रूस, मलेशिया, थाइलैंड, ब्रूनेई, फ्रांस और भारत शामिल हैं, का भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी-2005 के बाद सिंगापुर के निकट आयोजित किए जाने वाले आधारभूत समुद्री अभ्यासों में भाग लेने का कार्यक्रम है।

वायुसेना

फ्रांस और अमरीका।

तटरक्षक बल

सिशली, बंगलादेश, म्यांमार, ओमान, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया और मालदीव।

भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान प्रशिक्षित किए गए विदेशी सैनिकों का देश-वार ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

आस्ट्रेलिया	–	1
बंगलादेश	–	10
भूटान	–	258
बोत्सवाना	–	26
कम्बोडिया	–	4
फ्रांस	–	3
घाना	–	3
इंडोनेशियान	–	3
कजाकिस्तान	–	6
केन्या	–	8
कोरिया	–	1
किर्गिस्तान	–	2
लाओस	–	2
लिसोथो	–	3
मलेशिया	–	4
मालदीव	–	75
मारीशस	–	14
मंगोलिया	–	1
म्यांमार	–	21
नाइजीरिया	–	8
नेपाल	–	146
ओमान	–	1
सिशली	–	4
सिंगापुर	–	6
साउथ अफ्रीका	–	1
श्रीलंका	–	900
सीरिया	–	1
तजाकिस्तान	–	26
तंजानिया	–	4
थाइलैंड	–	1
युगांडा	–	3
यूके	–	4
यूएसए	–	8
उजबेकिस्तान	–	2
यूएई	–	2
वियतनाम	–	11
कुल	–	1573

[अनुवाद]

तेल और गैस की प्राप्ति हेतु राजनयिक पहल

***213. श्री डी. विट्ठल राव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाड़ी देशों, रूस तथा अफ्रीका से तेल और गैस प्राप्त करने के लिए राजनयिक पहल शुरू की है जैसा कि दिनांक 20 जनवरी, 2005 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में तेल आपूर्ति करने वाले देशों के साथ बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) कच्चे तेल की मांग और घरेलू उपलब्धता के बीच बढ़ते हुए अंतराल को देखते हुए घरेलू तेल और गैस उत्पादन के लिए अन्वेषणात्मक कार्यों में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त उपाय करने के अलावा हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह इक्विटी तेल और तेल तथा गैस के अनुपूरक स्रोतों की खोज में विदेशों में प्रयास तेज करे।

ऐसा करने के लिए और राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के ऊर्जा खंड के उद्देश्यों के अनुरूप ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) और आईओसी, ओआईएल और गेल जैसी राष्ट्रीय तेल कंपनियां विदेश में इक्विटी तेल प्राप्त करने और विदेश में तेल और गैस अन्वेषण रकबों और उत्पादक परिसंपत्तियों के अर्जन के प्रयास में लगी हैं। इन कंपनियों का वियतनाम, सूडान, रूस, इराक, ईरान, म्यांमार, लीबिया, सीरिया, आस्ट्रेलिया, आइवरी कोस्ट, कतर और मिश्र में प्रतिभागिता हित हैं।

ओवीएल, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सहयोग से उन देशों, जहां यह वर्तमान में प्रचालन कर रही है, में और अधिक अन्वेषण और उत्पादन परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए प्रयासों के अलावा वेजेजुएला, कजाखस्तान, कुवैत, यमन, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, अंगोला, क्यूबा, सिएरा लिओन और इक्वेडोर जैसे देशों में अन्वेषण और उत्पादन अवसरों के लिए प्रबल रूप से खोज कर रही है।

भारतीय तेल कंपनियों को विदेश में इक्विटी तेल प्राप्त करने के लिए उनके प्रयासों में दिशानिर्देश और परामर्श देने के लिए सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए तेल राजनय संबंधी सलाहकार समिति का गठन किया है जिनमें उन देशों और क्षेत्रों की विशेष जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ सम्मिलित हैं जिनके साथ तेल कंपनियों द्वारा वार्ता करने का अनुमान है।

(ख) और (ग) भारत और रूस के बीच मंत्रालयीन, सरकारी और वाणिज्यिक स्तरों पर सहयोग के संभावित क्षेत्रों के बारे में चर्चाएं की गई हैं और प्रगति उत्साहवर्धक रही है।

इसके अलावा, पाकिस्तान के रास्ते पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए ईरान के साथ वार्ताएं प्रारंभ की गई है। जनवरी, 2005 में यंगोन में आयोजित एक त्रिपक्षीय मंत्रालयीन बैठक में बांग्लादेश के रास्ते म्यांमार से भारत में गैस के आयात पर सिद्धान्त रूप में सहमति हो गई है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

***214. श्री सुग्रीव सिंह:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं को पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत लाने के लिए एक कार्य बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य बल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर क्रियान्वित किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक क्रियान्वित किया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) संघ सरकार ने पंचायती राज संस्थानों के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित सभी योजनाओं को लाने के संबंध में पंचायती राज मंत्रालय में किसी कार्य बल का गठन नहीं किया। तथापि, 28-29 अक्टूबर, 2004 को श्रीनगर में आयोजित राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के पांचवें गोल मेज सम्मेलन में लिए गए एक निर्णय के अनुसरण में राज्यों में पंचायती राज के प्रभारी अधिकारियों का एक कार्य बल गठित किया गया था जिसके संयोजक सचिव (पंचायती राज), कर्नाटक सरकार हैं।

कार्यबल का उद्देश्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की जांच करना है क्योंकि ये योजनाएं इस समय ऐसी भूमिका के संदर्भ में राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं जो इन योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं को रांविधान के भाग-IX के प्रावधानों और पंचायती राज से संबंधित राज्य विधानों के अनुसार प्रदत्त किया है। कार्य बल की सिफारिशें जयपुर में आयोजित सातवें गोलमेज सम्मेलन के दौरान राज्यों के पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों को प्रस्तुत की गई थीं और इन्हें राज्यों में पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों ने एकमत से पारित किया था।

(ख) कार्य बल की मुख्य सिफारिशें नीचे दिए अनुसार है:-

(1) प्रत्येक राज्य को सहमत तरीके से क्रियाकलापों की रूपरेखा तैयार करने का कार्य शुरू करना चाहिए और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में सुधार का अनुरोध करते समय यह एक अनिवार्य पूर्व-शर्त होनी चाहिए। क्रियाकलापों की इस रूपरेखा में न केवल यह निर्धारित होना चाहिए कि तीनों स्तर क्या कार्य करेंगे बल्कि यह भी कि राज्य क्या कार्य करेगा और क्या नहीं। यह भी सुझाव है कि भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय भी क्रियाकलापों की एक ऐसी रूपरेखा तैयार करे जिसमें अनुक्रम सिद्धान्त के अनुसार यह निर्धारित हो कि उन्हें अपने स्तर पर क्या करने की आवश्यकता है और ऐसे कार्य जिन्हें, उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें राज्य अथवा पंचायत स्तर पर किया जा सकता है, छोड़ दें।

(2) केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा क्रियाकलापों की रूपरेखा तैयार करने का कार्य शुरू कर देने के बाद (जो कि आपसी परामर्श के माध्यम से किया जा सकता है) वे क्रियाकलापों की रूपरेखा और राज्यों की अपनी योजना के अनुरूप अलग-अलग योजना के दिशानिर्देशों में परिशोधन करने के लिए आदर्श स्थिति में होंगे।

(3) विभागों को मोटे तौर पर आवंटन की उस सीमा को स्वीकार करना चाहिए जिसके नीचे योजना के बने रहने की आवश्यकता न हो। योजना को सरल और तर्कपूर्ण बनाने में केन्द्रीय विभागों की पहल से योजना तैयार करने, कार्यान्वित करने और उसकी निगरानी करने की प्रक्रिया में सुधार आएगा।

(4) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की योजनागत परिस्थितियों द्वारा अथवा उनके माध्यम से बनाए गए सभी समानान्तर निकाय बन्द कर दिए जाने चाहिए।

(5) ऐसे सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं जिनसे यह सुनिश्चित हो कि पंचायतों को धन शीघ्र मिले और इसमें देरी न हो अथवा इसका अन्यत्र उपयोग न हो।

(6) आधारिक मानक लेखा और लेखा परीक्षा प्रणाली लागू करने के लिए गुवहाटी में छठे गोल मेल सम्मेलन के दौरान निर्देशों का विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अनुपालन किया जाए।

(7) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के सुधार के लिए एक पूर्व शर्त यह होनी चाहिए कि केन्द्र पंचायतों को विधिक और प्रशासनिक रूपरेखा के आधार पर पारदर्शिता और सूचना के पूर्ण और सुरक्षित प्रकटन के लिए जिम्मेदार ठहराने पर जोर दें।

(8) नैमित्तिक कार्य के भाग के रूप मूल्यांकन करने के लिए एक अच्छी मानीटरिंग प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ कार्य बल पंचायतों से ग्राम स्तर तक के कार्य निष्पादन की त्वरित वेब आधारित मानीटरिंग की सिफारिश करता है।

(9) यह पता लगाने की कार्रवाई करनी चाहिए कि क्या "18 बड़ी" योजनाओं और केन्द्र से सहायता प्राप्त अतिरिक्त योजनाओं के बीच एक दूसरे का स्थान लिया जा सकता है।

(ग) से (ङ) इन सिफारिशों को राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। संघ सरकार इन सिफारिशों के क्रियान्वयन में राज्यों को सभी सहायता देगी। पंचायती राज मंत्रालय बैठकों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जैसे दौरों की कार्रवाई आरंभ करे ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के बारे में प्रगति की समीक्षा की जा सके। ये कार्य क्षेत्रीय सम्मेलन करके और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के दौरे करके, 2005-06 और अनुवर्ती वर्षों में किए जाते रहेंगे।

[हिन्दी]

तेल संरक्षण

***215. श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम संरक्षण तथा अनुसंधान एसोसिएशन (पीसीआरए) तथा अन्य संगठनों ने लोगों में तेल संरक्षण के महत्व का प्रचार-प्रसार करने का एक अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो यह अभियान कितने राज्यों में शुरू किया गया है अथवा शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) इस अभियान का अब तक क्या परिणाम निकला तथा गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) वाहनों के लिए बायो डीजल तथा वनस्पति तेल/जानवरों की चर्बी मिश्रित ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं; और

(ङ) अब तक बायो डीजल के उत्पादन हेतु देश में सरकार द्वारा भूमि के कुल कितने क्षेत्र का उपयोग किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) विभिन्न संचार माध्यमों नामत: समाचार पत्रों, मैगजीनो, बहिर्द्वार होर्डिंगों और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच तेल संरक्षण के महत्व के संबंध में जागृति पैदा करने में संक्रियता से संलग्न है। पीसीआरए प्रत्येक वर्ष जनवरी के दूसरे पखवाड़े के दौरान मनाए जाने वाले "तेल और गैस संरक्षण पखवाड़े" के दौरान व्यापक अभियान भी चलाती है।

पीसीआरए विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए पूरे देश को कवर कर रही है। पिछले तीन वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यकलापों पर पीसीआरए द्वारा किया गया कुल व्यय निम्नानुसार है:-

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपये में)
2001-02	8.67
2002-03	5.90
2003-04	9.78
2004-05	9.00 (अनन्तिम)

(घ) और (ङ) सरकार जीवाश्म ईंधनों के जैव-डीजल जैसे जैव ईंधनों से आंशिक प्रतिस्थापन की नीति को बढ़ावा दे रही है जिसका विनिर्माण ट्रांस एस्टेरीफिकेशन के माध्यम से वनस्पति तेल/वसाओं से किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुदेशों के अंतर्गत बसों में जैव डीजल और डीजल मिश्रण का इस्तेमाल करते हुए क्षेत्र परीक्षण हरियाणा रोडवेज और बृहन मुंबई इलैक्ट्रानिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बीईएसटी), मुंबई के सहयोग से प्रगति पर हैं। लोकोमोटिवों पर क्षेत्र परीक्षण और इंजिन परीक्षण भी प्रगति पर हैं। तथापि, वर्तमान में भारत में जैव डीजल के लिए कोई तैयार घरेलू बाजार नहीं है क्योंकि तुरन्त उपलब्ध फीड-स्टाक पर आधारित जैव डीजल की लागत डीजल से बहुत अधिक है। तथापि, यह सर्वमान्य है कि यदि जैव डीजल की अधिक मात्रा में उपलब्धि सुनिश्चित की जाए तो जैव-डीजल सम्मिश्रित डीजल भविष्य में एक संभावना बन सकता है। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में जैव डीजल का उपयोग करके गुजरात में एक वाणिज्यिक शुरूआत कर दी गई है।

योजना आयोग ने जैव डीजल के विकास पर एक समिति का गठन किया है जिसने जटरोफा करकास के पौधारोपण पर विशेष संकेन्द्रण के साथ जैव डीजल पर एक राष्ट्रीय मिशन आरंभ करने की सिफारिश की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय जैव डीजल पर राष्ट्रीय मिशन के लिए नोडल मंत्रालय है और उस मंत्रालय ने हाल ही में द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (टेरी) द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करवाई है। डीपीआर में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक में जटरोफा करकास के पौधारोपण की व्यवस्था।

निशक्त बच्चों के लिए नई योजना

***216. श्री बापू हरी चौरे: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शारीरिक, मानसिक निशक्तताओं और मूक-बधिरता अथवा अन्य किसी निशक्तता से पीड़ित बच्चों के लिए नि:शुल्क उपचार और आजीविका प्रदान करने संबंधी कोई नई योजना तैयार की है या तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) और (ख) सरकारी अस्पतालों में विकलांग बच्चों सहित सभी विकलांग व्यक्तियों को नि:शुल्क उपचार मुहैया किया जाता है। आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास, उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो गंभीर रूप से मानसिक एवं बहुविकलांगता ग्रस्त उपेक्षित एवं परित्यक्त बच्चों के स्वास्थ्य और आजीविका संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के इच्छुक होते हैं। इस योजना का ब्यौरा इस राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट (www.nationaltrust.org.in) पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

उभयचर युद्ध कला प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना

***217. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के सुनामी राहत कार्यों से इस बात को बल मिला है कि सशस्त्र बलों के बीच तत्काल और संयुक्त कार्रवाई तथा समन्वय की भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रशिक्षण एवं कार्यों में थलसेना, नौसेना और वायुसैना के बीच निकटता लाने के लिए नए उभयचर युद्ध कला प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्कूल को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार तीनों सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने तथा उनमें संयुक्तता लाने के लिए नवंबर, 2001 में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय का गठन किया। सेना, नौसेना, वायुसेना तथा तटरक्षक बल द्वारा सुनामी राहत कार्य, रक्षा मंत्रालय में कार्य कर रहे एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के माध्यम से गहन समन्वय के साथ प्रभावकारी तरीके से एवं संयुक्त रूप से निष्पादित किए थे। सशस्त्र सेनाओं द्वारा चलाए गए राहत कार्यों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की गई।

(ग) से (ङ) एक नए उभचयर युद्ध-पद्धति प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उभयचर युद्ध-पद्धति संबंधी प्रशिक्षण तथा अंतर-सेवा संक्रियाओं के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में एक 'संयुक्त उभयचर युद्ध-पद्धति प्रकोष्ठ' मौजूद है।

पाइपलाइन परियोजनाएं

***218. श्री सुबोध मोहिते:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस आथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) को विभिन्न पाइपलाइन परियोजनाओं/योजनाओं पर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनकी एक पेट्रोकेमिकल इकाई में करोड़ों रुपये की प्लास्टिक पोलिमर और बेकार मोम (वेस्ट वैक्स) जैसी विस्फोटक वस्तुएं पायी गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

'वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम' के अंतर्गत धनराशि

***219. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष-दर-वर्ष वृद्ध व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो वृद्ध व्यक्तियों को प्रदान की जा रही सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004-05 हेतु 'वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत 18.79 करोड़ रुपए की अल्प राशि आवंटित किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित कार्यक्रम के लिए आवंटन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) जी, हां।

(ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वृद्धजनों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को वृद्धजनों के

कल्याणार्थ अपनी दो सहायता अनुदान योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) *''वृद्धजनों के लिए समेकित कार्यक्रम'' की योजना*— इसके माध्यम से वृद्धावस्था गृहों, दीवा देखभाल केन्द्रों, सचल एककों की स्थापना और रखरखाव के लिए तथा वृद्धजनों को गैर-सांस्थानिक सेवाएं प्रदान करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को परियोजना लागत की 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, इसकी शुरूआत से 863 वृद्धावस्था गृह/ दीवा देखभाल केन्द्र, सचल चिकित्सा एकक और गैर-सांस्थानिक सेवा केन्द्र काम कर रहे हैं।

(2) *वृद्धजनों के लिए वृद्धावस्था गृहों/बहु विषयक सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं/स्वयं सेवी संगठनों/स्व सहायता समूहों को सहायता की योजना*—इसके अंतर्गत, पंजीकृत सोसाइटियों, सार्वजनिक न्यासों, कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां, वृद्ध जनों के पंजीकृत स्व सहायता समूहों और पंचायती राज संस्थाओं को वृद्धावस्था गृहों/ बहु विषयक सेवा केन्द्रों के लिए एकमुश्त निर्माण अनुदान हेतु निधियां प्रदान की जाती हैं। इसकी शुरूआत (1996-97) से, इस योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में 45 वृद्धावस्था गृहों का निर्माण किया गया है।

(ग) समेकित वृद्धजन कार्यक्रम के अंतर्गत, वृद्धावस्था गृहों, दीवा देखभाल केन्द्रों, सचल चिकित्सा एककों और गैर-संस्थानिक सेवा केन्द्रों की परियोजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 2004-05 के लिए 18.79 करोड़ रुपए का बजट पर्याप्त है।

(घ) और (ङ) जी, हां। प्रत्येक वर्ष इस योजना के अंतर्गत बजट आबंटन सतत् रूप से बढ़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान यह 17.80 करोड़ रुपए था और चालू वित्त वर्ष के लिए 18.79 करोड़ रुपए है और अगले वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान इसे बढ़ाकर 24.05 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ियों में/स्टेशनों पर अपराध के बारे में कृतिक बल

***220. श्री सीताराम यादव:**
श्री अखिलेश यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश में रेलगाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर अपराध और हिंसा की बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतु कोई कृतिक बल स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके अधिकार क्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने रेलवे में अपराध/हिंसात्मक घटना वाले अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) जी नहीं। भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि सं. 2 के अनुसार, 'पुलिस' (रेलवे और ग्रामीण पुलिस सहित) राज्य सरकार का विषय है। इसलिए अपराध रोकना, मामले दर्ज करना, उनकी जांच तथा रेल परिसरों और चलती गाड़ियों में कानून एवं व्यवस्था कायम करना राज्य पुलिस का संवैधानिक दायित्व है। रेलवे पर कानून एवं व्यवस्था संबंधी सभी मामलों से निपटने के लिए राज्य पुलिस के पास राजकीय रेलवे पुलिस (रा.रे.पु.) नाम का एक अलग स्कन्ध है। अपराधों को रोकना और उनकी जांच करना राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है और इसलिए रेलवे पर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए रेल मंत्रालय को काफी हद तक उन पर निर्भर रहना पड़ता है।

बहरहाल, गाड़ियों और यात्री क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, रेलवे पर अपराधों को नियंत्रित करने हेतु सरकार के प्रयासों में प्रभावशाली वृद्धि करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के माध्यम से रेलवे को सक्षम बनाने के लिए रे.सु.ब. अधिनियम, 1957 और रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन किया गया है। राज्य सरकार के प्रयासों में वृद्धि करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों को बहुत-सी गाड़ियों में मार्ग रक्षण हेतु और यात्री क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। जुलाई, 2004 से रेल अधिनियम में संशोधन करते हुए गाड़ी परिचालन को प्रभावित करने वाले छोटे-मोटे अपराधों जैसे अलार्म चैन खींचना, छत पर यात्रा करना, दलाली करना, बिना टिकट यात्रा करना, अनधिकृत प्रवेश आदि (धारा 150 एवं 152 के अतंर्गत तोड़-फोड़ संबंधी मामलों को छोड़कर) से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल को शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारतीय दंड संहिता, रेल अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत जघन्य अपराधों यथा तोड़-फोड़ और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना आदि सहित हत्या, डकैती, लूट-पाट, बलात्कार

आदि से निपटने के लिए राज्य पुलिस (राजकीय रेलवे पुलिस) को अधिक संख्या में कर्मचारी और समय मिल सके।

जुलाई, 2004 से, रेल सुरक्षा बल भारतीय रेलों पर प्रभावित गाड़ियों में राज्य सरकारों के समन्वय से प्रतिदिन औसतन 1,217 मार्गरक्षण पार्टियों, जिनके लिए औसतन 3,712 कर्मचारी तैनात किये जाते हैं, की व्यवस्था कर रहा है। इसके अतिरिक्त 2,750 कर्मचारियों की तैनाती कर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा औसतन 480 स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों द्वारा पकड़े गए अपराधियों को संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस को अपराध संबंधी विस्तृत रिपोर्ट के साथ मामला दर्ज करने के लिए और आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए सुपुर्द कर दिया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण रेल प्रणाली पर रेलवे सुरक्षा बल और राज्य पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) रेलवे पर अपराधों की अनिश्चितता के कारण किसी गाड़ी या खंड विशेष को चिह्नित नहीं किया जा सकता। बहरहाल, वर्ष 2003 और वर्ष 2004 के आपराधिक आंकड़े दर्शाते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य गाड़ियों में हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों से प्रभावित हैं, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य रेल परिसरों में हत्या और हत्या के प्रयासों से प्रभावित हैं। डकैती के संबंध में, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल राज्य अधिक प्रभावित हैं। बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य लूट-पाट से प्रभावित हैं। अपहरण और अगवा करने से संबंधित अपराधों में बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य बुरी तरह प्रभावित हैं। यात्रियों का सामान चुराने की वारदात में बिहार, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख हैं।

(ङ) अपराधों से प्रभावित खंडों, गाड़ियों और स्टेशनों की रेलवे के अधिकारियों की राज्य पुलिस के साथ समन्वय बैठकों में आवधिक समीक्षा की जाती है। इन बैठकों में, स्थिति की समीक्षा की जाती है और तदनुसार निवारक उपाय किए जाते हैं। स्थित और गाड़ियों के आधार पर कर्मचारियों की तैनाती में समय-समय पर परिवर्तन किया जाता है। जब कभी किसी खंड पर हिंसक वारदात होती है, उस समय अतिरिक्त कर्मियों और अन्य संसाधनों द्वारा भरपूर मदद मुहैया कराकर स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य पुलिस के साथ हर संभव उपाय किए जाते हैं। अपराधों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में प्रभावी मदद देने के लिए बेहतर संपर्क, गतिशीलता और समन्वय के अतिरिक्त, रेल सुरक्षा बल अतिरिक्त सड़क वाहन, संचार उपस्कर और ठोस एवं प्रभावी हथियारों (5.56 एमएम आईएनएसएएस राइफल, कारबाइन और पिस्टल) से सुसज्जित हैं।

यूनिट रन कैंटीन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देना

2184. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिनांक 4 जनवरी, 2001 के उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को लागू करने के बारे में व्यापक बातचीत पूरी कर ली है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यूनिट रन कैंटीन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया है;

(ख) क्या सरकार को निर्णय देने की तारीख से लेकर छह महीनों के भीतर उनके लिए सेवा नियम बनाने का भी निर्देश दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सरकार ने उच्चतम न्यायालय के 4 जनवरी, 2001 के निर्णय को कार्यान्वित किया है।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने सरकार को शीघ्र, विशेष रूप से निर्णय की तारीख से छह माह के भीतर, यूनिट चालित कैंटीनों में कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित करने के निदेश दिए हैं।

(ग) सरकार ने गैर-सरकारी निधि से वेतन पाने वाले यूनिट चालित कैंटनी के सिविलियन कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम तैयार करके पहले ही जारी कर दिए हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी नायर समिति

2185. श्री सुरेश कलमाडी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टी.के.ए. नायर समिति ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने हेतु कई सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) टी.के.ए. नायर समिति का गठन सरकारी उद्यम चयन बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष श्री टी.के.ए. नायर की अध्यक्षता में अक्तूबर, 2000 में किया गया था, जिसने नियत अवधि में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को जारी लोक उद्यम कार्यालय/लोक उद्यम विभाग के 299 दिशानिर्देशों की समीक्षा की थी तथा सरकार के विचारार्थ उतनी ही सिफारिशें की थी। नायर समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की थी:-

(1) 164 दिशानिर्देशों को बनाए रखा जाए।

(2) 72 दिशानिर्देशों को रद्द कर दिया जाए।

(3) 11 दिशानिर्देशों को लोक उद्यम विभाग के संग्रह से हटा दिया जाए।

(4) 52 दिशानिर्देशों का संशोधन/विलय कर दिया जाए (7 दिशानिर्देशों का संशोधन किया जाए, 27 का विलय किया जाए तथा 18 का संशोधन/विलय किया जाए)।

(ग) सरकार ने लोक उद्यम विभाग के संग्रह से 66 दिशानिर्देशों को रद्द करने तथा 11 दिशानिर्देशों को हटाने के लिए कार्रवाई की है। 52 दिशानिर्देशों के संबंध में कार्रवाई पूरी कर ली गई है तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से विचार-विमर्श करके शेष 22 दिशानिर्देशों के विलय/संशोधन की कार्रवाई की जा रही है।

गैस क्रैकर परियोजना

2186. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतत: असम की गैस क्रैकर परियोजना को स्वीकृति दे दी है और उसे भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना, करार की शर्तों, वित्तीय प्रभावों, फीड-स्टाक के स्रोतों और विलंब के कारण परियोजना में हुई लागत वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

रक्षा परियोजनाओं का निजीकरण

2187. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा परियोजनाओं और आयुध निर्माणियों के निजीकरण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजीकरण के निर्णय को लागू करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत डायनेमिक लिमिटेड की उत्पादन क्षमता

2188. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत डायनेमिक लिमिटेड का संघटक उत्पादन प्रभाग मार्च, 2004 से बेकार पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रभाग में काम शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की एक संघटक उत्पादन डिवीजन में मार्च, 2004 से अप्रयुक्त क्षमता विद्यमान है।

(ख) यह संघटक उत्पादन डिवीजन विशिष्ट संघटकों के उत्पादन में लगा हुआ है जिनकी आवश्यकता पहले से कम हो गई है।

(ग) भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने जहां भी तकनीकी रूप से व्यवहार्य है, कुछ कार्यादेश हाथ में लेकर इस संघटक उत्पादन

डिवीजन के स्टाफ को आंशिक रूप से कार्य में लगाने हेतु उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

एन.सी.सी. के अंतर्गत जलपान राशि

2189. श्री सुरेश चंदेल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न स्कूलों और कालेजों द्वारा चलाई जा रही एन.सी.सी. योजना के अंतर्गत जलपान हेतु प्रति छात्र कितनी राशि निर्धारित है;

(ख) क्या यह राशि पर्याप्त है;

(ग) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि छात्रों को निर्धारित राशि का जलपान वितरित किया जाता है;

(घ) क्या सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कई स्कूलों और कालेजों ने जलपान की राशि को आहरित कर लिया है और उसे छात्रों में वितरित नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट, 40 मिनट की प्रत्येक परेड के लिए 2 रुपए की दर से जलपान भत्ता प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं।

(ख) जलपान भत्ते की दर, दिनांक 30.9.1997 को प्रति परेड 1 रुपए से बढ़ाकर प्रति परेड 2 रुपए कर दी गई थी। जलपान भत्ते पर होने वाला व्यय पूर्णतया राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा वहन किया जाता है। उच्चतर दर पर जलपान भत्ता प्रदान करना, यदि आवश्यक समझा जाए, तो राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों का काम है।

(ग) सभी राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालयों को जलपान की लागत के ब्यौरे, दिनांक सहित परेड़ों की संख्या, नाम व हस्ताक्षर सहित कैडेटों की संख्या के संबंध में उपयुक्त रिकार्ड रखने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

(घ) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ङ) और (च) उपुर्यक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में खुदरा बिक्री केन्द्र

2190. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में अपने खुदरा बिक्री केन्द्र खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशों में कितने खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने अपनी सहायक कंपनियों श्रीलंका और मारिशस के द्वारा इन देशों में खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित किए हैं। लंका आईओसी प्राइवेट लिमिटेड (एलआईओसी), श्रीलंका सरकार (जीओएसएल) तथा सिलोन पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसी) के बीच हुए त्रि-पक्षीय करार के प्रावधानों के तहत, सीपीसी ने फरवरी, 2003 में अपने स्वामित्व वाले 100 खुदरा बिक्री केन्द्र एलआईओसी को सौंपे हैं। एलआईओसी ने फरवरी 2003 से इन खुदरा बिक्री केन्द्रों से अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया है। तत्पश्चात्, एलआईओसी ने विशेष डीलरों के साथ बातचीत शुरू कर दी है और अब तक एलआईओसी के समूह में 70 विशेष डीलर शामिल हो गए हैं, जिससे इस द्वीप में खुदरा बिक्री केन्द्रों की उनकी कुल संख्या बढ़कर 170 हो गई है। मारिशस में, आईओसी की सहायक कंपनी द्वारा 2 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित की गए हैं तथा 8 और खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

आईओसी द्वारा उपरोक्त विदेशी उद्यमों के अलावा, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने मैसर्स सिलोन पेट्रोलियम कार्पोरेशन में हिस्से के लिए बोली दी है, जिसका श्रीलंका सरकार द्वारा विनिवेश किया जा रहा है। यह बोली 100 खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए मैसर्स सिलोन पेट्रोलियम कार्पोरेशन के प्रस्ताव और श्रीलंका में समाप्त हो रही एक सुविधा पर आंशिक अधिकार प्राप्त करने के लिए है।

जमालपुर रेल कारखाने में रेलवे इंजीनियर्स रेजीमेंट

2191. श्री महेन्द्र प्रसाद भिचाद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार स्थित जमालपुर रेल कारखाने में रेलवे इंजीनियर्स रेजीमेंट (प्रादेशिक सेना) अपनी आपातकालीन सेवा चला रही थी जिसे अब बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा रेलवे इंजीनियर्स रेजीमेंट को बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे पुन: खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) 969 रेलवे इंजीनियर्स रेजीमेन्ट (प्रादेशिक सेना) जमालपुर, जिसका खर्च रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाया जाता है, को रक्षा मंत्रालय द्वारा गैर-रेलवे इंफेन्टरी बटालियन (प्रादेशिक सेना) में परिवर्तित किया जा रहा है।

(ग) जी हां, रेल मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय से इस रेजीमेन्ट को जमालपुर में रेलवे के खर्च पर पुनर्गठित करने का अनुरोध किया है।

(घ) रक्षा मंत्रालय का इस रेजीमेन्ट को 31.5.05 तक पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र में हजीरा गैस पाइपलाइन

2192. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में हजीरा गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में हजीरा गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) गेल की लगभग 1830 करोड़ रुपए की लागत पर दहेज-हजीरा-उरण गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना है। इस परियोजना का कार्यान्वयन, गेल द्वारा गैस के पर्याप्त अपस्ट्रीम स्रोतीकरण लक्ष्य प्राप्त करने और डाउनस्ट्रीम विपणन गठबंधन करने पर निर्भर है।

तेल और गैस क्षेत्र में भारत मलेशिया सहयोग

2193. **श्री चाई.जी. महाजन:**
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और मलेशिया का विचार तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितनी बार बातचीत हुई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। दिसम्बर, 2004 में मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) द्वारा मलेशिया के प्रधान मंत्री से भेंट के दौरान और बाद में मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) तथा मलेशिया के प्रधानमंत्री के विभाग में मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान जो जनवरी, 2005 में एशियाई तेल मंत्रियों की प्रथम गोल मेज सभा की साइडलाइन पर आयोजित की गई थी, दोनों पक्षकारों ने दोनों देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए सहमति दी।

इंडियन आयल और पेट्रोनास, मलेशिया के अन्य के साथ-साथ कच्चे तेल के अन्वेषण और उत्पादन, परिशोधन, व्यापार, विपणन और उत्पादों की खुदरा बिक्री, अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, परामर्श के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के लिए एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के पांचवे दौर को बढ़ावा देने के लिए कुआलालम्पुर, मलेशिया में 21-22 मार्च को एक अन्य पथ प्रदर्श का आयोजन किया जा रहा है, जहां मलेशिया की और मलेशिया के आसपास की अनेक अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) कंपनियों के भाग लेने की संभावना है।

(ग) कुल मिलाकर दस संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) बैठकें 1996-2003 के दौरान हुई हैं। इंडियन आयल और पेट्रोनास के बीच एमओसी पर हस्ताक्षर करने के अनुसरण में "इंडियन आयल पेट्रोनास लिमिटेड" नाम के तहत एक संयुक्त उद्यम कंपनी का प्रवर्तन हल्दिया में एलपीजी के आयात, भंडारण और वितरण के लिए किया गया था। यह सुविधा फिलहाल प्रचालनाधीन है।

[अनुवाद]

रसोई गैस सिलिंडरों की कमी

2194. श्री पी.एस. गड़वी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर गुजरात में कोई गैस सिलिंडरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा स्थिति से निपटने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में गैस एजेंसियां इस स्थिति का लाभ उठा रही हैं और ग्राहकों से अधिक कीमत वसूल रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्राहकों को राहत प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने गुजरात में एलपीजी के किसी वैकलाग की रिपोर्ट नहीं दी है और बताया कि वे एलपीजी ग्राहकों की संपूर्ण मांग को पूरी कर रही है। कंपनियों ने आगे मंत्रालय को सूचित किया है कि अनधिकृत प्रयोगों के लिए एलपीजी के संभावित विपथन की जांच करने के लिए आपूर्तियों का सख्ती से निर्धारण किया जा रहा है तथा उस पर निगरानी रखी जा रही है।

अनधिकृत उपयोगों के लिए घरेलू एलीपीजी के गैर-कानूनी विपथन पर क्रैकडाऊन से शायद बेईमान तत्वों द्वारा कुछ बाधाएं डाली जा रही हैं किन्तु इस समस्या का भी समाधान किया जा रहा है।

(ग) और (घ) तेल विपणन कंपनियों ने अप्रैल-दिसंबर, 2004 की अवधि के दौरान गुजरात में एलीपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा अधिक प्रभार लेने के किसी मामले की सूचना नहीं दी है सिवाए एक मामले के, जहां डिस्ट्रीब्यूटर पर विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के अनुसार जुर्माना किया गया है।

सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड का नगर निगम में विलय

2195. श्री ए. साई प्रताप: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड का हैदराबाद नगर निगम में विलय करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से वर्ष 1999 और 2004 के दौरान एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। सरकार द्वारा राज्य सरकार के इस अनुरोध पर विचार किया गया था तथा सुरक्षा कारणों से, छावनी क्षेत्रों का हैदराबाद नगर निगम में विलय करना व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

विस्थापितों का पुनर्वास

2196. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला कंचनबाग, हैदराबाद से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास पर आने वाली लागत को वहन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला की चारदीवारी के बाहर अधिसूचित क्षेत्र के भीतर अनधिकृत निर्माण तथा कब्जा एक गंभीर मामला है। रक्षा मंत्रालय ने यह मामला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उठाया है तथा उन्होंने मंत्रालय को हर आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

(ग) रक्षा मंत्रालय इस मामले के शीघ्र निपटान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के विभिन्न अधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई कर रहा है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की आपूर्ति

2197. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दरों पर रसोई गैस की आपूर्ति करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दरों पर एलपीजी की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा विपणित घरेलू एलपीजी राजसहायता प्रदान की जाती है। सरकारी राजसहायता के अलावा तेल विपणन कंपनियां इस उत्पाद पर राजसहायता देने का अधिकांश भार वहन कर रही हैं। फरवरी, 2005 में एलपीजी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर 14.2 कि.ग्रा. के प्रत्येक एलपीजी सिलेंडर पर औसत राजसहायता लगभग 96.20 रुपए/सिलेंडर आकलित होती है। रियायती दरों पर घरेलू एलपीजी पूरे देश में उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

राउरकेला में पहिया और धुरी संयंत्र स्थापित करना

2198. **श्री जुएल ओराम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा स्थित राउरकेला में पहिया और धुरी संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से लंबित है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एलपीजी भराई संयंत्र

2199. **श्री ब्रजेश पाठक:**
श्री हितेन बर्मन:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में काम कर रहे एलपीजी भराई संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक संयंत्र की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का देश में नए एलपीजी भराई संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) 1.1.2005 को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) देश में कुल 7,690 हजार मीटरी टन प्रति वर्ष (टीएमटीपीए) भरण क्षमता के साथ 172 एलपीजी भरण संयंत्रों का प्रचालन कर रही थी। अलग-अलग भरण संयंत्रों के ब्यौरे संबंधित कंपनी के पास उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपनी तर्कसंगत मांग के निर्धारण के अनुसार भरण संयंत्रों की स्थापना की जाती है। वर्तमान में, तेल विपणन कंपनियों द्वारा निम्नवत् 10 नए एलपीजी भरण संयंत्रों को स्थापित करने की योजना है:-

राज्य	स्थान	क्षमता (ह.मी.ट. प्रतिवर्ष में)
आंध्र प्रदेश	राजामुंद्री	44
बिहार	पटना	44
छत्तीसगढ़	रायपुर	44
गुजरात	राजकोट	44
महाराष्ट्र	माहुल	88
महाराष्ट्र	वासाई	10
मणिपुर	सेकमाई	10
मिजोरम	मौलखांग	5
तमिलनाडु	लयानगुडी	22
उत्तर प्रदेश	लोनी	44

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतमानों में संशोधन

2200. **श्री जोवाकिम बखला:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतमानों में समयबद्ध संशोधन की कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा समानता के आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारित करने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) निदांक 14.1.1999 तथा 25.6.1999 को जारी दिशानिर्देशों के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमान 1.1.1997 से संशोधित कर दिए गए थे। इन दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों का आगामी वेतन संशोधन 1.1.2007 से देय हो जाएगा।

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए भर्ती का तरीका, सेवा के विनियम एवं शर्तें तथा औद्योगिक मंहगाई भत्ता प्रणाली वाले वेतनमान केन्द्र सरकार में विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के इन पहलुओं की तुलना में बिल्कुल अलग होते हैं।

तटवर्ती राजमार्ग का निर्माण

2201. श्री गिरिधर गमांग: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से रक्षा प्रतिष्ठानों को जोड़ने के लिए बालासोर से बरहामपुर तक तटवर्ती राजमार्ग के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) राज्य सरकार ने इस मामले में भूमि प्राप्त करने में अभी तक कितनी प्रगति की है; और

(घ) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और सरकार ने इसके लिए अभी तक कितनी धनराशि प्रदान की है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) रक्षा मंत्रालय को उड़ीसा सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त उद्यम वाली विद्युत परियोजनाएं

2202. श्री अधीर चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल मंत्रालय और एन.टी.पी.सी. की संयुक्त उद्यम वाली विद्युत परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की जानी है;

(ख) रेलवे को इन परियोजनाओं से प्राप्त होने वाली अनुमानित वार्षिक बचत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा एन.टी.पी.सी. से खरीदी गयी विद्युत की वर्षवार लागत क्या थी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा 13.2.2004 को दी गई स्वीकृति के अनुसार 5190 करोड़ रु. (नान मेगा स्टेट्स-चौथी तिमाही 2003 मूल्य स्तर)

(ख) यातायात के मौजूदा स्तर और बिजली कर्षण दर सूची के आधार पर इस परियोजना के चालू हो जाने से लगभग 400 करोड़ रु. प्रतिवर्ष बचत होने की आशा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) से सीधे प्राप्त की गई बिजली की लागत से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	औसत यूनिट लागत (रुपए में)
2001-02	2.60
2002-03	2.61
2003-04	2.50

बी.एम.सी.एस. (बाय-मोडयूलर चार्ज सिस्टम) का स्वदेशी उत्पादन

2203. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या रक्षा मंत्री राजगीर में आयुध कारखाना स्थापित करने के बारे में 10.4.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4125 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुध कारखाना, राजगीर में बी.एम.सी.एस. (बाय-मोडयूलर चार्ज सिस्टम) के विनिर्माण के लिए मैसर्स सोमचेम, दक्षिण अफ्रीका से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बी.एम.सी.एस. का स्वदेशी उत्पादन आरंभ हो चुका है;

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के शुल्क का पूरा भुगतान मैसर्स सोमचेम को कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं। तकनीकी दस्तावेज प्राप्त किए जा चुके हैं तथा संविदा के भाग के रूप में आयुध निर्माणी बोर्ड के कार्मिकों को सोमचेम दक्षिण अफ्रीका में प्रशिक्षित किया जा चुका है। संविदा के भाग के रूप में फर्म को उत्पादन सुविधा स्थापित करते समय आवश्यक सहायता प्रदान करना अपेक्षित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) परियोजना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए नवंबर, 2007 तक उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) जी, हां। 28 मार्च, 2003 को 11.192 मिलियन अमरीकी डालर (53.43 करोड़ रुपए के बराबर) की राशि दी गई थी। इसके अलावा, 28 अक्तूबर, 2003 को 2.798 मिलियन अमरीकी डालर (12.72 करोड़ रुपए के बराबर) की राशि दी गई थी। अतः, भुगतान की गई कुल राशि 13.99 मिलियन अमरीकी डालर है जो 66.15 करोड़ रुपए के बराबर है।

[हिन्दी]

इलैक्ट्रानिक पंचिंग घड़ी लगाया जाना

2204. श्री राकेश सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी आयुध कारखानों में इलैक्ट्रानिक पंचिंग घड़ी लगाने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां।

(ख) 16 आयुध निर्माणियों में इलेक्ट्रानिक अटेंडेंस रिकार्डिंग सिस्टम (ई ए आर एस) पहले ही स्थापित किया जा चुका है; इसके अलावा, 17 निर्माणियों के लिए इलेक्ट्रानिक अटेंडेंस रिकार्डिंग सिस्टम खरीदने के आदेश दे दिए गए हैं जो आपूर्ति/स्थापन के विभिन्न चरणों में हैं। शेष 6 निर्माणियों के लिए अधिप्राप्ति के मामलों पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग) इस प्रणाली की स्थापना में 14.71 करोड़ रुपए का व्यय होने की संभावना है।

[अनुवाद]

रक्षा संबंधी चोरी किये गये आंकड़े

2205. श्री के.एस. राव:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एरियल रक्षा अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, आगरा से रक्षा बलों के आंकड़ों वाले कुछ कंप्यूटर और बहुविध कार्यों वाले एक उपकरण को हाल ही में चुरा लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इसके लिए दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) एरियल डिलीवरी अनुसंधान एवं विकास स्थापना, आगरा से 25/26 फरवरी, 2005 की रात को कंप्यूटर से जुड़े उपकरणों सहित एक लैपटाप तथा एक कंप्यूटर चोरी हो गए थे।

(ख) जी, हां।

(ग) जांच से यह स्थापित हुआ है कि कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग करने के लिए काम में लाया जा रहा था तथा लैपटाप का प्रयोग इंटरानेट का उपयोग करने हेतु किया जा रहा था। वर्गीकृत डाटा का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(घ) जांच अधिकारी ने चूककर्त्ता कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की है।

कतर में तेल क्षेत्र

2206. **श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओवीएल ने कतर में हाल ही में एक तेल क्षेत्र की खोज की है जैसा कि दिनांक 3 मार्च, 2005 के ''द टाइम्स आफ इंडिया'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी उक्त ठेके के निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) कतर में उक्त तेल क्षेत्र में अनुमानत: कितना तेल उपलब्ध है; और

(घ) अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है और इससे अनुमानत: कितनी आय प्राप्त होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने अपतटीय कतर में नजवात नजम तेल संरचना के लिए बोली जीती है और इस संबंध में एक मूल्यांकन, विकास और उत्पादन हिस्सेदारी करार (एडीपीएसए) पर कतर पेट्रोलियम, जो देश की राष्ट्रीय तेल कंपनी है, के साथ 2.3.2005 को हस्ताक्षर किए हैं जो कतर सरकार के अनुसमर्थन के अधीन है।

(ग) और (घ) ओवीएल ब्लाक में 100% पणधारक होगी और प्रचालक के रूप में परियोजना के मूल्यांकन/रूपरेखण चरण के दौरान लगभग 15.5 मिलियन अमरीकी डालर खर्च करेगी।

परियोजना मूल्यांकन/रूपरेखण चरण पर है, इसलिए ब्लाक के भंडारों और परियोजना से संभावित आय का तुरन्त अनुमान नहीं लगाया जा सकता पर पूर्वलक्षण उत्साहवर्धक हैं।

सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम

2207. **श्री हरिसिंह चावड़ा:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार न केवल हिन्दी में वरन् अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण करके आम जनता को अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तरी राज्यों में ऐसे कार्यक्रम प्रसारित नहीं किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं/किये जायेंगे?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां। सरकार हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में रेडियो कार्यक्रम प्रसारित करके जन साधारण को शिक्षित कर रही है।

(ख) जी, नहीं। रेडियो कार्यक्रम अखिल भारत आधार पर प्रसारित किया जा रहा है। सामाजिक संगठनों या माननीय संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल पुलों के लिए विश्व बैंक की सहायता

2208. **श्री विजय कृष्ण:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर पुलों सहित रेल पुल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली सहायता में आई कमी के कारण कुछ परियोजनाओं में विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने मुंगेर (बिहार) में गंगा नदी पर 180 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से रेल-सह-सड़क पुल की परियोजना को वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत किया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों को लाने-ले-जाने हेतु रैक प्वाइंट्स

2209. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में उर्वरकों को ठीक प्रकार से लाने-ले-जाने के लिए रैक प्वाइंटों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार मांग के अनुसार रैक प्वाइंटों को मंजूरी प्रदान करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कंकेसंतुरै में जल सर्वेक्षण

2210. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका से कंकेसंतुरै में जल सर्वेक्षण कराने का कोई आग्रह प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) जब भारतीय नौसेना श्रीलंका में सुनामी के बाद राहत कार्य कर रही थी, तभी श्रीलंका की सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि वह सुनामी के परिणामस्वरूप हुए जल विज्ञान संबंधी परिवर्तनों के कारण कंकेसंतुरै बंदरगाह का जल सर्वेक्षण कराए। भारतीय नौसेना ने यह सर्वेक्षण किया तथा सर्वेक्षण के परिणाम श्रीलंका की नौसेना को सौंप दिए गए हैं।

परित्यक्त कोयला खानों में मीथेन

2211. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में परित्यक्त कोयला खानों में खोजी न गयी मीथेन गैस की विशाल मात्रा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है/की जानी है;

(घ) क्या सरकार ने परित्यक्त कोयला खानों में अतिरिक्त मीथेन का उपयोग करके विद्युत उत्पादन की क्षमताओं की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) परित्यक्त कोयला खानों में मीथेन के होने का पता लगा है, तथापि, क्योंकि बड़े स्थानिक सीमा तक फैली अव्यवस्थित भूमिगत खानें सीमित प्रकृति की हैं, प्राप्य संसाधन बेस प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम परित्यक्त मीथेन खान का व्यवस्थित निर्धारण किया जाएगा। यह कोयला मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अजन्ता और एलोरा के चित्रों का अनुरक्षण

2212. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अजन्ता एलोरा योजना का चरण-दो का कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कुछ परामर्शदाता नियुक्त किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत और इटली के बीच अजन्ता और एलोरा के पुराने चित्रों के अनुरक्षण संबंधी किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दोनों देशों के बीच इस संबंध में हुए समझौते का आधार क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अजन्ता-एलोरा योजना के चरण-2 का कार्य शुरू कर दिया है।

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने अजन्ता-एलोरा के संरक्षण तथा पर्यटन विकास परियोजना (चरण-2) के

लिए एसोसिएशन आफ पैसिफिक कन्सल्टेन्ट्स इंटरनेशनल (पी सी आई) तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टी सी एस) को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किया है।

(घ) जी, हां। 14 फरवरी, 2005 को भारत तथा इटली के मध्य अजन्ता और एलोरा गुफाओं के चित्रों के संरक्षण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ङ) और (च) जनवरी, 2003 में इटली के सांस्कृतिक दाय तथा कार्यकलाप मंत्री की प्रारम्भिक यात्रा के बाद, इटली के विशेषज्ञों के एक दल ने, जनवरी, 2005 में अजन्ता तथा एलोरा गुफाओं का दौरा किया। इटली की सरकार के प्रस्ताव के आधार पर, अजन्ता तथा एलोरा की गुफाओं के चित्रों के संरक्षण के लिए सहयोग देने पर इटली तथा भारत के मध्य समझौता ज्ञापन पर फरवरी, 2005 में हस्ताक्षर किए गए।

रेलवे पुलिस पर खर्च किया गया धन

2213. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रेलवे पुलिस पर खर्च की गयी धनराशि के कारण राज्य सरकार को आज की स्थिति के अनुसार कितनी बकाया धनराशि देय है; और

(ख) राज्य सरकार को शेष राशि के शीघ्र भुगतान के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) आज की तारीख में रेलवे पुलिस पर राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च के कारण मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित 7.26 करोड़ रुपए की राशि का बिल बकाया है। इसमें 7.3.05 को प्राप्त 3.93 करोड़ रुपए का बिल शामिल है। शेष बकाया राशि महालेखाकार (एजी) के प्रमाण-पत्र न होने और मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत पदों के परिचालन के कारण है।

(ख) रेलवे को आवश्यक आतंरिक जांच के पश्चात् स्पष्ट रूप से अनुमेय सभी बिलों का भुगतान करने के स्थायी निर्देश हैं।

भारत-पाक क्रिकेट श्रृंखला के प्रसारण के अधिकार

2214. श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन को भारत-पाक की होने वाली क्रिकेट श्रृंखला के सीधे प्रसारण के अधिकार प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त श्रृंखला के सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन द्वारा क्या प्रबंध किये गये हैं;

(ग) दूरदर्शन द्वारा बी.सी.सी.आई. को कुल कितनी राशि का भुगतान करना है;

(घ) इस श्रृंखला के दौरान विज्ञापन के माध्यम से दूरदर्शन को कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) क्या दूरदर्शन ने भारत-पाक श्रृंखला के लिए विज्ञापन दरों को कम करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। जी टेली फिल्म्स बनाम बी.सी.सी.आई. एवं अन्य शीर्षक से वर्ष 2005 की रिट याचिका संख्या 4120 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, दूरदर्शन डी.डी.-नेशनल और डी.डी. स्पोर्ट्स चैनल पर भारत-पाकिस्तान क्रिकेट श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है।

(ग) प्रसार भारती ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को 94.50 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने की पेशकश की है।

(घ) 100 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व अर्जित होने की आशा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

स्मारकों की केन्द्र द्वारा रक्षित स्मारकों के रूप में घोषणा

2215. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कुछ स्मारकों को केन्द्र द्वारा रक्षित स्मारकों के रूप में घोषित करने हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र द्वारा रक्षित स्मारकों के रूप में घोषित किये गये स्मारकों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इनके विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ग) सरकार इन स्मारकों के प्रचार-प्रसार के लिए क्या कदम उठा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) पिछले एक वर्ष के दौरान किसी भी राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) 3656 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हैं (राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में प्रस्तुत है)। उनके संरक्षण, परिरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी विकास के लिए, वर्ष 2004-05 के दौरान फरवरी, 2005 तक योजना के अंतर्गत 3696.99 लाख रुपए और गैर-योजना के अंतर्गत 4580.99 लाख रुपए व्यय हुआ है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महत्वपूर्ण स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों के बारे में संदर्शिकाएं (गाइड बुक्स), विवरणिकाएं, (ब्रोशर) एवं वितरण पुस्तिकाएं (हैंडआऊट) निकालता है जिनसे बड़ी संख्या में पर्यटक आकर्षित होते हैं। इसके अलावा, अनेक स्मारकों/स्थलों पर, उनके महत्व को प्रतिबिम्बित करने वाले, सूचना-पट्ट लगाए जाते हैं।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार भी विश्वदाय स्थलों तथा राष्ट्रीय महत्व के अन्य स्मारकों के बारे में बहुत सी सूचनात्मक संदर्शिकाएं एवं सी.डी. रोम निकालता है।

विवरण

क्र.सं.	मंडल का नाम	स्मारकों की संख्या	राज्य (राज्यों) का नाम (जिनके अंतर्गत है)	
1	2	3	4	
1.	आगरा	264	उत्तर प्रदेश	264
2.	औरंगाबाद	286	महाराष्ट्र	286
3.	बंगलौर	207	कर्नाटक	207
4.	भोपाल	287	मध्य प्रदेश	287
5.	भुवनेश्वर	79	उड़ीसा	79
6.	कोलकाता	134	पश्चिम बंगाल	131
			सिक्किम	3
7.	चंडीगढ़	161	हरियाणा	90
			हिमाचल प्रदेश	40
			पंजाब	31
8.	चेन्नई	415	तमिलनाडु	408
			पांडिचेरी (सं.रा. क्षेत्र)	7
9.	धारवाड़	300	कर्नाटक	300
10.	देहरादून	44	उत्तरांचल	44
11.	दिल्ली	171	दिल्ली	171
12.	गोवा (लघु मंडल)	21	गोवा	21

1	2	3	4	
13.	गुवाहाटी	72	असम	49
			अरुणांचल प्रदेश	5
			मणिपुर	1
			मेघालय	8
			नागालैंड	4
			त्रिपुरा	5
14.	हैदराबाद	136	आंध्र प्रदेश	136
15.	जयपुर	160	राजस्थान	160
16.	लखनऊ	367	उत्तर प्रदेश	367
17.	पटना	176	बिहार	65
			उत्तर प्रदेश	111
18.	श्रीनगर	69	जम्मू एवं कश्मीर	69
19.	रायपुर	47	छत्तीसगढ़	47
20.	रांची	12	झारखंड	12
21.	त्रिसूर	34	केरल	26
			तमिलनाडु	8
22.	वडोदरा	214	गुजरात	202
			दमन एवं दीव	12
	कुल	3656		3656

[अनुवाद]

केरल में ऊपरि-पुलों का निर्माण

2216. श्री पी.सी. थामस: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में ऊपरि-पुलों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इन ऊपरि पुलों के निर्माण कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) इस समय केरल राज्य में लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क/निचले सड़क पुल (आरओबी/आरयूबी) से संबंधित 49 कार्यों को स्वीकृति दी गई है। तीन अतिरिक्त कार्यों को रेलवे बजट 2005-06 में शामिल किया गया है। उपर्युक्त 49 निर्माण कार्यों में से 30 कार्य सामान्य आरेखण व्यवस्था (जीएडी) से संबंधित हैं और इसके लिए अनुमान तैयार किए जा रहे हैं/अंतिम रूप दिया जा रहा है। शेष 19 कार्य प्रगति पर हैं और ये सभी कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। पूर्ववर्ती दो वर्षों अर्थात् 2002-03 और 2003-04 में लागत में भागीदारी के आधार पर शुरू किए गए ऊपरी सड़क पुल के छः कार्य पूरा हो चुके हैं और

तीन कार्य जिन्हें चालू वर्ष अर्थात् 2004-05 में पूरा करने का लक्ष्य है। केरल राज्य में किए गए 3 कार्यों में से एक कार्य जनवरी, 2005 में पूरा हो गया है। संयोगवश ऊपरी सड़क पुल (रेलवे का हिस्सा और संपर्क मार्ग दोनों) के 20 निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2001 में सड़क और बिल्डिंग विकास निगम केरल (आरबीडीसीके) को दिया गया था जिनमें से केवल 5 कार्य पूरा किए गए हैं। रेलें पुल खास का निर्माण (रेलपथ के ऊपर) करती है और संपर्क मार्ग का निर्माण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, कार्य का पूरा होना पुल खास के साथ-साथ संपर्क मार्ग दोनों का पूरा होने पर निर्भर करता है। राज्य सरकारों द्वारा संपर्क मार्गों के कार्य के पूरा होने के साथ-साथ रेलें अपने हिस्से को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करती है।

डीजल पर राजसहायता

2217. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को उपलब्ध कराये जाने वाले डीजल पर राजसहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) संपूर्ण देश में समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए डीजल का मूल्य एक समान है और संघ सरकार के बजट में डीजल पर कोई राजसहायता उपलब्ध नहीं है।

जहां तक डीजल पंपों का प्रयोग करने वाले किसानों को राजसहायता देने का संबंध है, कृषि और सहयोग विभाग (डीओएसी) के पास पंप सेटों के प्रापण के लिए छोटे और सीमांत किसानों को राजसहायता उपलब्ध कराने हेतु एक पूंजीगत राजसहायता योजना है। इस योजना के तहत, पंप सेटों की खरीद पर पूंजीगत राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है।

ओएनजीसी और कैरान एनर्जी के बीच उत्पादन बंटवारा संबंधी अनुबंध

2218. **श्री राम कृपाल यादव:**
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में ओएनजीसी और कैरान एनर्जी के बीच उत्पादन बंटवारा अनुबंध को लेकर कोई मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समझौते से ओएनजीसी को 340 मिलियन यू एस डालर का नुकसान हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित ब्लाक आरजे-ओएन-90/1 के लिए भारत सरकार ने कैर्न एनर्जी (अपनी दो सहायक कंपनियों के माध्यम से प्रचालनरत) और ओएनजीसी के साथ उत्पादन भागीदारी संविदा (पीएससी) की हुई है।

यह पीएससी संबंधित पक्षकारों अर्थात् सरकार, ओएनजीसी और कैर्न एनर्जी को अधिकार और दायित्व प्रदान करती है। पीएससी के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंसधारी होने के कारण ओएनजीसी को, समय-समय पर यथा संशोधित तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम 1948 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अनुसार, रायल्टी और लगाए गए अन्य प्रभारों का भुगतान करने का दायित्व है।

कैर्न एनर्जी और ओएनजीसी ने पीएससी के तहत तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत कच्चे तेल पर लगाए गए उप कर की देयता पर कुछ भिन्नताओं की रिपोर्ट दी है। इस संबंध में विधि मंत्रालय की राय लेने के बाद सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। कानूनी राय के अनुसार कच्चे तेल पर उप कर की देयता उत्पादक की है जो पीएससी के तहत संविदाकार है। पीएससी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे लाइसेंसधारी अर्थात् ओएनजीसी पर उप कर की देयता डाली जा सकती हो।

सीएनजी की आपूर्ति

2219. **श्री किरिप चालिहा:**
श्री बी. विनोद कुमार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों ने देश के सभी प्रमुख शहरों में सीएनजी की आपूर्ति करने हेतु योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रमुख शहरों में किस समय सीमा के भीतर सीएनजी उपलब्ध करा दी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) वर्तमान में दिल्ली और मुम्बई के अतिरिक्त सीएनजी की आपूर्ति सीमित ढंग से वडोदरा, सूरत, भरूच, अंकलेश्वर और गांधीनगर में भी की जा रही है। चरणबद्ध ढंग से उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद और बरेली, हरियाणा में गुडगांव और फरीदाबाद, महाराष्ट्र में पुणे, नवी मुम्बई और ठाणे, गुजरात में अहमदाबाद और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में सीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने का प्रस्ताव है। पाइपलाइन ढांचे के विस्तार और प्राकृतिक गैस की बढ़ी हुई उपलब्धता से सीएनजी अन्य शहरों में उत्तरोत्तर आरंभ की जाएगी।

एयरोस्पेस संबंधी राष्ट्रीय नीति

2220. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एयरोस्पेस गतिविधियों संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस नीति को कब तक बनाए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में पेट्रोकेमिकल्स काम्पलेक्स और विशेष आर्थिक जोन की स्थापना

2221. **श्री दिनशा पटेल:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने गुजरात में पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स और विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने हेतु गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके कब तक स्थापित करने और कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) अपने महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने के अलावा अग्रगामी और पश्यगामी एकीकरण द्वारा विविधीकरण के विभिन्न विकल्पों पर अन्वेषण कार्य कर रही है। इस संदर्भ में, ओएनजीसी की मूल्य योजित परियोजनाएं, जो संकल्पना स्तर पर हैं, के लिए अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं के विकास को सुकर बनाने के उद्देश्य से दहेज में विशेष आर्थिक अंचल की स्थापना के लिए ओएनजीसी ने गुजरात औद्योगिक विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

दहेज में किसी पेट्रोरसायन परिसर की स्थापना के लिए ओएनजीसी द्वारा जीआईडीसी के साथ कोई समझौता ज्ञापन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

प्रेक्षागृहों की स्थापना

2222. **मो. मुकीम:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई, 2004 से आज की तिथि तक केन्द्र सरकार को देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में प्रेक्षागृहों को स्थापित करने संबंधी कितने आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा इनमें से अनुमोदित आवेदनों/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है;

(ग) इनमें से अस्वीकृत आवेदनों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य की उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवेदन/प्रस्ताव मांगे जाने हैं और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय सांस्कृतिक संगठनों के लिए भवन अनुदान संबंधी एक स्कीम चला रहा है। मंत्रालय को उत्तर प्रदेश से 68 आवेदनों/प्रस्तावों सहित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से भवनों/प्रेक्षागृहों के निर्माण तथा उपस्करों की खरीद हेतु स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों से 779 आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त 779 आवेदनों/प्रस्तावों में से उत्तर प्रदेश से 7,86,09,000/- राशि के 9 प्रस्तावों सहित 224 प्रस्तावों को चालू

वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान भवन निर्माण तथा उपस्करों की खरीद हेतु अनुमोदित किया गया है। शेष प्रस्तावों की इस परियोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की गई, परन्तु दस्तावेज पूरे न होने या स्कीम की अपेक्षाओं को पूरा न किए जाने जैसे विभिन्न कारणों से चालू वर्ष में इन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया।

इस स्कीम के लिए प्रत्येक वर्ष विज्ञापन दिया जाता है जिसमें स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों से उनकी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से अनुदान हेतु आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 में इस स्कीम के लिए 5 करोड़ रुपए उद्दिष्ट करने का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

काजीपेट से रेलवे कार्यशाला का स्थानान्तरण

2223. डा. एम. जगन्नाथ: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार काजीपेट स्थित सभी रेलवे कार्यशालाओं को वहां से अन्य प्रदेशों में स्थानान्तरित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। काजीपेट में रेलवे का कोई कारखाना नहीं है। लेकिन काजीपेट में रेल इंजन शेड है। रेल इंजन शेडों को काजीपेट से किसी अन्य क्षेत्र में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस की बिक्री हेतु निजी क्षेत्र को राजसहायता

2224. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की बिक्री हेतु निजी क्षेत्र के उद्योगों और गेल को राजसहायता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन क्षेत्र में प्रवेश करने वाली कंपनियों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन निजी कंपनियों द्वारा अनुमानित कितने उपभोक्ताओं को इनकी बिक्री की जाएगी और सरकार द्वारा उनको अनुमानित कितनी राजसहायता दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ङ) जी हां। मामला विचाराधीन है।

मंद बुद्धि बच्चों के लिए संस्था, विद्यालय/छात्रावास

2225. श्री के.एस. मनोज:
श्री बापू हरी चौरे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंद बुद्धि बच्चों के पुनर्वास और प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं, विद्यालयों और छात्रावासों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नि:शक्त व्यक्तियों हेतु संगठनों को सहायता देने की योजना के अंतर्गत इनमें से कितनों को मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की गई है और ऐसी संस्थाओं को कितनी सहायतानुदान दी गई;

(ग) इस संबंध में विशेषकर केरल से प्राप्त लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों को दी जाने वाली सहायता अनुदान में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन बच्चों को सामान्य सरकारी विद्यालयों के साथ सम्बद्ध करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 52 के अंतर्गत, राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानसिक रूप से मंद बच्चों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं को स्थापित या इनके रखरखाव के लिए पंजीकरण-प्रमाणपत्र दिया जाता है। प्रदान किए गए रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र का ब्यौरा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है।

राष्ट्रीय स्व-परायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 12 के अंतर्गत, राष्ट्रीय न्यास, एसोसिएशनों/विकलांग व्यक्तियों के अभिभावकों की एसोसिएशनों, स्वैच्छिक संगठनों इत्यादि का भी पंजीकरण करता है। राष्ट्रीय न्यास ने अभी तक 592 संस्थाओं इत्यादि को मान्यता/पंजीकृत किया है। राज्यवार ब्यौरा विवरण-1 पर दिया गया है।

(ख) मंत्रालय की दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम और राष्ट्रीय न्यास की सहायता संस्था स्थापना स्कीम के तहत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मानसिक रूप से मंद बच्चों हेतु विभिन्न परियोजनाओं को चलाने के लिए दी गई वित्तीय सहायता और संगठनों की संख्या विवरण-2 पर दी गई है।

(ग) प्रत्येक वित्त वर्ष में 30 सितम्बर तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं और संवीक्षा समिति द्वारा वर्ष के दौरान वित्त पोषण हेतु इन पर विचार किया जाता है। संवीक्षा समिति द्वारा डी.डी.आर.एस. के अंतर्गत 30 सितम्बर, 2004 तक प्राप्त कोई भी आवेदन पत्र विचार हेतु लम्बित नहीं है। राष्ट्रीय न्यास की सहायता संस्था स्थापना के अंतर्गत आवेदन लम्बित हैं। तथापि इनमें से कोई भी केरल से नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) मंत्रालय डी.डी.आर.एस. के अंतर्गत मानसिक रूप से मंद बच्चों हेतु विशेष स्कूलों को सहायता दे रहा है इसका अंतिम उद्देश्य कौशल अर्जित से लेकर दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यकलापों को इनके जीवन में लाकर सुधार करना है और नियमित शिक्षण संस्थाओं और समाज में सामान्यत: ये समाहित हो।

विवरण-1

राष्ट्रीय मानसिक मंदताग्रस्त बाल पुनर्वास एवं प्रशिक्षण न्यास द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान, स्कूल और छात्रावास

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मान्यताप्राप्त स्कूल/संस्थानों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	54
2.	असम	13
3.	बिहार	21
4.	चंडीगढ़	2
5.	छत्तीसगढ़	6
6.	दमन व दीव	1
7.	दिल्ली	25
8.	गोवा	3
9.	गुजरात	40
10.	हरियाणा	12
11.	हिमाचल प्रदेश	5
12.	झारखंड	6
13.	कर्नाटक	32
14.	केरल	58
15.	मध्य प्रदेश	28
16.	महाराष्ट्र	34
17.	मणिपुर	13
18.	मेघालय	2
19.	मिजोरम	1
20.	नागालैंड	1
21.	उड़ीसा	33
22.	पांडिचेरी	2
23.	पंजाब	12
24.	राजस्थान	24
25.	सिक्किम	1
26.	तमिलनाडु	60
27.	त्रिपुरा	3
28.	उत्तर प्रदेश	46
29.	उत्तरांचल	4
30.	पश्चिम बंगाल	50
	कुल	592

विवरण-2

राज्य	संगठनों की संख्या और दीनदयाल पुनर्वास योजना के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अर्थात् 14.3.2005 तक) के दौरान उनको प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण								संगठनों की संख्या और राष्ट्रीय आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास और उसके राहत संस्थानों की स्कीम स्थापना के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उनको प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण							
	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
	संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए)	संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए)	संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए)	संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए)	संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए)	संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए)	संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए)	संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश	69	566.12	79	970.20	74	780.97	70	704.49	5	40.52	2	17.87	1	7.51	7	29.48
असम	4	18.93	4	17.23	3	13.45	2	1.97	1	6.8	1	9.98	–	–	2	3.62
बिहार	8	92.04	7	86.08	8	58.23	8	60.99	2	26.99	2	22.75	1	7.63	4	13.72
छत्तीसगढ़	2	9.96	2	7.21	2	8.22	2	8.22	–	–	1	14.47	1	6.18	1	0.61
दिल्ली	13	63.86	12	78.19	9	62.09	8	59.28	1	9.28	3	17.38	2	12.26	5	11.15
गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4.71	1	6.34	–	–	2	5.93
गुजरात	4	17.63	5	22.98	4	16.20	3	8.46	5	59.35	1	7.2	–	–	6	26.96
हरियाणा	9	38.16	10	63.59	7	53.37	13	84.98	–	–	3	28.84	1	7.63	1	1.97
हिमाचल प्रदेश	1	0.65	1	2.18	1	2.41	1	3.04	1	11.18	3	24.74	–	–	4	18.64
जम्मू-कश्मीर	1	1.19	1	4.66	1	1.46	1	5.29	–	–	–	–	–	–	–	–
झारखंड	1	4.25	1	7.20	1	0.05	–	0.00	–	–	1	7.85	–	–	1	3.34
कर्नाटक	17	106.16	19	136.68	20	149.27	18	111.86	2	9.93	3	16.31	1	7.03	5	18.29
केरल	55	388.46	59	405.78	62	389.10	63	348.11	5	43.66	1	5.93	–	–	5	23.6
मध्य प्रदेश	6	40.34	10	45.68	11	55.47	13	48.76	–	–	4	32.24	–	–	3	12.77
महाराष्ट्र	11	23.89	5	29.70	4	35.49	4	20.29	2	13.79	3	16.84	–	–	5	15.84
मणिपुर	4	15.32	4	37.48	4	22.76	6	22.29	1	10.56	2	22.78	1	5.01	4	18.53
मेघालय	1	6.52	1	7.75	1	5.56	1	7.14	–	–	–	–	–	–	–	–
मिजोरम	1	18.41	1	17.92	1	12.43	1	13.35	–	–	–	–	–	–	–	–
उड़ीसा	11	85.42	14	101.16	15	139.88	14	75.84	–	–	4	50.90	1	7.51	4	26.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
पंजाब	5	18.42	6	26.77	7	29.18	5	24.70	1	14.23	1	7.63	-	-	2	10.52
पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.47	-	-	1	4.33
राजस्थान	8	38.96	6	43.93	7	38.80	6	35.96	3	29.61	5	27.65	-	-	7	22.05
तमिलनाडु	21	132.39	24	228.25	22	188.41	24	159.55	6	47.50	-	-	-	-	5	18.17
त्रिपुरा	-	0.00	1	0.90	1	4.59	1	4.47	1	11.22	1	8.82	-	-	1	4.03
उत्तर प्रदेश	7	36.51	11	73.86	10	57.02	12	51.76	2	25.63	1	4.6	1	7.03	4	14.04
उत्तरांचल	4	13.15	4	33.26	5	28.78	4	10.86	-	-	1	11.78	-	-	1	5.04
पश्चिम बंगाल	27	135.50	27	253.49	26	215.42	22	159.55	7	77.63	-	-	-	-	5	22.68
कुल	290	1872	314	2702	306	2369	302	2031	46	442.6	45	366.4	10	67.79	85	331.7

निजी संपत्तियों को किराए पर लेना

2226. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी संपत्तियों को किराए पर लेने और इनको खाली करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना ने आवासीय/शासकीय प्रयोजनों हेतु निजी संपत्तियों को किराए पर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर ली गई संपत्तियों को पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद खाली नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन संपत्तियों को कब तक खाली किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) मौजूदा मार्ग-निर्देशों के अनुसार मकान मालिक की मर्जी होने पर रक्षा प्रयोजनों के लिए मकान किराए पर लिए जा सकते हैं। किराए पर लिए जाने की अवधि समाप्त होने पर, सामान्यत: मकान खाली कर दिए जाते हैं। किराए पर लिए जाने की सहमत अवधि के दौरान, सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने पर मकान मालिक के अनुरोध पर मकान खाली किया जा सकता है। मकान मालिक की मर्जी होने पर मकान किराए पर लिए जाने की प्रारंभिक अवधि बीत जाने के पश्चात् एक नई समयावधि के लिए किराए की अवधि का नवीकरण किया जा सकता है। किराए की अवधि का नवीकरण करते समय किराए के पुन: निर्धारण करने का भी प्रावधान है। 9.3.1976 से पहले किराए पर लिए गए भवनों को खाली करने के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी ली जानी है।

(ख) और (ग) जी, हां। तीनों सेनाओं द्वारा कुल 2611 संपत्तियां किराए पर ली गई हैं। इसके अलावा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय, रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली में 242 रिहायशी मकान तथा 2 कार्यालय संपत्तियां किराए पर ली हैं।

(घ) से (च) पट्टे की अवधि समाप्त होने पर सामान्यतया संपत्तियां उनके संबंधित मालिकों को वापस कर दी जाती हैं। दिल्ली में सात संपत्तियों को खाली किए जाने हेतु मंजूरी दी गई है, किंतु उन्हें स्वामित्व संबंधी विवाद, मालिक के उपलब्ध नहीं होने, अथवा अनधिकृत कब्जे में होने के कारण उनके संबंधित मालिकों को नहीं सौंपा जा सका है। प्राधिकृत मालिक उपलब्ध होते ही इन सभी भवनों को उन्हें सौंपा जा सकता है। वायुसेना की एक संपत्ति को खाली करने के लिए मंजूरी दी जानी है।

कंटेनर ट्रैफिक बिजनेस में निजी कंपनियां

2227. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी कंपनियों को कंटेनर ट्रैफिक बिजनेस सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी कम्पनियों को कंटेनर बिजनेस सौंपने पर किन लाभों की परिकल्पना की गई है; और

(घ) इस कारण रेलवे में किसी प्रकार की छंटनी को न होने देने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) कंटेनर गाड़ियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि कंटेनर यातायात के संचलन के लिए भारतीय कंटेनर कार्पोरेशन निगम से इतर कंटेनर संस्थानों पर भी विचार किया जाएगा।

(ग) इससे कंटेनर यातायात में रेलवे के हिस्से में वृद्धि होगी।

(घ) इस कारण रेलवे पर किसी प्रकार की छंटनी करने का विचार नहीं है।

[हिन्दी]

गोरखपुर गोंडा रेल लाइन का आमान-परिवर्तन

2228. श्री पंकज चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर गोंडा रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इस हेतु आबंटित की गई और अब तक उपरोक्त परियोजना पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) अभी तक कोई लक्ष्य तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 386.17 करोड़ रुपए है। मार्च, 2005 तक अनुमानित खर्च 41.99 करोड़ रुपए है। वर्ष 2005-06 के दौरान परियोजना के लिए 10 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अत्याचार को रोकने हेतु कानून

2229. प्रो. नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचार की रोकथाम करने तथा उनकी शिकायत का समाधान करने हेतु एक विशेष कानून अधिनियमित करने का है जैसा कि दिनांक 12 जनवरी, 2005 के "हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है और उक्त कानून को कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार देश में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों की रोकथाम करने और उनकी शिकायतों का शीघ्र समाधान करने हेतु कोई कानून अधिनियमित करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) एक विशेष कानून के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 विद्यमान है तथा इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित नियमों के नियम 7 में यह भी प्रावधान है कि जांच अधिकारी उच्च प्राथमिकता के आधार पर 30 दिनों के भीतर जांच पूरी करेगा।

(ग) और (घ) सांप्रदायिक हिंसा रोकने और अल्पसंख्यकों के मन में विश्वास और सुरक्षा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक माडल विधान तैयार करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

गोदाम सुविधाओं को टुमकुर से क्याथासुन्दरा स्थानांतरित करना

2230. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि टुमकुर रेलवे स्टेशन पर गोदाम में माल की लुलाई करने वाले वाहनों की अत्यधिक भीड़ होती है;

(ख) यदि हां, तो गोदाम सुविधा को टुमकुर से क्याथासुन्दरा स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस समस्या का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) से (घ) क्यातसन्द्र में माल की बुकिंग/सम्भलाई संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

पन्ना/मुक्ता एवं तापी क्षेत्र से तेल और गैस की खोज

2231. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओएनजीसी ने पन्ना/मुक्ता एवं तापी तेल और गैस क्षेत्र से तेल और गैस की खोज करने हेतु निजी/विदेशी तेल कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संयुक्त उद्यम के तौर-तरीके क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना निवेश किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। ओएनजीसी ने 1994 में पन्ना मुक्ता और तापी क्षेत्र से तेल और गैस के अन्वेषण और दोहन के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और बीजी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड (बीजी समूह द्वारा ईओजीआईएल की खरीद के बाद पुन: नामकृत) के साथ संयुक्त उद्यम बनाया था। उक्त कंपनियों का भागीदारी हित ओएनजीसी-40% आरआईएल-30%, बीजीईपीआईएल-30% है। ओएनजीसी, आरआईएल और बीजीईपीआईएल ने इन क्षेत्रों का संयुक्त रूप से प्रचालन करने के लिए एक संयुक्त प्रचालन करार किया है।

(ग) पन्ना क्षेत्र के विकास की विस्तारित योजना पर किया जाने वाला अनुमानित निवेश लगभग 196 मिलियन अमरीकी डालर है और तापी क्षेत्र के विकास की नई संशोधित योजना पर अनुमानित निवेश 498 मिलियन अमरीकी डालर है।

रेलवे की विद्युत संयंत्रों पर बकाया धनराशि

2232. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र से आय की वसूली न हो पाना भारतीय रेल की प्रमुख चिन्ता है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न विद्युत केन्द्रों से कुल कितनी बकाया धनराशि वसूल की जानी है; और

(ग) इन विद्युत केन्द्रों से बकाया धनराशि की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। मालभाड़ा का उपचित होना एवं उसकी वसूली करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) राज्य बिजली बोर्डों से दिसम्बर, 2004 तक 1754.01 करोड़ रु. की कुल राशि वसूल की जानी है।

(ग) सरकार द्वारा इन विद्युत स्टेशनों से बकाया राशियों की वसूली के लिए किए गए/किए जा रहे उपाय:-

(1) बिजली घरों को कोयले की ढुलाई के लिए मालभाड़े का पहले ही भुगतान करने की योजना का अनुसरण करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।

(2) राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत घरों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित तौर पर बैठक करके राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) से बकाया देयराशि की वसूली पर गहन निगरानी रखी जाती है।

(3) समय-समय पर संबंधित मंत्रालयों और मुख्य सचिवों के साथ बैठकें की जाती हैं।

(4) कुछ राज्य बिजली बोर्डों के संबंध में कर्षण बिलों के बदले बकाया देय राशि का समायोजन किया जाता है।

(5) रेल बजट 2005-2006 में, राज्य बिजली बोर्डों सहित सभी प्रमुख ग्राहकों को आगामी वर्षों में इलैक्ट्रानिक पेमेंट गेटवे की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में सीबीआई का छापा

2233. श्री मोहन सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीबीआई ने दिसम्बर, 2004 में पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के निर्माण विभाग में कार्यरत अधिकारियों के आवासों और अन्य परिसरों पर छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके आवासों/परिसरों पर छापा मारा गया है;

(ग) छापेमारी के दौरान उनसे बरामद की गई बिना हिसाब की नकदी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीबीआई के इन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सीबीआई द्वारा आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, लखनऊ ने 10 और 11 दिसम्बर, 2004 को पूर्वोत्तर रेलवे के चार अधिकारियों/प्राधिकारियों के कार्यालय और निवास स्थानों पर छापे मारे थे। संबंधित अधिकारी/प्राधिकारी उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण)/पी एंड डी, कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण), सहायक इंजीनियर/निर्माण/अधिकल्प और कनिष्ठ इंजीनियर, वर्क्स/निर्माण/मुख्यालय थे।

(ग) 10.12.2004 को छापे के दौरान कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण) के सरकारी आवास से 19,51,000/- रु. की नकद राशि पायी गई थी।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, लखनऊ ने इन रेलवे अधिकारियों/प्राधिकारियों के खिलाफ दो अलग-अलग नियमित मामले दर्ज किए हैं। पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन पर अवमानक कार्य करने से संबंधित है जिससे रेलवे को 8.0 लाख रु. की राशि की अनुचित हानि हुई है और सभी चार दोषी अधिकारियों/प्राधिकारियों का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण) द्वारा परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने जो उनके आमदनी के ज्ञात स्त्रोतों से बेमेल है, से संबंधित है। इस समय दोनों मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो, लखनऊ द्वारा जांच की जा रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूरी हो जाने के पश्चात् ही आरोप तय किए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

राज्यों को प्राकृतिक गैस का आवंटन

2234. श्री सनत कुमार मंडल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्राकृतिक गैस का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों को राज्यवार गैस का कितना आवंटन किया गया; और

(ग) देश में प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पिछले तीन वर्ष नामत: 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन क्रमश: 20.71, 31.39 और 31.96 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) था।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(1) वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा मौजूदा प्रमुख क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना, विशेषकर, आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) ने 10,972 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से इस प्रयोजन के लिए 15 क्षेत्र हाथ में लिए हैं जिससे भी इन क्षेत्रों से तेल उत्पादन में तीव्रता लाने में सहायता मिलेगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयास में वृद्धि करना, एनईएलपी के चौथे दौर के अंतर्गत, उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं (पीएससीज) पर 90 ब्लाकों के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। एनईएलपी के पांचवें दौर के, 20 अन्वेषण ब्लाकों हेतु बोलियां आमंत्रित करने के लिए 4 जनवरी, 2005 से खुलने की घोषणा की गई है।

(3) नए क्षेत्रों विशेषकर गहरे जल वाले और दुर्गम सीमावर्ती क्षत्रों में और पहले से उत्पादनशील क्षेत्रों की गहनतर परतों में अन्वेषण करना।

(4) नए खोजे गए क्षेत्रों का तीव्रता से विकास करना और उत्पादनशील क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्क-ओवर, उद्दीपन प्रचालनों, कूपों के वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल में वृद्धि करना।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त पैनल

2235. श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यमान विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण तथा विभिन्न राज्यों में नए विमानपत्तनों के निर्माण में आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त पैनल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पैनल के सदस्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) उक्त पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सरकार ने संयुक्त उद्यम (जे.वी.) रूट द्वारा दिल्ली व मुम्बई के हवाई अड्डों के पुनर्निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री जी को शामिल करते हुए मंत्रियों के एक अधिकार प्राप्त दल का गठन किया है।

(ग) इन दो हवाई अड्डों के पुनर्निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया इस वर्ष 2005 के अन्त के महीनों तक पूरी हो जाने की संभावना है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पाइलट रेलगाड़ियां

2236. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री संतोष गंगवार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पाइलट रेलगाड़ियां शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(ग) अन्य रेलगाड़ियों पर पाइलट रेलगाड़ी का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) पायलट रेलगाड़ियां चलाने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के द्रोणाकल-वारंगल और गुट्टी-अनंतपुर खंडों और पूर्व मध्य रेलवे के मुगलसराय-धनबाद खंड को संवेदनशील खंडों के रूप में पहचान की गई है।

(ग) यात्री गाड़ियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में तेल तथा गैस के भण्डार

2237. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में तेल तथा गैस के अनुमानत: कितने भण्डार हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में प्रमुख खुदाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) कावेरी बेसिन में तेल तथा गैस के सम्भावित भंडार कितने हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य में पेट्रोलियम उत्पादन हेतु राज्य सरकार को कितना रायल्टी का भुगतान किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) 01.04.2004 को तमिलनाडु में अनुमानित स्थानिक कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार क्रमश: 54.69 मिलियन मीटरी टन (मि.मी. टन) तथा 62.89 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) हैं।

(ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) ने गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1.4.2001 से 1.4.2004 तक तमिलनाडु राज्य में 671 अन्वेषी कूप तथा 15 विकास कूप वेधित किए हैं।

(ग) दिनांक 01.04.2004 को कावेरी बेसिन (तटीय तथा अपतटीय दोनों) के स्थानिक तेल और गैस भंडार क्रमशः 65.11 मि.मी. टन तथा 73.60 बीसीएम हैं।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य को प्रदत्त रायल्टी निम्नवत् हैं-

	(रु. करोड़ में)
2001-02	45.30
2002-03	71.00
2003-04	70.64

इसके अलावा, ओएनजीसी के नामांकित क्षेत्रों के लिए नई रायल्टी व्यवस्था के क्रियान्वयन के बाद अप्रैल, 1998 से मार्च, 2002 की अवधि के लिए ओएनजीसी ने 14.56 करोड़ रु. बकाया राशि के रूप में अदा किए हैं।

[हिन्दी]

जमालपुर डीजल शैड का विस्तार

2238. श्री राजाराम पाल:
श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के अधीन जमालपुर डीजल शैड में डी.ई.एम.यू. यात्री रेलगाड़ी का बड़े पैमाने पर अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्य किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस शैड में प्रतिमाह कितनी डी.ई.एम.यू. रेलगाड़ियों की मरम्मत की जाती है;

(ग) जमालपुर डीजल शैड में मरम्मत की गई डी.ई.एम.यू. रेलगाड़ियों को कितने मार्गों पर चलाया जाता है;

(घ) क्या सरकार को पूर्व रेलवे से जमालपुर डीजल शैड के समग्र विस्तार के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। इस समय जमालपुर में 14 ड्राइविंग सवारी डिब्बे और 34 ट्रेलिंग वारी डिब्बों सहित 14 डीजल इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिटों (डीईएमयू) का अनुरक्षण और मरम्मत कार्य किया जा रहा है:

* पूर्व मध्य रेलवे में डीजल इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (डी.ई.एम.यू.) रेको सहित 10 जोड़ी सवारी गाड़ियां चल रही हैं।
* प्रत्येक रेक का निर्धारित अनुसूची के अनुसार, जमालपुर में मासिक अनुरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर उच्चतर अनुसूची के अनुसार भी अनुरक्षण किया जाता है।
* साप्ताहिक अनुरक्षण और ट्रिप अनुरक्षण पूर्व मध्य रेलवे को दे दिया गया है।

(ग) पूर्व मध्य रेलवे के 5 खण्डों अर्थात् पटना-दीघा, बख्तियारपुर-राजगीर, फतुआ-इस्लामपुर, मोकामा-बेगुसराय और पटना-मोकामा-क्यूल में चलने वाले डीजल इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (डी.ई.एम.यू.) गाड़ियों का अनुरक्षण जमालपुर डीजल शेड में किया जाता है।

(घ) और (ङ) डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (डी.ई.एम.यू.) की अनुरक्षण सुविधाओं के लिए अवसंरचना के विकास हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। बहरहाल, उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इसे परिचालनिक दृष्टि से सही नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

बी.एच.ई.एल. के कार्यकरण की पुनरीक्षा

2239. श्री सुबोध मोहिते: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के कार्यकरण विशेषकर निर्यात कार्य की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या 'भेल' ने देश में विद्युत वितरण व्यवसाय में आने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2003-04 के

दौरान भेल ने 232 करोड़ रुपये के निर्यात आदेश प्राप्त किये और 596 करोड़ रुपये का वास्तविक निर्यात कारोबार प्राप्त किया।

(ग) और (घ) जी, हां। भेल पहले से ही विद्युत वितरण व्यवसाय में स्विचगियर, एनर्जी मीटर्स, इंसुलेटर्स, सुपरवाईजरी कंट्रोल एवं डाटा एक्विजिशन (स्काडा) जैसे उपस्करों और सेवाओं की आपूर्ति कर रहा है।

[हिन्दी]

चित्रकूट एक्सप्रेस की गति में वृद्धि

2240. श्री श्यामा चरण गुप्त: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यात्रा समय कम करने के लिए 5009/5010 चित्रकूट एक्सप्रेस की गति सीमा में वृद्धि करने का है;

(ख) क्या इस संबंध में संसद सदस्यों ने कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस रेलगाड़ी को तीव्रगति वाली यात्री रेलगाड़ी घोषित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। इस समय, 5009/5010 चित्रकूट एक्सप्रेस की गति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) जी हां। जन प्रतिनिधियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की गई है लेकिन परिचालनिक तंगियों के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कुर्दुवाड़ी स्थित रेलवे कार्यशाला बंद करना

2241. श्री सुभाष सुरेशचंद देशमुख: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में कुर्दुवाड़ी स्थित रेलवे कार्यशाला को बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय पुस्तकों की पांडुलिपि

2242. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत सी भारतीय पुस्तकों की पांडुलिपियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन पांडुलिपियों को पुन: भारत लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं/उठा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) ऐसे कोई अभिलेख नहीं हैं जिनसे यह पता चल सके कि भारतीय पुस्तकों की पांडुलिपियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं।

भर्ती कार्यालय बंद करना

2243. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के जोधपुर जिले में सेना भर्ती कार्यालय बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब बंद किया गया तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्यालय के कब तक पुन: खुल जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई उड़ानों का रद्द होना

2244. श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ पायलटों की मांग पूरी नहीं होने के कारण इस वर्ष फरवरी माह में पूर्वोत्तर में एलाइंस एयरलाइन की उड़ानें दो दिन तक बंद रही थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कितनी उड़ानें रद्द हुई थी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) एलाइंस एयर के एटीआर-42 विमान के पायलटों ने 14 फरवरी, 2005 की शाम से अस्वस्थता की सूचना एक साथ देनी आरंभ कर दी थी जिससे एटीआर-42 विमान से प्रचालित होने वाली उड़ानें रद्द हुई। तदनुसार कोलकाता में दो बाइंग-737 विमानों को लगाकर अधिकांश सेक्टरों पर प्रचालन किए गए जिनमें से एक विमान को 16 और दूसरे को 18 फरवरी, 2005 से लगाया गया। 19 फरवरी, 2005 से स्थिति सामान्य हो गई।

(ग) 14 फरवरी, 2005 की शाम से 18 फरवरी, 2005 तक एटीआर विमान से इक्तालीस (41) उड़ानों का प्रचालन नहीं हो सका।

लाभ का हिस्सेदारी-सूत्र

2245. डा. करण सिंह यादव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाड़मेर-सांचोर बेसिन में तेल तथा प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन के कब तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है;

(ख) भारत सरकार द्वारा "पेट्रोलियम लाभ" को तेल उत्पादक राज्यों के बीच बांटने का सूत्र क्या है; और

(ग) बाड़मेर-सांचोर बेसिन में तेल तथा गैस का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाने के बाद लाभ का कितना प्रतिशत राजस्थान राज्य को मिलेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) ब्लाक आरजे-ओएन-90/1 से तेल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना, विकास योजना की प्रस्तुति और तत्पश्चात् प्रबंधन समिति द्वारा उसके अनुमोदन तथा उसके बाद ठेकेदार द्वारा कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। प्रचालक ने सूचित किया है कि इस ब्लाक से तेल का वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2007 की तीसरी तिमाही में होने की आशा है।

(ख) और (ग) ब्लाक आरजे-ओएन-90/1 पूर्व एनईएलपी ब्लाक होने के कराण, पेट्रोलियम लाभ में राजस्थान सरकार को हिस्सेदारी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

विकलांग महिलाओं को सुविधाएं

2246. श्री महेश कनोडीया: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग महिलाओं को विशेष सुविधाएं देने के संबंध में कोई मांग उठाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय महिला आयोग ने रोजगार, स्वास्थ्य, समर्थन, प्रशिक्षण, बाधामुक्त सुविधाएं, बीमा आदि संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर एक विस्तृत टिप्पण प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय नि:शक्त व्यक्ति नीति का मसौदा बनाए जाने के अंतिम चरण में है। इस कार्य में विभिन्न संगठनों से प्राप्त सभी इनपुट्स (निवेशों) का उपयोग किया जाएगा।

सिफारिशों का क्रियान्वयन

2247. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लड़ाकू जहाजों की दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए वर्ष 1997 में कोहली समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या विमान सुरक्षा महानिदेशक तथा एयरमार्शल ने दुर्घटनाओं के संबंध में हाल ही में रिपोर्ट सौंपी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन सिफारिशों के कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, वर्ष 1997 में एक लड़ाकू विमान दुर्घटना संबंधी समिति (सी ओ एफ ए ए) गठित की गई थी जिसने संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन, प्रशिक्षण में सुधार, अभिकल्प, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संबंधी कारकों, संक्रियात्मक-कारकों, आदि के संबंध में विभिन्न सिफारिशें की थीं। विमान दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा उड़ान सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से समिति की सिफारिशों का लगातार अनुसरण किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विद्युत की खरीद

2248. डा. चिन्ता मोहन:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल की औसतन वार्षिक विद्युत आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या रेलवे विभिन्न राज्यों के विद्युत बोर्डों से विद्युत की खरीद करता रहा है;

(ग) यदि हां, तो यह किस दर से खरीदी जाती है;

(घ) क्या खरीद दर विद्युत उत्पादन की लागत से अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त दर को कम कराने का मुद्दा विद्युत बोर्डों के साथ उठाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में विद्युत बोर्डों की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलवे ने वर्ष 2003-04 के दौरान कर्षण के लिए लगभग 9500 मिलियन किलोवाट घंटे (के डब्ल्यू एच) की खपत की है।

(ख) जी, हां।

(ग) 4.28 रु. प्रति यूनिट (औसत)।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी हां। राज्य बिजली नियामक आयोगों (एस ई आर सी) की स्थापना के बाद जब भी एस ई आर सी द्वारा दर सूची संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, क्षेत्रीय रेलें एस ई आर सी के समक्ष अभ्यावेदन रखती हैं और कर्षण दर सूची में कमी के लिए अनुरोध करती हैं।

(च) चालू वित्त वर्ष के दौरान आज तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मैसर्ज टाटा के मामले में कर्षण दर-सूची में कमी की गई है।

[अनुवाद]

सुनामी से हुई क्षति

2249. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने हाल ही में आई सुनामी लहरों से तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों को हुई क्षति का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी क्षति हुई है;

(ग) क्षतिग्रस्त स्मारकों का जीर्णोद्धार करने तथा उनकी मरम्मत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां। हाल में सुनामी ज्वारीय लहर के तुरन्त पश्चात् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित स्मारकों का सर्वेक्षण किया है।

(ख) सुनामी से कोई भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक प्रभावित नहीं हुआ। तथापि, लहरों से तटीय मंदिर (शोर टेम्पल) तथा टाइगर गुफाओं की अहाता दीवार तथा चारों ओर की बाड़ क्षतिग्रस्त हो गई है।

(ग) तटीय मंदिर (शोर टेम्पल) की अहाता दीवार तथा टाइगर गुफाओं की बाड़ की तुरन्त मरम्मत कर दी गई है।

(घ) तटीय मंदिर (शोर टेम्पल) की अहाता दीवार की तुरन्त मरम्मत पर अभी तक 25,000/- रुपए व्यय किए गए हैं।

प्रवास के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दर्जा यथावत रहना

2250. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा दूसरे राज्यों में प्रवास के बाद सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए उनका दर्जा यथावत रहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इस संबंध में उल्लंघन का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है/किये जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 341(1) तथा 342(1) के अनुसार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियां राज्य विशिष्ट होती हैं और इस प्रकार प्रवास के बाद उनका अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रवासी राज्य में लागू नहीं होता है। तथापि, सभी अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां, चाहे वे किसी भी मूल राज्य की हों, केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में पात्र होती हैं।

(ग) इस अवधि के दौरान इस संबंध में उल्लंघन का कोई मामला प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कैडर

2251. श्री बी. विनोद कुमार: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई), केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के लिए अलग से कैडर बनाने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए एक अलग संवर्ग बनाने हेतु बीआरपीएसई द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई है।

रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला का विस्तार

2252. श्री गुरजीत सिंह राणा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी कितनी क्षमता का विस्तार किया जाएगा;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना व्यय आएगा; और

(घ) तत्संबंधी कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) रेल सवारी डिब्बा कारखाना की क्षमता में विस्तार करने के कार्य को रेलवे बजट 2005-06 में शामिल किया गया है। विनिर्माण क्षमता प्रतिवर्ष 1000 से 1400 सवारी डिब्बों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ग) कार्य की अनुमानित लागत 35 करोड़ रुपए है।

(घ) विस्तृत योजना तैयार होने और अनुमति लागत की स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

मुम्बई विमानपत्तन में मलिन बस्तियां

2253. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी संख्या में मलिन बस्तियों की उपस्थिति मुम्बई विमानपत्तन आधुनिकीकरण योजना में बाधा बन रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आधुनिकीकरण योजना में तेजी लाने के लिए इन मलिन बस्तियों में रहने वालों को आवास उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे की भूमि पर गंदी बस्तियों के अवस्थित होने के कारण हवाईअड्डे के एयरसाइड के साथ-साथ टर्मिनल तथा सिटी साइड दोनों के विस्तार एवं विकास योजना में बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विडियो प्रोजेक्टरों की खरीद

2254. श्री गुरूदास कामत:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने पोर्टेबल विडियो प्रोजेक्टरों (पीवीपी) के लिए क्रयादेश दिया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा खरीदे गए पोर्टेबल विडियो प्रोजेक्टरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या पी.वी.पी. की खरीद में गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं सरकार के सामने आई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कोई अनियमितताएं सरकार की जानकारी में नहीं आई हैं। तथापि, इस संबंध में वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान हुई अनियमितताएं मंत्रालय की जानकारी में आई थी तथा उनके संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
	आदेशित	अधिप्राप्त	आदेशित	अधिप्राप्त	आदेशित	अधिप्राप्त
दूरदर्शन	शून्य	शून्य	एक	शून्य*	शून्य	शून्य
सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	शून्य	शून्य	एक	एक	एक	एक
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रकाशन विभाग	शून्य	शून्य	एक	एक	शून्य	शून्य
गीत एवं नाटक प्रभाग	एक	एक	एक	एक	शून्य	शून्य
फिल्म समारोह निदेशालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बालचित्र समिति, भारत	शून्य	शून्य	दो	दो	शून्य	शून्य
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	शून्य	शून्य	दस	दस	पन्द्रह	पन्द्रह
फिल्म प्रभाग	एक	एक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	एक	एक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*कोई खरीदारी नहीं की जा सकी क्योंकि फर्म द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर माल की आपूर्ति न कर पाने के कारण आदेश को रद्द कर दिया गया था।

रेलगाड़ियों की समयबद्धता

2255. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी 2004 से अब तक रेलगाड़ियों का समयबद्धता निष्पादन क्या है;

(ख) रेलगाड़ियों के विलम्ब से पहुंचने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलगाड़ियो के विलम्ब से पहुंचने की जिम्मेदारी/जवाबदेही रेलवे के स्टाफ के मत्थे मढ़ दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलगाड़ियों के संचालन में सुधार और समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने हैं तथा इसका क्या परिणाम निकला?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जनवरी, 2004 से फरवरी, 2005 की अवधि के दौरान भारतीय रेल की गाड़ियों का समयपालन निष्पादन बड़ी लाइन पर 90.2% और मीटर लाइन पर 96.8% था।

(ख) आंदोलन/बंद, अलार्म चेन खींचना, शरारती गतिविधियां, खराब मौसम, बाढ़, धुंध, चट्टानों का खिसकना, पशुओं का कट जाना, रेकों का देरी से पहुंचना, इंजीनियरिंग कमियां, मानवीय चूक, ग्रिड खराब हो जाना और परिसंपत्तियों में खराबी आदि गाड़ियों के देरी से चलने के कारण हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। जनवरी, 2004 से फरवरी, 2005 की अवधि के दौरान गाड़ियों की रूकौनी के लिए 4530 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

(ङ) विभिन्न स्तरों यथा डिवीजन, क्षेत्रीय मुख्यालय और रेलवे बोर्ड पर गहन अनुसरण और चौबीसों घंटे मानीटरिंग नियमित रूप से की जा रही है। इसके अतिरिक्त, निरीक्षक और अधिकारी दोनों स्तर पर समयपालन अभियान चलाए जा रहे हैं। इस वजह से विभिन्न गाड़ियों का समयपालन अब संतोषजनक है।

शीशा निर्माण उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदन

2256. श्री मधु गौड यास्खी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के शीशा निर्माण उद्योगों से गैस की आपूर्ति बढ़ाने के वितरण शुल्क में कमी करने तथा गैस की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी हां। गेल ने एचबीजे से आगरा-फिरोजाबाद क्षेत्र में ग्राहकों तथा पाइपलाइन बिछाने के लिए व्यापक निवेश किया है, इसलिए गेल के लिए परिवहन प्रशुल्क में और अधिक कमी करना व्यवहार्य नहीं होगा। रियायती गैस की अतिरिक्त आपूर्ति के बारे में यह कहा जा सकता है कि आगरा-फिरोजाबाद उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति एचबीजे पाइपलाइन के माध्यम से की जाती है, जिस पर लगभग 49 एमएमएससीएमडी के कुल आबंटन के मुकाबला उपलब्धता लगभग केवल 39 एमएमएससीएमडी है। उपलब्धता की कठिनाइयों को देखते हुए अतिरिक्त आपूर्तियों का अनुरोध मानना संभव नहीं होगा। तथापि, ये उपभोक्ता पुन: गैसीकृत एलएनजी की व्यवस्था कर सकते हैं जो बाजार निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध हो सकती है।

[हिन्दी]

रक्षा परियोजनाओं में निवेश

2257. श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा परियोजनाओं पर 10000 करोड़ रुपए का निवेश करने का है जैसाकि दिनांक 8 फरवरी, 2005 के 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पहचान की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को भी आमंत्रित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं में विदेशी निवेशकों के लिए कितने प्रतिशत हिस्से का प्रस्ताव किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सरकार ने हल्के युद्धक विमान, कावेरी गैस टर्बाइन इंजन तथा वायुवाहित पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली जैसी परियोजनाओं के लिए 11,078 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की है।

(ख) इन परियोजना की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:-

हल्का युद्धक विमान:- हल्के युद्धक विमान (तेजस) के तीन आंदरूपों ने सुपरसोनिक उड़ानों सहित 376 परीक्षण उड़ानें पूरी कर ली हैं। चार और आदिरूप 2005 के दौरान परीक्षण उड़ानों में शामिल हो जाएंगे। मार्च, 2007 तक प्रारंभिक प्रचालन संबंधी स्वीकृति प्राप्त कर लिए जाने की योजना है।

कावेरी गैस टर्बाइन इंजन: कावेरी इंजन ने 1300 घंटे के भू तथा उच्च तुंगता परीक्षण पूरे कर लिए हैं। हल्के युद्धक विमान पर पहला कावेरी इंजन मार्च, 2007 तक लगा लिए जाने का कार्यक्रम है।

वायुवाहित पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली-यह प्रणाली 6 अक्तूबर, 2004 में स्वीकृत की गई थी। प्रणाली विनिर्दिष्टियों की तुलना में संक्रियात्मक आवश्यकताएं तैयार कर ली गई हैं। इस परियोजना को लगभग सात वर्ष में पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) सरकार की यह नीति है कि विदेशी निवेशकों के साथ संयुक्त रूप से विकास तथा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। तथापि, इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

बंगलौर और जोलारपेट के बीच रेल लाइनों का दोहरीकरण

2258. श्री एम. शिवन्ना: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगलौर और जोलारपेट के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण में अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(ख) इस कार्य के कब तक संपन्न होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) बिसनट्टम-कुप्पम के बीच दोहरी लाइन 5.11.2004 से चालू कर दी गई है। इससे बेंगलूरू-जोलारपट्टी खंड दोहरी लाइन वाला खंड हो गया है।

तटरक्षक बोर्ड के कर्त्तव्य

2259. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र तृतीय सम्मेलन के प्रावधानों को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कानून के प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय तटरक्षक बोर्ड के कर्त्तव्य क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) समुद्र विधि, 1973 पर संयुक्त राष्ट्र के तीसरे सम्मेलन के परिणामस्वरूप समुद्र विधि 1982 पर संयुक्त राष्ट्र उपसंधि को अपनाया गया। भारत ने इस उपसंधि का समर्थन किया है। समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र उपसंधि के अनुरूप भारत द्वारा पारित विधान में- (1) प्रादेशिक समुद्र, महाद्वीपीय शैल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976; (2) भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981; (3) अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002; (4) तटरक्षक अधिनियम, 1978; और (5) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और उसके संशोधन शामिल हैं।

(ग) भारतीय तटरक्षक बोर्ड के नाम से कोई बोर्ड नहीं है।

हावड़ा रेलवे स्टेशन

2260. श्री सुव्रत बोस: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हावड़ा रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़भाड़ से निपटने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्ययोजना कब तक तैयार और लागू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) इस समय हावड़ा स्टेशन पर 18 प्लेटफार्म हैं। अतिरिक्त भीड़ की निकासी हेतु दो अतिरिक्त प्लेटफार्मों को शुरू करने की संभावना है और अतिरिक्त यात्री यातायात जिसे इस समय हावड़ा स्टेशन द्वारा सम्भाला जाता है उसके लिए चितपुर में अतिरिक्त कोचिंग टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, रेल सुरक्षा बल ने यात्रियों की भीड़ पर निगरानी रखने के लिए क्लोज्ड सर्किट कैमरा मानिटरिंग प्रणाली स्थापित की है जिससे कि सुरक्षा बल द्वारा स्थिति को सामान्य बनाने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके और ऐसे नियमित उपाय किए जाएं जो आवश्यक हों। भीड़ को दैनिक आधार पर संभालना एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

दसवीं योजना के दौरान उपरि पुलों का निर्माण

2261. श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कितने उपरि पुलों का निर्माण किये जाने की योजना है;

(ख) इनमें से कितने उपरि पुलों का निर्माण किया जा चुका है;

(ग) महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में आज तक निर्माणाधीन अथवा सर्वेक्षण अधीन प्रत्येक रेलवे पुल की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रत्येक उपरि पुल पर समय-सूची के अनुसार कार्य किया जा रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्य की योजना वार्षिक आधार पर बनाई जाती हैं न कि पंचवर्षीय योजना के आधार पर। बहरहाल, दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान, स्वीकृत और पूरे किए गए निर्माण कार्य इस प्रकार हैं:-

वर्ष	स्वीकृत	पूरे किए गए
2002-03	47	17
2003-04	53	22
2004-05	23	08 (जनवरी, 05 तक)

इसके अलावा, रेल बजट 2005-06 में 23 निर्माण कार्य शामिल किए गए हैं।

(ग) से (च) व्यस्त समपारों, जहां यातायात घनत्व 1 लाख गाड़ी वाहन इकाई (टी वी यू) से अधिक है, के बदले रेलवे ऊपरी सड़क/निजले सड़क पुलों का निर्माण करती है। महाराष्ट्र राज्य में 19 ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के कार्य लागत में भागीदारी के आधार पर पहले से ही स्वीकृत हैं जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। रेलवे पुल खास (रेलपथ पर) का निर्माण करती है और पहुंच मार्ग का निर्माण राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्ग के कार्य के साथ-साथ रेलवे अपने भाग का कार्य पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। महाराष्ट्र, राज्य में 19 कार्यों की स्थिति दर्शाता हुआ विस्तृत विवरण संलग्न है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरि/नीचले सड़क पुलों की स्थिति

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत किए जाने का वर्ष	स्थिति
1	2	3	4
1.	बदलपुर-समपार सं. 10/बी किमी 66/19.20 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1995-96	रेलवे के हिस्से का कार्य फरवरी 2004 में पूरा कर लिया गया।
2.	कांदिवली-मलाड-समपार सं. 31 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1996-97	कार्य प्रगति पर है। 3 पियर्स और 4 गर्डर पहले से तैयार किए जा चुके हैं। रक्षा भूमि से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इस हिस्से पर कार्य प्रगति पर है।
3.	सांताक्रूज-विले पार्ले -समपार सं. 21 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1996-97	मुंबई नगर निगम ने पहुंच मार्गों के भाग में अतिक्रमण के पुनर्स्थापन से संबंधित मामला अभी निपटाया नहीं है जिसके कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

1	2	3	4
4.	निफाड-समपार सं. 99-बी 218/8-9 किमी के बदले ऊपरी सड़क पुल	1996-97	विस्तृत अनुमान जांचाधीन हैं।
5.	चूनाभट्टी-समपार सं. 1-ए किमी 13/12-13 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1997-98	बृहत मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित किया गया है। सामान्य आरेखण प्रबंधन तैयार नहीं किए जा सके क्योंकि एमसीजीएम द्वारा पहुंच मार्गों के संरेखण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
6.	सिवरी-समपार सं. 7-एचबी-1 7/3-4 किमी के बदले ऊपरी सड़क पुल	1997-98	लोक निर्माण विभाग ने अभी तक पहुंच मार्ग के लिए संरेखण को अंतिम रूप नहीं दिया है। भूमि के हस्तांतरण के मुद्दे को भी अभी तक निपटाया नहीं गया है।
7.	विक्रोली-समपार सं. 14 सी किमी 22/11-12 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1997-98	सामान्य आरेखण प्रबंधन एमसीजीएम से प्राप्त हो चुका है जो कि जांचाधीन है।
8.	विरार-समपार सं. 40 से बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-00	विरार नगर निगम ने पहुंच मार्ग से संबंधित कार्य को शुरू कर दिया है, रेलवे के हिस्से के लिए निविदाएं जारी की जानी हैं और पुन: आमंत्रित की जानी हैं।
9.	हिंगनघाट-समपार सं. 13/ए किमी 790/34-36 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	सामान्य आरेखण प्रबंधन को अभी मुख्य इंजीनियर/लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना है।
10.	रामावाडी-समपार सं. 55-बी किमी 456/0-1 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2001-02	सामान्य आरेखण प्रबंधन अनुमोदित, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) द्वारा ठेका दे दिया गया है। कार्य प्रगति पर है।
11.	कुर्डूवाडी-समपार सं. 38 ए किमी 375/13-14 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2001-02	सामान्य आरेखण प्रबंधन अनुमोदित, निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण के आधार पर कार्य को शुरू किया जा रहा है। प्रारंभिक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लोक निर्माण विभाग, सोलापुर को स्मरण कराया गया है।
12.	जेउर-समपार सं. 33 ए किमी 342/3-4 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2001-02	राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्ग का अनुमान प्रस्तुत कर दिया गया है। विस्तृत अनुमान की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसे लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
13.	नवादा रोड-दिवा-पनवेल खंड पर समपार सं. 12 ए किमी 65/4-5 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2001-02	रेलवे के हिस्से का कार्य मार्च 2004 में पूरा हो गया है। नगर परिषद द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।
14.	पाचोरा-समपार सं. 131/ए किमी 371/23-25 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2002-03	सामान्य आरेखण प्रबंधन अनुमोदित। अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

1	2	3	4
15.	कल्याण-समपार सं. 1/ए किमी 54/18-19 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2003-04	मुंबई मंडल के सामान्य आरेखण प्रबंधन की अग्रिम प्रति 6.11.03 को प्राप्त हो गई है और विधीक्षा की जा रही है।
16.	नगर देवला-समपार सं. 127/ए किमी 353/23-25 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2003-04	सामान्य आरेखण प्रबंधन तैयार किए जा रहे हैं।
17.	कल्याण-समपार सं. 47ए किमी 57/16 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2003-04	सामान्य आरेखण प्रबंधन तैयार किए जा रहे हैं।
18.	जोगेश्वरी साउथ-समपार सं. 2 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2004-05	निर्माण कार्य 2004-05 में नए कार्य को प्रस्तावित किया गया है।
19.	जोगेश्वरी नार्थ-समपार सं. 24 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2004-05	निर्माण कार्य 2004-05 में नए कार्य को प्रस्तावित किया गया है।

[अनुवाद]

अमरीकी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम

2262. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत रक्षा प्रणाली विकास तथा निर्माण में संयुक्त भागीदारी का इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत रक्षा क्षेत्र में अमरीकी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम करने पर भी सहमत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समझौते से भारत को कितना लाभ होगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) सरकार की यह नीति है कि भारतीय रक्षा उद्योग के हित के लिए उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में अधिकाधिक उद्योग-दर-उद्योग सहयोग हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निजी विमान कंपनियों द्वारा पाकिस्तान के लिए उड़ानें भरना

2263. श्री प्रहलाद जोशी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत की निजी विमान कंपनियों को पाकिस्तान के लिए उड़ान भरने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ निजी विमान कंपनियों ने सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) निजी भारतीय नामित वाहकों को खाड़ी के देशों तथा सऊदी अरब को छोड़कर भारतीय पक्ष को उपलब्ध सभी विदेशी रूटों पर प्रचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है। यद्यपि जेट एयरवेज एवं एयर सहारा ने पाकिस्तान के लिए प्रचालन करने में रुचि दिखाई है लेकिन उन्हें अभी तक इस उद्देश्य के लिए नामित नहीं किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ किए गए हमारे मौजूदा हवाई सेवा करार में केवल एक विमान कंपनी

को ही नामित किए जाने का प्रावधान है। फिलहाल इंडियन एयरलाइन्स को पाकिस्तान के लिए प्रचालन करने के लिए नामित किया गया है।

[हिन्दी]

बर्फ के तूफान के कारण सैन्य कर्मियों की मौत

2264. **श्री पारसनाथ यादव:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में कश्मीर में बर्फ के तूफान के कारण मरने वाले सैन्य कर्मियों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को वित्तीय सहायता/मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) फरवरी, 2005 में जम्मू और कश्मीर में हिमस्खलन और बर्फीले तूफान के कारण तीन सेना कार्मिक मारे गए।

(ख) सेवा के दौरान मारे गए सैनिकों के निकटतम संबंधी/परिवारों के लिए एक व्यापक कल्याण पैकेज तैयार कर लागू कर दिया गया है। इस पैकेज में पेंशन लाभ, सेना केंद्रीय कल्याण कोष, आर्मी वाइव्ज वेलफेयर एसोसिएशन और सेना अफसर हितकारी निधि की ओर से अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिया जाना शामिल है। इसके अलावा, सेना सामूहिक बीमा निधि के अंतर्गत बीमा लाभ भी उपलब्ध है। प्रत्येक दिवंगत कार्मिक के निकटतम संबंधी को सेना केंद्रीय कल्याण कोष और आर्मी वाइव्ज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 30,000 रुपये तथा 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी गई है। रेजीमेंटल कोष से भी तत्काल राहत राशि का भुगतान कर दिया गया है।

[अनुवाद]

'डीटीएच' हेतु विनियमन

2265. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में 'डायरेक्ट टू होम' सेवाओं को आरंभ करने/उनके विकास को विनियमित करने के लिए एक विस्तृत कानून लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

समस्तीपुर रेलवे मंडल में बर्दी घोटाला

2266. **श्री राजेन गोहेन:** क्या **रेल मंत्री** समस्तीपुर रेलवे मंडल में बर्दी घोटाला के बारे में दिनांक 16 दिसंबर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2630 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस मामले की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कुछ कर्मचारी जिम्मेदार पाए गए हैं और तदनुसार दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पायलटों को प्रशिक्षण

2267. **श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया में प्रशिक्षित कमान्डरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी पायलट कमान्डर के रूप में एअर इंडिया में कार्यभार संभालेंगे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय पायलटों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, हां। बेसिक विमान का कमांडर बनने में कम से कम 6 से 7 वर्ष और बी-747 जैसे आधुनिक विमान का कमांडर बनने में 10 से 12 वर्ष लगते हैं। चूंकि एअर इंडिया ने अपना बाजार अंश बढ़ाने के लिए अपने नेटवर्क को विस्तृत करने एवं विकास के लिए एक कार्यनीति बनाई है, इसलिए एअर इंडिया ने अब तक 18 विमान ड्राइलीज पर लिए हैं। विमान बेड़े के विस्तार से हुई कमांडरों की कमी को पूरा करने के लिए एअर इंडिया ने 15 विदेशी पायलटों को एक वर्ष की अवधि के लिए ठेके पर नियुक्त किया है जिससे कि एअर इंडिया के विमान बेड़े में विभिन्न प्रकार के विमानों पर उसके पायलटों के प्रशिक्षित होने तक विमान प्रचालन की अंतरिम व्यवस्था की जा सके।

(घ) और (ङ) एअर इंडिया ने अप्रैल, 2002 से लेकर अब तक 135 पायलट भर्ती किए हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घटक योजना

2268. श्री मणि चारेनामै: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी., मुंबई क्षेत्र ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घटक योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के लिए 7.00 लाख रुपये और वर्ष 2004-05 के लिए 7.00 लाख रुपये निर्धारित किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घटक योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई समिति गठित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो समिति ने वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घटक योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या ओएनजीसी, मुंबई क्षेत्र ने घटक योजना की सर्वेक्षण रिपोर्ट को कार्यान्वित किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उपर्युक्त योजना को कार्यान्वित न करने वाले ओएनजीसी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी हां।

(ग) से (च) घटक समिति ने कोई एकमत सिफारिशें नहीं दी हैं। समिति की अंतिम सिफारिशों में एक सदस्य द्वारा अभिव्यक्त आपत्तियां शामिल हैं तथा मदद के लिए भावी प्रापकों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए विभिन्न पूर्ववृत्त शर्तें शामिल हैं। ओएनजीसी ने पहचान प्रक्रिया शुरू की है और समिति द्वारा संस्तुत छः संस्थाओं में से केवल एक ने उत्तर दिया है।

ओएनजीसी ने उल्लेख किया है कि मत में अंतर होने तथा समिति द्वारा दी गई सिफारिशों की सशर्त प्रकृति के कारण से विलंब हुए थे। ओएनजीसी की ओर से कोई विलंब नहीं हुआ था।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों को रेल से जोड़ना

2269. श्रीमती करूणा शुक्ला: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को रेल से जोड़ने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई नई लाइन परियोजनाएं प्रगति पर हैं जो कि पूरी हो जाने पर इन राज्यों को रेल संपर्क मुहैया करवाएंगी। इनमें शामिल हैं:-

(1) हारमुती-ईटानगर (असम और अरूणाचल प्रदेश)

(2) जीरीबम-इम्फाल रोड (तुपुल) (असम और मणिपुर)

(3) कुमारघाट-अगरतला (त्रिपुरा)

(4) दुधनोई-देपा (असम और मेघालय)

(5) न्यू मैनागुड़ी-जोगीघोपा (पश्चिम बंगाल और असम)

इसके अलावा, निम्नलिखित नई रेल लाइनों के लिए सर्वक्षण हाल ही में पूरे हो गए हैं/प्रगति पर हैं:-

(1) दीमापुर से कोहिमा (नागालैण्ड)

(2) भैराबी से साइरंग/आईजोल (मिजोरम)

(3) सिवोक से गाइलकोला (पश्चिम बंगाल)

(4) अजारा से बर्नीहाट (असम और मेघालय)

(5) जोगीघोपा-पंचरत्न से सिलचर (असम और मेघालय,

(6) अगरतला से सबरूम (त्रिपुरा)

[अनुवाद]

बाढ़ को क्षति

2270. **श्री तथागत सत्पथी:**
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में भारी हिमपात के कारण नियंत्रण रेखा पर बाड़ को अत्यधिक क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाड़ के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) जम्मू व कश्मीर में भारी हिमापत होने के कारण नियंत्रण रेखा पर कई स्थानों पर बाड़ बर्फ से ढक गई है। हिमपात के बाद क्षति का आकलन करना एक सतत प्रक्रिया है तथा क्षति की सीमा को देखते हुए मरम्मत की जाती है।

शैक्षिक प्रयोजनों हेतु अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों को वित्तीय सहायता

2271. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर गुजरात में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों को शैक्षिक प्रयोजनों हेतु कोई वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-2005 के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार विशेषकर गुजरात को कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के कितने छात्र लाभान्वित हुए?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) सरकार, निम्नलिखित योजनाओं के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु गुजरात सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रही है:

(1) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना;

(2) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना;

(3) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों, जिनमें अधिकांश: अनुसूचित जाति के छात्र शामिल हैं, को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना; और

(4) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

(ख) से (घ) निधियों का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता है लेकिन इनकी निर्मुक्ति, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अनुमानित व्यय के आधार पर की जाती है। इन स्कीमों के तहत किसी विशेष वर्ष के वास्तविक व्यय को आगामी वित्त वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है। उपरोक्त योजनाओं के तहत 2004-05 के दौरान निर्मुक्त की गई वित्तीय सहायता और शामिल किए जाने वाले छात्रों की राज्यवार अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना-वित्त वर्ष, 2004-05 के दौरान दिनांक 15.3.2005 तक निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और शामिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमानित संख्या

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए)	शामिल किए गए छात्रों की संख्या (अनुमानित)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8034.74	299030
2.	असम	228.28	21600
3.	बिहार	1000.00	94965
4.	छत्तीसगढ़	1567.79	36877
5.	गोवा	1.93	115
6.	गुजरात	412.11	86332
7.	हरियाणा	301.66	22097
8.	हिमाचल प्रदेश	3.55	उपलब्ध नहीं
9.	जम्मू-कश्मीर	28.80	11491
10.	झारखंड	84.31	13705
11.	कर्नाटक	2699.58	165645
12.	केरल	800.97	83633
13.	मध्य प्रदेश	1366.60	91076
14.	महाराष्ट्र	4220.47	317008
15.	मणिपुर	84.13	3018
16.	मेघालय	4.67	1464
17.	उडीसा	शून्य	उपलब्ध नहीं
18.	पंजाब	शून्य	38583
19.	राजस्थान	750.9	95527
20.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं	294
21.	तमिलनाडु	2291.78	275369
22.	त्रिपुरा	195.84	8501
23.	उत्तर प्रदेश	4957.16	512612
24.	उत्तरांचल	302.25	31092
25.	पश्चिम बंगाल	649.74	190922
26.	दमन व दीव	0.89	79
27.	दादरा व नागर हवेली	शून्य	उपलब्ध नहीं
28.	दिल्ली	6.65	उपलब्ध नहीं
29.	पांडिचेरी	43.35	3936
	कुल	30038.15	2404971

अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना -वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान दिनांक 15.3.2005 तक निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता और शामिल किए जाने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए)	शामिल किए गए छात्रों की संख्या (अनुमानित)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	275.34	35676
2.	असम	4.22	3148
3.	बिहार	शून्य	4833
4.	छत्तीसगढ़	8.45	17241
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य
6.	गोवा	0.33	220
7.	गुजरात	103.67	227764
8.	हरियाणा	शून्य	19700
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	उपलब्ध नहीं
10.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	उपलब्ध नहीं
11.	झारखंड	शून्य	988

1	2	3	4
12.	कर्नाटक	शून्य	4711
13.	केरल	शून्य	539
14.	मध्य प्रदेश	126.56	58413
15.	महाराष्ट्र	47.32	69482
16.	उड़ीसा	शून्य	उपलब्ध नहीं
17.	पांडिचेरी	5.00	1780
18.	पंजाब	5.55	8472
19.	राजस्थान	63.88	31652
20.	सिक्किम	शून्य	उपलब्ध नहीं
21.	तमिलनाडु	27.31	44452
22.	त्रिपुरा	5.98	4198
23.	उत्तर प्रदेश	88.32	62853
24.	उत्तरांचल	शून्य	2531
25.	पश्चिम बंगाल	2.05	उपलब्ध नहीं
	कुल	763.98	598653

अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना-वित्त वर्ष, 2004-05 के दौरान दिनांक 15.3.2005 तक निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता और शामिल किए जाने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए)	शामिल किए गए छात्रों की संख्या (अनुमानित)
1.	आंध्र प्रदेश	457.87	16229
2.	गुजरात	335.30	59320
3.	मणिपुर	75.00	2790
4.	तमिलनाडु	242.55	48510
5.	त्रिपुरा	120.67	54889
6.	उत्तर प्रदेश	217.91	850439
7.	उत्तरांचल	1.60	38141
	कुल	1450.90	1070318

अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना-वित्त वर्ष, 2004-05 के दौरान दिनांक 15.3.2005 तक निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता और शामिल किए जाने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए)	शामिल किए गए छात्रों की संख्या (अनुमानित)
1.	आंध्र प्रदेश	299.02	15454
2.	असम	100.02	8580
3.	गोवा	5.96	285
4.	गुजरात	365.25	152000
5.	हिमाचल प्रदेश	16.28	2197
6.	कर्नाटक	248.45	18439
7.	मणिपुर	108.51	8840
8.	महाराष्ट्र	13.76	1
9.	पांडिचेरी	10.00	2137
10.	पंजाब	109.53	8266
11.	सिक्किम	6.55	1028
12.	तमिलनाडु	266.63	25120
13.	त्रिपुरा	94.51	6611
14.	उत्तर प्रदेश	625.89	146787
15.	उत्तरांचल	62.32	7458
	कुल	2332.68	403203

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) की गैस वितरण योजनाएं

2272. श्री सुरेश कलमाडी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गैस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की कितनी गैस वितरण की योजनाओं पर कार्य गेल द्वारा पहले ही आरंभ किया जा चुका है;

(ख) गेल की कितनी गैस वितरण योजनाएं सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) गेल ने हाल ही में दहेज-विजयपुर पाइपलाइन परियोजना चालू की है और दहेज-उरण और विजयपुर-कोटा पाइपलाइन परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए हाथ में ली हैं।

(ख) गेल का बोर्ड गैस पाइपलाइन परियोजनाओं का अनुमोदन करने के लिए सक्षम है और इस उद्देश्य के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

2273. श्री जयप्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान यूआरसी कैंटीन, सेना मुख्यालय में कार्यरत कितने असैनिक कर्मचारियों की कार्य के दौरान मृत्यु हुई;

(ख) क्या कार्य के दौरान मरने वाले इन कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा आधार पर नियुक्त किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर कब तक रोजगार दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) एक।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यूनिटों द्वारा संचालित कैंटीनों के सिविलियन कर्मचारी, जिनको भुगतान गैर-सरकारी निधि से किया जाता है, की सेवा-शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है और अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में सरकारी मार्ग-निर्देश इन पर लागू नहीं होते।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सामुदायिक केन्द्र का निर्माण

2274. श्री एस.के. खारवेलथन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को दक्षिण रेल की पुलियान्थोप हाई रोड, चेन्नई (पार्क टाउन) में खाली भूमि के होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस खाली भूमि पर लंबे समय से सामुदायिक केन्द्र के निर्माण की मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। रेल कर्मियों की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कम वजन वाले रसोई गैस सिलेंडर

2275. श्री हितेन बर्मन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कंपनियों ने रसोई गैस वितरकों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया था कि डिलीवरी मैन अपने साथ स्प्रींग बैलेंस ले जाएं ताकि उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति करते समय उनके वजन की जांच की जा सके;

(ख) क्या इन अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन डिलीवरी मैन को शिकायत पत्रक देने का है और एक पखवाड़े के भीतर ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार कम वजन वाले सिलेंडरों के स्थान पर तत्काल दूसरे सिलेंडर की आपूर्ति करने हेतु देश में रसोई गैस वितरकों को अनुदेश जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) ग्राहक संतोष स्तर में वृद्धि करने के प्रयास में चुनिंदा बाजारों में सार्वजनिक क्षेत्र विपणन कंपनियों द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों को यह परामर्श दिया गया है कि वे स्प्रिंग वाला तराजू प्रदान करें जिससे ग्राहक सिलेंडर में एलपीजी के वजन के ठीक होने का सत्यापन कर सकें। तेल विपणन कंपनियों ने यह योजना देश के मुख्य बाजारों में लागू की है।

(घ) चुनिंदा बाजारों में ग्राहक संबंध केन्द्रों का प्रचालन करने के अलावा डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थलों में एक शिकायत रजिस्टर रखा जाता है जिससे ग्राहक शिकायत दर्ज कर सकें।

(ङ) और (च) डिस्ट्रीब्यूटरों/ग्राहकों के परिसरों पर जिस कम वजन के सिलेंडर का पता लगा लिया जाता है, उन्हें सिलेंडर की सील ठीक होने पर मुफ्त में बदल दिया जाता है।

रेलगाड़ियों में महिलाओं की सुरक्षा

2276. श्री अधीर चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेलगाड़ियों में यौन उत्पीड़न से महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेल मंत्रालय को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या आयोग ने रेलवे बोर्ड से इस मुद्दे पर रिपोर्ट भी मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

1. यद्यपि रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा यह इंगित किया गया था कि चलती गाड़ियों में प्राथमिकी सूचना दर्ज कराने की प्रक्रिया संबंधी तथा इससे संबंधित सूचना के डिस्प्ले के बारे में रेलवे बोर्ड द्वारा अनुदेश पहले से ही जारी कर दिए गए हैं किंतु यह दोहराया गया था कि अभी भी शिकायतें आ रही हैं कि प्राथमिकी सूचना दर्ज कराने संबंधी फार्म उपलब्ध नहीं रहते और यह सुनिश्चित किया जाए कि फार्म सुलभ हों और जनता को अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में पूरी सूचना दी जाए।

2. सभी रेलवे स्टेशनों/सवारी डिब्बों में महत्वपूर्ण स्थानों पर रेलवे बोर्ड को उचित नोटिसें लगानी चाहिए जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि यौन उत्पीड़न, भद्दी टिप्पणियां, घूरना, इशारेबाजी, गाने और अवांछनीय ध्यानाकर्षण आदि सभी एक तरह के यौन उत्पीड़न के उदाहरण हैं और ये रेलवे अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध हैं। साथ में यह भी सुझाव दिया गया कि उपर्युक्त नोटिस के सारांश रेलवे प्लेटफार्मों में क्लोज सर्किट टीवी पर भी दिखाएं जा सकते हैं।

3. रेलवे को सभी रेलवे स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों के भीतर सूचना दर्शानी चाहिए कि महिला यात्रियों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए किससे संपर्क करें।

4. उन गाड़ी मार्गों जहां पर सबसे ज्यादा शिकायतें प्राप्त होती हैं, को उपर्युक्त उल्लिखित उपायों के कार्यान्वयन के बारे में तब्ज्जों देनी चाहिए।

5. विभिन्न गाड़ियों से संबंधित मुक्तलिफ अधिकारियों को महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने का प्रशिक्षण देना चाहिए। रेलवे बोर्ड को महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने संबंधी कार्यक्रम आयोजित करवाने चाहिए जिसमें वे गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) "जागोरी" तथा अन्य महिला संगठन जो इस मामले से वाबस्ता हैं, की मदद लेनी चाहिए और रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अपने पदाधिकारियों के लिए आयोजित किए जाने वाले नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इनको शामिल करना चाहिए।

6. रेल मंत्रालय रेल सुरक्षा तथा राजकीय रेल पुलिस के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय समन्वय समितियां बनानी चाहिए ताकि महिला यात्रियों के लिए संरक्षा हेतु किए गए उपायों के कार्यान्वयन की प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा होती रहे।

(ग) सुझावों को अमली जामा पहनाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है:-

1. क्षेत्रीय रेलों द्वारा अनुदेश दोहरा दिए गए हैं कि सभी चल टिकट परीक्षक, गाड़ी अधीक्षक, ट्रेन गार्ड तथा गाड़ी को मार्ग रक्षण मुहैया करा रहे रेल सुरक्षा बल तथा राजकीय रेल पुलिस कर्मियों के पास प्राथमिकी दर्ज संबंधी फार्म उपलब्ध रहें और वे पीड़ित यात्रियों द्वारा फार्म भरवाएं और उन्हें राजकीय रेल पुलिस स्टेशनों को सौंप दें। जुलाई से दिसंबर, 2004 की अवधि के दौरान ही रेल सुरक्षा बल के पास 533 प्राथमिकी सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें पीड़ित यात्रियों के यौन उत्पीड़न के कुछ मामले भी शामिल थे और उन्हें शीघ्र पंजीकरण तथा तफतीश के लिए संबंधित रेल पुलिस को सौंप दिया गया।

2. सभी मीटर लाइन तथा बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों में एक समान सूचना मुहैया कराने के अनुदेश सभी क्षेत्रीय रेलों को पहले ही जारी कर दिए गए हैं जिसमें महिला छेड़खानी से संबंधित चित्रण तथा चलती गाड़ियों में प्राथमिकी सूचना दर्ज कराने की प्रक्रिया का उल्लेख है।

3. सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणाएं की जाएंगी कि यदि किसी महिला यात्री को किसी प्रकार से तंग किया जा रहा है। तब वह तत्काल सवारी डिब्बा परिचारक/ चल टिकट परीक्षक अथवा कार्यरत रेल सुरक्षा बल/ राजकीय रेल पुलिस कर्मियों की जानकारी में लाए और वे निवारक/कानूनी कार्रवाई के लिए सभी जरूरी सहायता प्रदान करें। स्टेशनों और रेल गाड़ियों पर तैनात रेल कर्मी जिसमें रेसुब भी शामिल हैं, को महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने को कहा गया है तथा विभिन्न रेल संस्थानों पर आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में यात्रियों की प्रत्याशाओं के प्रति भी संवेदनशील रहने को कहा जाता है।

4. महिला सवारी डिब्बों में यात्रा कर रहे पुरुष यात्रियों के खिलाफ नियमित अभियान चलाएं जाते हैं और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 162 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। आजकल ज्यादातर सवारी गाड़ियां रारेपु/रेसुब द्वारा मार्ग रक्षित की जाती है ताकि यात्रा कर रही महिला सवारियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

5. महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता तथा मानव अधिकारों से संबंधित तौर-तरीकों रेसुब के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम भाग बनाए गए हैं। मौजूदा कार्यक्रमों के अलावा, 5 दिन की अवधि का एक कैप्सूल कोर्स भी तैयार किया गया है। इस नए मापदंड पर आधारित प्रशिक्षण को शीघ्र ही रेसुब प्रशिक्षण संस्थानों में शुरू किया जाएगा।

6. रेसुब अधिनियम, 1957 तथा रेल अधिनियम 1989 में संशोधन के परिणामस्वरूप रेसुब कर्मियों को महिला यात्रियों सहित गाड़ियों में यात्रा कर रहे यात्रियों तथा रेल परिसरों की सुरक्षा मुहैया करवाने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेसुब और रारेपु दोनों सामूहिक रूप से यात्रीगणों की संरक्षा एवं सुरक्षा का दायित्व संभाल रही हैं जिसमें महिला यात्री भी शामिल हैं। हालात का जायजा लेने के लिए रेसुब तथा रारेपु के बीच आवधिक रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं। राज्य स्तरीय समन्वय समितियों की सिफारिशों के संबंध में रेल मंत्रालय ने महिला यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित बेहतर सिनर्जी तथा समन्वित कार्रवाई के लिए राज्य तथा रेलवे के बीच औपचारिक रूप से तथा बाद में राज्य सरकारों के गृह मंत्रालय को चिट्ठियां लिखी। रेलों पर सुरक्षा के मसले पर सात्विक दृष्टिकोण अपनाने के लिए राज्यों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

(घ) जी हां।

(ङ) जी नहीं।

(च) की गई कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

[हिन्दी]

हिंदी अनुवादकों का वेतनमान

2277. श्री राकेश सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत हिंदी अनुवादकों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय सचिवालय, राजभाषा संवर्ग के हिंदी अनुवादकों के बराबर वेतनमान दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन अधीनस्थ कार्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां पर इन वेतनमानों को लागू कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) भारत सरकार ने बढ़ाए गए वेतनमान अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी अनुवादकों को प्रदान नहीं किए हैं।

[अनुवाद]

मिश्र में तेल क्षेत्र

2278. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओवीएल ने हाल में मिश्र में तेल क्षेत्र में इक्विटी प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन तेल क्षेत्रों से कितने कच्चे तेल का उत्पादन होने का अनुमान है;

(घ) ओवीएल और टैक्सास इंटरनेशनल के बीच किन निबंधन और शर्तों पर सहमति हुई है; और

(ङ) इस पर ओवीएल द्वारा कितना खर्च किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) और आईपीआर के परिसंघ ने दिनांक 24.02.2005 को मिश्र में अन्वेषण ब्लाक-6 (उत्तरी रमादान) के लिए एक बोली हासिल की है। ब्लाक का यह कार्य, प्रदान करना संविदा को अंतिम रूप देने और मिश्र की सरकार द्वारा इसके अनुसमर्थन पर निर्भर है।

यह ब्लाक अन्वेषण स्तर पर है और इस प्रकार इससे शीघ्रता से उत्पादन किए जाने का अनुमान नहीं है लेकिन पूर्व लक्षण प्रोत्साहित करने वाले हैं।

ब्लाक में ओवीएल और आईपीआर की क्रमश: 70% और 30% हिस्सेदारी है और ये ब्लाक का संयुक्त रूप से विकास करेंगे जबकि आईपीआर अन्वेषण चरण के दौरान अगुआई करेगी।

(ङ) पहले अन्वेषण चरण में ओवीएल के निवेश की हिस्सेदारी लगभग 14 मिलियन अमेरिकी डालर होने का अनुमान है।

वेनेजुएला के साथ पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित समझौता ज्ञापन

2279. श्री के.एस. राव:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में भारत यात्रा पर आए वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा का परिणाम क्या है; और

(ग) क्या पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) वेनेजुएला के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा के दौरान पेट्रोलिमय और प्राकृतिक गैस मंत्री ने उनसे हाईड्रोकार्बन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया जिसमें भारतीय तेल क्षेत्र में वेनेजुएला की कंपनियों की भागीदारी, वेनेजुएला के तेल और गैस क्षेत्रों में भारतीय भागीदारी, प्रौद्योगिकी अंतरण और वेनेजुएला से संभावित कच्चे तेल की खरीद शामिल हैं।

हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में दोनों कंपनियों के सहयोग पर दिनांक 5.3.2005 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस छत्र करार से आपसी हित के सहयोग कार्यों के कार्यान्वयन के लिए सामान्य कार्यढांचा स्थापित करने और साथ ही दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाने, मैत्री संबंधों का समेकन और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में परस्पर हित संबंधी अवसर उपलब्ध करने की परिकल्पना है।

कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड को गैस की आपूर्ति

2280. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड ने केन्द्र सरकार से ताप विद्युत संयंत्रों के लिए और अधिक गैस आवंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड ने गैस के आवंटन हेतु भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के साथ कोई गैस आपूर्ति अनुबंध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या भातरीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड को आपूर्ति की जाने वाली गैस की मात्रा को घटा दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय गुरु ग्रंथ साहिब अनुसंधान संस्थान की स्थापना

2281. **श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:**
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:
डा. रतन सिंह अजनाला:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब पर अनुसंधान कार्य के लिए अमृतसर में राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना हेतु एक परियोजना को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सिखों के धार्मिक संगठन इस परियोजना से जुड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 23.83 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में "राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान" नामक एक स्वायत्त संस्थान की स्थापना के समर्थन को अपना अनुमोदन दे दिया है। इस विश्वविद्यालय ने यह परियोजना को इस विषय से संबंधित प्रख्यात विद्वानों के परामर्श से तैयार किया है। इस प्रस्ताव का विख्यात विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुमोदन कर दिया है।

पेट्रोलियम नियम, 2002

2282. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:
श्री वी.के. ढुम्मर:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पोत भंजन कार्यकलापों को सम्मिलित करने के लिए पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 43 का विस्तार करने हेतु कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी हां। सरकार को गुजरात सरकार से जहाज को तोड़ने वाले कार्यों को सम्मिलित करने के लिए पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 43 में संशोधन करने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिससे विस्फोटक विभाग द्वारा किनारे पर लाए जाने के बाद जहाजों का निरीक्षण किया जा सके। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात के वित्त और विकास निगमों से परियोजनाएं

2283. **श्री रामदास आठवले:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम तथा गुजरात अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त और विकास निगम से कुछ परियोजनाएं प्राप्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निगमों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं और इसके अंतर्गत आवंटित/जारी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है और इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) जी हां, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम को गुजरात स्थित अपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, अर्थात् गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम और गुजरात अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की संख्या (अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए)		
	आवधिक ऋण	माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस	कुल
2001-02	05	02	07
2002-03	10	02	12
2003-04	02	–	02

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं और निर्मुक्त निधियों से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

गुजरात अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम प्रत्येक वर्ष के आरंभ में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम को वार्षिक कार्य योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम प्रस्ताव की जांच करता है और संसाधन उपलब्धता और राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी की क्षमता के आधार पर संबंधित वर्ष हेतु वार्षिक आवंटन पर निर्णय करता है। विगत तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना और गुजरात अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के संबंध में संबंधित वर्षों के दौरान निर्मुक्त निधियां इस प्रकार हैं:

(राशि लाख रुपए)

वर्ष	स्वीकृत निधियां	निर्मुक्त निधियां
2001-02	726	2025*
2002-03	926	700
2003-04	900	600
2004-05	900	–

*भूकम्प पीड़ितों के लिए 1299 लाख रुपए की अतिरिक्त निधियां संवितरित की गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत योजनाओं की संख्या और निर्मुक्त निधियां

वर्ष	कुल संवितरण		
	योजनाओं की संख्या	राशि (लाख रुपए)	
1	2	3	
2001-02	27	आवधिक ऋण	297.42
	02	माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस	355.00
	29	कुल	652.42

1	2	3	
2002-03	42	आवधिक ऋण	455.85
	01	माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस	225.00
	43	कुल	680.85
2003-04	09	आवधिक ऋण	691.23
	01	माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस	404.10
	10	कुल	1095.33

टिप्पणी: संवितरित राशि विशेष वर्ष और विगत वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित है।

[अनुवाद]

पांचवीं भारत-कजाकिस्तान संयुक्त आयोग बैठक

2284. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्री महोदय ने हाल ही में पांचवीं भारत-कजाकिस्तान संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई और भारत द्वारा बैठक में उठाये गए बिन्दुओं में से कितनों पर सहमति हुई तथा तेल क्षेत्र में कजाकिस्तान किस सीमा तक भारत की सहायता के लिए सहमत हुआ है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी हां।

(ख) 17-18 फरवरी, 2005 को आस्ताना, कजाखस्तान में हुई व्यापार-आर्थिक वैज्ञानिक-प्रौद्योगिकी, उद्योग और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-कजाखस्तान अन्तर सरकारी आयोग की पांचवीं बैठक में, दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि की सकारात्मक गतिकी तथा प्रगति के संकेत दिए हैं तथा दोनों पक्ष संबंधों को और मजबूत करने के लिए आवश्यक समर्थन देने पर सहमत हो गए हैं।

तेल और गैस क्षेत्र में, निम्नलिखित बिन्दु उभर कर आए हैं-

1. कजाख पक्ष ने भारतीय तेल और गैस कंपनियों को तटीय ईएण्डपी परियोजनाओं के लिए निविदाओं में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है।
2. ओएनजीसी विदेश लि. तथा काजमुनाईगाज, कजाखस्तान की राष्ट्रीय तेल कंपनी ने कजाखस्तान में संयुक्त अध्ययन अवसरों व उपयुक्त परियोजना का पता लगाने के लिए तथा संयुक्त भागीदारी के लिए कजाखस्तान सरकार के साथ बातचीत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
3. भारत और कजाख पक्ष संयुक्त आयोग के तत्वावधान में हाइड्रोकार्बनों पर संयुक्त कार्य दल के गठन के लिए सहमत हो गए हैं। कार्य दल कजाखस्तान और सीमा पार के अन्य देशों में तेल और गैस निकासी तथा परिवहन सुविधाओं सहित संयुक्त भागीदारी के लिए विभिन्न संकल्पनाओं, गैस प्रक्रम संयंत्रों, पेट्रो रसायन उद्योगों, भूकम्पीय सर्वेक्षणों, अन्वेषी वेधन, क्षेत्रों का विकास, आरएण्डडी तथा प्रशिक्षण जैसे विभिन्न सेवा क्रियाकलापों की जांच करेगा और उन्हें विकसित करेगा।

[हिन्दी]

हथकरघा बुनकरों हेतु आवास

2285. **श्री मुनव्वर हसन:** **क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के हथकरघा बुनकरों हेतु आवासों के निर्माण के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निर्णय से लाभान्वित होने वाले बुनकरों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इस मामले में शहरी आवास विकास निगम से परामर्श किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में निगम ने क्या सुझाव दिए हैं; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

सूडान में रेल लाइनों का निर्माण

2286. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सूडान में रेल लाइनों के निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में दोनों देशों के बीच क्या समझौता हुआ है; और

(ग) सूडान में रेल की पटरियों को बिछाने का कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाएं

2287. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री काशीराम राणा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने रेल परियोजनाओं के संबंध में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने लागत वृद्धि से बचने के लिए इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली सभी सेंट्रल सेक्टर परियोजनाओं पर एक मासिक फ्लैश रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से प्राप्त हुई है। दिसंबर, 2004 महीने को 230वीं फ्लैश रिपोर्ट के अनुसार, उनके मानीटर में 132 रेल परियोजनाएं हैं। इस विवरण में विभिन्न परियोजनाओं की अड़चनों सहित, यदि कोई है, प्रगति दर्शाई जाती है।

(ग) परियोजनाओं की प्रगति एक समयावधि के अंतराल पर संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। चालू परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए गैर बजटीय संसाधनों को सृजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी/निजी भागीदारी, राज्य सरकारों के साथ लागत में भागीदारी, रक्षा मंत्रालय के जरिए वित्त पोषण, राष्ट्रीय रेल विकास योजना के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों को प्राप्त करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं और राष्ट्रीय परियोजनाओं को सामान्य रेलवे की योजना से अतिरिक्त वित्तपोषित किया जाएगा। हाल ही में दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना भी शुरू की गई है। बहरहाल योजना के लिए निधियों की व्यवस्था अभी की जानी है। उपर्युक्त सभी उपायों से चालू परियोजनाएं पांच वर्षों की समयावधि के भीतर पूरी हो जाने की आशा है।

जोगी झोपा-न्यू मोइनागुरी बड़ी लाइन

2288. श्री किरिप चालिहा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जोगी झोपा (असम)-न्यू मोइनागुरी बड़ी लाइन के प्रस्तावित निर्माण की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना का निर्माण कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ है जबकि रेलवे ने इसके लिए धनराशि आबंटित कर दी है;

(ग) यदि हां, इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या असम और प. बंगाल के लोगों ने इस परियोजना के कार्य को शीघ्र पूरा करने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) न्यू मायनागुड़ी से जोगीघोपा तक अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है और आंशिक रूप से विस्तृत अनुमान की स्वीकृति दे दी गई है। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और राज्य सरकारों द्वारा अभी तक पश्चिम बंगाल में 28.93 किमी. और असम में 0.8 किमी. भूमि सौंप दी गई है। न्यू मायनागुड़ी रोड माथाभंगा खंड में मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। बजट 2005-06 में परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

वाराणसी स्थित डीजल रेल इंजन कारखाना

2289. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाराणसी स्थित डीजल रेल इंजन कारखाना लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान लक्षित और वास्तविक आंकड़े क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) डीजल रेल इंजन कारखाना में पिछले 3 वर्षों के दौरान इंजनों के उत्पादन के लक्ष्य और वास्तविक आंकड़े इस प्रकार हैं:

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक
2001-02	90	94
2002-03	100	100
2003-04	109	109

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रक्षा परियोजनाओं में निवेश

2290. श्री सुरेश कुरूप: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने (1) हल्के लड़ाकू विमान (2) कावेरी गैस टरबाइन इंजन और (3) एयरबोर्न अरली वार्निंग सिस्टम परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की है; और

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सरकार ने हल्के युद्धक विमान, कावेरी गैस टर्बाइन इंजन तथा वायुवाहित पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली जैसी परियोजनाओं के लिए 11,078 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

(ख) इन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:

हल्का युद्धक विमान:- हल्के युद्धक विमान (तेजस) के तीन आदिरूपों ने सुपरसोनिक उड़ानों सहित 376 परीक्षण उड़ानें पूरी कर ली हैं। चार और आदिरूप 2005 के दौरान परीक्षण उड़ानों में शामिल हो जाएंगे। मार्च, 2007 तक प्रारंभिक प्रचालन संबंधी स्वीकृति प्राप्त कर लिए जाने की योजना है।

कावेरी गैस टर्बाइन इंजन:- कावेरी इंजन ने 1300 घंटे के भू तथा उच्च तुंगता परीक्षण पूरे कर लिए हैं। हल्के युद्धक विमान पर पहला कावेरी इंजन मार्च, 2007 तक लगा लिए जाने का कार्यक्रम है।

वायुवाहित पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली:-यह प्रणाली 6 अक्तूबर, 2004 में स्वीकृत की गई थी। प्रणाली विनिर्दिष्टियों की तुलना में संक्रियात्मक आवश्यकताएं तैयार कर ली गई हैं। इस परियोजना को लगभग सात वर्ष में पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

श्रीनगर विमानपत्तन पर अन्तर्राष्ट्रीय सुविधाएं

2291. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीनगर विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जरूरत को पूर्ण करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन विदेशी विमानन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें इस विमानपत्तन से आने और जाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) श्रीनगर हवाईअड्डा भारतीय वायुसेना (आईएएफ) की संपत्ति है तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) एक सिविल एन्कलेव का रखरखाव करती है। मौजूदा टर्मिनल पर नियमित अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए सीमित सुविधाएं हैं। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने एक साथ 950 यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग के विस्तार/नवीकरण के साथ-साथ सभी आधुनिक यात्री सुविधाओं जैसे कि एस्केलेटर, एलेवेटर, बैगेज कनवेयर सिस्टम इत्यादि का प्रावधान जैसे विकास कार्य आरंभ कर दिए हैं ताकि नियमित अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन किए जा सकें। बड़े आकार के विमानों को खड़े करने का स्थान देने के लिए विमान पार्किंग क्षमता को विस्तृत करने का काम भी आरंभ हो गया है, जिसके दिसंबर, 2005 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) श्रीनगर हवाईअड्डे से विदेशी वाहकों को प्रचालन की अनुमति नहीं दी गई है।

विद्युत और उर्वरक उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति

2292. श्री जुएल ओराम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पन्ना/मुक्ता तट दूर तथा ताप्ती तेल और गैस क्षेत्रों के संयुक्त मालिकों ने विद्युत और उर्वरक उपभोक्ताओं के लिए गैस आपूर्ति में कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मौजूदा विद्युत और उर्वरक उपभोक्ताओं की गैस की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या ताप्ती गैस क्षेत्र से गैस के आबंटन के लिए अतिरिक्त विकास योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) पन्ना मुक्ता और ताप्ती संयुक्त उद्यम, क्षेत्रों से उत्पादित गैसे की आपूर्ति गेल (इंडिया) लिमिटेड को कर रहे हैं।

तथापि, मूल संशोधन के मुद्दे पर संयुक्त उद्यम और गेल के बीच आए गतिरोध को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 01 अप्रैल, 2005 से संयुक्त उद्यम को गैस के लिए अपनी स्वयं की विपणन व्यवस्था करने की अनुमति प्रदान की है। सरकार ने संयुक्त उद्यम को गैस बिक्री में विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों को वरीयता देने के लिए कहा है।

(घ) और (ङ) संयुक्त उद्यम ने पीएससी के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदन के लिए विकास योजना प्रस्तुत कर दी है। प्रबंधन समिति द्वारा 15 मार्च, 2005 को विकास योजना अनुमोदित की गई है।

रेलगाड़ियों में स्लीपिंग बेड/ऊनी कपड़ों का प्रावधान

2293. श्री राजेश वर्मा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान में गैर-वातानुकूलित/शयनयान श्रेणी के डिब्बों में विशेषत: सर्दी के मौसम के दौरान रेलगाड़ियों में स्लीपिंग बेड्स और ऊनी कपड़े न होने के कारण यात्रियों को अपने सोने के लिए स्लीपिंग बेड/ऊनी कपड़े स्वयं लाने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-वातानुकूलित/शयनयान श्रेणी के डिब्बों के यात्रियों के लिए रेलगाड़ियों में सोने के लिए स्लीपिंग बेड/ऊनी कपड़ों के प्रावधान हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो रेलवे रेल यात्रियों के सामान में कमी किस प्रकार करेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) से (घ) शयनयान श्रेणी में बिस्तरों की व्यवस्था संभार तंत्र संबंधी समस्याओं के कारण व्यावहारिक नहीं है।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आयात

2294. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आयात करने वाली कंपनियों को केवल भारतीय जहाजों (इंडियन फ्लेग्ड वेसल्स) का ही प्रयोग करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय से हजीरा टर्मिनल के संचालन पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने हजीरा टर्मिनल की शीघ्र कमिशनिंग के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) महानिदेशक (नौवहन) के 5 जुलाई, 2004 के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी चार्टर्ड एलएनजी जहाज के लिए लाइसेंस की अनुमति तभी दी जाएगी यदि वह:

(1) कथित एलएनजी जहाज भारतीय ध्वज पोल हो; और

(2) ''भारतीय भागीदार'' का एलएनजी जहाज में पूर्ण स्वामित्व हो या कथित एलएनजी जहाज के कंपनी स्वामित्व में 26% से कम का स्वामित्व न हो। दिशा निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि इस नीति का उद्देश्य सामान्य रूप से भारतीय नौ प्रभार और विशेष रूप से एलएनजी नौ-प्रभार बढ़ाना है।

(ग) से (ङ) हजीरा एलएनजी टर्मिनल के प्रोन्नायक, मैसर्स शैल हजीरा गैस प्रा.लि. ने यह निवेदन किया है कि एलएनजी के आयात के लिए भारतीय ध्वज एलएनजी जहाजों के उपयोग के लिए अपेक्षित अनुबंध से हजीरा एलएनजी टर्मिनल शुरू करने और वाणिज्यिक प्रचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

विज्ञापनों में प्रसार भारती का हिस्सा

2295. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निजी टी.वी. चैनलों की तुलना में विज्ञापनों के माध्यम से प्रसार भारती के कुल राजस्व अर्जन का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या प्रसार भारती का हिस्सा अन्य निजी चैनलों की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विज्ञापनों में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की)/फ्रेम्स की रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2002 से 2004 तक की अवधि के दौरान टेलीविजन पर कुल विज्ञापन व्यय निम्नानुसार हैं:-

कैलेण्डर वर्ष	राशि
2002	3900 करोड़ रुपये
2003	4220 करोड़ रुपये
2004	4676 करोड़ रुपये (प्राक्कलित)

गत तीन वर्षों में दूरदर्शन का वाणिज्यिक राजस्व निम्नानुसार है:-

2001-2002	615.21 करोड़ रुपये
2002-2003	553.81 करोड़ रुपये
2003-2004	530.23 करोड़ रुपये

गत तीन वर्षों के दौरान कुल विज्ञापन व्यय के आंकड़ों की तुलना में दूरदर्शन का हिस्सा 11-16% है।

दूरदर्शन एक लोक सेवा प्रसारक है जो कि विशुद्धत: वाणिज्यिक लाभ से प्रेरित नहीं होता है। तथापि, दूरदर्शन द्वारा अधिक आकर्षक एवं अभिनव कार्यक्रम प्रारूपों के जरिए अपने वाणिज्यिक राजस्व में वृद्धि करने का निरन्तर प्रयास किया जाता है।

नेशनल कमीशन फार डिनोटीफाइड ट्राइब्स, नोमेडिक एण्ड सेमी-नोमेडिक ट्राइब्स का पुनर्गठन

2296. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल कमीशन फार डिनोटीफाइड ट्राइब्स, नोमेडिक एण्ड सेमी-नोमेडिक ट्राइब्स की पुनर्संरचना करने का है जैसा कि दिनांक 5 जनवरी, 2005 को ''जनसत्ता'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विचारार्थ विषय तथा इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) यह आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) सरकार ने अनधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश एवं अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय आयोग को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

1. परिसम्पत्ति सृजन और स्व-रोजगार अवसर प्रदान करके अनधिसूचित, खानाबदोश एवं अर्द्ध-खानाबदोश ''जनजातियों'' का जीवन स्तर सुधारने के लिए आवश्यक आर्थिक उपायों को विनिर्दिष्ट करना;
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास के लिए गठित की गई विद्यमान चैनेलाइजिंग एजेंसियों का उपयोग करने हेतु, इन समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इन समूहों के लिए आर्थिक विकास पैकेज का विस्तार करने के उपाय सुझाना;
3. उनकी शिक्षा, विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कार्यक्रमों की पहचान करना; और
4. उनसे संबंधित या प्रासंगिक कोई अन्य सिफारिश करना, जिन्हें आयोग आवश्यक समझता हो। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सदस्य-सचिव होगा। आयोग, अध्यक्ष की नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[अनुवाद]

मीटर गेज व्हील सेटों का उपयोग

2297. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयातित मीटर गेज व्हील सेटों का सही से उपयोग किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस मामले में सरकार को अनुमानत: कितने राजस्व की हानि हुई;

(घ) क्या रेलवे ने मौजूदा मीटर गेज व्हील सेटों को उन्नत करने का निर्णय लिया था किंतु अपने निर्णय का अनुपालन करने में असमर्थ रहा;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसे व्हील सेटों का उपयोग करने और राजकोष को राजस्व हानि से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) रेल मंत्रालय ने 1992 में मीटर लाइन के 2000 पहिया सेटों, जो 14 टन धुरा भार के लिए उपयुक्त हैं, का आयात किया था कि मीटर लाइन के लिए उन्नत किस्म के मालडिब्बों का विनिर्माण किया जा सके। इन पहिया सेटों को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मौजूदा मी.ला. मालडिब्बा स्टाक पर रिट्रोफिटमेंट के लिए निर्धारित कर दिया गया था। तदनुसार, इस कार्य को 1995-96 के चल स्टाक कार्यक्रम में स्वीकृत किया गया था। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा केवल 60 मालडिब्बों में रिट्रोफिटमेंट के बाद वर्ष 1996 में इस कार्य को स्थगित कर देना पड़ा था क्योंकि लमडिंग-सिलचर खण्ड का भी बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने का प्रस्ताव कर दिया गया था। इसमें मी.ला. मालडिब्बों के उपयोग होने की गुंजाइश कम हो गई। इस प्रक्रिया में आयात किए गए 240 पहिया सेटों का उपयोग हो पाया तथा शेष 1760 पहिया सेट अभी भी पूर्वोत्तर सीमा में उपलब्ध हैं।

(ग) शून्य।

(घ) जी हां। शुरू की गई नई एक आमान नीति के मद्देनजर।

(ङ) 500 मी.ला. मालडिब्बों के लिए मौजूदा मीटर लाइन पहिया सेटों के उन्नयन के लिए वर्ष 1995-96 में मीटर लाइन के 500 माल डिब्बों के लिए स्वीकृति दे दी गई थी। 60 मालडिब्बों के रिट्रोफिटिंग के बाद इस कार्य को स्थगित कर देना पड़ा था जैसा कि उपर्युक्त पैरा (ख) में उल्लेख किया गया है।

(च) कम संख्या में मालडिब्बों की रिट्रोफिटमेंट के बाद लमडिंग-बदरपुर-सिलचर खंड का ब.ला. में आमान परिवर्तन के प्रस्ताव के कारण जब कार्य को बंद कर दिया गया था तब उन पहिया सेटों की भारत से बाहर उन देशों में जहां मी.ला. रेल प्रणाली मौजूद है की पुन: बिक्री करने के लिए भारतीय रेल को सहायता के लिए मैसर्स राइट्स और मैसर्स इरकान से संपर्क स्थापित किया गया था। अभी तक इन्हें उन विदेशी रेलवे प्रणालियों, जहां इन पहिया सेटों का उपयोग किया जा सकता है, की पहचान करने में सफलता नहीं मिली है।

इसके समानांतर पहल के रूप में, अ.अ.मा.सं. के परामर्श से यह विनिश्चय किया गया कि इन मी.ला. माल डिब्बा पहिया सेटों का उपयोग कोचिंग पहिया सेट को तैयार करने में किया जाए। इस उद्देश्य के लिए पूसी रेलवे में कार्य को पहले ही शुरू कर दिया गया है। यह आशा की जा रही है कि प्रथम चार कोचिंग पहिया सेट शीघ्र तैयार कर लिए जाएंगे।

रेलवे स्टेशनों का उन्नयन

2298. **श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री हितेन बर्मन:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ रेलवे स्टेशनों को माडल स्टेशनों के रूप में परिष्कृत/उन्नयित किया है;

(ख) यदि हां, तो देश के उन रेलवे स्टेशनों के राज्य-वार नाम क्या हैं जिन्हें अब तक माडल स्टेशन के रूप में उन्नत किया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास रेलवे स्टेशनों को माडल स्टेशन के रूप में उन्नत करने संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) वर्तमान में 319 स्टेशनों को माडल स्टेशनों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से निम्नलिखित 61 स्टेशनों को माडल स्टेशनों के रूप में विकसित किया गया है। माडल स्टेशनों का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, विकसित माडल स्टेशनों की रेलवे-वार सूची इस प्रकार है:

'माडल स्टेशनों' के रूप में विकसित स्टेशनों की 'रेलवे-वार सूची'

रेलवे	स्टेशनों का नाम
मध्य	मुंबई छ.शि.ट., लोकमान्य तिलक टर्मिनल (कुर्ला), कल्याण, भुसावल, नागपुर, पुणे, चंद्रपुर, वर्धा
पूर्व	कोई नहीं
उत्तर	दिल्ली, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, लुधियाना, जम्मू तवी, हरिद्वार और लखनऊ
पूर्वोत्तर	गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ, छपरा, मंडुवाडीह, इज्जतनगर, काठगोदाम और बस्ती
पूर्वोत्तर सीमा	कोई नहीं
दक्षिण	चेन्नै सेंट्रल, कोयम्बटूर, इरोड जं., सलेम, पालघाट, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, मदुरै और त्रिरूचिरापल्ली
दक्षिम मध्य	विजयवाड़ा, गंटूर, नांदेड़
दक्षिण पूर्व	आद्रा, तमलुक
पश्चिम	ओखा, निमबहेरा, धरनगांव, बमनिया
पूर्व मध्य	कोई नहीं
पूर्व तट	भुवनेश्वर, संबलपुर, विशाखापत्तनम
उत्तर मध्य	कोई नहीं
उत्तर पश्चिम	अजमेर, आबु रोड, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, हिसार, रेवाड़ी, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़
दक्षिण पूर्व मध्य	कोई नहीं
दक्षिण पश्चिम	बंगलूरू कैंट
पश्चिम मध्य	हबीबगंज, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, सतना, कोटा

शेष स्टेशन जिन्हें माडल स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है, पर निर्माण प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

2299. **श्री राजनरायन बुधौलिया:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में तेल कंपनियों तथा रेलवे के बीच कोई समझौता हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं से तेल कंपनियों को क्या लाभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ङ) मै. इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने भारतीय रेल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि में जटरोफा के पौधा रोपण के लिए भारतीय रेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तद्नुसार भारतीय रेल ने गुजरात के सुरेन्द्र नगर जिले में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड को 70 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई है। इस भूमि में से, इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने 48 हेक्टेयर क्षेत्र का उपयोग किया है और 1,10,000 पौधों का रोपण किया है। इस प्रायोगिक परियोजना का उद्देश्य पौधों के विकास, बीजों, तेल बीजों की प्राप्ति, बीजों से तेल प्राप्ति आदि पर आधारभूत वैज्ञानिक आंकड़े सृजित करना है।

[हिन्दी]

कोचिंग टर्मिनल का निर्माण

2300. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्रीमती करूणा शुक्ला:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ में कोरबा में कोचिंग टर्मिनल के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का अन्य राज्यों में भी कोचिंग टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) यात्री गाड़ियों की आवश्यकता के आधार पर कोचिंग टर्मिनलों का प्रस्ताव किया जाता है। कुछ स्थान जहां पर कोचिंग टर्मिनल प्रगति पर है, इस प्रकार हैं:-

कोचिंग टर्मिनल का नाम	राज्य
1. चित्तपुर यार्ड-अतिरिक्त टर्मिनल	प. बंगाल
2. आनन्द विहार टर्मिनल	दिल्ली
3. गोमती नगर-न्यू टर्मिनल स्टेशन	उत्तर प्रदेश
4. कोचुवेली-त्रिवेन्द्रम का दूसरा कोचिंग टर्मिनल	केरल

इनके अतिरिक्त, विभिन्न टर्मिनलों पर कोचिंग सुविधाओं का संवर्धन समय-समय पर यातायात की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

भूस्वामियों को मुआवजा

2301. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र विमानपत्तन विकास कंपनी (एम.ए.डी.सी.) को नागपुर में मल्टी माडल इंटरनेशनल पैसेंजर एंड कार्गो हब प्रोजेक्ट के विकास हेतु शीर्ष एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम.ए.डी.सी. को परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहीत करने और भूस्वामियों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए अधिकृत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर के मौजूदा हवाईअड्डे के साथ एकीकृत रूप से प्रस्तावित मल्टी-माडल इंटरनेशनल पैसेंजर एण्ड कार्गो हब एयरपोर्ट परियोजना पर फोकस किए जाने एवं इसके तेजी से कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र हवाईअड्डा विकास कम्पनी के नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हिकल बनाया है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने 272 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है तथा इसके लिए भू-स्वामियों को 4.05 करोड़ रु. की राशि मुआवजे के तौर पर दी गई है।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधाएं

2302. श्री सुरेश चन्देल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु चयनित स्थानों पर कुछ क्लिनिक स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) क्या इन क्लिनिकों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी हां।

(ख) पहले ही स्थापित 152 पालीक्लिनिकों तथा स्थापित की जाने वाली 75 पालीक्लिनिकं की राज्यवार सूची, क्रमश: विवरण-1 और 2 में संलग्न है।

(ग) 118 करोड़ रुपए की कुल पूंजीगत व्यय तथा 150 करोड़ रुपए की राजस्व व्यय में से 31 मार्च, 2005 तक निम्नलिखित व्यय होने की संभावना है।

(1) पूंजीगत - 17.98 करोड़ रुपए

(2) राजस्व - 93.42 करोड़ रुपए

(घ) और (ङ) पालीक्लिनिकों को यथाप्राधिकृत सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तथापि कुछ चुनिन्दा स्थानों, चिकित्सा स्टाफ और चिकित्सा उपकरणों की कमी है। निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुसार चिकित्सा स्टाफ की अनुपलब्धता और चिकित्सा उपकरणों की मांग-आदेश भेजने में हुये विलम्ब इस कमी के कारण हैं।

विवरण I

कार्य कर रहे भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के 152 पालीक्लिनिक

क्र.सं.	क्षेत्रीय केंद्र	राज्य	पालीक्लिनिक	कमान	प्रकार	मिल./गैर मिल.
1	2	3	4	5	6	7
1.	चंडीमंदिर	हरियाणा	चंडीमंदिर (पंचकुला)	प. कमान	सी	गैर मिल.
2.	चंडीमंदिर	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	प. कमान	बी	गैर मिल.
3.	चंडीमंदिर	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	प. कमान	सी	गैर मिल.
4.	चंडीमंदिर	हिमाचल प्रदेश	ऊना	प. कमान	सी	गैर मिल.

1	2	3	4	5	6	7
5.	चंडीमंदिर	हिमाचल प्रदेश	शिमला	प. कमान	डी	मिल.
6.	चंडीमंदिर	पंजाब	होशियारपुर	प. कमान	ए	गैर मिल.
7.	चंडीमंदिर	पंजाब	गुरदासपुर (पठानकोट)	प. कमान	ए	मिल.
8.	चंडीमंदिर	पंजाब	जालन्धर	प. कमान	ए	मिल.
9.	चंडीमंदिर	पंजाब	लुधियाना	प. कमान	ए	मिल.
10.	चंडीमंदिर	पंजाब	रोपड़	प. कमान	बी	गैर मिल.
11.	चंडीमंदिर	पंजाब	मुक्तसर	प. कमान	सी	गैर मिल.
12.	चंडीमंदिर	पंजाब	भटिंडा	प. कमान	सी	मिल.
13.	चंडीमंदिर	राजस्थान	बीकानेर	प. कमान	डी	मिल.
14.	चंडीमंदिर	चंडीगढ़	चंडीगढ़	प. कमान	सी	मिल.
15.	चंडीमंदिर	हिमाचल प्रदेश	सोलन	प. कमान	डी	मिल.
16.	चंडीमंदिर	पंजाब	अमृतसर	प. कमान	ए	मिल.
17.	चंडीमंदिर	पंजाब	संगरूर	प. कमान	बी	मिल.
18.	चंडीमंदिर	पंजाब	फतेहगढ़ साहिब	प. कमान	सी	गैर मिल.
19.	चंडीमंदिर	पंजाब	फरीदकोट	प. कमान	सी	मिल.
20.	चंडीमंदिर	पंजाब	फिरोजपुर	प. कमान	सी	मिल.
21.	चंडीमंदिर	पंजाब	कपूरथला	प. कमान	सी	मिल.
22.	चंडीमंदिर	पंजाब	पटियाला	प. कमान	सी	मिल.
23.	चंडीमंदिर	पंजाब	मौंगा	प. कमान	सी	मिल.
24.	चंडीमंदिर	राजस्थान	श्रीगंगानगर	प. कमान	डी	मिल.
25.	चेन्नई	तमिलनाडु	वेल्लोर	द. कमान	ए	गैर मिल.
26.	चेन्नई	तमिलनाडु	चेन्नई	द. कमान	बी	मिल.
27.	चेन्नई	तमिलनाडु	तिरूनावेली	द. कमान	सी	गैर मिल.
28.	चेन्नई	तमिलनाडु	कोइम्बतूर	वायु	सी	मिल.
29.	चेन्नई	अंडमान व निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	नौसेना	डी	मिल.
30.	चेन्नई	तमिलनाडु	वेलिंग्टन	द. कमान	डी	मिल.

1	2	3	4	5	6	7
31.	गुवाहाटी	असम	कामरूप (गुवाहाटी)	पू. कमान	डी	गैर मिल.
32.	गुवाहाटी	असम	जोरहाट	वायु	डी	मिल.
33.	गुवाहाटी	मेघालय	शिलांग	पू. कमान	डी	मिल.
34.	गुवाहाटी	नागालैंड	जखामा (कोहिमा)	पू. कमान	डी	मिल.
35.	गुवाहाटी	असम	मासिमपुर (सिल्चर)	पू. कमान	डी	मिल.
36.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	गुंतूर	द. कमान	सी	गैर मिल.
37.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	द. कमान	सी	मिल.
38.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	नौसेना	सी	मिल.
39.	हैदराबाद	कर्नाटक	बेंगलोर (शहरी)	वायु	ए	मिल.
40.	हैदराबाद	कर्नाटक	बेलगाम	द. कमान	बी	मिल.
41.	हैदराबाद	कर्नाटक	कोडागु (मादीकेरी)	द. कमान	सी	गैर मिल.
42.	हैदराबाद	कर्नाटक	मेंगलोर	द. कमान	डी	गैर मिल.
43.	हैदराबाद	कर्नाटक	बेंगलोर (येल्लहंका)	वायु	डी	मिल.
44.	हैदराबाद	कर्नाटक	कारवार	नौसेना	डी	मिल.
45.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	इन्दौर (मठ)	म. कमान	डी	मिल.
46.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	जबलपुर	म. कमान	डी	मिल.
47.	जबलपुर	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	म. कमान	बी	गैर मिल.
48.	जबलपुर	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	वायु	डी	मिल.
49.	जबलपुर	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	म. कमान	डी	मिल.
50.	जबलपुर	उत्तर प्रदेश	पथेहपुर	म. कमान	डी	गैर मिल.
51.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	रेवा	म. कमान	डी	गैर मिल.
52.	जबलपुर	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	म. कमान	डी	मिल.
53.	जबलपुर	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	म. कमान	डी	मिल.
54.	जयपुर	राजस्थान	झुनझुनु	द. कमान	ए	गैर मिल.
55.	जयपुर	राजस्थान	जोधपुर	द. कमान	बी	मिल.

1	2	3	4	5	6	7
56.	जयपुर	राजस्थान	जयपुर	द. कमान	सी	मिल.
57.	जयपुर	राजस्थान	कोटा	द. कमान	डी	मिल.
58.	जयपुर	राजस्थान	बाड़मेर (जलिपा)	द. कमान	डी	मिल.
59.	जयपुर	राजस्थान	नागौर	द. कमान	बी	गैर मिल.
60.	जयपुर	राजस्थान	अजमेर	द. कमान	डी	मिल.
61.	जयपुर	राजस्थान	अलवर	द. कमान	बी	मिल.
62.	जयपुर	राजस्थान	भरतपुर	द. कमान	सी	मिल.
63.	जयपुर	राजस्थान	उदयपुर	द. कमान	डी	मिल.
64.	जयपुर	राजस्थान	जैसलमेर	द. कमान	डी	मिल.
65.	जम्मू	हिमाचल प्रदेश	मंडी	उ. कमान	सी	गैर मिल.
66.	जम्मू	हिमाचल प्रदेश	योल (धर्मशाला)	उ. कमान	ए	मिल.
67.	जम्मू	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	उ. कमान	डी	गैर मिल.
68.	जम्मू	जम्मू व कश्मीर	जम्मू	उ. कमान	ए	मिल.
69.	जम्मू	जम्मू व कश्मीर	उधमपुर	उ. कमान	सी	मिल.
70.	जम्मू	जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर	उ. कमान	डी	मिल.
71.	जम्मू	जम्मू व कश्मीर	राजौरी	उ. कमान	डी	मिल.
72.	जम्मू	जम्मू व कश्मीर	जंगलोत (कठुआ)	उ. कमान	सी	मिल.
73.	जम्मू	जम्मू व कश्मीर	सांबा	उ. कमान	सी	मिल.
74.	जम्मू	जम्मू व कश्मीर	डोडा	उ. कमान	डी	मिल.
75.	जम्मू	जम्मू व कश्मीर	पुंछ	उ. कमान	डी	मिल.
76.	जम्मू	जम्मू व कश्मीर	बारामुला	उ. कमान	डी	मिल.
77.	जम्मू	जम्मू व कश्मीर	लेह	उ. कमान	डी	मिल.
78.	कोची	केरल	तिरूवनंतपुरम	द. कमान	ए	मिल.
79.	कोची	केरल	कन्नौर	द. कमान	बी	गैर मिल.
80.	कोची	केरल	पालक्काड़	द. कमान	बी	गैर मिल.
81.	कोची	केरल	कोची	नौसेना	बी	मिल.
82.	कोची	केरल	पत्तनमथिट्टा	द. कमान	बी	गैर मिल.

1	2	3	4	5	6	7
83.	कोची	केरल	कोजीकोड	द. कमान	सी	गैर मिल.
84.	कोलकाता	मणिपुर	इंफाल	पू. कमान	डी	मिल.
85.	कोलकाता	मिजोरम	आइजवल	पू. कमान	डी	मिल.
86.	कोलकाता	सिक्किम	गंगटोक	पू. कमान	डी	मिल.
87.	कोलकाता	त्रिपुरा	अगरतला	पू. कमान	डी	मिल.
88.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	कृष्णनगर	पू. कमान	सी	गैर मिल.
89.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	दार्जलिंग	पू. कमान	सी	मिल.
90.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	पू. कमान	डी	मिल.
91.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	पू. कमान	डी	गैर मिल.
92.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	बेंगडबी (जलपाइगुडी)	पू. कमान	डी	मिल.
93.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	मेरठ	म. कमान	बी	मिल.
94.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	आगरा	म. कमान	सी	मिल.
95.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	बरेली	म. कमान	सी	मिल.
96.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	म. कमान	सी	मिल.
97.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	म. कमान	डी	गैर मिल.
98.	नई दिल्ली	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद (हिंडन)	वायु	डी	मिल.
99.	लखनऊ	उत्तरांचल	देहरादून	म. कमान	ए	मिल.
100.	लखनऊ	उत्तरांचल	चमोली	म. कमान	बी	गैर मिल.
101.	लखनऊ	उत्तरांचल	लेंसडाउन	म. कमान	बी	मिल.
102.	लखनऊ	उत्तरांचल	पौढ़ी गढ़वाल	म. कमान	सी	गैर मिल.
103.	लखनऊ	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	म. कमान	ए	मिल.
104.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	फतेहगढ़	म. कमान	सी	मिल.
105.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	कानपुर	वायु	सी	मिल.
106.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	मथुरा	म. कमान	डी	मिल.
107.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	वायु	डी	मिल.
108.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर	म. कमान	डी	मिल.

1	2	3	4	5	6	7
109.	नई दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली	प. कमान	ए	मिल.
110.	नई दिल्ली	हरियाणा	भिवानी	प. कमान	ए	गैर मिल.
111.	नई दिल्ली	हरियाणा	झज्जर	प. कमान	बी	गैर मिल.
112.	नई दिल्ली	हरियाणा	रेवाडी	प. कमान	बी	गैर मिल.
113.	नई दिल्ली	हरियाणा	रोहतक	प. कमान	बी	गैर मिल.
114.	नई दिल्ली	हरियाणा	गुड़गांव	प. कमान	ए	गैर मिल.
115.	नई दिल्ली	हरियाणा	ि्सार	प. कमान	बी	मिल.
116.	नई दिल्ली	हरियाणा	फरीदाबाद	वायु	सी	गैर मिल.
117.	नई दिल्ली	हरियाणा	करनाल	प. कमान	सी	गैर मिल.
118.	नई दिल्ली	हरियाणा	अम्बाला	प. कमान	सी	मिल.
119.	नई दिल्ली	उत्तर प्रदेश	नोएडा	प. कमान	ए	गैर मिल.
120.	नई दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली (लोधी)	प. कमान	ए	गैर मिल.
121.	नई दिल्ली	हरियाणा	जींद	प. कमान	सी	गैर मिल.
122.	नई दिल्ली	हरियाणा	सिरसा	वायु	डी	मिल.
123.	पटना	बिहार	भोजपुर (आरा)	म. कमान	बी	गैर मिल.
124.	पटना	बिहार	मुजफ्फरपुर	म. कमान	सी	गैर मिल.
125.	पटना	बिहार	दानापुर (पटना)	म. कमान	सी	मिल.
126.	पटना	बिहार	गया	म. कमान	डी	मिल.
127.	पटना	झारखंड	रांची	म. कमान	सी	मिल.
128.	पटना	उड़ीसा	गंजम (ब्रह्मपुर)	नौसेना	डी	गैर मिल.
129.	पटना	बिहार	छपरा	म. कमान	सी	गैर मिल.
130.	पटना	उड़ीसा	कटक/भुवनेश्वर	नौसेना	सी	मिल.
131.	पटना	उड़ीसा	बालासोर	नौसेना	डी	मिल.
132.	पुणे	गुजरात	अहमदाबाद	द. कमान	सी	मिल.
133.	पुणे	महाराष्ट्र	सतारा	द. कमान	सी	गैर मिल.
134.	पुणे	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	द. कमान	बी	गैर मिल.
135.	पुणे	महाराष्ट्र	मुम्बई	नौसेना	बी	मिल.

1	2	3	4	5	6	7
136.	पुणे	महाराष्ट्र	पुणे	द. कमान	बी	मिल.
137.	पुणे	महाराष्ट्र	नागपुर	वायु	सी	मिल.
138.	पुणे	महाराष्ट्र	अकोला	द. कमान	डी	गैर मिल.
139.	पुणे	महाराष्ट्र	नासिक (देवलाली)	द. कमान	डी	गैर मिल.
140.	पुणे	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	द. कमान	डी	मिल.
141.	पुणे	मध्य प्रदेश	भिंड	द. कमान	डी	गैर मिल.
142.	पुणे	मध्य प्रदेश	भोपाल	द. कमान	डी	मिल.
143.	पुणे	गुजरात	वडोदरा	द. कमान	डी	मिल.
144.	पुणे	गुजरात	जामनगर	द. कमान	डी	मिल.
145.	पुणे	महाराष्ट्र	शोलापुर	द. कमान	सी	गैर मिल.
146.	पुणे	महाराष्ट्र	अहमदनगर	द. कमान	सी	मिल.
147.	पुणे	महाराष्ट्र	मुम्बई (उपनगर) पोवाई	नौसेना	डी	मिल.
148.	पुणे	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	द. कमान	डी	मिल.
149.	पुणे	मध्य प्रदेश	सागर	द. कमान	डी	मिल.
150.	पुणे	उत्तर प्रदेश	झांसी	द. कमान	डी	मिल.
151.	पुणे	महाराष्ट्र	बुलडाना	द. कमान	डी	गैर मिल.
152.	पुणे	गोवा	पणजी	द. कमान	डी	मिल.

विवरण II

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के 75 पालीक्लिनिक-जो स्थापित किए जाने हैं

क्र.सं.	क्षेत्रीय केन्द्र	राज्य	पालीक्लिनिक	कमान	प्रकार	मिल./गैर मिल.
1	2	3	4	5	6	7
1.	चंडीमंदिर	पंजाब	मनसा	प. कमान	डी	गैर मिल.
2.	चेन्नई	तमिलनाडु	थिरूवनमलाई	द. कमान	सी	गैर मिल.
3.	चेन्नई	तमिलनाडु	त्रिवल्लूर	द. कमान	सी	गैर मिल.
4.	चेन्नई	तमिलनाडु	विरुद्धनगर	द. कमान	सी	गैर मिल.

1	2	3	4	5	6	7
5.	चेन्नई	तमिलनाडु	डिंडीगुल	द. कमान	डी	मिल.
6.	चेन्नई	तमिलनाडु	मदुरै	द. कमान	सी	गैर मिल.
7.	चेन्नई	तमिलनाडु	धरमपुरी	द. कमान	सी	गैर मिल.
8.	चेन्नई	तमिलनाडु	कांचीपुरम	द. कमान	सी	गैर मिल.
9.	चेन्नई	तमिलनाडु	सलेम	द. कमान	सी	गैर मिल.
10.	चेन्नई	तमिलनाडु	तिरूची	द. कमान	सी	गैर मिल.
11.	चेन्नई	तमिलनाडु	कुड्डालोर	द. कमान	डी	गैर मिल.
12.	चेन्नई	तमिलनाडु	कन्याकुमारी	द. कमान	डी	गैर मिल.
13.	चेन्नई	तमिलनाडु	नागापट्टिनम	द. कमान	डी	गैर मिल.
14.	चेन्नई	तमिलनाडु	तंजावूर	द. कमान	डी	गैर मिल.
15.	चेन्नई	तमिलनाडु	थेनी	द. कमान	डी	गैर मिल.
16.	चेन्नई	तमिलनाडु	तूतीकोरन	द. कमान	डी	गैर मिल.
17.	चेन्नई	तमिलनाडु	विल्लूपुरम	द. कमान	डी	गैर मिल.
18.	गुवाहाटी	नागालैंड	मोकोकछंग	पू. कमान	डी	मिल
19.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	चित्तौड़	द. कमान	सी	गैर मिल.
20.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	आंगोल	द. कमान	सी	गैर मिल.
21.	हैदराबाद	कर्नाटक	बीजापुर	द. कमान	डी	गैर मिल.
22.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	द. कमान	सी	गैर मिल.
23.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	द. कमान	डी	गैर मिल.
24.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	द. कमान	डी	गैर मिल.
25.	हैदराबाद	कर्नाटक	धारवाड़	द. कमान	डी	गैर मिल.
26.	हैदराबाद	कर्नाटक	मैसूर	द. कमान	डी	गैर मिल.
27.	जबलपुर	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	मध्य कमान	डी	गैर मिल.
28.	जबलपुर	उत्तर प्रदेश	बलिया	मध्य कमान	सी	गैर मिल.
29.	जबलपुर	उत्तर प्रदेश	देवरिया	मध्य कमान	सी	गैर मिल.
30.	जबलपुर	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	मध्य कमान	डी	गैर मिल.
31.	जयपुर	राजस्थान	सीकर	द. कमान	बी	गैर मिल.

1	2	3	4	5	6	7
32.	जयपुर	राजस्थान	चुरू	द. कमान	सी	गैर मिल.
33.	जयपुर	राजस्थान	पाली	द. कमान	डी	गैर मिल.
34.	जयपुर	राजस्थान	सवाई माधोपुर	द. कमान	डी	गैर मिल.
35.	कोच्चि	केरल	अलेपी	द. कमान	डी	गैर मिल.
36.	कोच्चि	केरल	क्विलोन	द. कमान	बी	गैर मिल.
37.	कोच्चि	केरल	त्रिशूर	द. कमान	बी	गैर मिल.
38.	कोच्चि	केरल	कोट्टयम	द. कमान	सी	गैर मिल.
39.	कोच्चि	केरल	मलापुरम	द. कमान	सी	गैर मिल.
40.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	25 परगना (बैरकपुर)	पू. कमान	बी	गैर मिल.
41.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	पू. कमान	डी	गैर मिल.
42.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर	पू. कमान	डी	गैर मिल.
43.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	इटावा	मध्य कमान	सी	गैर मिल.
44.	जबलपुर	उत्तर प्रदेश	सुलतानपुर	मध्य कमान	सी	गैर मिल.
45.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	मध्य कमान	बी	गैर मिल.
46.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	मध्य कमान	सी	गैर मिल.
47.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	मध्य कमान	डी	गैर मिल.
48.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	बदायूं	मध्य कमान	डी	गैर मिल.
49.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	मध्य कमान	डी	गैर मिल.
50.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात	मध्य कमान	डी	गैर मिल.
51.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	मध्य कमान	डी	गैर मिल.
52.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	एटा	मध्य कमान	डी	गैर मिल.
53.	लखनऊ	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	मध्य कमान	बी	गैर मिल.
54.	लखनऊ	उत्तरांचल	नैनीताल (हलद्वानी)	मध्य कमान	बी	गैर मिल.
55.	लखनऊ	उत्तरांचल	रायवाला (हरिद्वार)	मध्य कमान	डी	गैर मिल.
56.	नई दिल्ली	हरियाणा	नारनौल	प. कमान	बी	गैर मिल.

1	2	3	4	5	6	7
57.	नई दिल्ली	हरियाणा	सोनीपत	प. कमान	बी	गैर मिल.
58.	नई दिल्ली	हरियाणा	पानीपत	प. कमान	सी	गैर मिल.
59.	नई दिल्ली	हरियाणा	यमुनानगर	प. कमान	सी	गैर मिल.
60.	नई दिल्ली	हरियाणा	फतेहाबाद	प. कमान	डी	गैर मिल.
61.	नई दिल्ली	हरियाणा	कैथल	प. कमान	डी	गैर मिल.
62.	नई दिल्ली	हरियाणा	कुरूक्षेत्र	प. कमान	डी	गैर मिल.
63.	पटना	बिहार	दरभंगा	म. कमान	डी	गैर मिल.
64.	पटना	झारखंड	सिंहभूम	म. कमान	डी	गैर मिल.
65.	पुणे	उत्तर प्रदेश	जालौन	द. कमान	डी	गैर मिल.
66.	पुणे	मध्य प्रदेश	मोरेना	द. कमान	डी	गैर मिल.
67.	पुणे	महाराष्ट्र	सांगली	द. कमान	बी	गैर मिल.
68.	पुणे	महाराष्ट्र	रत्नागिरी	द. कमान	सी	गैर मिल.
69.	पुणे	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	द. कमान	सी	गैर मिल.
70.	पुणे	महाराष्ट्र	थाणे	द. कमान	सी	गैर मिल.
71.	पुणे	महाराष्ट्र	अमरावती	द. कमान	डी	गैर मिल.
72.	पुणे	महाराष्ट्र	जलगांव	द. कमान	डी	गैर मिल.
73.	पुणे	महाराष्ट्र	उसमानाबाद	द. कमान	डी	गैर मिल.
74.	पुणे	महाराष्ट्र	अलीबाग	द. कमान	डी	गैर मिल.
75.	पुणे	महाराष्ट्र	लातूर	द. कमान	डी	गैर मिल.

अंडरब्रिज/ओवरब्रिज परियोजनाएं

2303. श्री ब्रजेश पाठक:
मो. मुकीम:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में नए निर्माणाधीन/लंबित ओवरब्रिज/अंडरब्रिज परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा रेल समपारों पर ओवरब्रिजों/अंडरब्रिजों के निर्माण के लिए भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक ऐसे पुलों के निर्माण के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलें ऐसे व्यस्त मौजूदा समपारों, जहां यातायात का घनत्व एक लाख से अधिक गाड़ी वाहन इकाइयां हैं, के बदले लागत में भागीदारी के

आधार पर ऊपरि/निचले सड़क पुलों का निर्माण करती है अन्यथा प्रस्तावों पर निक्षेप शर्तों पर विचार किया जाता है। दोनों ही मामलों में प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा मौजूदा नियमों के अंतर्गत अपेक्षित कतिपय प्रारंभिक पूर्वापेक्षाएं विधिवत तौर पर पूरी करते हुए प्रायोजित किए जाने होते हैं।

31.12.2004 को लागत में भागीदारी आधार पर विभिन्न राज्यों में पड़ने वाले ऊपरि/निचले सड़क पुलों के कुल 436 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ये सभी निर्माण कार्य योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। इन पुलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान विधिवत मानदंड पूरा करते हुए प्राप्त किए गए सभी फर्म प्रस्तावों को रेल बजट में शामिल कर लिया गया है। स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा और विगत तीन वर्षों में आबंटित निधियां नीचे दी गई हैं:-

वर्ष	स्वीकृत निर्माण कार्यों की संख्या	बजट आबंटन (रु. करोड़ में)
2002-03	47	325
2003-04	53	313
2004-05	23	251

विवरण

विभिन्न राज्यों में स्वीकृत ऊपरि/निचले सड़क पुलों की स्थिति

राज्य	स्वीकृत कार्यों की संख्या	बजट 2005-06 में शामिल नए कार्य
1	2	3
आंध्र प्रदेश	51	4
असम	3	0
बिहार	49	0
छत्तीसगढ़	5	0
दिल्ली	1	0
गुजरात	5	0
हरियाणा	13	1
झारखंड	20	0
कर्नाटक	38	0
केरल	53	3
मध्य प्रदेश	9	0
महाराष्ट्र	23	4
उड़ीसा	9	1
पांडिचेरी	3	0
पंजाब	28	0
राजस्थान	8	0
तमिलनाडु	46	6
उत्तर प्रदेश	26	4
पश्चिम बंगाल	46	0
कुल	436	23

[अनुवाद]

एफ.एम. चैनलों पर समाचार

2304. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी एफ.एम. चैनलों पर समाचारों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रतिबंध के बावजूद, निजी एफ.एम. चैनल समाचारों की व्याख्या अपने तरीके से करके उनका प्रसारण कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) निजी एफ.एम. रेडियो संचालन सरकारी और निजी प्रसारकों के बीच हस्ताक्षरित लाइसेंस धारक की निबंधन एवं शर्तों द्वारा अभिशासित होते हैं। इन शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि लाइसेंस फ्री-टु-एयर श्रव्य प्रसारणों के लिए होता है जिसमें समाचार और समसामयिक मामले शामिल नहीं हैं। लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के

मामलों में लाइसेंस करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

मुम्बई में एक निजी एफ.एम. चैनल पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रसारण के संबंध में जून, 2002 में प्रसार भारती से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस मामले को प्रसारक के साथ उठाया गया था जिसने अपने उत्तर में बताया था कि यह अनजाने में हुआ था और उन्होंने इसकी पुनरावृत्ति न होने को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। अन्य प्रसारकों से भी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। किसी लाइसेंस धारक के एफ.एम. रेडियो चैनल के प्रसारण के संबंध में कोई और शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय मानदंडों का अनुपालन करने अर्थात् समाचार और समसामयिक मामलों को प्रसारित न करने के लिए सभी निजी एफ.एम. प्रसारकों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है।

[हिन्दी]

राजस्थान में समाचार रिपोर्ट केन्द्रों का खोला जाना

2305. श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती का विचार राजस्थान विशेषकर जोधपुर शहर में समाचार रिपोर्ट केन्द्रों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विमानन टर्बाइन ईंधन का मूल्य

2306. डा. चिन्ता मोहन:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 2005 में विमानन टर्बाइन ईंधन को मूल्य कम किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो कितना मूल्य कम किया गया था;

(ग) क्या विमानन टर्बाइन ईंधन के मूल्यों में कमी के परिणामस्वरूप विमानों के परिचालन व्यय में भी कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो परिचालन व्यय में कितनी कमी आई है; और

(ङ) इसके कारण औसत वार्षिक लाभ में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत घरेलू प्रचालन के लिए दिसम्बर, 2004 में 31,000 रुपए प्रति किलोलीटर की तुलना में, जनवरी, 2005 में 27,300 रुपए प्रति किलोलीटर थी। अप्रैल से दिसम्बर, 2004 तक एयर टर्बाइन फ्यूल की औसतन कीमत 27,500 रुपए प्रति किलोलीटर थी।

(ग) से (ङ) चूंकि अप्रैल से दिसम्बर, 2004 तक औसतन एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमत की तुलना में जनवरी, 2005 में एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में केवल आंशिक कमी आई थी इससे चालू वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान एयरलाइनों के प्रचालन खर्चों तथा लाभों पर एयर टर्बाइन फ्यूल लागत का कम प्रभाव पड़ेगा।

[अनुवाद]

पारादीप से बरौनी तक गैस और कच्चे तेल का परिवहन

2307. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पारादीप से बरौनी तक गैस और कच्चा तेल परिवहन करने वाली पाइपलाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या परियोजना का कार्य समयानुसार चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ङ) 1178 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से आईओसीएल की पारादीप हल्दिया क्रूड

आयल पाइपलाइन क्रियान्वयनाधीन है। पर्यावरणीय मंजूरी और भूमि में मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) का कार्य पूरा कर लिया गया है। कोट की हुई मुख्य लाइन उत्पादन तथा उन्हें बिछाने का कार्य प्रगति पर है। इस पाइपलाइन को मौजूदा हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। परियोजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है और इसके मार्च, 2006 तक पूरा होने की संभावना है।

दादरी से पंजाब तक गैस पाइपलाइन

2308. श्री गुरजीत सिंह राणा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दादरी से पंजाब तक गैस पाइपलाइन बिछाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की लागत कितनी है;

(ग) पंजाब को कितनी मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी; और

(घ) इस पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) गेल की, गैस की आपूर्ति और विपणन के स्रोत की व्यवस्था किए जाने पर, दादरी-पानीपत-नांगल गैस पाइपलाइन बिछाने की योजनाएं हैं। यह परियोजना अपने आरम्भिक चरण में है।

[हिन्दी]

तत्काल योजना में भ्रष्टाचार

2309. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तत्काल योजना में भारी भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस अवैध कार्य में किसी रेलवे कर्मचारी को शामिल पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे कार्य को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) संशोधित तत्काल योजना में हो रहे भ्रष्टाचार की कोई सूचना नहीं मिली है। बहरहाल, एक रेलवे प्राधिकारी को अप्राधिकृत रूप से तत्काल योजना के माध्यम से आरक्षण करवाते हुए पाया गया है और उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है।

(घ) तत्काल आरक्षण योजना सहित आरक्षण में कदाचारों में संलिप्त कार्मिकों को पकड़ने के लिए समय-समय पर जांचें की जाती हैं।

ऐतिहासिक स्मारकों/मंदिरों पर कम्पैक्ट डिस्क

2310. श्री बापू हरी चौरे: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में विशेषकर महाराष्ट्र में केन्द्र द्वारा रक्षित ऐतिहासिक स्मारकों/मंदिरों पर 'मल्टी मीडिया एक्टिव कम्पैक्ट डिस्क' बनाने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रकाशन प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दसवीं योजना के तहत मल्टी मीडिया सी.डी. बनाने की एक परियोजना शुरू की है। अब तक प्रकाशन प्रभाग ने बृहदेश्वर मंदिर (तमिलनाडु), सांची स्तूप (मध्य प्रदेश), कुतुब मीनार (दिल्ली), गोवा (गोवा राज्य), आदि शंकर तथा भारतीय चित्रकारी पर सी.डी. बनाने का कार्य शुरू किया है।

[अनुवाद]

यात्रियों को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिए जाने की घटना

2311. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री मुन्शी राम:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
मो. ताहिर:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के निकट सैन्य कर्मियों द्वारा फरक्का एक्सप्रेस से यात्रियों को बाहर फेंकने की घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी पाए गए सैन्य कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) सेना ने इस घटना में सेना कार्मिकों की संलिप्तता, यदि कोई है, की जांच करने हेतु एक जांच अदालत का आदेश दिया है। इस संबंध में रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना

2312. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन पर कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कार्य को कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना को अभी गेल के निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करना है।

चिकित्सा औषधियों का दुरूपयोग

2313. **श्री निखिल कुमार:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के शहरों में चिकित्सा औषधियों का दुरूपयोग तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन औषधियों में स्वापक विद्यमान हैं वे कालेज के विद्यार्थियों में काफी लोकप्रिय है;

(घ) यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से मंत्रालय का विचार देश में चिकित्सा औषधियों के दुरूपयोग को रोकने हेतु कोई रणनीति बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) ऐसी कोई प्रमाणित रिपोर्ट नहीं है जिससे चिकित्सा औषधियों के दुरूपयोग में वृद्धि/कमी का पता चले, क्योंकि बेंचमार्किंग के लिए कोई कालक्रमानुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं है। कालेज छात्रों के संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) भारत के औषध महानियंत्रक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में चिकित्सा औषधियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं:

* कैमिस्टों और औषध विक्रेताओं को निदेश दिए गए हैं कि वे पंजीकृत चिकित्सा व्यावसायिकों की निदान पर्जी को देखकर ही ये औषधियां बेंचे;
* उत्पादकों को सलाह दी गई है कि वे स्वापक की मात्रा को कम करने के लिए कतिपय औषधियां बनाने की विधि को बदलें और लेबल पर लाल रंग में चेतावनी का उल्लेख करें, "औषधि का दुरूपयोग हो सकता है" और इसे केवल चिकित्सीय पर्यवेक्षण में ही इस्तेमाल करें;
* राज्य प्राधिकरणों को निदेश दिया गया है कि वे खुदरा दुकानों द्वारा इन औषधियों की आसानी से उपलब्धता न होने दें।

उपर्युक्त के अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय औषधि दुरूपयोग के कुप्रभावों के बारे में जागरूकता सृजन कार्यक्रमों को शैक्षिक संस्थानों सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

हाइड्रोकार्बन प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान

2314. **श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री के.एस. राव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का हाइड्रोकार्बन प्रौद्योगिकी के लिए आई.आई.टी. के स्तर के संस्थान शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थानों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुराने विमानों की नीलामी

2315. श्री मो. ताहिर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन एयलाइंस में नए विमानों की खरीद के बाद पुराने विमानों की नीलामी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडियन एयरलाइंस में वर्तमान विमानों की खरीद किस तिथि को की गयी थी;

(घ) क्या इन विमानों की जीवन-अवधि समाप्त हो गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन विमानों की नीलामी के क्या कारण है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इंडियन एयरलाइंस के स्वामित्व वाले विमानों की आयु का विवरण 1 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार नीचे सारणी में दिया गया है:-

श्रेणी	बेड़ा	औसत आयु (वर्ष)
ए-300	03	22.5
ए-320	30	13.6
बी-737	11	23.5
डीओ-228	02	19.7
एटीआर-42	-	-
सभी श्रेणी	46	16.8

(घ) वाणिज्यिक विमानों के लिए उड़ान घंटों, उड़ान चक्र अथवा कैलेण्डर वर्ष के शब्दों में कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं होती। विमान तब तक प्रचालन में रहते हैं जब तक कि विमान निर्माताओं द्वारा निर्धारित और नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित अनुरक्षण क्रियाविधियों एवं मानकों के अनुसार उड़न योग्य स्थिति में इनका अनुरक्षण किया जाता है।

(ङ) पुराने विमानों का पुन:स्थापन/नवीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझा जाता है कि यात्रियों को प्रस्तुत किया गया उत्पाद अनुकूल रूप से प्रतिस्पर्धियों के साथ तुलना योग्य है। नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले नए विमान बेहतर किफायत प्रदान करते हैं और प्रचालनों की विश्वसनीयता में सुधार करते हैं।

[अनुवाद]

पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 1995 में संशोधन

2316. श्री एम. शिवन्ना: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** विकलांगता में संशोधन के बारे में दिनांक 16 दिसंबर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2643 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्सन्स विद डिसएबीलिटीज एक्ट, 1995 में संशोधन के लिए प्राप्त सुझावों को प्रक्रिया में ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अधिनियम में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में संशोधन के सुझाव कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं। नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में कोई संशोधन केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। इसे देखते हुए, इस अवस्था पर इस अधिनियम में संशोधन के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

अमरीका के साथ हथियारों का व्यापार

2317. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीका से अपना निर्भरता अभाव सही करने को कहा है जिससे कि वह भारत के लिए प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्त्ता के रूप में उभर सके;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने यह कहा है कि अमरीकी कानूनों के कारण अमरीकी उपकरणों में खरीदारों को प्रतिबंध लगने का खतरा रहता है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत यह आश्वासन चाहता है कि प्रतिबंधों से उसकी रक्षा तैयारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) भारत तथा अमरीका ने पारस्परिक हित के क्षेत्रों में, भारत-अमरीकी संबंधों में सकारात्मक रूख के ढांचे के अंतर्गत, रक्षा उपस्कर तथा प्रौद्योगिकी संबंध विकसित करने में रुचि दिखाई है। इस संदर्भ में, अमरीका को सलाह दी गई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसकी जटिलताओं को देखते हुए, किसी भी रक्षा-व्यापार तथा उपस्कर हेतु संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अमरीकी कानून के तहत प्रतिबंधों के मुद्दे सहित आपूर्तियों की विश्वसनीयता से संबंधित चिंताओं पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।

विमानपत्तनों पर रात में विमान उतरने की सुविधा

2318. श्री प्रहलाद जोशी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अधिकांश विमानपत्तनों पर रात में विमान उतरने की सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विमानपत्तनों पर रात में विमान उतरने की सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने पर प्रस्ताव है; और

(घ) इन सभी विमानपत्तनों पर ऐसी सुविधाएं कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं। देश में 42 प्रचालनात्मक हवाईअड्डों पर रात्रि में लैंडिंग की सुविधा प्रदान की गई है। इन हवाईअड्डों की राज्य-वार संख्या इस प्रकार है:- आंध्र प्रदेश में-4, असम में-3, बिहार में-2, छत्तीसगढ़ में-1, दिल्ली में-1, गुजरात में-3, जम्मू एवं कश्मीर में-1, झारखंड में-1, कर्नाटक में-4, केरल में-2, मध्य प्रदेश में-3, महाराष्ट्र में-3, मणिपुर में-1, नागालैंड में-1, उड़ीसा में-1, पंजाब में-1, राजस्थान में-2, तमिलनाडु में-4, त्रिपुरा में-1, उत्तर प्रदेश में-2 तथा पश्चिम बंगाल में-1।

(ग) और (घ) प्रचालनात्मक व्यवहार्यता, क्षेत्र की स्थिति तथा एयरलाइनों द्वारा मांग के आधार पर रात्रि में लैंडिंग की सुविधाओं के प्रावधान पर विचार किया जाता है। कुल्लू, कांगड़ा, शिमला तथा जबलपुर जैसे कुछ हवाईअड्डों पर सुरक्षा कारणों की वजह से रात्रि में लैंडिंग व्यवहार्य नहीं है। इसीलिए वहां यह सुविधा नहीं दी गई है। अन्य हवाईअड्डों पर इस सुविधा के प्रावधान, एयरलाइनों की सम्भावित मांग पर निर्भर करता है।

वारंगल के मंदिर में साउन्ड एण्ड लाइट शो

2319. श्री ए. साई प्रताप: क्या संस्कृति मंत्री वारंगल में साउन्ड एण्ड लाइट शो के बारे में 22 जुलाई, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2123 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कल्याण मंडप्पा तथा तथा रूद्रेश्वर मदिर के पुनर्निर्माण तथा मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब वारंगल में 1000 स्तंभों वाले मंदिर में साउन्ड एण्ड लाइट शो कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी देने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) कल्याण मंडप का पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा हनमकोंडा स्थित रूद्रेश्वर मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा हो गया है।

(ख) और (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वारंगल जिला में हनमकोंडा स्थित एक हजार खम्भों वाले मंदिर के परिसर में ध्वनि और प्रकाश (साउंड एण्ड लाइट शो) कार्यक्रम चलाने के लिए अभी तक अनुमति प्रदान नहीं की है।

(घ) आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने हनमकोंडा स्थित एक हजार खण्भों वाले मन्दिर के परिसर में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम चालू करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सम्पर्क किया है। एक हजार खम्भों वाले मंदिर के सामने स्थित रूद्रेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। राज्य पर्यटन विभाग ने मंदिर के दक्षिण-पूर्व में 200 वर्ग गज भूमि अधिग्रहीत की है जो कार पार्किंग तथा ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम की अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम से इस कार्यक्रम को सुकर बनाने के लिए और अधिक भूमि अधिगृहीत करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

संग्रहालयों के निर्माण के लिए सहायता

2320. मो. मुकीम: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार नए संग्रहालयों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिसके लिए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विशेषकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली को धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) उन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैस का आयात

2321. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश-वार किन देशों से कितनी मात्रा में गैस आयात की गई;

(ख) क्या सरकार के पास 2005-2006 में तथा उसके बाद के वर्षों में गैस आयात करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वे देश कौन-कौन से हैं जहां से इसका आयात करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के रूप में प्राकृतिक गैस का आयात 2004-05 के दौरान मैसर्स पेट्रोनेट एलएनजी लिमटेड (पीएलएल) द्वारा कतर से आयात की जा रही है 2.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) एलएनजी के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष से ही आरंभ हुआ है। वर्ष 2005-06 के दौरान कतर से मैसर्स पीएलएल द्वारा 5 एमएमटीपीए, एलएनजी के आयात के अतिरिक्त मैसर्स शैल के हजीरा, गुजरात में अपने 2.5 एमएमटीपीए एलएनजी टर्मिनल के लिए एलएनजी का आयात आरंभ करने का अनुमान है। यह टर्मिनल वर्ष के दौरान चालू किये जाने का कार्यक्रम है।

प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए सरकार एलएनजी के रूप में और राष्ट्रपार पाइपलाइनों के जरिए पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में गैस समृद्ध देशों से प्राकृतिक गैस के आयात को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार विशेषकर पाकिस्तान के रास्ते गुजरने वाली पाइपलाइनों के माध्यम से ईरान से और बांग्लादेश के रास्ते गुजरने वाली पाइपलाइनों के माध्यम से म्यांमार से गैस आयातों का प्रयास कर रही है। इन राष्ट्रपार पाइपलाइन पहलों के लिए वार्ताएं आरंभिक चरणों में है।

वैकल्पिक विमान ईंधन का उपयोग

2322. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वैकल्पिक विमान ईंधन का उपयोग करने की संभावनाएं तलाश रही है जैसा कि 3 मार्च, 2005 के टाइम्स आफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विमानन उद्योग से कोई विचार-विमर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) भारतीय वैमानिक सोसाइटी द्वारा अभी हाल ही में दिनांक 11 मार्च, 2005 को नई दिल्ली में वैमानिक ईंधन तथा लुब्रीकैन्ट के क्षेत्र में उभरते रूझानों पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान वैकल्पिक ईंधन के मुद्दे पर चर्चा की गई और यह निष्कर्ष निकला कि नए ईंधन के विकास की प्रकिया चल रही है।

एल.एन.जी. टर्मिनल

2323. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) की बढ़ती मांग के मद्देनजर सरकार का विचार एक और एल.एन.जी. टर्मिनल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दर्ज की गई वार्षिक वृद्धि का ब्यौरा क्या रहा;

(ग) इस प्रकार के टर्मिनल की स्थापना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) टर्मिनल की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) 150 मिलियन मीट्रिक टन मानक घन मीटर प्रति दिन (एम एम एस सी एम डी) से अधिक की वर्तमान मांग की तुलना में गैस की उपलब्धता केवल 80 एम एम एस सी एम डी है। गैस आपूर्ति में विद्यमान और अनुमानित कमी को पूरा करने के उद्देश्य से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) के रूप में प्राकृतिक गैस के आयात के लिए उपाय किए गए हैं। वर्ष 2004-05 में मैसर्स पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड (पी एल एल) का दहेज में 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एम एम टी पी ए) एल एन जी आयात टर्मिनल शुरू हासे गया है। पी एल एल ने वर्ष 2004-05 के दौरान 2.5 एमएमटपीए एल एन जी का आयात किया है। पी एल एल बोर्ड ने वर्ष 2008-09 में चालू करने के लिए अनुमानित कोच्चि, केरल स्थित 2.5 एम एम टी पी एल एल.एन.जी. टर्मिनल स्थापित करने की भी अनुमति दी है। मैसर्स शैल के हजीरा, गुजरात स्थित 2.5 एम एम टी पी ए एल एन जी टर्मिनल के वर्ष 2005-06 के दौरान चालू होने की समय योजना है। तमिलनाडु में एन्नौर और कर्नाटक में मंगलौर में एल एन जी टर्मिनल स्थापित करने के प्रस्ताव आरम्भिक चरणों में हैं।

5 एम एम टी पी ए क्षमता का ग्रीन फील्ड एल एन जी टर्मिनल स्थापित करने की अनुमानित लागत लगभग 2,700 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र

2324. **श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):**
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान भाषावार कितनी व्यावसायिक तथा फीचर फिल्मों को कट के साथ तथा बिना कट के केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया;

(ख) ऐसी फिल्मों की संख्या कितनी है जिन्हें अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि आजकल की फिल्मों में हिंसक दृश्य तथा सेक्स अधिक होता है जिससे दर्शकों पर विशेषकर बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रमाणन प्रक्रिया में बदलाव करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को और अधिकार देने तथा अश्लीलता की परिभाषा को बदलकर इसे स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड चलचित्र अधिनियम, 1952 की शर्तों के अनुसार सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फिल्मों का प्रमाणन करता है। दिनांक 01.01.2004 से 31.12.2004 की अवधि के दौरान प्रमाणित फीचर फिल्मों (सेलूलायड) का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है, फीचर फिल्मों (वीडियो) का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है तथा लघु फिल्मों के संबंध में जानकारी विवरण-III में दी गई है। वाणिज्यिक फिल्में, जिनमें प्रोमो और विज्ञापन शामिल हैं, लघु फिल्मों की श्रेणी में आती हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने सूचित किया है कि कलैंडर वर्ष 2004 के दौरान इकतीस फीचर फिल्मों का प्रमाणन करने से मना कर दिया गया था क्योंकि उनमें चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जारी प्रमाणन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होना पाया गया था।

(घ) और (ङ) चलचित्र अधिनियम और प्रमाणन नियमों में परिवर्तन एक सतत् प्रक्रिया है जोकि समयानुसार उपबंधों को अद्यतन बनाने के लिए समय-समय पर निष्पादित की जाती है।

(च) चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत प्रमाणन दिशा-निर्देशों में पर्याप्त प्रावधान हैं, जिनके तहत केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को अश्लीलता के प्रदर्शन पर रोक लगाने के उद्देश्य से दृश्यों को काटने, जहां कहीं भी आवश्यक हो, की शक्ति प्राप्त है।

विवरण I

भारतीय फीचर फिल्में

(सेलुलाइड)

1.1.2004 से 31.12.2004 तक

(भाषा-वार और श्रेणी-वार)

क्र.सं.	भाषा	यू	यू*	यूए	यूए*	ए	ए*	योग		कुल योग
								क्लीयर	कट्स	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	हिंदी	53	14	25	31	40	81	118	126	244
2.	तमिल	28	23	13	35	9	22	50	80	130
3.	तेलुगु	55	35	22	37	23	31	100	103	203
4.	मलयालम	52	–	18	–	1	–	71	–	71
5.	कन्नड़	17	27	1	23	–	7	18	57	75
6.	बंगाली	40	–	2	–	4	–	46	–	46
7.	गुजराती	6	3	3	–	1	–	10	3	13
8.	मराठी	30	4	10	9	3	–	43	13	56
9.	अंग्रेजी	3	–	–	1	2	7	5	8	13
10.	नेपाली	2	–	–	–	–	–	2	–	2
11.	उड़िया	19	–	–	–	–	–	19	–	19
12.	असमिया	9	–	–	–	–	–	9	–	9
13.	गढ़वाली	1	–	2	–	–	–	3	–	3
14.	पंजाबी	3	–	–	1	–	–	3	1	4
15.	भोजपुरी	10	3	4	2	1	1	15	6	21
16.	छत्तीसगढ़ी	–	–	–	–	1	–	1	–	1
17.	राजस्थानी	4	–	–	–	–	–	4	–	4
18.	बोडो	1	–	–	–	–	–	1	–	1
19.	कुमायनी	1	–	–	–	–	–	1	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	पंजाबी एवं उर्दू	–	–	–	1	–	–	–	1	1
21.	मैथिली	1	–	–	–	–	–	1	–	1
22.	नागपुरी	1	–	–	–	–	–	1	–	1
23.	हिमाचली	1	–	–	–	–	–	1	–	1
24.	अवधी	1	–	–	–	–	–	1	–	1
25.	तमिल (डब)	1	–	–	–	–	–	1	–	1
26.	कोंकणी	2	–	–	–	–	–	2	–	2
27.	तेलुगु (डब)	–	–	–	–	5	–	5	–	5
28.	साइलेंट	–	–	–	1	–	–	–	1	1
29.	बंजारा	1	–	–	–	–	–	1	–	1
30.	सादरी	2	–	–	–	–	–	2	–	2
31.	कोकबोर्ड	1	–	–	–	–	–	1	–	1
	कुल	345	109	100	141	90	149	535	399	934

*कट्स सहित

विवरण II

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

भारतीय वीडियो फीचर फिल्में

1.1.2004 से 31.12.2004 तक प्रमाणित

भाषा	यू	यू*	योग	यूए	यूए*	योग	ए	ए*	योग	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हिंदी	55	24	79	1	–	1	–	–	–	80
तमिल	5	15	20	–	–	–	–	–	–	20
मलयालम	9	–	9	–	–	–	–	–	–	9
तेलुगु	9	12	21	–	–	–	–	–	–	21
गुजराती	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बंगाली (डब)	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1
मराठी	6	–	6	1	–	1	–	–	–	7
अंग्रेजी	4	–	4	1	1	2	1	–	1	7
भोजपुरी	1	–	1	–	–	–	2	–	2	3
भोजपुरी (डब)	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1
गढ़वाली	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
मणिपुरी	23	–	23	–	–	–	–	–	–	23
कन्नड़	3	4	7	–	–	–	–	–	–	7
कोंकणी	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1
असमी	18	–	18	–	–	–	–	–	–	18
साद्री	2	–	2	–	–	–	–	–	–	2
नागपुरी	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1
बोडो	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1
राजबंगशी	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1
कोकबोरोक	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1
कुल	143	56	199	3	1	4	3	–	3	206

*कट्स सहित।

विवरण III

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1.1.2004 से 31.12.2004 तक प्रमाणित

क्र.सं.	भाषा	प्रोमोस	क्लीयर	कट्स	योग	विज्ञापन	क्लीयर	कट्स	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	हिंदी	462	450	12	462	28	28	–	28
2.	तमिल	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	तेलुगु	31	28	3	31	5	5	–	5
4.	मलयालम	11	11	–	11	4	4	–	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	कन्नड़	35	32	3	35	–	–	–	–
6.	बंगाली	10	8	2	10	–	–	–	–
7.	गुजराती	8	8	–	8	–	–	–	–
8.	मराठी	130	125	5	130	4	4	–	4
9.	अंग्रेजी	82	81	1	82	8	8	–	8
10.	गढ़वाली	75	15	–	75	–	–	–	–
11.	पंजाबी	75	75	2	75	–	–	–	–
12.	भोजपुरी	39	33	6	39	–	–	–	–
13.	राजस्थानी	15	15	–	15	–	–	–	–
14.	कुमायनी	13	13	–	13	–	–	–	–
15.	उर्दू	6	6	–	6	–	–	–	–
16.	हरियाणवी	52	51	1	52	–	–	–	–
17.	मैथिली	2	2	–	2	–	–	–	–
18.	म्यूजिक	4	4	–	4	–	–	–	–
19.	हिमाचली	1	1	–	1	–	–	–	–

[अनुवाद]

तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापनों पर खर्च

2325. श्री अधीर चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापनों तथा पंपों के आधुनिकीकरण पर मदवार तथा राज्यवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान डीजल और पेट्रोल की बिक्री के संबंध में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का शुद्ध शोधन तथा विपणन मार्जिन कितना रहा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि

2326. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:
श्री वी.के. दुम्मर:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल पेट्रोल तथा रसोई गैस के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई; और

(ख) इन उत्पादों के मूल्य में प्रत्येक बार कितना वृद्धि की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल, पेट्रोल और घरेलू एल पी जी के मूल्यों में संशोधन संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

विवरण I

मार्कर क्रूड तेलों, जो भारतीय बास्केट का निर्माण करते हैं, का मासिक औसत मूल्य

	दुबई अमरीकी डालर प्रति बीबीएल	ब्रेंट डेटेड अमरीका डालर प्रति बीबीएल
	1	2
अप्रैल-2001	24.18	25.66
मई-01	25.60	28.51
जून-01	25.65	27.83
जुलाई-01	23.43	24.56
अगस्त-01	24.53	25.74
सितम्बर-01	24.12	25.57
अक्तूबर-01	19.63	20.49
नवम्बर-01	17.67	18.98
दिसम्बर-01	17.83	18.68
जनवरी-02	18.48	19.48
फरवरी-02	19.02	20.22
मार्च-02	22.96	23.73
अप्रैल-02	24.51	25.66
मई-02	24.69	25.33
जून-02	23.91	24.13
जुलाई-02	24.67	25.81
अगस्त-02	25.24	26.66
सितम्बर-02	26.80	28.38
अक्तूबर-02	26.32	27.58
नवम्बर-02	23.31	24.1
दिसम्बर-02	25.73	28.67
जनवरी-03	28.02	31.32
फरवरी-03	30.02	32.67
मार्च-03	27.38	30.54
अप्रैल-03	23.45	24.85
मई-03	24.36	25.72
जून-03	25.51	27.51
जुलाई-03	26.72	28.35
अगस्त-03	27.66	29.79
सितम्बर-03	25.37	27.08
अक्तूबर-03	27.27	29.65
नवम्बर-03	27.66	28.73
दिसम्बर-03	28.10	29.87
जनवरी-04	28.88	31.23
फरवरी-04	28.61	30.83
मार्च-04	30.85	33.79
अप्रैल-04	31.68	33.25
मई-04	34.74	37.8
जून-04	33.43	35.04
जुलाई-04	34.65	38.32
अगस्त-04	38.55	43.04
सितम्बर-04	35.55	43.25
अक्तूबर-04	37.54	49.64
नवम्बर-04	34.87	42.84
दिसम्बर-04	34.20	39.53
जनवरी-05	37.92	44.23
फरवरी-05	39.87	45.37
मार्च-05	44.36	52.38

टिप्पणी: मार्च, 2005-14.3.2005 तक
स्रोत-प्लाट्स

विवरण II

दिल्ली में पेट्रोल का खुदरा बिक्री मूल्य - वृद्धि/(कमी) की राशि

दिनांक	पेट्रोल	
	दिल्ली (रुपए/लीटर)	वृद्धि/(कमी)
1	2	3
01.03.02	26.54	(1.00)
04.06.02	28.94	2.40
16.06.02	29.18	0.24
16.08.02	29.00	(0.18)
01.09.02	29.20	0.20
16.09.02	29.66	0.46
01.10.02	29.91	0.25
17.10.02	30.24	0.33
16.11.02	29.57	(0.69)
01.12.02	28.91	(0.66)
03.01.03	29.93	1.02
16.01.03	30.33	0.40
01.02.03	30.71	0.38
01.03.03	32.10	1.39
16.03.03	33.49	1.39
16.04.03	32.49	(1.00)
27.04.03	31.49	(1.00)
16.05.03	30.40	(1.10)
01.06.03	30.30	(0.10)
01.09.03	32.40	2.10
16.10.03	31.70	(0.70)
16.12.03	32.70	1.00
01.01.04	33.70	1.00
16.06.04	35.71	2.00
01.08.04	36.81	1.10
5.11.04	39.00	2.19
16.11.04	37.84	(1.16)

विवरण III

दिल्ली में घरेलू एल.पी.जी. का खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी)- वृद्धि/कमी की राशि

दिनांक	प्रति सिलेंडर आर एस पी (रुपए मे)	प्रति सिलेंडर आर एस पी में वृद्धि/(कमी) (रुपए में)
01.03.02	259.95	–
17.03.02	240.45	(19.50)
16.06.04	261.60	21.15
05.11.04	281.60	20.00

कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में एल.पी.जी. की एजेंसियां खोलना

2327. श्री हितेन बर्मन:
श्री सुव्रत बोस:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री सुशिल कुमार महतो:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनता की मांग पूरी करने के लिए कूच बिहार तथा पश्चिम बंगाल के बारासात में एल.पी.जी. की और एजेंसियां खोलने हेतु नई संविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई एजेंसियों की कब तक स्थापना कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने जनवरी, 2004 में कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में एल पी जी वितरण केन्द्रों की स्थापना के लिए विज्ञापन दिया था। इसी प्रकार इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) की भी कूच बिहार जिले में दो स्थलों नामत: मेंखलीगंज और सीतलकुची में एल पी जी वितरण केन्द्रों की स्थापना करने की योजना है। इस समय बारासात में एल.पी.जी. वितरण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपने वाणिज्यिक दृष्टिकोण से एल.पी.जी. वितरण केन्द्रों की स्थापना की जाती है। एल.पी.जी. वितरण केन्द्रों को चालू करना क्षम स्थानों की पहचान, विज्ञापन जारी करना, साक्षात्कार करना, गोदाम शोरूम आदि के लिए भूमि प्राप्त करने में उम्मीदवार की क्षमता जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर होता है। इसे देखते हुए ऊपर (क) में संदर्भित उपर्युक्त स्थानों पर वितरण केन्द्र स्थापित करने के लिए समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

तेल क्षेत्र में भारत-रूस समझौता

2328. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में यूकोस की प्रमुख इकाई को हासिल करने हेतु ओ एन जी सी के मामले पर दबाव डालने के लिए मास्को की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल क्षेत्र में भारत और रूस के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के 21-22 फरवरी, 2005 को मास्को के दौरे के दौरान हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में दोनों के बीच सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों के बारे में मंत्रालयीन अधिकारी और वाणिज्यिक स्तरों पर चर्चाएं आयोजित की गईं जिनमें ओ वी एल द्वारा युगानस्कनेफ्टगैस, जो युकोस की मुख्य सहायक कम्पनी है, जो अब रूस की राष्ट्रीय तेल कंपनी रोसनेफ्ट के पास है, में हिस्सा प्राप्त करने की संभावना सम्मिलित है।

(ग) और (घ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) और गेजप्राम, जिसमें रूसी सरकार का एक बड़ा हित है, ने एक समझौता ज्ञापन किया है जिसमें रूस और तीसरे देशों में तेल और गैस क्षेत्रों में गेजप्राम और ओ वी एल तथा भारत में गेजप्राम और ओ एन जी सी की संयुक्त प्रतिभागिता परिकल्पित है।

गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) और गेजप्राम के बीच 3.12.2004 को एक कार्यनीतिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार के अनुसार पक्षकार भारत, रूस और अन्य देशों में गैस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए विभिन्न अवसरों का मूल्यांकन करेंगे और कार्यान्वयन के लिए परियोजनाओं का विकास करेंगे।

कर्नाटक में खुदरा बिक्री के केन्द्रों का आबंटन

2329. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में इंडियन आयल कारपोरेशन के उन खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या कितनी है, जिनके लिए कंपनी ने हाल ही में चुने गए आवेदकों को आशय-पत्र (एल ओ आई) जारी किए थे;

(ख) अब तक कितने खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित किए जा चुके हैं;

(ग) खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(घ) इंडियन आयल कारपोरेशन के पास एल पी जी, पेट्रोल पम्पों तथा मिट्टी के तेल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन के कितने आवेदन लंबित हैं; और

(ङ) इन आवेदनों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) ने अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 की अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए 126 आशय-पत्र जारी किए हैं।

(ग) आई ओ सी द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों का आबंटन इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(घ) और (ङ) 31.1.2005 की स्थिति के अनुसार जबकि कर्नाटक राज्य में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और एस के ओ-एल डी ओ डीलरशिपों के आबंटन के बारे में कोई मामला लंबित नहीं था, वहीं आई ओ सी का राज्य में एक ऐसा मामला लम्बित था जहां कंपनी द्वारा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन के लिए स्थान को विज्ञापित किया गया था। आगे की कार्रवाई लंबित थी। यह मामला न्यायाधीन है और इस मामले में आगे की कार्रवाई भारतीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर निर्भर करेगी।

दिल्ली में रेलवे स्टेशन हेतु कार्य योजना

2330. **श्री हितेन बर्मन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़भाड़ से निपटने के लिए कोई कार्य योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्य योजना कब तक तैयार और लागू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) इस वर्ष होली के त्योहार के लिए पूर्व क्षेत्र की ओर जाने वाली गाड़ियां विशेष दिल्ली या नई दिल्ली स्टेशन के स्थान पर दिल्ली सराय रोहिल्ला से चलाई जा रही हैं। जब भी सदाशयी यात्रियों का अत्यधिक भीड़भाड़ होने का अनुमान होता है। मण्डल रेलवे सुरक्षा बल प्राधिकारियों द्वारा भीड़ का नियंत्रण करने के लिए मौजूदा स्त्रोत से अतिरिक्त कार्मिकों को तैनात करके अतिरिक्त प्रबंध किए जाते हैं या फिर रेलवे सुरक्षा विशेष बल को तैनात किया जाता है। इसके अलावा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा संचालित क्लोज्ड-सर्किट कैमरा मानीटरिंग प्रणाली को हाल ही में उन्नयन करके सभी संवेदनशील/भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मानिटरिंग सुविधा मुहैया कराई गई है जिससे स्थिति के बेहतर नियंत्रण के लिए रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सकें। दैनिक आधार पर भीड़भाड़ को संभालना चालू प्रक्रिया है।

सूर्य मंदिर का अनुरक्षण

2331. **श्री जुएल ओराम:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोणार्क के सूर्य मंदिर के अनुरक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) उड़ीसा में स्मारकों विशेषकर सूर्य मंदिर के उचित अनुरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कोणार्क स्थिति सूर्य मंदिर के परिरक्षण पर व्यय की गई राशि इस प्रकार है:

वर्ष	व्यय (लाख रुपए में)
2001-2002	50.13
2002-2003	41.44
2003-2004	65.22

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उड़ीसा के सभी संरक्षित स्मारकों के परिरक्षण की उपयुक्त देखभाल कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, उड़ीसा में स्मारकों के संरक्षण पर व्यय की गई राशि इस प्रकार है:

वर्ष	व्यय (लाख रुपए में)
2001-2002	129.60
2002-2003	102.00
2003-2004	190.00

कोणार्क के जगमोहन के अधिष्ठान के दक्षिणी तरफ तथा उत्तर-पश्चिमी कोने का जीर्णोद्धार कार्य वास्तुशिल्पीय पत्थर घटकों को पुन: जोड़ते हुए किया गया है। आस-पास के क्षेत्रों की पिनिंग तथा ग्राउटिंग करके ढीले पत्थरों को पुन: जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की ने मृदा जांच, भू-राडार अध्ययन तथा कोर नमूना एकत्र किए हैं, जिससे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दीर्घ अवधि के संरक्षण कार्यों की योजना बना सकेगा वह उन्हें प्रारम्भ कर सकेगा।

सूर्य मंदिर कोणार्क में शुरू किए जा रहे अन्य वैज्ञानिक संरक्षण उपायों में घुलनशील लवणों को हटाना, ऊपरी परत को संघटित करना तथा पत्थर की सतह का परिरक्षण करना चाहिए।

कावेरी जेट इंजन को विकसित किया जाना

2332. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोवरी जेट ईंजन को विकसित करना डी.आर.डी.ओ. की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या कावेरी जेट ईंजनों के लिए अपेक्षित परीक्षण सुविधा भारत में उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या कावेरी जेट ईंजनों की उच्च स्थानों पर प्रचालन की क्षमता की जांच करने हेतु रूस में उनका सफल परीक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो भारत में परीक्षण सुविधा विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) गैस टर्बाइन अनुसंधान संस्थान, बेंगलूर में भू-परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। अन्य प्रमुख तथा महत्वपूर्ण परीक्षण सुविधाएं जैसे उच्च तुंगता सिमुलेशन सुविधा, उड़ान परीक्षण बेड तथा कुछ संरचनात्मक परीक्षण सुविधाएं देश में उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी, हां। सिमुलेटिड उच्च तुंगता परीक्षण के कई चरण रूस में पूरे कर लिए गए हैं।

(घ) ऐसी सुविधाएं स्थापित करना लागत प्रभावी नहीं होगा।

[हिन्दी]

माल ढुलाई में सुधार

2333. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मुन्शी राम:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने दसवीं योजना के दौरान अपनी माल ढुलाई में सुधार लाने को उच्च प्राथमिकता दी है;

(ख) क्या उच्च घनत्व वाले कारीडोरों की क्षमता बढ़ाई गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलगाड़ियों की गति 100 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाई गयी है ताकि माल ढुलाई सेवाओं की गति में अंतराल कम किया जा सके;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) रेलगाड़ियों की गति बढ़ाए जाने के परिणामस्वरूप अनुमानित कितनी मात्रा में माल ढुलाई किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित उद्देश्यों में एक उद्देश्य उच्च घनत्व वाले नेटवर्क की क्षमता में वृद्धि करना, थ्रु-पुट में वृद्धि करना और माल गाड़ियों की औसत गति में वृद्धि करना है। इस प्रयोजन के लिए पांच वर्षों की अवधि के भीतर माल गाड़ियों की क्षमता, थ्रु-पुट तथा औसत गति में वृद्धि करने के उद्देश्य से स्वर्णिम चतुर्भुज को सुदृढ़ करने से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए रेल विकास निगम लि. नामक एवं विशेष प्रयोजन योजना बनाई गई है।

रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज और उसके विकर्णों में 100 किमी. प्रति घंटा की गति से माल गाड़ियां चलाने की योजना बनाई है। चूंकि ढोए जाने वाले यातायात बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, अत: मालगाड़ियों की गति में वृद्धि के परिणामस्वरूप ढोए जाने वाले माल यातायात की मात्रा का आकलन करना संभव नहीं है। बहरहाल, वर्ष 2009-2010 तक 776 मिलियन टन प्रारंभिक माल लदान के लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाई गई है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन

2334. श्री मुनव्वर हसन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004 के दौरान आज तक विभिन्न तेल कंपनियों को उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, महाराष्ट्र, हरियाणा में पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन हेतु सामान्य/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/महिला श्रेणी से कितने प्राथमिकता दी गई है;

(ख) स्नातक और स्नातकोत्तर आवेदकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या स्नातक और स्नातकोत्तर आवेदकों को कोई प्राथमिकता दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आवेदकों को पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों को आबंटित करने हेतु कब तक कार्रवाई की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा और महाराष्ट्र राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/

सामान्य श्रेणियों के लिए निर्धारित स्थानों, साथ ही इन श्रेणियों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन हेतु 1.1.2004 से 31.1.2005 की अवधि के दौरान चार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) अर्थात् इंडियन आयल कारपोरेशन लि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और आई बी पी कं. लि. द्वारा राज्यवार प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या निम्नानुसार थी-

उत्तर प्रदेश	-	18,800
उत्तरांचल	-	856
हरियाणा	-	7070
महाराष्ट्र	-	9917

(ख) ओ एम सीज स्नातक और स्नातकोत्तर व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखती है।

(ग) से (घ) डीलरशिपों के लिए आवेदकों के मूल्यांकन हेतु इन कंपनियों के विद्यमान दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट मानदंड के अनुसार, उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के लिए निर्धारित अधिकतम 15 अंकों में से, स्नातकोत्तरों को 12 अंक और स्नातकों को 10 अंक दिए जाते हैं।

(ङ) आवेदकों को खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन के लिए समय सीमा बता पाना संभव नहीं है क्योंकि इसमें आवेदनों और दस्तावेज की छंटाई, डीलर चयन हेतु पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार करना, वरीयता सूची जारी करना, चयनित उम्मीदवार के लिए क्षेत्र जांच आदि जैसे विभिन्न कदम शामिल हैं।

झुग्गी पुनर्वास योजना का क्रियान्वयन

2335. श्री ब्रजेश पाठक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को रेलवे की भूमि पर झुग्गी पुनर्वास योजना क्रियान्वित करने हेतु स्वीकृति देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या झुग्गी वासियों को नि:शुल्क आवास देने हेतु राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी कर दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए कुछ राज्य सरकारों से रेलवे भूमि उपलब्ध कराने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) अतिक्रमण करने वालों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए रेलवे भूमि को उपलब्ध कराने की रेलवे की कोई नीति नहीं है। बहरहाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकार की पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति, जिसे शहरी विकास और गरीबी उपशमन द्वारा अपनाया गया है, के अनुसार सुरक्षा-जोन में रेलवे भूमि पर अतिक्रमणकर्त्ताओं को काबिज अथवा स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए रेलवे को लागत में भागीदारी करना अपेक्षित होता है। इसी प्रकार, मुंबई में मुंबई शहरी यातायात परियोजना के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ रेलवे परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए लागत में भागीदारी कर रही है।

रक्षा उत्पादन में लगे उद्योग

2336. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में काफी संख्या में लघु और वृहत उद्योग रक्षा संबंधी सामग्रियों के उत्पादन में लगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां।

(ख) रक्षा क्षेत्र में भारतीय निजी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, रक्षा उद्योग क्षेत्र, जो अब तक सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित था, को मई, 2001 में, लाइसेंस की शर्तों पर 26 प्रतिशत तक अनुमत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ 100 प्रतिशत तक निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए खोल दिया गया था। 'उत्पाद कार्य योजना' पर आधारित दृष्टिकोण के मद्देनजर वर्तमान अधिग्रहण प्रक्रिया में संशोधन करने तथा प्रयोक्ताओं, रक्षा मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग, जिनमें सरकारी तथा निजी क्षेत्र, दोनों शामिल हैं, के एकीकरण हेतु तौर-तरीकों की सिफारिश करने के लिए वित्त मंत्री के पूर्व सलाहकार, डा. विजय एल. केलकर की अध्यक्षता में सरकार ने एक समिति का भी गठन किया है।

[अनुवाद]

हाइड्रोकार्बन का निष्कर्षण

2337. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री के.एस. राव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में हाइड्रोकार्बन के सीमित भण्डार के मद्देनजर सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों और अन्य निगमित निकायों से भारत के बाहर हाइड्रोकार्बन का पता लगाने व उसका निष्कर्षण करने का कार्य करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार खाड़ी देशों, अफ्रीकी और एशियाई देशों में, जहां हाइड्रोकार्बन के बड़े भण्डार हैं, इस क्षेत्र में निवेश की सीमा हटाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अत्यधिक निवेश करने वाली कंपनियों को क्या प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के ऊर्जा सुरक्षा खण्ड के उद्देश्यों के अनुरूप देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए ओ एन जी सी विदेश लि. (ओ वी एल), आई ओ सी, ओ आई एल और गेल जैसी राष्ट्रीय तेल कंपनियां विदेश में इक्विटी तेल और गैस के अर्जन तथा विदेश में अन्वेषण रकबों और उत्पादनशील सम्पत्तियों के अर्जन के प्रयास कर रही हैं। इन कंपनियों के वियतनाम, सूडान, रूस, इराक, ईरान, म्यांमार, लीबिया, सीरिया, आस्ट्रेलिया, आइवरी कोस्ट, कतर और मिश्र में स्थित तेल और गैस परियोजनाओं में भागीदारी हित हैं।

(ख) सरकार प्रस्ताव के गुणावगुण और देश की ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की नीति के आधार पर अनुमोदन प्रदान करती है। निवेश की कोई सीमा नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कंपनियां अपने-अपने विदेशी प्रचालनों के लिए कतिपय राजकोषीय प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं जिन अनुरोधों पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेने के लिए सरकार से अनुरोध करती हैं।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को निधियों का आवंटन संबंधी समिति

2338. श्री मुनव्वर हसन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कल्याण योजनाओं में संलग्न गैर-सरकारी संगठनों हेतु निधियों का प्रावधान करने संबंधी किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसकी संरचना क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें दी गयी हैं तथा सरकार द्वारा उनके क्रियान्वयन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है;

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना है; और

(च) समिति के गठन के समय से आज तक उसकी कितनी वार्षिक बैठकें हुई हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, हां। श्री एस. सत्यम भा.प्र.से. (सेवानिवृत्ति) की अध्यक्षता में ''गैर-सरकारी संगठनों से संबंधित मुद्दों पर एक सलाहकार समिति'' गठित की गई थी। इसमें पांच अन्य सदस्य थे।

(ग) और (घ) जी, हां। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कतिपय सिफारिशें की हैं जो परामर्शी स्वरूप की हैं। ये सिफारिशें, राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों—मातृ स्वैच्छिक संगठनों—क्षेत्रीय स्वैच्छिक संगठनों (एन वी ओ-एम वी ओ - एफ वी ओ), सहायता-अनुदान प्रशासन के लिए माडल, राज्य स्तर पर सशक्त समितियों को सहायता अनुदान निर्मुक्त करने के लिए शक्ति का विकेन्द्रीकरण, गैर-सरकारी संगठनों का वर्गीकरण, कार्यकरण में पारदर्शिता, सहायता अनुदान प्रशासन, मानीटरिंग पद्धति एवं निरीक्षण के लिए कम्प्यूटरीकृत नेटवर्क विकसित करने के संबंध में हैं। इन सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों को स्क्रीनिंग समिति के सदस्यों के रूप में शामिल कर लिया गया है जो नए मामलों से संबंधित सहायता अनुदान की स्वीकृति के लिए स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त आवेदनों की जांच करती है। मंत्रालय की वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक

मीडिया के माध्यम से स्कीमों और कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार किया जाता है। निधियों को स्वैच्छिक संगठनों के बैंक खाते में तार्-संचार के माध्यम से अंतरित किया जाता है। स्वैच्छिक संगठनों के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किए जाते हैं।

(ङ) और (च) समिति ने अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है।

[अनुवाद]

लालकिले के अन्दर और इसके आस-पास सौंदर्यीकरण

2339. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा लालकिले के अन्दर और इसके आस-पास सौंदर्यीकरण का अभियान शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस पर अभी तक कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त अभियान के निष्पादन के बाद आंगतुकों को लालकिले के अन्दर और इसके आस-पास पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। लालकिला के पूर्व तथा पश्चिम के क्षेत्र में भू-दृश्य निर्माण (लैण्डस्केप) किया गया है।

(ग) लालकिला के भीतर तथा इसके आसपास निर्माण कार्यों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	व्यय (लाख रुपए में)
2001-2002	40.69
2002-2003	192.88
2003-2004	292.53
2004-2005	160.85

(घ) और (ङ) जी हां। पार्किंग सुविधाएं विकसित करने के लिए क्षेत्र की पहचान कर ली गई है तथा यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है।

एस.सी.ए. द्वारा लिए जाने वाले ब्याज दरों को तर्कसंगत बनाना

2340. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) का मुख्य उद्देश्य स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना करने तथा आय सृजित करने वाली योजनाओं को शुरू करने हेतु अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों को रियायती दर पर वित्त मुहैय्या करना है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अन्य पिछड़ा वर्गों के कितने लोगों को रियायती दर पर राज्य-वार वित्त प्रदान किया गया है;

(ग) क्या स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसियां (एस.सी.ए.) अन्य पिछड़ा वर्गों से उनकी दयनीय वित्तीय स्थिति के बावजूद काफी उच्च ब्याज दर वसूल कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो एस.सी.ए. द्वारा लिए जा रहे ब्याज दर को तर्कसंगत बनाए जाने के लिए क्या उपाय किए गए है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां लाभार्थियों से सेवा प्रभार के रूप में 3% ब्याज ले रही है जिसका उपयोग पत्र लाभार्थियों का पता लगाने, उनके सत्यापन, ऋण संवितरण, ऋण की वसूली तथा सबसे निचले स्तर पर इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किया जाता है। सेवा प्रभार कम किए जा सकते हैं यदि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अपनी संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक सब्सिडी दें। इसके अलावा, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए सेवा प्रभारों के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा इंगित ब्याज दर, अधिकतम ब्याज दर है जिसे लाभार्थियों से लिया जा सकता है और राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां निर्धारित ब्याज दर से कम ब्याज दर पर वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष (10.3.2005 तक) में संवितरण, लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05 (10.03.2005 तक)	
		संवितरण	लाभार्थी	संवितरण	लाभार्थी	संवितरण	लाभार्थी	संवितरण	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2045.00	16584	1750.00	41917	1150.00	24065	150.00	300
2.	असम	159.53	585	327.44	241	95.68	274	0.00	0
3.	बिहार	500.00	680	175.00	180	7.50	10	70.00	123
4.	छत्तीसगढ़	0.00	0	101.50	203	25.00	40	108.19	137
5.	चंडीगढ़	12.00	21	0.00	0	15.00	25	24.70	72
6.	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा.	0.00	0	100.00	200	50.00	55	50.00	78
7.	दमन व दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
8.	गुजरात	1040.00	2475	2210.42	3136	350.00	615	250.00	615
9.	गोवा	112.38	57	122.56	72	46.67	26	28.45	15
10.	हरियाणा	100.00	470	0.00	0	200.00	940	150.00	655
11.	हिमाचल प्रदेश	333.50	282	199.75	176	182.84	256	154.26	265
12.	जम्मू-कश्मीर	5.00	50	10.00	40	15.00	30	40.60	97
13.	झारखंड	0.00	0	0.00	0	270.30	540	0.00	0
14.	कर्नाटक	1276.25	7350	1200.98	9276	1690.77	7757	866.25	5878
15.	केरल	2032.61	7083	3133.40	17635	3067.50	11900	1147.50	3488
16.	मध्य प्रदेश	515.22	2358	275.50	993	492.50	1292	48.75	107
17.	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
18.	महाराष्ट्र	798.64	1131	1169.65	3088	2684.00	5570	1950.00	5941
19.	उड़ीसा	646.00	2298	5.00	50	50.00	105	25.00	400
20.	पंजाब	0.00	0	100.00	196	43.00	629	50.00	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पांडिचेरी	71.98	196	50.00	170	50.00	173	50.00	176
22.	राजस्थान	100.00	190	199.75	397	114.68	278	243.40	660
23.	सिक्किम	154.14	170	60.00	230	125.00	170	124.90	154
24.	तमिलनाडु	212.04	965	325.00	2146	1075.00	28717	650.00	23219
25.	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
26.	उत्तर प्रदेश	1144.00	1732	700.00	1894	550.00	1138	416.00	4403
27.	उत्तरांचल	0.00	0	0.00	0	9.00	40	27.75	37
28.	पश्चिम बंगाल	677.25	1250	377.00	2442	750.00	1675	400.00	1708
	कुल	11935.54	45927.00	12592.95	84682.00	13109.44	86320.00	7025.75	48613.00

संग्रहालयों से चोरी

2341. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपनी पत्नियों के साथ खड़े गणेश और ब्रह्मा की मूर्तियां ओपन स्काई म्यूजियम, पाटन से चोरी हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच करवायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले हैं तथा इसमें शामिल पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं;

(च) यदि हां, तो वर्ष 2004-2005 के दौरान दर्ज ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) जी हां। सहस्त्रलिंग तालाब, मुक्त आकाश संग्रहालय, पाटन से अनुमानत: 11वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर से बनी चार भुजाओं वाले गणेश की खड़ी प्रतिमा तथा ललितआसन में अपनी पत्नी के साथ बैठे चार भुजाओं वाले ब्रह्मा की प्रतिमा चोरी हो गई थी। विभागीय जांच में ड्यूटी पर तैनात स्मारक परिचारकों को दोषी पाया गया और विभागीय कार्रवाई की गई। स्थानीय पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और चोरी हुई पुरावस्तुओं को बरामद करने के लिए प्रवर्तन प्राधिकारियों को आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) से (छ) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता की पुरातत्व वीथि से 29 दिसम्बर, 2004 को "बुद्ध प्रतिमा का सिर (सारनाथ)" नामक एक मूर्ति गुम हुई पाई गई थी। यह मामला जांच के लिए कोलकाता पुलिस को सौंप दिया गया है। मंत्रालय ने समय-समय पर सभी संग्रहालयों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है और आवश्यक निर्देश दिए हैं। सरकार ने संग्रहालय सुरक्षा से संबद्ध मुद्दों की जांच हेतु एक सुरक्षा समिति, जिसमें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और आसूचना ब्यूरो से सदस्य लिए गए हैं, का गठन भी किया है। इस समिति को मौजूदा नीति की समीक्षा करने, गंभीर कमियों का पता लगाने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य संग्रहालय सुरक्षा उपायों संबंधी न्यूनतम मानक की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है।

दूरस्थ क्षेत्र में अपर्याप्त पुलिस सुरक्षा, प्रत्येक स्मारक में देख-रेख स्टाफ की व्यवस्था न होना तथा अपर्याप्त संचार सुविधाओं जैसे विभिन्न कारकों के कारण ऐसी चोरियां हुई हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए चुनिंदा केन्द्रीकृतरूप से संरक्षित स्मारकों तथा स्थलों पर निजी सुरक्षा के साथ-साथ सशस्त्र गार्ड भी तैयार किए गए हैं।

[हिन्दी]

भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन

2342. श्री रामदास आठवले: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रकाशन प्रभाग ने भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिन्दी और मराठी में पुस्तकें प्रकाशित की हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर उक्त भाषाओं की इन पुस्तकों के अलग-अलग शीर्षक क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस पर खर्च की गयी धनराशि का भाषावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं में और अधिक पुस्तकें प्रकाशित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान मराठी शीर्षकों पर 3,69,248/- रु. और हिन्दी शीर्षकों पर 1,36,89,307/- रु. की राशि व्यय की गई।

(घ) प्रकाशन विभाग हिन्दी भाषा के अतिरिक्त मराठी, उर्दू, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, गुजराती, पंजाबी आदि जैसी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करता है। आधुनिक भारत के निर्माता श्रृंखला के अंतर्गत सुविख्यात विभूतियों की जीवनियां हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। इसके अतिरिक्त, किसी भी भाषा के लोकप्रिय शीर्षक वाली पुस्तकों की बाजार में मांग पर निर्भर करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में उनका अनुवाद कराया जाता है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान अब तक हिन्दी एवं मराठी में निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

वर्ष 2002-03

नई शीर्षक

1. श्यामजी कृष्ण वर्मा
2. भारतीय महिलाएं नई दिशाएं
3. हवा की बेटी
4. भारतीय पत्रकारिता का इतिहास
5. भारतीय प्रेस 1955 से अब तक
6. नम्दू भैया की पतंगें
7. जीवन की उत्पत्ति और विकास
8. लोकनायक जयप्रकाश नारायण (बीएमआई)
9. मीरा मुक्ति की साधिका
10. डा. राजेन्द्र प्रसाद व्याख्यानमाला-1999
11. चौदह घंटे
12. हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की घराना परम्परा
13. मन का रिश्ता
14. कबूतर उड़ गए
15. भारत के गौरव ग्रंथ-तेलुगु
16. पंडित दीनदयाल उपाध्याय (बीएमआई)
17. बांसुरी की आवाज
18. दो दोस्त
19. देश विदेश के चिड़ियाघर
20. तंत्रीवादक
21. अंतरिक्ष में भारत
22. बिरसा मुंडा (बीएमआई)
23. साधारण आविष्कारों की असाधारण सफलताएं
24. भारत के गौरव ग्रंथ-मराठी
25. कथा कथक की
26. भारत-2003
27. लाल फूलों वाला पेड़
28. भारतीय संविधान और आम आदमी
29. कुर्बानी अनजान शहीदों की
30. हमारे आज के क्रिकेट सितारे
31. नम्बर एक कौन: सचिन, वाघ या लारा
32. गोविंदा स्वामी (अष्टछाप कवि)

33. डा. केशव बलीराम हेडगेवार (बीएमआई)

34.-68 संपूर्ण गांधी वांड.मय (संशोधित खंड 1 से 35)

पुनर्मुद्रित

1. सुकुमालिया का त्याग
2. क्रांतकारियों का बचपन
3. बेताल कथाएं
4. विदेशी यात्रियों की नजर में भारत
5. आदिकवि महर्षि वाल्मीकि
6. पौराणिक बालकथाएं
7. महारथी करण
8. अमर शहीद भगत सिंह
9. लक्षद्वीप की समुद्री कथाएं
10. हमारे स्काउट्स गाइड
11. भारत के महान शिक्षा शास्त्री
12. हमारी झीलें और नदियां
13. भारतीय संस्कृति की झांकियां
14. एक देश एक हृदय
15. अपनी हिंदी सुधारें
16. हमारे मुस्लिम संत कवि
17. पौराणिक बाल कथाएं (भाग II)
18. अंतरिक्ष यान के कारनामे
19. खरगोश की सींग
20. विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं भाग-I
21. भारत के प्राचीन स्मारक
22. धनुआ राज
23. साबू सटपट
24. बाल बोध कथाएं
25. लाक्षागृह
26. मन का उजाला
27. गोपाल कृष्ण गोखले
28. कमल और केतकी
29. उस्ताद भूरे लाल
30. राजस्थान के नारी रत्न
31. शेर का दिल
32. लो गुब्बारे
33. देश विदेश की कहानियां

वर्ष 2003-04

नए शीर्षक

1. भारत के प्राचीन शस्त्रास्त्र
2. सरस कहानियां
3. उस्ताद अदाउद्दीन खान
4. झांकी हिंदुस्तान की
5. छोटी आंखों का बड़ा सपना
6. अनोखी शादी
7. डा. राम मनोहर लोहिया (बीएमआई)
8. उत्तरांचल राज्य
9. छीत स्वामी
10. अक्षर कथा (संशोधित)
11. भारत-2004
12. जन-कथाकार शैलेश मटियानी
13. नुपुर नक्षत्र
14. निकोलोई रोरिक
15. क्लोनिंग
16. डा. राजेन्द्र प्रसाद व्याख्यानमाला (1996-1998)
17. डा. राजेन्द्र प्रसाद व्याख्यानमाला (2000-2002)

18.-82. संपूर्ण गांधी वांड.मय (संशोधित खंड 36-100)

83. आदिवासी गढ़ छत्तीसगढ़
84. नए विश्व की ओर-निर्णायक दौर
85. विकसित अर्थव्यवस्था की ओर-निर्णायक दौर

पुनर्मुद्रित

1. करतबी जानवर
2. खीर की गुड़िया
3. बोध कथाएं
4. गुरू रामसिंह और कूका विद्रोह
5. जंगल का न्याय
6. हाड़ी रानी
7. उत्तर प्रदेश की लोक कथाएं
8. नोबल पुरस्कार विजेता महिलाएं
9. चेतक और प्रताप
10. ज्ञानी चूहा
11. रानी लक्ष्मीबाई
12. विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं
13. बेताल कथाएं
14. भारत के नारी रत्न
15. अनजाने में हुए आविष्कार
16. बर्फ का दूल्हा
17. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
18. भारत की वीर गाथाएं
19. सरल पंचतंत्र
20. अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल
21. एक दिन का मेहमान
22. पहेलियां
23. स्वर्ण हंस तथा अन्य जातक कथाएं
24. हमारे परमवीर
25. सन् सत्तावन के भूले बिसरे शहीद
26. सतखंडी हवेली का मालिक
27. महापुरुषों में प्रेरक प्रसंग
28. डा. केशव बलीराम हेडगेवार (बीएमआई)
29. भारतीय जनजातियां
30. हमारे वृक्ष
31. बिरसा मुंडा (बीएमआई)
32. आलाह ऊदल
33. भारत के लोकगाथा गीत

वर्ष 2004-05

नए शीर्षक

1. जन कवि नागार्जुन
2. कविता आजकल
3. अंतरिक्ष में भारत (संशोधित)
4. बागवानी कैसे करें
5. स्वामी सहजानंद सरस्वती (बीएमआई)
6. छुपम-छुपाई
7. देशभक्ति के नाटक
8. कहानी आजकल
9. विकलांगता, कारण, बचाव व निदान
10. समय का सफर
11. सी. सुब्रह्मण्यम भारती (बीएमआई)
12. वेद गाथा
13. तारों भरा आकाश
14. आंध्र केसरी टी प्रकाशम (बीएमआई)
15. उम्र के इस दौर में
16. भारत-2005
17. पं. दीनदयाल उपाध्याय (बीएमआई)
18. बाल शिक्षा और बाल स्वास्थ्य

पुनर्मुद्रित

1. भारत-2004
2. युगपुरुष अम्बेडकर

3. भीमराव अम्बेडकर (बीएमआई)
4. सुकुमालिया का त्याग
5. विश्व की श्रेष्ठ लोककथाएं भाग-I
6. विदेशी यात्रियों की नजर में भारत
7. खीर की गुड़िया
8. बाल बोध कथाएं
9. पौराणिक बाल कथाएं
10. सांस्कृतिक एकता का गुलदस्ता
11. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
12. एकता की बोलती तस्वीरें
13. लक्षद्वीप की समुद्री कथाएं
14. लाक्षागृह
15. अपनी हिंदी सुधारें
16. एक देश एक हृदय
17. कबूतर उड़ गए
18. रोचक ऐतिहासिक कथाएं भाग-II
19. नोबल पुरस्कार विजेता महिलाएं
20. हमारे आज के क्रिकेट सितारे
21. सफर का साथी
22. चेक और प्रताप
23. पंडित दीनदयाल उपाध्याय (बीएमआई)
24. लो गुब्बारे
25. हमारे बहादुर बच्चे
26. जवाहरलाल नेहरू (बीएमआई)
27. सन सत्तावन के भूले बिसरे शहीद
28. भारत के प्राचीन स्मारक
29. हमारी झीलें और नदियां
30. सरल पंचतंत्र
31. छोटी आंकों का बड़ा सपना
32. लाल फूलों वाला पेड़
33. कुर्बानी अनजान शहीदों की
34. आलहा ऊदल
35. हवेली
36. आदिकवि महर्षि वाल्मीकि

वर्ष 2002-03

मराठी शीर्षक

इस वर्ष मराठी का कोई शीर्षक नहीं निकाला गया।

वर्ष 2003-04

1. इंडियन ट्राइब्स थ्रू द एजेज
2. डा. के.बी. हेडगेवार

वर्ष 2004-05 (अब तक)

1. ग्रेट मैन ग्रेट डीडज

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी. की विदेशों में परियोजनाएं

2343. श्री दुष्यंत सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस (ओ.एन.जी.सी.) लिमिटेड ने अन्य देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं शुरू करने हेतु अभिरुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो ओ.एन.जी.सी. द्वारा विदेशों हेतु प्रस्ताव प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं में कितनी धनराशि का निवेश शामिल है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) यद्यपि आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) का फिलहाल अन्य देशों में संयुक्त उद्यम परियोनजाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, ओ.एन.जी.सी. के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ओ.एन.जी.सी. विदेश लि. (ओ वी एल) विदेश में विभिन्न ई एण्ड पी परियोजनाओं में भागीदार कंपनियों के साथ भागीदारी करते हुए ई एण्ड पी कार्यों में लगी हुई है, 31.12.2004 तक जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ओ.एन.जी.सी. की विदेशी परियोजनाएं

(अमेरीका मिलियन डालर में)

क्र.सं.	देश	परियोजना	अधिग्रहण का वर्ष	ओ वी एल भागीदारी हित (पी आई)	अपने-अपने भागीदारी हितों के साथ भागीदार	हाल ही में अनुमानित पूंजी निवेश/अधिग्रहण विचार कार्यक्रमों में ओ बी एल का हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7
1.	वियतनाम	ब्लाक 06.1	1988	45%	प्रचालनीय अधिकार के साथ ब्रिटिश पेट्रोलियम-35% पेट्रो वियतनाम-20%	228
2.	ईराक	ब्लाक-8	मई, 2001	100%		15%
3.	रूस	सखालिन-1	जुलाई, 2001	20%	प्रचालनीय अधिकार के साथ एक्शन मोबिल -30% सोडिको-30% एसएमएनजी-एस-11.5% आरएन-अस्ट्रा-8.5%	2770
4.	म्यांमार	ब्लाक ए-1	अप्रैल, 2002	20%	प्रचालनीय अधिकार के साथ देवू इंटरनेशनल कारपोरेशन-60% को गैस-10% गेल-10%	27
5.	ईरान	फारसी अपतट	दिसम्बर, 2002	40% प्रचालनीय अधिकार के साथ	इंडियन आयल कारपोरेशन-40% आयल इंडिया लिमिटेड-20%	15
6.	सूडान	जी एन ओ पी	मार्च, 2003	25%	चाईना नेशनल पेट्रोलियम कंपनी (सीएनपीसी)-40% पेट्रोनास-30% सुडापेट-5% संयुक्त प्रचालनीय अधिकार	669
7.	लीबिया	एनसी-188 और एनसी -189	जून, 2003	49%	प्रचालनीय अधिकार के साथ टर्किश पेट्रोलियम ओवरसीज कंपनी-51%	30

1	2	3	4	5	6	7
8.	सीरिया	ब्लाक-14	जनवरी, 2004	60%	प्रचालनीय अधिकार के साथ आईपीआर इंटरनेशनल-40%	6
9.	सूडान	ब्लाक 5ए	मई, 2004	24.125%	पेट्रोनास-68.875% सूडापेट-7% पेट्रोनास और सूडापेट संयुक्त प्रचालनीय अधिकार	269
10.	सूडान	ब्लाक 5बी	मई, 2004	23.5%	पेट्रोनास-41% सूडोपेट-11% लुनडिन -24.5% पेट्रोनास और सूडापेट संयुक्त प्रचालनीय अधिकार	26
11.	सूडान	पाइपलाइन परियोजना	जून, 2004.	90%	आयल इंडिया लिमिटेड-10%	111
12.	आस्ट्रेलिया	डब्ल्यूए 306 पी	अगस्त, 2004	55%	प्रचालनीय अधिकार के साथ एनट्रीम एनर्जी इंक.-32.5% मेगालन -12.5%	7
13.	आइवरी कोस्ट	सीआई -112	सितंबर, 2004	23.5%	प्रचालनीय अधिकार के साथ आयल इंडिया लिमिटेड 11.5% वैनको-30% साइनोपेक-30% पेट्रोसी-5%	17.85

ओ.एन.जी.सी. द्वारा किराया आधार पर ली गयी भूमि

2344. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. ने कुओं से कच्चा तेल निकालने हेतु किराया आधार पर भूमि अधिगृहीत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने ओ.एन.जी.सी. को किसानों से भूमि खरीदने का निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ओ.एन.जी.सी. द्वारा इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है/लिए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) ओएनजीसी अपने अन्वेषण और उत्पादन क्रियाकलापों को चलाने के लिए यथापेक्षित किराया आधार पर अथवा स्थाई रूप से भूमि अर्जित करती है। एक बार हाईड्रोकार्बन संभाव्यता सिद्ध हो जाने पर, भूमि का अधिग्रहण स्थाई आधार पर कर लिया जाता है।

[हिन्दी]

इथनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री

2345. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इथनाल का वार्षिक रूप से अनुमानित उत्पादन कितना होता है;

(ख) क्या इथनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री में कठिनाई आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस कठिनाई को किस प्रकार से दूर किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) एथेनोल तैयार करने के लिए प्रयुक्त गन्ने से व्युत्पन्न शीरा एक अनियंत्रित मद है। इस प्रकार एथेनोल के उत्पादन के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2003 के अंत में और वर्ष 2004 में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में एथेनोल की उपलब्धता अपर्याप्त और अनिश्चित रही है। सभी स्थानों में एथेनाल की कीमतें भी पर्याप्त रूप से बढ़ी है।

राज्य सरकारों से विचार-विमर्श के बाद सरकार ने दिनांक 27.10.2004 के जी एस आर 705 (ई) द्वारा अधिसूचित किया था कि अधिसूचित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बी आई एस विनिर्देशनों के अनुसार 5% एथेनोल मिश्रित पेट्रोल बेचा जाएगा, यदि एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति के लिए स्वदेशी एथेनोल स्रोतीकरण की कीमत वैकल्पिक प्रयोग हेतु स्वदेशी एथेनोल की कीमत के समान हों और एक स्थान पर एथेनोल का सुपुर्दगी मूल्य उस स्थान पर पेट्रोल के आयात समता मूल्य के अनुरूप हो तथा स्वदेशी एथेनोल उद्योग इन मूल्यों पर एथेनोल मिश्रित पेट्रोल के लिए एथेनोल की उपलब्धता बनाए रखने में सक्षम हो।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में गैस कनैक्शन

2346. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस कनैक्शन प्रदान करने संबंधी राज्यवार नीति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सहित अलग-अलग राज्यों के कौन-कौन से स्थानों पर उन्हें गैस एजेन्सी विपणन योजना में शामिल किये जाने के बावजूद गैस एजेंसियां नहीं खोली गयी हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन स्थानों पर गैस एजेंसियां कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) कौन-कौन से स्थानों पर गैस आपूर्ति के वैकल्पिक प्रबंध किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) सरकार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की विपणन योजना का अनुमोदन नहीं करती। इन्हें उनके द्वारा वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के आधार पर स्थापित किया जाता है। तथापि, सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को यह परामर्श दिया है कि वे अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए विपणन योजनाएं तैयार करें जिससे इन क्षेत्रों में एल पी जी के उपयोग का प्रचार किया जा सके। 1.1.2005 की स्थिति के अनुसार तेल विपणन कंपनियों ने देश में 8,808 एल पी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू की थीं, जिनमें कर्नाटक में 479 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित हैं।

तेल विपणन कंपनियों ने ग्रामीण और अन्य कम खपत क्षेत्रों में एल पी जी की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए उपाय किए हैं। इनमें गांवों में सामुदायिक रसोइयां खोलना और 5 कि.ग्रा. के एल पी जी सिलेंडरों की बिक्री सम्मिलित है।

केबल किराया में बढ़ोत्तरी

2347. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केबल आपरेटरों ने प्रसारकों द्वारा अपना शुल्क बढ़ाए जाने के मद्देनजर उपभोक्ताओं हेतु केबल किराया बढ़ाने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) केबल उपभोक्ताओं द्वारा केबल आपरेटरों को और केबल आपरेटरों द्वारा बहु-प्रणाली संचालकों/प्रसारकों को देय प्रभारों का विनियमन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इन प्रभारों को दिनांक 26.12.2003 तक की स्थिति के अनुसार नियत किया गया था। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए इन प्रभारों में दिनांक 1.1.2005 से 7 प्रतिशत तक की वृद्धि करने की अनुमति दी गयी है। ये अधिकतम सीमाएं दिनांक 26.12.2003 के बाद शुरू होने वाले पे चैनलों अथवा दिनांक 26.12.2003 के पश्चात् पे चैनलों में परिवर्तित फ्री-टु-एयर चैनलों के लिए लागू नहीं है। तथापि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि इन चैनलों की दरें दिनांक 26.12.2003 तक की स्थिति के अनुसार सदृश चैनलों की दरों के ही समान होनी चाहिए और इनको एकल-स्थिति आधार पर या तो अलग-अलग या अलग से एक नए समूह के भाग के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण इस संबंध में जारी अपने प्रशुल्क आदेश के अनुसार केबल प्रभारों में वृद्धि की शिकायतों की जांच करता है और कानून के अंतर्गत यथावश्यक कार्रवाई करता है।

यात्री निवास

2348. श्री जुएल ओराम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में रेल प्रयोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यात्री निवास स्थापित करने का कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो दसवीं योजना के दौरान प्रस्तावित यात्री निवासों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ जोनवार किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) राज्यों की राजधानियों और प्रमुख शहरों में सस्ती खान-पान और रहने की सुविधाओं से संबंधित रेल प्रयोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) ने प्रथम चरण में सार्वजनिक निजी भागीदारी से चंडीगढ़ (उत्तर रेलवे), हबीबगंज (भोपाल), (पश्चिम मध्य रेलवे), सिकंदराबाद (दक्षिण मध्य रेलवे), बेंगलौर (दक्षिण पश्चिम रेलवे), मदुरै (दक्षिण रेलवे) और सियालदह (पूर्व रेलवे) में यात्री निवास/बजट होटल स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर कई स्थानों पर यात्री निवास/बजट होटलों का निर्माण शुरू करेगा। बहरहाल, भारतीय रेलवे पहले ही बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सभी महत्वपूर्ण राज्यों की राजधानियों/मुख्य स्टेशनों पर उचित मूल्यों पर विश्राम कक्ष (वातानुकूलित) और गैर वातानुकूलित डोरमेट्रियों के माध्यम से लाजिंग की सुविधा और खान-पान सेवाएं सामिष और निरामिष अल्पाहार गृहों, बहु व्यंजन फूड प्लाजाओं, स्टालों और ट्रालियों के माध्यम से मुहैया कराती है। राज्यों की राजधानियों और मुख्य शहरों में मौजूदा विश्राम कक्षों में मौजूदा स्थानों की नियमित तौर पर समीक्षा की जाती है और तदनुसार अतिरिक्त कक्ष/बिस्तरों की व्यवस्था कराने के लिए प्रयत्न किया जाता है।

एस.यू.-30 एम.के.आई. का उन्नयन

2349. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान एस.यू.-30 एम.के.आई. के संयुक्त उन्नयन हेतु भविष्यदर्शी योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने स्वदेश में ही एस.यू.-30 एम.के.आई. लड़ाकू विमानों का विनिर्माण शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत रूस की अनुमति से भिन्न प्रकार के एस.यू.-30 एम.के.आई. विमानों के निर्यात की योजना बना रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) बहु-भूमिका वाले लड़ाकू विमान सुखोई-30 एम.के.-1 के, भविष्य में, संयुक्त रूप से उन्नयन की कोई योजना नहीं है। हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने रूस से प्राप्त लाइसेंस के अंतर्गत सुखोई-30 एम.के.-1 विमान का स्वदेश में विनिर्माण शुरू कर दिया है। सरकार ने विमान के प्रथम बैच के लिए हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

पुस्तकों की बिक्री पर प्रतिबंध

2350. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में रेलवे बुक स्टालों पर सर्व सेवा संघ की पुस्तकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन बुक स्टालों पर सर्व सेवा संघ की पुस्तकों की बिक्री कब से की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सर्व सेवा संघ भारतीय रेल के विभिन्न स्टेशनों पर वर्ष 1963 से बुक स्टाल चला रहा है।

एच.ई.सी. को क्रयादेश

2351. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को आर्थिक मदद दी है और विभिन्न रक्षा मदों की खरीद हेतु क्रयादेश भी दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष (2004-05) के दौरान, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची (एचईसी) को 31.07.2004 की स्थिति के अनुसार वेतन/मजदूरी और बकाया सांविधिक देयताओं का भुगतान करने के लिए 125.65 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता मुहैया करायी गयी है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2004-05 में रक्षा क्षेत्र से 4.36 करोड़ रुपये मूल्य का क्रयादेश प्राप्त किया है।

[अनुवाद]

रेलवे में भ्रष्टाचार/अनियमितताएं

2352. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक मंडल में रेल मंडल प्रबंधकों के गलत कार्यों की जांच हेतु सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की है;

(ख) क्या यह सच है कि ये सतर्कता अधिकारी रेलवे के स्थायी कर्मचारी है और उन्हें मंडल प्रबंधकों के गलत कार्यों की जांच करने के बजाय वे मुख्य सतर्कता आयुक्त के स्थान पर मंडल प्रबंधकों को रिपोर्ट कर रहे है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे कर्मचारियों के अलावा सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव है;

(घ) रेलवे में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर रेलवे के अधिकारियों और मंडल प्रबंधकों के विरुद्ध सतर्कता मामलों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेलवे में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सतर्कता द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

* गाड़ियों की क्षमता में संवर्धन करके मांग और आपूर्ति की खाई को पाटना।
* आम जनता से मुखातिब होने वाले आरक्षण कार्यालय, बुकिंग काउंटर्स, पार्सल और माल बुकिंग कार्यालय तथा इस प्रकार के अन्य कार्यकलापों में केवल सतर्कता संगठन द्वारा ही नहीं अपितु संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी की जाने वाली जांचों में तेजी लाना।
* संदेहास्पद गतिविधि वाले अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखना।

* पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए तथा भ्रष्टाचार राजस्व की चोरी की संभावनाओं को कम करने के लिए प्रणाली में सुधार तथा प्रक्रिया में संशोधन।

* भ्रष्टाचार/राजस्व की चोरी से संबंधी शिकायतों की तफ्तीश।

* भ्रष्टाचार में दोशी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना ताकि लोगों को नसीहत मिल सके।

* निविदाओं और संविदाओं संबंधी मसलों से वाबस्ता वरिष्ठ अधिकारियों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण।

* रेल सुरक्षा बल का सशक्तिकरण ताकि ठन दलालों और अप्राधिकृत ट्रैवेल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करना जो गाड़ियों में बर्थों को हथियाने का प्रयास करते हैं। कानूनी मामला होने के नाते इसमें कुछ समय लग सकता है तब तक स्थानीय पुलिस प्रशासन से अधिक से अधिक तालमेल बनाए रखना।

* कर्मचारियों की अवांछित तत्वों से सांठ-गांठ करने पर अकुंश लगाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर तैनात अधिकारियों के बारी-बारी से तबादले की प्रक्रिया को कार्यान्वित करना।

* त्वरित फैसले लेने के लिए फील्ड कर्मियों को अधिक शक्तियां प्रत्योजित करना क्योंकि विलंब से ही भ्रष्टाचार पनपता है।

* रेल भर्ती बोर्डों में सत्यनिष्ठित अधिकारियों की तैनाती।

* जनता से सहयोग लेना कि वे अपना कार्य करवाने के लिए भ्रष्ट कर्मियों को रिश्वत न दे बल्कि वे ऐसे मामले सतर्कता संगठन की जानकारी में लाएं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे के किसी भी मंडल रेल प्रबंधक के खिलाफ कोई सतर्कता मामला नहीं दर्ज किया गया है। बहरहाल, उसी अवधि के दौरान उत्तर रेलवे के अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए सतर्कता मामले के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए सतर्कता मामलों की संख्या
1.	2002	31
2.	2003	24
3.	2004	12

कच्चे तेल संबंधी रायल्टी दर

2353. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अंतिम बार कच्चे तेल की रायल्टी दरों को कब संशोधित किया गया था;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से रायल्टी दर को बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गुजरात सरकार को कितनी रायल्टी की धनराशि दी गई है और इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास कितनी धनराशि लम्बित है; और

(ङ) सरकार द्वारा गुजरात सरकार को रायल्टी के नियमित भुगतान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) पिछली बार सरकार के 17 मार्च, 2003 के संकल्प के द्वारा कच्चे तेल पर रायल्टी दर संशोधित की गई थी। गुजरात राज्य सरकार समेत हिस्साधारियों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए संशोधित दरों का निर्णय लिया गया था जो 1.4.1998 से लागू हुईं। राज्य सरकार का यह भी प्रस्ताव था कि रायल्टी की दर, निवल वापसी मूल्य या आयात समता मूल्य, जो भी अधिक हो, की 40% होनी चाहिए।

(घ) राज्य सरकार को इस रायल्टी का भुगतान संबंधित सरकार द्वारा स्वीकृत खनन पट्टाधारकों द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्ष के दौरान खनन पट्टाधारक के तौर पर ओ एन जी सी ने रायल्टी की निम्नलिखित राशि प्रदान की है जो अप्रैल, 1998 से मार्च, 2002 तक उत्पादिक कच्चे तेल पर रायल्टी के बकाया के रूप में प्रदत्त 175.91 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त है:

वर्ष	प्रदत्त रायल्टी (रुपए करोड़ में)
2001-02	577.61
2002-03	886.77
2003-04	859.09

इससे आगे, उत्पादन भागीदारी संविदाओं के संविदाओं करने वाले पक्षकारों को रायल्टी की निम्नलिखित राशियां दी गई हैं:

वर्ष	प्रदत्त रायल्टी (रुपए लाख में)
2001-02	897.00
2002-03	4856.00
2003-04	4520.00

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमों में रायल्टी के विलम्ब/कम भुगतान के मामलों से निपटने के लिए समुचित प्रावधान है। राज्य सरकारें समुचित कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं।

नए तेल और गैस के क्षेत्र

2354. श्री निखिल कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गत कुछ वर्षों में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां नए तेल और गैस के क्षेत्रों का पता लगाने में विफल रही हैं जबकि निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने काफी तेल और गैस का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा देश में नए तेल और गैस क्षेत्रों का पता लगाने में निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, नहीं। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) ने गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, राजस्थान, त्रिपुरा और महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के तट से परे क्रमश: 19 और 12 हाइड्रोकार्बन खोजें की हैं।

(ग) सरकार द्वारा 1997 में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) की घोषणा के बाद तेल सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों ने अपनी अन्वेषण कार्यनीति को नया रूप दिया है और वे अपने अन्वेषण रकबों को बढ़ाने के लिए एन.ई.एल.पी. के अंतर्गत प्रस्तावित अन्वेषण ब्लाक प्राप्त करने के लिए निजी कंपनियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग साथ ही प्रतिस्पर्धा भी कर रही है।

रेल परियोजनाएं

2355. श्री के.एस. राव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में नक्सली गतिविधियों के कारण कई रेल परियोजनाएं धीमी गति से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्माण कंपनियों/एजेंसियों द्वारा तैनात श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि परियोजनाओं को पूरा करने के समय में विलंब न हो?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, झारखंड आदि सहित देश के कुछ भागों में उग्रवादी गतिविधियों और कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई परिस्थितियों के कारण कुछ परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई है। परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते समय सुरक्षा पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है और पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष समय-समय पर मामलों को उठाया जाता है।

नए विमानपत्तन

2356. श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री किरिप चालिहा:
श्री पी. करूणाकरन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पर्यटकों के लाभार्थ विभिन्न राज्यों सरकारों से उनके राज्यों में नए विमानपत्तनों की स्थापना हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बहुत से शहरों तथा नगरों में नए हवाईअड्डे बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। उदाहरण के लिए सिक्किम में पक्योंग, गंगटोक, नागालैण्ड में चीथू, कोहिमा, गोवा में मोपा एवं पणजी, महाराष्ट्र में चकन, पुणे एवं नवी मुम्बई, पंजाब में लुधियाना, राजस्थान में अजमेर, कर्नाटक में देवनहल्ली (बंगलौर), गुलबर्गा, बेल्लारी एवं बीजापुर, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में शमशाबाद, केरल में कन्नूर तथा अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर।

(ग) भारत सरकार बंगलौर के निकट देवनहल्ली में, हैदराबाद के निकट शमशाबाद में तथा गोवा के मोपा में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे बनाए जाने की स्वीकृति देने के लिए पहले ही अपनी सहमति दे चुकी है। नए हवाईअड्डों के लिए अन्य प्रस्ताव, विचार किए जाने की प्रारंभिक अवस्था में हैं।

[हिन्दी]

साइडिंग का विद्युतीकरण

2357. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2004 के अपने प्रतिवेदन संख्या 9 में यह टिप्पणी की है कि केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन और रेलवे प्रशासन दोनों के द्वारा निर्णय न लिए जाने के कारण साइडिंग का विद्युतीकरण नहीं हो सका है और इसके परिणामस्वरूप चल स्टाक के रूकने की वजह से 2.38 करोड़ रु. की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) साइडिंग का विद्युतीकरण स्वीकृत अनुमान का हिस्सा नहीं था। अत: विद्युतीकरण के लिए कार्य शुरू नहीं किया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल वैगनों की खरीद

2358. **श्री जुएल ओराम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने रेल वैगन खरीदे गए हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने रेल वैगन खरीदे जाने का प्रस्ताव है;

(ग) देश में ग्यारहवीं योजना के अंत तक वैगनों की अनुमानित मांग कितनी है; और

(घ) रेल वैगनों की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदे गए मालडिब्बों का ब्यौरा चौपहिया इकाइयां (एफ डब्ल्यू यू) में निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (चौपहिया इकाइयों में)
2001-02	12647
2002-03	16584
2003-04	16573

(ख) चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2004-05 में चौपहिया इकाइयों में 20000 माल डिब्बों को प्राप्त करने की व्यवस्था की गई थी। इनमें से 28.2.2005 तक 17613.5 माल डिब्बों की खरीद की जा चुकी है। चालू वर्ष में बजटीय लक्ष्य को हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) ग्यारहवीं योजना के लिए अपेक्षित माल डिब्बों का लेखा-जोखा तैयार नहीं किया गया है। ग्यारहवीं योजना तैयार होते ही यह प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी। योजना आयोग को भेजे गए 10वीं योजना की मध्यवर्ती समीक्षा के अनुसार, चौपहिया इकाइयों में 94214 माल डिब्बों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(घ) दसवीं योजना के शेष 2 वर्षों में, पहिया सेटों और अन्य इन पुटों की आपूर्ति में वृद्धि करके, अपेक्षित मात्रा में माल डिब्बों के विनिर्माण हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

स्टेशनों पर दलालों का आतंक

2359. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे पुलिस द्वारा हाल ही में स्टेशनों से लगभग 150 दलालों को गिरफ्तार किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे कर्मचारियों की इन दलालों से सांठ-गांठ है;

(घ) यदि हां, तो रेल टिकटों की कालाबाजारी में संलिप्त पाये गए रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित सर्तकता मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा टिकटों की कालाबाजारी में दलालों के आतंक को समाप्त करने के लिए क्या कठोर उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। वर्ष 2004 में रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत 2145 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर मुकदमा चलाया गया है।

(ग) और (घ) चूंकि कोई सीधी संलिप्तता नहीं पाई गई फिर भी 21 रेलवे कर्मचारियों, जिन्हें सतर्कता विभाग द्वारा ऐसे मामलों में दोषी पाया गया था, उन पर अनुशासनिक एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की गई है जो इस प्रकार है:-

रेलवे	कर्मचारियों की संख्या
मध्य रेलवे	1
उत्तर रेलवे	6
पश्चिम रेलवे	9
पूर्व तट रेलवे	2

(ङ) दलालों की बुराई को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

(1) रेसुब कर्मचारियों को आरक्षण काम्पलेक्सों में दलालों पर और अन्य अवांछनीय तत्वों पर निगरानी रखने के लिए तैनात किया जाता है।

(2) संदिग्ध बुकिंग काउंटरों और आरक्षण केन्द्रों पर समय-समय पर रेसुब, सतर्कता और वाणिज्य कार्मिकों द्वारा विशेष संयुक्त छापे मारे जाते हैं।

(3) संदिग्ध स्थानों पर दलालों की गतिविधियों के संबंध में आसूचना एकत्रित करने के लिए आसूचना मशीनरी को तैयार किया गया है।

(4) स्टेशनों और आरक्षण कम्प्लेक्सों पर उद्घोषणा करके यात्रियों को आगाह और सचेत किया जाता है कि दलालों या अन्य अनधिकृत एजेन्टों/स्रोतों से टिकट न खरीदें।

विमानों के इंश्योरेंस कवर का नवीकरण

2360. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दो राज्यों के स्वामित्व की विमान कंपनियों के विमानों के इंश्योरेंस कवर के नवीकरण में भागीदारी करने हेतु निजी कंपनियों को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई नीति संबंधी ढांचा तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) विमानन बीमा नीति की समीक्षा कर ली गई है और तथा सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइनों को यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं, कि भविष्य में, सभी बोली लगाने वालों, जिसमें निजी क्षेत्र के बोली लगाने वाले (यदि वे पात्र हैं), भी सम्मिलित हैं, की सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा एक पारदर्शी, न्यायसंगत एवं निष्पक्ष प्रणाली के माध्यम से, सर्वाधिक किफायती मूल्यों पर ठेके प्रदान किए जाए।

[हिन्दी]

गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस समापन समारोहों पर व्यय

2361. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस समापन समारोहों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस समापन समारोहों पर टिकटों की बिक्री से कितना राजस्व अर्जित किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) यद्यपि, प्रत्येक वर्ष, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड तथा समापन समारोह के आयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय जिम्मेवार है तथापि इन समाराहों के आयोजन में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय तथा विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों तथा अनेक अन्य एजेंसियों के समन्वित प्रयास अपेक्षित होते हैं। चूंकि इन प्रबंधों से संबंधित अनेक मदों के खर्च को संबंधित संगठनों/एजेंसियों द्वारा वहन किया जाता है तथा इसे एक शीर्ष के अंतर्गत संकलित अथवा प्रदर्शित नहीं किया जाता इसलिए

गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष इन समारोहों पर की गई खर्च की राशि का उल्लेख करना संभव नहीं है।

2. गत तीन वर्षों के दौरान इन अवसरों पर टिकटों की बिक्री से सरकार को प्राप्त राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है:

	वर्ष 2003 (रुपए)	वर्ष 2004 (रुपए)	वर्ष 2005 (रुपए)
गणतंत्र दिवस परेड	7,78,670	11,20,980	12,48,110
समापन समारोह	37,160	53,010	92,370

तेल की खोज हेतु ठेके

2362. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को विदेशों में तेल की खोज हेतु ठेके दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2004-2005 के दौरान तेल की खोज हेतु इन कंपनियों को ठेका देने वाले देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेल कंपनियों को इस कार्य का कुल कितना हिस्सा दिए जाने का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) वर्ष 2004-05 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों अर्थात् ओ एन जी सी विदेश लि. (ओ वी एल), इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) और आयल इंडिया (ओ आई एल) ने सूडान आस्ट्रेलिया, आईवरी कोस्ट, कतर, मिश्र और लीबिया में विभिन्न अन्वेषण और उत्पादन (ई एण्ड पी) संपत्तियों में भागीदारी हित अर्जित किए थे। ब्यौरा नीचे दिया गया है-

क्र.सं.	देश	ब्लाक का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी	भागीदारी हित
1.	सूडान	ब्लाक 5ए	ओ वी एल	24.125%
2.	सूडान	ब्लाक 5बी	ओ वी एल	23.5%
3.	आस्ट्रेलिया	ब्लाक डब्ल्यूए 306 पी	ओ वी एल	55%
4.	आईवरी कोस्ट	ब्लाक सी 1-112	ओवीएल/ओआईएल	30%/10%
5.	कतर	नाजवट नजम	ओ वी एल	100%
6.	मिश्र	उत्तर रमादान ब्लाक संख्या 6	ओ वी एल	70%
7.	लीबिया	ब्लाक 86	आई ओ सी/ओ आई एल	50%/50%

टैंकों की डिलीवरी

2363. श्री अशोक अर्गल:
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में पेट्रोलियम पम्पों को कम मोटाई वाले टैंकों की डिलीवरी हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई विभागीय जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) ने दिल्ली में कुछ पेट्रोल पम्पों में कुछ ऐसे टैंकों की सुपुर्दगी, जिनमें टैंकों की मोटाई विनिर्देशों से कम पाई गई, के लिए जिम्मेदारी तय करने हेतु एक जांच आयोजित करने के लिए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों वाली एक समिति नियुक्त की है। एच पी सी एल, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, इसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेगी।

[अनुवाद]

केलकर समिति की रक्षा संबंधी रिपोर्ट

2364. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री निखिल कुमार:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केलकर समिति की रक्षा संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं और इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एस.के.ओ. कोटा में वृद्धि

2365. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को हरियाणा सरकार से राज्य में एस.के.ओ. कोटा बढ़ाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्य राज्यों के निवासी/कार्डधारक जिनके पास एल पी जी कनेक्शन नहीं हैं को 10 लीटर एस.के.ओ. दिया जा रहा है जबकि हरियाणा में निर्धन परिवारों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कार्डधारकों को 10 लीटर एस.के.ओ. नहीं दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय को हरियाणा सहित विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों से अपना-अपना एस.के.ओ. कोटा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) हरियाणा को जनवरी से मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए 3551 मीट्रिक टन (एम टीज) एस.के.ओ. के अतिरिक्त आबंटन सहित, विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को उनकी मांग पूरी करने के लिए, अतिरिक्त आबंटन किए गए हैं। केन्द्र सरकार ने देश में मिट्टी तेल की मांग का सर्वथा प्रथम विस्तृत अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद का भी गठन किया है।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक वितरण पद्धति (पी डी एस) के तहत वितरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को आबंटित मिट्टी तेल, खाना पकाने और प्रकाश के प्रयोजनों के लिए होता है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश पी डी एस के तहत इस उत्पाद का आगे वितरण अपने स्वयं के मानकों के अनुसार करते हैं।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का कंप्यूटरीकरण

2366. श्री श्यामा चरण गुप्त:
श्री काशीराम राणा:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री राम कृपाल यादव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए है;

(ख) उन रेलवे स्टेशनों और सिटी बुकिंग कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है जहां कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों और संगठनों द्वारा उनके राज्यों में ऐसे कंप्यूटरीकृत केन्द्रों की संख्या बढ़ाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) मौजूदा यात्री आरक्षण प्रणाली नीति के तहत उन सभी स्टेशनों जहां पर आरक्षण संबंधी कार्यभार प्रतिदिन 100 या इससे अधिक लेन-देन होता है, सभी जिला मुख्यालय, रेल-शीर्ष और गैर-रेल शीर्ष दोनों और सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों तथा अन्य प्रमुख स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा की व्यवस्था की जाती है।

निधि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से यात्री आरक्षण प्रणाली सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। गैर रेल-शीर्ष जिला मुख्यालयों के मामले में, जिला प्रशासन द्वारा बिना किसी प्रभार के स्थान उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) रेलवे स्टेशन और सिटी बुकिंग कार्यालय, जहां कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, की संख्या दर्शाने वाली राज्य-वार सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जी हां। जनवरी, 2004 से 15.3.2005 तक की अवधि तक यात्री आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों/विभिन्न संगठनों से प्राप्त अनुरोधों की सूची विवरण-II पर दी गई है। वार्षिक बजट 2005-06 में स्वीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली की संख्या दर्शाने वाली राज्य-वार सूची विवरण-III पर दी गई है।

विवरण I

रेलवे स्टेशनों और सिटी बुकिंग कार्यालयों की संख्या से संबंधित राज्य-वार सूची जहां 15.3.2005 तक कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा मुहैया कराई गई है

क्र.सं.	राज्य	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	97
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	25
4.	बिहार	115
5.	छत्तीसगढ़	22
6.	दिल्ली	29
7.	गोवा	3
8.	गुजरात	46
9.	हरियाणा	20
10.	हिमाचल प्रदेश	11
11.	जम्मू-कश्मीर	22
12.	झारखंड	37
13.	कर्नाटक	45
14.	केरल	37
15.	मध्य प्रदेश	56
16.	महाराष्ट्र	115
17.	मणिपुर	1
18.	मेघालय	1
19.	मिजोरम	1
20.	नागालैंड	3
21.	उड़ीसा	35
22.	पंजाब	32
23.	राजस्थान	61
24.	सिक्किम	1
25.	तमिलनाडु	91
26.	त्रिपुरा	2
27.	संघ शासित प्रदेश	9
28.	उत्तर प्रदेश	130
29.	उत्तरांचल	21
30.	पश्चिम बंगाल	101
	कुल	1170

विवरण II

जनवरी, 2004 से 15.3.2005 तक की अवधि के लिए कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली के व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकार/विभिन्न संगठन से प्राप्त अनुरोधों की सूची

क्र.सं.	अनुरोध स्थल	अनुरोध	स्थिति
1	2	3	4
1.	कोकराझार में यात्री आरक्षण प्रणाली	पूर्व बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर वेलफेयर सोसाइटी, असम	स्वीकृत
2.	19, जतिन्द्रा मोहन एवेन्यू, कोलकाता में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री विनोद कुमार विद्यासरिया अध्यक्ष/बिपलाबी स्मृतिरक्षा समिति/कोलकाता	सत्यापित नहीं
3.	बुन्देलखंड विश्वविद्यालय में यात्री आरक्षण प्रणाली	प्रो. रमेश चन्द्र/उप चांसलर, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय	विचाराधीन
4.	रूपनगर में यात्री आरक्षण प्रणाली	मैसर्स सीमा जैन, उप आयुक्त/ रूपनगर	स्वीकृत
5.	अम्बासमुद्रम में यात्री आरक्षण प्रणाली	थिरू सिल्वर सी. रामास्वामी, अध्यक्ष/चैम्बर आफ कामर्स, तिरूनेलवेली जिला	सत्यापित नहीं
6.	अम्बासमुद्रम में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री एम. अबुल कलाम आजाद, खजांची, मल्टी-रिलीजियस फेडरेशन, तिरूनेलवेली जिला	सत्यापित नहीं
7.	अम्बासमुद्रम में यात्री आरक्षण प्रणाली	थिरू एम. शाहजहान, ट्रस्टी प्रबंधक, अखिल भारतीय विकलांग पुनर्वास ट्रस्ट, विक्रम सिंघपुरम	सत्यापित नहीं
8.	वीआईटी कैम्पस/वेल्लौर में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री जी. विश्वनाथ, चांसलर/वेल्लौर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी	सत्यापित नहीं
9.	सुरजगढ़ में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री सेवाराम गुप्ता, जिला अध्यक्ष, झुंझनू	सत्यापित नहीं
10.	चित्रकुट/सतना में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री उमाकांत यादव, जिला अधिकारी/सतना	विचाराधीन
11.	हज मंजिल में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री अब्दुल सामी सलमानी, अध्यक्ष/दिल्ली राज्य हज समिति	विचाराधीन
12.	यूनिवर्सिटी कैम्पस/जम्मू में यात्री आरक्षण प्रणाली	डा. ओ.एस. सुदान, रजिस्ट्रार, जम्मू विश्वविद्यालय	विचाराधीन
13.	सूरत में पब्लिक आरक्षण केन्द्र	श्री गिरीश कंथेरिया, कारपोरेटर, सूरत म्यूनिसपल कारपोरेशन	सुविधा पहले से ही मौजूद

1	2	3	4
14.	राज पीपला में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्रीमती जेसमाबेन, एस. वासवा जिला पंचायत अध्यक्ष, नर्मदा	स्वीकृत
15.	सिवान कचहरी में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री अवध बिहारी चौधरी, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री	सत्यापित नहीं
16.	फतेहपुर सिकरी में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री चौधरी बाबू लाल, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री	स्वीकृत
17.	चंबा, कीलॉग, रामपुर, काजा, माल रोड/ शिमला, हिमाचल सिविल सचिवालय में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री वीरभद्र सिंह, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश	विचाराधीन
18.	बिरूर में यात्री आरक्षण प्रणाली	कर्नाटक चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री/हुबली	सत्यापित नहीं
19.	संबलपुर टाउन में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री जयनारायण मिश्रा, राज्य मंत्री, वाणिज्य और यातायात मंत्री, उड़ीसा	विचाराधीन
20.	निमची में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री पवन चामलिंग/मुख्यमंत्री, सिक्किम	स्वीकृत
21.	सिधी में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री देवेन्द्र सिंह 'मुन्नू', अध्यक्ष/म्यूनिसपल कारपोरेशन आफ सिधी	स्वीकृत
22.	क्लिन्दी में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री पी. शंकरण, पर्यटन मंत्री, केरल सरकार	सत्यापित नहीं
23.	गुमिया में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री माधव लाल सिंह, यातायात और नागरिक उड्डयन मंत्री, झारखंड सरकार	सत्यापित नहीं
24.	अटारी में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री जगमोहन सिंह कंग, पशुपालन, दुग्ध पालन विकास, मत्स्य पालन और पर्यटन मंत्री, पंजाब	स्वीकृत
25.	राजमपेट में यात्री आरक्षण प्रणाली	डा. (श्री) वाई.ई. राजशेखर रेड्डी, मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश	सत्यापित नहीं
26.	महोबा में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री सिद्ध गोपाल शाहू, राज्य मंत्री कोयला और खनन, लखनऊ	स्वीकृत
27.	थाना भवन में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्रीमती अनुराधा चौधरी, सिंचाई मंत्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	विचाराधीन
28.	धामपुर में यात्री आरक्षण प्रणाली	स्वामी ओमवेश, राज्य मंत्री शीरा विकास, उत्तर प्रदेश	विचाराधीन

1	2	3	4
29.	टेटुलमरी में यात्री आरक्षण प्रणाली	डा. सबा अहमद, विधान सभा उपाध्यक्ष, झारखंड	सत्यापित नहीं
30.	जीरादेई में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री अवध बिहारी चौधरी, ग्रामीण विकास और यातायात मंत्री, बिहार	सत्यापित नहीं
31.	मरकाचो प्रखंड में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्रीमती अनुपूर्णा देवी, चेयरमैन/वुमैन एंड चिल्ड्रेन डेवलपमेंट कमेटी, झारखंड विधान सभा	सत्यापित नहीं
32.	केम्पटी में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री के.एल. खंडेलवाल, अध्यक्ष/यात्री एसोसिएशन, केम्पटी	सत्यापित नहीं
33.	डलमऊ में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री धीरज कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष, नगर पंचायत, लखनऊ, रायबरेली	सत्यापित नहीं
34.	दुव्वादा में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्रीमती बी. विजया रेड्डी, महासचिव/आ.प्र. महिला कांग्रेस	स्वीकृत
35.	दभोई में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री मुकेश के. शाह, अध्यक्ष, दभोई सिटी कारपोरेशन	सत्यापित नहीं
36.	दिघवाड़ा में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री गौरी शंकर, अध्यक्ष, शिक्षा प्रबंधक समिति, नगर पंचायत, दिघवाड़ा	स्वीकृत
37.	पलेज में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री अब्दुल वी. मतक, उपाध्यक्ष, करजन तालुका पंचायत, गुजरात	सत्यापित नहीं
38.	सुलतानपुर लोदी में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री बी.एस. तलवंडी, सचिव, शिरोमणि अकाली दल, पंजाब	सत्यापित नहीं
39.	कुलीईथुराय में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री बी.एस. देलफिन, अध्यक्ष, कुलीथुरै म्यूनिसपलिटी, तमिलनाडु	सत्यापित नहीं
40.	वालजाह में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री एस. सत्यमूर्ति, अध्यक्ष अम्मूर पंचायत	सत्यापित नहीं
41.	सैंथलडीह में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री बासुदेव आचार्य, अध्यक्ष रेलवे समिति	सत्यापित नहीं
42.	लालगंज में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री सुरिन्दर विक्रम सिंह, खाद्य और आपूर्ति राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	विचाराधीन
43.	(क) सैंथिया में यात्री आरक्षण प्रणाली (ख) चावड़ीगाछा में यात्री आरक्षण प्रणाली	श्री धीरज श्रीवास्तव, विशेष कार्य अधिकारी, राष्ट्रीय संलाहकार परिषद	(क) स्वीकृत (ख) सत्यापित नहीं

1	2	3	4
44.	अन्नापरती में यात्री आरक्षण प्रणाली	सचिव, नवोदय सेवा समिति, युवा संगठन ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण सोसाइटी, अन्नापरती, आंध्र प्रदेश	सत्यापित नहीं
45.	मुकुन्दधरायपुरम में यात्री आरक्षण प्रणाली	भील बैकवर्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन	सत्यापित नहीं
46.	रेनूबेन्नूर और अलनावर में यात्री आरक्षण प्रणाली	कर्नाटक चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, हुबली	सत्यापित नहीं

विवरण III

वार्षिक बजट 2005-06 में स्वीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली की संख्या से संबंधित राज्य-वार सूची

1.	असम	4
2.	छत्तीसगढ़	6
3.	गुजरात	2
4.	हरियाणा	2
5.	झारखंड	3
6.	कर्नाटक	2
7	केरल	2
8.	मध्य प्रदेश	3
9.	महाराष्ट्र	2
10.	मणिपुर	1
11.	मेघालय	1
12.	मिजोरम	1
13.	उड़ीसा	6
14.	पंजाब	2
15.	संघ शासित प्रदेश	2
16.	उत्तर प्रदेश	6
	कुल	45

[अनुवाद]

सुन्दरवन क्षेत्र में तेल एवं गैस की खोज हेतु ड्रिलिंग

2367. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. ने त्रिपुरा में 750 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत परियोजना में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओ.एन.जी.सी. पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में तेल एवं गैस की खोज हेतु ड्रिलिंग करने पर भी विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। ओ एन जी सी लिमिटेड ने त्रिपुरा में बेकार और ताला लगे पड़े गैस पूलों का मौद्रीकरण करने के लिए, परियोजना क्रियान्वयन की सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि, में त्रिपुरा में एक संयुक्त चक्रीय गैस आधारित विद्युत संयंत्र विकसित करने के लिए 16.7.2004 को मैसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (आई एल एण्ड एफ एस) के साथ एक समझौता करार (एम ओ ए) किया। बाद में आई एल एण्ड एफ एस ने सह-प्रवर्तकों के रूप में त्रिपुरा सरकार के एक विशेष प्रयोजन वाहन (एस पी बी) का सृजन किया है जिसका पंजीकरण 27.9.2004 को "त्रिपुरा पावर डेवलपमैंट कंपनी प्राइवेट लि." (टी पी डी सी) के रूप में किया गया है।

केन्द्र सरकार के अनुमोदन से ओ.एन.जी.सी. ने त्रिपुरा सरकार से उपर्युक्त कंपनी में 26% इक्विटी अर्जित करने का निर्णय लिया है।

(ग) ओ.एन.जी.सी. के वर्तमान अन्वेषण क्रियाकलापों का विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरबन क्षेत्र तक नहीं हुआ है। तथापि, अपतटीय ब्लाक डब्ल्यू बी-ओ एस एन-2000/1 सुंदरबन के दक्षिण में स्थित है जहां अन्वेषण वेधन उक्त ब्लाक के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के तहत दिए गए कार्य कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भवन के निर्माण के लिए एन.डी.एम.सी. को अनापत्ति प्रमाण पत्र

2368. श्री सीताराम यादव:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एन.डी.एम.सी. को दिल्ली में जन्तर मन्तर के पास एक बड़े भवन का निर्माण करने के लिए इस संबंध में 1992 की अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह शर्त अन्य क्षेत्रों के आवासीय भवनों आदि के लिए भी लागू होगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो केवल एन.डी.एम.सी. को यह अनुमति देने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जन्तर मन्तर के निषिद्ध/विनियमित क्षेत्र में एन.डी.एम.सी. चरण-II भवन के निर्माण के लिए कार्योत्तर लाइसेंस कुछ निर्बन्धनात्मक शर्तों के अधीन प्रदान किया है जैसे निषिद्ध क्षेत्र में भवन के हिस्सों को बंद करना, भवन के अग्रभाग में प्राचीन वास्तुकला के घटकों को शामिल करना, पर्यावरण सम्बन्धी उचित रखरखाव, आदि। इसके अतिरिक्त, संरक्षित स्मारक जंतर मंतर के निषिद्ध क्षेत्र में एन.डी.एम.सी. भवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा पड़ता है। इस प्रकार का कार्योत्तर लाइसेंस प्रदान करते हुए एन.डी.एम.सी. को इस संपूर्ण क्षेत्र को बंद करने तथा इसे किसी प्रकार के प्रयोग में न लाने के निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, जनहित में प्रयोग किए जाने वाले इस भवन के निर्माण में एन.डी.एम.सी. ने लोक निधि से काफी धनराशि व्यय की है। उपर्युक्त शर्तें आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी क्योंकि प्रत्येक मामले की जांच उसके गुण-अवगुण तथा कानूनी प्रावधानों के अनुसार करनी होगी।

[हिन्दी]

निजी कंपनियों द्वारा पेट्रोल पम्पों की स्थापना

2369. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
मो. मुकीम:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल/डीजल पम्पों की स्थापना करने के लिए अनुमति देने वाली नीति/दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक देश के विभिन्न भागों में राज्यवार निजी कंपनियों द्वारा स्थापित किये गए पेट्रोल पम्पों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार को खुदरा बिक्री केन्द्रों को खोलने के लिए इन कंपनियों द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन न करने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 8 मार्च, 2002 के सरकारी संकल्प में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार तीन निजी कंपनियों अर्थात मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल), मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड (ई ओ एल) और मैसर्स शेल इंडिया मार्केटिंग प्रा. लि. (एस आई एम पी एल) को परिवहन ईंधन का विपणन करने का प्राधिकार कर दिया है।

(ग) विभिन्न राज्यों में 31 दिसम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार मैसर्स आर आई एल और मैसर्स ई ओ एल द्वारा स्थापित खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। मैसर्स एस आई एम पी एल ने 31 दिसम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार कोई खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित नहीं किया है।

(घ) और (ङ) सरकार को कोई शिकायत विशेष प्राप्त नहीं हुई है। इन कंपनियों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना की सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु नियमित रूप से निगरानी की जा रही है कि सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

विवरण

निजी तेल कंपनियों द्वारा स्थापित खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा

राज्य	मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड
गुजरात	59	68
राजस्थान	27	16
मध्य प्रदेश	8	16
छत्तीसगढ़	–	–
महाराष्ट्र	33	66
गोवा	–	–
कर्नाटक	19	11
आंध्र प्रदेश	35	6
केरल	2	1
तमिलनाडु	20	7
पांडिचेरी	–	–
पश्चिम बंगाल	10	–
उड़ीसा	2	–
बिहार	1	–
झारखण्ड	2	–
पंजाब	20	15
हरियाणा	6	14
दिल्ली	–	–
उत्तर प्रदेश	30	10
योग	274	230

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

2370. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र की कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से देश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी तेल कंपनियां हैं जो विद्युत परियोजनाओं की स्थापना पर विचार कर रही हैं; और

(ग) निजी क्षेत्र की उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकारी क्षेत्र की इन तेल कंपनियों के साथ भागीदारी कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) ओ एन जी सी लिमिटेड ने मैसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आई एल एण्ड एफ एस) के साथ 16.7.2004 को एक समाज्ञौता ज्ञापन (एम ओ ए) किया है ताकि त्रिपुरा में बेकार और बंद पड़े गैस पूलों के मौद्रीकरण के लिए परियोजना कार्यान्वयन की सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी प्रणाली पर त्रिपुरा में संयुक्त चक्र गैस आधारित विद्युत संयंत्र को विकसित किया जाए।

दिल्ली और पंजाब सरकारों द्वारा क्रमश: बवाना विद्युत परियोजना और दोराहा विद्युत परियोजना की इक्विटी में भागीदार बनने के लिए गेल को आमंत्रित किया गया है। ये परियोजनाएं प्रारम्भिक स्तर पर हैं।

लीज आधार पर भूमि का आवंटन

2371. श्री अधीर चौधरी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई, 1984 में कानपुर छावनी ने इंडियन डिफेन्स वर्कर्स फेडेरेशन (आई.डी.डब्ल्यू.एफ.) को लीज आधार पर भूमि दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन डिफेन्स वर्कर्स फेडेरेशन द्वारा किया गया अतिरिक्त/अवैध निर्माण कानपुर छावनी के ध्यान में आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। सर्वे संख्या 520, कानपुर छावनी की 10540 वर्ग फीट भूमि दिनांक 12.7.1984 से 30 वर्षों के लिए भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कामगार संघ को पट्टे पर दी गई है तथा पट्टेदार के विकल्प पर इस भूमि के पट्टे का नवीकरण 90 वर्षों तक के लिए किया जा सकता है।

(ग) जी, हां।

(घ) संघ ने कथित भूमि का निर्माण किए जाने के लिए एक भवन योजना प्रस्तुत की तथा छावनी बोर्ड ने अपनी शक्तियों के तहत दिनांक 23.12.1997 को इसे मंजूरी प्रदान कर दी। बाद में बोर्ड को पता चला कि संघ ने अनुमोदित योजना से हटकर अतिरिक्त/अनधिकृत निर्माण खड़े किए हैं।

छावनी अधिनियम 1924 की धारा 185 के तहत दिनांक 10.8.2004 को एक नोटिस जारी किया गया जिसके बाद कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अनधिकृत विनिर्माण को हटाने के लिए छावनी अधिनियम 1924 की धारा 256 के तहत 20 जनवरी, 2005 को एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है।

इंडियन एयरलाइंस को विमान ईंधन के संबंध में हुई हानि

2372. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इंडियन एयरलाइंस को विमान यातायात नियंत्रण अधिकारियों और निजी विमान कंपनियों के बीच सांठ-गांठ के कारण विमान ईंधन पर करोड़ों रुपए की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) विमान की लैंण्डिंग तथा टेक-आफ के समय, विशेष रूप से मैट्रो रूटों पर, भारी यातायात जाम हो जाने के कारण, किसी विशेष क्षेत्र में दिया गया वास्तविक उड़ान समय, निर्धारित ब्लाक समय के मुकाबले काफी अधिक बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप ईंधन की खपत और ज्यादा बढ़ जाती है जिससे एयरलाइन को नुकसान होता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विमानों की खरीद में अनियमितताएं

2373. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने यात्री विमानों की खरीद की गई और आपूर्तिकर्ता कंपनियों के क्या नाम हैं तथा प्रत्येक विमान के लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ख) भुगतान का समय और ब्यौरा क्या है तथा उस एजेंसी का नाम क्या है जिसके माध्यम से भुगतान किया गया था;

(ग) क्या उक्त एजेंसी को भुगतान किए गए मूल्य और विमान के वास्तविक मूल्य में अंतर था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा भुगतान किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् फरवरी, 2002 से फरवरी, 2005 तक अनुसूचित प्रचालकों द्वारा कुल 59 विमान लगाए/लीज पर लिए गए। भुगतान किए जाने के समय वास्तविक कीमत तथा भुगतान आदि किए जाने के बीच जो भिन्नता है वह संबद्ध प्रचालकों के वाणिज्यिक निर्णय का मामला है और सरकार द्वारा ऐसी सूचना का रिकार्ड नहीं रखा जाता।

एन.सी.सी. को वरीयता

2374. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थलसेनाध्यक्ष ने कई राज्यों द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर को दी जा रही कम वरीयता पर अप्रसन्नता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं, जोकि देश में विशाल मानव संभाव्यता का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक स्कूल में एन.सी.सी. को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) थलसेनाध्यक्ष ने ऐसी कोई अप्रसन्नता व्यक्त नहीं की है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार, राष्ट्रीय कैडेट कोर के 'ग' प्रमाण-पत्र धारकों को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए आरक्षण प्रदान करती है तथा अर्ध-सैन्य संगठनों में उन्हें अंकों की दृष्टि से महत्व दिया जाता है। राज्य सरकारें भी राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को राज्य सरकार के संगठनों में नियुक्ति तथा मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए कई तरह के प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रशिक्षण को और आकर्षक बनाने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के अनेक कैडेटों को पर्वतारोहण, राइफल शूटिंग प्रतियोगिता, घुड़सवारी, पैरा-सेलिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, माइक्रोलाइट विमान उड़ान और स्कूबा डाइविंग जैसे साहसिक कार्य-कलाप उपलब्ध करा दिए गए हैं।

मालभाड़ा तथा यात्री यातायात

2375. श्री बृज किशोरी त्रिपाठी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा 2004-05 के दौरान मालभाड़े तथा यात्री यातायात के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा इन्हें किस सीमा तक हासिल किया जा सका है;

(ख) क्या रेलवे को लोडिंग/पार्सल लोड केन्द्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण भारी घाटा हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) वर्ष 2004-05 के लिए राजस्व माल लदान का लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

(मिलियन टन में)

2004-05 का लक्ष्य	जनवरी, 2005 तक समानुपातिक लक्ष्य	जनवरी, 2005 तक वास्तविक लक्ष्य	लक्ष्य से कम/अधिक +/-
580 (अब 600 तक संशोधित)485	491.76 (अनंतिम)	6.76	

अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 के बीच भी भारतीय रेल पर 4597 मिलियन यात्रियों की बुकिंग हुई जो कि संपूर्ण वर्ष 2004-05 के लिए 5.47% के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि से 6.32% अधिक है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वर्ष 2005-2006 के लिए रक्षा मंत्रालय।

(2) वर्ष 2005-2006 के लिए रक्षा सेवाएं प्राक्कलन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1752/2005]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): महोदय, मैं श्री शरद पवार की ओर से वर्ष 2005-06 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1753/2005]

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, मैं निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वर्ष 2005-2006 के लिए गृह मंत्रालय (खंड एक)।

(2) वर्ष 2005-2006 के लिए गृह मंत्रालय (विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र) (खंड दो)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 1754/2005]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1755/2005]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1756/2005]

(5) कला क्षेत्र प्रतिष्ठान अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत कला क्षेत्र प्रतिष्ठान भर्ती विनियम, 2005 जो 14 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 24(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1757/2005]

(6) वर्ष 2005-2006 के लिए संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1758/2005]

(7) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1759/2005]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) आयल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आयल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1)' में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1760/2005]

(3) वर्ष 2005-2006 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1761/2005]

(4) (एक) आयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1762/2005]

अध्यक्ष महोदय: क्या श्री संतोष मोहन देव उपस्थित हैं? संतोष मोहन देव जी और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता हैं क्योंकि पहली बार मैं इसकी अनदेखी कर रहा हूं।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, यह अन्तिम है।

महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1763/2005]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1764/2005]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) नेशनल ट्रस्ट फोर दि वेल्फेयर आफ परसन्श विद आटिज्म, सेरीब्रल पाल्सी, मेन्टल रेट्रार्डेशन एंड मल्टिपल डिसएबिलिटिज, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट फोर दि वेल्फेयर आफ परसन्श विद आटिज्म, सेरीब्रल पाल्सी, मेन्टल रेट्रार्डेशन एंड मल्टिपल डिसएबिलिटिज, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दशाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1765/2005]

अपराह्न 12.02 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

132वां से 138वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. सुज्ञान चक्रवर्ती (जाधवपुर): महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) डल-नागिन झील, श्रीनगर के लिए संरक्षण और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के बारे में विभागों से संबद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के एक सौ आठरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी एक सौ बत्तीसवां प्रतिवेदन;

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मागों (2004-05) के बारे में विभागों से संबद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के एक सौ पचीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी एक सौ तैंतीसवां प्रतिवेदन;

(तीन) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में विभागों से संबद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के एक सौ उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर अंतरिक्ष विभाग द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी एक सौ चौंतीसवां प्रतिवेदन;

(चार) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में विभागों से संबद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के एक सौ सत्ताइसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी एक सौ पैंतीसवां प्रतिवेदन;

(पांच) वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में विभागों से संबद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के एक सौ छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी एक सौ छत्तीसवां प्रतिवेदन;

(छह) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में विभागों से संबद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के एक सौ तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी एक सौ सैंतीसवां प्रतिवेदन;

(सात) महासागर विकास विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में विभागों से संबद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के एक सौ अट्ठाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर महासागर विकास विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी एक सौ अड़तीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

एथेंस ओलम्पिक में दूरदर्शन को हुए घाटे के बारे में दिनांक 2.12.2004 के तारांकित प्रश्न संख्या 40 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला वक्तव्य*

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, मैं निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं:

दिनांक 2.12.2004 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 40 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निम्न प्रकार से कहा गया था:

(क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन ने एथेंस ओलम्पिक गेम्स-2004 के अधिकार प्राप्त करने और दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर इनके प्रसारण की व्यवस्था करने में 20,27,79,839 रुपये की राशि व्यय की। वाणिज्यिक प्रसारण समय की बिक्री से अर्जित कुल राजस्व 8,00,00,000 करोड़ रुपये था।

उत्तर के ठीक किए गए भाग (क) और (ख) को अब इस प्रकार पढ़ें:

(क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन ने एथेंस ओलम्पिक गेम्स-2004 के अधिकार प्राप्त करने और दूरदर्शन के विभिन्न

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1766/2005]

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

चैनलों पर इनके प्रसारण की व्यवस्था करने में अनुमानत: 20.86 करोड़ रुपये (अनुमानत:) था।

यह उत्तर प्रसार भारती द्वारा प्रदत सूचना पर आधारित था। यह चूक बाद में ध्यान में आयी थी। तथापि, शीतकालीन सत्र, 2004 के दौरान अशुद्धिशोधन विवरण को सदन में रखना संभव नहीं था क्योंकि लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए आस्थगित हो गयी थी।

मैं तारांकित प्रश्न सं. 40 के संशोधित उत्तर की प्रतियां सभा पटल पर एतद्द्वारा रखता हूं।

लोक सभा को हुई असुविधा के लिए खेद है।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

बेरोजगारी लाभ योजना शुरू किया जाना*

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): महोदय, मुझे सभा में यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि सं.प्र.ग. सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसरण में और सं.प्र.ग. की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह के मार्गदर्शन में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, यह क्या प्रक्रिया है?

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये उनका नाम दे रहे हैं, उनका इससे क्या ताल्लुक है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: मंत्री के वक्तव्य में उनका नाम क्यों है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठबले (पंढरपुर): इससे आपको क्या आपत्ति है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने उस पर आपत्ति की है और वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित हो गई है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने प्रधान मंत्री का नाम भी लिया है।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: यह एक अधिकारिक वक्तव्य है *...(व्यवधान)* मंत्री श्रीमती सोनिया गांधी का नाम कैसे ले सकते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने कुछ आपत्तियां की हैं और वे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित हैं। मंत्री को अपना वक्तव्य पढ़ने देते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बेरोजगारी लाभ योजना के संबंध में है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: छोड़िये, आप ऐसे क्यों करते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी और सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मेरी टिप्पणियों के बाद कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा, आप इस मामले में इस तरह निर्णय नहीं ले सकते। क्या हम इस तरह निर्णय ले सकते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठिए।

...(व्यवधान)

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1767/2005]

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जिस तरह से कुछ बातें कही गई हैं आपने उनके बारे में कुछ आपत्तियां की हैं। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है। इसका निर्णय यहां नहीं हो सकता।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, क्या यह वहां होगा या नहीं? *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: श्रीमती सोनिया गांधी का संवैधानिक प्राधिकार क्या है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह ली है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हर बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के वक्तव्य के अलावा और कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपके विचारों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है। उनके विचार भी वहां हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: श्री आठवले वहां क्यों हैं?

अध्यक्ष महोदय: वह बोल नहीं सकते।

श्री अनंत कुमार: वह अपनी सीट पर वापस जा सकते हैं। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: उनका एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री आठवले को अपनी उम्मीदें हैं। हम उन पर आरोप नहीं लगा सकते। हरेक आशावादी है।

हां, मंत्री महोदय।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना नामक श्रमिकों के लिए बहुत लाभकारी योजना को लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संगठन, द्वारा लागू की जायेगी *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप चुप रहिये। आपके मंत्री जी बोल रहे हैं और आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. चन्द्रशेखर राव: हमारे सामने अक्सर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जिसमें कामगारों के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारणों से औद्योगिक इकाइयां और अन्य प्रतिष्ठान बंद किए जाते हैं। बेरोजगारी की ऐसी अवधि के दौरान और जब तक उन्हें वैकल्पिक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक कामगारों और उनके परिवार की आर्थिक और सामाजिक दशा बहुत खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा नेट न होने के कारण कामगार हताश और निर्धन हो जाते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कवर बीमित व्यक्ति और फैक्टरी अथवा प्रतिष्ठान बंद होने, छंटनी अथवा ऐसी चोट, जिससे रोजगार के लायक न रहे, के कारण स्थायी अक्षमता के कारण। अप्रैल, 2005 के बाद रोजगार खोने वालों को इसमें शामिल किया जाएगा। बीमित कामगार जिनका पांच या अधिक वर्षों तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अंशदान करने के पश्चात् रोजगार चला जाता है वे नगद बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे जो कि उनकी मजदूरी के लगभग 50 प्रतिशत के बराबर होगा और अधिकतम छह माह के लिए होगा।

इसके अतिरिक्त, बीमित व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते के साथ-साथ अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के भी हकदार होंगे जैसा कि ई एस आई औषधालयों और ई एस आई अस्पतालों में उपलब्ध है।

[श्री चन्द्रशेखर राव]

यह योजना जो 1 अप्रैल, 2005 से लागू होगी उन लगभग आठ मिलियन कर्मचारियों के लिए अत्यावश्यक सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करेगी जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ बीमित हैं। बीमित कामगारों के परिवारों के 30 मिलियन सदस्यों को चिकित्सा लाभ दिए जाएंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विचार कर्मचारियों अथवा नियोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार डाले बिना अपने वर्तमान संसाधनों में से योजना का खर्च पूरा करने का है। इस प्रयोजनार्थ ई एस आई अधिनियम के अंतर्गत नियमों में 300 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय यह पहली बार है कि हमारे कामगार बंधुओं के लिए देश में बेरोजगारी संबंधी लाभ योजना शुरू की जा रही है और मैं समझता हूं कि देश में सभी श्रेणियों के कामगार और उनके नियोक्ता इस महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम का स्वागत करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि सन 2005 के बाद के कर्मचारियों को यह सुविधा मिलेगी। हम जानना चाहते हैं कि पहले वाले कर्मचारियों को मिलेगी या नहीं?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): यह बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है। मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इस सभा में दिए गए वक्तव्य पर कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती। अन्य विधियां भी हैं। मैं प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: कृपया हमें एक या दो स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं।

हम मद संख्या-13 चर्चा करेंगे।

अपराह्न 12.10 बजे

गोवा बजट, 2005-2006

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं वर्ष 2005-2006 के लिए गोवा राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1767क/2005]

अपराह्न 12.11 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (गोवा), 2004-2005

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं वर्ष 2004-2005 के लिए गोवा राज्य के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1767क/2005]

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, मुझे एक निवेदन करना है, मैं आपको विषय को उठाने की अनुमति दूंगा। परन्तु यह नियमानुसार होना चाहिये। हमने इस संबंध में निर्णय ले लिया है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, यह जीरो आवर का सवाल है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं मैटर के बारे में नहीं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक माननीय सदस्य को एक ही विषय उठाने की अनुमति है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.12 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) नानावती आयोग की रिपोर्ट को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर का सवाल नहीं है। इसका नोटिस तो हमने 21 सालों से दे रखा है। *...(व्यवधान)* यह वर्ष 1984 की मामला है। उस समय तीन हजार लोगों की हत्या हुई थी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री संतोष गंगवार मान गए हैं। इसीलिए मैं आपको गुणों के आधार पर नहीं बल्कि संख्या के आधार पर बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1984 में दिल्ली में तीन हजार सिखों की हत्या हुई थी। उसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के शामिल होने का आरोप था। *...(व्यवधान)* उसके बाद कमीशन बनाया गया। आज तक एक आदमी को भी सजा नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी के सब नेता पूरी तरह से उसमें शामिल थे। नानावती कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। यहां होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, नानावती कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर बैठे हुए हैं। *...(व्यवधान)* यह रिपोर्ट दबायी गयी है। 40 दिन बीत गये हैं, लेकिन यह रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं पेश की गयी? होम मिनिस्टर साहब उस रिपोर्ट को क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? *...(व्यवधान)* बैनर्जी कमीशन की रिपोर्ट बाहर ही रख दी गयी, प्रकाशित कर दी गयी। क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी पर आरोप है इसलिए होम मिनिस्टर साहब उसको दबा कर बैठे हैं। हम चाहेंगे कि होम मिनिस्टर साहब इसे क्लेरीफाई करें। यह रिपोर्ट कब तक सदन में रखी जायेगी और कब उस पर बहस होगी, यह हम जानना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, मेरी सूचना भी लम्बित है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें अनुमति दी है। मैंने उन्हें इसलिए बोलने का अवसर दिया है क्योंकि मैं भी यह महसूस करता हूं कि यह ऐसा विषय है जिसे उठाया जाना चाहिये। हमें नियमों का पालन करना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप उनको इग्नोर कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बिल्कुल उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री संतोष गंगवार, श्री अनंत कुमार, श्री श्रीपाद येसो नाईक, श्री सुरेश वाघमारे, श्री प्रदीप गांधी, श्री सुशील कुमार मोदी, डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय और श्री सुखदेव सिंह ढींडसा ने इसी प्रकार की सूचनाएं दी हैं। स्थापित परम्परा के अनुसार वे अपने को इस विषय से सम्बद्ध करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब दे कि वह रिपोर्ट कब तक पेश होगी। *...(व्यवधान)* उस रिपोर्ट को सरकार क्यों नहीं रख रही, इसका जवाब दें. *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह उनका काम है। मैंने आपको अवसर प्रदान कर दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर सम्बद्ध होने पर उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा के नेता उत्तर दे रहे हैं।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, स्थापित परम्परा यह है कि जब कोई जांच आयोग गठित किया जाता है और वह अपनी रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध करता है तब सरकार इस पर विचार करती है तथा की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ-साथ आयोग की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जा रही है। उसके पश्चात ही सदस्य उस पर चर्चा कर सकते हैं। नानावती आयोग की रिपोर्ट सरकार ने प्राप्त कर ली है। इसकी जांच की जा रही है। इसे की गई कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ रखा जाएगा। अन्यथा यही माननीय सदस्य कहेंगे कि रिपोर्ट तो प्रस्तुत कर दी गयी है परन्तु सरकार ने क्या कार्रवाई की है। अत: इसे की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): बैनर्जी आयोग की अंतरिम रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गयी थी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह एक कानूनी आवश्यकता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, बैनर्जी कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है। *...(व्यवधान)* जब तक रिपोर्ट पेश नहीं होती, यह सदन कैसे चलेगा? *...(व्यवधान)* इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट को दबाकर बैठे हुए हैं। *...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: अध्यक्ष महोदय, चुनाव के दौरान बैनर्जी कमीशन की रिपोर्ट आ गयी थी। *...(व्यवधान)* नानावती कमीशन की भी रिपोर्ट आ गयी है। सरकार उस रिपोर्ट को कब सदन में रखेगी? *...(व्यवधान)*

यदि बैनर्जी आयोग की अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है तो नानावती आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, चुनाव की वजह से बैनर्जी रिपोर्ट आ गई थी। नानावती कमीशन की रिपोर्ट भी आ गयी है। लेकिन यह रिपोर्ट सदन में कब पेश की जाएगी? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस विषय को उठाने की अनुमति दे दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हमें पता लगना चाहिए कि यह रिपोर्ट सदन में कब पेश होगी? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जैसा कि उन्होंने कहा है यह सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करे। उन्होंने ऐसा कहा है।

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): जहां तक नानावती आयोग का प्रश्न है, इस आयोग का गठन जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। अत: मैं जिस प्रक्रिया की बात कर रहा हूं वह प्रक्रिया जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत गठित किए गए आयोग के संबंध में है। जहां तक विभागीय समिति का संबंध है उसमें इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। यह रेलवे के अंतर्गत आता है *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.16 बजे

[इस समय श्री श्रीचंद कृपलानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको बोलने का अवसर दिया। आपने विषय को उठाया और सरकार ने उसका उत्तर दिया। और इससे अधिक क्या किया जा सकता है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा की कार्यवाही अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 12.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.30 बजे

लोक सभा बारह बजकर तीस मिनट पर पुन: समवेत् हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए]**

[हिन्दी]

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ (जूनागढ़): अध्यक्ष महोदय, पिछले एक साल में पाकिस्तान के कोस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स ने

महाराष्ट्र और गुजरात इलाके के करीब 900 मछुआरों को पकड़ा था, जो पाकिस्तान की जेलों में बंद किए गए थे। अभी दो-तीन दिन पहले पाकिस्तान सरकार ने इनमें से करीब 523 मछुआरों को रिहा करने की घोषणा की है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब ये मछुआरे पकड़े गए थे, उस समय उनको मछली पकड़ने की उनकी करीब 200 नौकाओं के साथ पकड़ा गया था। एक नाव की कीमत लगभग 12 से 15 लाख रुपए तक होती है। इस प्रकार नौकाएं, मछली पकड़ने के जाल आदि करीब तीस करोड़ रुपए का सामान पाकिस्तान सरकार के पास पड़ा हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में कहें। आप यहां लम्बा भाषण नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: महोदय, एक नौका को वापस लाने में चार से पांच आदमियों की आवश्यकता पड़ती है, अगर इन मछुआरों को उनकी नौकाओं के बिना छोड़ा गया तो उन नौकाओं को लाना कठिन हो जाएगा। अत: प्रधानमंत्री जी और माननीय नटवर सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने इन मछुआरों को छुडवाया है, उसी प्रकार पाकिस्तान से गुजारिश करके उनकी नौकाओं को भी छोड़े जाने की व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब प्रो. राम गोपाल यादव बोलेंगे। कृपया संक्षेप में विषय पर ही बोलें।

अपराह्न 12.33 बजे

(दो) टेलीविजन चैनलों पर बढ़ रही अश्लीलता के बारे में

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): महोदय, मैं यह प्रश्न बहुत दु:ख के साथ उठा रहा हूं। आज पूरे देश में टीवी चैनल्स और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से न्युडिटी, बल्गैरिटी, आब्सेनिटी, न्यूसेंस और वायलेंस का प्रदर्शन हो रहा है, यह चिन्ता का विषय है। हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति पर जिस तरह से पश्चिमी आक्रमण हो रहा है, वह अत्यधिक चिन्ता का विषय है। इस विषय पर मैं, अर्नाल्ड टायनबी के शब्दों में कहना चाहूंगा कि जिस सभ्यता में न्युडिटी और एल्कोहल का प्रवेश हो जाता है, वह सभ्यता समाप्त हो जाती है। महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि हम उसी दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। मैंने इस बात को दो साल पहले दूसरे सदन में भी उठाया था और उस समय वहां चेयर के निर्देश पर सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी भी लगातार यह न्युडिटी बढ़ती ही जा रही है।

महोदय, आज हम अपनी मां-बहन और परिवार के साथ बैठकर समाचार तक नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि समाचारों के बीच-बीच में इस तरह के घटिया स्तर के विज्ञापन आते हैं कि उनको देख नहीं सकते हैं। आज समाचार-पत्रों के साथ जो सप्लीमेंट्री पेपर्स आने लगे हैं, उसमें इस तरह के चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं कि उनको देख कर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। महोदय, यहां देश के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रीगण बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस दिशा में समुचित कदम उठाए जाएं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राम गोपाल यादव जी ने जो बात कही है, उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

मो. सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, पूरा सदन इसके बारे में बहुत चिंतित है *...(व्यवधान)* माननीय संस्कृति मंत्री यहां उपस्थित हैं। मेरा विचार है कि पूरी सभा की ओर से हमें इसकी निन्दा करनी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, एक मिनट। क्योंकि अभी सदन में शोर-शराबा है अत: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के दौरान इस विषय को उठाया गया था। माननीय मंत्री ने इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। अब पुन: इसे एक वरिष्ठ और जिम्मेदार सदस्य द्वारा उठाया गया है। जब मंत्री जी यहां उपस्थित हैं मेरा पूरा विश्वास है कि उन्होंने पूरे सदन की चिंता को देख लिया होगा। मेरा विश्वास है कि वे इस संबंध में उचित कार्रवाई करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद: मंत्री जी इस संबंध में जानकारी दें। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) मंत्री जी, यहां बैठे हैं, उसका जवाब आना चाहिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मो. सलीम: वे संस्कृति मंत्री भी हैं। वे यहां उपस्थित हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे समझ में नहीं आता यह सब क्या हो रहा है। प्रश्नकाल के दौरान अनेक सदस्यगण उपस्थित नहीं थे। आप में से अधिकांश सदस्य नहीं जानते कि माननीय मंत्री ने यहां क्या कहा था।

...(व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, यदि माननीय अध्यक्ष महोदय, अवसर दें तो मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी चिंता का उत्तर देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आपने यह कहा है कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, हमने इस विषय को बड़ी गम्भीरता से लिया है। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं पर विचार किया जा रहा है। कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया हम इस प्रकार की शिकायतों को देखने के लिए एक विनियामक प्राधिकरण तथा एक सांविधिक प्राधिकरण के गठन करने पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने केवल पहले कही गयी बात को ही दोहराया है। उस समय आप में से अधिकांश सदस्यगण उपस्थित नहीं थे।

अब, श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर बोलेंगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर (कृष्णनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहती हूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाले एक विधान सभा क्षेत्र चापरा के गांव हटखुला की समस्या का उल्लेख करना चाहती हूं। यह गांव भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा पर है। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भारत में होते हुए भी यहां के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस गांव से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अलग करने के लिए वहां तार द्वारा फैंसिंग की गई है। कुछ दिन पहले इस गांव के लोग दोनों तरफ आते-जाते थे। लेकिन इस फैंसिंग के द्वारा आना-जाना बंद हो गया है। वहां के निवासियों ने बीएसएफ से वहां पर एक गेट बनाने की मांग की थी, जिससे वहां के लोग मस्जिद में जा सकें, छोटे बच्चे स्कूल जा सकें और किसानों को अपनी फसल लाने में सुविधा हो। लेकिन कुछ दिन पहले बीएसएफ ने वहां से दूर जाकर एक गेट बनाया है। इस कारण वहां के किसानों को अपनी फसल लाने में दिक्कत हो रही है, लोगों को नमाज पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है और छोटे बच्चों को स्कूल में जाने में भी कठिनाई आ रही है। इसके अलावा जहां गेट बनाया गया है, उसके आस-पास तालाब है, जिससे रोजमर्रा का सामान लाने में भी दिक्कत आ रही है। खासकर महिलाओं को, जब वे जाती हैं तो चैकिंग के समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मैं सम्बन्धित मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि गांववासियों की सुविधा के लिए तुरंत एक गेट वहीं पर बनाने की व्यवस्था की जाए और उस बोर्डर एरिया की जो समस्याएं हैं, उन्हें दूर करना अति आवश्यक है। मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि वहां एक टीम भेजकर लोगों की समस्याओं की जानकारी ली जाए और उनका हल करने के लिए उपाय किए जाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। अति उत्तम।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि प्रत्येक मौसम में मुख्य-मुख्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है। खरीफ मौसम के लिए धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, मूंग, उड़द, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, रामतिल एवम् कपास कुल 14 फसलों एवम् रबी मौसम के लिए गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम और तौरियां कुल सात फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं।

गेहूं एवम् धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से की जाती है, जिसमें राजफैड, राजस्थान वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। तिलहनी एवम् दलहन फसलों की

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खरीद हेतु नेफेड को केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया हुआ है। नेफेड इस कार्य हेतु राज्य एजेंसी राजफैड एवम् तिलम संघ का सहयोग लेता है। प्रत्येक फसल हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा कृषि लागत एवम् मूल्य आयोग की अनुशंसा पर की जाती है। रबी 2004-2005 में सरसों के अंतर्गत 26.00 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई एवम् 35 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद व्यवस्था हेतु भारत सरकार अपनी व्यवस्था प्रदान करे।

मेरा सदन के मार्फत माननीय कृषि मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा अभी तक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है, उस पर गंभीरता के विचार करके, किसानों के हित में, तुरंत घोषणा करने की कृपा करें।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन तथा सरकार के ध्यान में एनरान कम्पनी, जिसे बंद कर दिया गया है, के बारे में कुछ चिन्ताजनक समाचार लाना चाहता हूं। कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने दाभोल विद्युत परियोजना जिसे बन्द कर दिया गया है के पुनर्गठन में निवेश करने हेतु ई.पी.एफ. आयुक्त को एक पत्र लिखा था। एनरान कम्पनी की दाभोल विद्युत परियोजना एक बहुत ही विवादास्पद परियोजना बन गई है और यह कहा गया है कि उसके द्वारा विदेशी बैंकों को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक तथा भारतीय बैंकों को लगभग 3600 करोड़ रुपये देने हैं। इस परियोजना का पुनर्गठन करने के लिए ई.पी.एफ. तथा जीवन बीमा निगम की निधियों का पैसा इसमें लगाया जा रहा है। यदि यह सत्य है तो इसका बहुत बुरा प्रभाव होगा। कई सरकारी क्षेत्र के उद्योग है जहां इस प्रकार के धन को निश्चित रूप से निवेश किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि सरकार इस पर कायम है तो इससे यहां विकास में बाधा आएगी। तथापि, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मजदूरों का पैसा जिसे ई.पी.एफ. में बचत किया गया वह अत्यंत विवादास्पद और बेईमान परियोजनाओं में लगाया जाए। एनरान परियोजना के शीर्ष स्तर के, सर्वोच्च अधिकारियों को भी अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल में भेजा गया है। मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री एक वक्तव्य दें कि यह सत्य है अथवा नहीं, और यदि यह सत्य है तो इस प्रकार के निवेश की योजना क्यों बनाई जा रही है। आपको धन्यवाद।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी एक प्रसिद्ध वैगन निर्माता कम्पनी है जो लम्बे समय से वैगन निर्माण में लगा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान रेलवे बोर्ड द्वारा अलाभकारी वैगन क्रय आदेश दिए गए हैं, इसलिए यह कम्पनी हाल में पूंजी के संकट से गुजर रही है।

हावरा वर्क्स आफ वी.एस.सी.एल. इस स्थिति में नहीं है कि वह अपने उत्पादन को अधिकतम स्तर तक बढ़ा सके और यही स्थिति बर्नपुर की है। कर्मचारी कठिन परिश्रम कर रहे हैं।

इस प्रकार की स्थितियों में बिहार स्थित भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लि. को एक विशेष पैकेज सहायता मंजूर की गई। वी.एस.सी.एल. द्वारा उत्पादन शुरू करने के लिए इसी प्रकार की 10 करोड़ रुपये की विशेष सहायता तत्काल दी जाए।

माननीय मंत्री, श्री संतोष मोहन देव ने लिखा; मैंने भी रेल मंत्री को लिखा है, रेल स्थायी समिति ने भी सिफारिश की है; लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला। पूर्व में, प्रधान मंत्री कार्यालय ने भी इसमें हस्तक्षेप किया था।

बिहार स्थित भारत वैगन इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड को कुछ विशेष सहायता दी गई थी। इसी प्रकार की सहायता बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि. को दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): अध्यक्ष जी, उत्तरांचल राज्य में सरकार द्वारा टिहरी जिले में फिलैंडा गांव में भिलंगना नदी के ऊपर साढ़े 22 मेगावाट विद्युत उत्पादन परियोजना का काम स्वास्तिक पावर इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा कराया जा रहा है। इसमें आपत्ति यह है कि इसमें वन और पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृत लेना मैनडेटरी था, उसको लिया नहीं गया। इसके अलावा पर्यावरणीय इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गयी। साथ ही यह भी जानकारी में आ रहा है कि इसमें कोई बहुत प्रभावशाली परिवार जोकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निकट है और उन्हीं की कंपनी है, के राजनैतिक दबाव के कारण, सारे रूल्स रैगुलेशन्स को किनारे करके, निर्माण हो रहा है और ग्रामीण लोगों के जंगल, पानी के जो हक-हकूक हैं, उस बारे में सुनवाई नहीं की गई है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इस बारे में तत्काल हस्तक्षेप करे और इस मामले की जांच कराकर, व्यवस्थित तरीके से कार्रवाई करें।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। पटसन उद्योग हमारे देश की एक सदियों पुराना पारंपरिक उद्योग है। यह उद्योग एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में यह उद्योग कई समस्याओं से जूझ रहा है। कुछ पटसन उद्योगों को रुग्ण घोषित किया जा चुका है जबकि

[श्री अजय चक्रवर्ती]

अन्य, जिसमें एन.जी.एम.सी. भी शामिल है, बंद होने की कगार पर हैं या बंद हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, हजारों-हजार श्रमिक बेकार पड़े हैं और वे भुखमरी का सामना कर रहे हैं। कुछ जूट श्रमिकों ने आत्महत्या भी कर ली है।

महोदय, जूट उद्योग एक पिछड़ा हुआ उद्योग है और इसके आधुनिकीकरण तथा उन्नयन की जरूरत है। जहां तक हमारी जानकारी है, हमारे पड़ोसी देश बंगलादेश ने अपने जूट उद्योग को उन्नत तथा आधुनिक बना लिया है। हमारे पुराने उद्योग को भी तत्काल उन्नत तथा आधुनिक बनाने की जरूरत है। न केवल श्रमिक बल्कि पटसन उद्योग कुल मिलाकर तथा जूट उत्पादक भी गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। उन्हें अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इसके लिए आवश्यक उर्वरक तथा अन्य सामान उन्हें नहीं मिल रहा है तथा उन्हें मजबूरी से बिक्री करनी पड़ती है। इसलिए, आपके माध्यम से मैं सरकार तथा इस सदन कां ध्यान भी इसकी ओर आकृष्ट करना चाहूंगा तथा सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह जूट उद्योग, जो गंभीर संकट से गुजर रहा है, को बचाने के लिए एक पैकेज दे।

महोदय, जूट उद्योग सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है क्योंकि निर्यात के माध्यम से इससे अच्छी कमाई होती है। इसलिए, सभा से मेरा अनुरोध है कि वह इसे गंभीरता से ले और जूट उद्योग के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए एक पैकेज दे।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कश्यप, निषाद और बिंद के नाम से जानी जाने वाली मछुआरा जाति की लगभग एक करोड़ आबादी है। इनका पैतृक पेशा मछली मारना और नाव चलाना था लेकिन सभी कामों का सरकारीकरण होने के बाद और इनमें ठेका पद्धति लागू होने के बाद यह बिरादरी बेरोजगारी की शिकार हो गई है जिससे बन्धुआ मजदूरी करने के लिए बाध्य हो गई है। इस जाति के लोगों को न पढ़ने का मौका मिला और न कभी सरकारी नौकरी करने का मौका मिला। रोजी-रोटी के साधन न होने के कारण और बेरोजगारी के कारण इनका जीवन स्तर अनुसूचित जाति के लोगों से भी ज्यादा खराब हो गया है। यदि इस जाति को अनुसूचित जाति के अन्दर शामिल कर लिया जाए तो इन्हें पढ़ने का मौका मिल जाएगा।

[अनुवाद]

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): तमिलनाडु स्थित पारंपरिक कन्याकुमारी और केरल के अतिरिक्त आठ राज्यों, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्य भी सम्मिलित हैं, ने रबर बोर्ड की सहायता से रबड़ की खेती शुरू की है। रबड़ उत्पादन क्षेत्रों में इससे संबंधित औद्योगिक यूनिटों के अभाव के कारण संभावित व्यवहार्य मांग और आपूर्ति का माहौल नहीं है। रबड़ का आयात, जो मात्र दो पत्तनों, कोलकाता और विजाग तक सीमित है, को उदारतापूर्वक सभी पत्तनों के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। इससे कीमतों में जोड़-तोड़ से पैदा की गई गिरावट है। जिससे रबड़ उत्पादक प्रभावित हुए हैं। विश्व स्तर पर जब रबड़ की कीमत 57 रुपये है तब गुणवत्ता वाली भारतीय रबड़ की कीमत 65 रु. से गिरकर 50 रु. प्रति किलो हो गई।

कई हजार कृषि मजदूरों की आजीविका जो छः लाख हेक्टेयर की रबड़ की खेती पर निर्भर है, बुरी तरह प्रभावित होगी। केवल कन्याकुमारी में ही एक लाख से ज्यादा परिवार प्रभावित होंगे।

इसलिए, केन्द्र सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि वह रबड़ के आयात को रोके और निर्देशित विपणन और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के द्वारा रबड़ भारतीय उत्पाकों को लाभकारी समर्थन मूल्य सुनिश्चित करे।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, जिन्हें इस सप्ताह में एक अवसर मिला है उन्हें अन्य सदस्यों के बाद बुलाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): आप कहते हैं कि महत्वपूर्ण विषय होगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सब विषय महत्वपूर्ण हैं।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विदर्भ के बारे में कहना चाहता हूं। 9 मार्च को विदर्भ में, खास तौर से पश्चिम विदर्भ में बड़ी मात्रा में बर्फीली बरसात हुई है जिसे गारपीट के नाम से जाना जाता है। अमरावती, दर्रापुर, बड़नेरा, चांद्र

बाजार, चांदूरेलवे, धामणगांव, वाशिम, कारंजा आदि क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बारिश हुई है जिसके कारण किसानों की कई फसलें बर्बाद हो गई हैं जैसे संतरा, गेहूं, तूहड़। इससे बड़ी मात्रा में विदर्भ के किसानों का नुकसान हुआ है। इस साल कम बारिश के कारण किसानों की बाकी फसलें, जैसे कपास है और बाकी की फसलें हैं जैसे सोयाबीन, मूंग पहले भी बर्बाद हुई हैं। बर्फीली बारिश के कारण फलों खासकर आम को बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि विदर्भ के किसान बड़े संकट में आए हुए हैं। उन्हें कपास का दाम नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार से कह कर उन किसानों को पूरी मदद देने की कोशिश की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री रेवती रमण सिंह बोलेंगे। चूंकि आप इसी प्रकार के विषय पर बोल रहे हैं, आप अपने को इसके साथ जोड़ लीजिए।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय: दो मिनट का समय बहुत लम्बा समय हो जाता है। आप अपनी बात एक मिनट में कहिए।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से जो नोटिस दिया है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पहले ही सूखे से ग्रसित प्रदेश रहा है। कम वर्षा के कारण वहां ज्यादातर फसलें सूख गई हैं। आज वहां पूरे प्रदेश में ओला पड़ा है जिससे बची-खुची फसलें भी समाप्त हो गई हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा तत्काल एक सर्वे टीम भेजकर सर्वे करवाया जाए जिसमें माननीय सांसदों को भी लिया जाए। इलाहाबाद में जमुना पार की चारों तहसीलों में भारी ओला वृष्टि हुई है जिससे पूरी फसल नष्ट हो गई है। मेरा आग्रह है कि आप सरकार को निर्देश दें कि वहां तत्काल सर्वे टीम भेजकर उसका सर्वेक्षण कराएं।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव (चन्दौली): अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में एसोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री कैलाश नाथ सिंह यादव अपने को पूरी तरह इस विषय से जोड़ते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि बाल श्रमिकों के शोषण और उत्पीड़न की स्थिति निरंतर गिरती जा रही है। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद उसमें कमी आने की बजाए बढ़ोत्तरी होती जा रही है और उसी रफ्तार से उनके शोषण और उत्पीड़न की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी घटनाओं की भरमार है जो मेरे संज्ञान में लिखित रूप से लाई गई हैं।** उनको मजदूरी के नाम पर आज तक एक पैसा भी नहीं दिया गया। यहां बच्चों को कई दफा भोजन नहीं दिया जाता है। उनसे जबरन मार-पीट करके काम कराया जाता है। दक्षिण जिला पुलिस आयुक्त को लिखित आवेदन देने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस अन्याय और शोषण के विरुद्ध भारत सरकार के लेबर कमीशन के समक्ष प्रदर्शन किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप कर के बाल श्रमिकों को मुक्ति और न्याय दिलाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री, आपकी सूचना हस्ताक्षरित नहीं है। इसलिए, यह अमान्य है और इसे अस्वीकार किया जाता है। मुझे इसके लिए खेद है। कृपया अगली बार ध्यान रखें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मिस्त्री, आपने बिना हस्ताक्षर के सूचना दी है जिसका कोई महत्व नहीं है।

श्री खगेन दास (त्रिपुरा-पश्चिम): महोदय, त्रिपुरा में भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। *...(व्यवधान)*, राज्य सरकार कार्य में तेजी लाने के लिए अनुरोध कर रही है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष जी, मैंने कई बार नोटिस दिया है लेकिन मेरा एक बार भी नम्बर नहीं आया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मेरा निर्णय नहीं है। इसका फैसला कार्य मंत्रणा समिति में सभी माननीय सदस्यों द्वारा किया गया है कि माननीय सदस्यों द्वारा कोई भी दूसरा मामला नहीं उठाया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने यह प्रश्न उठाया है। सदस्यों की सूची पूरी हो जाने के बाद मैं इस पर विचार करने की कोशिश करूंगा। श्री गिरधारी लाल भार्गव भी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष जी, मैंने कई बार नोटिस दिया है, एक बार भी नहीं चांस दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको भी समय दिया है। आप ऐसा मत कीजिये।.मैंने बी.जे.पी. के कितने मैम्बर्स को समय दिया है।

योगी आदित्यनाथ: *

अध्यक्ष महोदय: यह आप क्या बोल रहे हैं?

[अनुवाद]

कृपया लांछन मत लगाइए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इस को रिकार्ड से निकाल दीजिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री खगेनदास के भाषण के सिवा और कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब मेरी चमड़ी मोटी हो गई है।

...(व्यवधान)

श्री खगेन दास: महोदय, अब तक कार्य बहुत धीमी गति से हुआ है। कभी-कभी बंगलादेश राइफल्स द्वारा प्रतिरोध पैदा किए जाने के कारण क्रियान्वयन एजेंसियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप उनको भाषण में हस्तक्षेप मत कीजिए। बहुत अधिक समय नहीं बचा है।

श्री खगेन दास: दक्षिण त्रिपुरा जिले के कथालसोटी में हाल ही की एक घटना में बंगलादेश राइफल्स के जवानों ने बाड़ कार्य में लगे मजदूरों पर गोलियां चला दी। इसके कारण काम बंद हो गया है। बंगला देश राइफल्स द्वारा इस प्रकार के हस्तक्षेप के मसले को बंगलादेश के अधिकारियों के साथ शीघ्र उठाया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री खगेन दास: ऐसा अनुमान है कि इससे सात हजार से अधिक परिवार प्रभावित होंगे। माननीय आधार पर प्रभावित परिवारों को पर्याप्त पुनर्वास उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य को करने में कई एजेंसियां लगी हुई हैं। यह भी सूचना है कि कार्य की गुणवत्ता का स्तर सही नहीं है। गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दक्ष पर्यवेक्षकों का एक दल निर्माण कार्य के निरीक्षण के लिए राज्य में भेजा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शिशुपाल एन. पाटले (भण्डारा): अध्यक्ष महोदय, देश में शुरू की गई बी.पी.एल. अन्त्योदय योजना के तहत केन्द्रीय सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बी.पी.एल. कार्डधारकों को प्रतिमाह 35 किलो चावल और गेहूं का वितरण होना अनिवार्य है परन्तु महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में पिछले कुछ महीनों से बी.पी.एल. कार्डधारकों को अनाज नियमित रूप से वितरित नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप गोंदिया जिले में रोजगार न रहने के कारण गरीबों के भूखों मरने की नौबत आ गई है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकरण की जांच कराई जाये कि किस कारणवश अनाज का वितरण प्रतिमाह नहीं हो रहा है। भविष्य में अनाज वितरण की समुचित व्यवस्था हो सके, केन्द्र सरकार इस संबंध में कार्यवाही करे।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री डी.पी. सरोज—उपस्थित नहीं।

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण अब बोलें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब आप हाथ क्यों उठा रहे हैं? मैंने आपसे कहा है कि यह केवल मेरा निर्णय नहीं है। इसके बाद मैं आपको बुलाने की कोशिश करूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, इन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें एक मौका दिया जा चुका है। मेरे पास रिकार्ड है। आप क्या कह रहे हैं? अब, मैंने हरिश्चंद्र चव्हाण को बोलने के लिए मौका दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में और खासकर वहां के नासिक जिले के मालेगांव निर्वाचन क्षेत्र ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बाधा न डालें। श्री रामकृपाल यादव, कृपया बैठ जाइए। वे भी एक माननीय सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: यह धमकी दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल चव्हाण का बयान ही दर्ज होगा। श्री चव्हाण आप कृपया बोलिए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: महाराष्ट्र के नासिक जिले में और खासकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र ...*(व्यवधान)* आठवले जी, कृपया मेरी बात भी सुन लीजिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अशिया खंड में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है। कल मैंने वहां इंक्वायरी की तो पता चला कि प्याज का भाव कुल पचास रुपये क्विंटल था। जबकि पिछले वर्ष इसी समय साढ़े आठ सौ और नौ सौ रुपये क्विंटल का भाव था। पिछले साल और इस साल के भाव में इतना ज्यादा डिफरैन्स है कि पिछले साल साढ़े आठ और नौ सौ रुपये क्विंटल का भाव था और आज पचास रुपये क्विंटल का भाव है। इस बात को लेकर बहुत सारे काश्तकारों ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस दिया है कि यदि मिनिमम पांच सौ रुपये प्रति क्विंटल का भाव नहीं मिला तो हम सुसाइड करेंगे। इस बात को लेकर वहां आंदोलन शुरू हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र तथा हमारे डिस्ट्रिक्ट नासिक में प्याज के रेट ठीक करें और वहां के काश्तकारों को बचायें।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, क्या आज मध्याह्न भोजनावकाश है?

अध्यक्ष महोदय: आज कोई भोजनावकाश नहीं है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण आज भोजनावकाश पर नहीं जाएंगे। हम सभी को देश के भविष्य की चिंता है।

श्री हितेन बर्मन (कूच बिहार): महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र, कूच बिहार में, किसान मुख्यत: तम्बाकू उत्पादन पर निर्भर करते हैं जो कि एक नकदी फसल है। किसानों से तम्बाकू खरीदने के लिए कूच बिहार में सरकार की कोई आधारिक संरचना नहीं है। वे अपनी फसल मध्यस्थों के हाथ कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हैं जिससे उन्हें उचित दर नहीं मिल पाता। इसलिए, उनको घाटा हो रहा है। पिछले वर्ष किसानों को अपनी फसल 3000 रुपये प्रति क्विंटल के दर से बेचना पड़ा और इस बार उन्हें 1800 रुपये से 2000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दाम मिल रहा है

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री हितेन बर्मन]

जो बहुत कम है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कूच बिहार में किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने के लिए कोई व्यवस्था करें जिससे कि उन्हें अपनी फसल का लाभदायक मूल्य मिल सके और जो पैसा उन्होंने लगाया है वह वापस आ जाए।

मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): महोदय, हुबली, धारवाड़ में एक सर्किट बेंच की स्थापना के लिए आंदोलन चल रहा है। यह बहुत ही आवश्यक है। वकील, श्री बी.डी. हिरेमठ और श्रीमती प्रफुल्ल नायक भूख हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय और कर्नाटक सरकार ने छः माह पूर्व ही सर्किट बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया था। आज की तारीख तक उन्होंने सर्किट पीठ की स्थापना नहीं की है।

इस क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना बहुत आवश्यक है। इसलिए, आपके माध्यम से मैं विधि और न्याय मंत्रालय और भारत सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और कर्नाटक सरकार पर दबाव डालें कि हुबली, धारवाड़ में तत्काल एक उच्च न्यायालय पीठ की स्थापना की जाए। यह बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा, जनता की कई मांगें हैं और लोग रास्ता रोको जैसे विभिन्न तरीकों से भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। कई हड़ताल हो रहे है। इसलिए, आपके माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भारत सरकार कर्नाटक सरकार तथा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय जनता के हित में वहां उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना करे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि उन सदस्यों को जिन्होंने पिछले सप्ताह अपने मुद्दे उठाए थे उनको आज समायोजित नहीं किया जा सका।

अपराह्न 1.00 बजे

(तीन) क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बधाई देने के बारे में

अध्यक्ष महोदय: विषय वस्तु को देखते हुए मैं एक अपवाद की छूट देता हूं। मैं श्री मोहन रावले को सचिन तेंदुलकर पर बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण केन्द्रीय): महोदय, सचिन तेंदुलकर हमारे देश के गौरव हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में बोलिए। विषय को देखते हुए मैंने अपवादस्वरूप अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: कल ही उन्होंने टैस्ट क्रिकेट में अपने 10000 रन पूरे किये। इस पर हम सब उनको बधाई देते हैं। उन्होंने एक विश्व रिकार्ड भी बनाया है कि वन-डे मैचेज में 13334 रन बनाए हैं। इसके लिए उनकी सराहना डान ब्रैडमैन से लेकर सभी क्रिकेटर्स ने की है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग वक्ता को इस महान कार्य की प्रशंसा क्यों नहीं करने देते है। यह बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी को उन पर गर्व है। हम भविष्य में उनकी और सफलता की कामना करते हैं। पूरी सभा उन्हें धन्यवाद देती है। इस विषय को उठाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि सचिन तेन्दुलकर को यहां बुलाया जाए और गैलेरी में बैठाकर उनको सम्मानित किया जाए। इससे पहले कपिल देव को भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिये थे।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की जेलों में जो पंजाबी बंद हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सोमवार को लिखकर दीजिए।

श्री अविनाश राय खन्ना: मैंने लिखकर नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं कि इस हफ्ते आप एक विषय उठा चुके हैं। आज नहीं, आप अगले हफ्ते दीजिए। थोड़ा मेहरबानी कीजिए।

अपराह्न 01.08 बजे

नियम 377 की अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाता है। आज भोजनावकाश नहीं होगा।

---

*सभा-पटल पर रखे माने गये।

(एक) किसानों के लाभ के लिए परमविकुलम बांध से अपर बांध को पानी छोड़े जाने के लिए तमिलनाडु सरकार को सलाह दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र के वेल्ला को इस विधान सभा खंड में तमिलनाडु सरकार द्वारा परमविकुलम अलीयारु-उप्पा बांध बनाया गया। आयाकट में लगभग 6,000 एकड़ भूमि सम्मिलित की गई है। उस क्षेत्र के अधिकांश लोग कृषक हैं और वे केवल बांध के पानी पर ही आश्रित हैं। पूर्व में 6000 एकड़ भूमि गैर-कृषि योग्य भूमि थी। बांध के निर्माण के बाद यह भूमि किसानों की कड़ी मेहनत से अच्छी कृषि योग्य भूमि में बदल दी गई है तथा विकसित हुई है। इस बांध के पानी से हजारों कृषि मजदूर जी रहे हैं।

हाल के दिनों में लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु सरकार ने उपर्युक्त बांध को परमविकुलम अलीयारू बांध से अमरावती थाला तक बढ़ाया है। वास्तव में उप्पर डैम का निर्माण परमबिकुलम अलीयारू डैम से आने वाले अतिरिक्त पानी का भंडारण करना था। तिरुमूर्ति डैम का पानी भी उप्पर डैम में डाला जाता है। इसके कारण पानी उप्पर डैम में बहकर नहीं जा रहा है। पिछले चार वर्षों से किसानों को सिंचाई, पीने तथा पशुओं के लिए पर्याप्त जल नहीं मिल रहा है। यद्यपि, परमबिकुलम अलीयार डैम तथा तिरुमूर्ति डैम में पर्याप्त जल है फिर भी तमिलनाडु सरकार उप्पर डैम को पानी छोड़ने के लिए कदम नहीं उठा रही है।

मैं माननीय जल संसाधन मंत्री से इस विषय को प्राथमिकता के आधार पर लेने तथा संबंधित अधिकारियों को परमबिकुलम अलीयारू डैम से उप्पर डैम में प्रति वर्ष सिंचाई के लिए पानी छोड़ने के लिए निर्देश देने का अनुरोध करता हूं।

(दो) देश की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कुलदीप बिश्नोई (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न भागों में मौसम के अलग-अलग मिजाज के कारण जहां एक ओर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश में मानसून के देरी से पहुंचने के कारण भंयकर सूखा पड़ा तथा किसानों द्वारा खरीफ की बुवाई के लिए बीज, खाद आदि पर किया गया खर्च बेकार हो गया। वहीं दूसरी ओर असम, बिहार में आयी बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यदि नदियां एक दूसरे से जुड़ी होतीं तो असम और बिहार में आयी बाढ़ के पानी को सूखाग्रस्त राज्यों की ओर मोड़ा जा सकता था, जिससे पूरे देश में जनता को बाढ़ के कारण हुए भारी जान माल के नुकसान से ही नहीं बचा जा सकता था अपितु सूखाग्रस्त राज्यों में किसानों की फसल को भी बचाया जा सकता था।

जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर दिए गए अपने भाषण में कहा था, देश में जल प्रबंधन के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। जैसे ब्रह्मपुत्र और कोशी नदियों के रास्ते में विभिन्न स्तरों पर बाढ़ का पानी एकत्रित करने के लिए परतदार कुएं (लेयर्ड वेल्स) का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे बाढ़ की भीषणता में कमी लाने के साथ ही साथ भूमिगत जल का स्तर भी ऊंचा उठेगा। हालांकि, कुछ समय पूर्व नदियों का एक दूसरे से जोड़े जाने की दिशा में कुछ प्रयास किए गए थे, परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई भी गंभीर पहल नहीं की गयी है।

अत: इस माननीय सदन के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह समूचे देश की नदियों को एक-दूसरे से जोड़ने की जरूरत को समझे तथा इस दिशा में ठोस कदम उठाए तथा साथ ही साथ पूरे देश में वर्षा जल के संरक्षण हेतु उपाय करें ताकि बाढ़ की भीषणता में कमी लाने के साथ-साथ भूमिगत जल का स्तर ऊंचा उठाया जा सके।

(तीन) जम्मू क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के कारण जम्मू क्षेत्र में औद्योगिक विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कश्मीर और देश के शेष भागों के साथ जुड़ी रेल लाइन की बेहतर सुरक्षा परिदृश्य के अतिरिक्त जम्मू क्षेत्र में औद्योगिक विकास में सुधार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है यद्यपि इस क्षेत्र में कच्चा माल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जैसा कि सरकार को इस बात की जानकारी है, जम्मू और कश्मीर के लोग दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के अंतर्गत पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। राज्य में औद्योगिक विकास से इस क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने तथा दिग्भ्रमित युवाओं को राज्य के मुख्य धारा में लाने के लिए विश्वास पैदा करने वाले कदम उठाने में भी मदद मिलेगी तथा इसे आगे लोगों के मुख्यधारा से अलगाव को रोका जा सकेगा।

इस क्षेत्र में सबसिडी/प्रोत्साहन देकर उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति बनाने तथा इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु सरकार से मैं अनुरोध करता हूं।

(चार) मेवात क्षेत्र के विकास के लिए अलीगढ़-पलवल-अलवर रेललाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय, मेरे निवार्चन क्षेत्र फरीदाबाद में मेवात के लोग बहुत लंबे अरसे से वाया मेवाल, अलीगढ़-पलवल-अलवर रेल लाइन बिछाने, पलवल स्टेशन को जंक्शन बनाने और ओल्ड फरीदाबाद क्रासिंग पर अंडरपास बनाने की मांग करते आ रहे हैं। करीब 25 साल पहले रहीमपुर ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर स्व. प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने, 1989 में श्री बंसीलाल जी ने और फिर 1997 में मेवात दौरे के दौरान नूह में श्री देवेगौड़ा जी ने जनता से इस रेल लाइन को बिछाने का वायदा किया था। इसके लिए 13 साल पहले सर्वे भी हुआ था। खुद मैंने 1991 में संसद में इस लाइन को बिछाने का मुद्दा उठाया था, परन्तु अभी तक यह लाइन नहीं बनी है। फरीदाबाद का मेवाल क्षेत्र दिल्ली के बेहद करीब होने के बावजूद बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहां ढंग की सड़कें तक नहीं हैं। इस रेल लाइन के बिछाने से मेवात क्षेत्र का तेजी से आर्थिक विकास हो सकेगा।

अत: मेरा रेल मंत्री से, जो खुद पिछड़े इलाकों के विकास के पक्के हिमायती हैं, अनुरोध है कि वे मेवाती जनता की इन तीनों मांगों को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय को शीघ्र कारार्इ करने के निर्देश दें।

(पांच) राजस्थान के कोटा शहर में रंगपुर रोड रेलवे गेट पर उपरि रेल पुल के निर्माण में शीघ्रता लाए जाने की आवश्यकता

श्री रघुवीर सिंह कौशल (कोटा): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित कोटा नगर के व्यस्ततम क्षेत्र में रंगपुर रोड रेलवे फाटक पर, वर्ष 1997 में रेलवे ओवर ब्रिज स्वीकृत हुआ था, जिसमें 44 स्पानों का तीन प्रमुख वाला ओवर ब्रिज बनाया जाना है। इसमें 30 स्पान राज्य सरकार और चार बड़े व तीन छोटे स्पान रेलवे द्वारा बनाये जाने हैं। इस पुल की अनुमानित लागत लगभग 17 करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपये आंकी गयी थी, जिसमें से रेलवे को 6 करोड़ 8 लाख एवं राज्य सरकार को 11 करोड़ 14 लाख 50 हजार रुपये व्यय करने हैं। मार्च 1999 से कार्य प्रारंभ हो गया था तथा इसके जून 2001 तक पूरा हो जाने का निश्चय हुआ था।

राज्य सरकार 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर चुकी है। 10 करोड़ 10 लाख रुपये से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। 38 स्पानों पर कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य सिर्फ रेलवे का कार्य पूर्ण होने की प्रतीक्षा में है।

मैंने उपरोक्त संदर्भ में लोक सभा में प्रश्न लगाया था। अतारांकित प्रश्न सं. 3688 था, जिसके उत्तर में मुझे रेल राज्य मंत्री ने आश्वस्त किया था कि राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्य के साथ-साथ रेलवे द्वारा अपने हिस्से का कार्य पूरा करने के हर संभव प्रयास किए जायेंगे।

उपरोक्त कार्य में रेलवे का कार्य पूरा नहीं होने से व्यस्ततम नगरीय क्षेत्र में आवागमन की भारी परेशानी हो रही है, बजट में भी इस हेतु मामूली राशि दी गयी है। सदन के माध्यम से अनुरोध है कि रेलवे से उपरोक्त कार्य यथाशीघ्र करवाया जाये ताकि जन समस्या का निदान हो सके।

(छह) महाराष्ट्र में सम विकास योजना, ग्रामीण विकास परियोजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के भंडारा, चंद्रपुर, गडचिरोली जिले में समविकास योजना के अंतर्गत पिछले दो सालों में 50 प्रतिशत से भी कम राशि खर्च की गयी। उसी प्रकार से जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा के अंतर्गत दो सालों में नगण्य राशि खर्च हुई। प्रधान मंत्री सड़क योजना के कार्य भी भंडारा जिले में पिछले दो वर्ष में नहीं के बराबर है। ठेकेदार टेंडर लेने के लिए तैयार नहीं हैं। यह कारण अपर्याप्त एवं अयोग्य लगता है। सारी निधि पड़ी हुई है। जो काम हुए, वह अधूरे हैं। कामों में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। अधूरे कामों के कारण धन का अपव्यय हुआ है। सम-विकास योजना, जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जांच करना भी अनिवार्य है। जो कार्य अधूरे हैं वह पूर्ण करके इस वर्ष में पिछली राशि खर्च करने का नियोजन शीघ्र हो एवं खर्च करने के संबंध में स्पष्ट सूचनाएं अधिकारी को मिले।

(सात) मध्य प्रदेश में सागर दूरदर्शन केन्द्र में "नैरो ब्रोडकास्टिंग स्कीम" शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर, मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार के निर्देश पर दूरदर्शन केन्द्र में लगभग तीन वर्ष पूर्व नैरोब्राडकास्टिंग योजना को बनाया गया। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यक्रमों के ट्रांसमिशन की पूरी व्यवस्था केन्द्र में बनायी गयी। ट्रांसमीटर वी सी आर में कनैक्शन कर ट्रांसमिशन की ट्रायल की गयी। उद्घाटन न हो पाने से नैरोब्राडकास्टिंग को अधिकृत समय से चालू नहीं किया जा सका था। इन तीन सालों के दौरान एक बार तो नैरोकास्टिंग के उद्घाटन की तिथि भी तय कर ली गयी थी। बाद में अचानक उद्घाटन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। पिछले दिनों केन्द्र सरकार ने इसे बंद करने

का निर्णय ले लिया, जिससे अब इस योजना के शुरू होने की संभावना खत्म हो गयी है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि सागर में नैराब्राडकास्टिंग योजना को शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ करवाया जाये।

(आठ) महाराष्ट्र के गोंदीया जिले में बीपीएल और अंत्योदय परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री शिशुपाल एन. पाटले (भण्डारा): अध्यक्ष महोदय, देश में शुरू की गयी बीपीएल तथा अंत्योदय योजना के तहत केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बी.पी.एल. कार्डधारकों को प्रतिमाह 35 किलो चावल, गेहूं का वितरण होना अनिवार्य है। परंतु महाराष्ट्र के गोंदीया जिले में पिछले कुछ महीनों से बी.पी.एल. कार्डधारकों को अनाज का वितरण नियमित रूप से नहीं हो रहा, जिसके फलस्वरूप गोंदीया जिले में रोजगार नहीं रहने से गरीबों को भूखे रहना पड़ रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि किस कारणवश अनाज का वितरण प्रतिमाह नहीं हो रहा, इसकी जांच करें ताकि गरीबों को भविष्य में अनाज के वितरण की समुचित तथा सुव्यवस्थित व्यवस्था प्राप्त हो सके। केन्द्र शीघ्र इस विषय पर कार्यवाही करे।

(नौ) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के प्रधान कार्यालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): हिन्दुस्तान लिमिटेड के प्रधान कार्यालय को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करना एक गंभीर चिंता का विषय है। खान विभाग का यह निर्णय मनमानी वाला है और इसका कोई औचित्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल में इस विषय को पहले से केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया है।

मैं ईमानदारी से माननीय मंत्री से हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के प्रधान कार्यालय को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लागू नहीं करने का अनुरोध करता हूं।

(दस) देश में मिलावटी पेट्रोल की बिक्री की रोकथाम किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर): अध्यक्ष महोदय, देश में अनेक पेट्रोल पम्पों पर नेप्था व सालवेंट आयल मिलाकर पेट्रोल बेचा जा रहा है, जिस कारण वाहनों की उम्र घटती जा रही है। कार का इंजन 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद खुलना चाहिए, परन्तु मिलावटी पेट्रोल के कारण उसे 20 से 30 हजार किलोमीटर पर ही खुलवाना पड़ता है। दोपहिया वाहन का इंजन 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद खुलना चाहिए परन्तु उसे 5 से 10 हजार किलोमीटर चलने के बाद खुलवाना पड़ रहा है। यदि चार पहिया वाहन का इंजन निर्धारित सीमा से पहले खुलता है तो उसे पुन: ठीक कराने में 20 से 35 हजार एवं दो पहिया वाहन को पुन: ठीक कराने में 3 से 5 हजार का खर्चा आता है। हालत यह हो गयी कि वाहनों की जितनी शिकायतें आती हैं, उसमें से अधिकांश मिलावटी पेट्रोल से होने वाली खराबी से होती है। दरअसल पेट्रोल का मूल्य जहां 40 रुपये प्रति लीटर है, वहीं नेप्था व सालवेंट आयल का मूल्य मात्र 17 से 19 रुपए लीटर है। इसलिए पेट्रोल पम्प संचालक मिलावटी पेट्रोल बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं।

देहात क्षेत्र में तो शहर से कहीं बदतर स्थिति है। इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो लुब्रिकेंट (मोबिल आयल) डालते हैं, मिलावटी पेट्रोल से उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। इससे वाहन स्वामियों को जहां आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं उनके वाहन की ओरिजीनैलिटी ही समाप्त हो जाती है।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वाहनों की घटती उम्र एवं वाहन स्वामियों को हो आर्थिक नुकसान को देखते हुए पेट्रोल में होने वाली मिलावट को रोकने हेतु तत्काल कदम उठाये।

(ग्यारह) तमिलनाडु में होगेनेकाल में समन्वित पेयजल परियोजना के कार्य को पूरा करने के उपाय किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई.जी. सुगावनम (कृष्णागिरि): महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र कृष्णगिरि में पेयजल के अभाव का गंभीर संकट है। पिछले कई वर्षों से हमारा चुनाव क्षेत्र में कोई वर्षा नहीं हुई है। भू-जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। इसके अतिरिक्त इस इलाके के पेयजल में फ्लोराइड है जो हड्डियों और दांतों के लिए हानिकारक है। इस कारण लोगों का स्वास्थ्य बहुत प्रभावित हुआ है। इस सम्बंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1998 में 1000 करोड़ रुपये की जापानी सहायता से होगेनेकाल में समेकित पेयजल परियोजना शुरू की गई थी। कार्य पूरा जोर-शोर से चल रहा था। तथापि, आने वाली सरकार ने इस कार्य को चालू नहीं रखा और इसे छोड़ दिया गया। कृष्णागिरि तथा धरमपुरी नामक दो जिलों से लगभग 50 लाख लोग पेयजल के अभाव के गंभीर संकट से

[श्री ई.जी. सुगावनम]

प्रभावित हुए और यदि होगेनेकाल परियोजना को कार्य रूप दिया जाता है तो वे इससे लाभान्वित होंगे।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं वह इस परियोजना को शुरू करने के लिए तमिलनाडु सरकार को निर्देश दे, यदि आवश्यक हो तो विश्व बैंक की भी सहायता ले और इसे युद्ध स्तर पर पूरा करे जिससे कृष्णागिरि और धर्मपुरी जिलों में पेयजल की समस्या, जो लम्बे समय से लम्बित है, का समाधान हो।

(बारह) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में घाघरा नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सीतापुर-बहराइच सड़क पर घाघरा नदी के ऊपर पुल के लिए लोगों की लम्बे समय से लम्बित मांग की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश का सीतापुर जो गन्ना क्षेत्र है है एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसकी अर्थव्यवस्था मुख्यत: चीनी पर आधारित है। तथापि, इस क्षेत्र में उपलब्ध आधारिक संरचना सम्बंधी सुविधाएं बहुत कम हैं। रोज आने-जाने वाले यात्रियों तथा वाहनों को इसी सड़क पर निर्भर रहना पड़ता है और इस स्थान पर पुल न होने के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

यह ज्ञात हुआ है कि आवश्यक मंजूरी दे दी गई है लेकिन कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह पुल के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू करे।

(तेरह) महाराजगंज-मशरक रेल लाइन पर शीघ्र कार्य शुरू किए जाने के लिए निधि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रांत के सिवान जिले का प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र महाराजगंज है, वहीं सारण जिले का प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र मशरक है। आजादी से पूर्व छपरा से जो रेल लाइन निकली थी, उसका अंतिम क्षेत्र मशरक ही हुआ करता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसके व्यवसायिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस रेल लाइन का विस्तार गोरखपुर तक किया गया। दूसरी तरफ छपरा से गोरखपुर वाया अकमा, दुर्रौंदा रेल लाइन जाती है। दुर्रौंदा से मात्र 6 कि.मी. की दूरी पर महाराजगंज मुख्यालय अवस्थित है। पिछली सरकार द्वारा दुर्रौंदा से महाराजगंज रेल लाइन को चालू कर दिया है। इस रेल खंड पर गाड़ियों का परिचालन हो रहा है, परन्तु महराजगंज से मशरक के बीच रेल लाइन की स्वीकृति पिछली सरकार द्वारा ही कर दी गयी थी, यहां तक कि योजना आयोग से स्वीकृति के पश्चात तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा इस रेल लाइन का शिलान्यास भी किया जा चुका है। ज्ञातव्य हो कि महाराजगंज से मशरक की दूरी मात्र 32 कि.मी है। महराजगंज और मशरक रेल लाइन के जुड़ जाने से बिहार के दो प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रों, दो जिलों और दो राज्यों की जनता और व्यवसायियों को लाभ होगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बिहार प्रांत के महराजगंज-मशरक रेल लाइन का कार्य शीघ्र शुरू करने हेतु राशि विमुक्त कर निर्माण का यथाशीघ्र प्रारंभ करने की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

(चौदह) भटिंडा रिफायनरी के नियम और शर्तों को पुन: परिभाषित किए जाने और रिफायनरी को अर्थक्षम बनाने की लागत को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्कों में राहत देकर वहन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (भटिंडा): हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन (एचपीसीएल) पंजाब के भटिंडा शहर में गुरू गोबिन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड के नाम से एक रिफाइनरी की स्थापना कर रहा है। इस रिफाइनरी की संस्थापित क्षमता 9 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इसकी कुल लागत 9,806 करोड़ रुपये आने का अनुमान है। एच पी सी एल ने अक्तूबर, 2003 तक इस पर 292 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। इस परियोजना को दिसम्बर, 2006 तक पूरा किया जाना है।

इस रिफाइनरी को राज्य सरकार द्वारा चुंगी कर और विद्युत कर में छूट देने के साथ-साथ बिक्री कर विभाग की ओर से कुछ प्रोत्साहन भी दिये गये थे। इन छूटों और प्रोत्साहनों के कारण राज्य सरकार के केवल बिक्री कर विभाग को ही 600 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का नुकसान होगा और इस रिफाइनरी को यह छूट 15 वर्षों तक के लिए दी गयी है।

दूसरी ओर, भारत सरकार उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के माध्यम से इस परियोजना से पर्याप्त राजस्व अर्जित करेगी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 1200 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जायेगा। इसलिए, जैसाकि सीपीसीएल द्वारा दावा किया जा रहा है कि रिफाइनरी को कार्यक्षम बनाने के लिए इसे कर में छूट दिये जाने की आवश्यकता है यह बेहतर होगा कि केन्द्र सरकार

अपने राजस्व का एक हिस्सा छोड़ दे और वह राज्य सरकार से करों में छूट देने की अपेक्षा न करे। इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि केन्द्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी है और वह इस लागत को वहन कर सकती है।

इसलिए, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह भटिंडा रिफाइनरी की सेवा शर्तों को पुन: परिभाषित करे और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क में राहत देते हुए इस रिफाइनरी की लागत का एक भाग स्वयं वहन करे ताकि इसे सुचारू रूप से चलाया जा सके।

(पन्द्रह) सशस्त्र बलों के "यूनिट द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीनों" के कर्मचारियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री बालेश्वर यादव (पड़रौना): अध्यक्ष महोदय, सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक सेवा शर्तों के अनुसार कैंटीन सुविधा लेते हैं। इसके लिए देश में करीब चार हजार कैंटीनें हैं, जो यूनिट-रन कैंटीनों के नाम से जानी जाती हैं। इनमें लगभग दस हजार कर्मचारी कार्यरत हैं।

भारत सरकार का कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट बाजार से थोक में समान खरीदता है और इसे रिटेल में, ऐसे कार्मिकों को बेचने के लिए इन यू.आर.सी. कैंटीनों को उपलब्ध कराता है। इस प्रकार यू.आर.सी. कैंटीन प्रतिवर्ष रु. 400 करोड़ का लाभ अर्जित कर रही है। जिस पर केन्द्र सरकार का कोई अधिकार नहीं है।

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी सरकारी हैं और यू.आर.सी. के कर्मचारी ऐसी सुविधा से वंचित हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने चार साल पहले अपने एक निर्णय में इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की स्वीकार की थी, परंतु सरकार इस मामले में अपने को असहाय महसूस कर रही है। अत: सरकार को यू.आर.सी. कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

अपराह्न 1.09 बजे

सामान्य बजट, 2005-2006—सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें-(सामान्य) 2005-2006
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगें-(सामान्य) 2004-2005

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, जैसा कि आप जानते हैं सामान्य बजट पर चर्चा अभी भी जारी है। चर्चा का उत्तर माननीय मंत्रीजी अपराह्न 5 बजे देंगे। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्यगण इस समय-सीमा के अंतर्गत ही चर्चा में भाग लें। कुछ माननीय सदस्य जो समय की कमी के कारण भाग नहीं ले पा रहे हैं, वे अपने लिखित भाषण दे सकते हैं, जिन्हें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

अब, श्री पी.एस. गढवी अपना भाषण जारी करें।

अपराह्न 1.10 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। कल मैंने वर्ष 2005-06 के बजट के विरोध में कुछ बातें कही थी। मैं कल यह बता रहा था कि श्री सी.पी. चन्द्रशेखर ने किस तरह से इस बजट की विवेचना की है। श्री सी.पी. चन्द्रशेखर ने 25 मार्च, 2005 के 'फंटलाइन' में इस बजट का उल्लेख "डाठन साइज एंड गो आफ बजट" के रूप में किया है। उन्होंने आगे कहा है कि माननीय वित्त मंत्री एक ओर भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के इच्छुक हैं और सरकार वित्तीय मामलों की अच्छी समझ भी रखती है, दूसरी ओर लोकतंत्र, गठबंधन राजनीति तथा राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बाध्यताओं के चलते वह उन उद्देश्यों को पूरा करने में असहज भी महसूस करती हैं। इस बजट को पेश करने से माननीय वित्त मंत्री की छवि एक विवेकशील अथवा सूझ-बूझ वाले वित्त मंत्री के अपेक्षा लेखाओं का जोड़-तोड़ करने वाले वित्त मंत्री के रूप में अधिक सामने आई है।

महोदय क्या इस बजट को आम आदमी का बजट कहा जा सकता है जैसा कि वित्त मंत्री द्वारा दावा किया जा रहा है। सब्जबाग दिखाने में तो यह बजट ठीक है लेकिन वास्तविक के धरातल पर ऐसा नहीं है। इस बजट में कही गयी बातें केवल अर्धसत्य हैं और सुधारों को भी आधे-अधूरे मन से अपनाया गया है लेकिन इस बजट में आम आदमी को सबसे अधिक ठेस पहुंचाने वाली बात यह है कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये अलग-अलग वक्तव्यों में पारदर्शिता दिखाई नहीं देती।

एक बात उन्होंने यह कही थी कि सीमा शुल्क की दरों को एशियान स्तर की दरों के समतुल्य रखा जायेगा। एशियान के लिए उन्होंने "ईस्ट एशियन नेबर्स" पद प्रयुक्त किया था। आगे बजट में कहा गया है कि "इसलिए गैर-कृषि उच्चतम दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है। "यह वास्तव में एशियन दर ढांचा नहीं है। एशियन दर औद्योगिक और कृषि दोनों दरों के न्यूनतम औसत के बराबर हैं। भारत में सीमा शुल्क दरों का न्यूनतम औसत 25 प्रतिशत या उसके आस-पास है। ऐसा

[श्री पी.एस. गढ़वी]

इसलिए है क्योंकि हमारे यहां ये दरें 150 प्रतिशत, 100 प्रतिशत, 90 प्रतिशत, 85 प्रतिशत, 80 प्रतिशत इत्यादि के बराबर रखी जाती हैं। जब तक इन सभी दरों को घटाकर औसतन 15 प्रतिशत के आसपास नहीं किया जात, हम यह नहीं कह सकते कि हम एशियन दर ढांचे के आस-पास भी पहुंच पाये हैं।

उनकी इस दूसरी बात में भी सच्चाई नहीं दिखाई देती जिसमें उन्होंने यह दावा किया था कि लौह और इस्पात के लिए उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया है लेकिन इस वृद्धि के कारण उनके मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी क्योंकि यह संपूर्ण शुल्क अधिकतर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 'मोडवैटेबल' है। यह बात बिल्कुल सही नहीं है। मैं यह इसलिए कहता हूं कि जब लोहा और इस्पात निर्माण और सड़क निर्माण से जुड़े उद्योगों को बेचा जाता है तो यह 'मोडवैटेबल' नहीं होता। इस तरह की बिक्री का प्रतिशत बहुत अधिक, लगभग 40 प्रतिशत, है। लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जहां शुल्क 'मोडवैट' किया जाता है, वहां भी अंतत: उच्च शुल्क दर का भुगतान उपभोक्ता को ही करना पड़ता है। अब चूंकि उपभोक्ता को अधिक भुगतान करना पड़ेगा इसलिए कीमतें तो बढ़ेंगी ही।

इस संबंध में तीसरी बात यह है कि पूर्व में एक सुझाव दिया गया था कि अथारिटी फार एडवांस रूलिंग (एएआर) का अधिकार क्षेत्र केवल अनिवासी और संयुक्त उद्यम वाले अनिवासी भारतीयों(एन आर आई) तक सीमित नहीं होना चाहिए अपितु इसके अंतर्गत सामान्य भारतीय विनिर्माताओं और आयातकों को भी लाया जाना चाहिए। लेकिन किया यह गया है कि यह अधिकार भारत में विद्यमान संयुक्त उद्यमों को ही दिया गया है। इसे अधिकार क्षेत्र का प्रभावी विस्तार बिल्कुल नहीं माना जा सकता। बजट में सामान्य भारतीय विनिर्माता और आयातक की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। भारतीय विनिर्माता और आयातकों को भी इसकी आवश्यकता है लेकिन उसे इस सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। यह बहुत ही निराशाजनक है। इस तरह, यह बजट न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कही गयी बातों के अनुरूप भी नहीं है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का वायदा किया गया था। अब इस योजना को केवल ग्रामीण रोजगार योजना तक सीमित कर दिया गया है और शहरी क्षेत्र के निर्धनों को इस योजना से बाहर रखा गया है। इन शहरी निर्धनों का होगा। इन्हें रोजगार गारंटी योजना से वंचित क्यों रखा जा रहा है। देश के अधिकतर जिलों को भी इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। इन जिलों के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किये गये वायदों का क्या कोई महत्व रह जायेगा। इतना ही नहीं, इस सीमित योजना के लिए भी बजट में केवल 11000 करोड़ रुपयों का ही प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लिखित इस बात के बजाय की लघु उद्योगों का संवर्धन और संरक्षण किया जायेगा, माननीय वित्त मंत्री ने लघु उद्योग सूची में से 108 उद्योगों को अनारक्षित (डि-रिजर्व) कर दिया है। इससे लघु उद्योग इकाइयों की स्थिति और अधिक दुष्कर हो गयी है क्योंकि इनमें से हजारों इकाइयां पहले से ही रुग्ण हैं और अधिक अव्यवहार्य हैं।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद की छह प्रतिशत राशि शिक्षा पर व्यय की जायेगी। लेकिन गत वर्ष के बजट में शिक्षा उपकर के लागू होने के बाद भी यह शिक्षा के मद में कुल 19,119 करोड़ रुपये राशि ही रखी गयी है जबकि बजट की कुल राशि 5,14,344 करोड़ रुपये है। इस राशि में से भी माध्यमिक और उच्च शिक्षा के मद में केवल 2,712 करोड़ रुपये की राशि ही रखी गयी है।

माननीय वित्त मंत्री ने कर्तव्यवश डा. अमृत्यसेन के नाम का उल्लेख किया है और कैम्ब्रिज, आक्सफोर्ड तथा येल जैसे आर्थिक अध्ययन केन्द्रों के अनुसरण पर बल दिया है, लेकिन अपने बजट भाषण के अंत में उन्होंने उच्च शिक्षा हेतु केवल एक संस्थान इंडियन इंस्टिट्यूट फार साइंस का बंगलौर में स्थापना किये जाने का उल्लेख किया है और इसके लिए भी एकमुश्त 100 करोड़ रुपये की राशि देने की बात कही है।

इसी तरह, राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत किये जाने की बात कही गयी है, लेकिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए बजट के कुल 5,14,344 करोड़ रुपये के परिव्यय में से मात्र 9,682 करोड़ रुपये राशि रखी गयी है।

इसी तरह, माननीय वित्त मंत्री ने मुंबई को आर्थिक गतिविधि का एक क्षेत्रीय केन्द्र बनाये जाने की बात कही है। इसके लिए, कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है और इस संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

इतना ही नहीं, इस सत्र में लघु और मध्यम उद्यम विकास विधेयक पेश करने का वायदा किया गया था।

इसे 'मध्य वर्गीय बजट' कहना भी ठीक नहीं होगा। वास्तव में यह अमीरों के लिए बजट है। यह व्यापारिक घरानों तथा शेयर बाजार के लिए उपयुक्त कार्य है। प्रत्यक्ष कर के मामले को हम लें। घरेलू कारपोरेट 30 प्रतिशत कर देते हैं इसके साथ 10 प्रतिशत का अधिकार भी देते हैं और इसी प्रकार एक व्यक्ति जिसकी आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, अधिभार को छोड़कर उसी दर से कर देता है। इसलिए उपरि मध्य वर्ग कारपोरेट क्षेत्र की समान दर से भुगतान कर रहा है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी की अपने अंतिम बजट में चेन्नई में जल की कमी के लिए प्रावधान करने तथा कोचि पत्तन को विशेष दर्जा देने के लिए सराहना करता हूं। लेकिन मैं उन्हें बधाई देता यदि उन्होंने इस बजट में देश के अन्य भागों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान दिया होता जहां पेयजल की गंभीर संकट है। मेरे चुनाव क्षेत्र अर्थात् गुजरात के कच्छ में पीने के लिए, कृषि तथा औद्योगिक कार्यों के लिए पानी का गंभीर संकट है। माननीय वित्त मंत्री को कांडला पत्तन, जो पश्चिमी तट पर है, के और विकास के लिए और जोर देना चाहिए था, जैसा कि उन्होंने कोचि पत्तन के मामले में किया है। सरकार द्वारा कांडला पत्तन पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से गुजरात सरकार के अनुरोध पर विचार करने का अनुरोध करूंगा ताकि गुजरात सरकार के पास बकाया केन्द्रीय ऋण को पुनर्गठित किया जाए जिसमें ब्याज दर सात प्रतिशत से ज्यादा न हो।

दूसरी बात, गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना कई राज्यों से जुड़ी परियोजना है जिससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को सिंचाई और विद्युत क्षेत्र में लाभ मिलेगा। यह सत्य है कि डैम-विरोधी गतिविधियों से उत्पन्न विलम्ब के कारण इस परियोजना की लागत में भारी वृद्धि हो गई। 1986-87 के कीमत स्तर पर इस बांध (डैम) की मूल लागत 6,406.04 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2000-01 के कीमत स्तर पर यह लागत बढ़कर 27,462.66 करोड़ रुपये हो गई। इसलिए, केन्द्र सरकार द्वारा एक विशेष अनुदान के रूप में राज्य सरकार को परियोजना पर ब्याज लागत के लिए प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे गुजरात मैरी टाइम बोर्ड को एक स्थानीय प्राधिकरण समझते हुए इसको आयकर भगुतान से छूट देने सम्बंधी गुजरात सरकार के अनुरोध पर विचार करे। अब इसे स्थानीय प्राधिकरण नहीं समझा जा रहा है इसलिए, गुजरात मैरी टाइम बोर्ड जो कि एक सरकारी निकाय है। को आयकर देना होता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से गुजरात सरकार के इस अनुरोध पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री से पुन: अनुरोध करता हूं कि वे अलांगशिप ब्रेकिंग यार्ड पर पुराने पोतों के स्क्रैप की रिसाइक्लिंग पर पांच प्रतिशत सीमा शुल्क को समाप्त करने सम्बंधी गुजरात सरकार के अनुरोध पर विचार करे। क्योंकि भारत सरकार ने गलाने वाले आयातित स्क्रैप पर पांच प्रतिशत सीमा-शुल्क को समाप्त कर दिया है। उनके लिए पांच प्रतिशत शुल्क देय है लेकिन यदि इसका आयात किया जाता है तो उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होता है। इसलिए, अलांगशिप ब्रेकिंग यार्ड में, यदि कोई भी जलयान आता है और रिसाइकिल किया जाता है तो उन स्क्रैप पर भी कोई शुल्क नहीं होना चाहिए।

मैं माननीय वित्त मंत्री से इस पर भी विचार करने का अनुरोध करता हूं। पिछले दिनों गुजरात के भूकंप प्रभावित लोगों के लिए आयकर पर 2 प्रतिशत का भार लगा था। वह राशि अभी भी केन्द्र सरकार के पास है। इस बकाया राशि का भुगतान गुजरात सरकार को किया जाना चाहिए।

अंत में, यह कहते हुए समाप्त करना चाहूंगा कि सिर्फ अलंकारिक भाषा और उदार वादे एक दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा जनता की आर्थिक भलाई के प्रति वचनबद्धता के विकल्प नहीं हो सकते। इस बजट में इन दोनों का स्पष्टत: अभाव है।

[हिन्दी]

***श्री ब्रजेश पाठक** (उन्नाव): महोदय मैं निम्नलिखित बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं:

मुझे प्रसन्नता है कि वर्ष 2005-06 के लिए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह एक लोकप्रिय बजट है और इस बजट में जन आकांक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। इस बजट में यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बार करों की दरों में कमी करके अधिक कर वसूली की उम्मीद को बढ़ावा दिया है। यह विदित की है कि देश में जब आयकर की दर 80 से 90 प्रतिशत थी तो आयकरदाताओं की संख्या दसमलव जीरो आठ प्रतिशत थी, लेकिन जब दरें 10 से 35 प्रतिशत तक की गयीं तो यह संख्या बढ़कर पांच करोड़ हो गयी। यह बहुत समय से मांग की जा रही थी कि आयकर में छूट की सीमा एक लाख रुपए से ऊपर की जाए। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने केवल एक लाख रुपए तक आयकर में छूट की सीमा को स्वीकार किया है। लेकिन अपने खाते से नकदी निकालने पर टैक्स लगाने की व्यवस्था बेहद नुकसानदायक है। इससे लोगों को तो नुकसान होगा ही, साथ ही यह व्यवस्था लोगों को काले धन का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। इसलिए यह प्रावधान समाप्त करना चाहिए ताकि काले धन के इस्तेमाल से बचा जा सके। जहां एक प्रत्यक्ष करों में एक लाख रुपए की आय को कर मुक्त करने का सवाल है, वह एक सराहनीय कदम तो है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। चूंकि अब महंगाई इतनी बढ़ गयी है, इसलिए यह छूट अपर्याप्त है। इसको अभी भी एक लाख रुपये से बढ़ाकर कम से कम डेढ़ लाख रुपए किए जाने की आवश्यकता है।

यह भी प्रसन्नता की बात है कि रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर सीमा शुल्क नहीं लगाया गया है और कच्चे तेल का शुल्क घटाया गया है, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर 50 पैसे प्रति

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

[श्री ब्रजेश पाठक]

लीटर की दर से अतिरिक्त अधिभार लगा दिया गया है जो महंगाई को बढ़ावा देगा।

भूमंडलीकरण के इस दौर में घरेलू कम्पनियों को बाजार में प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने लघु उद्योगों के लिए कर में छूट देने की घोषणा की है, जिसके अनुसार अब छोटे उद्योगों के लिए कर में छूट तीन करोड़ तक के उत्पादन के बजाए चार करोड़ रुपए तक के उत्पादन पर मिलेगी। इसलिए यह एक अच्छा कदम है कि कारोबार आधारित लघु उद्योगों के लिए छूट की तीन करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर चार करोड़ रुपए किया गया है और घरेलू बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों को कुछ और कारोबारी सहूलियतें दिए जाने की घोषणा की गयी है।

यह प्रसन्नता की बात है कि बिहार राज्य को आगामी पांच वर्षों के दौरान 7,975 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की गयी है। बिहार में बुनियादी संरचना के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की बेहतरी पर यह रकम खर्च किए जाने का प्रावधान है तथा बिहार के पिछड़े जिलों के विकास के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत सहायता पूर्व की तरह मिलती रहेगी, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि बिहार के अलावा भी देश के अन्य कई ऐसे राज्य हैं, जो बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उ.प्र. राज्य में उन्नाव संसदीय क्षेत्र बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। लेकिन यह खेद का विषय है कि किसी एक राज्य को केंद्रीय स्तर से एक बहुत बड़ी धनराशि विकास संबंधी योजनाओं को चलाने के लिए आवंटित की जाए। लेकिन किसी दूसरे राज्यों के उन क्षेत्रों में जहां कि विशेष राज्य से अधिक पिछड़ापन अभी बी बरकरार है, की अनदेखी की जाए। इस प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति अपनाने से देश का चहुंमुखी विकास होना नामुमकिन है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार देश के सभी पिछड़े क्षेत्रों का संतुलित विकास किए जाने के लिए एक समान प्रक्रिया को अपनाए।

महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसके वावजूद भी इस बजट में 60 करोड़ किसानों के साथ नाइंसाफी की गयी है। यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने अपने वार्षिक बजटों में किसानों की दुर्दशा की उपेक्षा ही की है, जिसके परिणामस्वरूप खेतिहर संकट को और गहरा बना दिया गया है। आर्थिक राडार की स्क्रीन से ग्रामीण भारत की तस्वीर ही गायब हो गयी है। खेतिहर विकास का खाका खींचते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने फसलों के विविधीकरण की चर्चा की है अर्थात् खाद्यान्न उत्पादन से नकदी फसलों, फल, सब्जी, फूल, डेयरी, पोल्ट्री, मछली, दालें और तेल बीजों के उत्पादन की तरफ बढ़ना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने कृषि एजेंडे को गायब कर दिया है। एक ऐसे वक्त पर जब देश भर में हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हों, उन्हें उनकी पैदावार की मुनासिब कीमतें नहीं मिल रही हैं। यह बहुत ही दुखदायी बात है।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से आने वाले फूल पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। इससे हमारे देश में फूल की खेती को निश्चित रूप से बढ़ाव मिलेगा। लेकिन सरकार ने अनाजों की, खासकर गैर-परम्परागत क्षेत्र में, सरकारी खरीद के विकेन्द्रीकरण की घोषण की है। दूसरे शब्दों में अगर यह लागू हो गया तो किसानों को होने वाली आय भी जाती रहेगी। इस बजट में ऐसी किसी स्कीम का जिक्र नहीं किया गया है जिससे किसानों की आय बढ़ाने के सरकार के इरादे का पता चलता हो। डीजल पर 50 पैसे का उपकर और 50,000 रुपए सालाना से अधिक बिजली बिल देने वाले किसानों को आयकर के दायरे में लाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में इस बजट में किसानों को उनका वास्तविक हक नहीं मिला है। कृषि उत्पादों के लिए सीमा शुल्क की उच्चतम दर 20 से घटाकर 15 प्रतिशत भले ही कर दी गई हो, लेकिन डीजल, बिजली, खाद और बीज जैसी किसानों की रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमतें काबू में रखने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। ग्रामीण विकास के लिए या किसानों के लिए जो भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं, वे भी नाबार्ड या बैंकों के हवाले कर दिए गए हैं। कृषि कार्य के लिए बैंकों से आसान शर्तों पर ऋण दिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। उन्हें फसल तैयार होने के बाद उसे औने-पौने दामों में बेचना पड़ता है। किसानों की मूल समस्या लाभकारी मूल्य नहीं मिलने की है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव पेश किए हैं उनमें किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं की गयी है।

बजट में यह अच्छी बात है कि कृषि क्षेत्र के विविधकरण के लिए रोडमैप बनाने, राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू करने, बाढ़ संरक्षण, सभी पेयजल योजनाओं को राजीव गांधी राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत लाने, इस वर्ष 66822 गांवों को टेलीफोन से जोड़ने, सवा लाख गांवों का विद्युतीकरण करने व ब्लाक स्तर पर विद्युत सब-डिवीजन बनाने, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का विस्तार करने, देश के सात बड़े शहरों के विकास के लिए 8000 करोड़ रुपए, ग्रामीण गरीबों के लिए 60 लाख मकान बनाने, मिड डे मील योजना का विस्तार, खाद्य सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने और खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी जारी रखने एवं रोजगार बढ़ाने की घोषणा की

घोषणा की गयी है। लेकिन समाज के गरीब तबके के सशक्तीकरण के लिए इसमें जितने पैसे दिए जाने चाहिए थे, उतने नहीं दिए गए हैं। यह देश के दलित एवं गरीब लोगों के साथ अन्याय है। कमजोर वर्गों और सामाजिक सुरक्षा के लिए जितनी चिंता दिखाई गयी है, उसके अनुरूप धन का आवंटन नहीं किया गया है।

इस बजट में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर और श्रम सुधारों के सन्दर्भ में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यही नहीं इस बजट में विनिवेश नीति के बारे में भी कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। यह सही है कि बजट में कभी भी सभी लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। इस बार भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। हालांकि, माननीय वित्त मंत्री जी ने संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की है लेकिन इसमें वह एक हद तक ही सफल होते नजर आ रहे हैं।

यह प्रसन्नता की बात है कि चाय, खाद्य तेलों और वनस्पति तेलों पर सरचार्ज समाप्त किया गया है और कंप्यूटर, नकली आभूषण, कच्चा तेल, रिफाइंड खाद्य तेल, चाय, माचिस, कपड़े जूते, एयरकंडिशनर, टायर, धागे, इलेक्ट्रानिक उपकरण, प्लास्टिक के सामान, इस्पात सस्ते हुए हैं।

लेकिन इस बजट में कैंटीन व सोसाइटी अपार्टमेंट मेंटिनेंस सेवाओं पर 10 फीसदी सेवा कर लगाकर और 12 घरों में बड़े आवासीय काम्प्लेक्स को सेवा कर के दायरे में लाकर जहां मकान की लागत बढ़ा दी गयी है, वहीं इन अपार्टमेंट्स में पहले से रह रहे लोगों के मासिक मेंटिनेंस खर्च को बढ़ा दिया है, जो उचित नहीं है।

इसमें दो मत नहीं है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते कदमों से पूरी तरह संतुष्ट होकर बजट को मानवीय चेहरा देते हुए वैश्वीकरण की डगर पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उन्होंने इस बजट में आम और खास-दोनों वर्गों के लिए राहतों का पिटारा खोला है। समाज के प्रत्येक वर्ग और समूह जैसे सामान्य व्यक्ति, कृषक, उद्यमी, व्यवसायी, महिला, विद्यार्थी, वेतनभोगी वर्ग, पिछड़ा वर्ग, निवेशक, बैंक व वित्तीय संस्थान, विदेशी निवेशक, शेयर बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि सभी के लिए बजट में आशा की किरणें दिखायी दे रही हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने गांवों के साथ-साथ शहरों में रहने वालों को खुश करने के लिए भी बजट में उपहार सजाए हैं।

लेकिन केंद्रीय बजट को देखकर देश के करोड़ों लोग माननीय वित्त मंत्री जी के उस बजट अनुमान को सामने रखकर चिंतित हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने राजस्व घाटा 95312 करोड़ रुपए और वित्तीय घाटा 151144 करोड़ रुपए होने की संभावना बतायी है। नए बजट में वित्तीय घाटा 4.5 प्रतिशत और राजस्व घाटा 2.7 प्रतिशत दिखाया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट घाटे की राजस्व वृद्धि और वित्तीय अनुशान से पूरा करने की बात कही गयी है। लेकिन उन्होंने राजस्व वृद्धि 20 प्रतिशत करने की जो बात कही है, वह अविश्वसनीय दिखायी दे रही है। पिछले वर्ष जब इसमें साढ़े तीन प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी थी तो अब इतनी बढ़ोत्तरी कैसे संभव होगी?

नए बजट में रोजगार बढ़ाने के कोई ठोस कदम नहीं दिखायी दे रहे हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अधीन 4020 करोड़ रुपए व्यय कर एक करोड़ लोगों को वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार दिलाए जाने की बात है। वास्तव में इतने लोगों को रोजगार दिलाने के लिए करीब 30 हजार करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसी तरह माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में सपना संजोया है कि खाद्य प्रसंस्करण में 2.5 लाख, वस्त्र उद्योग में 1.2 करोड़ और सूचना प्रौद्योगिकी में 70 लाख युवकों को 2009 तक रोजगार मिलेगा, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए बजट प्रावधान पर्याप्त नहीं दिखाई देते हैं। इस प्रकार से बजट की घोषणाओं के व्यावहारिक क्रियान्वयन के लिए वित्त की उपलब्धि सबसे बड़ी चुनौती दिखाई पड़ रही है। जनहित से जुड़ी प्राथमिकताओं के लिए खर्चों की जो कल्पना की गयी है, वह उम्मीदों से बहुत कम है। दूसरे शब्दों में यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि बजट में वादे तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं रखे गए हैं।

इसके अलावा वित्त मंत्री जी ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तरह शहरों के करीब चार करोड़ से अधिक बेरोजगारों के लिए भी नई शहरी रोजगार योजना पेश करने ये चूक गए हैं। असंगठित मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं।

लेकिन यह एक शुभ संकेत है कि सरकार ने विकास की गंगा को ग्रामीण इलाकों तक ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी भारत निर्माण योजना लागू करने की घोषणा की तथा बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। ऐसा किया जाना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी था, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के बगैर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मबजूत नहीं बनाया जा सकता है। यदि वास्तव में सरकार यह चाहती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो और देश के दलित एवं गरीब वर्ग के लोग राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़े तो उसे ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि केंद्रीय योजनाओं पर अमल सही ढंग से हो सके ताकि देश के दलित और गरीब वर्ग के लोगों को उनका वाजिब हक मिल सके। नि:सन्देह यह कार्य तभी हो सकता है जब राज्यों का प्रशासन केंद्रीय सत्ता के साथ सहयोग करें लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है और यही कारण है कि केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं का पूरा लाभ दलित और गरीब वर्ग

[श्री ब्रजेश पाठक]

को समुचित रूप से नहीं मिल पा रहा है। यह अच्छी बात है कि आम बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अच्छे इरादे प्रकट किए गए हैं, लेकिन उनसे राज्यों को भी प्रेरित करने की आवश्यकता है। यह एक मुश्कल कार्य अवश्य है, लेकिन असम्भव नहीं है। इस मुश्किल कार्य को प्रशासनिक सुधारों के जरिए आसान बनाया जा सकता है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासनिक सुधार न तो केंद्र सरकार के एजेंडे में शामिल नजर आ रहे हैं और न ही राज्यों के। इसलिए बेहतर यह होगा कि प्रशासनिक सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वास्तव में यही वह मार्ग है जिससे बजट प्रावधान आम आदमी की उम्मीदों और साथ ही सरकार की अपेक्षाओं पर खरे उतर सकते हैं। इस सन्दर्भ में यह विस्मृत नहीं किया जा सकता है कि ज्यादातर बजटीय प्रावधान दस्तवेजों में दर्ज होकर रह जाते हैं। नि:सन्देह धीमी गति के सुधारों से भी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जबकि सुधार के प्रयास सभी क्षेत्रों में हों।

इन शब्दों के साथ में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं और साथ ही यह उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर करके जरूरी कारगर कदम उठाएं जाएंगे।

[अनुवाद]

***श्री एन.एस.वी. चित्तन** (डिंडीगुल): मैं हमारे वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम को इस राष्ट्र को एक दूरदर्शी, विकासोन्मुख, ग्रामीण आधारित स्वपन बजट प्रदान करने के लिए उनका अभिवादन करता हूं तथा धन्यवाद देता हूं। श्रीमती सोनिया जी तथा डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार का यह दूसरा बजट है।

यह शाब्दिक रूप में एक स्वपन बजट है क्योंकि यह आम आदमी के सपनों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। किसानों के पास अब अधिक पैसे होंगे। उद्योग जगत खुश है और कारोबार विश्वास के साथ बढ़ रहा है। इसलिए, एक तरह से केन्द्रीय बजट में वस्तुत: विपक्ष को छोड़कर सभी को संतुष्ट किया है विपक्ष इसलिए निराश नहीं है कि बजट अच्छा नहीं था बल्कि इसलिए निराश है कि इसमें उसे कोई खामी नहीं मिली।

इसलिए, हम उनकी समस्या को समझ सकते हैं। पूर्व वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह ने कहा कि यह एक वकील का बजट है न कि किसी नेता का। यदि ऐसा है तो महात्मा गांधी जैसा वकील, जिन्होंने राष्ट्र का नेतृत्व किया, निश्चित रूप से इस देश में आर्थिक सम्पन्नता लाने में सफल रहते। भाजपा नेताओं की पहली प्रतिक्रिया थी कि यह मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाने वाला है लेकिन इसके विपरीत इस बजट को पेश किए जाने के तत्काल एक सप्ताह बाद ही मुद्रास्फीति की दर घटकर पांच प्रतिशत से कम हो गई। मुख्य विपक्ष ने कहा कि इस बजट से आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन स्टाक बाजार में उछाल है और सर्वत्र कारोबार में विश्वास पैदा हुआ है। इसलिए हम उनकी दुविधा को समझ सकते हैं। पिछले वर्ष देश में मानसून कमजोर रहा तथा अप्रत्याशित सुनामी आपदा भी आई। लेकिन देश की विकास दर सफल घरेलू उत्पाद का 6.9 प्रतशित रही। औद्योगिक उत्पादन में 8.4 प्रतिशत तथा निर्यात में 23 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई। निवेश की गति बनी रही। विदेशी मुद्रा भंडार 1.2 मिलियन डालर को पार कर गया। यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। देश निश्चित तौर पर साहसी नेतृत्व के सुरक्षित हाथों—कांग्रेस अध्यक्ष तथा यू.पी.ए. के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम के हाथों में है। इस बजट की मुख्य बात सामाजिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन को 30 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाया गया है। किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 30 प्रतिशत अधिक ऋण मिलेगा। यह 1,40,800 करोड़ रुपये होगा। पचास लाख और किसानों को महाजनों के चंगुल से छुड़ाने के लिए उन्हें बैंक प्रोफोलियो में शामिल किया जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए 22,682 करोड़ रुपये मिलेंगे। प्राथमिक शिक्षा को 10,166 करोड़ रुपये मिलेंगे। गैर-ग्रामीण सड़कों तथा शहरी मूलभूत ढांचों के लिए 14,896 करोड़ रुपये होंगे। शहरी रोजगार के लिए 1772 करोड़ रुपये होंगे। क्षेत्र विकास, कृषि बाजार, विद्युत सबको मिलाकर राष्ट्रीय आयोग न्यूनतम कार्यक्रम को 74849 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सी.एम.पी.) से जुड़े कार्यक्रमों के लिए आबंटित कुल राशि से 25,000 करोड़ रुपये अधिक बैठती ही। वस्त्र उद्योग को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। इस वर्ष के 20,000 के निवेश के अतिरिक्त अगले वर्ष 30,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त का निवेश होगा। लोगों के हाथों में अधिक पैसा होगा जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। दूसरा अगला बड़ा प्रयास 'भारत निर्माण' होगा जो एक बड़े आदेश वाली परियोजना होगी। पूरे ग्रामीण क्षेत्र—सड़क, पेयजल और सभी अन्य सुविधाओं को पुनर्जीवित करने के लिए अगले 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 75,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। नि:संदेह रूप से यह ग्रामीण और शहरी भारत के लिए एक स्वप्न बजट होगा।

प्रमुख गतिविधियों में से एक प्रत्यक्ष कर में सुधार है। इस वर्ष के अंत तक वित्त मंत्री ने एकदम नया आयकर कानून लाने का आश्वासन दिया है। सुधार प्रक्रिया में यह एक और बड़ा कदम होगा। सीमा-शुल्क भी घटकर 15 प्रतिशत हो गया है। इसके पीछे कम कर अधिक अनुपालन का लक्ष्य रहा है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

परिष्कृत खाद्य तेल और वनस्पति, जो कि आम आदमी के दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तु है, पर पूर्व भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क को हटाया गया तथा उन्हें छूट प्राप्त वस्तुओं की सूचियों में पुन: शामिल किया गया जिसके कीमतों में कमी आएगी तथा देश में उनके उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। 80-एल के अंतर्गत छूटों को हटाने से वरिष्ठ नागरिक बुरी तरह प्रभावित होंगे। प्रतिवर्ष बढ़ते चिकित्सा बिलों और उनकी जमाराशि पर घटती हुई प्राप्ति राशि को देखते हुए आयकर छूट की सीमा को दो लाख तक बढ़ाना तर्क संगत होगा जिसमें एक लाख तक की बचत शामिल होनी चाहिए।

महोदय, क्या किसी व्यक्ति द्वारा अपने खाते से 10,000 रुपये की निकासी पर 10 रु. के दर से लिए जाने की जरूरत है? मेरा सुझाव है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए या काले धन के लेन-देन के लिए बड़ी राशि निकासी का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिए कोई वैकल्पिक उपाय ढूंढा जाना चाहिए। यदि वित्त मंत्री कर लगाना ही चाहते हैं तो इस सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाना चाहिए और कर, वेतन, परिवहन किराया जैसे खर्चों को इससे छूट दी जानी चाहिए।

जैसे कि हम सभी जानते हैं सुनामी मानव जाति के लिए एक भयावह त्रासदी थी जिसने गरीब मछुआरों से सब कुछ छीन लिया है। राष्ट्र श्रीमती सोनिया जी और प्रधानमंत्री की सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया के लिए उनकी कृतज्ञता की सराहना करता है।

महोदय, इससे हुए जीवन क्षति 10273, आवास क्षति 2,39,024 तथा कृषि भूमि क्षति 2,27,50 हेक्टेयर है। नावों की क्षति 83788 हुई।

यद्यपि, केन्द्र सरकार ने सभी प्रकार की सहायता मुहैया करायी है और काफी धन दिया है। मुझे इस बात से खेद है कि तमिलनाडु अभी भी प्रभावित लोगों को यह कहकर सहायता देने में विलम्ब कर रही है कि उन्हें अभी भारत सरकार से दिशा-निदेश और अनुदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। गरीब मुछआरा समुदाय को जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है बिना किसी बिलम्ब के हर प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से राहत कार्य की निगरानी के लिए संसद सदस्यों वाली एक समिति नियुक्त करने का अनुरोध करता हूं।

उपान्त लाभ कर के सम्बन्ध में निम्नलिखित कहना चाहूंगा:

(क) यह एक स्वागतयोग्य कदम है।

(ख) आयकर सीमा के समान 1,00,000 लाख रुपये पर कर योग्य उपान्त लाभ के लिए अंतरित सीमा तय की जानी चाहिए।

(ग) भुगतान किए गए उपान्त लाभकर को खर्च के रूप में घटाया नहीं जाता है जिसे नियोक्ता द्वारा खर्च के रुपये में घटाए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(घ) कर्मचारियों को दीपावली के उपहार, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति तथा कर्मचारी कल्याण खर्चों जैसे कुछ तर्कसंगत खर्चों को छूट दी जानी चाहिए। इस प्रकार की बातों को शामिल किए जाने से नियोक्ता और कर्मचारी के बीच के सम्बन्ध कमोजर होंगे।

महोदय, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री गुरूदास दासगुप्त, आपके पास 10 मिनट का समय है।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पसंकुरा): महोदय, मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से बात की है।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। मैं जानता हूं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: उन्होंने उदारता तो दिखाई और कहा कि आप पूरे समय बोल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप बोल सकते हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, हम वर्ष 2005-2006 के केन्द्रीय बजट पर चर्चा कर रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री की परेशानियों को समझता हूं। चूंकि कांग्रेस अकेले सत्ता में नहीं आई अनेक राजनैतिक शक्तियों का समूह सत्ता में आया है। परस्पर विरोधी राजनीतिक दृष्टिकोणों और विरोधी विचारों ने वित्त मंत्री जी को उलझन में डाल दिया होगा। इसलिए, वर्तमान बजट अपने इस रूप में है। मेरे विचार में बजट अस्वाभाविक उत्पाद विचारों का मिश्रण है। मंत्री जी का मन तो स्थिर है लेकिन उनके हाथों ने अलग दिशा पकड़ ली है। उनके चिंतन और कर्म में और अधिक सामंजस्य की आवश्यकता है।

महोदय, वित्त मंत्री द्वारा 150 जिलों में 'काम के बदले अनाज योजना' शुरू करने के लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देने में मुझे कोई संकोच नहीं है। इसके अतिरिक्त, रोजगार गारंटी योजना की भी मैं सराहना करता हूं। आजादी के बाद भारत में यह पहला अवसर है जब सरकार प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति के लिए 100 दिन की रोजगार की गारंटी की बात कर रही है। चाहे इरादा कितना ही पवित्र हो लेकिन इसके पूर्व कभी भी बजट के हिस्से

[श्री गुरूदास दासगुप्त]

के रूप में इसे नहीं लाया गया। मैं पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग से आवंटन, ग्रामीण विकास के लिए अलग कोष बनाने के लिए उनके प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे कहना चाहिए कि पूरे देश में 1,88,000 शिशु देखभाल केन्द्रों, आई.सी.डी.एस. केन्द्रों की स्थापना सम्बंधी उनके निर्णय ने मेरे दिल को छूआ है।

भारत निर्माण का नारा भी अद्वितीय है। कृपया गरीबी के बारे में मत बोलिए क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने शासनकाल में गरीबी बढ़ी है। कभी न होने से देर से होना भी अच्छा है। दूसरे पक्ष में बैठते हुए उन्होंने जनता की समस्याओं को महसूस नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गरूदास दासगुप्त, कृपया आसन को सम्बोधित कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं आपको सम्बोधित कर रहा हूं। मैं केवल दूसरी दिशा में देख रहा हूं। क्योंकि मुझे आपको ही देखते रहना चाहिए।

अब सत्ता से बाहर हो जाने के बाद और विपक्ष में आने के बाद उन्हें गरीबों की समस्याओं का ख्याल आया है। सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के लिए खासा निवेश करने के लिए वित्त मंत्री जी का अभिवादन करते हुए बड़ी शालीनता के साथ मुझे कहना है कि इस बजट ने उन आम लोगों में कोई उत्साह नहीं पैदा किया है जो इस संसद तथा सरकार की शक्ति हैं।

लोगों की अपेक्षाएं नहीं बढ़ी हैं। वस्तुत: स्टाक बाजार में उछाल आया है। यह 7,000 के बिंदु को पार करने वाला है। भारत के इतिहास में इससे पूर्व कभी भी सूचकांक इतना ऊपर नहीं पहुंचा था। यह भी सत्य है कि देश का विदेशी विनियम भंडार बहुत अच्छा है। मैं इसे अति उत्तम कह रहा हूं। एक माह में-फरवरी माह में-8 बिलियन अमेरीकी डालर देश के आये हैं। सरकार द्वारा उदारतापूर्वक दी जा रही है छूटों को धन्यवाद देना होगा। नि:संदेह, उधार के दर में भी वृद्धि हुई है। हम लोगों की खुशी को क्यों नहीं देखना चाहते हैं? इसका क्या कारण है। इसका कारण यह है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में 100 दिन की रोजगार की गारंटी के बावजूद भी यह योजना योजनाओं की ढेर में पड़ी रही। किसी समय-सीमा की कोई गारंटी नहीं है जिसके तहत इस योजना का पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर आवंटन कम है। हमने उम्मीद की थी कि 50,000 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा। देश में वही कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है क्योंकि भूमि सुधार के प्रश्न की उपेक्षा की गई है। भूमि सुधार वामपंथी दलों का कार्यक्रम नहीं है। भूमि सुधार की उपेक्षा की गई है। एक समस्या है और कृषि श्रमिकों का सवाल है जो देश के कामगार दल का सबसे बड़ा हिस्सा है जिनको कम भुगतान हो रहा है तथा कम सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। एक व्यापक कल्याणकारी विधान अभी तक नहीं बन पाया है। देश के लोगों में कोई उत्साह नहीं है क्योंकि सरकार यह नहीं बता रही है कि इसके प्रयासों से रोजगार के अवसर में कितनी वृद्धि होगी; न ही बाजार की अर्थव्यवस्था पर इसका ध्यान है। बाजार की अर्थव्यवस्था की अपनी ताकतें होती हैं। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि किस सीमा तक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

महोदय, मैं नम्रतापूर्वक और साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार के एक समर्थक पार्टी के रूप में, बजट पर हमारा मूलभूत मतभेद है। प्रश्न यह है कि हमने इस बात की जांच की थी, पूछा था और सुझाव दिया था कि कर-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को भारत जैसे देश में बढ़ाया जाना चाहिए कर के आधार का विस्तार दिया जाना चाहिए। वित्त संबंधी स्थायी समिति, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, ने सर्वसम्मति से सुझाव दिया था कि प्रत्यक्ष कर का आधार बढ़ाया जाना चाहिए। और अधिक घरेलू संसाधन होने चाहिए। हमें रोजगार सृजन, गृह निर्माण, गरीबी उन्मूलन, आश्रय प्रदान करने तथा देश के आम लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए अधिक घरेलू संसाधनों की जरूरत है।

महोदय, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि हम निरुत्साहित हैं। हमने जो मुख्य नारा यह दिया था कि जो भुगतान कर सकते हैं वे अवश्य भुगतान करें। लेकिन इसे बड़ी बेरुखी से नकार दिया गया। वास्तव में देश को अधिक धन की जरूरत है। प्रत्येक अवसर पर जब हमने जनता के लिए किसी भी चीज के लिए, चाहे वह कारखाना खोलने की बात हो या सड़क निर्माण की बात हो, सरकार से संपर्क किया है, तो सरकार का यही बहाना रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है।

अधिक धन की उगाही तथा निधियों के लिए कर-राजस्व को बढ़ाना, कर आधार को बढ़ाना तथा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को बढ़ाना आवश्यक था लेकिन यह नहीं हुआ है बल्कि माननीय वित्त मंत्री ने अलग ही रास्ता अपनाया है जो ठीक विपरीत रास्ता है। कर राहत अत्यंत उदारता पूर्वक कारपोरेट को दिया गया तथा कर की दर को 35 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक कम किया गया है। एक प्रतिगामी कर प्रणाली शुरू की गई है। वरिष्ठ नागरिकों को नुकसान पहुंचाया गया है। मध्य वर्ग पर अतिरिक्त कर का बोझ बढ़ा दिया गया है जिस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा।

महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इन सुधारों से अमीरों को नि:संदेह लाभ हुआ है। चूंकि ये सुधार 1991 में वर्तमान प्रधानमंत्री

के नेतृत्व में शुरू किए गए थे आज की तारीख तक इन सुधारों से निश्चय ही अमीरों को लाभ पहुंचा है। यह कोई साम्यवादी नहीं है जो इन सभा में बयान दे रहा है। बल्कि मैं देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण का हवाला दे रहा हूं। यह तस्वीर निश्चित रूप से डरावनी है।

प्रो. अभिजित बनर्जी, जो एक जाने-माने अर्थशास्त्री हैं, एक सर्वेक्षण किया था। इसमें कहा गया है कि डा. मनमोहन सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के तहत सुधारों में तथा जो सुधार हो रहे हैं उनके द्वारा इस देश के शीर्ष अमीरों की 0.01 प्रतिशत की आबादी की आय में 285 गुणा वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान देश के 0.01 प्रतिशत सबसे अमीर व्यक्तियों की आय 285 गुणा बढ़ गई है और थोड़े कम अमीर जो अमीरों की आबादी के एक प्रतिशत हैं कि आमदनी 70 गुणा बढ़ी है।

आज विश्व के बिलियनियरों के क्लब में भारत का स्थान यू.के. से भी आगे है। क्या गौरव की बात है। इसके अतिरिक्त विदेशी एजेंसियों द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार विश्व के बिलिनियरों के क्लब में भारत का स्थान आठवां है। धन का माप क्या है? यह रहस्योद्घाटन हुआ है कि औसत बिलिनियरों की सम्पत्ति देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय उत्पाद की तुलना में नौ मिलियन गुणा अधिक है। यह एक शर्मनाक स्थिति है। यह दयनीय स्थिति है। क्या देश के इस सामाजिक तथा आर्थिक प्रणाली में व्याप्त गम्भीर अनियमितता को ठीक करना वित्त मंत्री का काम नहीं था? मैं राजनीति के बारे में बात नहीं करता मैं आर्थिक क्षमता की बात करता हूं, मैं देश में सामाजिक क्षमता और आर्थिक संतुलन की बात करता हूं। क्या यह नए वित्त मंत्री का काम नहीं था कि एक पूर्ण बजट तैयार करने के अवसर मिलने पर वे इस अनियमितता को ठीक करते? यह तस्वीर का एक पहलू है।

भारत का अरबपतियों के क्लब में शामिल होना, और एक अरबपति के पास कल घरेलू उत्पाद से नौ मिलियन गुणा अधिक धन होना तस्वीर का एक पहलू है लेकिन इसका दूसरा पक्ष बहुत ही शर्मनाक है। भारत में प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता उतनी है जितनी द्वितीय विश्व युद्ध के समय थी। वर्ष 1980 के दौरान प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता बढ़ी थी वर्ष 1980 में यह 178 किलोग्राम हो गई। आज यह पुन: घटकर 155 किलोग्राम हो गई है। बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों का भंडार है जिसका श्रेय सरकार लेती है। सरकार समझती है कि यदि कृषि पर कोई विपदा आ जाती है तो भारत पर कोई गंभीर संकट नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न है।

देश में इस खाद्यान्न के विश्वास भंडार का क्या मतलब है? कुछ लोगों के पास क्रय शक्ति का न होने के कारण यह एक कलंक है। एक तरफ तो हम बिलिनियर क्लब के सदस्य बन गए हैं दूसरी तरफ दलित के पास क्रय शक्ति नहीं है जिससे भा.खा.नि. के गोदामों में अनाजों के विशाल भंडार बन गए हैं। यही सामाजिक अनियमिता है यही विरोधाभास है, यह परस्पर विरोधी तस्वीर है यह कालनिर्धारण सम्बंधी त्रुटि है, कुछ के लिए अति की समस्या है जबकि अधिकांश के लिए दरिद्रता की समस्या है। क्या ऐसी उम्मीद नहीं की गई थी कि इस अनियमितता को ठीक किया जाएगा?

मुझे विश्वास नहीं कि अकेला वित्त मंत्री इसे ठीक कर सकता है। क्या यह उम्मीद करना उचित नहीं था कि उस दिशा में सुधारात्मक कदम 2005-06 के बजट से शुरू किया जाना चाहिए? बस इतना ही नहीं। अब हम मानव विकास सूचकांक को लें। बहुत ही दयनीय तस्वीर है। राष्ट्रमंडल देशों के बीच भारत का 127वां स्थान है। विश्व में यह बड़े देशों में से एक है, और यह प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। विश्व के मानव विकास सूचकांक में यह देश 127वें स्थान पर आ गया है।

यदि हम लिंग समानता की बात करें तो इस देश में सबसे शक्तिशाली महिला प्रधानमंत्री हमारे देश की थी। हमें उन पर गर्व है। आज भी यदि समान रूप से शक्तिशाली नहीं तो भी देश के राजनीतिक ताकतों में एक शक्तिशाली महिला मौजूदा हैं। भारत ने महान महिला नेता पैदा किये हैं।

पुरुष-नारी अनुपात विकास सूचकांक की स्थिति क्या है? पुरुष-नारी अनुपात विकास सूचकांक में भारत का स्थान 104वां है। हमारे देश में धन का गलत प्रदर्शन हो रहा है। पुणे में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के 21वें जन्म दिन पर विदेशी कर उपहार के रूप में दे दी। इस कर की कीमत 5.70 करोड़ रुपये है। यही भारत है। देश के एक अग्रणी उद्योगपति के विवाह समारोह में 150 मार्सिडीज वेज कार किराए पर ली गई। इसी का नाम भारत है। इस प्रकार की स्थिति में क्या यह उम्मीद करना असंगत होगा कि कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को ठीक किया जाना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए तथा अधिक राजस्व एकत्र किया जाना चाहिए? लेकिन हम क्या पाते हैं वर्षों से कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात लगभग समान बना हुआ है।

1990-91 में कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 10.1 प्रतिशत था। लगभग 15 वर्षों में देश में प्रगति हुई है और हमने अधिक सम्पन्नता हासिल की है। दस वर्षों से अधिक समय से, और अधिक उत्पादन करने तथा और स्टाक बाजार में प्रमुखता से आने और ज्यादा विदेशी विनिमय भंडार तथा कारपोरेट क्षेत्र को और अधिक छूट देने के बावजूद तथा कुछ गिने-चुने लोगों के लिए पर्याप्त धन के बावजूद 2004-05 में कर-सकल घरेलू उत्पाद

[श्री गुरूदास दासगुप्त]

अनुपात लगभग समान बना हुआ है। यह 10.2 प्रतिशत है। सरकारें बदलती हैं एक के बाद एक सरकार आती है, लेकिन किसी भी सरकार के पास अमीरों को छूने की तथा उन लोगों से जो दे सकते हैं उनसे धन उगाही के लिए सरकार के पास राजनैतिक इच्छाशक्ति नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है। धन उगाही के लिए सरकार के पास इच्छा शक्ति का अभाव है। कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात समान बना हुआ है, चाहे जो भी आज सत्ता में हो।

महोदय, मैं कहता हूं कि कर प्रणाली प्रतिगामी रही है। आंकड़े क्या कहते हैं? कर-सकल घरेलू उत्पाद जो प्रकाशित किया गया है उसके आंकड़े क्या हैं? इसका लाभ किसको मिल रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, कृपया मुझे और थोड़ा समय दीजिए। मैं आपसे दस मिनट और देने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं भी असहाय हूं। मैं आपको पांच मिनट दूंगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मुझे बहुत से तथ्य आपके सामने रखने हैं। पांच मिनलट का समय पर्याप्त नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि पांच मिनट का समय पर्याप्त है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: तब तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं पांच मिनट में पूरा नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया कोशिश कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: धन्यवाद। उस व्यक्ति के लिए जिसकी आय 1,50,000 रुपये वार्षिक है के लिए इस कर-पद्धति में क्या लाभ है जिसे माननीय मंत्री ने लागू किया है? उन लोगों के लिए जिनकी आय, 1,50,000 रुपये है उसके लिए कर 14,250 रुपये है। उन लोगों के लिए क्या लाभ है जो 10 लाख कमाते हैं? उनको 52,000 रुपये का लाभ है। आप जितना ही अधिक कमाते हैं उतना कम भुगतान करते हैं और जितना ही कम कमाते है उतना ही ज्यादा कर भुगतान करते हैं। आप जितना ही अधिक कमाते हैं आपको इतना ही अधिक लाभ है और आप जितना ही कम कमाएंगे आपको अधिक कर का भुगतान करना पड़ेगा। यदि यह प्रतिगामी कर प्रणाली नहीं है तो इस देश में प्रतिगामी कर प्रणाली क्या है?

चूंकि कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, उनके पास पैसा कम है और चूंकि उनके पास पैसे कम हैं इसलिए वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को भी कम धन दे पा रहे हैं।

मुझे वित्त मंत्री जी का वह स्मरणीय भाषण अभी भी याद है जो उन्होंने बजट प्रस्तुत करते समय दिया था और उन्होंने चीन को याद किया था। यह अच्छी बात है कि वे चीन को याद करते हैं। वे हमारा उल्लेख कर रहे थे, उन लोगों की ओर देख रहे थे जिनका वहां की सामाजिक प्रणाली से राजनीतिक सरोकार है, और वे कह रहे थे कि चीन 500 बिलियन अमरीकी डालर दे सकता है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन माननीय वित्त मंत्री ने यह नहीं कहा है कि वहां कर सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात क्या है और वहां विनिवेश की दर क्या है। यदि घरेलू निवेश दर नहीं बढ़ता है, यदि घरेलू बचत नहीं बढ़ती है, यदि पूंजी सृजन में सुधार नहीं होता है तो अमेरीकी निगमों से उधार लेकर कोई देश उन्नति नहीं कर सकता। यही मूलभूत अंतर है।

निवेश की दर अवश्य बढ़नी चाहिए। भारत में निवेश दर क्या है? यह 26 प्रतिशत है। भारत में 26 प्रतिशत की निवेश दर से क्या आप भारत की उत्पादन और विकास बढ़ा सकते हैं? क्या आप सकल घरेलू उत्पाद को 7 प्रतिशत, 8 प्रतिशत, 9 प्रतिशत या 10 प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। यह मात्र पांच प्रतिशत से ज्यादा या 6 प्रतिशत से कम या लगभग 6 प्रतिशत है।

इसलिए, मूल प्रश्न निवेश दर को बढ़ाना है और निवेश दर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निवेश अवश्य किया जाना चाहिए और सरकार द्वारा निवेश को बढ़ाने के लिए कर-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात अधिक होना चाहिए, और अधिक घरेलू संसाधनों को जुटाना होगा। विदेशी मुद्रा एक गौण भूमिका अदा कर सकती है, एक पूरक भूमिका, एक द्वितीयक भूमिका निभा सकती है। लेकिन मूल भूमिका भारतीय कोष का होना चाहिए।

यही कारण है कि माननीय वित्त मंत्री ने सिंचाई के लिए कम धन उपलब्ध कराया है। भारत में कृषि का क्या योगदान है? कृषि उत्पादन में यहां मात्र 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खाद्यान्न उत्पादन में यहां 13 प्रतिशत की कमी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनामिक सर्वे में कहा गया है कि भारतीय कृषि प्रकृति की इच्छा पर बुरी तरह निर्भर है। यदि ऐसा है तो हमें अपनी सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना होगा।

सिंचाई में सुधार के लिए और निवेश की जरूरत है। सिंचाई में कितना निवेश किया गया है? एक शीर्ष के अंतर्गत आवंटन को बढ़ाकर 97 करोड़ रुपये किया, जल-संसाधन शीर्ष के तहत आवंटन 186 करोड़ रुपये है तथा लघु सिंचाई शीर्ष के अंतर्गत आवंटन 400 करोड़ रुपये है। यह 10,000 करोड़ रुपये की जरूरत के

विरुद्ध है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई भी नई सिंचाई योजना शुरू नहीं की गई है। चार सौ सिंचाई योजनाएं लम्बित हैं क्योंकि पैसा नहीं है।

कृषि के लिए आवंटन 1500 करोड़ रुपये, खाद्य संसाधन के लिए 95 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण उद्योग के लिए 159 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। मैं कृषि अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं। क्या इससे हम भारतीय कृषि को पुनर्जीवित कर सकते हैं? क्या यह संभव है? इस संबंध में और अधिक निवेश की जरूरत थी और वे और धन उपलब्ध नहीं करा सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि वे कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कारपोरेट कर घटा दिया है, उनके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि उन्होंने उच्च आय वर्ग के लोगों को राहत दी है।

महोदय, मैं आपको यह बताना भूल गया हूं कि पेंशन भोगियों का भी नुकसान हुआ है। धारा 88बी के तहत 20,000 की कर-रियायत, 30,000 रुपये की मानक कटौती, धारा 88एल के अंतर्गत 12,000 रुपये की ब्याज आय के लाभ को ध्यान में रखते हुए 1,95,000 रुपये तक की आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट दे दी गई है। आज, कर रियायत केवल 1,50,000 रुपये है। यदि हम ध्यान से देखें तो पायेंगे कि महिलाओं के लिए भी कर लाभ घटा दिया गया है।

महोदय, बजट की मूल बातों पर ध्यान दें, देश का विकास कैसे हो? योजना शीर्ष के अंतर्गत पूंजी व्यय को 20,000 करोड़ रुपये तक कर कर दिया गया है। लघु उद्योग को आरक्षण से अलग कर देने से यह बुरी तरह प्रभावित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप पंजाब से आते हैं। इस समय पंजाब में कितने उद्योग चल रहे हैं? आज 50,000 लघु उद्योग यूनिट पंजाब में बंद पड़े हैं— मैं कुछ ही दिन पूर्व वहां से आया हूं और कई उद्योग लड़खड़ा रहे हैं।

क्या भारत जैसे देश को रक्षा के लिए प्रति रुपया 14 पैसे खर्च करना चाहिए जबकि विकास पर प्रति रुपया 18 पैसे की दर से खर्च हो रहा है। यदि आटोमोबाइल और खाद्य के बीच प्राथमिकता तय की जानी हो तो खाद्यान्न मेरी पहली प्राथमिकता होगी। कहां से हमें आक्रमण के खतरे हैं? पाकिस्तान के साथ हम शांति वार्ता कर रहे हैं। चीन के साथ हमारी दोस्ती बढ़ी है। बंगलादेश भारत पर हमला करने वाला देश नहीं है। यदि अमेरिका भारत पर हमला करता है तो रक्षा पर 14 पैसे प्रति रुपया का खर्च भी हमें नहीं बचा पायेगा इसलिए, हम रक्षा-शस्त्रों पर प्रति रुपये 14 पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं जबकि देश के लोग भूखे और आत्महत्या और भुखमरी के मामले सामने आ रहे हैं।

रोजगार के सम्बंध में वित्त मंत्री का कहना है कि अगले पांच वर्षों में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में उन्हें 1.2 करोड़ रोजगार वृद्धि की उम्मीद है। वस्त्र उद्योग के लिए उन्होंने कितना आवंटन किया है। वस्त्र उद्योग गंभीर संकट में है उनका आवंटन 400 करोड़ रुपये है।

पिछले वर्ष वित्त मंत्री ने 15,000 करोड़ रुपये के करों की बकाया वसूली के बारे में कहा था। लेकिन, इस बात का उल्लेख नहीं है कि बकाया करों का कितना वसूल किया गया उन्होंने कारपोरेट कर को कम कर दिया है लेकिन उन्हें उम्मीद है कि 27,000 करोड़ रुपए और वसूल किए जाएंगे। हमें ज्ञात नहीं कि यह लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा।

कृपया मुझे भारत के एक प्रमुख अर्थशास्त्री का उल्लेख करने दीजिए जो वामपंथी नहीं है, उनका नाम प्रो. अर्जुन सेनगुप्ता है जो उद्योग सम्बंधी राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि:

> ''कर-बकायों की वसूली तथा काले धन को रोकने के लिए मंत्री जी द्वारा एक प्रभावी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाने की उम्मीद की गई थी।''

हमारे माननीय दोस्त को बैंक खातों में काले धन की भनक मिल रही है। दुनिया में वह मूर्ख ही होगा जो विश्वास करता है कि कालाधन, कर अपवंचन से प्राप्त धन कोई बैंक खातों में जमा करता होगा। हमें पता है कि श्री सुखराम ने 2.5 करोड़ रुपये मंदिर में रखे थे। इसलिए, यह बहुत ही हास्यास्पद है। यदि वे काला धन को पकड़ना ही चाहते हैं तो उन्हें अन्य कड़े कदम उठाने होंगे। 1000 रुपये के नोट क्यों बने हैं? 1000 रुपये के नोट रखने के क्या मतलब है। 500 रुपये के नोट भी रखने का क्या मतलब है?

आज, 1,00,000 करोड़ रुपये कर बकाया है, अर्थव्यवस्था का 40 प्रतिशत काला धन है, एन.पी.ए. के खाते में 3,00,000 करोड़ रुपये का घाटा है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्ता, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आबंटन में 5 प्रतिशत की कटौती कर दी है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र 50,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व तथा संसाधन सृजित करने वाले पाए गए हैं।

मैं, दो उद्धरणों के साथ अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। स्टाक मार्केट में भारी उछाल आया है। इससे सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी कारपोरेट केवल धन बनाएंगे लेकिन आम आदमी संकट में होगा। सरकार की योजना सुरक्षा बाजार विकसित करना और स्वर्ण यूनिटों का संवर्द्धन करना है। इन कदमों से पूंजी बाजार में और धन आएगा।

[श्री गुरूदास दासगुप्त]

द्वितीयक बाजार में वृद्धि भी बुराई और हेराफेरी के लिए उपयुक्त आधार बनता है। यह देखना बाकी है कि क्या इस 'बुल-रन' की परिणति दूसरे घोटाले में तो नहीं होगी।

वित्त मंत्री ने धन में बढ़ोत्तरी के लिए सारे स्टाक-प्रयासों का इस्तेमाल कर चुके हैं। हमारा विकल्प लोगों के कल्याण के लिए लोगों का पैसा ही है। कारपोरेटस् द्वारा कमाया गया लाभ लोगों की मेहनत का परिणाम है। जिनकी भुगतान करने की क्षमता है उन्हें अधिक नौकरियों के लिए भुगतान अवश्य करना चाहिए और जिनकी भुगतान करने की क्षमता है उन्हें बेहतर कर और बेहतर मानव जीवन के लिए भुगतान अवश्य करना चाहिए।

मेरे माननीय मंत्री को नया आधार बनाना चाहिए। चुनावों में जनादश केवल धर्मनिरपेक्षता के लिए नहीं था बल्कि चुनावों में जनादेश वैकल्पिक आर्थिक नीति के लिए भी था। जो बजट तैयार किया गया है उसमें वैकल्पिक आर्थिक नीतियों का कहीं अता-पता नहीं है। हमें दुख है और हम व्यथित हैं। हम महसूस करते हैं कि सामाजिक और आर्थिक जीवन में विसंगतियों को सुधारा जाना चाहिए। हां, हम राजनैतिक मजबूरी से इस बजट का समर्थन करते हैं परन्तु हम मन ही मन बुरा महसूस कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): आप उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं?

श्री गुरूदास दासगुप्त: हम आपके लिए जगह नहीं बना सकते क्योंकि जो अब हो रहा है आप उससे भी कहीं अधिक बुरे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): आप भ्रमित हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: हम राजनैतिक मजबूरियों के कारण बजट का समर्थन करते हैं परन्तु अपने दिल में हम बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि भारत के लोग सरकार से नए आधार बनाने की अपेक्षा रखते हैं।

महोदय, यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं।

श्री सुखबीर सिंह बादल (फरीदकोट): महोदय, सबसे पहले मैं इस बजट के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने हेतु शिरोमणि अकाली दल की ओर से बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

दुनिया बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हो गई है। हम दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमें प्रतिस्पर्धात्मक बनाना बड़ेगा और प्रतिस्पर्धात्मक बनने के लिए हमें विश्वस्तरीय अवसंरचना का विकास करना पड़ेगा, कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमें उन क्षेत्रों को भी बढ़ावा देना पड़ेगा जिनसे अधिकतम रोजगार सृजन होता है।

बजट को देखकर आपको जो पहला अनुभव होता है वह उससे बहुत भिन्न है जो आपको विस्तार से बजट पढ़ने के पश्चात् होता है। मेरे पास बहुत से मुद्दे थे जिन्हें मैं यहां आज उठाना चाहता था और चर्चा करना चाहता था परन्तु समय की कमी के कारण मैं केवल तीन या चार वर्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जो कि मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण हैं।

इस देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कृषि। हर वर्ष जब बजट प्रस्तुत किया जाता है हरेक वित्त मंत्री कृषि की बात करता है। हरेक वित्त मंत्री ग्रामीण उत्थान की बात करता है; और हरेक वित्त मंत्री अधिक ग्रामीण रोजगार सृजित करने की बात करता है परन्तु वास्तव में होता कुछ अलग ही है। मैं एक किसान का बेटा हूं; मैं एक गांव में रहता हूं। वर्षों से मैंने देखा है कि जो भी यहां होता है और जो भी बजट प्रस्तुत किया जाता है वास्तव में जहां इसे लागू होना चाहिए वहां नहीं होता।

पंजाब, जहां से मैं हूं, को बहुत सम्पन्न राज्य माना जाता है, कृषि में सबसे अग्रणी राज्यों में माना जाता है और पंजाब के किसानों को सबसे प्रगतिशील किसान माना जाता है। फिर भी आज जमीनी हकीकत क्या है? वर्षों से कृषि आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बन गई है। यही कारण है कि आज हजारों किसान भारत सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए संसद भवन के बाहर बैठे हुए हैं।

भारत सरकार कृषि के बारे में बात करती है। परन्तु यह कभी भी कृषि को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने की बात नहीं करती। कृषि को आर्थिक दृष्टि से लाभकारी बनाने के लिए या तो बीज-खाद आदि की लागत को नियंत्रित करना पड़ेगा या कृषि उत्पादों की कीमतों को ऐसे युक्तिसंगत स्तर पर तय करना पड़ेगा जो किसानों को कुछ लाभ पहुंचाए। तथापि, बहुत वर्षों से ऐसा हो रहा है कि उपकरणों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है जबकि कृषि उत्पादों की कीमतें उस गति से नहीं बढ़ रही हैं जिस गति से बढ़ना चाहिए। बुनियादी चीज जिसकी किसान को जरूरत होती है वह डीजल है; बुनियादी चीज जिसकी किसान को जरूरत होती है वह है कृषि श्रमिक, उपकरण और ऋण।

मैं आपको केवल एक उदाहरण दूंगा। कृपया इस एक मद यानी डीजल को देखिये। 1 जनवरी, 2002 को डीजल का मूल्य 16.28 रुपए था किंतु आज डीजल का मूल्य 25.25 रुपए है। मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है परन्तु कृषि उत्पादों के मूल्य में उस दर से वृद्धि नहीं हुई है।

दूसरा बड़ा मुद्दा है पूरी चीज को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने का मुझे कुछ सुझाव देने हैं। मेरा पहला सुझाव है कि डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। हमें डीजल की कीमतों पर राजसहायता देनी चाहिए जो कि मुख्य चीज है। अन्यथा, कृषि आर्थिक रूप से अलाभकारी हो जायेगी।

दूसरा मुद्दा जिसके बारे में पंजाब के किसान और पूरे देश के किसान चिंतित हैं वह है धन की आवश्यकता। उनके पास क्या विकल्प हैं? एक विकल्प है साहूकार के पास जाने का और दूसरा विकल्प है बैंक के पास जाने का। साहूकार दो प्रतिशत प्रतिमाह और बैंक लगभग 11 प्रतिशत वसूल कर रहे हैं। हम इस दर की उस दर से तुलना करते हैं जो यह अन्य क्षेत्रों को ऋण देने के लिए वसूल करते हैं। यदि आप एक ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो बैंक आपको ऋण देता है किंतु 11 प्रतिशत अथवा 12 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल करते हैं और यह ऋण की राशि पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति एक लग्जरी कार खरीदना चाहता है तो उसे केवल सात प्रतिशत अथवा सात प्रतिशत से भी कम ब्याज देना पड़ता है। यदि कोई किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण लेना चाहता है और मेरे पास भी एक क्रेडिट कार्ड है तो उसे 12 प्रतिशत ब्याज सालाना देना पड़ता है। यदि उद्योगपति बैंक से ऋण लेना चाहता है तो उसे आठ प्रतिशत, नौ प्रतिशत अथवा दस प्रतिशत ब्याज पर पैसा मिल जाता है। यह कृषक समुदाय के प्रति बड़ा भेदभाव है।

अपराह्न 2.00 बजे

मेरा तीसरा सुझाव है कि कृषि को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने के लिए हमें कृषि उत्पादों की कीमतों को मूल्य सूचकांक के लाभ से जोड़ना पड़ेगा। यदि आप कृषि उत्पादों की कीमतों को मूल्य सूचकांक के साथ नहीं जोड़ते तो सभी चीजों की कीमत बढ़ती जाएगी जैसी अब बढ़ रही है। कृषि उत्पादों की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं।

जैसा आपने देखा है कि पंजाब को सबसे प्रगतिशील राज्य समझा जाता है। फिर भी हर दूसरे दिन आप समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि पंजाब जैसे राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वे इसलिए आत्महत्या कर रहे क्योंकि वे दिवालिये हो रहे हैं और बैंक उनकी सम्पत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। आपको इस बात की जानकारी है कि हमारे कृषि उत्पादन में केवल एक प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। यदि आप कृषि को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने हेतु कठोर उपाय नहीं करते हैं तो कृषि क्षेत्र नीचे चला जाएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी।

विविधीकरण के बारे में बहुत बातें हुई हैं कि लोगों की सामान्य फसल पद्धति यानी गेहूं और चावल पद्धति से अन्य फसलों की ओर जाना चाहिए। मैं पंजाब में जो हुआ उसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूं कि यदि आप फसल विविधीकरण के बारे में वास्तव में गम्भीर होना चाहते हैं तो आपको किसानों को विविधीकरण हेतु प्रोत्साहित करना पड़ेगा। आप किसानों को विविधीकरण के लिए तभी प्रोत्साहित कर सकते हैं यदि आपके पास न्यूनतम गारंटी समर्थन मूल्य होगा जो कि बहुत आकर्षक होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होगा जो सरकार सामान्यत: तय करती है।

मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। पंजाब राज्य में किसानों ने गेहूं और चावल की सामान्य पद्धति से कपास की ओर जाना प्रारम्भ कर दिया है। क्या हुआ? मौसम के प्रारम्भ में कपास का मूल्य 2500 रुपए प्रति कुइंटल था। जैसे-जैसे मौसम बढ़ा तो मूल्य गिरकर 1700 रुपए प्रति कुइंटल पहुंच गया। किसानों का मनोबल अब टूट गया है। वे दोबारा कपास की खेती नहीं करना चाहते हैं। वे अगले वर्ष गेहूं और चावल की पारम्परिक फसलों की ओर वापस जाने की योजना बना रहे हैं।

दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह है कि पंजाब में उद्योगों के प्रति भारत सरकार द्वारा लगातार भेदभाव किया गया है। पंजाब चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ राज्य है। एक ओर पाकिस्तान है, ऊपर जम्मू और कश्मीर है और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और हरियाणा है। आज देश में कोई भी उद्योगपति अथवा कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो इस क्षेत्र में परियोजना लगाना चाहती है वह पंजाब में नहीं आना चाहते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। उन्हें वहां कोई आयकर नहीं देना पड़ता। उन्हें कोई बिक्री कर नहीं देना पड़ता। उनके लिए करों में पूर्ण छूट है।

जम्मू और कश्मीर में भी यही बात है। आपको वहां कोई आयकर नहीं देना पड़ता। कोई बिक्री कर नहीं है। उत्तरांचल में भी यही बात है। आपको कोई आयकर या बिक्री कर नहीं देना पड़ता। कोई भी पंजाब में क्यों निवेश करेगा। अब वहां क्या हो रहा है? बहुत बुरा हो रहा है। पंजाब में कोई भी निवेश नहीं कर रहा है, इसके अलावा बड़ी समस्या हो रही है। पंजाब के उद्योगपति अपनी इकाइयां बंद कर रहे हैं अपने उपकरण ले जा रहे हैं और हिमाचल तथा उत्तरांचल में परियोजनाएं स्थापित कर रहे हैं। मेरे पास पेपर की कतरनें हैं। हर रोज समाचार-पत्रों में आता है। हजारों करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश पंजाब से हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरांचल में जा रहा है।

[श्री सुखबीर सिंह बादल]

जैसा कि आप जानते हैं पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है। हम बहुत बुरे दौर से बाहर आए हैं। आपको यह तथ्य पता होगा कि कुछ वर्षों तक वहां आतंकवाद की समस्या थी और शांति भंग थी। इसका प्रमुख कारण बेरोजगारी था। पाकिस्तान ने इस बेरोजगारी का लाभ उठाया और पंजाब में अशांति पैदा की। पंजाब के बहादुर लोगों ने शांति बहाल की और पंजाब को वापस लिया। वे पंजाब की प्रगति चाहते हैं। पंजाब इन सब राज्यों से घिरा हुआ है जिन्होंने ये सब प्रोत्साहन दिए हैं। इसलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्र हित में साथ वाले राज्यों को दिए गए सभी प्रोत्साहन पंजाब को भी दिए जाएं। यदि जम्मू और कश्मीर को आतंकवाद और अशांत स्थिति के कारण ये सब प्रोत्साहन मिल सकते हैं तो पंजाब को क्यों नहीं?

पंजाब भी इस स्थिति से गुजरा है। पंजाब ने भी मुसीबतें उठायी हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो उद्योग राज्य से बाहर जाने लगेंगे। यदि उद्योग इस गति से राज्य से बाहर जाते हैं, जिस गति से वे बाहर जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या होगी? बेरोजगारी बढ़ जायेगी और बेरोजगारी के कारण विगत में जो समस्याएं उठ खड़ी हुई थी वे एक-दो वर्षों में पुन: हमारे सामने आ सकती हैं। इसलिए, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पंजाब को बचाने का अनुरोध करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री जी इस बजट में एक नयी पहल करेंगे और पंजाब को भी उसी तरह का पैकेज देंगे जो उन्होंने दूसरे राज्यों को दिया है।

एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा पर्यटन का है। मैं माननीय वित्त मंत्री के भाषण के उस भाग को सुनकर खुश हो रहा था जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि सं.प्र.ग. सरकार का प्रमुख एजेंडा उन क्षेत्रों और उन उद्योगों को बढ़ावा देना है जो अधिकतम रोजगारों का सृजन करेंगे। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वस्त्र उद्योग का उल्लेख किया है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि जिस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगारों का सृजन होता है वह है— पर्यटन का क्षेत्र। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस बजट में इस क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आप इस तथ्य से परिचित होंगे कि पर्यटन के कारण देश के 17 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 41 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। वे मात्र इतना कह रहे थे कि एक पर्यटक 10 से अधिक रोजगार पैदा करता है। मैं पर्यटन से होने वाले लाभ को देख रहा था कि एक वर्ष में पर्यटन क्षेत्र से 21,828 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। मैं पर्यटन मंत्रालय को आवंटित किये गये बजट पर नजर डाल रहा था। वर्ष 2004-05 में इस मंत्रालय को 500 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे जबकि इस वर्ष यानी 2005-06 में इसके लिए 786 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई, जो कि बहुत कम है। यदि आप पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आपको इस मद में और अधिक धनराशि आवंटित करनी होगी। विश्व में ऐसे कई देश हैं जो केवल पर्यटन पर निर्भर रहते हैं।

मैं विश्व पर्यटन मानचित्र में दिए गए आंकड़ों को देख रहा था। पर्यटन के मामले में भारत का 140वां स्थान है। हमारे पड़ोसी देश फल-फूल रहे हैं और उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्यटन के कारण वे अधिकतम आय अर्जित कर रहे हैं और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है। थाईलैंड जैसे देश में गत वर्ष 12.35 मिलियन पर्यटक आये थे। सिंगापुर जैसे छोटे से देश में 7.15 मिलियन पर्यटक आये। साम्यवादी देश चीन में 41.78 मिलियन पर्यटक आये। लेकिन भारत में, जो कि एक विशाल देश है और जहां विविध प्रकार के बहुत से प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, वहां मात्र 3.3 मिलियन पर्यटक ही आये। माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि हमें 7, 8 या 9 प्रतिशत वृद्धि दर की आवश्यकता है। यहां विदेशी निवेश की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि लोग यहां आयें। लेकिन इस बारे में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां के होटलों में इतने अधिक लोगों के लिए कमरे नहीं हैं। देश के होटलों में कुल 90,000 कमरे हैं। यदि हम पर्यटकों की संख्या 3 मिलियन से बढ़ाकर 6 मिलियन करना चाहते हैं तो हमें और अधिक कमरों की आवश्यकता होगी। अत: पर्यटन उद्योग के लिए कम से कम एक लाख अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता होगी। इन एक लाख कमरों का बनाने के लिए 80,000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। मैं इस तथ्य को जानता हूं कि भारत सरकार 80,000 करोड़ रुपये नहीं दे सकती है। इसके लिए हमें निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना होगा। मेरा मानना है कि पर्यटन वस्तुत: बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है। अत: माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा व्यक्तिगत रूप से निवेदन है कि होटल उद्योग को कम से कम पांच से सात वर्ष तक के लिए बिक्री कर और आयकर में छूट देते हुए संपूर्ण अवसंरचना लाभ मिलने चाहिए ताकि इस क्षेत्र में पूंजी का अधिकाधिक निवेश हो सके और इससे नयी-नयी परियोजनाएं लागू की जा सकें और उनकी क्षमता में वृद्धि की जा सके। अत: हमारा अनुरोध है कि पर्यटन मंत्रालय के लिए आवंटित बजट को कम से कम दोगुना कर दिया जाये ताकि मंत्रालय के पास इतना धन हो कि वह विश्व में भारत को उच्च स्थान दिला सके।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को एक अन्य सुझाव यह देना चाहता हूं कि हमें विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बौद्ध क्षेत्र जैसे क्षेत्रों को विशेष पैकेज देने चाहिए। जैसा कि आप सभी जनते हैं दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे अधिक बौद्ध अनुयायी हैं।

हमें विशेष प्रोत्साहन देकर इस क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ताकि लोग होटल और अन्य बुनियादी ढांचा स्थापित कर सकें।

इस बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है—अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। मैं अभी एक दिन दूरदर्शन पर बी बी सी का एक कार्यक्रम देख रहा था। उन्होंने विश्व के पर्यटन स्थलों के बारे में एक सर्वेक्षण किया था। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर विश्व पर्यटन का सातवां सबसे अधिक पसन्द किया जाने वाला पर्यटन स्थल है। लेकिन यहां पर बुनियादी ढांचे की बेहद कमी है। इसलिए भारत सरकार को इस बारे में एक नीति बनाते हुए विशेष पैकेज देना चाहिए ताकि उद्योगपति, होटल निर्माता और दूसरी कंपनियां इस पवित्र शहर में नयी परियोजनाएं स्थापित कर सकें।

पर्यटन के बारे में एक दूसरा सुझाव यह है कि इस उद्योग से ब्याज की वही दरें वसूल की जानी चाहिए जो अवसंरचना क्षेत्र से वसूल की जाती हैं।

अब मैं जिस अंतिम क्षेत्र पर बात करना चाहता हूं वह है—खेल। हमारे देश की आधी जनसंख्या युवा है। लेकिन जब कभी ओलम्पिक खेल होते हैं, जब कभी एशियन खेल होते हैं, जब कभी कामनवेल्थ खेल होते हैं, तो उनके परिणाम को देखकर हम अवसाद से भर जाते हैं। हम अपने खिलाड़ियों को दोष देने लगते हैं। हम अपने प्रशिक्षकों (कोचों) को दोष देने लगते हैं। जबकि यह दोष भारत सरकार के सिर मढ़ा जाना चाहिए। वस्तुत: इस स्थिति के लिए भारत सरकार उत्तरदायी है। मैंने खेल के लिए आवंटित बजट राशि देखी है। वर्ष 2003 में यह राशि 385 करोड़ रुपये थी और इस वर्ष यह राशि 500 करोड़ रुपये है। क्या आप समझते हैं कि 500 करोड़ रुपये की बजट राशि से हम विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं का सामना कर पायेंगे। यदि हम वास्तव में खेलों के क्षेत्र में नाम कमाना चाहते हैं और यदि सरकार ऐसा महसूस करती है कि उसके पास अधिक धनराशि नहीं है तो मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वह निजी क्षेत्र को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करें। हमें खेलों के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विकास और अनुसंधान कार्यों के लिए कंपनियों को आयकर में छूट दी जाती है। उन्हें 150 प्रतिशत की कर छूट प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह यदि कोई कंपनी खेलों की अवसंरचना के लिए निवेश करती है तो उसे भी 150 प्रतिशत की कर छूट दी जानी चाहिए। दूसरी बात यह कि भारत सरकार को खेलों के लिए आवंटित की गयी राशि को दोगुना करते हुए इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये कर देना चाहिए।

अंत में, अपनी पार्टी की ओर से मैं इस बजट का विरोध करता हूं क्योंकि यह बजट किसान विरोधी है और पंजाब के उद्योगों का हित पोषण नहीं करता। यह बजट युवाओं और आम आदमी के हित में भी नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस बारे में मेरे द्वारा और मेरे रा.ज.ग. सहयोगियों द्वारा दिये गये सुझावों पर माननीय वित्त मंत्री जी विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे अभी एक अनुपूरक कार्यसूची मिली है। मैं श्री पी. चिदम्बरम को विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं।

अपराह्न 2.13 बजे

बिहार बजट, 2005-2006

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं वर्ष 2005-2006 के लिए बिहार राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय संबंधी विवरण प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1767-ख/2005]

अपराह्न 2.13$^{1}/_{2}$ बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें-(बिहार) 2004-2005

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं वर्ष 2004-2005 के लिए बिहार राज्य से संबंधित अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1767-ख/2005]

अपराह्न 2.14 बजे

सामान्य बजट 2005-2006—*सामान्य चर्चा*
लेखानुदानों की मांगें—सामान्य, 2005-2006
और
अनुदानों की अनुपूरक मांगें—सामान्य 2004-2005—*जारी*

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन']

उपाध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2005-06 के बजट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब 10 महीने पहले लोक सभा के चुनाव हुये थे, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था-'कांग्रेस का हाथ, गरीबों का साथ। कांग्रेस का हाथ, किसानों का साथ, कांग्रेस का हाथ, मजदूरों का साथ।' लेकिन 10 महीने के बाद जो बजट पेश किया गया है, उसने यह साबित कर दिया है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस देश के गरीबों और मजदूरों के परिवेश से वाकिफ नहीं हैं। इस बजट ने यह भी साबित कर दिया है कि इस बजट से गरीब किसान और मजदूर के जीवन स्तर, रहन-सहन, में बदलाव होने की दृष्टि से कुछ नहीं दिखाई देता है।

यह बजट इस देश के मुठ्ठीभर पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए पेश किया गया है। इसमें देश के 90 प्रतिशत किसान, मजदूर और गरीबों की आबादी की अवहेलना तथा उपेक्षा करके मुठ्ठी भर लोगों के हितों की रक्षा की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस बजट की जो खामियां हैं, उन खामियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान वित्तीय वर्ष का जो बजट पेश किया गया है वह 5,14,343 हजार करोड़ रुपये का बजट है और जो भी खर्चा होता है, कोई भी पूंजी निवेश किया जाता है, वह इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि जो आने वाला समय है, उसमें इस देश का भविष्य उज्जवल हो। जो पूंजी हम लगा रहे हैं, उसका देश के विकास में कोई योगदान हो। लेकिन आज जो बजट का स्वरूप है, वह ठीक इसके विपरीत है। इस बजट में योजना व्यय पर 1,43,497 करोड़ रुपये का व्यय दिखाया गया है और इसे खर्च करने के लिए योजना व्यय की जो राशि है, जो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर 3,70,847 करोड़ रुपये का खर्च है। अर्थात आप योजना व्यय पर खर्च कर रहे हैं आप एक और तीन अनुपात में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। होना यह चाहिए था कि आप जो योजना व्यय पर खर्च कर रहे हैं, वह पैसा व्यवस्था के साथ जुड़ा होना चाहिए था और जो व्यवस्था पर आप खर्च कर रहे हैं, वह पैसा योजना व्यय में होना चाहिए था। तब आप देश को विकास की राह पर ले जा सकते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक गैर-योजना मद का सवाल है, गैर-योजना मद में जब खर्च में कटौती का प्रश्न उठता है तो सबसे पहले सरकार का ध्यान सब्सिडी की ओर जाता है। सरकार कहती है कि सब्सिडी को खत्म करो, सब्सिडी को घटाओ। जबकि वास्तव में सब्सिडी इस देश में जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने के लिए दी जाती है। आज गैर-योजना मद में जो चार क्षेत्र हैं, जिनमें मुख्य तौर पर खर्चा होता है, सब्सिडी के क्षेत्र में 47,432 करोड़ रुपये खर्च है। रक्षा व्यय पर 88 हजार करोड़ रुपये, ब्याज पर 1 लाख 33 हजार, 945 करोड़ रुपये और प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन आदि पर कुल 38,658 करोड़ व्यय है। कुल मिलाकर जो गैर-योजना मद का व्यय है, अगर इसे चार भाग में बांटा जाए तो इसका खर्चा तीन लाख हजार करोड़ रुपये होगा। जबकि गैर-योजना मद में तीन लाख सत्तर हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह 70 हजार करोड़ का जो गैप है, यह गैप कहां है। इसका कोई लेखा-जोखा इस बजट में नहीं है। आज अगर सरकार को गैर-योजना मद के खर्च में कटौती करनी है तो जो 70 हजार करोड़ रुपये का गैप है, आप उसमें कटौती करिये। सब्सिडी में कटौती मत करिये। हमारे देश के गरीब, किसानों और मजदूरों को मदद पहुंचाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, उसमें कटौती करने की मंशा पर आपको रोक लगानी चाहिए। उस गैप के 70 हजार करोड़ रुपये में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। गैर-योजना मद में किस चीज के लिए प्रावधान है, उस 70 हजार करोड़ रुपये में कटौती करके आप गैर-योजना मद में कटौती कर सकते हैं। आज यह बात भी साफ हुई है कि पिछले वर्षों की तुलना में जो योजना व्यय है, वह सालाना कम होता गया है और गैर-योजना व्यय का प्रतिशत बढ़ता गया है। दो-तीन सालों के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आज उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगा कि यह बजट किस प्रकार से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और गरीब विरोधी है। सबको मालूम था कि 28 फरवरी को इस देश का बजट पेश होना है।

जनवरी में इस सरकार ने खाद्यान्न तेलों के आयात कर में वृद्धि कर दी। जब फरवरी में बजट ला रहे थे तो जनवरी में ही वृद्धि करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सरकार को इंतजार करना चाहिए था। लेकिन ऐसा करने के पीछे सरकार का उद्देश्य कुछ और था। इस बार हमारे देश में खाद्यान्न तेलों का उत्पादन काफी अच्छा रहा। उत्पादन अच्छा होने के कारण बाजार में उसके मूल्य में कमी नहीं हो, उसको रोकने के लिए इन्होंने आयात कर बढ़ाने का काम किया।

उपाध्यक्ष महोदय, 90 के दशक में उदारीकरण की नीति के तहत मुक्त बाजार की कल्पना की गई। मुक्त बाजार की कल्पना पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म देती है। खुले बाजार या मुक्त बाजार के माध्यम से कभी भी देश को विकास के रास्ते पर नहीं ले जाया सकता है, बल्कि मुट्ठी भर लोगों के विकास की बात हो सकती है। इसलिए उदारीकरण और खुले बाजार की नीति पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, देश के आर्थिक विकास और आर्थिक उन्नति में कृषि और लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस बजट में इन दोनों क्षेत्रों की भरपूर अवहेलना हुई है। कहीं भी उनके लिए कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। बजट में कुल 5,14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि का प्रावधान किया गया है लेकिन खेती के लिए मात्र 6425 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां के 70 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं, चाहे खेतिहर मजदूर हों या किसान हों। खेती के प्रति सरकार की जो नीयत है, वह इस बजट में खेती के लिए रखे गए प्रावधानों से स्पष्ट हो जाती है। हमारे साथी सुखबीर सिंह जी चर्चा कर रहे थे कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। प्रतिदिन समाचारों में आ रहा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक कृषि प्रधान देश में अगर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं तो उसमें कहीं न कहीं सरकार की नीति में दोष है। सरकार द्वारा उस तरफ जो ध्यान दिया जाना चाहिए, उसकी अवहेलना हो रही है जिसके कारण किसान और खेतिहर मजदूर आत्महत्या करने को बाध्य हो रहे हैं। सुखबीर सिंह जी किसान क्रैडिट कार्ड की बात कर रहे थे। आज स्थिति यह है कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य बाजार में नहीं मिल पा रहा है और उसके कारण किसान अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं। इस कारण उन पर आर्थिक बोझ इतना बढ़ता जा रहा है कि किसानों को आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।

अपराह्न 2.23 बजे

[श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन हुए*]

आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसान की उपज की दर को बढ़ाने के लिए और किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए, कृषि को लाभकारी बनाने के लिए उचित से उचित और सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और इसके लिए यह जरूरी है कि आप कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक शोध और अन्वेषण करें।

लघु उद्योग आज धीरे-धीरे बंद होते जा रहे हैं, मृत होते जा रहे हैं। लघु उद्योगों का अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों बाद लघु उद्योगों का नामो-निशान इस देश से मिट जाएगा। इसका कारण यह है कि लघु उद्योगों में आवकों की जो सूची थी, उसमें लगातार नाम काटकर बृहत् क्षेत्रों में भेजे जाने लगे हैं। उस सूची को घटाते-घटाते आज 605 पर पहुंचा दिया गया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल एक दो बातें और कहने की अनुमति आपसे चाहूंगा।

आज बेरोजगारी एक अहम सवाल है। इस देश में बेरोजगारी से निपटने के लिए रोजगार गारंटी योजना का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके अंतर्गत 150 जिलों का चयन किया गया है। मैं आज कल्पना कर सकता हूं कि इतने बड़े देश में 150 जिलों में रोजगार गारंटी योजना चलाकर आप बेरोजगारी पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं।

नेशनल रूरल रोजगार गारंटी बिल, 2004 भी आया है। सरकार के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य जीनड्रीस हैं उनका कहना है कि रूरल रोजगार गारंटी बिल, 2004 से रोजगार सृजन की किसी योजना में मदद होने वाली नहीं है। वर्ष 2005-06 के बजट में कहीं भी रोजगार सृजन की कोई चर्चा नहीं है। चुनाव के समय सरकार ने वायदा किया था कि बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आज इससे पूरे तौर पर यह सरकार मुंह तोड़ चुकी है और इससे सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। स्टील का दाम 12 से 16 परसेंट बढ़ गया है। इसके अलावा माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान कहा है कि 10 हजार रुपये से अधिक की निकासी पर टैक्स लगाएंगे। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है, इस देश में गरीब किसान और मजदूर हर महीने पचास या सौ रुपया जमा करता है और जब त्यौहार आते हैं, चाहे होली, दशहरा, ईद, मोहर्रम कोई भी पर्व हो, उस समय वे अपना पैसा निकालते हैं। वह 15 हजार रुपये या 18 हजार रुपये निकालता है और अपने परिवार के लिए कपड़े इत्यादि खरीदता है, तो आप उस पर उसके द्वारा कमाये हुए पैसे को निकालने पर टैक्स लगाएंगे क्योंकि आपकी नजर में वह काला धन है।

महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस सोच के आधार पर सरकार ने यह बजट बनाया है। कांग्रेस ने इस देश को 10 महीने पहले जो वायदे किए थे, इस बजट के माध्यम से कौन-सी तोप छोड़ने वाली है। इनको देश के परिवेश का भी ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं पूरे तौर पर इस बजट का विरोध करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि इसमें जितनी खामियां हैं, उन्हें दूर करे और अपने बजट में, जो इस देश को चुनाव के समय में वायदे किए थे, उन्हें पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने का काम करे।

***श्री गणेश सिंह** (सतना): माननीय महोदय, यूपीए सरकार का बजट आंकड़ों की जादूगरी से भरा हुआ है। पूरे बजट में एक हाथ से थोड़ा सा देना और दूसरे हाथ से अधिक लेना प्रदर्शित हो रहा है। इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। अधोसंरचना के विकास में सीमेंट का बहुत बड़ा महत्व है किन्तु बजट में क्लिंकर पर 250 से बढ़ाकर 350 रुपए का जो टैक्स लगाया गया है, उससे सीमेंट के दाम बढ़ेंगे। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। भारत गांवों का देश है। विकास की दृष्टि से गावों में व्यापक असमानता है। ऐसी स्थिति बनी है कि "कोई तरस रहा उजियारे को, कोई सूरज बांधे फिरता है।"

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री गणेश सिंह]

देश में बेकारी, बेरोजगारी, पेयजल संकट, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे कई गंभीर समस्याएं मौजूद हैं। लेकिन जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें इन समस्याओं के समाधान का समयबद्ध कार्यक्रम नहीं दिया गया है जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान कर्ज के बोझ से आत्महत्या कर रहा है, सिंचाई के साधनों की कमी है। दुनिया के कई देश अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं लेकिन हमारे देश में उसे अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है जबकि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और सरकार ने किसानों की भारी उपेक्षा की है। किसान मजदूर बनते जा रहे हैं। किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही मर जाता है, मरते वक्त कफन भी उधार लाना पड़ता है।

शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है लेकिन जो रोजगार देने की बात की जा रही है, वह मात्र मजदूरी है। इससे देश का युवा बहुत निराश हुआ है।

बिजली के संकट से देश के सभी राज्य परेशान हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बजट में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं।

बजट देश की मुख्य समस्याओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। बजट में भारत निर्माण की बात कही गयी है और वर्ष 2009 तक का लक्ष्य रखा गया है, परन्तु यह कोरी कल्पना प्रतीत होती है। मैं कहना चाहता हूं कि एक करोड़ हेक्टेअर क्षेत्रफल में अतिरिक्त सिंचाई व्यवस्था करने की बात कही गयी है, 60 लाख मकान गरीबों को देने और 1.2 लाख ग्रामों को बिजली मुहैया कराई जाएगी, 2.3 करोड़ लोगों को बिजली देना, 66822 गांवों को टेलीफोन से जोड़ने की बात कही गयी है, लेकिन इन सब कामों को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि खर्च होगी, उसका कहीं प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसा भारत निर्माण सिर्फ भाषणों में हो तो जाएगा, लेकिन वास्तविक भारत निर्माण होने की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर जा रहा है। इन कामों के लिए कितना पूंजी निवेश किया जाएगा, उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये सभी घोषणाएं बजट को श्रृंगार युक्त बनाने के लिए की गयी हैं।

पूरे बजट में पावर को बढ़ाने की बात नहीं की गयी है, लेकिन नए कनेक्शन देने की चर्चा की है, बिजली बढ़ने के बजाय देश में घट रही है। मेरे प्रदेश में 1996 से लेकर आज तक सामान्य वर्ग के किसानों को सिक्योरिटी जमा करने के बाद भी सिंचाई पम्पों के कनेक्शन नहीं दिए जा सके हैं। देश के अन्दर 167980 छोटे उद्योग जो कि बन्द हो गए हैं, उनमें बिजली का न मिल पाना प्रमुख कारण रहा है। देश की नलजल योजनाएं, लिफ्ट इरिगेशन लगभग 70 प्रतिशत बिजली न मिल पाने के कारण बंद हैं।

रोजगार को बजटीय करने की बात कही गयी है। वर्ष में 100 दिन का काम दिए जाने की बात भी कही गयी है जिसमें आधी मजदूरी नकद और आधी अनाज के रूप में दिए जाने की बात कही गयी है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या देश का एक भी शिक्षित बेरोजगार नवयुवक इसमें काम करने के लिए जाएगा। यदि वित्त मंत्री जी आप पढ़े-लिखे युवकों को रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम उनका अपमान तो मत कीजिए।

बेरोजगारों को वित्त मंत्री जी ने ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में शामिल कर दिया है तथा सभी पढ़े-लिखे युवा एवं युवतियों को ग्रामीण क्षेत्रों में 'काम के बदले अनाज' योजना में मजदूरी करने का रास्ता दिखा दिया है।

देश में शिक्षा अमीर और गरीब के लिए अलग-अलग हो गयी है। इससे समाज विभाजित होने की कगार पर है। इस असमानता को मिटाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च और माध्यमिक शिक्षा का खात्मा होता जा रहा है और बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद, आगे की शिक्षा से बड़ी संख्या में वंचित हो रहें, जो कि गंभीर चिन्ता का विषय है। आज देश को समान शिक्षा तथा राष्ट्रीय संस्कारों से युक्त एवं तकनीकी शिक्षा की जरूरत है, लेकिन आपने सर्वशिक्षा अभियान में इसे शामिल नहीं किया जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कि अधीन 2.16 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की बात कही गई है। लेकिन शायद यह बात माननीय वित्त मंत्री जी भूल गए हैं कि देश का जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, नदियों में पानी कम हो रहा है। हैण्डपम्प, ट्युबवेल सूखते जा रहे हैं। अत: जल सम्वर्धन किए बगैर सभी को पेयजल देने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, जा सकता। उदाहरणस्वरूप में बताना चाहता हूं कि अब तक केंद्र सरकार की मदद से जो भी योजनाएं देश में बनाई गयी हैं, वे रखरखाव के अभाव में उनमें से 60 प्रतिशत से अधिक योजनाएं बंद पड़ी हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र सतना में 42 गावों को पेयजल उपलब्ध कराने की एक योजना की आधारशिला 1977 में पिंड्रा गांव में रखी गयी थी। यह योजना 1990 में पूरी हुई और कुछ ही दिन चलकर बंद हो गयी। उसके संधारण और मरम्मत में अधिक खर्च आने के कारण योजना बंद है। मैं मांग करता हूं कि राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन में ऐसी योजनाओं को शामिल किया जाए। इसी प्रकार जो सिंचाई योजनाएं अधूरी रह

गयी हैं उनको भी पूरा किया जाना चाहिए तथा बंद योजनाओं को मरम्मत कराकर चालू कराया जाए।

जो सिंचाई योजनाएं अधूरी हैं, उन्हें समय सीमा के तहत पूरा कराया जाए। मेरे क्षेत्र में वरगी बांध परियोजना, जिसका पानी 1990 में आना था, लेकिन आज तक पानी नहीं आया, उसे तत्काल पूरा किया जाए।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेलमार्ग—दोनों ही भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं, लेकिन आज तक क्रासिंग्स पर ओवरब्रिज बनाने की जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकी है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। महोदय, मेरे क्षेत्र के मैहर नामक शहर में रेलवे स्टेशन के बगल से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 की क्रासिंग रेललाइन से होती है। लगातार 18 घंटे गेट बंद रहता है। इससे पूरा शहर परेशान है और लगातार गंभीर घटनाएं घटती रहती हैं। आज तक उस पर ओवरब्रिज नहीं बना। मेरी मांग है कि तत्काल ओवर ब्रिज बनाया जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार के सहयोग से कई बड़ी परियोजनाएं बनती हैं, उनसे अनेक गांव प्रभावित होते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में टमस जल विद्युत परियोजना टमस एवं सेमरावल नदी पर बनी है। साल भर दोनों नदियों में पानी रहता है, जिससे आर-पार के गावों का सम्पर्क टूट गया है। किसान अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाते। मेरी मांग है कि टमस नदी पर गोरइया गांव में तथा सेमरावल नदीं पर रेहुटा गांव में पुल बनाए जाएं।

अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना ही पैसा बैंक से निकालने पर जो कर लगाया है, जिसका पूरे देश ने विरोध किया है, उसे वापस लिया जाए।

देश में महाविद्यालयीन शिक्षा अत्यंत महंगी होती जा रही है। गरीब लोग ऐसी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। देश के अन्दर ऐसी शिक्षा को सस्ती करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण विकास तथा लोगों को जीवन स्तर सुधारने के लिए देश में कुछ स्वयंसेवी संगठन बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं जिन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है मेरे निर्वाचन क्षेत्र सतना, मध्य प्रदेश की सीमा पर विगत कई वर्षों से प्रख्यात समाजसेवी श्री नानाजी देशमुख दीन दयाल शोध संस्थान के तहत उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के 80 गांवों में जो काम किया है, वह देश के लिए अनुकरणीय है। वहां उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के क्षेत्र में काम करके लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है। लोगों को आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार आया है। लोग गरीबी से बाहर आए हैं, आपस के झगड़े खत्म हुए हैं, निर्विरोध पंचायतें गठित हुए हैं। मेरी मांग है कि ऐसे समाजसेवियों को सम्मानित किया जाना चाहिए तथा उनके कामों का अध्ययन कराकर, ग्रामीण विकास में उनके फार्मूले को शामिल करना चाहिए।

महोदय, में पूरे बजट को निराशाजनक मानता हूं तथा माननीय प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी से देश की जनता पर रहम करने की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

***डा. सिबैस्टियन पॉल** (एर्णाकुलम): महोदय, यू.पी.ए. सरकार का दूसरा बजट वास्तव में बहुत ही उत्कृष्ट है। एक लम्बे अन्तराल के पश्चात उम्मीदों तथा आकांक्षाओं भरा बजट प्रस्तुत किया गया है। यह बात वस्तुतः प्रशंसनीय है कि वित्त मंत्री जी ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मार्ग से विचलित हुए बिना एक उत्कृष्ट बजट प्रस्तुत किया है। सरकार व्यापक गरीबी तथा वंचितों की समस्याओं के विवरण के लिए एक प्रत्यक्ष कार्य योजना आरम्भ करने की इच्छा व्यक्त कर रही है परन्तु जब तक अशिक्षा, स्वास्थ्य तथा बेरोजगारी जैसी समस्याओं से नहीं निपटा जाता यह एक अव्यवहारिक प्रक्रिया ही साबित होगी। इस संदर्भ में वित्त मंत्री द्वारा रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के परिव्यय में भारी वृद्धि के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास सराहनीय है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यू.पी.ए. सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वाधिक दूरव्यापी कार्यक्रम था। बजट में इससे ग्रामीण क्षेत्र में नए अवसर मिलने से प्रसन्नता है, श्री चिदम्बरम इसे नहीं भूले हैं। बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास तथा ग्रामीण जल आपूर्ति सहित मानव विकास के जटिल क्षेत्रों में अधिक आवंटन का श्रेय वित्त मंत्री जी को जाता है। हमें आशा करनी चाहिए कि श्री चिदम्बरम घाटे को कम करने के अपने लक्ष्यों के प्राप्त करने के प्रयास में अपेक्षित लक्ष्यों से विचलित नहीं होंगे। घाटा कम करने का लक्ष्य एक बाध्यता है और इस क्षेत्र में वित्त मंत्री ने सराहनीय कार्य किया है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं उनका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे, एक घोषणा करनी है।

70 से अधिक सदस्यों ने अभी इस चर्चा में भाग लेना है। अत: मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक सदस्य पांच मिनट से अधिक समय न लें। वे सदस्य जो अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं; अध्यक्ष महोदय इसके लिए पहले ही सहमत हो गए है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[सभापति महोदय]

सभी माननीय सदस्यों के लिए यह सूचना है; मेरी ओर से माननीय सदस्यों के लिए पांच मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त करने की बाध्यता नहीं है; उन्हें स्वयं ही अपना भाषण निर्धारित समय-सीमा में समाप्त करना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री रामकृपाल यादव (पटना): यह किस प्रकार सम्भव है? *...(व्यवधान)*

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): महोदय, यह समय बहुत कम है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं क्षमा चाहता हूं। इस बहस के लिए जो समय निर्धारित किया गया था वह पहले ही समाप्त हो चुका है। मंत्री महोदय 5 बजे बहस का जबाब देंगे। अत: 5 बजे से पूर्व हमें यह बहस समाप्त करनी है। अत: मैं माननीय सदस्यों से पूर्व अनुरोध करता हूं कि वे निर्धारित समय सीमा में ही अपनी बात समाप्त कर दें। अब श्री बालासाहिब विखे पाटील बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): सभापति महोदय, मुझे दुख होता है कि पांच मिनट का समय इस समय की अच्छी बातों को सामने रखने के लिए बहुत कम है। मैं सबसे पहले यूपीए सरकार की चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सुनामी समस्या को लोगों को विश्वास के अनुरूप हल किया है। प्रत्येक परिवार का पुनर्वासन किया जाएगा। एक बड़ी कामयाबी उन्होंने प्राप्त की है। पहली बार एग्रीकल्चर बजट में स्टेटिजिक रिसर्च के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और शिक्षा अभियान पर सरकार बधाई की पात्र है कि उन्होंने नान लेप्सेबल फंड में परिवर्तित किया है। लेकिन मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि नान लेप्सेबल फंड होते हुए भी पैसा खर्च करना जरूरी है। नार्थ-ईस्ट स्टेट का 11 हजार करोड़ रुपये का फंड ऐसे ही बिना खर्च हुआ पड़ा है। नान लेप्सेबल फंड का मतलब यह नहीं है कि पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, मैं माइनारिटीज के बारे में कहना चाहता हूं और सरकार को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उसने अल्पसंख्यकों को शिक्षा के लिए बजट में विशेष प्रबन्ध किए हैं। बजट में विशेष प्रबन्ध किए हैं। बजट में एजूकेशन के थ्रू डैवलपमेंट की बात कही गई है। इस हेतु आंगनवाड़ी खोलने और सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। ऐसी अनेक बातें हैं जिनके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। इस बजट के माध्यम से देश को एक नई दिशा, नई पहल और नया विचार देने की कोशिश की है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलपमेंट में एम्पलायमेंट गारंटी भी दी गई है। यह बिल्कुल नई चीज है। हमारी सरकार ने सब लोगों से वायदा किया है कि हम सभी बेरोजगारों को एम्पलायमेंट की गारंटी देंगे। इस प्रकार सरकार ने देश के नौजवानों को एक नई दिशा दी है। हर नौजवान को कहा है कि यदि वह बेरोजगार है, तो उसे रोजगार दिया जाएगा और इससे भी आगे जाकर सरकार ने बजट में इसके लिए प्रावधान किया है। भारत विश्व के कौशल की राजधानी बन सकता है। इस दिशा में जो पहल हो रही है वह सराहनीय बात है। भारत में सारी दुनिया से ज्यादा नौजवान रहते हैं। विश्व के किसी देश में 50 प्रतिशत या इससे अधिक 25 वर्ष की उम्र से कम आयु के नौजवान नहीं हैं जबकि भारत में 50 से अधिक हैं। चीन में 39 प्रतिशत हैं। किसी देश में 49 प्रतिशत किसी में और कम हैं, लेकिन भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा युवा हैं। इसलिए यह बहुत बड़ी बात है।

महोदय, देश में आई.टी.आईज. के अपग्रेडेशन के लिए जो प्रावधान किया गया है, वह कम है। एक या दो वर्ष में और इतने कम धन से उनका अपग्रेडेशन नहीं होगा। उसे बढ़ाना जरूरी है। एक या डेढ़ करोड़ रुपए से आई.टी.आईज. का अपग्रेडेशन नहीं हो सकता है। आई.टी.आईज. के अपग्रेडेशन में 5 से 10 साल लगते हैं। सैनीटेशन, पीने के पानी और इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए बजट में काफी धन का प्रावधान किया गया है।

महोदय, पांच वर्ष में एक करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं समझता हूं कि यह कम है। हमें कम से कम प्रति वर्ष 50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। जब हम इतना लक्ष्य रखेंगे, तो कहीं जाकर 30 या 40 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। एक हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने से हमारे देश में तीन लोगों को रोजगार मिलता है। इसका सीधा औसत एक बटा तीन होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि प्रति वर्ष कम से कम 50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य बनाना चाहिए सिंचाई एक आवश्यक क्षेत्र है।

महोदय, जब हम अपने देश की आठ या नौ प्रतिशत ग्रोथ रखना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ कम से कम चार प्रतिशत रखनी चाहिए। अभी यह ग्रोथ केवल 1.3 प्रतिशत है। हर कोई जानता है कि यह अनपयुक्त रूप से कम हो रहा है। इनवैस्टमेंट डिक्लाइन हो रहा है। सकल घरेलू उत्पाद भी कम हो रहा है। डब्ल्यू.टी.ओ. के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का आयात हो रहा है जिसके कारण किसानों द्वारा उपजाई गई फसलों के दाम उन्हें नहीं मिल रहे हैं और उन्हें लागत से भी कम घाटे पर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। यदि इस प्रकार से

चलता रहा, तो वह अपना गुजारा नहीं चला पाएगा। जैसे आज सुबह किसी ने कहा कि प्याज के दाम बहुत कम हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान की ऐसी कौन सी उपज है जिसके उसे ठीक और लाभकारी दाम मिल रहे हों? इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें एक टैरिफ रैगुलेट्री अथौरिटी बनानी चाहिए। वर्तमान विश्व व्यापार संगठन की विशेषज्ञ संस्था कार्यविहीन है। विशेषज्ञ संस्था को इसकी निगरानी करनी चाहिए। वह अथौरिटी इस बात को सुनिश्चित करे कि हमारे देश के छोटे उद्योगपति, हमारे किसान, हमारे कारीगर जो चीजें बनाएं, उन्हें उनके लाभकारी मूल्य मिल सकें। यदि ऐसा नहीं होगा, तो हमारे देश का छोटा उद्योगपति, किसान, कारीगर और कुशल मजदूर चौपट हो जाएगा।

महोदय, हमारे देश में कोआपरेटिव री-वाइटेलाइजेशन जरूरी है, लेकिन बजट में इसका प्रावधान नहीं है। श्री वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन हम कैसे करेंगे, उसके लिए बजट तो होना चाहिए। हम 50 साल से देख रहे हैं कि जब किसानों के ऊपर विपदा आती है, जब देश में सूखा, अकाल या बाढ़ आती है, तो प्राय: किसानों के शार्ट टर्म लोन को मीडियम लोन में बदल दिया जाता है। यही कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इससे उनका बकाया हमेशा बढ़ता है और वे आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त हैं। शार्ट टर्म लोन को मीडियम लोन में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए बल्कि उसे क्लीयर करना चाहिए। एक ही बार में उनकी पूरी राशि समाशोधित कर दी जानी चाहिए। लांग टर्म लोन की तो किसान को वैसे ही जरूरत रहती है क्योंकि लैंड डैवलपमेंट में 20-30 साल लग जाते हैं। जैसे डायवर्सीफिकेशन की बात है। हार्टीकल्चर को बढ़ाने की बात कही गई है। यह भी अच्छी बात है। किसानों को मीडियम टर्म लोन देने की पद्धति में हमें परिवर्तन करना चाहिए। किसान को शार्ट टर्म लोन देकर उसे मीडियम टर्म लोन में परिवर्तित करने से किसान की देनदारी बढ़ जाती है। इसलिए इससे उसे बचाना चाहिए। इसी प्रकार टैक्नौलौजी ट्रांसफर या डायवर्सीफिकेशन करना एक या दो साल की बात नहीं है। इसमें पांच, सात और आठ साल तक लग जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इसे ठीक किया जाए। इसके लोन को मिडियम लोन माना जाए न कि एक साल या फसल ऋण माना जाए।

महोदय, यदि कोआपरेटिव बैंकों से किसानों को क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो किसान मनी लैंडर के पास जाएंगे। यही कारण है कि संस्थागत ऋण में कमी आ रही है। ऋण लेने में वृद्धि हो रही है। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। रीवाइटेलाइजेशन क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से होना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं मांग करता हूं कि कोआपरेटिव बैंकिंग सिस्टम और कामर्शयल बैंकिंग सिस्टम बिलकुल अलग-अलग होने चाहिए। नाम तो बिल्कुल ही अलग-अलग होने चाहिए। एक ही नाम से यह काम चलने वाला नहीं है। मैं बैंकिंग सैक्टर के बारे में सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इंश्योरेंस बैंकिंग में सरकार का मालिकाना हक चला जाएगा क्योंकि हमने निजी बैंकिंग से पहले सरकारीकरण किया फिर हम सरकारीकरण से निजी बैंकिंग में यह काम दे रहे हैं। राष्ट्रीयकरण में कुछ सामाजिक लक्ष्य, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामाजिक जवाबदेही निहित है। यदि हम इसका निजीकरण करेंगे, तो फिर हम इंश्योरेंस के क्षेत्र में निजी बैंकों का कुछ नहीं कर पाएंगे।

महोदय, चीनी मिलों की हाल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उनकी हालत बहुत खराब है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि जैसे उसने टैक्सटाइल के क्षेत्र में किया है और एक पैकेज दिया है, वैसे ही पैकेज चीनी मिलों को भी देना चाहिए। सभी चीनी मिलें, चाहे वे कोआपरेटिव सैक्टर की हों या निजी क्षेत्र की, सभी घाटे में हैं। जिस प्रकार से टैक्सटाइल के क्षेत्र में ऋण सबसिडी देने की आपने योजना बनाई है उसी प्रकार से कोआपरेटिव सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर के चीनी मिलों को एन.सी.डी.सी. या राज्य कोआपरेटिव बैंक का ई.सी.बी. लोन लेने की अनुमति देनी चाहिए अथवा विदेशी-ऋण लेने की छूट देनी चाहिए। जब ऐसा होगा, तभी कोआपरेटिव सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर की चीनी मिलें घाटे से उबर सकती हैं। 6000 करोड़ रुपए का पैकेज देने के बगैर क्या डायरेक्ट एम्लायमेंट मिल सकता है। टैक्सटाइल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आना पड़ता है। कोआपरेटिव चीनी मिल में गांव के सभी लोग काम करते हैं। किसी भी प्रकार का पलायन नहीं हो रहा है। बल्कि इसका विपरीत पलायन हो रहा है। शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन हो रहा है। इसे एनक्रेज करना चाहिए और बजट प्रोविजन करना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। मैंने जब आंकड़े देखे तो मुझे ताज्जुब लगा। वर्ष 2003-04 में केपिटल रिसीट्स 207490 करोड़ रुपए था और केपिटल एक्सपेंडीचर 109228 करोड़ था। वर्ष 2004-05 में केपिटल रिसीट्स 204887 करोड़ रुपए था और केपिटल एक्सपेंडीचर 119722 करोड़ था। हम देखेंगे कि आप इसे जीरो बजटिंग कब करेंगे। एक बार बात हुई थी कि हम इस देश में जीरो बजटिंग करेंगे और एक नयी दिशा लाएंगे।

महोदय, अगर आप घंटी बजाते रहेंगे तो हम पांच मिनट में कैसे अपनी बात पूरी करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया निर्धारित समय में ही अपनी बात पूरी करें।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोय, वित्त मंत्री जी छः बजे बोलें, आप एक घंटे का समय बढ़ा दें। हम यहां बोलने के लिए आए हैं। आप समय बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप हाउस की राय ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: भाषण की कुछ समय-सीमा होनी चाहिए। आप पहले ही दस मिनट ले चुके हैं। कृपया आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री सहमत हैं तो मुझे समय बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे इस सुझाव से सहमति व्यक्त करें तथा सदस्यों को और समय दें *...(व्यवधान)*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मुझे मंत्री महोदय से पूछना होगा कि क्या हम समय-सीमा बढ़ा सकते हैं *...(व्यवधान)*

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोदय, हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट दिन-प्रति-दिन कम हो रहा है और इम्पोर्ट बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आप भारत के किसानों को कैसे न्याय दे सकते हैं, उन्हें कैसे मदद मिल सकती है और वे कैसे ऊपर आ सकते हैं? इस बजट में यह भी है—शहरों में दी जाने वाली सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी दी जानी चाहिए। ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलनी चाहिए। ये कैसे होगा, आपने बजट में प्रावधान किया है, लेकिन आपने पूरा इंस्टीट्यूशन भी लगाया है। हर एक गांवों की बातें कहता है। हर कोई कहता है कि प्रत्येक गांव में एक ज्ञान केन्द्र होना चाहिए। परन्तु यह कब तक सम्भव हो पाएगा?

महोदय, आप आईटी की बात कब करेंगे? आपने एग्रो बिजनेस पर पिछले बजट में बात की थी। रिसर्च के बारे में पिछले साल भी 1000 करोड़ रुपए की बात की थी, लेकिन उसका बाद में क्या हुआ? क्या अनुसंधान किया गया है पैसा कहां गया? खाली एक्सपेंडीचर कर दें, केपिटल एम्पालयमेंट बिल्डिंग और व्हीकल्स के लिए क्या पैसा वास्तविक अनुसंधान में जाता है?

महोदय, ऐसी कई बातें हैं। हमें इम्पोर्ट को सावधानी से करना चाहिए। मैं यह नहीं कहूंगा, जैसे कई लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी कुछ नकारात्मक है। जैसे अगर हम ग्लास में देखें कि कौन सा पानी का ग्लास आधा भरा है, कम भरा है या कौन सा ग्लास ज्यादा भरा है। *...(व्यवधान)* लोग समझते हैं कि ग्लास में पानी नहीं है, बिलकुल खाली ग्लास है, यह मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि इस बजट में किसान कोआपरेटिव रिवाइटलाइजेशन, शुगर इंडस्ट्री के रिवाइटलाइजेशन के लिए टैक्सटाइल के आधार पर दोबारा ध्यान देना चाहिए। अन्यता, रूरल एम्लायमेंट की इंडस्ट्री है, उन्होंने हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया। रूरल को रोड दिया है, उन्हें एजुकेशन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया है और जब ये उद्योग पूरा सरकारी काम कर रहे हैं, क्या उन्हें आप सुरक्षा नहीं देंगे? इसलिए अलग पैकेज कोआपरेटिव चीनी मिलों को देना चाहिए चीनी मिलों सहित किसी भी निजी क्षेत्र की तुलना में सहकारी संस्थाओं ने अनुभव के आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। जब आप वाकई मजदूर को सोशल सिक्योरिटी देते हैं तो किसान, खेत मजदूर या चीनी इंडस्ट्री का मजदूर हो, उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी टैक्सटाइल के साथ जोड़ना जरूरी है। मैं इसलिए मांग करता हूं कि हमारे जो खेत मजदूर हैं, उन्हें 60 साल के बाद भारत सरकार द्वारा पेंशन देना भी जरूरी है। अगर वे अनपढ़ हैं तो उनकी सोशल सिक्योरिटी क्या है? निर्धनतम व्यक्ति तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले को अधिकतम सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए। हम तो आशा कर रहे हैं कि गरीबी कैसे कम हो और रोजगार कैसे बढ़े? अगर हमें अपने रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, हमें उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है तो हमें किसान और एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना होगा। मेरा जो भाषण रह गया है, उसे मैं टेबल पर ले करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

*मैं विकसित तथा पिछड़े राज्यों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखने के लिए वर्तमान सरकार को बधाई देता हूं। पिछड़े राज्यों के विकास हेतु विकसित राज्यों की अनदेखी नहीं की गयी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पेंशन, शिक्षा ऋण इत्यादि प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करायी जानी चाहिए। गैर-योजनागत व्यय में वृद्धि हो रही है। इसे रोका जाना चाहिए तथा इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए।

अगले चार वर्षों के भीतर तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ पेंशन सुधार किए जाने चाहिए अन्यथा पेंशन बिल बहुत अधिक बढ़ जाएगा तथा अनियंत्रित हो जाएगा।

जल संसाधन—राज्यों के बीच बहने वाली नदियों के जल बंटवारे को लेकर उनके बीच समस्याएं हैं। हम एक योजना आरम्भ कर सकते हैं जिसमें हम एक राज्य के अन्दर बहने वाले अतिरिक्त पानी को उसी राज्य के पानी की कमी वाले क्षेत्र में पहंचा कर

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पानी की समस्या को कम कर सकते हैं (नदियों को आपस में जोड़कर) इसके अतिरिक्त पानी की अधिकता वाले क्षेत्रों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है जैसा कि महाराष्ट्र के पानी की कमी वाले क्षेत्रों गोदावरी तथा तापी क्षेत्रों में कोंकण नदियों के अतिरिक्त पानी को पहुंचाया जा सकता है। राज्यों की आवश्यकताओं के पूरा होने के पश्चात् नदियों को जोड़कर शेष अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले राज्यों को दिया जा सकता है क्योंकि आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पानी की बहुत अधिक कमी हो सकती है तथा इससे सामाजिक तनाव में भी वृद्धि होगी। हमें इस योजना पर गम्भीरता से सोचना चाहिए। महाराष्ट्र पानी परिषद ने पहल की और ऐसी योजना बनाई तथा इसे महाराष्ट्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2002 में केन्द्र सरकार ने जब इस नीति के संबंध में पहल की थी तो महाराष्ट्र सरकार के पास पहले से ही इस प्रकार का प्रस्ताव था। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार महाराष्ट्र का 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग सूखा है तथा सरकार ने महाराष्ट्र को पहले ही जल संकट क्षेत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया है।

ग्रामीण विकास तथा बंजर भूमि:—बड़े-बड़े भवन-निर्माता तथा निर्माण लाबी कर आवासीय तथा व्यवसायिक परिसरों को विकसित करने के उद्देश्य से शहरों के आस-पास की उपजाऊ तथा सिंचित भूमि का उपयोग कर रहे हैं। सरकार ने भारी मात्रा में सरकारी धन का निवेश किया है, पिछले पांच वर्षों में बंजर भूमि को विकसित करने तथा उसे उपजाऊ बनाने और बुनियादी ढांचा जैसे सड़क पेयजल, सिंचाई के लिए लगभग 1000 करोड़ का निवेश किया है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की भूमि पर बड़ी मात्रा में निजी क्षेत्र ने भी निवेश किया है। यदि बिल्डर लाबी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है तो यह राशि व्यर्थ चली जाएगी। यह पूर्णत: समझ में न आने वाली समस्या है। इसके कारण कृषि योग्य भूमि में कमी हो रही है जिस कारण कृषि योग्य भूमि में कमी हो रही है जिस कारण से पहले से ही दबाव झेल रही कृषि योग्य भूमि पर और दबाव पड़ रहा है। भवन निर्माता लाबी और उद्योगपतियों को बंजर भूमि को विकसित करने की अनुमति दी जानी चाहिए और इस कार्य के लिए उपलब्ध धनराशि को अन्य सामाजिक क्षेत्रों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। औद्योगिक भूमि को बचाया जाना चाहिए क्योंकि यही ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रमुख रोजगार प्रदाता है।

मैं यहां यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस समस्या की गंभीरता को देखें, शहरी क्षेत्रों को आकाश की ओर बढ़ने की अनुमति दी जाए जिसके लिए उन्हें अधिक एफ.एस.आई. उपलब्ध कराए जाएं और इससे बची धनराशि को बेहतर शहरी सुविधाएं और अवसंरचना प्रदान करने में उपयोग में लाया जा सकता है।

पेयजल एक अन्य समस्याग्रस्त क्षेत्र है। अभी तक 95 प्रतिशत बसावटों को पूर्णतया पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। 4.6 प्रतिशत स्थानों पर अभी इसकी आंशिक उपलब्धता है और 0.4 प्रतिशत को अभी इसमें सम्मिलित किया जाना है। यह सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि स्वतंत्रतता के 57 वर्षों के पश्चात् भी सरकार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रही है। इस कार्यक्रम को और अधिक धन उपलब्ध कराकर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जिन स्थानों पर ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं वे भी बुरी स्थिति में हैं क्योंकि उनके उपस्करों की सही देखरेख नहीं हो रही है और न ही वे समुचित रूप से कार्यशील ही हैं।

वर्षा जल संरक्षण और बालू की परत:—मैं निर्माण कार्यों के लिए नदियों के तल से बालू का उत्खनन करने की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बालू एक प्राकृतिक जल संरक्षण है। मैंने महाराष्ट्र सरकार के साथ इस मामले को उठाया है, जिन्होंने इस समस्या की गंभीरता को समझा और ऐसे उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बालू के विकल्प की पहचान करके उसे प्रचलित किया जाना चाहिए। निर्माण और सड़क परियोजनाओं में ऐसे उत्पाद के उपयोग हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इसके अनुसंधान हेतु बजट में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस बजट में वर्षा जल के संचयन हेतु कोई प्रावधान या उल्लेख नहीं किया गया है। वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देने हेतु बालू की परत एक प्राकृतिक साधन है। अतार्किक उत्खनन से जल के स्रोतों और भू-जल स्तर में कमी आती है। इसमें एक समेकित रवैया अपनाया जाना चाहिए और स्थानीय रूप से संरक्षित जल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे कि जल के परिवहन की लागत को न्यूनतम किया जा सके।

शिक्षा और दस्तकारी विकसित करने हेतु पहल:—मानव संसाधन का विकास भारत की सबसे बड़ी परिसम्पत्ति है। यहां अन्य देशों जैसे यूरोप में 38 और जापान में 41 तथा चीन में 30 के मुकाबले जनसंख्या का 50 प्रतिशत 25 वर्ष से कम आयु वर्ग का है। वर्ष 2025 तक भारत में प्रत्येक 100 कार्यशील वयस्कों पर निर्भरता का औसत 12.1 होगा। उस समय 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 12 से थोड़ी ही अधिक होगी। चीन में यह औसत 19.4 होगी, जापान में 49 और यूरोप में 33.2 होगी स्पष्ट रूप से भारत को उससे लाभ-होगा जो इस अवसर का उपयोग भारत को विश्व कौशल की राजधानी बनाकर राष्ट्र की भलाई के लिए कर सकेगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें निजी क्षेत्र की पहल को बढ़ावा देना चाहिए और अपने मानव संसाधन को वैश्विक मानकों के अनुरूप कुशल बनाना चाहिए जिससे हमारी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि होगी और भारत सर्वांगीण सतत विकास के पथ पर अग्रसर होगा।

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

यह योजना पहले से ही प्रवारानगर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र, शिलांग (पूर्वोत्तर) और बरामूला (जम्मू-कश्मीर) में कार्यशील है। इसे प्रत्येक बच्चे पर 5000 रुपये की न्यूनतम लागत से प्रदान किए जा रहे कौशल के अनुसार 100-200 घंटे की प्रशिक्षण अवधि में लागू किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान:—यह एक नई योजना है परन्तु इसमें स्थानीय घटक का अभाव है। स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की समीक्षा की जानी चाहिए जिससे अधिक बेहतर लक्ष्य प्राप्त किए जा सकेंगे। इस योजना के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। गत वर्ष के बजट में लगाए गए शिक्षा उपकर से 5010 करोड़ रुपये संग्रहति किए गए हैं। लेकिन उसमें से केवल 2000 करोड़ रुपये ही व्यय हुए हैं। इस बजट में गैर-व्यपगत कोष के रूप में ''प्रारम्भिक शिक्षा कोष'' का सर्जन, एक स्थागतयोग्य कदम है लेकिन इसकी दशा भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अर्जित किए गए गैर-व्यपगत कोष की भांति नहीं होनी चाहिए, जो कि व्यय ही नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इन कोषों को व्यय करने हेतु पर्याप्त जिम्मेदारी प्रदान की गई है।

कर ढांचे को तर्कसंगत बनाना:—एक विकसित अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा अप्रत्यक्ष कर से अधिक होना चाहिए। इसे किया जा रहा है परन्तु इसकी गति बहुत धीमी है। कर सुधारों को अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के हिस्से को निम्नवत् देखा जा सकता है:

वर्ष	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
1990-1991	19 प्रतिशत	78 प्रतिशत
1999-2000	34 प्रतिशत	65 प्रतिशत
2003-2004	41 प्रतिशत	59 प्रतिशत
2004-2005	44 प्रतिशत	56 प्रतिशत

मैं यहां वित्त मंत्री जी से एक बात करना चाहूंगा जो कि बैंकों से नकद निकासी पर कर लगाए जाने के बारे में है। इस प्रावधान की बहुत आलोचना हुई है। मैं उनसे इसे वापस लेने का अनुरोध करता हूं। सेवा कर को भी 4 लाख रुपये के लेनदेन की सीमा के पश्चात् ही लगाया गया है। मैं मंत्री जी से इस सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की अपील करता हूं।

खराब बजट:—यह देखा गया है कि पूंजीगत प्राप्तियां पूंजीगत व्यय से कहीं अधिक हैं। प्रत्येक वर्ष यह अंतर बढ़ता ही जा रहा है। वर्ष 2003-04 में यह अंतर 98262 करोड़ रुपये था। वर्ष 2004-05 में यह अंतर 105165 करोड़ रु. था और इस बजट में इसके 95312 करोड़ रु. होने का अनुमान है। पूंजीगत प्राप्तियां परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु होती हैं और उनका उपयोग इसी कार्य हेतु किया जाना चाहिए जिससे कि एक अवधि के पश्चात् ये परिसम्पत्तियां लाभ प्रदान करने लगें। सामान्यतया ये प्राप्तियां ऋण और अन्य देयताओं के रूप में होती हैं जिन पर ब्याज देय होता है। यदि इनका उद्देश्यपूर्ण तरीके से उपयोग न किया जाए तो ये राजकोषीय घाटे में वृद्धि करती हैं। वित्त मंत्री जी कृपया ऐसा बजट बनाने के औचित्य के कारणों को स्पष्ट करें।

वर्ष	पूंजीगत प्राप्तियां	पूंजीगत व्यय
2003-04	207490 करोड़ रु.	109228 करोड़ रु.
2004-05	204887 करोड़ रु.	119722 करोड़ रु.
2005-06	163144 करोड़ रु.	67832 करोड़ रु.

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, हमारी भी नाम है।

सभापति महोदय: इसमें सब का नाम है। जब आपका टर्न आयेगा तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा।

कृपया बैठ जाइए।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): सभापति महोदय, सदन में वित्त मंत्री या कोई केबिनेट मंत्री नहीं है, वे कहां गये हैं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, आ रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपके नाम यहां हैं। जब आपकी बारी आएगी तो मैं आपको पुकारूंगा।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता कि मैं इस बजट का विरोध करता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा यह मानना है कि यह बजट अपने समय के अनुसार है। अर्थव्यवस्था के अधिकांश टिप्पणीकारों, मीडिया और प्रबुद्ध वर्ग तथा कुछ समय पूर्व श्री गुरूदास दासगुप्ता ने ठीक ही कहा है कि यह एक स्वाभाविक उत्पाद मिश्रण है और यह इस देश में किसी भी व्यक्ति में उत्साह का संचार नहीं करता। ऐसा सत्तापक्ष के गठबंधन के सदस्यों द्वारा कहा गया है।

महोदय, यह बजट प्रतिबद्धता और समझौते का सम्मिलन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी उदारीकरण और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं। लेकिन उनकी बाध्यता यह है कि वह और उनकी सरकार पर विभिन्न उद्देश्यों को लेकर प्रति-आघात किए गए हैं और असमान गठबंधन के साझीदार उन्हें विपरीत दिशाओं में खींच रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं और वे यह जानते हैं कि वाम—जो कि ग़रीबों का स्वघोषित मसीहा बना हुआ है—की मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें बाजार से धन का प्रबन्ध करना पड़ेगा। अत: बाजार और मार्क्सवादियों दोनों को संतुष्ट करने की उनकी कुछ राजनैतिक सीमाएं हैं। इसीलिए, उन्हें विश्व स्तर की रस्सी पर संतुलन साधने की कला आती थी और उन्होंने वह कर दिखाया। उन्हें एक पूंजीवादी कामरेड होने के नाते एक बहुत अच्छा उपनाम दिया जा सकता था।

महोदय, आपको ज्ञात होगा कि जिस दिन इन्होंने दूरसंचार के क्षेत्र में 76 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी थी उसी दिन उन्होंने केवल वामपंथियों को संतुष्ट करने के नाते ई.पी.एफ. पर ब्याज दर को बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया था। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि केवल समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हुए वे देश को दिशाहीन बना रहे हैं। जो कोई भी प्रत्येक को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा वह अंतत: किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह कहा है कि उनसे पहले जो व्यक्ति वित्त मंत्री थे वे बहुत भाग्यशाली थे। मैं यही बात वर्तमान वित्त मंत्री के लिए कहूंगा। वे भी एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। उन्हें अपने पूर्ववर्ती से 8.5 प्रतिशत वृद्धि दर वाली एक स्वपनिल अर्थव्यवस्था मिली है। अब वे इसके बहुत से कारण गिना सकते हैं और यह कह सकते हैं कि वे उन्हें विरासत में मिली अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं करना चाहते और यहां तक भी कह सकते हैं कि 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर पूर्व के वर्षों में खराब प्रतिशत की पृष्ठभूमि में थी। वह ऐसा कह सकते हैं। वह यह भी कह सकते हैं कि उन्हें पेट्रोल की कीमतों में विश्वव्यापी वृद्धि का सामना करना पड़ा। वह यह भी कह सकते हैं कि दक्षिण-पश्चिमी मानसून में इस बार 13 प्रतिशत की कमी रही। वह यह कह सकते हैं कि व्यापार में स्पष्टत: कमी के कारण नये निवेश में बहुत अधिक कमी आयी है। कहने को तो उनके पास अनेक बातें हो सकती हैं।

लेकिन महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके पूर्ववर्ती मंत्री को भी इस तह की कई दुष्कर समस्याओं का सामना करना पड़ा था जैसे पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अमरीका और जापान द्वारा लगाया गया आर्थिक प्रतिबन्ध, उड़ीसा का महाचक्रवात, गुजरात का विनाशकारी भूकंप, शताब्दी का सबसे भयावह सूखा और पूर्वी-एशियाई देशों में आर्थिक संकट। इनके पूर्ववर्ती मंत्री को इन सभी संकटों का सामना करना पड़ा था। इसलिए, 8.5 प्रतिशत की विकास दर कोई कल्पना नहीं अपितु एक वास्तविकता है। यह सब कैसे संभव हो सका? ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि रा.ज.ग. के पास श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक नेता, एक स्वपनदृष्टा और एक राजनेता था जोकि भारतीय पुनर्जागरण का अगुआ और सुदृढ़ भारत का पथप्रदर्शक है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी उस 21वीं सदी के संदेशवाहक कहे जा सकते हैं जो भारत के नाम होने जा रही है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे ही एक नेता ...*(व्यवधान)*। अटल जी एक ऐसे प्रधान मंत्री थे जो अपनी हस्ती का एहसास कराते थे। उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता था। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि अमुक निर्णय उनकी गैर-मौजूदगी में लिया गया। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि इस निर्णय के पीछे किसी और का हाथ है। उन्होंने ऐसी बातें कभी नहीं कहीं। काम के मामले में वह बहुत ही सख्त थे और उन्होंने कई कठोर निर्णय भी लिए। लेकिन यह सरकार कठोर निर्णय लेने में पूरी तरह अक्षम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सरकार के कई सहयोगी दल अत्यधिक पुरातन सोच के हैं। ये लोग अर्थात् वामपंथी दल हर किसी से ईष्या रखते हैं। ये इस देश को अंधकार की ओर ले जाने वाले लोग हैं। इनकी पहचान ऐसे ही वाक्यों से की जाती है। ये वामपंथी भारत को पश्चिम बंगाल बना देना चाहते हैं। जिस तरह इन्होंने पश्चिम बंगाल का बुरा हाल किया है वैसे ही ये भारत का हाल भी कर देना चाहते हैं। सरकार को इनकी बातों में नहीं आना चाहिए।, ये देश को अंधकार की ओर ले जाने वाले अग्रदूत हैं। मेरा आप से यही निवेदन है। हम केवल कठोर निर्णयों द्वारा ही चाहे यह सरकारी क्षेत्र में विनिवेश का मामला हो ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, आपके पास बहुत कम समय है।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस सदस्य को मुझसे पहले बोलना था, वह नहीं बोला है। इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे अधिक समय मिलेगा।

सभापति महोदय: आप केवल अपनी मुख्य-मुख्य बातें ही कहें।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं अपराह्न 5.00 बजे उत्तर दूंगा। क्या आपने यह बताया है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हां, मैंने इस बारे में सबको एक बार फिर से याद दिला दिया है।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: इसलिये चाहे सरकारी क्षेत्र में विनिवेश की बात हो, राजसहायता को युक्तिसंगत बनाये जाने की बात हो, चाहे अधिकाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लाने की अथवा इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की बात हो, अटल जी में इतना साहस था कि उन्होंने आर्थिक सुधारों की खातिर उक्त सभी निर्णय लिए। जब कभी किसी के द्वारा कोई कठोर निर्णय लिया जाता है तो समाज का कोई न कोई वर्ग उससे प्रभावित होता है यदि आप शराब की दुकानें बंद करवायेंगे तो कोई न कोई तो उससे प्रभावित होगा ही। यदि आप वेश्यावृत्ति समाप्त करते हैं, तो भी कोई तो उससे प्रभावित होगा ही। औषधि कड़वी होती है। लेकिन महोदय, अंतत: कठोर निर्णय देश के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी साबित होते हैं।

मैं पूरी तल्लीनता से माननीय सदस्य श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाषण सुन रहा था। वह एक के बाद एक आंकड़ों का हवाला दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह सरकार ने पेयजल, सर्व शिक्षा अभियान, ग्रामीण सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं इत्यादि के लिए बढ़ी हुई धनराशि आवंटित की है। उनके कहने से ऐसा लग रहा था जैसे कि राजग सरकार ने इन सबके लिए कुछ भी नहीं किया। मैं पूछता हूं कि क्या यह सरकार एक भी ऐसी नयी परियोजना का नाम ले सकती है जिसे उसने शुरू किया हो। यह सरकार पुरानी परियोजनाओं का नाम बदलकर, उसमें थोड़ी अधिक धनराशि देकर यह कह देती है कि यह गरीबों के लिए हैं। मैं आपको राजस्व प्राप्तियों का उदाहरण देता हूं। इसे माननीय वित्त मंत्री ने परिचालित किया है। वर्ष 2003-04 में वास्तविक राजस्व प्राप्तियां 2,63,878 करोड़ रुपये की थीं।

वर्ष 2005-2006 के लिए बजटीय अनुमान 3,51,200 करोड़ रुपये था। इसलिए 2003-04 से 2005-06 के बीच लगभग 87000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। सरकार इस पैसे से क्या करेगी? स्वाभाविक रूप से वह इस पैसे का प्रयोग किसी न किसी योजना में करेगी। फिर, यह सरकार कहती है कि वह गरीबों की मसीहा है। उदाहरण के लिए हम "दि इंप्लीमेंटेशन आफ बजट अनान्समेंट" पुस्तक को लेते हैं। इसमें लिखा है कि पहला चार्ज गरीब लोग लेंगे, गरीब लोग शिक्षा चाहते हैं, गरीब लोग पेयजल चाहते हैं, गरीब लोग अपने बच्चों के लिए नौकरी चाहते हैं, इत्यादि। यहां आप इसके अर्थ समझें। अब माननीय वित्त मंत्री जी क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि ये लोग, ऐसे लोग जो मेरी तरह हैं जो उड़ीसा, जैसे समृद्ध राज्य से हैं वे टाटा और बिड़ला के ऐजेंट हैं और केवल सत्तासीन लोग ही गरीबों के प्रतिनिधि हैं।

एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजीव गांधी के शासनकाल के अंतिम वर्ष के दौरान सात प्रतिशत विकास दर थी, वे कुछ इस ढंग से कह रहे थे जैसे कि विक्रमादित्य युग के बाद भारतीय इतिहास में केवल राजीव गांधी का शासन काल ही स्वर्ण युग कहा जा सकता है। यदि राजीव गांधी का शासन काल स्वर्णकाल था, तो उनके बाद प्रधानमंत्री बने श्री चन्द्रशेखर ने देश में विदेशी मुद्रा लाने के लिए सोना गिरवी क्यों रखा? ऐसा इसलिए था क्योंकि कांग्रेस ने 1980 से 1990 तक के अपने दस वर्षों के शासन काल में वित्तीय कुप्रबंधन का उदाहरण पेश किया, और यह कांग्रेस शासन का सबसे अच्छा शासन काल था। इस तरह कांग्रेस के शासन का कुल लेखा-जोखा यही है। यह सब कांग्रेस सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण हुआ। और इसी कारण उत्तरवर्ती सरकार को विदेशी मुद्रा के एवज में सोना गिरवी रखना पड़ा। गरीबी का महिमामंडन काफी हो चुका है। ये लोग हर समय गरीब, गरीब, गरीब चिल्लाते रहते हैं। वे इसी तरह से उल्टी-सीधी बातें करते रहते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें जनादेश मिला है। लोक सभा में 145 सांसदों वाली पार्टी यह कह रही है कि उन्हें सरकार बनाने का जनादेश मिला है। यह जनादेश नहीं है। यह पूरी तह से संख्या का खेल है। इन लोगों ने इधर-उधर से कुछ दलों को जोड़कर सरकार बना ली है और अब कहने लग गये हैं कि इन्हें जनादेश मिला है। इस देश के लोग धीर-धीरे इस बात को समझने लग गये हैं। आगे वह इस बात को अच्छी तरह से समझ जायेंगे।

देश में निवेश की आवश्यकता है। लेकिन इसमें कई बाधाएं हैं। माननीय वित्त मंत्री को इस बात की पूरी समझ है। मुझे पता है कि वह उदारीकरण के पक्षधर हैं। उन्होंने अपनी "मिड ईयर रिव्यू" नामक पुस्तक में कहा है कि जब तक देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतप्रर्वाह नहीं होता, तब तक आठ प्रतिशत की विकास दर संभव नहीं है। कृपया आप इसे देखें। कृपया यह देखें कि भारत में किस तरह बचतें, जो 28.1 प्रतिशत तक पहुंच गयी बतायी जा रही हैं, जबकि यह सच नही है क्योंकि इस वर्ष केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने इसकी समीक्षा करने की बात कही है—क्या सीमा और अधिक बढ़ सकती है।

सरकार कृषि की बात कर रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यह देखे कि कृषि बाजार को कैसे खोला जा सकता है और एक राज्य से दूसरे राज्य में कृषि उत्पादों को कैसे पहुंचाया जा सकता है। आप यह देखें कि इसे सुगम कैसे बनाया जा सकता है और यह कैसे संभव हो सकता है। हमें यह भी देखना है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्नों को ले जाने की अनुमति देने के लिए राज्यों को कैसे प्रोत्साहित किया जाये। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

जहां तक वैट की बात है, मैं इसके पक्ष में हूं। हमारी पार्टी भी इसके पक्ष में है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वैट लागू करने के पहले, व्यापारियों के बीच वैट को लेकर जो आशंकाएं है, उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री जी यह सोच रहे हैं कि यदि तीन वर्षों की अवधि में ग्रामीण ऋण को दोगुना कर दिया जाता है, तो संभवत: कृषक आत्महत्या नहीं करेंगे। अपनी पार्टी के 'तथ्यान्वेशी मिशन' के एक सदस्य के रूप में मैं आंध्र प्रदेश गया था। वहां मैंने ऐसी करीब 25 विधवाओं से बात की थी जिनके पतियों ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने बताया उन्होंने ऋण बाहर से लिया था। आत्महत्या का कारण क्या हो सकता है? कारण यही था कि उनके 'बोरवेल' से पानी नहीं निकला। किसानों ने पैसा उधार लेकर बोरबेल बनावाये लेकिन बोरवेल से पानी नहीं निकला। इसका उधार लेने से कुछ भी लेना-देना नहीं है। बुनकरों ने भी आत्महत्यायें इसलिए की क्योंकि उनके पारंपरिक डिजाइनों की बड़ी-बड़ी कंपनियों ने नकल कर ली थी। और इसके बाद वे बहुत ही कम दामों पर प्रिंटिड साड़ियां तथा कपड़े की दूसरी वस्तुएं बनाने लगे। वे ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमने दिखाया नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री खारबेल स्वाईं: तीसरी बात यह है ...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। जहां तक भारतीय कपास निगम का प्रश्न है तो मैं बताना चाहूंगा कि जब किसान कपास को बेचने के लिए उसे भारतीय कपास निगम लेकर गये तो उन्होंने उस कपास में से 50 प्रतिशत कपास को लेने से मना कर दिया। अत: सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय कपास निगम वास्तविक किसानों से ही कपास खरीदे। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बुनकरों के "पैटर्नों" और पुराने डिजाइनों' को पैटेन्ट किया जाए। मैंने पाया है कि प्रधानमंत्री द्वारा उस क्षेत्र का दौरा करने के बावजूद 25 विधवाओं में से एक भी विधवा को मुआवजा राशि नहीं मिली है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया शांत रहें।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इन सब को मुआवजा राशि दिलायें। अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाने से हम धीरे-धीरे घाटे की ओर बढ़ते जायेंगे। इस देश के लोग ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री खारबेल स्वाईं: इस देश के लोग पहले लोकप्रियता के हथकंडे अपनाते रहे हैं और अब उन्हें एहसास हुआ है और आगे भी वह पायेंगे कि इसके कारण उन्हें कितना अधिक नुकसान उठाना पड़ा है।

[अनुवाद]

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन (रामनाथपुरम): माननीय महोदय, धन्यवाद, वणक्कम।

"चित्रालुम एट्टालुम कथालुम कथा
बकुथालुम वल्ला तरासु"

ये पंक्तियां हमारे महान कवि तिरूवल्लुर की हैं, उन्होंने अपनी कविता "तिरूक्कुराल" में बताया है कि एक अच्छी सरकार क्या है और एक अच्छी सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए। हमारे हमान कवि तिरूवल्लुर के अनुसार हमारी सं.प्र.ग. सरकार अच्छा काम कर रही है। इस संबंध में मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री को एक विचारपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बजट प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक बधाई देती हूं जिसमें सं.प्र.ग. सरकार ने जनादेश के आधार पर राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के माध्यम से जनता के किए गए वायदे पूरे किए हैं।

बजट बनाने में अपनी सूझबूझ, अनुभव और विशेषज्ञता से सर्वाधिक लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। यह बजट आम आदमी पर केन्द्रित होने के साथ गरीबों का बजट है। बजट में गरीबी और बेरोजगारी पर सीधे प्रहार किया गया है। हमें प्रसन्नता है कि बेरोजगारी बढ़ने की अवधारणा को नामंजूर कर दिया गया है और इसके स्थान पर वित्त मंत्री ने कृषि, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण तथा सूचना और प्रौद्योगिकी जैसे चुनिंदा क्षेत्रों के माध्यम से अधिकतम संभावित सीमा तक रोजगार क्षमता का दोहन करने का प्रयास किया है। हमें 11,000 करोड़ रुपए के बढ़े हुए आबंटन से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू करने के लिए वित्त मंत्री की भी सराहना करनी चाहिए। इस संदर्भ में करोड़ों परिवारों को जीविका सुरक्षा मिलेगी।

मैं हार्दिक अनुरोध करती हूं कि रामेश्वरम सहित मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रामनाथपुरम को रोजगार गारंटी योजना में शामिल करने हेतु इस योजना का विस्तार किया जाए क्योंकि यह क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। मानसून न आने तथा उसके परिणामस्वरूप अलाभकारी कृषि रोजगार के अवसरों की कमी के कारण देश तथा विदेशों के अन्य भागों में स्थिति दूरस्थ शहरी केन्द्रों में लोगों का पलायन वर्ष दर वर्ष जारी है। इस तरह रोजगार गारंटी योजनाओं में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को शामिल करना पूरी तरह से औचित्यपूर्ण है।

[श्री एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरम]

मत्स्य उद्योग का केवल तटीय क्षेत्रों में नियमित रोजगार प्रदान करने का ही अत्यधिक महत्व नहीं है अपितु यह हमारे देश का विदेशी मुद्रा अर्जक भी है। लेकिन मछुआरों की दशा दयनीय है। उनका जीवन आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता संबंधी समस्याओं से घिरा हुआ है। मछुआरों के परिवारों में रोजी कमाने वाले दैनिक कार्यों में अत्यधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं।

आप सभी सुनामी तबाही से भली-भांति परिचित हैं जिसने हाल ही में देश को आघात पहुंचाया है तथा जिससे कई तरह की मुसीबतें आ गई हैं। मत्स्य उद्योग में अभी भी पुरानी प्रौद्योगिकी है तथा इस क्षेत्र में आधुनिक उपकरण और बुनियादी ढांचे का अभाव है। शीतागार परिवहन सुविधाएं अभी भी प्रारंभिक चरण में है।

अपराह्न 3.00 बजे

दीर्घावधिक स्वरूप की उनकी समस्याओं के अलावा उनकी दैनिक कार्य संबंधी समस्याएं अनेक और विकट हैं। सामूहिक दुश्मनी से उनकी समस्याएं और जटिल हो जाती हैं तथा उनका जीवन दयनीय हो जाता है। इस समय मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस उद्योग के बुनियादी ढांचे, विपणन और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का गहन अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञों और प्रशासकों सहित मात्सियकी के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त करने के बारे में विचार करे।

यह बजट केवल पुरुषों के लिए ही नहीं अपितु महिलाओं के लिए भी है। माननीय वित्त मंत्री ने देश का बजट बनाने के इतिहास में पहली बार केन्द्रीय बजट में एक संवेदनशील घटक शामिल किया है। उन्होंने अपना यह संकल्प भी व्यक्त किया है कि सभी विभाग जेंडर बजट तथा संभावित घटना विश्लेषण प्रस्तुत करें। संसद की महिला सदस्य के नाते मैं वित्त मंत्री के इस दृष्टिकोण को भारत में महिला सशक्तीकरण के प्रति एक स्मरणीय कदम का स्वागत करती हूं।

महोदय, मैं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के गठन का स्वागत करती हूं। जैसाकि इस योजना के अंतर्गत 170 जिलों की पहचान की गई है, मुझे आशा है कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सामानाथपुरम को इस सूची में शामिल किया गया होगा। यदि नहीं, तो मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि कृपया इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र, रामनाथपुरम को शामिल किया जाए क्योंकि यह बहुत पिछड़ा क्षेत्र है।

मैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए अधिक क्षेत्रों को इसमें शामिल किए जाने और बढ़ाए गए आबंटन का भी स्वागत करती हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सभी जिलों में समग्र स्वच्छता अभियान का विस्तार किया जा रहा है। इन दो कार्यक्रमों अर्थात् पेयजल और स्वच्छता का महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्व है और इसका उनके जीवन स्तर पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

हमें यह देख कर भी प्रसन्नता हुई कि बजट में हथकरघे को पुनर्जीवित करने हेतु समुदाय विकास दृष्टिकोण प्रस्तावित करके वस्त्र और हथकरघा क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न उपायों का उल्लेख किया गया है। मैं अनुरोध करती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हथकरघों के समेकित विकास के लिए हथकरघे की परम्परा के प्रसिद्ध परमाकुड्डी तथा अरूप्पूक्कोट्टई में ऐसे समुदाय स्थापित किए जाएं।

मैं, तिरूप्पुल्लानी, तिरूउत्तिराकोसा मंगाई, दूरवाडी दरगा तथा निकटवर्ती जिले शिवगंगा जो हमारे माननीय वित्त मंत्री का क्षेत्र है, में कलायार कोविल जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों सहित रामेश्वरम में हैरिटेज टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय आबंटन के लिए भी अनुरोध करती हूं।

रामेश्वरम हमारे देश की राष्ट्रीय अखण्डता का प्रतीक है। हमारे राष्ट्र के आध्यात्मिक मानचित्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यहां बंगाल की खाड़ी का उत्कृष्ट और शांत जल का विस्तृत क्षेत्र जल क्रीडाओं के लिए बहुत अच्छा स्थल है।

यह बजट कृषि उन्मुख है। कृषि अभी भी हमारे देश का प्रमुख उद्योग है। माननीय मंत्री ने एक करोड़ हेक्टेयर भूमि में सिंचाई कराने का अपना संकल्प व्यक्त किया है। यह प्रशंसनीय है लेकिन इसके लिए सभी जल स्रोतों जैसे टैंकों, जल संभरण और निकासी मार्गों का कायाकल्प किए जाने की आवश्यकता है।

रामनाथपुरम जिला और शिवगंगा जिला कृषि के लिए मुख्य रूप से टैंक सिंचाई पर निर्भर हैं। इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इन जिलों के व्यापक जल संग्रहण के उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए पर्याप्त और विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं हैं। मेरे विस्तृत निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सड़क सम्पर्क में सुधार किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और कृषि विपणन के लिए बुनियादी ढांचा बहुत खराब है। अतः, मैं सुनिर्मित सड़क नेटवर्क स्थापित करने के लिए विशेष धनराशि पैकेज प्रदान करने के लिए आग्रह करती हूं ...*(व्यवधान)*

'वीक' पत्रिका कहती है कि प्रत्येक बजट सपने दिखाता है विशेषरूप से श्री पी. चिदम्बरम का बजट सपने दिखाता है। मुझे आशा है कि सं.प्र.ग. सरकार निश्चित रूप से आम आदमी विशेषरूप से भारत के गरीब व्यक्ति के सपनों को पूरा करेगा। इस तरह हमारे माननीय वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र में शानदार काम किया है। हमें इस बात का गर्व है कि वे हमारे महान तमिलनाडु राज्य से हैं। यह सं.प्र.ग. सरकार की उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए मेरे विचार से सं.प्र.ग. सरकार के निर्माताओं, हमारी माननीय सोनिया जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, सं.प्र.ग. सरकार के सभी घटक दलों के नेताओं और विशेषरूप से हमारी द्रमुक पार्टी के सर्वाधिक सम्माननीय और उदार नेता डा. कैलंगर करूणानिधि को धन्यवाद देना मेरा परम कर्त्तव्य है।

[हिन्दी]

***श्री रेवती रमन सिंह** (इलाहाबाद): महोदय, भारत का बजट 2005-2006 एक ऐसा दस्तावेज है, जिसका सिर पैर समझना कठिन है। इस बजट में विषमतायें हैं और इसने जनसाधारण को संशय में डाल दिया है। संभवत: कोई ही ऐसा व्यक्ति या संस्था हो जिसने इसकी कड़ी आलोचना न की हो। स्वयं वित्त मंत्री जो हारवर्ड विश्वविद्यालय के विद्वान विद्यार्थी रहे हैं और एक परिपक्व अर्थशास्त्री हैं, कभी-कभी संशय में पड़ जाते हैं और बजट के प्रावधानों पर पुन: विचार करके उन्हें वापस करने की बात करने लगते हैं।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कुछ प्रावधानों पर आकर्षित करना चाहता हूं।

1. प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में पहले हम निगम कर को ही लें। वित्त मंत्री ने इस कर के नये प्रावधानों के अंतर्गत कर दर 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दी है, परन्तु इस पर सरचार्ज 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर अप्रत्याशित रूप से 10 प्रतिशत कर दिया है। इस पर भी 2 प्रतिशत शिक्षा उपकर बनाये रखा गया है। कुल मिलाकर निगम कर पर केवल 3 प्रतिशत की कमी की गयी है। उद्योग और व्यापार आशान्वित थे कि निगम कर पर पर्याप्त कमी की जायेगी। उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और सकल घरेलू उत्पाद में संतोषजनक एवं अर्थपूर्ण वृद्धि होगी। मैं नहीं समझता कि माननीय वित्त मंत्री के सकल घरेलू उत्पाद को आगामी वर्ष का प्राक्कलन वास्तव में प्राप्त हो सकेगा।

इसी प्रकार निगम कर के क्षेत्र में ह्रास की दर 25 प्रतिशत से घटाकर पहले वर्ष में 20 प्रतिशत और उसके पश्चात् 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव उद्योगों के लिए बिल्कुल हानिकर है। इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि प्रथम तो संचयित ह्रास निधि नये संयंत्र के मूल्य से कम होगी, जिससे उद्योग को नया संयंत्र लगाने में भारी व्यय करना पड़ेगा। इससे उनकी वित्तीय स्थिति एक दम गंभीर हो जायेगी। दूसरा, विपरीत प्रभाव उद्योगों पर यह पड़ेगा कि अधितरित लाभ कम हो जायेगी, विनियोग कम होगा और विकास भी कम होगा। इससे कंपनियों को भारी ब्याज पर पूंजी बाजार की शरण में जाना होगा।

यदि माननीय वित्त मंत्री ह्रास संबंधी अपने प्रस्तावों पर अड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें सरचार्ज की दर 2.5 प्रतिशत ही बनाये रखना चाहिए।

2. प्रत्यक्ष कर का दूसरा मुख्य स्रोत आयकर है। इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री के प्रस्तावों को इस परिपेक्ष्य में देखना चाहिए कि भारत में केवल 3 प्रतिशत व्यक्ति ही आयकर के अंतर्गत आते हैं। इस कारण इसमें कोई भी परिवर्तन प्रशासकीय काम बढ़ाने वाला होगा न कि सरकारी आय बढ़ाने वाला। वित्त मंत्री ने आय में कर छूट की सीमा बढ़कर एक लाख, वरिष्ठ नागरिक के लिए डेढ़ लाख और महिलाओं के लिए सवा लाख कर दी परन्तु, मानक कटौती का प्रावधान, जो लगातार कई सालों से चला आ रहा था और जो समय की कसौटी पर खरा उतरा था, निरस्त कर दिया गया। मानक कटौती के पीछे यह आधारभूत सिद्धान्त है कि व्यक्ति को आय अर्जित करने के लिए कुछ व्यय करना पड़ता है, जो कर मुक्त होना चाहिए। यह कहना संतोषजनक नहीं है कि सरकार ने आय में कर छूट की सीमा बढ़ा दी। कर छूट के पीछे सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न्यूनतम राशि की आवश्यकता प्रतीत होती है जो कर मुक्त होना चाहिए।

आय खंड में परिवर्तन करके कर दाताओं को अवश्य कुछ राहत देने का वित्त मंत्री का प्रस्ताव सराहनीय है, परन्तु बढ़ते मूल्यों और मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति में यह राहत केवल नाम मात्र की है।

प्रोविडेंट फंड तथा इंफ्रास्ट्रक्चर बोंड के माध्यम से आयकर में धारा 88 के अंतर्गत दी जाने वाली छूट को समाप्त करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि रु. 1 लाख की सीमा तक सरकारी समर्थित विनियोग आय से घटा दिये जायेंगे। वित्त मंत्री ने यह नहीं बताया कि जब यह राशि आहरित की जायेगी तब इस पर कर लगेगा कि नहीं। पूर्व प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार के विनियोगों का 20 प्रतिशत, जो घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया था, देय कर से घटाया जाता था।

वित्त मंत्री ने दो नये प्रत्यक्ष कर लगाने का प्रस्ताव किया है। यह है—पहला रु. दस हजार से अधिक के नगद आहरण पर कर

*भाषण सभा पटल पर रखा माना गया।

[श्री रेवती रमन सिंह]

तथा दूसरा उपान्त लाभ, कर। इन करों को लगाने का वित्त मंत्री ने केवल यह कारण दिया है कि कुछ विदेशों में यह कर लगाये जाते हैं और इससे काले धन पर रोक लगेगी। हर समझदार व्यक्ति ने इन करों का व्यापक विरोध किया है। इस विरोध के चलते वित्त मंत्री ने इस पर पुन: विचार करने का आश्वासन दिया है। यह हास्यास्पद है कि लोग काला धन बैंकों में रखते हैं और इस कर से उस पर रोक लगेगी। सह सर्वविदित है कि काला धन समानान्तर अर्थव्यवस्था का एक अंग है जो परोक्ष रहता है। प्रशासन की दृष्टि से सरकार के लिए संभव नहीं होगा कि प्रतिदिन होने वाले रु. दस हजार से अधिक आहरण का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त विभिन्न खातों से दस-दस हजार रु. का आहरण बिना सरकार के संज्ञान में लाये हुए सरलता से किया जा सकता है। यह ए.टी.एम. के कारण और भी सरल हो गया है और इसमें कर वंचना की संभावना बहुत है। इस देख-रेख में होने वाला व्यय इससे होने वाली कर आय से बहुत अधिक होगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान मूल्यों और मुद्रास्फीति की स्थिति में रु. दस हजार की राशि बहुत कम है। यह कर एक प्रकार का व्यय कर है—एक ऐसा व्यय कर जिसकी कल्पना व्यय कर की अभिधारणा के जन्मदाता इंग्लैंड को लोक वित्त के प्रोफेसर निकोलस कैल्डोर ने भी नहीं की।

उपान्त लाभ कर का रूप ही समझ में नहीं आ रहा है। कंपनी द्वारा प्रदत्त वेतन और उपान्त लाभ के बीच की रेखा बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो सकती है। वित्त मंत्री के अनुसार इसके अंतर्गत विक्रय प्रोत्साहन और विज्ञापन प्रचार आते हैं। इन्हें उपान्त लाभ का नाम कैसे दिया जा सकता है।

दोनों करों का औचित्य और तर्क लेशमात्र भी नहीं है।

सेवा कर एक और प्रत्यक्ष कर है, जिसका क्षेत्र वित्त मंत्री ने बढ़ाया है। पहले यह कर 58 सेवाओं पर लगता था। इस साल करीय सेवाओं की सूची में 10 सेवायें और जोड़ दी गयी हैं। दस प्रतिशत की दर से लगने वाला यह कर कर वंचना की अपार क्षमता रखता है और तो और उपभोक्ताओं से कर लेकर यदि सेवा देने वाला इसे सरकारी खजाने में जमा नहीं करे तो उस पर भी प्रभावशाली रोक नहीं है।

अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में बजट में कस्टम डयूटी को 5 प्रतिशत से कम करना और उत्पादन करों में विवेकीकरण करना ऐसी लगता है विश्व व्यापार संगठन के आदेशों के अंतर्गत किया गया है, किसी सोची-समझी नीति के अंतर्गत नहीं।

कर प्रस्तावों की दृष्टि से वित्त मंत्री के वर्तमान बजट में बहुत सी कमियां हैं।

बजट के व्यय पक्ष को देखने से पता चलता है कि वित्त मंत्री ने समझदारी से काम लेने का प्रयास किया है। रक्षा बजट में रु. 16000 करोड़ की वृद्धि करते हुए रु. 83000 करोड़ व्यय करने का प्रस्ताव है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 2.35 प्रतिशत है जो अन्य देशों की तुलना में कम है। वैसे भी रक्षा बजट में यह वृद्धि हमारी सरहदों को देखते हुए अधिक नहीं कहीं जा सकती। इसी तरह, ग्रामीण सेवाओं के विकास में पिछले बजट की तुलना में रु. 13,555.40 करोड़ से बढ़ाकर रु. 18353.87 करोड़ व्यय करने का प्रस्ताव जो गत वर्ष से 33 प्रतिशत अधिक है, सराहनीय है। इस बजट में भूमि सुधार के लिए अधिक राशि का प्रस्ताव भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल है, इसी प्रकार सामाजिक कार्यों पर अधिक राशि व्यय करने का प्रस्ताव स्वागत करने योग्य है।

वित्त मंत्री कृपया इस पर ध्यान देने का कष्ट करेंगे कि विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग एक सीमा तक के अंदर रहे। उन्हें चाहिए भारत के आंतरिक संसाधनों को अधिक से अधिक जुटाने के प्रयास करें। इसके लिए उन्हें यदि ब्याज की दरों को थोड़ा बढ़ाना पड़े तो संभवत: यह अर्थव्यवस्था के लिए हितकर ही होगा। इस प्रयोग को एक बार करके देखने में कोई हानि नहीं है।

बैंकों और बीमा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इतनी खुली छूट देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के लिए घातक हो सकती है। सहकारी बैंकों को बजाय निरूत्साहित करने के नियंत्रण प्रभावशाली बनाने की नीति अच्छे परिणाम दिखला सकती है। भारतवासियों की कठिन कमाई से की गयी बचत विदेशी बैंकों और बीमा कंपनियों के हाथ में सरलता से दे देना कहां तक भारतीय हितों की रक्षा करना कहा जा सकता है। इसी प्रकार भारतीय बैंकों और बीमा कंपनियों को समाहित और मजबूत करने के नाम पर विलयन उनके प्रशासन की दृष्टि से कहां तक उचित है इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।

वर्तमान बजट में अवविनियोगन नीति पर प्रकाश नहीं डाला गया है। इससे कुछ व्यापारिक क्षेत्रों में अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त रहा है। वित्त मंत्री को इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। बजट सरकार की वित्तीय नीतियों का एक प्रमुख दस्तावेज होता है। इसमें महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों की चर्चा होती है और संसद के माध्यम से जनता को विश्वास में लिया जाता है, न कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरणों को शासनादेशों के द्वारा निपटाया जाता है, ऐसा ही एक विषय है एयरपोर्ट के निजीकरण का। इस पर सरकार को संसद में चर्चा करनी चाहिए। यह विषय देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है।

ऐसा लगता है कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किये गये हैं जिनको बाद में जनसाधारण की मांग पर परिवर्तित किया जाये और जनता को यह मनोवैज्ञानिक संतोष मिले कि उनकी इच्छा का अनुपालन करते हुए वित्त मंत्री ने उदारता का परिचय देते हुए कुछ प्रावधानों को वापस ले लिया है। जनता की भावना का सम्मान किया है।

अभी हाल में भारत सरकार ने पांच करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मुहैय्या कराने की घोषणा की है। आश्चर्य होता है कि सरकार भी नौजवानों के साथ खिलवाड़ करती है। बजट में इन नियुक्तियों का कोई प्रावधान नहीं है। एक तरफ तो सरकार रोजगार दिलाने की बात करती है और दूसरी ओर नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है। इन विरोधी नीतियों के बीच हमारा नौजवान पिस रहा है। जब एन.डी.ए. सरकार दिल्ली के तख्त परर आसीन थी तब भी इस प्रकार की घोषणायें होती रहती थीं।

[अनुवाद]

***श्री डी. नरबुला** (दार्जिलिंग): मैं माननीय वित्त मंत्री, श्री चिदम्बरम द्वारा वर्ष 2005-06 के लिए प्रस्तुत सामान्य बजट का समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम, मैं माननीय वित्त मंत्री को लोकोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए उन्हें बधाई देता हूं। कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि महिलाओं के लिए कर ब्रैकेट एक लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1.5 लाख रुपये किया जा सकता है। इससे न केवल बड़ी संख्या में मध्यम आय वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचेगा बल्कि और लोग भी अपनी वार्षिक आय विवरणी दाखिल करने के लिए आगे आएंगे।

माननीय वित्त मंत्री ने वायदा किया है कि विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उदारतापूर्वक दिया जाएगा। 31 दिसम्बर, 2004 तक 2,249 करोड़ रुपये के 1,40,000 ऋण दिए गए।

अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 2 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचेगा। सं.प्र.ग. सरकार का विचार वर्ष 2005-06 के दौरान इसके अंतर्गत परिवारों की संख्या 2.5 करोड़ तक करने का है।

निम्न मध्यम आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के बच्चे स्कूल जाते हैं जहां उन्हें मिड-बडे मील योजना के अंतर्गत मिड-डे मील प्रदान किया जा रहा है। आज इस योजना के अंतर्गत ग्यारह करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। सं.प्र.ग. सरकार खाद्यान्न लागत तथा परिवर्तन लागत भी प्रदान कर रही है। अगले वर्ष के लिए आबंटन 3.010 करोड़ रुपये बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

यहां मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कई मामलों में इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि का उचित रूप से उपयोग नहीं हुआ है। इन प्राधिकारियों और ठेकेदारों के बीच भ्रष्टाचार व्याप्त है जिन्हें बच्चों को भोजन प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। मेरा सुझाव है कि सरकार को चौकस रहना चाहिए ताकि इस योजना को उचित रूप से क्रियान्वित किया जा सके और बच्चों को पूरा लाभ मिल सके।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, सं.प्र.ग. सरकार ने पिछले वर्ष 3057 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं और सरकार ने इस वर्ष आबंटन 4754 करोड़ रुपये बढ़ाया है। इस योजना से स्कूल में अधूरी पढ़ाई छोड़ कर जाने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट आई है। जो माता-पिता अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में जाने से रोकते हैं सरकार उन्हें सजा दिलाने पर भी विचार कर रही है।

इस कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु "प्रारम्भिक शिक्षा कोष" का सृजन किया गया है और माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2005-06 में इसके आबंटन को बढ़ाकर 7175 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है।

सं.प्र.ग. सरकार ने छात्रवृत्ति प्रदान करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का विशेष ध्यान रखा है ताकि इससे वे अपने शिक्षण शुल्क, रहने का खर्चा, किताबों तथा कम्प्यूटर आदि पर होने वाले खर्चों को पूरा कर सकें।

ये छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों को दी जायेंगी जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित उत्कृष्ट संस्थानों में प्रवेश मिलेगा।

चालू वर्ष के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत 31,355 ग्रामीण बसावटों को पेयजल की सुविधा प्रदान की गयी है। वर्ष 2005-06 के दौरान इसके अंतर्गत और बसावटों को कवर किया जाएगा तथा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल और अन्य राज्यों में लगभग 2.16 लाख बसावटों में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी इस मिशन के परिव्यय में अगले वर्ष 4750 करोड़ रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव करते हैं। पेयजल के मामले में, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं, यद्यपि दार्जिलिंग में वर्ष के छह महीने वर्षा का मौसम रहता है परन्तु इस जिले के लोग पिछले 50 वर्षों से पेयजल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं । अब मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की इस समस्या के समाधान के लिए सं.प्र.ग. सरकार ने कुछ प्रयास शुरू किये हैं। माननीय जल संसाधन मंत्री ने पश्चिमी बंगाल सरकार की दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजा है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से यह आग्रह है कि एक बार स्वीकृति मिल जाने के बाद उपरोक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु उसी वित्तीय वर्ष के दौरान निधियां आबंटित की जाएं ताकि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की इस पुरानी समस्या के समाधान में सहायता मिल सके।

सं.प्र.ग. सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने की तरफ ध्यान दिया है। वर्तमान में 452 जिलों में स्वच्छता सुविधाओं का प्रसार किया जा चुका है और अब सरकार की मंशा

[श्री डी. नरबुला]

सभी जिलों में स्वच्छता सुविधाओं के प्रसार की है और इसके लिए 630 करोड़ रुपयों का आबंटन अगले वर्ष के दौरान किया जाएगा। इस निर्णय का स्वागत करते हुए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि दार्जिलिंग के समान देश के ग्रामीण और पिछड़े जिलों में इस कार्यक्रम का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

सं.प्र.ग. सरकार ने बागान क्षेत्र की समस्याओं को समझा है। सरकार ने इस क्षेत्र में सुधार लाने संबंधी सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। चाय की उत्पादकता में गिरावट के कारण चाय उद्योग को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार इस क्षेत्र में व्यापक सुधारों का पुन: नवीकरण के साधनों और उपायों की जांच करने के संबंध में एक कार्यक्रम लागू करने जा रही है। मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चाय बागानों से घिरा हुआ है। यहां काफी मात्रा में निर्यात के उपयुक्त दार्जिलिंग की चाय का निर्यात करके काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जाता है परंतु प्रति किलोग्राम 1 रुपए का अधिभार उत्पादकों को भारी प्रतीत हो रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस अधिभार को समाप्त करने के प्रस्ताव हेतु उनका अभिनंदन करता हूं इससे उत्पादन लागत को घटाने में तथा चाय उद्योग की वर्तमान स्थिति को सुधारने में सहायता मिलेगी और चाय की हरी पत्तियों को तोड़कर अपनी आजीविका कमाने वाले गरीब वर्ग को राहत प्रदान की जा सकेगी।

मैं माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा परिष्कृत खाद्य तेल पर 1 रुपया प्रति किलोग्राम तथा वनस्पत्ति पर 1.25 रुपए प्रति कि.ग्रा. के उत्पाद शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव लाने पर भी उन्हें बधाई देता हूं। माननीय वित्र मंत्रीजी ने घरेलू उपयोग की रसोई गैस पर लगाये गए उत्पाद शुल्क को हटाने व मिट्टी के तेल विकल्प के रूप में इसे लाने पर उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिये जाने का भी प्रस्ताव किया है। इससे निम्न आय वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी।

सं.प्र.ग. सरकार ने मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को काफी राहत प्रदान की है अत: यह एक लोकोन्मुखी बजट है और मैं वर्ष 2005-06 के लिए इस लोकोन्मुखी बजट का स्वागत करता हूं और माननीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री तथा सं.प्र.ग. की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को बधाई देता हूं।

सभापति महोदय: अब श्री किन्जरपु येरननायडु—अनुपस्थित। श्री राजेश वर्मा।

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): सभापति महोदय, मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यू.पी.ए. सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने लोक सभा में जो अपना बजट प्रस्तुत किया, वह निश्चित रूप से पूरे देश में सराहा गया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बजट भाषण में या बजट प्रस्तुतीकरण में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, उनसे निश्चित रूप से यह परिलक्षित होता है कि बजट कहीं न कहीं विभिन्न दलों के दबाव में पेश किया गया है। यह स्वाभाविक भी है। यू.पी.ए. सरकार कई दलों के समर्थन से चल रही है और कई दलों के दबाव में बजट में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है।

मैं वित्त मंत्री जी की सराहना करना चाहूंगा कि आयकर में एक लाख रुपए तक की सीमा में जो छूट दी गई है, उससे निश्चित रूप से कम आय वर्ग के लोगों को राहत मिली है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बैंक से 10,000 रुपये की निकासी पर जो टैक्स लगाने की बात कही गई है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक आम काश्तकार जो अपने एकाउंट से पैसा निकालने जाता है, अगर उसे अपने खेत में खाद डालनी है, बीज लेना है, तो अगर वह 10,000 रुपए निकालेगा, तो उसे दस रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यह जो आपने 10,000 रुपए पर दस रुपए टैक्स देने की बात कही है, यह व्यावहारिक नहीं लगती। मैं मांग करता हूं कि इसमें आप सुधार करें।

लघु उद्योगों के लिए अपने तीन करोड़ रुपए तक की सीमा को बढ़ा कर चार करोड़ रुपए तक करने की बात कही है, मैं उसका स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में खेती की गई चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही है, जो सराहनीय है। जैसे विदेशी फूलों पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इससे हमारे देश में फूल का उत्पादन करने वाले लोगों को निश्चित रूप से एक मोरल सपोर्ट मिलेगी। इससे हमारे देश में विभिन्न प्रकार के फूलों का उत्पादन होगा। किसानों को अपनी फसल तैयार होने के बाद उसे औने-पौने दामों में बेचना पड़ता है। उसके लिए भी मंत्री जी ने अपने बजट में व्यवस्था की है, जिससे उन्हें अपनी फसलों का सही मूल्य मिल सके। मैं इसका भी स्वागत करता हूं।

मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान पैरा नम्बर 67 के अंदर लघु उद्योग के बारे में उल्लेख किया था। मैं उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूं-

"लघु उद्योग अभिवृद्धि का साधन है और इसे माना भी जाना चाहिए। इसी के साथ लघु उद्योगों की इकाइयों के माध्यम उद्यमों के रूप में बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। लघु

और मध्यम उद्यमों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पूरे विश्व में नीतियां बनाई गई हैं। इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग मंत्रालय ने 85 मदों की पहचान की है जिन्हें आरक्षित सूची से सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सकता है। इससे भी बढ़ कर, यह महसूस किया गया है कि लघु उद्योग इकाइयों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन एक प्रतिस्पर्धी वातावरण में व्यवसाय करने की अत्यावश्यक जरूरत है। मैंने पूंजी सब्सिडी योजना की पुनरीक्षा की है और मैं इस योजना के अंतर्गत उच्चतम सीमा 40 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। सब्सिडी की दर भी 12 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत की जाएगी। इस योजना में और उपक्षेत्रकों तथा सहायता के लिए पात्र प्रौद्योगिकियों को जोड़ कर इसके क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। लघु उद्योग इकाइयों को क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुझे आशा है कि इन उपायों से अनेकानेक लघु उद्योग इकाइयां इस पुन:संरचित योजना से लाभ उठाएंगी। ''लघु उद्योग योजना को बढ़ावा'' देने के लिए 135.24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और उस राशि के अंतर्गत पूंजी सब्सिडी योजना हेतु निधियां मिल सकेंगी।''

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपने जो पैरा 67 में इस चीज का उल्लेख किया था। मुझे जानकारी हुई है कि आपके द्वारा लघु उद्योग योजना को बढ़ावा देने के लिए 135.24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत पूंजी सब्सिडी योजना के लिए निधि आवंटित की जानी चाहिए थी। लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तक इस बारे में कोई दिशा-निर्देश वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकों को नहीं दिये गये हैं, जिससे लघु उद्योगों को लाभ नहीं मिल सका। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पिछले बजट भाषण में आपने जो घोषणा की थी, उसमें सुधार करने का काम करें। जो ग्रामीण स्तर की सड़कें हैं उनको यथावत जारी रखने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। पिछली एनडीए सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत यह महत्वाकांक्षी योजना लागू की थी। यू.पी.ए. सरकार द्वारा इसे यथावत जारी रखते हुए पिछले वर्ष घोषणा की गयी थी कि यह योजना जारी रहेगी। इसके अंतर्गत सांसदों को सड़कों के निर्माण में सहायता मिलती है और वे अपने क्षेत्र में कह सकते हैं कि मेरे प्रस्ताव से सड़क बन रही है। लेकिन इस वर्ष आपने ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मात्र 500 करोड़ रुपये बढ़ाने का जो प्रावधान किया है वह ''ऊंट के मुंह में जीरा'' साबित होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि इसमें जो 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इसे बढ़ाने पर जरूर विचार करें, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जब लोगों का आवागमन बढ़ेगा तो उनकी आय भी बढ़ेगी और किसानों को सुविधा मुहैया होगी।

पेय जल योजना के अंतर्गत आपने व्यवस्था दी है कि हम तमाम गांवों को पेय जल योजना से लाभान्वित करेंगे। मैंने व्यावहारिक रूप से देखा है कि जितने भी सांसद हैं, उनके क्षेत्रों में जितने भी हैंडपम्प लगे हुए हैं, उसमें से 50 प्रशित से ज्यादा खराब हैं। सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना चालू की जानी चाहिए और प्रदेश सरकारों को निर्दिष्ट करनी चाहिए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा या हमारे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो पैसा प्रदेशों को दिया जा रहा है, एक कानून बनाकर, उन नलों को ठीक करा दें, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके।

'काम के बदले अनाज योजना' में आपने प्रावधान किया है कि हम बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएंगे। जब आपने इस महत्वाकांक्षी योजना को चालू करने का काम किया है तो आप इसकी मानिटरिंग की भी व्यवस्था करें। योजना तो चालू की जा रही है लेकिन काम को मशीनों के द्वारा कराया जा रहा है। आपका जो सपना है कि 'काम के बदले अनाज' देकर रोजगार मुहैया करा रहे हैं तो मशीनीकरण के द्वारा काम कराने से हमारे रोजगार के ऊपर फर्क पड़ रहा है। इस पर भी वित्त मंत्री जी ध्यान देंगे। समय कम है, इसलिए मैं इसको आपके सामने लिखित रूप में प्रस्तुत कर दूंगा। मैं समझता हूं कि यह मेरी कार्यवाही में शामिल हो जाएगा।

सभापति महोदय: ठीक है,

[अनुवाद]

आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा: *महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में बहुत-सी सुविधाएं दिए जाने तथा राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रयास किया है। लेकिन दु:ख की बात है कि देश के दलित एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है। दलित एवं पिछड़े समुदाय के कल्याण के लिए जितना धन आवंटित किया जाना चाहिए था, वह उसके अनुरूप आवंटित नहीं किया गया है। जो दलित और पिछड़े समुदाय के साथ अन्याय है। देश में केरोसिन, चावल, सब्जी, दूध, पेट्रोल, डीजल, घर, खाने-पीने की वस्तुएं, दवाएं और शिक्षा महंगी हो रही हैं, लेकिन कंप्यूटर और कार जिनका देश के गरीब एवं दबे-कुचले वर्ग से कोई संबंध नहीं, वे सस्ती हो रही हैं।

आगामी माह से पूरे देश में ''वैट'' लागू होगा। लेकिन राज्यों को व्यापार कर के बदले में वैट कर लगाने से जो घाटा होगा उसकी भरपाई किस मद में होगी, इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

---

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री राजेश वर्मा]

'काम के बदले अनाज' योजना में मशीनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। बीपीएल लोगों के लिए जो राशन मुहैया कराने की व्यवस्था है, उसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अनेक प्रदेशों में व्यापक पैमाने पर रैकेट चल रहे हैं जो कि बीपीएल अनाज को सीधे मार्केट में फ्लोर एवं राइस मिलों को बेचने का काम कर रहे हैं।

*डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2005-06 का आय-व्यय अत्यंत ही उपापोह भरा एवं विसंगतियों से परिपूर्ण है। कल्पनाएं अधिक हैं, किंतु उन्हें मूर्त रूप देने की दिशा में जो कार्य योजना या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उनसे ऐसा लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी किसी भ्रमजाल में हैं। देश में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है इसको कम करने के प्रभावी उपायों के बजाय कतिपय राज्यों को विशेष पैकेज देकर अन्य पिछड़े राज्यों को हतोत्साहित किया है जिनमें मध्य प्रदेश भी ऐसा ही राज्य है, जिसे बड़े आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। प्रस्तुत बजट में विभिन्न ऐसे उद्योगों के बारे में जिनकी स्थिति अत्यंत विचारणीय हैं, कोई विशेष प्रावधान न किये जाने से जहां मजदूरों में असंतोष बढ़ेगा श्रमिक परिवार पीड़ित होंगे वहीं देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव की निरंतरता बनी रहेगी।

आज सीमेंट उद्योग की क्या स्थिति है, करोड़ों की सम्पत्ति जो सीमेंट इकाइयों में लगी हैं, बेकार हो रही हैं। अच्छी मशीनरी के साथ खड़ी इकाइयां, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल की इकाइयां हैं, प्रमुख हैं। चीनी उद्योग को ठीक किये जाने के प्रयास प्राय: नगण्य हैं और चीनी की खपत के अनुपात में उत्पादन कम हो रहा है। चीनी उद्योग में लगा करोड़ों रुपया बरबादी के कगार पर है। यदि हम वस्त्र उद्योग को लें तो उसकी भी दशा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा व खुले बाजार में प्रवेश की स्थिति बनने पर भी ठीक नहीं है। राष्ट्रीय सम्पत्ति हानि के कगार पर है। इसी क्रम में यदि जूट, चाय, चमड़ा या इस्पात उद्योगों को लें तो उनकी भी यही दशा है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इन उद्योगों के नवीकरण व पुनर्जीविकरण हेतु निवेदन करते हुए कहना चाहूंगा कि कृपया देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में भारी योग देने वाले इन उद्योगों की तरफ अधिकाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, कतिपय सामान्य घोषणायें अपर्याप्त हैं।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने भारत निर्माण की बात अपने भाषण में कही है किंतु देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योग देने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में और उस दृष्टि से ग्रामीण उद्योगों की अधिकाधिक स्थापना कर, उनको पर्याप्त धनराशि आबंटित किया जाना व तद्नुसार एक व्यापक ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम या योजना जिससे ग्रामीण रोजगार भी जुड़ा है पर विचार किया जाना आवश्यक है। बजट में केवल उनका उल्लेख मात्र पर्याप्त नहीं है। कृषि एक उद्योग के समकक्ष देश की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में अपना महत्व रखती है। किंतु, बजट में कृषकों के व्यापक हितों की दृष्टि से उन्हें समय में बिजली की उपलब्धता हो, सिंचाई के साधन या सिंचाई उपलब्ध हो, अच्छा खाद, बीज मिले व उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिले। उनकी फसलों का बीमा हो, ताकि प्राकृतिक प्रकोप की मार से किसान राहत पा सकें। किसान आत्महत्या पर बाधित न हो। प्राय: दो तीन राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में बिजली का संकट है, इसके समाधान की दृष्टि से तात्कालिक व दीर्घकालीन योजनाएं बनायी जाकर तद्नुसार धनराशि प्रस्तावित की जानी थी। पिछली एन.डी.ए. सरकार द्वारा इस संबंध में एक योजना प्रस्तावित की गयी थी, उसका क्या हुआ। बिजली से उद्योगों को जहां लाभ मिलेगा वहां किसानों को बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। आज भी देश के कतिपय भागों में हजारों गांवों में बिजली उपलब्ध नहीं है। गांव भी बिजली की रोशनी पा सके इस हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना की आवश्यकता है। आवासीय क्षेत्र में यद्यपि पिछली एन.डी.ए. सरकार ने इस दृष्टि से प्रतिवर्ष लाखों मकान बनाने की योजना तैयार कर कार्यवाही प्रारंभ की थी ताकि न केवल आवासहीनों को आवास उपलब्ध हो अपितु झुग्गी-झोपड़ी वाले भी अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अन्यथा उन आवासहीनों को न जाने कब तक फुटपाथों पर रेलवे ब्रिजेज पर या ओवर ब्रिजेज अथवा बड़े पाइपों में ही अपनी रात गुजारनी होगी। महिलाओं, अनूसूचित जनजाति के लिए जो कदम प्रस्तावित हैं, अपर्याप्त हैं।

कृषि की दशा देखें तो, विश्व व्यापार संगठन, वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति होने के कारण चिंताजनक बनी हुयी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता दायरा हमारी अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रहा है। जिसका सक्षमता से मुकाबला करने की दृष्टि से बजट प्रस्तावों में सुदृढ़ और सुनिश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। प्रस्तुत बजट पर विचार करने पर ऐसा लगता है कि इसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि अथवा प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि की जो बात सोची गयी है वह कल्पना मात्र रह जायेगी। मुद्रास्फीति न बढ़े अच्छा है किंतु लक्षण ऐसे नहीं हैं। महंगाई बढ़ने से रोकना वित्त मंत्री जी के बस में नहीं है वे विवश हैं। अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने में वे दृढ़ता तो बताते हैं किंतु क्षमता इस बजट में नहीं दिखायी देती। स्वदेशी जागरण की जरूरत है। हमारे ग्रामीण उद्योग इससे पनपेंगे। बेरोजगारी के कारण शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर हैं। कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल मजदूर आज मजबूर हैं। कारखाने बंद हो रहे हैं आजीविका का प्रश्न यक्ष प्रश्न की तरह सामने खड़ा है। गरीबी हटाने का नारा विचार एक नारा मात्र रह गया है। इसको संकल्प के रूप में लिया जाना चाहिए। गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराध भी बढ़ेंगे और असुरक्षा भी बढ़ेगी। समाज में

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वैमनस्य होगा और आम आदमी असुरक्षित तथा भयग्रस्त या चिंताग्रस्त होगा। क्या हम किसी ऐसे भारत के निर्माण की कल्पना कर रहे हैं, या जो भारत विश्व की एकता के लिए विश्व में समृद्धि और शांति के लिए प्रतिष्ठित था, अग्रणी था। वैसे महान भारत की कल्पना जो स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो विश्व गुरू के रूप में ख्यात था, वैसे भारत का निर्माण हम चाहते हैं। महर्षि अरविन्द, महात्मा गांधी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भारत के निर्माण की हमारी कल्पना है आज हमारी शिक्षा की स्थिति क्या है। व्यवसायिकता का रूप ले लिया है, सर्वशिक्षा अभियान तेज हो यह जरूरी है। पूर्व सरकार द्वारा शिक्षा उपकर लगाया गया था ताकि शिक्षा सुलभ हो किंतु, वसूला गया शिक्षा उपकर भी सरकार खर्च नहीं कर सकी आज गरीब अच्छी शिक्षा सुविधा से वंचित है। विद्यालयों में सभी बालकों के लिए विशेष सुविधायें जरूरी हैं। मध्याह्न भोजन व्यवस्था ठीक हो। चिकित्सा क्षेत्र की हालत तो और भी खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-दूर तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। पूर्व सरकार द्वारा दिल्ली के एम्स की तरह अन्य राज्यों में भी एम्स स्थापित किये जाने की घोषणा के साथ-साथ स्वीकृतियां भी दी थी, उनकी क्या स्थिति है। वह कार्य आगे क्यों नहीं बढ़ाये गये।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक को चिकित्सा सुविधा मिले, इस हेतु एक विस्तृत कार्य योजना की आवश्यकता है। औषधियों की बढ़ी कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। हमने आयुर्वेद के प्रोत्साहन की दृष्टि से कोई विशेष कार्य नहीं किया। आज अमेरिका, जर्मनी और जापान हमारी मुसली, करंज, नीम, शतावरी, तुलसी व अन्य पादपों का औषधियों के लिए पेटेंट करा रहे हैं। हम मूकदर्शक हैं, कृपया सोचें। पिछली सरकार द्वारा पेयजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में जो योजनाएं शुरू की गयी थी, उन पर भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है। दूरसंचार के क्षेत्र में यद्यपि कुछ प्रगति हुयी है, किंतु आज हजारों गांव इस सुविधा से वंचित हैं, उनको भी सुविधा मिले।

परिवहन सुविधा और भारत के गांव-गांव को जोड़ने की दृष्टि से प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शुरू किया गया था। कार्य अच्छा चल रहा था, इस हेतु डीजल, पेट्रोल पर लगाया टैक्स वसूला भी गया पर आपकी सरकार उसका भी उपयोग पूरा नहीं कर सकी। क्या हुआ स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का। क्यों कार्य में प्रगति नहीं है।

वित्तीय क्षेत्र में बैंकों की कार्यकुशलता पर भी प्रश्नचिह्न है। अच्छा कार्य निष्पादित करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक व सहकारी बैंकों को एक दूसरे में विलय की चर्चा है कतिपय बैंक बंद हों यह भी चर्चा है, यह उचित नहीं है। उनके कार्यकरण को सुधारने की आवश्यकता है।

हम आयात और निर्यात को संतुलित करना चाहते हैं, किंतु जो हो रहा है, वह इसके विपरीत है। निर्यात-आयात की तुलना में कम है, जिसे बढ़ाने की संभावनायें बहुत हैं। हमारा नकली आभूषण उद्योग, रत्न उद्योग, चमड़ा उद्योग, मसाला उद्योग ऐसे हैं, जो निर्यात प्रधान हैं, इन्हें संरक्षण की जरूरत है। देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो हम सभी यह चाहते हैं। जिससे क्षेत्रीय असंतुलन, जातीयता, क्षेत्रीयता के विचारों में परिवर्तन हो, इनसे ऊपर उठें आज सामाजिक सद्भाव की कमी है और इस सबका कारण गरीबी, अशिक्षा देश की बढ़ती हुयी जनसंख्या है। उक्त दृष्टि से बजट को अत्यधिक समाजोत्कर्षमुखी बनाने की आवश्यकता है वह इसमें नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी अभी भी समय है, देश को नवनिर्माण की ओर ले जाइये अन्यथा देश में शांति, सद्भाव व स्थिरता का प्रश्न खड़ा हो जायेगा।

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग): सभापति जी, मैं बजट के सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। इस बजट में एक दिशा है, दृष्टि है, प्रकाश है और उस प्रकाश के तहत यह मजदूरों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनोरिटीज का बजट साबित हुआ है और सभी वर्गों के लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। जिस प्रकार से बजट में देश के नव-निर्माण की बात कही गयी है, उससे मुझे याद आता है वह दिन, जब देश के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ने देश के नाम संदेश दिया था। उसमें भी उन्होंने कहा था कि देश का नव-निर्माण करना है। उस नव निर्माण के तहत गरीबों, मजदूरों को एक साथ जोड़कर काम करने की बात कही थी। तब से आज तक देश ने तरक्की की है। जब देश ने आजादी प्राप्त की, देश में कुछ नहीं था लेकिन उस समय के प्रधान मंत्री ने जो आह्वान किया, उसके तहत देश के हर गरीब, मजदूर और महिलाओं ने इकट्ठे होकर काम किया। उसके कारण आज देश ऊंचे शिखर पर है।

मैं जानती हूं कि किस तरह से सूनामी की मार पड़ी। उसके बावजूद देश के लोगों ने सूनामी के तहत मदद करते हुए इस बजट को सराहा है। देश के नौजवानों को स्किल्ड ट्रेनिंग देने के लिए 100 आईआईटीज का आइडैंटिफिकेशन किया जिससे अपग्रेडेशन आफ स्किल हो। वे देश के लिए कुछ कर सकें और अच्छे भावी नागरिक बन सकें। हायर एजुकेशन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साईंस के लिए बैंगलोर को सौ करोड़ रुपया एडिशनल दिया गया है। एक नहीं अनेकों चीजों की सभी ने प्रशंसा की है। इसमें फूड फार वर्क की बात कही है। जब लोगों के पास काम होगा, अनाज मिलेगा, उससे बेरोजगारी खत्म होगी। नेशनल रूरल हैल्थ मिशन के तहत एम्स जैसे 6 और इंस्टीट्यूशन्स अगले वर्ष शुरू किए जाएंगे। अंत्योदय के अन्दर अन्न योजना में 2.5 करोड़ परिवारों को और जोड़ा जाएगा। ऐसी अनेक चीजें हैं। मैं जानती

[श्रीमती कृष्णा तीरथ]

हूं कि आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत हर बच्चे को किस तरह से पूर्ण आहार दिया जाए जिससे वे स्वस्थ रहे और भारत के अच्छे नागरिक बनें। आईसीडीएस स्कीम के तहत 1 लाख 88 हजार 168 आंगनवाड़ियों को और जोड़ा जाएगा। आईसीडीएस प्रोग्राम कांग्रेस की देन थी। 1975 में राष्ट्र मां श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आईसीडीएस प्रोग्राम शुरू किया था जिसके तहत महिलाओं, बच्चों को ऐसा भोजन दिया गया जिससे गरीब महिला पूरा भोजन लेकर अपना स्वास्थ्य ठीक रख सके। यह बजट सब तरह से चहुंमुखी बजट रहा है, जिसमें हर व्यक्ति का ध्यान रखा गया है। उनकी सेहत बने, वे शिक्षित बनें, रोजगार मिले, ऐसा बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। इससे भारत में चारों ओर प्रकाश फैला है। हर आदमी को एक आशा की किरण नजर आई है। हर किसान और मजदूर को अपनी सिक्योरिटी दिखायी दे रही है कि शायद पिछले पांच वर्ष में जो कुछ नहीं हुआ, वह आज होगा। एक नहीं अनेकों चीजें इसमें आई हैं। जिस तरह पहले 50 हजार रुपए तक की इनकम पर टैक्स में छूट थी, जिसे अब एक लाख कर दिया गया है। महिलाओं के लिए 1.25 लाख और सीनियर सिटिजन्स के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की इनकम पर छूट दी गई है।

सर्व शिक्षा अभियान में 7156 करोड़ रुपये रखे हैं जो बहुत अच्छा कदम है। यदि जरूरत पड़ी तो इसे और बढ़ा दिया जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन जिस का राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के तहत नाम रखा गया है, इसमें हर व्यक्ति को पानी मिलेगा और पूरा देश साफ-सुथरा बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। एससीएसटी के लिए राजीव गांधी नेशनल फैलोशिप इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें उनकी टयूशन फी, लिविंग एक्सपैंडिचर, एक्सपैंसिज और कम्प्यूटर द्वारा पढ़ने में मदद मिलेगी। ऐसी चीजें बजट में रखी गई हैं। हर वर्ग ने चाहे वह किसी जाति का हो, धर्म का हो और किसी भाषा को बोलने वाला हो, किसी प्रान्त में रहने वाला हो, हर व्यक्ति ने आगे बढ़ कर इसका स्वागत किया है। वित्त मंत्री जी ने कई लाख आंगनवाड़ियां बढ़ाने की बात कही है। इससे महिलाओं को मदद मिलेगी। अगर देश में कहीं आपदा आती है, कोई पोलियो जैसी इरैडिकेशन की बात होती है तो उन्हीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है। वे घर-घर जाकर हर तरह का प्रचार-प्रसार करती हैं और वहां के बच्चों का ध्यान रखती हैं। इन आंगनवाड़ियों से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। इसलिए ऐसे महिलाओं को बढ़ाया गया है। वृद्धावस्था गृह खोले गए हैं। आज हमारी जो संस्कृति है, उसमें वृद्धों को घर में रखने से शायद कई कठिनाइयां होती हैं।

इस बजट में वृद्ध आश्रम खोलने का प्रोवीजन किया गया है और वर्ष 2005-06 के दौरान इसके लिए 24.05 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें कई सड़कें बनाने की और उसमें प्रकाश करने की व्यवस्था की गई है। रेलवे में 2,03,300 वैगन, 2,300 कोच, 369 एएमयू, 130 डीजल के लोको और 105 इलैक्ट्रिक लोको बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इसमें 4,000 किलोमीटर ट्रैक के नवीनीकरण करने की व्यवस्था की गई है। देश में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 1400 करोड़ रुपया रखा गया है जिसमें से 4000 किलोमीटर की चार लेन वाली सड़कें तैयार करने की बात की गई है। यह बजट में प्रशंसा की बात है। मेरा सुझाव है कि जैसा अभी बहुत से साथियों ने भी बताया है कि इवेल्यूएशन की स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ सुधार किया जाए क्योंकि

[अनुवाद]

मानक कटौती को समाप्त करना इस भ्रान्त धारणा का परिणाम है कि वेतन अर्जित करने के लिए कर्मचारियों को वैध रूप से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता।

[हिन्दी]

दूसरा मुद्दा है लेवी आफ टैक्स 0.1 परसेंट कैश विड्राल पर किया गया है। मेरा कहना है कि आप इसे सेविंग बैंक से हटा दीजिए जिससे आम जनता को परेशानी न हो। दस हजार वाली बात आप सेविंग बैंक से हटा दें।

तीसरा मुद्दा एक्जम्पशन लिमिट का है। महिलाओं की इनकम की एक्जम्पशन लिमिट 1.25 लाख है और सीनियर सिटिजन्स की 1.50 लाख है। अगर आप महिलाओं की इनकम की एक्जम्पशन लिमिट को बढ़ा कर 1.50 लाख कर देंगे तो मेरा मानना है इस बजट को महिलाओं का समर्थन और ज्यादा मिलेगा।

सभापति महोदय: श्री सुरेश चंदेल आप बोलिए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, हमारा नाम कब आएगा?

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, हमारा नाम कब आएगा?

सभापति महोदय: आपका नाम जरूर आएगा। आप कृपा करके बैठिए।

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं कि न तो इससे गरीबों का कल्याण होगा, और न ही इससे देश में बेरोजगारी खत्म होगी। किसानों को भी इसमें कोई आशा नहीं दिखती है। केवल इसे आंकड़ों का मायाजाल कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

यह देश कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि की सबसे ज्यादा उपेक्षा इस बजट में की गई है। हम जानते हैं कि किसान देश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है और किसान कर्जे की चपेट में आकर, उसे न चुकाने की स्थिति में आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस बार किसानों को कर्जा देने के लिए 1,00,850 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस बात की चिंता नहीं की गई है कि किसान पहले ही कर्जा क्यों नहीं चुका पा रहा है? उसे फसल का लाभकारी मूल्य मिले, इसकी चिंता किए बगैर हम उसे कर्जे के जाल में उलझाते रहेंगे तो यह देश के लिए अहितकर होगा। किसानों की तीन प्रमुख समस्याएं हैं-उनकी आय में वृद्धि हो, उनकी फसल का बीमा हो और उसके साथ कृषि के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो। इन तीन बातों की बहुत आवश्यकता है जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। इसी तरह से सबसे ज्यादा रोजगार लघु उद्योगों में उपलब्ध होता है लेकिन लघु उद्योगों में मात्र 173 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसे हम कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की भी यही स्थिति है। सब से ज्यादा रोजगार लघु उद्योगों से मिलता है लेकिन उनकी सब से ज्यादा उपेक्षा हुई है। आज के पढ़े-लिखे नौजवानों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। एम.बी.ए. करने के बाद वे 5-7 हजार रुपये की नौकरी के लिए दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुये, मुझे लगता है कि आज का बजट विश्व बैंक के निर्देश पर बनाया गया है। यह देश की आशाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट नहीं है।

सभापति जी, हमारे देश में छोटे-छोटे दुकानदार छोटी सी पूंजी लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं लेकिन आज बड़ी कम्पनियों के रिटेल मार्किट में आ जाने से उन लोगों के भविष्य पर खतरा पैदा हो गया है। यदि बड़ी कम्पनियां रिटेल का काम करने लगेगीं। तो छोटे दुकानदार, जो करोड़ों की संख्या में हैं, का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। कर्मचारी भी इससे चिन्तित हैं। यह सही है कि बजट में आयकर में राहत देने की बात की गई है, लेकिन उनकी बचत पर टैक्स लगाने के लिये सिफारिशें देने वाली कमेटी बनने के कारण उनके मन में चिन्ता व्याप्त है। जो आयकर छूट में लाभ दिया गया है, उसे फिर से हथियाने की कोशिश हो रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे पर विचार किया जाये।

सभापति जी, देश में करोड़ों की संख्या में भूतपूर्व सैनिक हैं। वर्षों से उनकी मांग रही है कि 'वन रैंक वन पैंशन' मिले। उन्होंने देश के लिये अपनी जवानी बलिदान कर दी है, वे 35-36 साल की उम्र में वापस आते हैं उनके सामने अपने परिवार के दायित्व का बोझ होता है, उन्होंने जवानी अपने देश के लिये कुरबान कर दी। इसलिये आवश्यक है कि बजट में उनके लिये धन का प्रावधान किया जाता ताकि उनकी 'वन रैंक वन पैंशन' की मांग पूरी हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में कहा है कि देश के भूतपूर्व सैनिकों की इस मांग को पूरा किया जाना चाहिये। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मांग पर विचार किया जाये।

सभापति जी, देश के पहाड़ी प्रदेशों के लिये इस बजट में व्यवस्था की जानी चाहिये थी लेकिन हिमाचल प्रदेश के नैसर्गिक सौन्दर्य की उपेक्षा की गई है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में रेल लाइन बिछाने के लिए पैसा दिये जाने की बात हुई है उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी रेलवे की सुविधा दी जानी चाहिए जिससे टूरिस्ट्स जा सकते हैं। लेकिन पिछले 57 सालों से वहां रेलों के विस्तार के मामले में उपेक्षा हुई है। मेरी मांग है कि वहां भी जम्मू कश्मीर की तर्ज पर आर्थिक सहायता दी जाये ताकि वहां भी रेलों का विस्तार किया जा सके। यह बहुत आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश की जनता यह महसूस करती है कि हिमाचल प्रदेश ने देश की सीमा पर कुरबानी कम नहीं दी है, शान्तिप्रिय प्रदेश रहा है, उनकी अपेक्षा है कि वहां रेलों के विकास के लिये पैसा दिया जाना चाहिये। इसी तरह वहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि पर्यटक सीधे वहां जा सकें। उसके लिये वित्त मंत्री जी बजट में कुछ न कुछ पैसे का प्रावधान करें।

सभापति जी, मैं एक और महत्वपूर्ण बात की ओर इस सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। सन् 1980 में फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट पूरे देश में लागू हुआ था जिससे कि हम वन नहीं काट सकें। हमें सड़क बनाने के लिये मजबूरी में काटने पड़ते हैं। इसलिये हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर और बाकी प्रदेशों में, जहां इस बात की आवश्यकता है, यदि वे देश के पर्यावरण की चिन्ता करें, उसमें अपना योगदान दें तो कम से कम उन प्रदेशों में जहां पेड़ काटने की मनाही है, टनल बनाने के लिये भारत सरकार उसकी मंजूरी और सहायता प्रदान करे। इससे पेड़ों को काटने से बचा जाए और पर्यावरण भी सुरक्षित होगा क्योंकि टनल बनाने के लिये पहाड़ी रास्ता छोटा रास्ता होगा। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से भी गम्भीरता से विचार करें क्योंकि यह वहां की भी आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने 'एम्स' की तर्ज पर कुछ और अस्पताल बनाने की बात कही है। हम चाहते है कि हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरीके का एक अस्पताल बनाया जाए और उसके लिए पैसे का प्रावधान किया जाए।

सभापति महोदय, कुछ प्रदेशों को आर्थिक पैकेज दिये गये हैं। हिमाचल प्रदेश भी एक पहाड़ी राज्य है, वहां आर्थिक संसाधन तथा इंडस्ट्रीज बहुत कम हैं। इसलिए जिस तरीके से बिहार और कुछ अन्य प्रदेशों को आर्थिक पैकेज दिये गये हैं, उसी तरह से

[श्री सुरेश चन्देल]

हिमाचल प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज की बहुत आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हिमाचल प्रदेश को भी शीघ्र ही एक आर्थिक पैकेज दिया जाए। हिमाचल प्रदेश ने साक्षरता, फैमिली प्लानिंग और विकास के क्षेत्र में बहुत मेहनत की है और आगे बढ़ा है। यदि वित्त मंत्री जी हिमाचल प्रदेश को आर्थिक पैकेज दें तो इस प्रदेश की आर्थिक कठिनाइयां दूर हो सकती हैं, यह मैं उनसे विशेष तौर पर कहना चाहता हूं।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, यह देश को अंधकार में ढकेलने वाला, आम आदमी का विरोधी और इस देश के अंदर कालाधन बढ़ाने वाला साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री अब्दुल रशीद शाहीन** (बारामूला): अक्तूबर 1996 में प्रधानमंत्री जी ने 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नए कदम' (न्यू इनिश्येटिवज फार नार्थ ईस्टर्न रीजन) की घोषणा की थी और कहा था कि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के बजट का 10 प्रतिशत भाग पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए खर्च किया जाएगा।

मंत्रालयों और केन्द्रीय विभागों से योजना आयोग के विचार-विमर्श से पता चला कि निर्धारित 10 प्रतिशत के व्यय संबंधी प्रयासों में कमी रही। यह प्रक्रिया 1997-98 के दौरान की गयी थी और बाद में केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर में अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं के उन्नयन और वित्तपोषण के लिए निर्धारित और अव्ययित 10 प्रतिशत जीबीएस के लिए संसाधनों के अव्यपगत केन्द्रीय पूल (एन.एल.सी.पी.आर.) का सृजन किया। वर्ष 1996 से यही स्थिति है।

हमें इसका हर्ष है और हम पूर्वोत्तर क्षेत्र की भलाई चाहते हैं। हम समझते हैं कि संसाधनों की कमी और खराब अवसंरचनात्मक सुविधाओं के कारण बेरोजगारी बढ़ती रहती है और ऐसे क्षेत्रों के लोगों में असंतोष और निराशा बढ़ती है जो कि अंततः हिंसा और कभी-कभी खूनी संघर्ष में परिणत हो जाता है जैसे कि कुछ पूर्वोत्तर राज्यों और कश्मीर में हुआ है। हमने केन्द्र सरकार से बार-बार आग्रह किया है कि ऐसी व्यवस्थाओं में जम्मू-कश्मीर को भी शामिल किया जाना चाहिए। यदि अधिक नहीं तो बजटीय आबंटन का कम से कम 5 प्रतिशत भाग राज्य की समस्याओं के समाधान हेतु विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर में अवसंरचना विकास से आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता आ सकती है।

एन.एल.सी.पी.आर. से संबंधित उपरोक्त व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर विशेषकर आतंकवाद और आर्थिक संकट से एक दशक से भी अधिक समय से जूझ रही कश्मीर घाटी में विकास को गति देने तथा बेरोजगारी हटाने का एक सुनिश्चित तरीका हो सकता है।

जब भी हम यह मुद्दा उठाते है तो हमें पैकेज दिये जाने का आश्वासन दिया जाता है। जब भी प्रधानमंत्री जी के किसी पैकेज की घोषणा की जाती है तो पूरा देश यह विश्वास करने लगता है कि कश्मीर देश की अर्थव्यवस्ता का प्रमुख निर्गम क्षेत्र है।

माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह घोषणा की है कि 3008 करोड़ रुपये के बजाय चालू योजना में 4200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा और बगिहार के लिए अगले वर्ष पर्याप्त धन का आबंटन किया जाएगा।

माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बताते हुए अपनी उदारता जतायी है कि उधमपुर-बारामूला रेल परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना माना जाएगा।

हम बजट बाषण में जम्मू-कश्मीर का जिक्र किये जाने का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। परन्तु महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि यह 'पुनर्निर्माण योजना' क्या है और ऐसी 'पुनर्निर्माण योजना' के लिए वस्तुतः व्यय हेतु कितना आबंटन किया जाएगा।

हम यह भी जानने की अपेक्षा करते हैं कि जम्मू कश्मीर को एन.एल.सी.पी.आर. योजना में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता। माननीय वित्त मंत्री जी ने गरीबों के हितों की बात की है मैं उनके भाषण में से कुछ उद्धृत करता हूं "सरकार का यह पावन कर्तव्य है कि वह गरीबों को अधिकार प्रदान करे तथा गरीबी के अभिशाप को मिटाए।"

हम सरकार की गरीबी हटाने की इस मंशा और भावना की प्रशंसा करते हैं। इसलिए हम सरकार से यह उपेक्षा करते है कि हमारे कश्मीर को एन एल सी पी आर से जोड़ने की मांग पर विचार किया जाएगा और इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा घोषणा की जाएगी।

महोदय, देश की कुल जनसंख्या का 18.42 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों का है। हम इस बात से दुखी है कि बजट 2005-2006 में अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त आबंटन नहीं किया गया है। अतः इसी परिदृश्य में मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 1989 में स्थापित मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को चालू वित्तीय वर्ष में मात्र 1 करोड़ रुपये ही दिये गए हैं। फाउंडेशन की गतिविधियां 70 करोड़ की कार्पस निधियों से सृजित आय पर निर्भर है। इस फाउंडेशन ने अपने अस्तित्व में आने के बाद विद्यालयों, कालेजों और आवासीय विद्यालयों के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विस्तार तथा उपलब्ध व्यावसायिक तथा तकनीकी संस्थाओं के उन्नयन हेतु 580 गैर-सरकारी संगठनों को 75 करोड़ से भी अधिक की अनुदान सहायता देकर अपना यथेष्ट योगदान दिया है।

जैसा कि हम जानते हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने 7 जुलाई, 2004 के अपने बजट भाषण में यह उल्लेख किया था कि 2 प्रतिशत अतिरिक्त शिक्षा उपकर लगाया जाएगा और इस शिक्षा उपकर से 4000 से 5000 करोड़ रुपये की अनुमानित आय होगी। शिक्षा उपकर से प्राप्त आय को शैक्षिक विकास कार्यक्रमों पर व्यय किया जाएगा। हमारे देश में शिक्षा का नोडल मंत्रालय एच.आर.डी. है। तथापि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांगों तथा अल्पसंख्यकों के लिए नोडल मंत्रालय है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने समाज के इन वंचित वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास की देखरेख कर रहा है।

अत: माननीय वित्त मंत्री जी को इस फाउंडेशन के लिए शिक्षा उपकर से एकत्रित की गई धनराशि में से 200 करोड़ रुपये आबंटित करने चाहिए और वार्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम हेतु 50 करोड़ रुपये प्रदान करने चाहिए। यह सकारात्मक कदम अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा कार्यक्रम सृजित कर सकता है और यह अल्पसंख्यकों के वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा।

महोदय, 2005-06 के बजट में सरकार ने एन.एम.डी.एफ.सी. हेतु इक्विटी समर्थन में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। हम अनुरोध करते हैं कि एन.एम.डी.एफ.सी. के लिए पूंजी को बढ़ाकर कम से कम 300 करोड़ रुपये कर दिया जाए। यह जानकर भी आश्चर्य होता है कि सरकार द्वारा इक्विटी में वृद्धि किए जाने के वादे के बावजूद बजटीय दस्तावेज (व्यय बजट 2005-06 खंड 1) पृष्ठ 41 यह दर्शाता है कि वर्ष 2005-06 के लिए बजट आबंटन केवल 19.60 करोड़ रुपये है। जबकि, इस वर्ष के लिए यह 71.29 करोड़ रुपये था। यही व्यय बजट (2005-06) खंड 2 के पृष्ठ 190 पर भी दर्शाया गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर सं.प्र.ग. सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए वह यह है कि सरकार सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना के अन्तर्गत नए विद्यालयों को कुछ प्रतिशत धनराशि देना चाहती है। हम यह प्रस्ताव करते हैं कि उनकी जनसंख्या के अनुसार उक्त योजनाओं के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को 18.42 प्रतिशत धनराशि दी जानी चाहिए। सरकार का कई भाषा में अध्यापकों की नियुक्ति और तैनाती में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का निर्णय एक प्रशंसनीय और स्वागतयोग्य कदम है।

अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री जो को पुन: याद दिलाना चाहता हूं कि बेरोजगार युवक बड़ी आशा से यह उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार का "एक हुनर सीखने का अवसर और लाभकारी रोजगार प्राप्त करने" का वादा, उनके मामले में वरीयता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं बहुत संक्षेप में और क्रमानुसार अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। इसलिए, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए घंटी न बजाएं। मैं थोड़ा जल्दी घबरा जाता हूं।

सभापति महोदय: यदि आप अपनी टिप्पणियां निर्धारित समायवधि में कर लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रसन्न आचार्य: मैं ऐसा ही करूंगा।

मेरे मित्र, श्री खारबेल स्वाइं कह रहे थे कि श्री चिदंबरम इस देश के सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं, श्री खारबेल स्वाइं की बात से सहमत होते हुए मैं भी माननीय वित्त मंत्री जी को इस देश का सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति होने के नाते बधाई देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने एक बहुत आरामदायक आर्थिक पृष्ठभूमि, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि सहित एक बहुत ही सहज विकास की पृष्ठभूमि में एक बजट प्रस्तुत किया है। इसलिए, माननीय वित्त मंत्री जी को रा.ज.ग. का आभारी होना चाहिए जिन्होंने अपनी बुद्धिमानी और विवेक से इस देश की अर्थव्यवस्था में स्थायित्व और विकास की स्थापना की।

मैंने माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा इस बजट में की गई कई घोषणाओं का अध्ययन किया और मुझे उनमें से कई परियोजनाओं की साम्यता को देखकर आश्चर्य हुआ। रा.ज.ग. के शासनकाल के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं के केवल नाम बदल दिए गए हैं। उन्होंने रचियता होने का श्रेय लेने के लिए रा.ज.ग. सरकार के कार्यक्रमों के नाम बदल दिया है। राष्ट्रीय श्रम विकास योजना को पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष से जोड़ना और काम के बदने अनाज कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जोड़ना या स्प्रिंकल सिंचाई को माइक्रो सिंचाई कह देना कोई नया काम नहीं है। अवसंरचना के व्यवहार्यता संबंधी अंतर का वित्तपोषण करना जो कि मझोले और छोटे उद्यमों के लिए स्थापित किया गया एक कोष था, कृषि के विपथिकरण पर जोर देना और कृषि प्रसंस्करण तथा कृषि निर्यात को मूल्य-वर्धित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना आदि संकल्पनाएं रा.ज.ग. सरकार द्वारा आरम्भ की गई थीं। इसलिए, माननीय वित्त मंत्री जी को रा.ज.ग. सरकार का आभारी होना ही चाहिए।

[श्री प्रसन्न आचार्य]

माननीय वित्त मंत्री जी को प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रानिक मीडिया दोनों में यह प्रचारित किया जा रहा है कि यह एक स्वपनिल बजट (ड्रीम बजट) है।

वास्तव में मैं भी आवश्यक रूप से यही चाहता हूं कि यह एक स्वपनिल (ड्रीम) बजट होना चाहिए ...*(व्यवधान)* नहीं, यह एक वास्तविक बजट नहीं है। बजट के प्रस्तुतीकरण के तुरंत पश्चात जो प्रतिक्रिया हुई वह बहुत सकारात्मक थी। प्रत्येक ने—मीडिया ने, आम आदमी ने—इसकी प्रशंसा की थी। जब एक-दो दिन बाद लोगों को इसकी छिपी हुई बाते पता लगीं तो वास्तविकता उजागर हो गई। उद्योग, व्यापार, कर विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, सभ्य समाज और मुझे कहना चाहिए कि यहां तक कि सं.प्र.ग. के वामपंथियों सहित अन्य साझीदारों ने भी इस बजट की कड़ी आलोचना की है।

इस बजट में वित्त मंत्री जी ने समाज के सभी वर्गों को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। वित्त मंत्री जी ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और निगमित क्षेत्र सहित सभी को प्रसन्न करने का भी प्रयास किया है। उन्होंने वेतनभोगी वर्ग को प्रसन्न करने का प्रयास किया है; उन्होंने अगले वर्ष ऋण आगमन में 30 प्रतिशत वृद्धि करके किसानों को भी प्रसन्न करने का प्रयास किया है; उन्होंने गृहणियों सहित कामकाजी महिलाओं को भी प्रसन्न करने का प्रयास किया है; उन्होंने गरीबों को प्रसन्न करने का प्रयास किया है; और उतने ही महत्वपूर्ण ढंग से उन्होंने यहां बैठे गरीबों के मसीहाओं को भी प्रसन्न करने का भरसक प्रयास किया है। महोदय, यह उनकी बाध्यता है।

मैं वित्तीय घाटे के मुद्दे पर आता हूं। वित्त मंत्री ने बजटीय घाटे को कम करके इस घाटे को नियंत्रण में रखने का वादा किया है। राज्य योजनाओं के लिए 29,000 करोड़ रुपये के केन्द्रीय ऋण को राज्यों पर ही डाल दिया गया है और उनसे बाजार से धन उधार लेने की अपेक्षा की गई है। यदि इसे केन्द्रीय बजट में ही रखा जाता तो यह इंगित किए गए 4.3 प्रतिशत के स्थान पर 5.1 प्रतिशत होता। वस्तुत: केन्द्रीय घाटे को राज्यों के घाटे में परिवर्तित कर दिया गया है। केन्द्र और राज्यों का सम्मिलित वित्तीय घाटा दस प्रतिशत के खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): आप समाचार पत्रों में जो कुछ भी पढ़ते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रसन्न आचार्य: नहीं महोदय। क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह कहना चाहते हैं कि समाचार पत्रों में जो भी टिप्पणियां या रिपोर्टें प्रकाशित होती हैं वे सब गलत हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे सब गलत हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया विषय से न भटकें। आप बोलते रहें।

श्री प्रसन्न आचार्य: महोदय, केन्द्र सरकार के लिए आश्वास्तकारी नहीं है कि वह अपना घाटा राज्यों के व्यय से कम करे। वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि उन्होंने यह सब बाजीगरी बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार की है। जैसा कि मेरी समझ में आया है-मैं गलत हो सकता हूं क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ नहीं हूं-बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों को यह विकल्प दिया था कि वे योजनागत व्यय के वित्तपोषण हेतु केन्द्र सरकार से ऋण न लेकर बाजार से ऋण ले सकते हैं। उड़ीसा जैसे बहुत से गरीब राज्य, जो कि पहले ही ऋण जाल में फंस चुके हैं, बाजार से ऋण जुटा पाने में सक्षम हो सकते हैं। इस प्रकार, उन्हें केन्द्र से ऋण न मिलने की स्थिति में राज्य के योजनागत परिव्यय में कटौती करनी पड़ सकती है जो कि निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी।

महोदय, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 50 लाख मिट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए हैं। इसके वित्त पोषण हेतु बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। निश्चित रूप से इसका अर्थ यही है कि भारतीय खाद्य निगम ने यह खाद्यान्न केन्द्र सरकार को उधार के रूप में दिया है। यह एक विचित्र बजटीय प्रक्रिया है।

पुन:, अवसंरचना के विकास हेतु 10,000 करोड़ रुपये का भी बजट में उल्लेख नहीं है। इसे विशेष उद्देश्य योजना, पी.एस.वी., स्थानीय या विदेशी मुद्रा स्रोतों से जुटाया जाएगा। इस प्रकार की बजटीय बाजीगरी एक स्वस्थ परंपरा नहीं है और मुझे आशंका है कि इस प्रकार का बजट से बाहर का व्यय इस संसद की छानबीन से भी बच जाएगा।

बजट में ग्रामीण विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है। महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं। ग्रामीण विकास के अंतर्गत केन्द्रीय योजना के लिए बजट योगदान 11,494 करोड़ रुपये है जबकि 2003-04 के लिए बजट अनुमान 11,939 करोड़ रुपये था। वर्ष 2003-2004 के लिए बजट अनुमान 11,369 करोड़ रुपये था। यह स्तर बरकरार रखा गया है, और ऐसा उल्लेख किया गया है कि सरकार ग्रामीण विकास पर अधिक जोर दे रही है।

वित्त मंत्री ने सपनों का सौदागर जैसा सपनों का एक जाल बुन दिया है लेकिन अपने सपनों को यथार्थ में बदलने के लिए कोई पर्याप्त बजटीय प्रावधान नहीं किया है। इसलिए, मैं समझता हूं कि यह बजट सपनों का बजट नहीं है बल्कि दिवास्वप्न है।

सभापति महोदय: कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री प्रसन्न आचार्य: न्यूनतम साझा कार्यक्रम में स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का 2 से 3 प्रतिशत खर्च करने की बात कही गई है। इसके लिए 70,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। वित्त मंत्री ने इसके लिए आवंटन को 8420 करोड़ रु. से बढ़ाकर 10,280 करोड़ रु. कर दिया है। इस अल्प आवंटन से सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम लक्ष्य को कितने वर्षों में प्राप्त करेगी?

इसी प्रकार, शिक्षा के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत व्यय करने की बात कही गई है लेकिन वर्तमान वृद्धि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य से दूर है।

जहां तक सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का सम्बंध है, वृद्धि बहुत कम है अर्थात्, पिछले वर्ष से अधिक 443 करोड़ रुपये है। विगत वर्ष में 15 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी भी की गई थी। इस अल्प आवंटन के सहारे सरकार किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं में सुधार के बारे में कैसे सोच रही है?

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री प्रसन्न आचार्य: महोदय, कृपया मुझे बोलने के लिए कुछ मिनट का और समय दीजिए। वित्त मंत्री विनिवेश के मुद्दे बड़ी आसानी से भूल गए हैं। विनिवेश के मुद्दे पर वर्तमान सरकार का क्या दृष्टिकोण है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस विषय में स्पष्ट तौर पर जानना चाहूंगा।

इस सरकार की रीढ़ की हड्डी वित्त मंत्री जी, काफी झुक गए है क्योंकि उनका सारा जोर इस सरकार के लिए लगा हुआ है और बिना उनके यह सरकार नहीं चल सकती।

वित्त मंत्री ने अगले वर्ष में किसानों के लिए ऋण के मद में राशि को 30 प्रतिशत बढ़ाने की परिकल्पना की है। नि:संदेह यह स्वागतयोग्य बात है लेकिन मुझे डर है कि वित्त मंत्री इसके लिए किसानों से वसूल किए जाने वाली ब्याज की दर के बारे में बिल्कुल भूल गए हैं। ऋण वापसी के सम्बंध में किसानों के लिए नीति के बारे में हमें बहुत ध्यान रखना होगा। किसानों से ली जा रही उच्च ब्याज दर से हम उन्हें आत्महत्या करने से नहीं रोक सकते। ऋण वापसी की किसानों की क्षमता के बारे में हमें बहुत सावधान रहना होगा।

अपराह्न 3.43 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

किसानों के लिए ऋण की मात्रा को बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है। इस बात के लिए कि किसानों की क्षमता बढ़े और वे ऋण वापस करने की स्थिति में हो, हमें आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

जहां तक फसल बीमा नीति का सम्बंध है तो इसके लिए भी अनुरोध किया गया है और सभी वर्गों से मांग की गई है कि फसल बीमा नीति में परिवर्तन होना चाहिए। फसल बीमा नीति में परिवर्तन होना चाहिए। फसल की क्षति के आकलन के लिए तहसील के बदले ग्राम पंचायत को इस काम के लिए यूनिट के रूप में समझा जाना चाहिए। इससे किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। लेकिन वित्त मंत्री ने फसल बीमा नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि अपने जवाब के दौरान वे इस विषय पर सरकार के दृष्टिकोण को साफ-साफ बताएं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हजारों किसान इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रसन्न आचार्य: महोदय, केवल दो मिनट मुझे बोलने के लिए दीजिए। मैं एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करना चाहता हूं। मैं आश्चर्यचकित था जब भी गुरूदास दासगुप्त इस सरकार के प्रति बहुत ही जोरदार और कठोर शब्दों में कह रहे थे। उनकी पार्टी इस सरकार का एक अभिन्न अंग है।

माननीय वित्त मंत्री इस देश में चूककर्त्ताओं के बारे में भूल गए हैं। मैंने इस विषय पर एक समाचार पत्र में पढ़ा था। मैं आश्वस्त नहीं हूं कि यह सत्य है अथवा असत्य। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय देश में कुल एन.पी.ए. 15,00,000 करोड़ रुपये हो गया है।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री प्रसन्न आचार्य: यह और कुछ नहीं बल्कि राष्ट्रीय खजाने की लूट है। सरकार को चूककर्त्ताओं की एक सूची प्रकाशित करनी चाहिए और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। यदि कोई गरीब किसान ऋण लेता है और समय पर भुगातन नहीं कर पाता है तो उसे हर प्रकार की कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

सभापति महोदय: अब, डा. के.एस. मनोज बोलेंगे।

श्री प्रसन्न आचार्य: अंतत: वह आत्महत्या कर लेता है लेकिन बड़े-बड़े औद्योगिक घराने और देश में बड़े लोग बड़ी आसानी से इससे बच जाते हैं।

महोदय, मैं अब अंतिम बात कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय: कृपया मैंने पहले ही अगले वक्ता का नाम पुकारा है। पीठासीन अधिकारी से सहयोग कीजिए।

श्री प्रसन्न आचार्य: मैं बहुत ही गरीब राज्य से आता हूं। मैं बिहार जैसे राज्यों को विशेष सहायता आदि देने के लिए सरकार का विरोध नहीं करता हूं।

सभापति महोदय: श्री आचार्य, आप पहले ही 14 मिनट बोल चुके है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री प्रसन्न आचार्य: वित्त मंत्री से मेरा एक मात्र प्रश्न है कि "राज्यों को विशेष अनुदान या विशेष पैकेज देने के लिए मानदंड या आधार क्या है?" देश में उड़ीसा सबसे गरीब राज्य है। 47 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। अधिकांश आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। अन्यथा, मैं इसे कार्यवाही में शामिल नहीं करने की अनुमति दूंगा।

श्री प्रसन्न आचार्य: मेरे अनुरोधों के बावजूद भी उड़ीसा को कोई विशेष पैकेज स्वीकृत नहीं किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से इसे राजनीति से दूर रखने और उड़ीसा के लिए विशेष पैकेज हेतु विचार करने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

***श्री जोवाकिम बखला** (अलीपुरद्वार): संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के गठन के समय से ही हमारी पार्टी आर.एस.पि. ने अन्य वाम दलों के साथ मिलकर यह कहने की कोशिश की थी कि जो सरकार (संप्रग) बनेगी, उसे हर हालत में गरीबोन्मुखी, किसान एवं श्रमिकों के हित के बारे में सोचना पड़ेगा एवं उसी के आधार पर नीति एवं कानून बनाने पड़ेंगे। अतएव इसलिए आम बजट में कुछ-कुछ खामियां होने के बावजूद राजनैतिक तौर मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

कृषि हमारे देश की रीढ़ है, जिस पर पूरी आबादी का दो तिहाई हिस्सा निर्भरशील है। लेकिन बड़े खेद की बात है कि हमारे देश के किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। उन्हें आप ऋण तो देने की बात कर रहे हैं लेकिन समर्थन मूल्य का प्रावधान करने की कोई पहल नहीं है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। डीजल के दाम में बढ़ोत्तरी होने से खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। व्यवहार में आने वाले पम्प सेट तथा ट्रैक्टर आदि सस्ते में उपलब्ध नहीं हैं। अतएव किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांवों में पीने का पानी, बिजली, स्वास्थ्य केन्द्र, रास्ताघाट इत्यादि की हालत सही नहीं है। किसानों के बच्चों के लिए स्कूल व कालेज नहीं हैं पर्याप्त मात्रा में। हालांकि आपने ग्रामीण बिजलीकरण हेतु 1100 करोड़ रुपये देने की बात कही है, यह अच्छी बात है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए आपने इस बजट में 2004-05 के 8420 करोड़ रुपये की तुलना में 2005-06 के लिए 10,280 करोड़ रुपये करने की घोषणा की है।

आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत काम करने वाले भाइयों और विशेषकर बहनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांवों के लोगों में स्वास्थ्य एवं रहन-सहन की शिक्षा देकर उनके स्तर को ऊंचा करने में ये सक्षम हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अत: इन्हें भारत सरकार के समर्थन की भारी आवश्यकता है। आज की तारीख में आंगनवाड़ी केन्द्र की संख्या 64,900 है जो नाकाफी है। इसलिए इसकी संख्या में वृद्धि अतिआवश्यक है।

इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विशेष करके टेलिकाम के क्षेत्र में काफी उन्नति तो हुयी है पर आज भी दूर दराज के गांव विशेष करके वन बस्तियों एवं पहाड़ी क्षेत्र की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा एवं फोर लेन रास्ता बनाकर देश की आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास तो हुआ है लेकिन प्रगति नाकाफी है। अब तक 5172 कि.मी. का काम पूरा हो पाया है। सिलीगुड़ी से होकर माल, बिन्नागुड़ी होते हुए असम के कोकराझड़ से होते हुए जाने वाला राजमार्ग नं. 31 एवं 31सी का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। इस राजमार्ग के चार लेन का काम पूरा होने से डुवार्स एवं असम के पिछड़े हुए इलाके की बड़ी तेजी से उन्नति हो सकेगी। इससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिल जायेगा। पर्यटन हमारे देश की उन्नति का अब एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। अतएव पर्यटन उद्योग को जितनी राशि बजट में आबंटित करने की आवश्यकता थी, मुझे लगता है आपका ध्यान पूरा-पूरा नहीं गया।

आपने अपने बजट में चीनी उद्योग की माली हालत को देखते हुए उसमें सुधार लाने के लिए आर.बी.आई. एवं नाबार्ड से सलाह मशिवरा करके कुछ आर्थिक पैकेज देने की बात कही है। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण उद्योग जूट उद्योग की अनदेखी कर दी, जिसमें रोजगार सृजन का काफी अवसर है। जूट उद्योग की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ताकि माननीय वित्त मंत्री इस पर विचार करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि आज चाय उद्योग की हालत काफी गंभीर है। माननीय वाणिज्य मंत्री भी इससे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अवगत हैं। काफी संख्या में चाय बागान बंद हैं। 172000 हेक्टेयर जमीन में पुनर्रोपण होना है। श्रमिकों के प्रोविडेंट फण्ड एवं ग्रेच्यूटी बकाया है। लोग भुखमरी के कगार पर हैं। इसलिए सरकार ने जो पैकेज की बात कही थी, इसका उल्लेख बजट में नहीं है। यह दुर्भाग्यजनक है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि आप इस पर जरूर विचार करें एवं उचित व्यवस्था करें।

विदेशी सीधा निवेश एफ डी आई की सीमा रेखा पर मुझे आपत्ति है। इंश्योरेंस, टेलिकाम व बैंक में 74 प्रतिशत निवेश हमारे नियंत्रण पर प्रभाव डालने वाला है।

अंत में मैं राजनैतिक समर्थन के साथ चूंकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के वायदा निभाने की बात कहते हुए इस बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, आम बजट पर चर्चा के दौरान भाग लेने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद।

मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आम बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। सर्वप्रथम, मैं माननीय वित्त मंत्री को अपने वादे पूरा करने के लिए धन्यवाद देता हूं जिसे उन्होंने 2004-05 के लिए बजट रखते समय आम आदमी से किया था। किसानों, छात्रों, स्वयं-रोजगार प्राप्त महिलाओं तथा काम और भोजन की खोज करते श्रमिकों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। तथापि, पारंपरिक उद्योगों, कुटीर तथा लघु-उद्योगों में काम करने वाले बहुत से लोगों के बारे में सरकार ने ध्यान नहीं दिया है।

मैं 2005-06 के बजट में यह नोट कर खुश हूं कि, फिर भी पूरी तरह नहीं जैसा कि वामपंथी दलों का सुझाव था, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा ग्रामीण विकास के लिए आवंटन बढ़ा दिया गया है। नीतियों के भूमंडलीकरण के विरुद्ध माननीय वित्त मंत्री ने उर्वरकों पर राजसहायता कायम रखी है। इस बजट भाषण में भी उन्होंने दोहराया है कि राजसहायता जारी रहेगी।

मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं कि भारत एक गरीब देश नहीं है। हमारे पास समृद्ध संसाधन, धरोहर, परंपरा और संस्कृति है। फिर भी हमारी अधिकांश आबादी गरीब है। हमारे पास प्रत्येक नागरिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन और धन है लेकिन एक लालची व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। बहुत से लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाने का कुछ कारण संसाधनों और धन का अनुचित वितरण और धन का कुछ हाथों में केन्द्रीकरण है। कोई सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और सत्ता में समान भागीदारी नहीं है। जिस आर्थिक नीति का हम अनुसरण कर रहे हैं वह समानता और स्थायित्व लाने के हमारे प्रयासों को धक्का पहुंचाएगी। इस आर्थिक नीति से गरीबों और अमीरों के बीच की खाई और बढ़गी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन स्वागतयोग्य कदम हैं। वित्त मंत्री ने बताया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का ध्यान सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर केन्द्रित है।

मुझे 'सामुदायिक स्वामित्व' की बात से भय लगता है। मुझे इसमें गुप्त योजना दिखाई देती है।

मुझे डर है कि यह राज्य का प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का दायित्व नागरिकों को सौंपे जाने की कार्यवाही है जैसाकि हमने शिक्षा के क्षेत्र में किया है। औपचारिक रूप से सभी नागरिकों को निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व था। तथापि, अब बच्चों को शिक्षा प्रदान करना माता-पिता का दायित्व बन गया है। इसलिए, अधिकाधिक बच्चों को पढ़ाई करने का अवसर नहीं मिल रहा है। इस समुदाय स्वामित्व कार्यक्रम के क्रियान्वयन के कारण मुझे डर है कि स्वास्थ्य देखभाल भी नागरिकों की ही जिम्मेदारी बन जाएगी।

वित्त मंत्री का विचार संपूरक पोषण मानदण्डों को दोगुना करने का है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। तथापि, केन्द्र इस प्रयोजन के लिए खर्च की जाने वाली राशि का केवल आधा खर्च वहन करेगा। मैं माननीय मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि संपूरक पोषण कार्यक्रम को दोगुना करने के लिए जो भी अतिरिक्त व्यय होगा, वह राज्यों को दिया जाए। अन्यथा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

अब मैं पेयजल और स्वच्छता के मुद्दे पर आता हूं। शुद्ध और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता देश के विभिन्न भागों में एक गंभीर समस्या बन गई है। सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता केरल की भी समस्या है। तथापि, केरल राज्य को राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि केरल राज्य को इस मिशन में शामिल किया जाए।

निवेश क्षेत्र में निजी निवेश-स्वदेशी और विदेशी दोनों निवेश के लिए सेवा क्षेत्रों में अधिकाधिक क्षेत्रों को खोलना स्वागतयोग्य कदम नहीं है। हमारे सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 52 प्रतिशत है। निजी कम्पनियों के लिए सेवा क्षेत्र खोलना

[डा. के.एम. मनोज]

हमारी सम्पदा और विकास को लूटने का अवसर प्रदान करना होगा।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। मैंने आपको काफी समय दिया है।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, मैं बात समाप्त कर रहा हूं।

पेट्रोल और डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर उपकर बढ़ाने के कारण कुल उपकर बढ़कर 1.5 रुपये प्रति लीटर हो गया है। मेरा माननीय वित्त मंत्री से विनम्र निवेदन है कि मछली पकड़ने वाले पोतों और ट्रालरों के लिए प्रयोग होने वाले डीजल और मिट्टी के तेल पर उपकर न लगाया जाए। यदि उपकर मत्स्य क्षेत्र द्वारा प्रयोग किए जा रहे डीजल पर लगाया जाता है तो 1.5 रुपये प्रति लीटर की वर्तमान राजसहायता का लाभ शून्य हो जाएगा। इनसे मत्स्यन उद्योग को नुकसान पहुंचेगा।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा. के.एस. मनोज: वास्तव में मानक कटौती समाप्त करने, धारा 88 ख और 80 ठ लगाने से वरिष्ठ नागरिकों को धक्का लगा है। पहले 1,95,880 रुपये की सकल आय वाले पेंशनभोगी वरिष्ठ नागरिकों तथा 1,53,330 रुपये की आय वाले अन्य वरिष्ठ नागरिकों को आयकर नहीं देना होता था।

सभापति महोदय: यदि अब आप अपनी बात समाप्त नहीं करेंगे तो आपके भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में समिलित नहीं किया जाएगा।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

लेकिन उन्हें अब क्रमश: 9066 रुपए और 666 रुपये आयकर देना होता है। वरिष्ठ नागरिकों को इस अभिशाप से मुक्त करने हेतु माननीय वित्त मंत्री को मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय: डा. चिन्ता मोहन। डा. मनोज, मैंने अगले वक्ता का नाम लिया है।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, समय के अभाव के कारण मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: यदि आप कुछ और कहना चाहते हैं तो आप अपना भाषण सभापटल पर रख सकते हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, हम 8 बजे तक भी बैठने के लिए तैयार हैं। आज अंतिम दिन है और वित्त मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे। आपको सभी सदस्यों को बोलने का अवसर देना चाहिए।

डा. चिन्ता मोहन (तिरूपति): माननीय सभापति महोदय, मैं अपना भाषण सभापटल पर रखना चाहता हूं। इसके अलावा, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

कुल मिलाकर बजट अच्छा है। वित्त मंत्री ने इस देश को बहुत संतुलित बजट देने के लिए काफी मेहनत की है। मेरा उनसे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के बारे में विनम्र अनुरोध है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वह प्राथमिक स्कूलों में प्रतिदिन 11 करोड़ बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान कर रहे हैं। वे प्रतिदिन प्रति बच्चे को 100 ग्राम चावल दे रहे हैं जो बहुत कम है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह प्रतिदिन प्रति बच्चे को मिलने वाली 100 ग्राम चावल की मात्रा बढ़ाकर 150 ग्राम कर दें जिससे 11 करोड़ बच्चों को इसका फायदा मिलेगा।

इस मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए परिवर्तन (कनवर्शन) प्रभार प्रति बच्चा प्रतिमाह एक रुपया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे 1 रुपये के स्थान पर 2 रुपये कर दिया जाए ताकि बच्चों को बेहतर भोजन मिल सके।

आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अंतर्गत, जोकि बहुत अच्छा और प्रशंसनीय कार्यक्रम है, इससे एक करोड़ गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। एक करोड़ गर्भवती महिलाओं के साथ यदि एक करोड़ और गर्भवती महिलाओं को इसमें शामिल कर लिया जाए और यह संख्या बढ़ाकर दो करोड़ कर दी जाती है तो इससे गरीब लोगों को काफी लाभ होगा।

जब विपक्ष सत्ता में था तो उन्होंने क्रिसमस, 2000 में अंत्योदय योजना शुरू की थी। यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत वह प्रतिमाह 2 रुपये की दर से 35 कि.ग्रा. गेहूं दे रहे हैं। वे 3 कि.ग्रा. चावल भी दे रहे हैं। यदि योजना का थोड़ा और विस्तार किया जाता है अर्थात् चार करोड़ लोगों को शामिल किया जाता है तो और डेढ़ करोड़ गरीब लोगों को इससे फायदा होगा।

श्री पी. चिदम्बरम: हम पहले ही लोगों की संख्या 2 करोड़ से बढकर 2.5 करोड़ कर चुके हैं।

डा. चिन्ता मोहन: आप योजना का विस्तार करके इसमें 4 करोड़ लोग शामिल कर सकते हैं। इससे उन सभी को अच्छा भोजन मिलेगा।

आज सरकार देश के विभिन्न भागों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे अस्पताल, स्वास्थ्य मंदिर बनाने

की योजना बना रही है। यह परियोजना शीघ्र शुरू की जानी चाहिए ताकि यह देशभर के लिए स्वास्थ्य मंदिर बन सके।

भर्ती के संबंध में उन्होंने कहा है कि वह रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। लेकिन वर्ष 2001 में भी यशवन्त सिन्हा, तत्कालीन वित्त मंत्री ने भर्ती का ईष्टतम उपयोग किए जाने की शुरूआत की थी। प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार से 1.20 लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं। इनमें से अनुकम्पा के आधार पर 40,000 लोग भर्ती कर रहे हैं और वे शेष 80,000 लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। अधिकतम भर्ती के नियम को समाप्त किया जाना चाहिए। उन्हें पूर्ण रोजगार देना चाहिए क्योंकि आज का शिक्षित युवा निराश है; वह नशीले पदार्थ ले रहा है; उसे इन नशीले पदार्थों की लत लग गई है और वह माओवादी गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमें इन चार करोड़ शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए आशा पैदा करनी होगी। वे सभी रो रहे हैं। वर्ष 2001 में विपक्ष द्वारा शुरू किए गए इस नियम को राष्ट्रीय हित में समाप्त कर देना चाहिए। मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस मामले पर ध्यान दे और यह सुनिश्चित करें कि अधिकतम रोजगार नियम समाप्त हो।

अंत में, मैं अनुसूचित जातियों के मुद्दे पर आता हूं। पिछले वर्ष के बजट को मैंने देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अधिक चिंता है। इस वर्ष वह इसे क्रियान्वित करना भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि वह अप्रत्यक्ष रूप से विकास करेंगे। मुझे आशा है कि अगले बजट भाषण में अर्थात् 2006-07 में संभवत: वह इसे क्रियान्वित कर दें। मैंने भारत के प्रथम वित्त मंत्री, श्री चेट्टियार, जो तमिलनाडु के हैं, के भाषणों को पढ़ा। मैंने पहले बजट भाषण से लेकर वित्त मंत्रियों के पिछले वर्ष तक के सभी भाषणों को पढ़ा। वित्त मंत्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 6,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

पिछले वर्ष उन्होंने 600 करोड़ रुपये खर्च किए। दिल्ली से जयपुर तक सड़क बनाने में 600 करोड़ रुपए की लागत आई। उन्होंने पिछले वर्ष अनुसूचित जातियों के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च किए। उन्होंने कहा कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। मैंने किसी अन्य बैठक में इसका उल्लेख किया था। मेरे पास इससे संबंधित आंकड़े हैं। यह व्यवस्था वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को तो गुमराह कर सकती है लेकिन संसद को नहीं। मेरे पास रिकार्ड है। मेरे पास दस्तावेज है। मैं विनम्र भाव से कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री पृष्ठ संख्या 52 पर वक्तव्य संख्या 20 देख रहे हैं। मैंने इसके प्रत्येक पृष्ठ को देखा है। उन्होंने केवल झूठ का पुलिंदा प्रस्तुत किया है। मैं विभाग में गया। मैं अनुभाग अधिकारी से मिला। मैं संयुक्त सचिव से मिला जो इस विषय को देख रहे हैं। मैं सचिव से मिला। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे वापस जाकर थोड़ी तैयारी करके आएं और यह सुनिश्चित करें कि इस देश की अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और गरीब जनता इससे लाभान्वित हो। मुझे आशा थी कि वामपंथी दल, 'बासपा' से मेरे मित्र इस मामले को उठाएंगे। श्री स्वाईं ने बजट की सर्वाधिक आलोचना की है। यदि इसकी बजाय वह इस मामले को उठाते तो हमें प्रसन्नता होती। लेकिन मैं कांग्रेस की ओर से यह कहने को बाध्य हूं कि यह समय की आवश्यकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इसका अवलोकन करें। मेरे पास रिकार्ड है। मैं इसे सभापटल पर रख रहा हूं।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। वे इस देश में क्रांति लाएंगे। वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। आज देश सम्मानजनक स्थिति में है। पहले मैं सुधारों का कटु आलोचक था। आज मैं प्रसन्नता से कहता हूं कि हमारा देश एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडारों का विश्व में चौथा स्थान है। इन शब्दों के साथ मैं सरकार और वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि गरीब लोगों के लिए कुछ किया जाए।

*महोदय, अर्थव्यवस्था राजनीति से जुड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था और राजनीति परस्पर संबद्ध है। बजट पर बोलने से पहले मैं इतिहास और भौगोलिक राजनीति के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूं। मैंने 1947 से वित्त मंत्रियों द्वारा दिए गए बजट भाषणों को पढ़ा। पहला बजट श्री षणमुगम चेट्टीयार द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो कि भारत के पहले वित्त मंत्री थे। बाद में, इसे श्री जान मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1958 में प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने बजट प्रस्तुत किया था और बजट पर उत्तर देते हुए उन्होंने यह कहा था कि: "हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के लिए खुली होनी चाहिए और जब विश्व में परिवर्तन हों तो इसमें भी परिवर्तन होने चाहिएं। हमें विश्व के प्रति अपनी आंखें खुली रखनी चाहिएं।"

दूसरी बात यह है कि जब हम बजट प्रस्तुत करते हैं तो हमें फुटपाथ पर चलने वाला व्यक्ति जो सोच रहा है उसे ध्यान में रखना चाहिए कि वह प्रसन्न है या नहीं; हमें कार में चलने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है। वही महत्वपूर्ण है। बाद में, वर्ष 1970 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अर्थव्यवस्था को एक अलग दिशा देते हुए बजट प्रस्तुत किया था। बाद में, वर्ष

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[डा. चिंता मोहन]

1987 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने बजट प्रस्तुत किया था जो कि 'समाजवादी' था। वर्ष 1990 से पूर्व हम रूस से रुपया रूबल समझौता/विनिमय के आधार पर तेल और हथियार आयात करते थे। सोवियत संघ के अचानक पतन के पश्चात् हमारे सामने विदेशी मुद्रा का संकट आ खड़ा हुआ। हमारे पास कुछ दिन के लिए भी विदेशी मुद्रा नहीं थी। उस मोड़ पर, भू-राजनैतिक समस्याओं और आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने 4 जुलाई 1991 को आर्थिक दिशा में परिवर्तन किया। वित्त मंत्री के रूप में डा. मनमोहन सिंह ने और सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने देश में, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में आर्थिक क्रांति उत्पन्न की। आठ वर्ष के अंतराल के पश्चात् डा. मनमोहन सिंह सं.प्र.ग. सरकार का नेतृत्व करने हेतु प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस की अध्यक्षा और सं.प्र.ग. सरकार की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, कामरेड वर्धन, कामरेड सुरजीत और सं.प्र.ग. के अन्य घटकों ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार किया। हम सभी राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के घटकों के बारे में जानते हैं। आज चार मुख्य समस्यायें हैं:

भूख; बेरोजगारी; बीमारी; निरक्षरता।

इस बजट से हम आज इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि गरीब व्यक्ति की भूख की समस्या को इस बजट में कैसे हल किया गया है। मुख्य मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरूआत सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1995 में की थी। इसे कुछ क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय जाने वालों छात्रों को 100 ग्राम चावल या गेहूं देकर की गई थी। इससे उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में 11 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन, अर्थात्, प्रति बच्चा प्रति माह 3 किलो चावल, दिया जा रहा है।

मैं वित्त मंत्री, प्रधान मंत्री और सं.प्र.ग. की अध्यक्षा को इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं।

चालीस वर्ष पूर्व मैं मध्याह्न भोजन ले जाता था। मैं व्यक्तिगत रूप से इस समस्या से अवगत हूं। प्रति बच्चा, प्रति दिन 100 ग्राम की मात्रा पर्याप्त नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और सं.प्र.ग. की अध्यक्षा से अनुरोध करता हूं कि इस मात्रा को प्रतिदिन 100 ग्राम से बढ़ाकर 150 ग्राम पर दिया जाए जो कि प्रतिमाह 3 किलो के स्थान पर 4.5 किलो होता है और इसे पकाने हेतु प्रति बच्चा प्रति माह दिए जाने वाले शुल्क में भी वृद्धि करके इसे एक रुपये से दो रुपये किया जाए। कृपया इस मध्याह्न भोजन योजना का नाम श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा जाए।

दूसरे, वित्त मंत्री जी ने कुछ बहुत प्रसंशनीय कदम उठाए हैं और आई.सी.डी.एस. तथा आंगनवाड़ी केन्द्र शुरू किए हैं। पुन: यह कार्यक्रम श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने 1975 में शुरू किया था। आज, यहां 8,37,000 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। सं.प्र.ग. सरकार एक करोड़ गर्भवती महिलाओं को पोषक खाद्य और 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 4 करोड़ बच्चों को टीकाकरण प्रदान कर रही है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस कार्यक्रम में और एक करोड़ गर्भवती महिलाओं में सम्मिलित करने तथा इस कार्यक्रम का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखने का अनुरोध करता हूं।

तीसरे, अन्तोदय अन्न योजना जैसे बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम विपक्षी दल द्वारा 25 दिसंबर, 2000 को गरीबों में भी सर्वाधिक गरीबों की सहायता करने हेतु आरम्भ किए गए थे और वही कार्यक्रम, 35 किलो गेहूं और 35 किलो चावल 2 और 3 रुपये प्रति किलो की दर से देना, इस देश से गरीबी मिटाने हेतु माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा घोषित किए गए हैं। यह कार्यक्रम इस देश के कम से कम ढाई करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। यह सबसे अच्छे कार्यक्रमों में से एक है। मैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सं.प्र.ग. की अध्यक्षा और सं.प्र.ग. के घटक दलों को बधाई देता हूं। इस अन्न अन्तोदय योजना स्कीम का उच्चारण करना कठिन है अत: इसे सरल रूप से उच्चारित करने हेतु मैं सरकार से इस योजना कार्यक्रम का नाम बदलकर बी.टी.आर. योजना रखने का अनुरोध करता हूं। आप बी. टी.आर. के बारे में पूछ सकते हैं। यह और कुछ नहीं अपितु कामरेड बी.टी. राना दवे का नाम है जिन्होंने इस देश में साम्यवादी आंदोलन की नींव रखी थी।

मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। मैं इस बी.टी.आर. योजना की पुरजोर सिफारिश करता हूं। यह कांग्रेस पार्टी और मंत्री जी द्वारा भूख को समाप्त करने हेतु शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है।

अगली बात बेरोजगारी के बारे में है। हमारी मुख्य समस्या है न काम है न खाद्य है। इस देश में काफी समय से नौकरी के लिए प्रतीक्षारत शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या 4 करोड़ है। वर्ष 2001 में वित्त मंत्री, श्री यशवन्त सिन्हा ने अपने बजट भाषण में इष्टतम उपयोग की सिफारिश की घोषणा की थी। प्रतिवर्ष भारत सरकार से 1,20,000 लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन रिक्तियों को भरने की बजाय उन्होंने एक वर्ष में 80,000 नौकरियों को रोक दिया है। केवल 40,000 रिक्तियां ही भरी जाती हैं। इस देश में नौकरियों तथा शिक्षित बेरोजगारों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यहां 4 करोड़ लोग नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इष्टतम उपयोग के चलते गरीब शिक्षित बेरोजगार, जिन्हें निजी क्षेत्र में नौकरियां नहीं मिल सकती, आशा खो रहे हैं। यह स्थिति उन्हें आपराधिक गतिविधियों की ओर उन्मुख करती है।

इसीलिए इस देश में माओवाद, नशीले पदार्थों का सेवन आदि में वृद्धि हो रही है। मैं सं.प्र.ग. सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी

से श्री यशवन्त सिन्हा द्वारा वर्ष 2001 में दिए गए इष्टतम उपयोग के इस आदेश को रद्द करने का अनुरोध करता हूं।

नए रोजगारों का सृजन करने हेतु वित्त मंत्री जी 150 जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और वस्त्र उद्योग में 30,000 करोड़ रुपये लाकर तथा विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देकर नए रोजगार सृजित कर रहे हैं। हम 70 लाख नए रोजगार प्राप्त करने जा रहे हैं। यह बहुत प्रशंसनीय बात है।

अगली बात बीमारियों के बारे में है। बीमारियों का उन्मूलन करने हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों, जिला मुख्यालय में स्थित अस्पतालों में चिकित्सक और औषधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री जी तथा वित्त मंत्री जी भारत में सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों में स्वास्थ्य के मंदिर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अस्पताल निर्मित करने जा रहे हैं। ये सभी भारत में स्वास्थ्य के मंदिर बनने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के ऐसे मंदिर निर्मित करने के स्थान पर विपक्ष में बैठे हमारे मित्र अयोध्या में मंदिर निर्मित करना चाहते थे जिस पर आज चर्चा बहुत कठिन है।

शिक्षा पर आते हैं, वित्त मंत्री जी ने 18,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं जिनमें से 4000 करोड़ रुपये देश में प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण के लिए दिए जाने हैं। वर्ष 1968, 1986 और 1992 में शिक्षा नीतियों की घोषणा की गई थी। प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय है तथा प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर एक महाविद्यालय और व्यावसायिक महाविद्यालय है। यहां शिक्षा के मंदिर हैं। हम प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक हासिल करने जा रहे हैं। यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली सं.प्र.ग. सरकार की रचना है। इस प्रकार, कांग्रेस पार्टी तथा सं.प्र.ग. सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रान्ति लाने जा रही है। आज हम गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व में विदेशी मुद्रा के भंडार के मामले में यह चौथे स्थान पर है।

आवास क्षेत्र पर आते हैं, इंदिरा आवास योजना में पूर्ण राजसहायता से 15 लाख आवासों का निर्माण किया जा रहा है। भारत निर्माण पर आते हैं, सरकार गरीबों के लिए एक करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की योजना बना रही है। यह सभी गांवों में बिजली, टेलीफोन, पेयजल और सड़कें भी प्रदान करेगी। विपक्ष में बैठे कुछ मित्र यह पूछ सकते हैं कि कांग्रेस ने 47 वर्षों में भारत निर्माण के लिए क्या किया। मैं विपक्ष में बैठे आपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने देश स्वतंत्र कराया, कांग्रेस ने देश के लिए एक अच्छा संविधान बनाया। कांग्रेस लोकतंत्र लाई। यहां तक कि रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में भी लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस इस देश में हरित क्रान्ति और आर्थिक क्रान्ति लाई। आज हमारा देश एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है।

अनुसूचित जातियों पर आते हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वे 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं, व्यय बजट का पृष्ठ 52, खंड 1, इससे यह प्रदर्शित होता है कि सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण के प्रति थोड़ी उदासीन है। यहां, मैं इससे सहमत हं। सभी क्षेत्रों में, वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, परन्तु अनुसूचित जातियों के मामले में ऐसा नहीं है, पिछले बजट भाषण में उन्होंने यह कहा था कि उनका हृदय अनुसूचित जातियों और जनजातियों के निकट है। लेकिन इस वर्ष 2005-06 के बजट में उन्होंने इसे प्रदर्शित नहीं किया है। यह स्वयं में हमारे लिये आंखें खोल देने वाला है। विपक्ष में बैठे हमारे मित्रगणों को तथा वामपंथी दलों को वित्त मंत्री जी से पूछना चाहिए कि क्या वह वास्तव में इस बात को लेकर चिंतित हैं। लेकिन उनकी जगह पर अब मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह एक बार फिर इस विषय पर विभाग से चर्चा करें और गत वर्ष तथा पुनः इस वर्ष की गई गलती को सुधारें। मैं उनकी तरह अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ तो हूं नहीं।

लेकिन मैं ये बुनियादी बातें जानता हूं कि हमारी व्यवस्था किस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को तथा संसद को दिग्भ्रमित कर सकती है। यहां से जयपुर तक की सड़क की लागत 600 करोड़ रुपये है। इतना ही पैसा अर्थात् 600 करोड़ रुपये की राशि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनूसूचित जातियों पर खर्च किया है और इस वर्ष भी इसमें बताया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये आंकड़े गलत हैं। आप कह सकते हैं कि यह पैसा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और दूसरे विशिष्ट वर्गों के लिए है। तब हम यह नहीं कहते कि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए है। फिर भी इतना अच्छा बजट पेश करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और यूपीए की माननीय चेयरमैन को हार्दिक बधाई देता हूं। क्योंकि आजादी के 57 वर्षों में ऐसा बजट मैंने कभी नहीं देखा। कांग्रेस पार्टी और यूपीए के दूसरे घटक दल इस देश में परिवर्तन लाने जा रहे हैं।

वर्ष 1958 में, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बजट भाषण पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा था कि "हम जब भी बजट पेश करें, यह समझने का प्रयास करें कि फुटपाथ पर रहने वाले लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं।" अतः मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे क्या सोचते हैं। एक आदमी जो चावल और चटनी खा रहा

[डा. चिंता मोहन]

है वह दाल करी चाहता है और जो दाल करी के साथ चावल खा रहा है वह अंडों के साथ चावल खाना चाहता है। फर्श पर सोने वाले व्यक्ति की इच्छा चटाई पर सोने को होती है और चटाई पर सोने वाले व्यक्ति की इच्छा मैट्रेस पर सोने की होती है।

आज, अमीर और गरीब के बीच खाई चौड़ी हो रही है। इस खाई को कम करना होगा और मुझे आशा है कि 'हमें भारत निर्माण परियोजना' के माध्यम से गरीब और अमीर के बीच अंतर में कमी आयेगी। इस तरह केवल हम लोग ही एक ऐसा समाज बना सकते है जिसमें सभी वर्ग, संप्रदाय, धर्म के लोग शामिल हों।

आज जब भारत निर्माण की बात की जा रही है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** (धंधुका): महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है:

बजट है आंकड़ों का माया जाल,
गरीब, किसान और मजदूर बनेंगे इससे बेहाल
बड़े उद्योग के साहूकार बनेंगे मालामाल
मध्यमवर्गीय करदाता कहता है सुनो दिल का हाल
मंत्री जी ने बिछाया करों का मायाजाल।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास का नहीं ख्याल
दिन प्रतिदिन खींचे जाएंगे उनके बाल
सरेआम निकाली जाती है उनकी खाल
आजादी के बीत गए हैं पूरे 49 साल
काम के बदले अनाज सभी का है पुलावी ख्याल
आज भी भूख से मर रहे हैं उदाहरण हैं बेमिसाल
महिला कांप उठती है देखकर यह बजट
कहां जाकर रुकेगा महंगाई का यह रेट
पैसा मांगने वालों को नहीं दे सकेंगे डेट
माना चारों ओर काटने आती कैट
व्यापारी चिल्ला रहे हैं देखकर वैट

माननीय वित्त मंत्री जी पुन: विचार-विमर्श कर लो देखकर अपना बजट।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक): सभापति महोदय, मुझ से पूर्व माननीय सांसद महोदय ने जहां से छोड़ा है, मैं उसी बात को कहना चाहूंगा। इस देश में तीस करोड़ एससी और एसटी के लोग हैं, जिनके हितों की इस बजट में बिलकुल अनदेखी की गई है। मैं सर्वप्रथम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा मई, 2004 में घोषित कामन मिनीमम प्रोग्राम की चर्चा करूंगा। इस प्रोग्राम में शासन के छ: आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से मैं पांच सिद्धांतों को यहां पर उद्धृत करना चाहूंगा-

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों हेतु अवसर की समानता, विशेषकर शिक्षा तथा रोजगार के लिये, व्यवस्था करना।

[हिन्दी]

इस घोषणा के अनुरूप महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संसद में 25 फरवरी, 2005 को दिए गए अभिभाषण के पैरा 13 को भी उद्धृत करना चाहूंगा-"मेरी सरकार मानती है कि यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है कि समाज के वंचित वर्गों का सम्यक ध्यान रखा जाए। हम उनके शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए उपाय करने के प्रति वचनबद्ध हैं। साथ ही, हमें उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए तथा उन्हें सदियों पुराने पूर्वाग्रहों से भी मुक्त करना चाहिए। सरकार सिर पर मैला ढोने के अपमानजनक कार्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी तथा राज्यों को इसे लागू करने के लिए अगस्त, 2005 तक का समय दिया जाएगा।"

इसी में आगे कहा गया है कि-"मेरी सरकार शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के उत्थान और सशक्तीकरण के लिए भी वचनबद्ध है।"

सभापति महोदय, इन घोषणाओं को लागू करने और परिणामस्वरूप बनाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में कोई प्रामाणिक आधार नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था की कार्यप्रणाली में चाहे राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हो या वित्त मंत्री जी का बजट हो, उसमें सबसे ज्यादा प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करने वाली लुभावनी घोषणाएं की जाती हैं-यह परिपाटी आज सामान्यत: एक रस्म अदायगी हो गई है और इस रस्म अदायगी को पूरा भी किया जा रहा है। लेकिन अगर जमीनी वास्तविकता देखी जाए और इस भाषणों का विश्लेषण किया जाए तो निराशा की स्थिति सामने आती है। ये घोषणाएं यहां की गई। मेरा निवेदन है कि 26 जनवरी, 1950 को हमारे संविधान में ये घोषणाएं व्यापक रूप से कर दी गई। संविधान का प्रीएम्बल कहता है-

[अनुवाद]

"हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय"

[हिन्दी]

क्या आज इस देश के 30 करोड़ लोगों तक सामाजिक न्याय पहुंचा है, क्या उन तक आर्थिक न्याय पहुंचा है-यह सवाल हमें आज करना चाहिए। मैं मानता हूं कि एक साल के बजट में किसी तरह की कोई बात आना संभव नहीं है। लेकिन वित्त मंत्री जी ने जुलाई, 2004 में प्रस्तुत अपने बजट भाषण में कहा, जिसका उल्लेख अभी हमारे माननीय सांसद कर रहे थे कि-"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी विषय पर मेरे हृदय में विशेष स्थान है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 1137 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1180 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 1146 करोड़ रुपये (1087 करोड़ रुपये से बढ़ाकर) का आबंटन किया गया है। एसजीएसवाई, एसजीआरवाई तथा आईएवाई जैसी अन्य योजनागत स्कीमों के अंतर्गत भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए विशेष आरक्षण रखे गए हैं। इन आरक्षणों का विस्तार 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक है।" ये जो आंकड़े रखे गए हैं, वर्ष 2004-2005 का जो संशोधित आय-व्यय का अनुमान लगाया गया, उनमें इसे कम कर दिया गया। निष्पादन तक आते-आते, माननीय सांसद कहते हैं कि सिर्फ 600 करोड़ रुपये खर्च हुए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति इनकी यह प्रतिबद्धता है।

अत: मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन्होंने इस साल का जो बजट भाषण दिया है, उसमें लिखा है कि "मैं सम्पूर्ण आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास को प्रक्रिया में लाया जाए। पहली बार आप अपने दस्तावेजों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विकास संबंधी योजनाओं का एक पृथक विवरण पाएंगे। इन कार्यक्रमों के लिए आबंटन 6255 करोड़ रुपये का है।" यह बिल्कुल गोलमाल है, वित्त मंत्री जी ने बिल्कुल हेराफेरी करने वाली बात की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति का मंत्रालय अलग है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अलग है और अनुसूचित जनजाति का मंत्रालय अलग है—जिसका नाम है जनजातीय कार्य मंत्रालय। इन दोनों के कमीशन अलग-अलग हैं—अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। लेकिन इन दोनों का एक ही आंकड़ा फेंक दिया गया और केवल घोषणा कर दी गई। यहां वित्त मंत्री जी ने बहुत चतुराई दिखाई है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस चतुराई को छोड़ें। शैडयूल्ड कास्ट्स की समस्याएं अलग हैं और शैडयूल्ड ट्राइब्स की समस्याएं अलग हैं। इन समस्याओं का अलग-अलग अध्ययन करके, इनके बारे में व्यापक स्तर पर पर्याप्त आर्थिक प्रावधान रखने पर पुन: विचार करें। इनकी कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने भी इसी तरह का निवेदन किया है।

मैं इनके इकोनामिक सर्वे का उदाहरण देता हूं। इकोनामिक सर्वे 2004-2005 *...(व्यवधान)* मैंने अभी शुरू ही किया है। मैं एक उद्धरण देकर बाकी की स्पीच ले कर दूंगा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी तरफ से अभी कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

...(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल: मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। आपके अनुशासन का पूरा पालन किया जाएगा। एक उद्धरण देने के बाद, मैं अपनी स्पीच सभा पटल पर रख दूंगा। क्या आपे मुझे इसकी इजाजत देंगे?

सभापति महोदय: यदि आप अपना शेष भाषण सदन के पटल पर रखना चाहते हैं, तो रख सकते हैं। इसके लिए आपको परमीशन दी जाती है।

श्री कैलाश मेघवाल: ठीक है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों की आर्थिक प्रगति के लिए विशेष संघटक योजना की विशेष केन्द्रीय सहायता एक बहुत बड़ी योजना है। इस योजना के अंतर्गत 14.01.2005 तक वर्ष 2004-2005 के लिए 402 करोड़ रुपये आवंटित किये गये है। इस मंत्रालय ने इसमें से 206.13 करोड़ रुपये प्रयुक्त किये हैं।

[हिन्दी]

सफाई कर्मचारियों के लिए घोषणा की गयी है। यह राष्ट्रीय शर्म की बात है कि आजादी के 57 साल बाद भी हम मैला ढोने वाले व्यक्ति के सिर से मैला नहीं उतार सके। इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात हो सकती है। उसके लिए आप कहते हैं कि सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए तंत्र हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 में 34.75

[श्री कैलाश मेघवाल]

करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 36.91 करोड़ कर दिया गया है। मुझे आश्चर्य है कि सात लाख व्यक्ति आज सिर पर मैला ढो रहे हैं और सात लाख व्यक्तियों के सिर से मैला उतारने के लिए आप इतनी छोटी सी रकम दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस रकम से उनके सिर से मैला उतारने में कैसे सफल होंगे। यह एक मजाक मात्र है, एक घोषणा मात्र है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारे बजट का पुनरावलोकन कीजिए। कम से कम सिर से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए आप कोई ठोस योजना प्रारम्भ करें, जिससे अगस्त तक, जो आपके राष्ट्रपति द्वारा कहलाया है कि अगस्त 2005 तक मैला ढोलने की प्रथा समाप्त हो जायेगी, उसे जड़मूल से समाप्त करने का प्रावधान आप इसमें कीजिए जो वर्तमान में है।

*महोदय, वास्तविकता यह है कि अनुसूचित जातियों के विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में बजटीय प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। देश की आबादी में हर पांचवां आदमी अनुसूचित जाति है। इन जातियों की भारतीय समाज में छुआछूत का दंश झेलने की सैकड़ों सालों की पृष्ठभूमि है। आजादी के बाद उस अमानवीय घृणास्पद स्थिति से निकलना चाहती है, लेकिन उस हेतु जो प्रयत्न किए गए वे पर्याप्त नहीं हैं। विभिन्न राजनैतिक जनतांत्रिक संस्थाओं में दिए गए आरक्षण और सार्वजनिक सेवाओं में दिए गए आरक्षण से जो लाभान्वित हुए हैं, वह बहुत ही कम लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आर्थिक समानता के धरातल पर ला सका है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक प्रतिष्ठा पाने की ललक है, वे आर्थिक सम्पन्ना की ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन इसके लिए शिक्षित होना एवं उद्यमी होना बहुत आवश्यक है। स्वतंत्र भारत में स्थापित संवैधानिक व्यवस्थाओं की मानवीय संवेदना का आलम यह है कि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के 57 साल बाद भी सिर पर मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति नहीं दिला सके हैं। क्या यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं है?

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश के आर्थिक लेखे-जोखों में, परिसम्पत्तियों के स्वामित्व में, आर्थिक रूप से सम्पन्नता की ओर ले जाने वाले स्रोतों में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी कितनी है? जिनके हाथ में आर्थिक उत्पादन के साधन होते हैं, गरीब एवं वंचित वर्गों को उनका आश्रित रहना पड़ता है। क्या आज कृषि में, उद्योग धंधों में, आर्थिक रूप से सम्पन्न करने वाले साधनों में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी उनकी जनसंख्या के अनुपात में है? इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही निराशाजनक है। सामाजिक वर्जनाओं की त्रासदी भोग रहे अनुसूचित जाति वर्ग भयंकर निराशा, कुण्ठा एवं असहाय स्थिति में खड़ा है।

महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण और यह बजट इन लोगों के कल्याण के लिए अपर्याप्त हैं। इनके उत्थान एवं कल्याण के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनाई गयी नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम सफल नहीं हुए हैं। इस बाबत गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों की समस्याएं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेशों से उत्पन्न हुई हैं और राष्ट्रव्यापी हैं। इनके समाधान के लिए राज्य सरकारों से अपेक्षा करना मात्र छलावा होगा। अत: मंत्री जी से निवेदन है कि अपने बजट प्रावधानों पर पुनर्विचार कर इस वर्ग के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करें ताकि एक सामाजिक क्रान्ति एवं सांस्कृतिक पुनरुद्धार का आन्दोलन जन्म ले सके और यह वर्ग शिक्षा एवं उद्यम के क्षेत्रों में विकास प्राप्त करने में सफल हो सके।

[अनुवाद]

***श्री एस.के. खारवेलथन** (पलानी): हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने जो यह लोकप्रिय बजट पेश किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आजादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य की परिकल्पना की थी। हमारे वित्त मंत्री जी ने यह बजट ग्राम राज्य की दिशा में ही समर्पित किया है।

अब मैं इस बजट की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताना चाहता हूं:

- कर ब्रैकेट में परिवर्तन;
- 1 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त बनाना;
- महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1.5 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करना;
- 1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत आयकर 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत आयकर लगेगा और उसके ऊपर 30 प्रतिशत आयकर लगेगा।
- सुनामी प्रभावितों के लिए 3,644 करोड़ रुपयों का आवंटन;
- रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर सीमाशुल्क समाप्त;
- गैर कृषि उत्पाद कर को घटाकर 15 प्रतिशत करना;
- वस्त्र मशीनरी तथा रेफ्रिजरेटेड वैन पर शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना;
- खाद्य प्रसंस्करण-रेफ्रिजरेटेड वैन में 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया;

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

- कुकिंग कोल पर शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया गया;

- पोलिएस्टर और नाइलोन चिप्स, वस्त्र रेशों, धागों और मध्यवर्तियों, फैब्रिक्स एवं गारमेंट्स पर सीमाशुल्क दरें 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करना;

- इमिटेशन तथा ज्वेलरी पर उत्पाद शुल्क घटाकर 8 प्रतिशत किया गया;

- चाय, परिष्कृत खाद्य तेल तथा वनस्पति पर अधिभार और उत्पाद शुल्क समाप्त करना;

- कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना;

- ऐसे सभी सेवा प्रदायकों जिनका सकल कारोबार प्रतिवर्ष 4 लाख रुपये से अधिक न हो, को सेवा कर से छूट प्रदान करना;

इतना ही नहीं, इस बजट का उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु इस बजट में 74,844.46 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। केवल ग्रामीण विकास के लिए 22,682.26 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए तथा काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 9000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। अब देखना यह है कि यह धनराशि गरीबों और दलितों तक पहुंचती है या नहीं। इन कार्यों की पहचान पूरी तरह राज्य नेताओं की सिफारिशों पर आधारित होगी। अनाज गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठेकेदारों द्वारा इसे बाहर बाजार में बेचा जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए लिए 3,804.50 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। तमिलनाडु में पूर्व में, पंचायत संघों द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आने वाले सड़क कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया था लेकिन अब इसे राजमार्ग विभाग द्वारा अपने हाथ में लिया जा रहा है। विगत एक वर्ष में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई कार्यों की शुरूआत नहीं हो सकी है। इन योजनाओं हेतु आवंटित की गई धनराशि राज्य सरकार के पास अप्रयुक्त पड़ी है। राष्ट्रीय सम विकास योजना—पिछड़े जिले/क्षेत्र हेतु क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 5000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र पलानी डिंडीगुल जिला के अंतर्गत आता है। इस जिले को एक पिछड़ा जिला घोषित किया गया है। वर्ष 2004-05 के लिए 15 करोड़ रुपये आवंटित किये गए, और वर्ष 2005-06 के लिए 15 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। गत वर्ष कृषि इंजीनियरिंग के माध्यम से वाटरशेड विकास कार्यों के लिए 15 करोड़ रुपये की कुल धनराशि में से 124.310 लाख रुपये आवंटित किये गये थे। लेकिन उस धनराशि का दुरुपयोग किया गया। उपर्युक्त विभाग ने मेरे निवार्चन क्षेत्र में किसी भी कार्यक्रम को ढंग से लागू नहीं किया है। इसी तरह डिंडीगुल तथा कोडईकनाल में जिला वन कार्यालयों के लिए 145.450 लाख रुपये आवंटित किये गये थे। वन स्थित गांवों तक संपर्क मार्ग बनाने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत 45 लाख रुपये आवंटित किये गये थे और वदमादुरई ब्लाक के अय्यलूर तथा नाथन ब्लाक के सेन्दुराई ब्लाक में काम शुरू भी किया गया था लेकिन अभी तक ये कार्य पूरे नहीं हो सके हैं। जो काम किया गया वह भी ठीक तरह से नहीं हुआ। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने सारा पैसा हड़प कर लिया है। यदि ठेकेदारों को चुनने और कार्य को कार्यान्वित करने के तरीकों को सत्यापित कर लिया जाता है तो इससे इस बात की पोल खुल जायेगी कि इन कार्यों के कार्यान्वयन में कितना कुप्रबन्धन है। जो वन अधिकारी इन कार्यों को ढंग से नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

आर एस वाई वी योजना के तहत कृषि इंजीनियरिंग विभाग तथा डिंडीगुल वन विभाग को जो कार्य आवंटित किये गये है उनकी पूरी तरह जांच की जानी चाहिए। अन्यथा हमारी सरकार द्वारा जो बड़ी मात्रा में धनराशि आवंटित की गयी है वह पूरी तरह व्यर्थ रहेगी।

मैंने डिंडीगुल के जिला वन अधिकारी से बार-बार यह अनुरोध किया कि आर एस वाई वी योजना के अंतर्गत नाथम तालुक में एल. मलययार पी. मलययार वन गांवों में संपर्क मार्ग बनाये जायें लेकिन आज इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसी पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को अस्पताल जाना हो, बाजार जाना हो, कस्बा जाना हो या फिर किसी दूसरे महत्वपूर्ण काम से कहीं जाना हो, तो उन्हें सड़क न होने के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इस क्षेत्र में कई गर्भवती महिलाएं अस्पताल पहुंचने के पहले ही इसलिए दम तोड़ देती हैं क्योंकि उन्हें चारपाई पर लिटाकर लोगों द्वारा कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। अत: उक्त पहाड़ी क्षेत्र में सड़क की सुविधा बहुत ही जरूरी है।

इतना ही नहीं, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात की भी बधाई देता हूं कि उन्होंने ग्रामीण शिक्षा को इस बजट में इतना अधिक महत्व दिया है। वर्ष 2004-05 में सर्वशिक्षा अभियान के लिए 3,057 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे और इस वर्ष इसके लिए 4,754 करोड़ रुपये आवंटित किये गये है। प्रारंभिक शिक्षा कोष के लिए 7156 करोड़ रुपये आवंटित किये गये है। मध्याह्न भोजन योजना के लिए वर्ष 2004-05 में 1675 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे लेकिन इस वर्ष 1756 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। एम. फिल और पीएच डी कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए पहली बार राजीव गांधी राष्ट्रीय शोधकृत्ति शुरू की गई है और प्रतिवर्ष 2000

शोधनवृत्तियां देने का निश्चय किया गया है। कृषि विपणन और विविधीकरण हेतु 2,283.28 करोड़ रुपये आवंटित किये गये है। पिछले बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री ने कृषि ऋण और शिक्षा ऋण के लिए बहुत बड़ी धनराशि आवंटित की थी लेकिन कुछ बैंक जानबूझकर किसानों और छात्रों को ऋण नहीं दे रहे है। सरकार ने सहकारी ऋणों को पांच वर्ष की समय-सीमा में अदा करने को कहा है लेकिन कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक इस बात पर जोर देते हैं कि ऋण लेने वाले लोग पहले सहकारी ऋणों को अदा कर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करें। यहां तक कि हमारे वित्त मंत्री ने कई बैंकों का दौरा किया और बैंक अधिकारियों को इस बारें में निदेश दिया फिर भी बैंक इस बारे में सरकारी आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

पुन: मैं भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति पर विचार करने के लिए माननीय वित्त मंत्री से नम्र निवेदन करता हूं। उत्तर भारत में किसान भारी बाढ़से संघर्ष कर रहे हैं जबकि दक्षिण भारत में पानी के लिए संघर्ष कर रहे है। सरकार को कम से कम दक्षिण भारतीय नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए धन देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, सरकार को गरीब किसानों की दयनीय स्थिति पर विचार करना होगा तथा कम से कम सरकार द्वारा गरीब किसानों पर सहकारी संस्थानों द्वारा ब्याज तथा दंडस्वरूप लगाए गए ब्याज को माफ करना होगा।

माननीय वित्त मंत्री एक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा इस देश में एक देदीप्यमान विधि वेता है। वे ग्रामीण क्षेत्र में न्यायालयों की स्थिति को बेहतर समझते है। विशेषकर तालुका क्षेत्र के न्यायालयों की स्थिति बहुत ही खराब है। उदाहरण के लिए मेरे चुनाव क्षेत्र तथा मेरे शहर कंगयम में मुसिफ तथा मैजिस्ट्रेट न्यायालय पशु-शेडो में चल रहे हैं। इसी प्रकार वेदाशोन्तुर न्यायालय एक जीर्ण-शीर्ण आवासीय मकान में चल रहा है। यही हाल पूरे देश में है। हमारी सरकार द्वारा इस देश में ग्रामीण न्यायालयों के लिए अवसंरचना सम्बंधी सुविधाओं के निर्माण के लिए एक विशेष कोष की स्थापना करनी होगी।

इसके अतिरिक्त, मैं सेवा कर का उल्लेख करना चाहूंगा। विशेषकर उन लारियों के बारे में जो खाद्यान्न जैसे-धान, गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्नों-को ढोते है को इस कर से छूट दी जानी चाहिए। अन्यथा, इससे आम आदमी प्रभावित होगा।

अंतिम बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री ने बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए आनंद माडल को अपनाने की घोषणा की थी। इसे औषधीय पौधों और उनके अर्कों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए तिमलवाडु में किसान 'ज्लोरीसा सुपर्बा' की खेती कर रहे हैं। सुपर्बा से उसके अर्क निकाले जाते हैं और उनका विदेशों में निर्यात किया जाता है। किसानों से केवल कुछ ही लोग 300 रुपये प्रति किलो मीटर से 'सुपर्बा' बीज खरीदते है और बड़ी रकम के लिए इसे विदेश में निर्यात करते है। इस खेती के कारण बहुत से लोग मर गए। किसानों की दयनीय दशा पर विचार करते हुए भारत सरकार को आनंद माडल की तर्ज पर किसानों से खरीद करनी होगी और उन्हें बचाना होगा।

इन्ही शब्दों के साथ मैं बजट 2005-06 का समर्थन करता हूं।

*डा. टोक चोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): महोदय, मैं इस बजट को अपने देश का सबसे अधिक संतुलित बजट मानता हूं जहां की अधिकांश आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। इस बजट भाषण के प्रारंभ में ही बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इसमें निहित बातों का उल्लेख है-जो बहुत ही स्पष्ट और व्यापक है। पूरे भाषण के एक दर्जन खंड है।

महोदय, मैं वित्त मंत्री के भाषण के पैरा 183 का उद्धरण पेश करते हुए अपना भाषण शुरू करता हूं। इस बजट में उस पथ पर चलने का प्रयास किया गया है जिसमें वृद्धि और समानता एक दूसरे से हाथ मिलाकर चलेंगे और एक नए भारत का निर्माण करेंगे।'' यही उद्देश्य है जिसे वित्त मंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम की कार्यसूची को कार्य रूप देने का प्रयास कर रहे है।

महोदय, मैं इस महान सदन के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यह बजट आम आदमी का हितैशी, गरीबों का हितैषी है और इसके विकास, स्थायित्व और समता के बीच संतुलन बनाए रखा गया है। ऐसा करते वक्त इस बजट में महामहिम हम भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दिए गए अभिभाषण को पूर्णत: बदलने की कोशिश की गई है इसके लिए माननीय वित्त मंत्री को मै दिल से धन्यवाद करता हूं। इसके लिए हम उन्हें बहुत बधाई देते है।

महोदय, गरीबी और बेरोजगारी पर आक्रमण स्पष्टतौर पर कई योजनाओं या मिशनों को शुरू करके लोगों को सक्षम बनाने का प्रयास है। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहूंगा जैसे-रोजगार विहीन विकास के विचार को छोड़ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अंत्योदय अन्न योजना, समेकित बाल विकास सेवाएं, दोपहर का भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राजीव गांधी पेयजल मिशन पूर्ण स्वच्छता आंदोलन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिये योजनाओं पर अलग से विवरण विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे संस्थानों में बड़ी संख्या में प्रोत्साहन या छात्रवृत्तियां या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तर्ज पर एएम.फिल. या पी.एचडी. की डिग्री

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जारी रखने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति देकर सरकार बेरोजगारी दूर करने का प्रयास कर रही है।

महोदय, लिंग संबंधी बजट निर्माण, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम के लिए इक्विटी समर्थन बढ़ाना, सर्व शिक्षा अभियान के तहत नए विद्यालय खोलना और कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना, और अल्पसंख्यक आबादी बहुल क्षेत्रों में जिले में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलना, और उत्तर प्रदेश में उर्दू का विकास और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण और मानव संसाधन विकास द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के परीक्षा पूर्व शिक्षण के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष, बिहार, जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज, और ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष।

महोदय, जम्मू और कश्मीर में उधमपुर-बारामूला रेललाइन का एक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में क्रियान्वयन, कुमारघाट-अगरतला-लाम्डींग-सिलचर-जिरीबम-इम्फाल, परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में रेल बजट के अतिरिक्त धन उपलब्ध कराना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजमार्ग विकास के लिए विशेष पैकेज की स्वीकृति देश में मौजूद क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने की दिशा में सरकार की तत्परता को दर्शाता है।

महोदय, भारत के महामहिम राष्ट्रपति के भारत के निर्माण के लिए 'भारत निर्माण' जैसी उनकी दूरदर्शिता के लिए सत्ता पक्ष के साथ-साथ मैं भी उनका अभिवादन करता हूं और माननीय वित्त मंत्री को छः घटकों वाले, नामतः, सिंचाई, सड़क, जल आपूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार संपर्क कार्य योजना बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं। इस बड़ी योजना का सबसे उत्साहवर्द्धक भाग आयोजना और क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थानों की पूरी भागीदारी के प्रति वचनबद्धता है।

महोदय, हमारे देश में, जिसकी आबादी का दो तिहाई भाग कृषि पर निर्भर करता है और 2003-04 के सकल घरेलू उत्पाद में जिस पर 21 प्रतिशत योगदान था, के लिए सरकार ने विस्तार करने, विविधीकरण तथा मूल्यवर्धन के लिए अपेक्षित मूलभूत ढांचे में निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव करके सरकार ने सही फैसला किया है। औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, दोनों फलने-फूलने तथा आपस में प्रतिस्पर्धा का अवसर दिया जाना चाहिए। इसकी प्राप्ति के लिए क्रियान्वयन हेतु कई परियोजनाएं या आयोजनाएं प्रस्तावित हैं। उनमें से कुछ का मैं उल्लेख करना चाहूंगा जैसे—कृषि विविधीकरण के लिए खाका, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, व्यापक पुनः वृक्षारोपण तथा नवीनीकरण, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम और कृषि उत्पाद विपणन समिति जैसी एजेंसियों के माध्यम से कृषि विपणन मूलभूत ढांचे का विकास तथा इसे मजबूत बनाना।

महोदय, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण, पुनः स्थापना के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं को शुरू करना, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में समुचित तथा कारगर बाढ़ प्रबंधन त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का क्रियान्वयन, लघु सिंचाई, ग्रामीण उधार और देनदारी का विनियमन, भारत में सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 के अनुरूप बनाना, फार्म बीमा, लघु वित्त, लघु बीमा, देश के प्रत्येक गांव में ज्ञान केन्द्र की स्थापना और वर्तमान माहौल में कृषि अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना, और हमारे कृषि प्रधान देश के लिए जरूरी विशेष ध्यान देना।

महोदय, बजट में कई मूलभूत ढांचा विकास कार्यक्रमों का सुझाव है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, ग्रामीण विद्युतीकरण इंदिरा आवास योजना, विशेष उद्देश्य योजना, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाओं का प्रावधान, राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन उल्लेखनीय कार्यक्रम हैं।

महोदय, वित्तीय क्षेत्र में मंत्री जी ने सही कार्य किया है और बैंकिंग, पूंजी बाजार और ओवर काउंटर प्राप्ति, स्टाक एक्सचेंज निगमितीकरण और व्यावसायिक पेपर पर स्टाम्प शुल्क लगाकर मुम्बई में क्षेत्रीय वित्तीय केन्द्र बनाकर तथा स्वर्ण यूनिट लागूकर इनमें अच्छा सामंजस्य स्थापित किया है।

पेंशन कोष नियामक प्राधिकरण की स्थापना से जरूरतमंदों को काफी लाभ होने वाला है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को अपनाने के दौरान आने वाले अतिरिक्त भार को वहन करने में सरकार सक्षम है। तथापि, राज्यों को आयोग के निर्णय से लाभ होगा।

महोदय, सी.एम.पी. के क्रियान्वयन के लिए सरकार को बड़ी राशि की जरूरत है जिसके लिए धन जुटाना ही एक मात्र रास्ता बच गया है। इसलिए, कर प्रस्ताव किया गया है। बजट में दिए गए कर प्रस्तावों, जो अप्रत्यक्ष कर तथा प्रत्यक्ष कर दोनों ही मोर्चों पर बिल्कुल संतुलित है, का स्वागत करते हुए हर जगह आम इच्छा है कि एक दिन में 10,000 रुपये या इससे अधिक की राशि बैंक से निकालने पर उस पर 0.1 प्रतिशत का शुल्क न लगाया जाए। मैं भी चाहता हूं कि इस प्रकार का कर नहीं होना चाहिए।

अंत में, महोदय, मैं अपने सत्ता पक्ष के सम्भावित सहयोगियों का 2005-06 में इस बजट का, जो सबसे ज्यादा संतुलित बजट है, समर्थन करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

*श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): वर्ष 2005-06 का जो बजट माननीय श्री पी. चिदम्बरम जी ने पेश किया है, उसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए, किसानों के लिए और खेतीहर मजदूरों के लिए कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं। केवल नाममात्र का बजट इन वर्गों के लिए रखा गया है। अध्यक्ष जी, किसी भी देश की प्रगति के लिए गांव की प्रगति बहुत मायने रखती है और गांव की प्रगति तब हो सकती है जब हर गांव को सड़कों से जोड़ा जाए क्योंकि जब तक गांव में सड़कें नहीं होंगी, न स्कूल खुलेंगे, न अस्पताल खुलेंगे और न ही अध्यापक आएंगे और न ही कर्मचारी आएंगे। इसलिए सड़कों का गांवों से जोड़ना अति आवश्यक है। पिछले माननीय श्री वाजपेयी जी की सरकार ने गांव के विकास के लिए एक बहुत ही आवश्यक और लोकप्रिय योजना "प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना" शुरू की थी जो इस सरकार ने उस योजना को बंद करके गांव की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है।

भारतवर्ष गांव में बसता है और देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है। इस बजट में किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लगभग हर वर्ष किसानों की समस्याओं के बारे में इस सदन में चर्चा होती है और सांसद किसानों की समस्याओं के बारे में गंभीरता से अपनी बातें रखते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यह कटु सत्य है कि आज देश के किसानों की दशा दयनीय है और आजादी मिलने के बाद कभी भी गंभीरता से किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। वर्ष 1951 में उद्योग नीति तो बन गई लेकिन 50 वर्ष बाद वाजपेयी जी ने कृषि नीति बनाई जिसके कुछ अच्छे परिणाम आने लगे, यदि आजादी के बाद उद्योग नीति के साथ कृषि नीति भी बनाई जाती तो आज यह स्थिति किसानों की न होती। आज यह हालत हो गई है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता यूरोपियन होती जा रही है और खेती का काम भी यूरोपियन होता जा रहा है।

हमारे देश की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं फसलों में बीमारी लग जाती है। लेकिन पिछली वाजपेयी की सरकार ने किसानों की मूल समस्या पानी की समस्या और अकाल की समस्या को हल करने के लिए सभी नदियों को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जिससे अकाल और बाढ. दोनों समस्याओं का हल हो सकता था। लेकिन मौजूदा सरकार ने इस योजना को भी लटका दिया जिससे पूरे देश के किसानों में भारी रोष है।

आज किसान की हालत यह हो गई है कि किसान की होल्डिंग बहुत छोटी रह गई है। हर किसान एक या दो एकड़ का मालिक बनकर रह गया है जिससे उसका गुजारा होना मुश्किल हो गया है। आज देश में 22 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास केवल एक एकड़ जमीन है। 59.4 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास अढ़ाई एकड़ जमीन है तथा 18.6 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास पांच एकड़ जमीन है। इस भूमि पर पंजाब एग्री कल्चर यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक एक एकड़ पर 7600 रुपए कर्ज है। इस भूमि पर पंजाब एग्री कल्चर यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक एक एकड़ पर 7600 रुपये कर्ज है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति का जायजा लगाया जा सकता है और हालत यह हो गई है पिछले कई वर्षों से पंजाब जैसे खुशहाल प्रांत में सैकड़ों-सैंकड़ों किसान आत्मदाह करने पर मजबूर हो रहे हैं और यह संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है।

किसान का एक साधन पशु-धन होता है। जिसके पास जमीन नहीं होती, पशु पालकर गुजारा करता है और आमदनी का यह साधन भी समाप्त होता जा रहा है। 1952 में प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे 452 पशु थे जो 1992 तक आते-आते 232 रह गये हैं और उसके आगे यह संख्या निरंतर गिर रही है।

पिछली सरकार ने गांव के लोगों और किसानों के लिए कई आकर्षक योजनाएं बनाई थीं जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि नीति, फसल बीमा योजना शामिल हैं जिससे किसानों का कुछ भला हुआ है किन्तु मौजूदा सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और पिछली वाजपयी जी की सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिया। प्रतिवर्ष लागत के आधार पर किसानों की फसलों के दाम बढ़ते रहे लेकिन इस सरकार ने उनकी फसलों के उचित दाम नहीं दिये जिसकी वजह से आज किसान बहुत दुखी हैं।

इस बार कपास और सरसों की फसल की जो दुर्गति हुई है। इस वर्ष किसानों को नाममात्र 1700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अपनी कपास की फसल बेचने को मजबूर होना पड़ा। जबकि यह फसल पिछले वर्षों में 2700/2800 रुपए प्रति क्विंटल मिली थी जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था लेकिन कपास उत्पादक हर किसान आज देश में रो रहा है।

किसानों को उनका लाभकारी मूल्य मिल सके, इस विषय में सरकार गंभीरता से विचार करे और किसानों की फसलों का दाम तय करने वाली कमेटी जिसे हम एग्रीकल्चर प्राइज कमीशन कहते हैं, उसमें 50 प्रतिशत नुमाइंदे किसान वर्ग से होने चाहिए ताकि वे किसानों की बात रख सकें। किसान की मुख्य चीजें बिजली, पानी, सस्ते बीज व खाद और उनकी फसलों की मार्किटिंग

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

व्यवस्था और अच्छे मूल्य मिलना ही एकमात्र हल है जिसे इस सरकार को पूरा करना चाहिए। जहां तक खाद का संबंध है एफआईसीसी नाम की जो संस्था है जो रिटेंसन प्राइज तय करती है, उसे बंद किया जाये और खाद की जो सब्सिडी जो कारखानों को दी जा रही है वह सीधे रूप में किसानों को दी जाए।

मैं बार-बार भूतपूर्व सैनिकों के विषय में लगातार इस सदन में मांग करता रहा हूं कि जिन लोगों ने लगातार देश की सीमाओं की रक्षा की और देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और आज भी जो लोग भूतपूर्व सैनिक हैं उनके परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और उनकी लगातार एक ही मांग रही है 'वन पेंशन वन रैंक' उन्हें दिया जाए लेकिन दुःख की बात यह है कि उच्चाधिकारियों को तो यह सुविधा दी गयी लेकिन जो छोटे रैंक के भूतपूर्व सैनिक हैं उनको इस सुविधा से वंचित रखा गया है और लगातार उनके अन्य अधिकारों पर भी कटौती की जा रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करे, यह देश के हित में भी है।

ऐसा सुनने में आया है कि केन्द्र सरकार कुछ बैंकों का एकीकरण करने जा रही है जिससे पूरे देश के बैंक कर्मचारियों में बड़ा भारी रोष है। यह सत्र जिस दिन शुरू हुआ पूरे देश के बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों और समस्याओं के बारे में बड़ा भारी प्रदर्शन पार्लियामेंट में किया था और अपनी मांगों के प्रति सरकार को चेताया था। ऐसा सुनने में आया है कि सरकार बैंकों का एकीकरण करके हजारों बैंक कर्मचारियों को बेघर करना चाहती है और छंटनी करना चाहती है। बैंक कर्मचारियों की यह मांग है कि एक्स-ग्रेशिया आधार पर बैंकों में उनके परिवारों को नौकरी दी जाये, उनको पेंशन की सुविधा जारी की जाए और उनकी अन्य बातों पर भी गंभीरता से विचार करके समस्याओं का समाधान किया जाए।

अब मैं हरियाणा की बात करता हूं। हरियाणा एक खुशहाल प्रदेशों में से गिना जाता है। हरियाणा के किसानों की हालत पंजाब के किसानों से बदतर है। हरियाणा का आधा हिस्सा प्रतिवर्ष सूखे में मरता है और आधा हिस्सा फ्लड की वजह से। हरियाणा का पिछले 37-38 वर्षों से एसवाईएल नहर का मामला लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के पक्ष में सरकार का हजारों करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। यह नहर 121 कि.मी. लम्बी बन चुकी है केवल 6 कि.मी. बननी बाकी है लेकिन पंजाब के हमारे भाइयों ने व्यर्थ में इसे राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। सारा पानी जो इस नहर के द्वारा हरियाणा और राजस्थान को मिलना है वह आज भी पाकिस्तान में जा रहा है। हरियाणा के किसान को पानी देना मंजूर नहीं है लेकिन हमारे पंजाब के भाई पाकिस्तान को पानी दे रहे हैं। आज केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बन गई है और इस विषय में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में दिया हुआ है। अतः शीघ्रातिशीघ्र नहर को बनवाकर हरियाणा को पानी दिया जाय ताकि हरियाणा की प्यासी धरती की प्यास बुझ सके। हरियाणा की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पानी पर टिकी हुई है।

माननीय मंत्री जी ने इस बजट में मध्याह्न भोजन स्कीम में जो राशि बढ़ाई है, उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन आम तौर पर यह देखने में आता है कि यह भोजन बच्चों को मिलने की बजाय बिचौलिये और दूसरे लोग हजम कर जाते हैं और बच्चे भूखे रह जाते हैं और इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

अपने बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने पेट्रोल, लोहा, सीमेंट, खाद और कृषि से संबंधित चीजों पर टैक्स बढ़ाकर किसानों के प्रति अपनी सरकार का रवैया स्पष्ट कर दिया है। इसलिए सीमेंट, लोहा, पेट्रोल, डीजल पर जो टैक्स लगाया गया है, उसे वापिस लिया जाए। इसलिए मैं समय के अभाव के कारण अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यदि गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। किसान का विकास होगा तो पूरी जनता का विकास होगा।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2005-06 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं वित्त मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत संतुलित बजट पेश किया है। इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। मंत्री जी ने किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगारी, उद्योग, आदि सबका ध्यान रखकर एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यह बजट 95 हजार करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। मगर वहीं माननीय वित्त मंत्री जी ने यह प्रयास किया है कि वर्ष 2004-05 के बजट में, आवाम के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाएं, जैसे ऊर्जा, परिवहन, दूर-संचार, उद्योग, खनिज, ग्रामोद्योग, विज्ञान प्रौद्योगिक, पर्यावरण, कृषि और सिंचाई आदि के लिए जो प्रावधान रखा था, उसे बढ़ाकर लोगों की मदद करने की कोशिश की जाए। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर यह जरूर कहूगा कि उन्होंने कोशिश तो बहुत की है परन्तु इस कोशिश का नतीजा कितना सार्थक होगा, इसे देखना होगा। खासतौर पर कहा जाता है कि यह बजट यूपीए सरकार का है और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित है, मैं समझता हूं कि इस बजट की जितनी तारीफ की जाये, वह कम है क्योंकि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। आपने देखा होगा कि एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से महंगाई काफी बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन भी नियंत्रण से

[श्री राम कृपाल यादव]

काफी बाहर चला गया था। मगर मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी बहुत अनुभवी हैं। आपने ठोस निर्णय के आधार पर कार्य क्षमता दिखाकर इंफ्लेशन रोकने का काम किया है और फिलहाल जिस तरह से इंफ्लेशन बढ़ रही थी, उसे रोकने का काम किया गया है।

भारतवर्ष गांवों का देश है। देश की 70-75 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। मैं समझता हूं कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक देश की आवाम खुशहाल नहीं हो सकती है, चाहे जितना भी हम प्रयास कर लें। गांवों की तरफ आज लोगों का आकर्षण कम हुआ है और शहरों की तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा हुआ है। इसका मूल कारण यह है कि गांवों में बुनियादी सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जो मिलनी चाहिए, वे भी नहीं मिल पातीं जिनकी वजह से धीरे-धीरे शहरों की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। इससे पिछले 10-15 सालों में शहरों की आबादी जिस गति से बढ़ी है, जो शहरों की आबादी पहले 20-21 प्रतिशत हुआ करती थी, वह आज 34-35 प्रतिशत तक बढ़ गई है। यदि लोगों को शहरों की ओर पलायन करने से नहीं रोका गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। गांव और खेत-खलिहान की बात हम सब करते हैं मगर उनके लिए वास्तव में हम कितना प्रयास कर रहे हैं, यह हमें देखना पड़ेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बजट में खेत-खलिहान, यानी किसानों के लिए 38 प्रतिशत राशि को बढ़ाने का प्रावधान रखा है। परन्तु इसके बावजूद भी यह राशि अपर्याप्त है। देश में आज उनकी आबादी 75 प्रतिशत है, इसलिए उनके लिए आपको लगभग 50 प्रतिशत मिनिमम वृद्धि करनी होगी। जब तक 50 प्रतिशत गांवों की तरफ वृद्धि नहीं करेंगे, हिन्दुस्तान का गांव तरक्की नहीं कर सकता।

आपने रोजगार गारंटी की बात कही है, आपने कहा है कि हम काफी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन जिस तरह से आपकी सोच है, अगर वह सोच जमीनी रूप में आ जाए तो सब कारगर हो सकता है। जब तक छोटे उद्योगों को आप बढ़ावा देने का काम नहीं करेंगे, अगर गांवों के लोगों को खुशहाल रखना चाहते हैं तो आपने जो सिंचाई की व्यवस्था की है, जो मूल रूप से गांवों के लिए व्यवस्था की है, रोटी-कपड़ा, मकान, पानी, बिजली, जो जीवन के मूल आधार हैं, आपने इंदिरा आवास में पैसा दिया है और कहा है कि हम 7 लाख लोगों को आवास देंगे लेकिन मैं कहूंगा कि यह बहुत कम है।

मैं आपका ध्यान बिहार की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार जैसे दूसरे प्रदेश उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं मगर हमारे बिहार की हालत क्या है? बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी मात्र 3345 रुपया है जबकि देश की प्रति व्यक्ति आमदनी 12870 रुपये है। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद से ही, प्रथम पंचवर्षीय योजना जब से लागू की गई है, बिहार की उपेक्षा की गई है।

आपने प्रति वित्त वर्ष बिहार के लिए करीब 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। दस साल के लिए साढ़े सात हजार करोड़ रुपए दिए हैं, जो अपर्याप्त हैं और ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। बिहार आबादी के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। इसकी आबादी करीब आठ करोड़ है। बिहार में जहां एक तरफ सूखा है, तो दूसरी तरफ बाढ़ से लोग प्रभावित रहते हैं। हम अपने आदरणीय नेता, लालू प्रसाद जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने बिहार के विकास के लिए काफी प्रयास किया। जब केन्द्र में एनडीए सरकार थी, तो उसने देश को बर्बाद कर दिया, बेच डाला। भा.ज.पा. सीनियर लीडर, हमारे गार्जियन मल्होत्रा साहब यहां बैठे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार में बिहार से 12 मंत्री थे, पहले वित्त मंत्री जी भी वहीं से थे, जब संयुक्त बिहार था, लेकिन सभी ने बिहार को सिर्फ क्रीटिसाइज करने के सिवाय और कुछ नहीं दिया। आप क्रिटिसाइज करके वापस आ जाते थे। आपने सिर्फ यही काम किया। अगर ईमानदारी के साथ काम करते, तो बिहार की आज तस्वीर दूसरी होती। ...*(व्यवधान)* बिहार का बंटवारा कर दिया गया और एक पैसा भी उसे नहीं दिया, जबकि जोर देकर कहा गया कि हम बिहार को विशेष पैकेज देंगे।

सभापति महोदय: आप कृपया समाप्त करें, क्योंकि आपके दल से दूसरे सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री राम कृपाल यादव: मुश्किल से मुझे पांच मिनट मिले हैं, मैं थोड़ा समय और चाहूंगा, क्योंकि बिहार और बिहार के लोग काफी उपेक्षित रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक साजिश के तहत बिहार का बंटवारा कर दिया गया। यहां सभी माननीय सदस्य बैठे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं कि बिहार और झारखंड का हित यदि आप करना चाहते हैं, तो इन दोनों राज्यों को पुन: मिला दिया जाए, जिससे वहां प्रगति हो सके। झारखंड को उपनिवेश बना दिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां फंडिंग कर रहे हैं, उसे लूट रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इसलिए बिहार जो इतने सालों से उपेक्षित रहा है, उसे बचाया जाए।

सभापति जी, आप भी बिहार में गए हैं। आपने भी देखा है कि वहां किस कदर गरीबी, फटेहाली, बदहाली और बेरोजगारी है। क्या बिहार देश का हिस्सा नहीं है, अगर है तो फिर क्यों उसे देश से बाहर रखने का काम किया गया है। जब संयुक्त बिहार था, तो वहां बिहार का नहीं, केन्द्र का राज था। हमें वहां से कोयला निकालने के लिए भी केन्द्र से अनुमति लेनी पड़ती थी। हमें हमारा ही हक नहीं मिला। इसलिए हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करें।

श्री राम कृपाल यादव: मैं पांच मिनट और लूंगा। चाहे हमारी पार्टी की सरकार रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, या बीजेपी की सरकार रही हो, सभी ने बिहार का शोषण और दोहन किया है और बिहार के अवाम का इस्तेमाल करने का काम किया है। *...(व्यवधान)* यहां कहा गया कि लालू जी और राबड़ी देवी जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 15 साल हम लोगों ने राज किया और गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाने का काम किया। यही पाप किया था लालू जी ने। अगर वह गरीबों की बात नहीं करते, तो शायद उन्हें जेल भी नहीं जाना पड़ता। अब वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। कहा जा सकता है कि परिस्थितिवश वहां सरकार नहीं बनी, लेकिन हमारी पार्टी बिहार में लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। मैंडेट न हमें मिला है और न ही किसी दूसरी पार्टी को ही मिला है। आप तो बिहार में तीसरे स्थान पर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 34 स्थानों पर जमानत जब्त हुई है।

सभापति महोदय: आपको बोलते हुए 14 मिनट हो गए हैं, इसलिए अब समाप्त करें।

श्री राम कृपाल यादव: मैं थोड़ा समय और लूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे बड़ी पार्टी वहां हमारी है। हमें समर्थन नहीं मिला, इसलिए वहां सरकार नहीं बनी और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। कहा गया कि वहां राबड़ी देवी जी की सरकार ने अपहरण कराए और भी न जाने क्या-क्या आरोप लगाए गए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हम यहां पर अभी बिहार पर नहीं, जनरल बजट पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव: मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी, कि जब तक आप बाढ़ और सुखाड़ का कोई ठोस उपाय नहीं करेंगे, तब तक बिहार की प्रगति का विचार नहीं हो पाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी,आपने एक पैसा भी सुखाड़ के लिए नहीं दिया है। नेपाल से बाढ़ आती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री जिन्जी रामचन्द्रन। श्री यादव कृपया अब समाप्त कीजिए। मैंने दूसरे सदस्य को बोलने के लिए नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: माननीय वित्त मंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है और आपने हमेशा बिहार के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया है। *...(व्यवधान)* हम लोग पैसा जमा करते हैं और वही पैसा निकालकर, मुम्बई, कोलकाता, कर्नाटक, दिल्ली के लोग मजा लेते हैं। आप निर्देश दीजिए कि जिस तरह से सीडी रेशो दूसरों को देते हैं, उसी तरह से बिहार को भी देने का काम करेंगे।

सभापति महोदय: मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: सीडी रेशो हमारा बढ़ाया जाए, बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए, बाढ़ और सुखाड़ की समस्या से हमारा प्रदेश ग्रसित है, उससे हमें निजात दिलाई जाए। इंदिरा आवास योजना में पैसा बढ़ाया जाए। रोड के लिए पैसा बढ़ाया जाए। हमारे यहां जो जल-जमाव बड़े पैमाने पर होता है, अगर उससे हमें निजात मिल जाए तो दूसरे प्रदेश के लोगों को खिलाने की क्षमता हमारी जमीन और हमारे लोगों में है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मैं कह चुका हूं कि कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप सभा का समय क्यों बर्बाद कर रहे है?

*...(व्यवधान)**

\+**श्री जे.एम. आरून रशीद** (पेरियाकुलम): सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि संयुक्त प्रगतिशील सरकार का एक हिस्सा होना फायदे की बात है जिसने सही दिशा अपनायी है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि संप्रग सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और इससे भी अधिक बहुमत से पुन: सत्ता में आएगी।

इस सरकार ने प्रत्येक विचारणीय क्षेत्र में चाहे वह कृषि हो, शिक्षा, स्वास्थ्य या विद्युत का क्षेत्र हो, प्रगति की है। डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में और श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्होंने स्पष्ट बहुमत के बावजूद प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकरा कर बहुत बड़ा त्याग किया है, के मार्गदर्शन में जिन क्षेत्रों की हम कल्पना कर सकते हैं उन सभी क्षेत्रों में यह सरकार बड़ी सफलता हासिल करने वाली है।

हमारा मिलन राजग सरकार की तरह अवसरवादी नहीं है बल्कि यह सर्व सहमति का मिलन है जो विपक्ष के अनुमानों से कहीं ज्यादा समय तक टिकने वाला है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

\+भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री जे.एम. आरून रशीद]

पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि से सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। केन्द्र सरकार को एक ऐसा फार्मूला बनाना चाहिए जो पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को रोकेगा।

वस्तुत: केन्द्र सरकार को कई समस्याओं से निपटना है। नामत: जल, आबादी विस्फोट, सभी के लिए स्वास्थ्य, विद्युत बाढ़ आदि। अभी उसने शुरूआत ही की है। उसे लम्बी दूरी तय करनी है।

यह कठोर सत्य है कि हम जब तक मानसून पर आश्रित रहेंगे भारत में पानी की समस्या हमें परेशान करती रहेगी। हमें पानी की समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक घर में एक पूर्ण-रोधी वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करनी चाहिए। दूसरा समाधान नदियों को परस्पर जोड़ना है जो खर्चीला तथा कठिन कार्य है जिसे बड़ी धनराशि इकट्ठा करके ही क्रियान्वित किया जा सकता है। मुझे इस बात का सही पता नहीं कि यह संभव है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि नदियों को जोड़ने में वर्षों लग जाएंगे। लेकिन यदि हम इस अविश्वसनीय कार्य को कर लेते है तो हमारी भावी पीढ़ी को चैन की सांस मिलेगी। नदियों को परस्पर जोड़ने के कार्य में आने वाली बाधा पर सरकार को पुन: नए सिरे से विचार करना चाहिए, कम से कम हम नदी मार्ग में हर दो किलोमीटर पर बार्धा-बांध तो बना ही सकते हैं।

यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष हम कई विषयों की चर्चा करते हैं जैसे बाढ़, सूखा, रेल दुर्घटना आदि। हर वर्ष ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना जैसे एक औपचारिकता बन गई है। और सभी जानते है कि इसके परिणाम सराहनीय नहीं है। हम इन विषयों पर अलग-अलग विचार करते हैं और तत्काल समस्या का समाधान करते हैं लेकिन प्रतिवर्ष आने वाली आसन्न समस्या के बारे में आवश्यक सुविचारित योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में हम भूल जाते हैं। हमें उन समस्याओं के समाधान पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहिए जो प्रति वर्ष आ खड़ी होती हैं।

मैं यहां इस महान सदन में किसानों की दयनीय दशा, विशेषकर तमिलनाडु के किसानों की दशा के बारे में बताना चाहूंगा। बहुत से किसान पानी के अभाव, ऋण पाने में दिक्कतों आदि के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकार को सभी लम्बित ऋणों को माफ कर देना चाहिए और किसानों को नई जिन्दगी जीने का अवसर देना चाहिए। मेरा यह दृढ़ रूप से मानना है कि जब तक हम मानसून, पर निर्भर रहेंगे हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। किसानों को बचाने के लिए हजारों करोड़ रुपये माफ कर देना राष्ट्रहित में है। छोटे किसानो को मुफ्त बिजली देने से उत्पादन में भारी वृद्धि होगी।

जनसंख्या विस्फोट को रोकना सरकार का तत्काल किया जाने वाला कार्य होना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के बावजूद भी हम उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि राष्ट्रमंडल देशों में हमारे देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में लगातार बढ़ रही हमारी आबादी आड़े आ रही है।

स्वास्थ्य ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत की स्थिति प्रशंसनीय नहीं है। यद्यपि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, फिर भी रिपोर्ट के अनुसार 26 करोड़ से ज्यादा लोग स्वास्थ्य की देख-रेख के खर्च नहीं सकते हैं और सरकारी अस्पताल केवल उन्हीं कुछ लोगों को सेवाएं दे पाते हैं इन सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। सरकारी अस्पतालों का गैर-सरकारी अस्पतालों के समकक्ष उन्नत बनाया जाना चाहिए।

सामान्यत: पूरे देश में और विशेषकर तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को उदारतापूर्वक धन दिया जाना चाहिए। धन के नितांत अभाव के कारण वक्फ बोर्ड के संरक्षण में चल रहे विद्यालयों की स्थिति दयनीय है। मुझे आशा है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की सहायता हेतु अन्य विद्यालयों, में हुई प्रगति के समकक्ष अल्पसंख्यक विद्यालयों, विशेषकर उर्दू विद्यालयों को सहायता देने को प्राथमिकता देगी।

शिक्षा अन्य क्षेत्र है जिसमें आने वाले वर्षों में हमें अधिक जोर देना होगा। वर्षों से बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। यह सुनिश्चित करने के लिए नवीन और कारगर कदम उठाए जाने चाहिए कि प्रत्येक बच्चा, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग के बच्चे तथा दयनीय स्थिति में जी रहे लोग विद्यालय जाएं। यदि हम हर व्यक्ति को शिक्षा मुहैया करा देते हैं तो इसने संदेह नहीं कि शीघ्र ही हमारा देश एक विकसित देश बन जाएगा।

तमिलनाडु में पर्यटन की भारी संभावना है। इसका हर तरह से हमें लाभ उठाना चाहिए। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। ऐतिहासिक स्थलों के रख-रखाव और कम बजट वाले होटलों सहित मूलभूत ढांचों में सुधार, हवाई अड्डा सुविधाओं और रेल सेवाओं से नि:संदेह रूप में विदेशियों को संख्या बढ़ेगी। सरकार को इस पहलू पर दूरदर्शिता से विचार करना चाहिए और अपने देश में, विशेषकर तमिलनाडु में ऊटी, कोझीकांडल, येरकौड, येसागिरि पहाड़ी बोडीमोत्तू में विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए।

मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श विद्यालय की स्थापना की जाए, स्वास्थ्य सम्बंधी देखभाल केन्द्रों, खासकर जरूरतमंद तथा सबसे गरीब लोगों की देखभाल,

के लिए देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी, केन्द्रों को शुरू किया जाना चाहिए। देश के दूरतम क्षेत्रों में भी उचित सड़क बनाई जानी चाहिए ताकि उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी राष्ट्र की मुख्यधारा का हिस्सा बन जाएं।

विद्युत एक अन्य विषय है जिसपर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। विद्युत चोरी पूर्णत: रोकी जानी चाहिए। देश के विभिन्न भागों में विद्युत की भारी कमी को कम करने के लिए पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा जैसे पुन: प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

बेरोजगारी गंभीरतम समस्याओं में से एक है। भारत इससे न सिर्फ आज बल्कि वर्षों से जुझ रहा है। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए संप्रग सरकार द्वारा नए सिरे से गंभीरता से प्रयास किए जाने चाहिए। रोजगार सृजन को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जवाहर रोजगार योजना को जोरदार ढंग से लागू किया जाना चाहिए इसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या इस संबंध में सही दिशा में कार्य चल रहा है।

इस बात के लिए संप्रग सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाया जाना चाहिए कि इसका लाभ उन तक पहुंचे जिन लोगों के लिए यह बना है। यहां मैं स्व. राजीव गांधी को उद्धृत करना चाहूंगा जिन्होंने कहा था कि केवल 10 प्रतिशत ही जनता तक पहुंच पाता है और शेष 90 प्रतिशत मध्यस्थों के हाथों में चला जाता है। इस प्रवृत्ति को ठीक किया जाना चाहिए।

जब मैं सभा के वाद-विवाद तथा विभिन्न समितियों की रिपोर्टों को उत्सुकता से पढ़ रहा था तो यह देखकर चकित रह गया कि एक विशेष वर्ष में अनुदान या कोषों के एक बड़े प्रतिशत तक उपयोग नहीं किया जा सका। यह निंदनीय स्थिति खत्म होनी चाहिए यदि हम चाहते है कि भारत का भविष्य उज्जवल हो। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समय रहते आयोजना कर तथा इसे ठीक से क्रियान्वित कर कोषों का पूर्ण उपयोग किया जाए। जिससे एक दिए हुए वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान को खर्च किया जा सके।

'मध्याह्न भोजन' नामक योजना जो कुछ राज्यों में प्रचलित है, को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग विद्यालयों में आए और इसके तहत उन लोगों को कम से कम एक दिन एक समय का भोजन दिया जाना चाहिए जो किसी तरह दोनों समय का भोजन ही जुटा पाते है या एक दिन में एक बार ही खाना खाते हैं। केन्द्र सरकार को अनुदान बढ़ाने में उदारता दिखानी चाहिये जिससे कि हम देश में साक्षरता के क्षेत्र में केरल जहां कि सौ प्रतिशत साक्षरता है जैसी उन्नति कर सकें। किसी भी अधिक जनसंख्या वाले देश में शिक्षित लोग निसंदेह प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करेंगे।

तमिलनाडु प्रत्येक वर्ष पानी की समस्या का सामना कर रहा है। केन्द्र सरकार को प्रत्येक वर्ष आने वाली इस समस्या से निपटने के लिए वित्तीय सहायता बढ़ानी चाहिए। समस्त ग्रामीण जनता को फ्लोराइड रहित सुरक्षित जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

हमें रचनात्मक तथा सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। यह मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं यह सलाह दूं कि सरकार को क्या करना चाहिए क्योंकि मैंने अभी अपने राजनीतिक जीवन का आरम्भ किया है। मुझे अभी लम्बा रास्ता तय करना है। मैं पूर्णत: आश्वस्त हूं कि उनकी सरकार पं. जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी के शासन काल के स्वर्णिम दिनों को वापस लाएगी जिन्होंने भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया।

***श्री ई.जी. सुगावनम** (कृष्णागिरि): सर्वप्रथम, मैं अपने नेता माननीय डा. कलिंगनर करूणानिधि और थलपथी, एम.के. स्तालिन का मुझे इस सम्माननीय सभा में भेजने के लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। बजट का कुछ अपवादों को छोड़कर समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया है।

मुझे बजट प्रस्तावों के संबंध में कुछ मुख्य बातें कहनी है तथा अपने सुझाव और मांगे रखनी हैं। सर्वप्रथम मैं समझता हूं कि सरकार पूरे देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे छ: संस्थान खोलने पर विचार कर रही है। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा कोई संस्थान स्थापित नहीं किया जा रहा है। मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि एक ऐसा संस्थान तमिलनाडु में उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाए जिससे कि राज्य की 6.5 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार के अस्पतालों में सुविधाएं अपर्याप्त हैं तथा निजी अस्पताल अधिक शुल्क वसूल करते हैं और वे उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं कराते।

बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना एक स्वागत योग्य प्रस्ताव है। इस समय सरकार प्रत्येक बच्चे को 1 रु. की दर से खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। सामान्य मूल्य वृद्धि तथा मुद्रास्फीति दर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह राशि अत्यन्त कम है। मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि इसे बढ़ाकर कम से कम प्रति बालक 3 रु. किया जाए।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, प. बंगाल तथा अन्य राज्यों की कई हजार बसावटों में पानी की गुणवत्ता पर बल दिया गया है। मुझे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री ई.जी. सुगावनम]

बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि धर्मपुरी तथा कृष्णागिरि जैसे जिलों में पेयजल की गुणवत्ता बहुत ही घटिया है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में फ्लोराइड उपलब्ध है। अत: मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

महोदय, धर्मपुरी और कृष्णागिरि जिलों में भीषण जल संकट है तथा भूजल स्तर में काफी कमी आयी है। पिछली सरकार के दौरान जब डा. कलिंगनर मुख्यमंत्री थे होगेनकल में जापान की सहायता से 1000 करोड़ रु. की लागत से एकीकृत पेयजल परियोजना का उद्घाटन किया गया था और इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गयी थी। तथापि वर्तमान सरकार ने इस परियोजना को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है तथा इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस योजना को युद्ध स्तर पर लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए।

महोदय, मेरा अगला विषय पिछड़े जिलों के लिए धनराशि की घोषणा के संबंध में है। मैं समझता हूं कि 170 पिछड़े जिलों की पहचान कर ली गयी है। धर्मपुरी और कृष्णागिरि तमिलनाडु राज्य के अत्यंत पिछड़े राज्य हैं। यहां कोई बड़ा उद्योग नहीं हैं और यहां रोजगार के अवसर नहीं हैं। अपर्याप्त जल आपूर्ति के कारण कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है तथा लोग दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने के लिए विवश हैं। अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह उपर्युक्त जिलों को पिछड़े जिले घोषित करे और इन दो जिलों के विकास हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

महोदय, अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थानों में परीक्षा पूर्व तैयारी की अनुमति प्रदान करना एक सराहनीय कदम हैं। परन्तु इस सुविधा का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को मिलना चाहिए।

महोदय, राष्ट्रीय बागवानी मिशन अप्रैल 2005 में आरम्भ किया गया था। धर्मपुरी तथा कृष्णागिरि जिलों में भारी मात्रा में फल-फूल उगाए जाते हैं। अत: राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत इन दो जिलों को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। वास्तव में वित्त मंत्रालय को वाणिज्य मंत्रालय से विदेशों तथा देश के भीतर ही विभिन्न भागों में फल, सब्जियां तथा फूलों के निर्यात के लिए कृष्णागिरि निर्वाचन क्षेत्र में एक शुष्क पत्तन स्थापित करने की सिफारिश करनी चाहिए।

जल निकायों पर राष्ट्रीय जल परियोजना केवल 16 जिलों तक सीमित है। मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस परियोजना का तमिलनाडु में विशेषकर धर्मपुरी और कृष्णागिरी जिलों में विस्तार किया जाना चाहिए।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री इस बात से भली-भांति अवगत हैं कि तमिलनाडु हथकरघा क्षेत्र में अग्रणी है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र द्वारा निर्यात में कमी आयी है। अत: इस क्षेत्र को पुनरूज्जीवित करने और निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी बुनकरों को जीवन तथा स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जानी चाहिए।

महोदय, जहां तक लघु उद्योग क्षेत्र का प्रश्न है यदि अधिक से अधिक वस्तुओं को गैर-आरक्षित किया जाएगा तो लघु उद्योग क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। अत: मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह लघु उद्योग क्षेत्र की किसी वस्तु को गैर आरक्षित करने से पूर्व गम्भीरता से विचार करे।

महोदय, जैसाकि मैंने पहले ही कहा धर्मपुरी तथा कृष्णागिरी पिछड़े जिले हैं और उन्हें 'काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम' में शामिल किया जाना चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कमजोर वर्गों के लिए अधिक आवासीय योजना नहीं है अत: इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पर्याप्त आवंटन किया जाना चाहिए।

अब मैं कर प्रस्तावों पर आता हूं। एक दिन में 10000/रु. से अधिक राशि निकालने पर अधिभार लगाने के प्रस्ताव का देश के अधिकांश लोगों ने स्वागत नहीं किया है। वास्तव में हमारे नेता डा. कलिंगनर ने भी इस बारे में अपनी शंकाए व्यक्त की हैं। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को शीघ्रातिशीघ्र वापस लिया जाए। इस प्रस्ताव के द्वारा काले धन की समस्या से नहीं निपटा जा सकता। इससे वास्तव में काले धन में वृद्धि होगी क्योंकि लोग अपना पैसा अपने पास रखेंगे और इसे बैंकों में जमा नहीं करेंगे।

होसुर जोकि एक महत्वपूर्ण केन्द्र है मेरे निवार्चन क्षेत्र में स्थित है। यह भारत की कंप्यूटर राजधानी बैंगलोर के बहुत नजदीक है। यहां पर साफ्टवेयर उद्योग तथा कंपनियां स्थापित करने की अपार सम्भावनाएं हैं, तथा इससे मेरे निवार्चन क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

*श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): महोदय, मैं यू.पी.ए. सरकार तथा वित्त मंत्री जी को संसद में अब तक प्रस्तुत किए गए बजटों में सर्वश्रेष्ठ बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। जब कभी भी वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता था लोगों में कीमतें बढ़ने का डर और आशंका बनी रहती थी, परन्तु संसद में प्रस्तुत किए गए दोनों रेल बजट तथा सामान्य

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बजट का सभी वर्गों के लोगों ने स्वागत किया है यहां तक की आम आदमी भी खुश है क्योंकि उस पर कोई बोझ नहीं लादा गया है।

महोदय, इस सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लागू किए जाने की तीव्र इच्छा दिखाई है, सामाज के कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्गों, और अल्पसंख्यकों के कल्याण की वचनबद्धता पर आधारित सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिरता के व्यादेश का सृजन किया गया है। इस सरकार ने देश के विभिन्न पिछड़े वर्गों विशेषकर जनजातीय, सामाजिक रूप से पिछड़े तथा अल्पसंख्यक समुदायों में अपनेपन की भावना का सृजन किया है।

महोदय, मैं सरकार को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु आयोग गठन किए जाने के लिए बधाई देता हूं। वास्तव में यह आयोग वंचित वर्गों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति की जांच करेगा तथा इन वर्गों के लिए शिक्षा, रोजगार तथा आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के उपाय सुझाएगा। मैं यह प्रस्ताव करना चाहूंगा कि समाज के वंचित वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बजट आवंटन में पर्याप्त धनराशि निर्धारित की जाए।

महोदय, मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा जिसने यह निर्णय लिया है कि वह ग्रामीण भारत का विकास करेगी तथा बजट में किसानों के लिए पर्याप्त निधियां, सिंचाई तथा उसर भूमि विकास हेतु सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, कृषि अनुसंधान निधि में वृद्धि तथा कृषि उत्पादन के लिए एकल बाजार का गठन तथा ग्रामीण स्वास्थ्य और शिक्षा, ग्रामीण सड़क प्रोत्साहन में निवेश के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की है। मैं समझता हूं कि यह कदम ग्रामीण भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

महोदय, इस सरकार के लिए दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र रोजगार है। इस सरकार ने इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी है क्योंकि नौजवानों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है तथा आने वाले कुछ दशकों में इसमें वृद्धि होती रहेगी। अत: पूंजी निवेश में वृद्धि के उद्देश्य हेतु नीतियां तथा कृषि वृद्धि दर को बढ़ाना, उत्पादन अवसंरचना तथा सेवा क्षेत्र से निसंदेह नए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगा। मैं उम्मीद करता हूं और यह मेरा विश्वास है कि सरकार ऐसी योजनाओं पर पूरा ध्यान देगी जिससे कि वे उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके जो उन्होंने आरम्भ किए हैं।

महोदय, मैं यू.पी.ए. सरकार को उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग की स्थापना करने के लिए बधाई देता हूं। यह एक स्वागत योग्य कदम है।

महोदय, सर्वशिक्षा अभियान तथा कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर्याप्त संख्या में अल्पसंख्यक रहते हैं शिक्षा के विकास के लिए सरकार द्वारा धन आवंटन का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि उपर्युक्त योजना में अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के आधार पर कम से कम 15 प्रतिशत धन आवंटित किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं वित्त मंत्रालय के माध्यम से सरकार को देश में विशेष कर उन क्षेत्रों में जहां समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अल्पसंख्यकों में विद्यालय छोड़ने का प्रतिशत अधिक है। शिक्षकों की भर्ती तथा नियुक्ति के लिए सहायता के निर्णय का स्वागत करता हूं। इसलिए मैं सर्वशिक्षा अभियान, कस्तूरबा बालिका विद्यालय तथा अन्य शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए पर्याप्त आवंटन का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में लगाये गए 2% अतिरिक्त उपकर का उल्लेख करना चाहूंगा जिससे 4000 से 5000 करोड़ की उगाही की जाएगी तथा जो शिक्षा विकास कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा।

महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि शिक्षा विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विकास की जिम्मेदारी सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय की है। अत: मैं दोनों मंत्रालयों के लिए पर्याप्त धन आवंटन का प्रस्ताव करता हूं जिससे कि अल्पसंख्यक संस्थानों तथा अल्पसंख्यक छात्रों और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए और अधिक धन आवंटित कर न्याय किया जा सके। इस संदर्भ में मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को 200 करोड़ रु. की धनराशि आवंटित की जाए तथा शिक्षा उपकर से छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रु. का आवृत्ति अनुदान प्रदान करने की कृपा करें।

महोदय, मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सभी वित्तीय निगमों में शत-प्रतिशत पूंजी केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है परन्तु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम में भारत सरकार 60 प्रतिशत का अंशदान देती है, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र 26 प्रतिशत अंशदान करती है तथा शेष अंशदान अल्पसंख्यकों के कल्याण में जुटे संस्थान तथा व्यक्तियों द्वारा किया जाता है अत: मैं यह आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम में केन्द्र सरकार की 100 प्रतिशत पूंजीगत हिस्सेदारी हो और इसकी पूंजी को 5004 करोड़ तक बढ़ाया जाए जिसमें, केन्द्र सरकार द्वारा एन.एम.डी.एफ.सी. के लिए 100% अंशदान का 100 प्रतिशत हो।

[श्री इकबाल अहमद सरडगी]

महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि देश भर में 4 लाख वक्फ सम्पत्तियां केन्द्रीय वक्फ परिषद में पंजीकृत हैं उनको चालू वित्त वर्ष में केवल 1.05 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस आवंटन में वृद्धि कर इसे 25 करोड़ रु. किया जाए।

महोदय, पिछले लगातार तीन वर्षों से कर्नाटक राज्य के लगभग 800 गांव सूखे की चपेट में थे। प्रत्येक वर्ष हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र वर्षा की कमी के कारण सूखे का सामना कर रहा है। अनेकों बार केन्द्रीय दलों ने सूखा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और सूखा प्रभावित क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए और अधिक वित्तीय सहायता, खाद्यान्न, पेयजल उपलब्ध कराना, रोजगार सृजन इत्यादि की सिफारिश की है। अत: मैं सूखा प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर कर्नाटक के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए विशेष धनराशि आवंटित किए जाने का आग्रह करता हूं।

महोदय, कर्नाटक सरकार ने अगले 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रु. की लागत से पूरी की जाने वाली सभी सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता के लिए सम्पर्क किया है। कृष्णा निरवरी नदी के अंतर्गत परियोजना को पूरा करने के लिए लगभग 13 करोड़ रु. की आवश्यकता है, राज्य ऊपरी कृष्णा परियोजना को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। मैं आग्रह करता हूं कि राज्य सरकार को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जाए।

महोदय, हाल ही के वर्षों में पहली बार केन्द्र ने त्वरित सिंचाई हित कार्यक्रमों एक्सलरेटिड इरिगेशन बेनेफिट प्रोग्राम के अंतर्गत कर्नाटक के आवंटन में कटौती की है। महोदय, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने केवल 250 करोड़ रु. का आवंटन किया है यह कर्नाटक द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए मांगी गयी राशि का आधा मात्र है। अत: मैं आग्रह करता हूं जैसाकि राज्य सरकार ने मांग की है उसे 550 करोड़ रु. की राशि दी जाए।

महोदय, एक बार पुन: मैं यू.पी.ए. सरकार तथा वित्त मंत्रालय को समाज के सभी वर्गों विशेषकर पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जनहित तथा किसान हित बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं।

श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन (वन्डावासी): माननीय महोदय, मैं तिरूकुराल से उद्धत करना चाहता हूं।

"दूधानाय दूधनाल इवानमुदिक्कुम एनद्रैन्धु
अधनाय अवनकन्न विदाल"

वह विशेष कार्य उसी व्यक्ति को ही सौंपा जाना चाहिए जिसे करने में वह सक्षम होता हैं। यह बात सन्त तिरूवाल्लूवर ने कही है। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम को यह बजट प्रस्तुत करने का काम सौंपा है।

सर्वप्रथम मैं अपने माननीय वित्त मंत्री को सन्तुलित और अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। मैं अपनी ओर से और अपने दल मरुमलरचि द्रविड मुन्नेत्र कषगम के महासचिव श्री वैको की ओर से सामान्य बजट का समर्थन करता हूं।

इस बजट के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें बजट में प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री पिछड़े लोगों और समाज के कमजोर वर्गों सहित गरीबों की अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल हुए हैं। हालांकि इस बजट को प्रस्तुत करने में उनके मार्ग में कई बाधाएं आई होंगी। तथापि उनके बजट प्रस्तुतीकरण के दूरगामी प्रभाव होंगे। मैं वित्त मंत्री जी की एक बार फिर प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि जनसाधारण विशेषकर गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों पर बोझ न पड़े।

इस बजट में की गई घोषणाएं अच्छी हैं। यदि उनका कार्यान्वयन ठीक तरह से होता है तो इस बजट का स्वागत होगा। इस बजट में कई उपायों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कृषि उपज बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया है। इसमें सिंचाई, अवसंरचना, ग्रामीण विद्युतीकरण और दूरसंचार के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में कृषि और इससे जुड़े उद्योगों, ग्रामीण विकास, कृषि और ग्रामीण उद्योगों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास, उर्वरक और रसायन, महिला और बाल कल्याण और सामाजिक सेवाओं के लिए अधिक धनराशि आवंटित की है। इसका क्या तात्पर्य हैं? इसका तात्पर्य है कि उन्होंने ग्रामीण लोगों को अधिक महत्ता प्रदान की है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का अत्यन्त आभारी हूं कि वह ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे हैं। गरीबों को अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस वजह से गांवों में रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे। मैं देश में उद्यान विकास के लिए 630 करोड़ रुपये दिए जाने की एक बार फिर प्रशंसा करता हूं। यह बहुत अच्छा कदम है।

मैं अन्य चीज के बारे में भी बात करना चाहता हूं। यह कहा गया है कि अद्यतन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से सज्जित ग्रामीण ज्ञान केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इसमें गरीबों को आधुनिक समय के साथ चलने के लिए उनकी संचार और प्रौद्योगिकीय दक्षता को अद्यतन करने में मदद मिलेगी।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक अनिवार्य प्रावधान जोड़ा जाए कि जब कभी भी उत्पादों के विनिमय अथवा बिक्री अथवा किसी सामान या सम्पत्तियों की खरीद की जाए तो

उसे डिमांड ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से किया जाए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय रामचन्द्रनजी, यदि आप अपना भाषण पढ़ना चाहते है तो आप इसे सभापटल पर रख सकते है।

श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन: मैं पढ़ रहा था क्योंकि मैं सभा का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं।

मैं अपने नेता श्री बैको की ओर से वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे नेता श्री बैको ने सेतु समुन्द्रम परियोजना और नदियों को जोड़ने की परियोजना को न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल करने के लिए काफी प्रयास किए थे। मैं समझता हूं कि तमिलनाडु सरकार सहयोग नहीं कर रही है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस परियोजनाओं को स्वीकृत करके इन पर शीघ्र कार्य आरम्भ करे।

मैं तमिल भाषा को क्लास्किल भाषा के रूप में घोषित किए जाने की भी प्रशंसा करता हूं। इसकी घोषणा संस्कृति मंत्रालय ने की है। यह घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय संस्कृत भाषा के लिए कई अवार्ड और रियायतें दे रहा है तमिल एक मात्र भाषा है जो विश्व की सभी भाषाओं की जननी है। लेकिन इसके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसे क्लास्किल भाषा के रूप में उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। तमिल भाषा को संस्कृत भाषा की तरह सम्मान दिया जाना चाहिए।

भारत सरकार को जिन्जी को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाना चाहिए यह ऐतिहासिक और स्मारक स्थल है। पूर्व सरकार ने कर्नाटक के हम्फी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। इसी प्रकार जिन्जी को विश्व स्मारक स्थल के रूप में घोषित किया जाए। मैं भारत सरकार और वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया इसे विश्व स्मारक स्थल के रूप में घोषित करे। इससे यह स्थल पर्यटकों को आकृष्ट करेगा।

मैं वित्त मंत्री से मांग करता हूं कि वह जिन्जी फोर्ट में 'रोप कार सिस्टम' प्रदान करे। पूर्व सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय की अधिसूचना के अधीन तिरुवना मलाई मन्दिर के प्रशासन को हाथ में लेने की घोषणा की थी।

मैंने माननीय प्रधानमंत्री के साथ यह मामला उठाया तो इसे वापस लिया गया था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री श्री जयपाल रेड्डी जी को भी धन्यवाद किया है। एक अन्य मामला जिसे मैंने ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद जी के साथ उठाया है वह पिछड़े जिलों के रूप में पहचान किए गए 150 जिलों में तिरुवनामलाई, विल्लुपुरम, कुड्डालौर और नागपट्टिनम जिलों को शामिल करना है। मैं एक बार पुन: भारत सरकार का विशेष रूप से ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद जी और हमारे माननीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने तमिलनाडु में सुनामी प्रभावित लोगों के लिए अधिक धनराशि आवंटित की। कई राज्य सरकारों ने पुनर्वास कार्य के लिए 4,800 करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन सरकार ने 1260 करोड़ रुपये प्रदान किए है। मैं समझता हूं कि यह राशि पर्याप्त नहीं है। आप अधिक धनराशि दे सकते हैं। इसके साथ-साथ एक सर्वदलीय समिति गठित कीजिए जिसका कार्य यह देखना हो कि क्या धनराशि का उचित उपयोग किया गया है अथवा नहीं, क्या वह राशि प्रभावित लोगों तक पहुंच रही है या नहीं।

सभापति महोदय: कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन: मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विल्लुपुरम से अरकोट रोड की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह सड़क महत्वपूर्ण सड़क है क्योंकि यह तमिलनाडु के उत्तर को दक्षिण और उत्तर भारत से जोड़ती हैं। यह सड़क भारत के उत्तर को जाती है। मैं एक बार फिर इसे इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में शामिल करने की मांग करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव में रह रहे गरीब लोगों की ओर अधिक ध्यान दिया जाए। तभी भारत चमकेगा। मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री जी ने सबसे बेहतर बजट प्रस्तुत किया है। इसके साथ मैं अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, मेरा दल इस बजट से प्रसन्न नहीं है। मैं इस बजट से प्रसन्न क्यों नहीं हूं? भारतीय किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) नहीं मिल रहा है। वे अपने उत्पादों को जला रहे हैं। यह स्थिति इस देश में व्याप्त है। अत: यह किसान विरोधी बजट है। इसीलिए मेरा दल इस बजट से प्रसन्न नहीं है।

कृषि राज्य का विषय है। कई विषय केन्द्र के पास हैं जैसे, खरीद, ऋण उपलब्ध कराना, बीमा क्षेत्र, भण्डारण, खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात और आयात। सब कुछ तो संघ सरकार के अधीन है लेकिन यदि संघ सरकार से कुछ मांग की जाती है तो यह कहा जाता है कि कृषि राज्य का विषय है। हम क्या कर सकते हैं? हम थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हैं। हम राज्य सरकारों की मदद कर सकते हैं। भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है जिसमें 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषक समुदाय की है।

अपराह्न 4.39 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

कृषि क्षेत्र का महत्व घरेलू उत्पाद में 24 प्रतिशत का अंशदान होता है। निर्यात का अंशदान 30.1 प्रतिशत हैं। यहां तक ग्रामीण कार्यबल का 58.4 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से है। वे 650 मिलियन लोगों को जीविकार्जन दे रहे हैं लेकिन किसान को अब क्या मिल रहा है? वे आत्महत्या कर रहे हैं। अत: इस परिप्रेक्ष्य में मैं वित्त मंत्री से मांग करता हूं कि कृषि को समवर्ती सूची में लाया जाए। तभी भारतीय किसानों को लाभ मिलेगा। यही मेरे दल की मांग है। नदियों को जोड़ने से ही देश में फैली गयी बेरोजगारी, जल की कमी, पेयजल की कमी, सिंचाई जल की कमी जैसी सभी समस्याओं का स्थायी हल होगा।

इन सब समस्याओं का समाधान नदियों को परस्पर जोड़ना है। वर्तमान व्यवस्था और विधान से नदियों को परस्पर जोड़ना संभव नहीं होगा। इसलिए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर वाद-विवाद होना चाहिए। हमें संविधान में संशोधन करना होगा। जल को भी समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। तभी भारत सरकार कृषक समुदाय की कुछ सहायता कर सकती है।

ऋण के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सहकारी क्षेत्र भी ऋण देने की अच्छी स्थिति में नहीं हैं। भारत सरकार ने यू.टी.आई. की सहायता की। हम यू.टी.आई. घोटाले के बारे में जानते हैं। जब यू.टी.आई. संकट में था तो सरकार ने इसकी सहायता की। वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र निपटाने के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं तथा ग्रामीण बैंकों को भी सहायता प्रदान की है। हमने सहकारी बैंकों के तुलन पत्र निपटाने के लिए सहायता प्रदान क्यों नहीं की? इसलिए सहकारी क्षेत्र पूर्णत: बर्बाद हो गया है। सहकारी बैंक कृषक समुदाय को भी ऋण नहीं दे रहे हैं। समस्या यह है।

माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि उन्होंने समिति का गठन किया है। सभी पूर्व सरकारों ने भी समितियों का गठन किया। उन्होंने रिपोर्ट दी है लेकिन सरकार उन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं कर रही हैं। पुन: उन्होंने राज्य सरकारों से चर्चा करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। इससे सहकारी क्षेत्र का प्रयोजन पूरा नहीं होगा।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के संबंध में इस सरकार ने इस वर्ष के बजट में 4600 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। 400 लंबित परियोजनाओं को पूरा करना किस तरह संभव है? मैं इस सरकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कह रहा हूं। 400 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जानी हैं। लगभग 50 प्रतिशत कार्य हो गया है। राज्य सरकारों के पास कोई धनराशि नहीं है। इसलिए वे परियोजनाएं पूरी नहीं कर रहे हैं। 400 लंबित सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। लेकिन सरकार ने केवल 4600 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। इस राशि में से भी सरकार राज्य सरकारों को 80 प्रतिशत ऋण दे रही है तथा राजसहायता केवल 20 प्रतिशत है।

हम कृषि और कृषक समुदाय के बारे में भी बात कर रहे हैं। इस तरह यह स्थिति है। इसलिए भारतीय किसान आत्महत्या कर रहा है। पिछले बजट में भी मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कार्पस काय निधि के गठन का प्रस्ताव किया था। गांव में गरीब लोग चिकित्सा उपचार वहन नहीं कर सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री राहत कोष से भी सहायता नहीं मिल रही है। कर्नाटक सरकार जैसी कुछ राज्य सरकारों ने 100 करोड़ रुपए अथवा 200 करोड़ रुपए की कार्पस निधि का गठन किया। प्राप्त ब्याज में से वह कुछ धनराशि बड़ी और पुरानी बीमारियों के संबंध में खर्चों को पूरा करने के लिए गरीबों को दे रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि 1000 करोड़ रुपये से राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्पस निधि का गठन किया जाए। इसमें से यदि आपको कुछ मिलता है तो इसे आप गरीब लोगों को दे सकते हैं। वे धन के अभाव में मर रहे हैं। देश में यह स्थिति है।

हम शेयर बाजार और अन्य सभी विषयों पर बात कर रहे हैं। यदि शेयर बाजार गिरता है तो पूरी सरकार इस पर ध्यान देती है। लेकिन हजारों किसान मर रहे हैं और हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कितने लोगों ने शेयर बाजार संचालन में भाग लिया है? पूरे देश में यह संख्या केवल 9 प्रतिशत है। उदाहरण के लिए आप मेरे गांव का मामला लीजिए। वहां के किसी भी व्यक्ति ने शेयर पर धन निवेश नहीं किया है। नि:संदेह यूरोपीय देशों में, अमरीका में 95 प्रतिशत लोग शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। हर कोई शेयर बाजार की बात कर रहा है। लेकिन भारत में 95 प्रतिशत किसान ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। उनका शेयर बाजार और अन्य सभी मामलों से कोई सरोकार नहीं है। यदि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है तो कोई इस बारे में बात नहीं करता है। यदि किसान आत्महत्या करते हैं तो कोई इस बारे में बात नहीं करता है। देश में यह परिदृश्य है।

मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूं। मैं तम्बाकू बोर्ड के बारे में कहता हूं। किसानों ने तम्बाकू बोर्ड में 100 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की है। लेकिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी तम्बाकू किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान चिल्ला रहे हैं। यह उनका पैसा है। 100 करोड़ रुपये उपकर है। यह किसानों की अपनी धनराशि है। सरकार तम्बाकू की

खरीद हेतु बाजार में हस्तक्षेप करने हेतु धनराशि जारी नहीं कर रही है। हमारी ये नीतियां हैं। हम भारत सरकार से धनराशि प्रदान करने का अनुरोध नहीं कर रहे हैं। हम भारत सरकार, राज्य व्यापार निगम को तम्बाकू की खरीद के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन किसानों ने तम्बाकू बोर्ड में 100 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की है। भारत सरकार ने तम्बाकू बोर्ड को तम्बाकू खरीद हेतु बाजार में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी है। ये नीतियां हैं।

भारतीय किसानों को किस तरह लाभ पहुंचेगा? हमारे किसान छोटे और सीमान्त किसान हैं। अब उन्हें विश्व बाजार से प्रतिस्पर्धा करनी है। विश्व व्यापार संगठन के बाद हमें विश्वभर की चुनौतियों का सामना करना है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु: हमें विश्व के साथ मुकाबला करना है। यदि किसान खुश हैं तो पूरा भारत खुशहाल है। केवल तब ही हम कह सकते हैं कि यह बजट एक अच्छा बजट है। हमें कृषक समुदाय के बारे में सोचना चाहिए। अन्यथा इस बजट का कोई अर्थ नहीं है। यह बिल्कुल सही है कि हम प्रत्येक क्षेत्र को धनराशि प्रदान कर रहे हैं। इसका क्या फायदा है? हमारे साथी, हमारे पिता, हमारे भाई और बहन मर रहे हैं। हम उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने ऋण की राशि 1,05,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,08,000 करोड़ रुपए कर दी है। मैं राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों और अन्य चीजों का एक उदाहरण देता हूं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बारे में बोलते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2001 में केवल चार बैंकों ने 18 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया था जबकि 23 बैंक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे। वर्ष 2001 में केवल 6 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 18 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जबकि 21 बैंक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। वर्ष 2003 में केवल 5 बैंकों ने 18 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जबकि 22 बैंकों ने इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं की। यह लक्ष्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए थे।

अब मैं निजी क्षेत्र के बैंकों के विषय पर आता हूं। वर्ष 2001 में केवल 1 बैंक 18 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर पाया जबकि अन्य 30 बैंकों को कोई सफलता नहीं मिली। वर्ष 2002 में केवल दो निजी बैंकों ने 18 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया। हमारे माननीय वित्त मंत्री 1,05,500 करोड़ रुपये की ऋण राशि को बढ़ाकर 1,08,000 करोड़ रुपये करने संबंधी आंकड़ों के पीछे पूरी स्थिति छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वह जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे जिला-वार और राज्य-वार करना चाहिए। कई बैंक 18 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह रिकार्ड में है। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु: मैं भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन का स्रोत दे रहा हूं। यह वास्तविक सच्चाई है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से विनम्र निवेदन है कि वह कृषि पर ध्यान दें। यदि वह कृषि पर ध्यान देंगे तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस वर्ष वे सकल घरेलू उत्पाद का 6.9 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। आज कृषि का योगदान केवल 1.1 प्रतिशत है। पिछले वर्ष कृषि का योगदान 9 प्रतिशत था। इस तरह सकल घरेलू उत्पाद 8 प्रतिशत से अधिक रहा है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम ने 7 से 8 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया है। यदि आप वास्तव में इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कृषि पर अधिक ध्यान देना होगा। केवल तभी आप इस 8 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा वांछित परिणाम प्राप्त करना संभव नहीं है। यदि आप किसानों का कुछ भला करते हैं तभी मैं बजट की सराहना करूंगा। यह बजट किसान विरोधी बजट है। मात्र आंकड़े कृषक समुदाय की सहायता नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसानों द्वारा जारी आत्महत्याओं को रोकते हैं और उन्हें न्यूनतम समर्थन देते हैं तो तभी किसान प्रसन्न हो सकते हैं।

इस सम्माननीय सभा के समक्ष विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि मेरे पास माननीय सदस्यों की लम्बी सूची है जो यहां बोलना चाहते हैं। इसलिए, मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपना भाषण पांच मिनट के भीतर पूरा करने की कोशिश करें। यह मेरा माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है। अन्यथा आप इस सूची को पूरी रात में भी समाप्त नहीं कर पाएंगे। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को केवल पांच मिनट दूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, कितने माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: यह एक लम्बी सूची है।

[हिन्दी]

*श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): मैं इस बजट का विरोध करता हूं क्योंकि आम आदमी की अपेक्षाओं को पूरा करने में यह घोर निराशावादी है और इसमें केवल आंकड़ों की बाजीगरी दिखायी गयी है। मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि भारत एक गरीब देश नहीं है फिर भी हमारे लोगों का एक बड़ा हिस्सा गरीब है। गरीबी को दूर करने की बातें तो बहुत हुईं, लेकिन योजनाएं ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही हैं। रोजगार गारंटी स्कीम में साल भर में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की बात की गयी है। साल के 365 दिनों में से केवल 100 दिनों का रोजगार, बाकी दिन बेरोजगार व्यक्ति क्या करेगा। क्या एक दिन भोजन करके परिवार को दो दिन भूखा रखेगा?

इसी तरह काम के बदले अनाज योजना में मानव श्रम से काम नहीं कराकर मशीनों से कराया जाता है। नकली मास्टर रोल चढ़ा दिया जाता है। जब तक इसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, योजनाएं केवल कागजों में सिमट कर भ्रष्टाचार को जन्म देती रहेंगी। अन्त्योदय योजना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 2 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 करोड़ किया जा रहा है किंतु देश में लगभग 26-27 करोड़ परिवार गरीबी रेखा ने नीचे रह रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में आज भी अस्पताल के भवन, पर्याप्त स्टाफ, डाक्टर्स और दवाएं नहीं हैं। गरीब परिवार के व्यक्ति किडनी कैंसर या हृदय रोग से पीड़ित होने पर अथवा दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होकर विकलांगता की स्थिति में पहुंच जाने पर भी बगैर गरीबी रेखा से नीचे सूची का राशन कार्ड नहीं होने पर शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाता है। बड़े इलाज के लिए उसे पूरा पैसा नहीं मिलता है। अस्पतालों में उसे हेय दृष्टि से देखे जाने के कारण कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। उन लोगों के इलाज के लिए अतिरिक्त फंड स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

मध्याह्न भोजन योजना अनेक स्थानों पर निष्प्राण हो चुकी है। शिक्षकों का बहुत समय इसी में जाया हो जाता है। कई स्थानों पर एक-एक माह से बच्चों को भोजन नहीं मिला है तथा भोजन की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। इसमें बहुत अधिक सुधार एवं अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है। हमारे देश के ग्रामीण स्कूलों में आज भी पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं है, जबकि नगरों के पब्लिक स्कूलों से पढ़कर आने वाले छात्र संसाधनों से युक्त विद्यालयों में पढ़ते हैं। ऐसे में गांव के बच्चे उनसे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं और उनमें निराशा की भावना घर कर जाती है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों नवोदय विद्यालय तथा शहरी क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

सिंचाई की दृष्टि से आज भी कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश बहुत पीछे है। यहां का किसान सक्षम होने के बाद भी सिंचाई साधनों के अभाव में विकसित प्रदेशों जैसे हरियाणा, पंजाब आदि से इसी कारण पिछड़ जाता है। अत: ऐसे पिछड़े राज्यों के लिए अतिरिक्त धन आवंटित किया जाना चाहिए। मेरे क्षेत्र में बीना नदी परियोजना 10-12 वर्षों से लंबित है, उसे प्राथमिकता से प्रारम्भ कराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना में अभी भी पान की खेती को शामिल नहीं किया गया है जबकि यह हमारे देश की महत्वपूर्ण फसल है जिसका निर्यात भी होता है किन्तु संरक्षण के अभाव में यह खेती पिछड़ रही है।

मेरे संसदीय क्षेत्र बीना में भारत पेट्रोलियम द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली बीमा रिफाइनरी के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। राज्य सरकार द्वारा भी इसमें सहयोग की घोषणा की जा चुकी है। अत: इसे केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र प्रारम्भ किया जाना चाहिए। यूपीए सरकार ने भारत निर्माण के लिए जो लक्ष्य बनाएं हैं कि एक करोड़ हैक्टेयर भूमि को सिंचित करना, प्रत्येक 1000 व्यक्ति की आबादी वाले ग्राम और 500 व्यक्ति जनजातीय आबादी वाले ग्रामों को सड़क से जोड़ना, गरीबों के लिए 60 लाख अतिरिक्त घरों का निर्माण, पेयजल सुविधा से वंचित 74,000 बस्तियों में पेयजल सुविधा दिलाना, 1,25,000 गांवों में बिजली एवं 2.3 करोड़ परिवारों को कनेक्शन देना, 66,822 गांवों में टेलीफोन आदि, लेकिन इन सबको पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का इसमें उल्लेख भी नहीं किया गया है जबकि इस योजना से गांवों में उत्साह का संचार हुआ था। एनडीए सरकार ने 4.5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन एवं टेलीफोन कनेक्शन दिए थे।

महोदय, जब तक गांव के व्यक्ति एवं समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को पीने को पानी, रहने को मकान, पहनने को वस्त्र, अस्वस्थ होने पर दवा एवं बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, तब तक भारत निर्माण का स्वप्न अधूरा ही रहेगा। योजनाओं के लिए पैसा तो जाता है लेकिन उसका अधिकांश भाग भ्रष्टाचार में चला जाता है। अत: जब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा, ये योजनाएं सफल नहीं हो सकेंगी।

भारत की विशाल जनसंख्या में, जब तक युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं किया जाएगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल): महोदय, सबसे पहले मैं (यूपीए) गठबंधन सरकार के इस आम बजट का स्वागत करता हूं। यह बजट प्रगतिशील बजट है, इस बजट में जहां देश के चहुंमुखी विकास की प्रक्रिया की गति को बनाए रखने का प्रयास किया गया है वहीं आम आदमी को आगे बढ़ने के लिए इस बजट में बहुत-सी योजनाओं का समावेश किया गया है। यह बजट हमारे देश को जल्द से जल्द विकसित देशों की श्रेणी में ले जाएगा, इस बजट को देश के हर वर्ग ने सराहा है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी, उद्योगपति, किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला अल्पसंख्यक वर्ग और कृषि से संबंधित उद्योगों से जुड़े वर्ग हो। महोदय, मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण के बिन्दु की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं:

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में योजना बनाई है।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात कही है।
3. अंत्योदय अन्न योजना को लागू किया जा रहा है।
4. सर्वशिक्षा अभियान की बात कही है।
5. पेयजल और सफाई के लिए बहुत अच्छी योजना बनाई है।
6. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए विकास संबंधी योजना बनाई है।
7. महिलाएं एवं बच्चे के लिए विशेष योजना का प्रस्ताव है।
8. अल्पसंख्यकों को और अधिक विकास प्रक्रिया में लाने के लिए सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।
9. पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि 170 पिछड़े जिलों की पहचान की है।
10. जल संसाधन, बाढ़ और भू-रक्षण नियंत्रण सूक्ष्म सिंचाई, जिसमें टपकाव तथा छिड़काव सिंचाई भी शामिल है।

प्रत्येक ग्राम में ज्ञान केन्द्र राष्ट्रीय कृषक आयोग ने आधुनिक सूचना एवं संचार के टेक्नोलाजी का उपयोग करते हुए देश भर में ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने की सिफारिश की है।

अब मैं हमारी (यूपीए) गठबंधन सरकार द्वारा पिछले 6 महीने में किये गये कार्य के कुछ बिन्दु पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

1. हमारी यूपीए गठबंधन सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए ऋण पैकेज की घोषणा की है और विगत 6 महीनों में 30 प्रतिशत अधिक ऋण दिया गया है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए योजना आबंटन 775 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इस वर्ष 1000 करोड़ रुपए किया गया है।

   विभिन्न आपदाओं से पीड़ित किसानों को ऋण और ब्याज की किस्तों के पुनर्निधारण के जरिए राहत पहुंचाई जाएगी।

2. परमाणु ऊर्जा में भी तमिलनाडु में कलपक्कम में 500 मेगावाट क्षमता के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू होने से भारत के परमाणु शक्ति कार्यक्रम के दूसरे चरण में वाणिज्यिक दौर की शुरूआत होगी।

3. **रसायन और पेट्रो रसायन-**

आवश्यक दवाओं की कीमतों में कमी के लिए एक समिति गठित की गई है। किसानों को समय पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए गए।

4. **वाणिज्य और उद्योग-**

पिछले सात महीनों (अप्रैल-अक्तूबर 2004) के दौरान के निर्यात में रिकार्ड वृद्धि के साथ निर्यात 4000 करोड़ अमरीकी डालर से भी अधिक। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात में 23.73 प्रतिशत की वृद्धि है।

घरेलू औद्योगिक गतिविधियों में तेजी का रुख बने रहने की संभावना-

भारत और खाड़ी के छह देशों के संगठन-खाड़ी सहयोग परिषद ने आर्थिक सहयोग के बारे में समझौते की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए।

5. **उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण-**

बेहद गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही अन्त्योदय अन्न योजना में गरीबी रेखा के नीचे के 50 लाख और परिवारों को शामिल किया जाएगा और इस प्रकार इस योजना के दायरे में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो जाएगी।

गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान के बारे में टुटेजा समिति के नाम से एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।

उपभोक्ता कार्य विभाग ने उपभोक्ता क्लबों का प्रारूप तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री के.सी. सिंह बाबा]

6. **रक्षा-**

सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस साल रक्षा मंत्रालय का आबंटन बढ़ाकर 77,000 करोड़ रुपए किया गया है। सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी -3 के संशोधित संस्करण का सफल प्रक्षेपण करना। अमेरिका में अलास्का में भारत और अमरीका की वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास किया।

7. **पर्यावरण तथा वन**

ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली हैलोजन गैसों का उत्पादन बंद किया।

उजड़े हुए वनों को फिर से हरा-भरा करने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण कोष बना।

पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने की प्रक्रिया में और सुधार किये जा रहे हैं।

8. **विदेशी मामले**

पाकिस्तान के साथ भरोसा बहाल करने के उपायों तथा बातचीत और सहयोग बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाई गई।

चीन के साथ उच्चस्तरीय बातचीत का सिलसिला जारी रखा गया है।

9. **वित्त**

चालू वर्ष, की प्रथम तिमाही में देश के चालू खाते में लगभग 2 अरब अमरीकी डालर अतिशेष। राजस्व और वित्तीय घाटे में कमी लाने के नियमों को अधिसूचित कर वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया।

देश में सहकारी ऋण प्रणाली में नयी जान फूंकने की कार्य योजना के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए एक कार्यबल के गठन की बात कही है।

एक नई वरिष्ठ बचत योजना शुरू की गई है जिसमें 9 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है।

30 लाख नये किसानों को संस्थागत ऋण सुविधा के दायरे में लाया गया है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वालों को विशेष रूप से लाभान्वित करने के उद्देश्य से सबके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को नया रूप दिया गया है।

प्रधानमंत्री जी ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया और राज्य के विकास की दिशा में पहल के रूप में पैकेज की घोषणा की।

राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया गया है।

तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है।

11. **मानव संसाधन विकास**

दोपहर भोजन योजना दो लक्ष्यों को अपनाकर आकर्षक बनायी जा रही है। पहला, बच्चों, खास तौर से उपेक्षित वर्ग के बच्चों को पोषक भोजन उपलब्ध कराना और दूसरा, सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना।

देश के सभी स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन किया गया है।

12. **पंचायती राज**

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सचिवों का कार्यबल गठित किया गया।

13. **सड़क परिवहन और राजमार्ग**

स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 822 किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की बकाया 41,000 किलोमीटर सड़कों को कम से कम दो लेन वाला बनाने का इरादा है।

नई सड़क परिवहन नीति बनाई जा रही है।

महोदय उत्तरांचल राज्य एक ओर चीन-तिब्बत की सीमाओं तथा दूसरी ओर नेपाल की विशाल सीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजनैतिक घटनाक्रम एवं माओवाद के संदर्भ में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार तथा उत्तरांचल राज्य के हमारे वरिष्ठ, अत्यंत अनुभवशील लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। वहां के माओवादी बड़ी आसानी से यह सीमा पार कर उत्तरांचल में प्रवेश कर सकते हैं। मान्यवर, यह केवल उत्तरांचल की सुरक्षा का ही प्रश्न नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील प्रश्न है।

युवाओं को बरगलाकर (बहला फुसलाकर, लालच देकर) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरा उत्पन्न कराया जा सकता है, यह सर्वज्ञात सत्य है। हमें अपने पूर्व के अनुभवों के आधार

पर इस ओर अधिक सावधानीपूर्वक उपाय एवं कार्य करने होंगे तभी इस प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकता है। उत्तरांचल जैसे नए राज्य के लिए इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को विशेष ध्यान देने के लिए आवश्यक है।

उत्तरांचल प्रदेश जिसे कि पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यदि यहां पर इस प्रकार की कई योजनाएं बनाई जाती है तो इस कार्य से जहां हमारे देश भारत को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति मिलेगी वहीं देश-विदेश के पर्यटकों को इस सुविधा से लाभ मिलेगा तथा उत्तरांचल जैसे नव सृजित राज्य के विकास के साथ देश का भी विकास होगा अत: आपसे नम्र निवेदन है कि उत्तरांचल के चहुमुखी विकास के लिए और अधिक आर्थिक सहायता के साथ हर क्षेत्र में केन्द्रीय योजना का प्रावधान करने की आवश्यकता है।

महोदय, समस्याएं अनेक हैं तथा उत्तरांचल जैसे नव सृजित राज्य जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, यहां के तीर्थ स्थलों के लिए भ्रमण के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों हेतु विशेष पैकेज की आवश्यकता है अत: आपके माध्यम से केवल प्राथमिक समस्याओं के समाधान के लिए ही मैंने अनुरोध किया है। आशा है कि इन पर प्राथमिकता पर कार्यवाही की जाएगी।

इस गरिमामयी सदन का जिसका कि मैं उत्तरांचल से कांग्रेस का एक मात्र निर्वाचित सदस्य हूं।

[अनुवाद]

अत: मैं बहुत संक्षेप में अपने राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों को उजागर करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

महोदय, जैसेकि सारा सदन जानता है उत्तरांचल को उसकी आर्थिक सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अभी कुछ साल पहले ही उत्तर प्रदेश से अलग हुए राज्य का दर्जा दिया गया है। मेरा प्रदेश अभी एक ऐसे शिशु की तरह है जिसके लिए मातृत्व जैसी ममता और सहायता की (मदद) की आवश्यकता है। यह मदद केन्द्र सरकार से जोकि एकमात्र वित्तीय सहायता के रूप में ही हो सकती है।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान कुछ अति महत्वपूर्ण मुददों पर दिलाना चाहता हूं जिससे कि हमारे इस नवगठित राज्य के विकास और भारत के विकास और हिन्दुस्तान को संसार के मानचित्र पर अग्रणी श्रेणी में लाने में अवश्य ही मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

1. उत्तरांचल राज्य में स्थापित उद्योगों तथा नए स्थापित किए गए उद्योगों को उत्पाद शुल्क में न्यूनतम दो वर्ष से लेकर दस वर्ष तक की छूट मिलनी चाहिए। इस तरह की छूट कुछ राज्यों को दी गयी हैं जैसेकि जम्मू-कश्मीर में।

2. महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु है कि राज्य के सम्पूर्ण विकास तथा राजस्व वृद्धि के लिए विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। कुछ राज्यों को पहले ही स्पेशल पैकेज दिया जा चुका है जैसे कि बिहार।

3. घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

महोदय, उत्तरांचल को देवभूमि कहा जाता है। यहां मंसूरी, नैनीताल, जिम कार्बेट, हरिद्वार, ऋषिकेष, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और अन्य रमणीक दर्शनीक स्थल हैं जहां लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यदि इन सभी पर्यटक स्थल पर स्वास्थ्य, ठहरने, सुगम यातायात एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था और अच्छी तरह से हो सके तो पर्यटक की संख्या में वृद्धि होगी और अधिक राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

[अनुवाद]

4. राज्य में क्षतिग्रस्त तथा खंडित हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की शीघ्र मरम्मत की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए-काशीपुर से रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 121।

5. एम्स की तर्ज पर एक स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए।

6. अंत में भूवाली सैनीटोरियम नैनीताल का उन्नयन कर दिल्ली वक्ष संस्थान जैसा वक्ष संस्थान बनाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पुन: अनरोध करूंगा कि हमारे उत्तरांचल के राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत जर्र-जर्र अवस्था में है। उत्तरांचल प्रदेश एक पर्यटक विशेष राज्य होने के कारण यहां राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पयर्टक आते हैं। महोदय, यहां के राष्ट्रीय राजमार्गों को जल्द से जल्द उच्चस्तरीय बनाया जाये जिसकी बहुत जरूरत है।

[श्री के.सी. सिंह बाबा]

महोदय, मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हुए माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उत्तरांचल प्रदेश के लिए हर समस्याओं से निपटने के लिए और आकर्षक योजनाएं बनाई जाएं। इसी के साथ मैं बजट के समर्थन के साथ माननीय मंत्री महोदय जी को भी धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

***श्री चंद्रशेखर साहु** (बरहामपुर-उड़ीसा): महोदय, यह बजट गरीबों तथा किसानों के अनुकूल है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट तैयार करते समय यू.पी.ए. सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए वादे के अनुसार सामान्य व्यक्ति के हितों का ध्यान रखा है। महोदय, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो मेरे मित्र पहले ही कह चुके हैं। परन्तु मैं विपक्ष में बैठे अपने मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले सात वर्षों के दौरान एन.डी.ए. सरकार देश के पूंजीवाद तथा धनी वर्ग के हितों के मार्ग की ओर ले गई जिसके कारण गरीब और भी गरीब हो गया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आरम्भ किए गए कार्यक्रमों तथा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के सपनों को एन.डी.ए. के सहयोगियों ने पूरी तरह से भुला दिया था।

महोदय, उनका दावा है कि उनके प्रयासों के कारण देश की वर्तमान वित्तीय स्थिति अच्छी है परन्तु मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने विगत में यह स्वीकार किया है कि वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री आर्थिक सुधारों के वास्तविक जनक है, अब उनके नेतृत्व में तथा यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में पिछले दस महीनों के दौरान ''भारत निर्माण'' आरम्भ हुआ है। महोदय, उनके फील गुड और इंडिया शाईनिंग को लोगों ने नकार दिया है। परन्तु विपक्ष में बैठे हुए मेरे मित्र वास्तविकता स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। हर बिन्दु पर चर्चा के दौरान वे सभा की कार्यवाही में बाधा क्यों डालते हैं?

महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में सभी वर्ग के लोगों विशेषकर सामान्य व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखा गया है।

महोदय, भारत के इतिहास में पहली बार ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए अस्सी हजार करोड रु. से भी अधिक राशि प्रदान की गयी है ताकि ग्रामीण लोगों में बेरोजगारी का उन्मूलन किया जाए। महोदय, इस बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, लघु सिंचाई परियोजना इत्यादि जैसे जनहित के कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है। नगरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अवसंरचना विकास जैसे प्रत्येक गांव में एक ज्ञान केंद्र, नगरों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु नेशनल अर्बन स्यूवल मिलियन जैसे कार्यक्रमों की घोषणा ने बजट को एक नई दिशा प्रदान की है।

महोदय, पूरा बजट विकासोन्मुखी है और यह भारत को विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी से विकसित देशों की श्रेणी में ले जाएगा जैसाकि भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत 2020 के अंत तक विश्व शक्ति होगा'

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2005-2006 के बजट का समर्थन करता हूं।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): मैं यू.पी.ए. सरकार के निर्भीक और शानदार बजट के समर्थन में खड़ी हुई हूं। यू.पी.ए. सरकार ने लिंग समानता को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी जो एक सक्रिय नेता हैं को माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी तथा यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में लोकोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहूंगी। बजट की देश के लाखों लोगों विशेषकर किसान, मजदूर, बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं जिनका सशक्तीकरण किया जाएगा, ने सराहना की है।

सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम को रचनात्मक, यथार्थवादी, भविष्यवादी बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद व्यक्त करती हूं। माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट जुलाई 2004 में प्रस्तुत किए गए बजट के लक्ष्यों की शृंखला का ही बजट है अर्थात कृषि आधारित जिसमें अगले तीन वर्षों में कृषि ऋण को दोगुना करना, बागवानी मिशन और नई मौसम बीमा योजना आरम्भ करना।

माननीय मंत्री ने अपने बजट भाषण में ''अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ'' के सिद्धान्त पर काम किए जाने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। 60 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या जब गांवों में रहती हो तो सरकार के लिए अनिवार्य है अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम लाभ देना है। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा मात्र 21 प्रतिशत है, यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र का पुनरावलोकन किया जाए। यू.पी.ए. सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यही सहमति व्यक्त की गयी है।

आर्थिक वृद्धि को सामाजिक रूप देते हुए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह तय किया गया है कि विकास दर को प्रतिवर्ष 7-8 प्रतिशत रखने और इसे एक दशक से अधिकतम समय तक इसी वृद्धि दर पर बनाए रखने तथा रोजगार उत्पन्न किए जाए जिससे कि प्रत्येक परिवार सुरक्षित तथा जीवनक्षम रोजगार

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मिल सके। जैसाकि माननीय मंत्री ने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ''गरीबों के पक्ष में राज्य का निर्णायक हस्तक्षेप'' किए जाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप अपना भाषण पढ़ना ही चाहती हैं तो बेहतर होगा कि आप भाषण सभापटल पर रख दें।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: महोदय, मैं ऐसा ही करूंगी।

भारतीय कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में से एक यह है कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में इसकी विकास दर कम हो रही है। आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले छह या सात वर्षों से कृषि उत्पादन में 2 प्रतिशत की गिरावट आ रही है जिससे सकल घरेलू उत्पाद कुल मिलाकर 7 प्रतिशत गिरा है। कुछ समय से केवल औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र पर ही ध्यान दिया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के बीच संबंध को महत्व दिया है। मैं दिसम्बर 1952 में इस सभा में उनके द्वारा दिये गए भाषण में से कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहती हूं:

> ''यदि हमारा कृषि क्षेत्र का आधार मजबूत नहीं होगा तो जिस औद्योगिक क्षेत्र का हम निर्माण करना चाहते हैं उसका आधार भी मजबूत नहीं होगा। इसके अलावा यदि हमारा खाद्य मोर्चा चरमरा जाएगा तो हर क्षेत्र में गड़बड़ी आएगी।''

प्रारम्भिक दशकों में पंडितजी ने कुल योजना परिव्यय का 22 प्रतिशत कृषि क्षेत्र हेतु आबंटित किया। यह प्रमुखत: सिंचाई, विद्युत, अनुसंधान एवं विस्तार सेवाओं के लिए किया गया था। अकाल और अन्य संबंधित समस्याओं के बावजूद स्वतंत्र भारत 1970 के दशक के मध्य तक खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हो पाया तथापि हाल की अवधि में कृषि उत्पादन वर्ष 2001-02 के 212 मिलियन टन से घटकर 180 मिलियन टन पर आ गया। हाल ही की अवधि में जब हम औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र पर जोर दे रहे हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था की बेहतर सुरक्षा के लिए हमें 1950 में अपनाये गए इस व्यापक दृष्टिकोण को याद रखने की जरूरत है।

महोदय, समय की कमी के कारण मैं अपने भाषण का शेष भाग सभापटल पर रखना चाहती हूं। परन्तु अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं इस बात पर बल देना चाहूंगी कि जब तक राष्ट्र के किसानों के उत्पादों का उचित मूल्य देकर उनकी सुरक्षा नहीं की जाती, फसलों के लिए उचित विद्युत आपूर्ति, उनके बच्चों को उच्च शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में ग्रामीण आधार पर अंकों में प्राथमिकता तथा फसल बीमा और स्वास्थ्य बीमा आदि की सुरक्षा नहीं दी जाती तब तक हम अपनी मातृभूमि को सुदृढ़ नहीं बना सकते।

मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से यह विनम्र निवेदन है कि वह किसानों, विशेषकर सूखा प्रभावित राज्यों के किसानों के ब्याज सहित ऋणों को माफ करें। महोदय, मैं कर्नाटक राज्य से आती हूं जहां पर काफी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी सूखा प्रभावित राज्यों के किसानों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए इस मांग पर विचार करेंगे।

महोदय, मैं यहां बताना चाहूंगी कि कर्नाटक के एक राष्ट्रीय कवि श्री कुवेम्पु, जिन्होंने पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था, ने किसानों को समर्पित करते हुए एक कविता लिखी थी:

''उलुवा योग्य नोडाली''

इसका मतलब है:

> ''किसान की ओर देखो, जो बिना कोई अपेक्षा किये राष्ट्र की सेवा कर रहा है। चाहे कोई राष्ट्र बनें या समाप्त हो वह खाद्यान्न का उत्पादन करके अपने देश के लोगों का पेट भरने के कर्त्तव्य से कभी विमुख नहीं होगा।''

हमें किसानों को नहीं भूलना चाहिए। किसान कोई भिखारी नहीं बल्कि राष्ट्र की रीढ़ है। इस सभा के विनम्र बेटियों और बेटों के रूप में हमें किसान समुदाय की रक्षा अवश्य करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपने भाषण का शेष भाग सभापटल पर रखती हूं। महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने का लिए आपका धन्यवाद।

*यदि हमें ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से पार पाना है तो यह आवश्यक है कि आने वाले वर्षों में हमें कृषि क्षेत्र में कम से कम 4 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर को बनाये रखने के प्रयास करने होंगे। इसके लिए सरकार द्वारा सिंचाई सुविधाओं, ग्रामीण अवसंरचनात्मक सुविधाओं, रोजगार के अवसरों का सृजन, बीजों में अनुसंधान और विकास तथा किसानों को आसान और प्रभावी ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजटीय आबंटन बढ़ाने के लिए सक्रिय उपाय किये जाने चाहिए।

कुल मिलाकर 1990 के दशक में कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश घटकर मात्र 1132 करोड़ रुपए रह गया तथापि इसी अवधि में निजी क्षेत्र का निवेश भारतीय कृषि के बचाव में आगे आया और निवेश बढ़कर 5,864 करोड़ रुपये हो गया। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं अभी भी अधिक ब्याज वसूलने वाले सूदखोरों के कब्जे में हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2002 में यह स्वीकार किया था कि वर्ष 1980 के 15 प्रतिशत के स्तर से घटकर सार्वजनिक ऋण वितरण लगभग 11 प्रतिशत रह गया है। इसका

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

मूल्यांकन करके इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सी एम पी) में कहा गया है कि सिंचाई परियोजनाओं में निवेश को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि मौसम की अनिश्चितता के चलते भारत में कृषि उत्पादन निर्धारित करने में पानी की उपलब्धता एक प्रमुख मुद्दा है। सुनिश्चित सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को लाये जाने की योजना है। इस बजट में कृषि सिंचाई और ग्रामीण अवसंरचना के लिए कुल 14,000 रुपये की वृद्धि का प्रावधान किया गया है। पिछले कई वर्षों में निवेश में कमी सहित बहुत से अन्य कारणों से हमारी सिंचाई प्रणाली बदतर हुई है।

केवल सिंचाई कार्यक्रमों से ही इन समस्याओं से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। विशेषज्ञों की परिगणना के अनुसार वर्ष 2020 तक जल की उपलब्धता एकदम 21 प्रतिशत तक घट जाएगी और लगभग एक-तिहाई भारत पानी की भारी कमी का सामना कर रहा होगा। अमूल्य जल संसाधनों को बचाने के लिए हमें इसके साथ-साथ सूक्ष्म-सिंचाई परियोजनाओं पर भी ध्यान देना होगा। मैं यह बताना चाहूंगी कि कुल 27 मिलियन हेक्टेयर भूमि, जहां कि सूक्ष्म-सिंचाई परियोजनाओं की सम्भावनाएं हैं, में से अब तक केवल 1/2 मिलियन हेक्टेयर भूमि को कवर किया जा सका है और अगले पांच वर्षों के लिए मात्र 2 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। इस विषय पर माननीय मंत्रीजी का बजट भाषण उत्साहवर्द्धक है:

> "अब तक सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 1.2 मिलियन हेक्टेयर कवर किया जा सका है और दसवीं योजना के अंत तक इस कवरेज को 3 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाने की योजना है और ग्यारहवीं योजना के अंत तक इसे 14 मिलियन हेक्टयर किया जाना चाहिये। इसी के अनुसार मैंने वर्ष 2005-06 में सूक्ष्म-सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है।"

चूंकि यह कार्य अत्यावश्यक है, इन उत्पादक परिसम्पत्तियों के लिए और अधिक आबंटन किये जाने की आवश्यकता है।

संप्रग सरकार ने कृषि ऋण को बढ़ाने, काम के बदले अनाज कार्यक्रम को बढ़ाने, बागवानी के मिशन स्थापित करने, कृषि बीमा योजना और ग्रामीण सहकारिता का नवीकरण करने का प्रयास किया है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि ऋण की मात्रा लगभग 30 प्रतिशत तक बढ़ी। बहुत से विशेषज्ञों ने ग्रामीण बीमा योजनाओं की कमियों के बारे में बताया। इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। नाबार्ड की किसानों के लिए विकास-पूर्व मानदण्डों वाली योजना, रियायती दर के प्रीमियम पर फसल बीमा कवर का प्रावधान और अन्य योजनाओं का भली-भांति विश्लेषण करके उनके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

1962-63 में प्रणाणित बीजों के उपयोग के अंतर्गत 500 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र था जो कि 1999-2000 में बढ़कर 5 लाख हेक्टेयर हो गया परन्तु विकसित देशों की तुलना में यह अभी भी कम है। जैव संवर्धित फसलों में बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार उन्नत बीज परियोजनाओं से जुड़े सरकारी उपक्रमों में और अधिक निवेश करे तथा देशभर में अनुसंधान और विकास की सुविधाओं को बढ़ावा दे।

जब हम अपने बहुमूल्य संसाधनों को कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न से वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के बदलाव पर खर्च करते हैं और विश्व व्यापार संगठन के विनियमन के अनुसार राजसहायता में कमी करते हैं तो इस बारे में हमें पाकिस्तान के खाद्य असुरक्षा के अनुभवों से सबक लेना चाहिए जहां कुल 120 जिलों में से 80 जिलों में निगमित कृषि शुरू करने के बाद राजसहायता घटा दी गयी और खाद्यान्न की खरीद बंद कर दी गयी। कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के प्रयास करने वाले हमारे पड़ोसी देश चीन के समक्ष भी ऐसी ही समस्याएं आ रही हैं।

कृषि क्षेत्र में राजसहायता के बारे में यह बताने की आवश्यकता है कि राजसहायता देना जरूरी है और इसे खत्म किये जाने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव का विरोध किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की सितम्बर, 2004 के एक प्रतिवेदन के अनुसार व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाली राजसहायता के कारण भारतीय किसानों को 1.1 बिलियन अमरीकी डालरों का घाटा उठाना पड़ रहा है जिससे अमरीका और यूरोपियन संघ के किसान और व्यापारी लाभान्वित हो रहे हैं। यह प्रक्रिया भेदभावपूर्ण है क्योंकि अमरीका और यूरोपियन संघ अपने किसानों को लगभग 300 बिलियन डालर की राजसहायता दे रहे हैं जबकि हम अपने किसानों को मात्र 1 बिलियन डालर की राजसहायता ही प्रदान कर रहे हैं) और इस मामूली सी राजसहायता को खत्म करने तथा कृषि क्षेत्र को सस्ते आयात के लिए खोलने का हम पर दबाव बनाया जा रहा है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने बताया है कि उर्वरक सजसहायता में लगभग 16,254 करोड़ की वृद्धि की गयी है यह सही दिशा में एक कदम है। चूंकि यह निधि एक मामूली सी धनराशि है इसे और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

जब तक हम राष्ट्र के किसानों को उनके उत्पादों का उचित स्थिर मूल्य देकर उनकी सुरक्षा नहीं करते, उनकी फसलों के लिए उचित विद्युत आपूर्ति, उनके बच्चों की उच्च शिक्षा तथा रोजगार में ग्रामीण आधार पर अंकों में प्राथमिकता, फसल बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं करते, हम अपनी मातृभूमि को सुदृढ़ नहीं बना पाएंगे।

चाहे कृषि एक लाभकारी व्यवसाय न हो, फिर भी किसान अपना जीवन अपने देशवासियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में समर्पित करता है। उसकी इस सेवा की कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं मंत्री जी से सूखा प्रभावित राज्यों के किसानों का ऋण ब्याज सहित माफ किये जाने की अपील करती हूं।

महोदय, हमें गर्व से, किसानों के सम्मान और हितों की रक्षा करनी चाहिए। मैं कर्नाटक के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कवि द्वारा किसानों को समर्पित कविता का स्मरण करते हुए अपना भाषण समाप्त करती हूं:

"लुक एट द फारमर हू प्लो द लैंड,
लैट द स्टेट्स इमर्ज आर वैनिश, ही इज नाट् बादर्ड
ही इज डेडिकेटिड टू फीड द् माऊथ्स आफ द फैलोज।

श्री किन्जरपु येरणनाडु: महोदय, जैसा कि श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश ने कहा कि बुनकरों के लिए ऋण तथा साथ ही ऋण पर ब्याज को माफ किया जाए, मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि सूची में दिए गए सभी नामों को पुकारना मेरे लिए सम्भव नहीं हो पाएगा।

मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे सदस्य जो अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं। वह सभा की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाएगा। मैं उन माननीय सदस्यों से भी आग्रह करता हूं जो कि लम्बा भाषण देना चाहते हैं कि वे अपने भाषण सभा पटल पर रख दें। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे लम्बा भाषण न दें और केवल अपने सुझाव रखें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। आप भाषण दे सकते हैं।

[हिन्दी]

मेरी प्रार्थना है कि कुछ सदस्य चाहें तो अपना भाषण टेबल पर रख सकते हैं।

अपराह्न 4.56 बजे

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी एवं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि 28 फरवरी को सुबह 11 बजे, सभी को आशा थी संप्रग सरकार से कि अपने दूसरे बजट में हमारे देश की प्रगति के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए, किसानों की माली हालत सुधारने के लिए, बजट के माध्यम से कुछ नवीन उपाय करेगी। मान्यवर, मुझे दु:ख है कि वित्त मंत्री जी ने सभी को निराश किया है।

बजट भाषण में भारत निर्माण की स्वप्निल घोषणा की गई। हम सभी चाहते हैं भारत निर्माण। हम सभी का सपना है कि देश के हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिलें। आगे बढ़ने का अच्छा वातावरण मिले। अच्छी शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति हम सभी सदैव कुछ करने को चिंतित रहते हैं। मुझे दु:ख है कि उन्होंने भारत निर्माण की कोई ठोस योजना प्रस्तुत नहीं की है। राजग सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कई योजनाओं के नाम बदलने से भारत निर्माण नहीं होगा। इन योजनाओं की समयबद्ध क्रियान्वित एवं उनके लाभ को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिस इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी, वह वित्त मंत्री जी बजट में नहीं दिखा पाए। आजादी के बाद प्रतिवर्ष आम आदमी को अच्छा जीवन स्तर मिले, इसके लिए देश की निर्धन जनता पर अरबों रुपयों का करों का बोझ डाला गया। अरबों रुपयों का ऋण लिया गया। किन्तु आम आदमी की स्थिति में जो परिवर्तन चाहते थे, वो नहीं हुआ।

भ्रष्टाचार, निरंकुश, नौकरशाही एवं जटिल कानून, ऐसी समस्याएं हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को खोखली बना रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की प्रक्रिया बड़ी धीमी एवं उलझनभरी है। नौकरशाही की निरंकुशता के कारण आम आदमी त्रस्त है। साधारण नागरिकों के प्रार्थना पत्र बिना किसी कारण के महीनों अधिकारियों के पास पड़े रहते हैं। अब समय आ गया है, भ्रष्ट एवं अकुशल कर्मचारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई हो, उन्हें सरकारी संरक्षण नहीं मिले। उनके द्वारा दुर्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के प्रति उनको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जाए। किंतु इस बजट में इनका कोई उल्लेख ही नहीं है।

मान्यवर, बजट में मूल्यवर्धित कर प्रणाली लागू करने के लिए राज्य सरकारों को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी गई है। केंद्रीय बिक्री कर एवं वैट साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। बजट में केंद्रीय बिक्री कर को समाप्त करने की कोई कार्य योजना एवं समय-सीमा नहीं दी गई है। वैट से देश के 4 करोड़ छोटे एवं मध्यम दुकानदार एवं व्यवसायी वैट व्यवस्था के चंगुल में उलझ जाएंगे। वैट लागू होने से एवं केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त नहीं होने से मूल्यों में लगभग पांच प्रतिशत वृद्धि की संभावना है। इससे गरीब एवं मध्यमवर्ग के व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बहु बिन्द विक्रय कर प्रणाली को ही नाम बदलकर वैट के नाम से लागू किया जा रहा है। इससे इन्सपेक्टर राज एवं भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

[श्रीमती किरण माहेश्वरी]

माननीय उपाध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में आबंटन बढ़ाने की घोषणा करते हुए उनकी तुलना पुनरीक्षित अनुमानों से की है, न कि पिछले वर्ष के बजट अनुमानों से। इस प्रकार उन्होंने वास्तविक वृद्धि जो कि बहुत ही कम है, उसे ज्यादा बताकर झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास किया है। केन्द्रीय योजना व्यय का वर्ष 2004-05 का बजट अनुमान 1,45,590 करोड़ रुपयों का था जबकि पुनरीक्षित अनुमान उस वर्ष के लिए 1,37,387 करोड़ रुपयों का ही बताया गया है। इस प्रकार योजना व्यय पर 8000 करोड़ रुपये कम खर्च किए गए। वर्ष 2005-06 के बजट अनुमान में योजना व्यय के लिए 1,45,500 करोड़ रुपयों का हा प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट अनुमानों से 2000 करोड़ रुपये कम है। इस प्रकार इस सरकार का भारत निर्माण का वादा योजना के धरातल पर केवल वादा ही दिखता है।

माननीय सभापति जी, 1971 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नाम पर चुनाव लड़ा था। जनता ने उनके वादों पर, इरादों पर विश्वास किया। गरीबी तो ये नहीं हटा पाए। हां, इन्होंने 1975 में लोकतंत्र को हटा दिया। आपातकाल की घोषणा करके, गरीबों की आवाज दबा दी। 1991 में ये चुनाव लड़े। तीन महीनों में महंगाई कम करने के नाम पर। सबको मालूम है, इनकी सरकार बनने के बाद महंगाई और बेकाबू हो गई। इस बार ये चुनाव लड़े हैं, इनका हाथ आम आदमी के साथ के वादे पर। पर इनके बजट को देख कर लगता है कि इनका हाप आम आदमी की जेब पर ज्यादा भारी पड़ रहा है। इन्होंने इस बार 50 हजार करोड़ रुपयों की वृद्धि कर आय में अनुमानित की है। इस टैक्स का भार निश्चित ही जनता पर पड़ेगा।

अपराह्न 5.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों से नकद निकासी पर कर लगा कर संप्रग सरकार ने यह प्रमाणित कर दिया है कि किसी भी तरह से वह आम आदमी पर करों का बोझ डालना चाहती है। इस टैक्स को कर चोरी रोकने का प्रयास बताना गलत है और वास्तविक इरादों पर परदा डालना है।

महोदय, सत्तारूढ़ गठबंधन के मुख्य दल की अध्यक्ष एक महिला हैं जो इस समय सदन में भी विराजमान हैं। महिलाओं की भी इस बजट में उपेक्षा की गई है। पहले महिला करदाताओं को कर छूट 5000 रुपये मिलती थी, उसे घटाकर अब 2500 रुपये कर दी गयी है। इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों को पहले 20 हजार रुपये की कर छूट प्राप्त थी, लेकिन अब उसे घटाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत छोटी सी कविता, बहुत कम शब्दों में सुनाकर अपना भाषण समाप्त करूंगी औरर अपने भाषण को टेबल पर ले भी करूंगी, लेकिन उससे पूर्व चूंकि माननीय वित्त मंत्री जी सदन में विराजमान हैं, इसलिए अपने क्षेत्र से संबंधित एक बात अवश्य कहना चाहती हूं।

महोदय, महाराणा प्रताप की शौर्यस्थली, मीरा की भक्ति एवं पद्मिनी के जौहर की साक्षी मेवाड़ धरा का इतिहास भारत के गौरव की जीती जागती कहानी है। मेवाड़ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से विकास की असीमित संभावनाएं रखता है। इस क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए मेवाड़ काम्पलैक्स के नाम से एक योजना केन्द्रीय सहायता से काफी समय पूर्व बनाई गई थी। उस योजना की क्रियान्विति केन्द्रीय सहायता की राशि उपलब्ध नहीं करवाने के कारण रुकी पड़ी है। वित्त मंत्री जी को इस दिशा में व्यक्तिगत रुचि लेकर मेवाड़ के पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए स्वीकृत राशि अविलम्ब उपलब्ध करानी चाहिए।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगी कि इस बजट में कुछ विसंगति रह गई है। मंत्री जी ने जिस ब्रांडेड ज्वैलरी पर टैक्स लगाने की घोषणा की है, वह अव्यावहारिक है। पूरे देश के सर्राफा व्यवसाइयों ने तीन दिन तक बाजार बंद रखकर इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि ब्रांडेड ज्वैलरी को नामजद किया जाए और ब्रांडों के नामों की लिस्ट प्रकाशित की जाए ताकि पता लग सके कि किन-किन ब्रांडों की ज्वैलरी पर टैक्स लगेगा और कौन से ब्रांड की ज्वैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सदन के बहुत से माननीय सदस्य कविता सुनने के इच्छुक हैं, इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में छोटी सी कविता सुनाकर अपनी बात समाप्त करती हूं—

"बजट आंकड़ों का माया जाल
गरीब, किसान और मजदूर बनेंगे बेहाल
बड़े उद्योगों के साहूकार बनेंगे मालामाल
मध्यमवर्गीय करदाता कहता है सुनो दिल का हाल
मंत्री जी ने ठीक बिछाया करों का मायाजाल
एवं जनजाति के एमपीज के विकास का नहीं स्थान
दिन प्रतिदिन खींचे जाएंगे उनके बाल
सरेआम निकाली जाती है उनकी खाल
आजादी के बीत गए पूरे 57 साल
काम के बदले अनाज सभी का है पुलावी ख्याल
किसान मरने पर मजबूर हैं, उदाहरण है बेमिसाल
महिला कांप उठती है देखकर यह बजट
कहां जाकर रुकेगा महंगाई का यह रेट
पैसा मांगने वालों को नहीं दे सकते हैं डेट
मानों चारों ओर से काटने आती हो कैट
व्यापारी चिल्ला रहे हैं देखकर वैट"

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अगला भाषण श्री बीर सिंह महतो जी का है।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं और आशा करती हूं कि वित्त मंत्री जी मेरी कविता के आलोक में बजट पर पुन: विचार करेंगे और इस ओर ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया): महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष 2005-06 के बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह एक संतुलित बजट है। इस बजट में न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए वादों को पूरा करने के प्रयास किए गए हैं। बजट में कुछ स्वागत योग्य निर्णय लिए गए है। मैं वित्त मंत्री के देश भर में 1,88,165 आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। मैं समाहित नहीं किए गए 31,355 गांवों को पेयजल योजना में शामिल करने का भी स्वागत करता हूं। मैं मंत्री महोदय को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के प्रस्ताव के संबंध में बधाई देता हूं, जिसे 452 जिलों में चलाया जा रहा है। मैं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बेकवर्ड रीजन ग्रांट फंड) बनाये जाने के प्रस्ताव का पुन: स्वागत करता हूं। इस कोष के लिए 170 जिलों का चयन किया गया है।

जहां तक कर दायरे को बढ़ाने का संबंध है, जहां तक मुझे याद है वित्त संबंधी स्थायी समिति ने कई ठोस सिफारिशें दी थी। मैं वित्त मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इन पर विचार करें।

180 वस्तुओं को लघु उद्योगों की संरक्षित सूची से निकालने के निर्णय से ग्रामीण तथा देशी उद्योगों को क्षति होगी। यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए वादों के विरुद्ध है।

बजट में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों तथा परम्परागत औद्योगिक ईकाइयों को पुनरुज्जीवित करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है और जूट उद्योग को पुनरुज्जीवित करने के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। चीनी उद्योग को कुछ सहायता दी गयी है परन्तु जूट उद्योग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पूर्वी क्षेत्र में एक करोड़ लोग जूट उद्योग पर निर्भर हैं। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि वे जूट उद्योग को पुनरुज्जीवित करने की ओर ध्यान दें।

श्री बी. विनोद कुमार (हनमकोंडा): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।

पहली बार कोई सांसद पिछड़े तेलंगाना की आकांक्षाओं पर चुना गया है, मैं अपनी ओर से तथा तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की ओर से राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के घटकों पर एक घंटे से भी अधिक समय तक लम्बा बजट भाषण देने के लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहेंगे?

श्री बी. विनोद कुमार: महोदय, मैं कुछ बिंदुओं पर बोलना चाहूंगा। अन्य बिंदुओं पर मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहूंगा।

यह बजट भाषण देश की जनता द्वारा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को दिए गए जनादेश के औचित्य का चित्रण करता है, यह बजट ग्रामीण तथा सामाजिक विषयों के दृष्टिकोण के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करता है और इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह तथा यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए बधाई देता हूं।

महोदय मैं बजट के विशेष प्रस्तावों पर आता हूं, शिक्षा तथा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के 8,240 करोड़ रु. के आवंटन में वृद्धि कर 10,280 करोड़ रु. करना, समेकित बाल विकास सेवा के आवंटन को 1,623 करोड़ से बढ़ाकर 3,142 करोड़ रु. करना, मध्याह्न भोजन योजना में आवंटन को 1,675 करोड़ रु. से बढ़ाकर 3,010 करोड़ रु. करना तथा गैर-व्यपगत निधि के गठन का प्रस्ताव भी सराहनीय कार्य हैं। बजट भाषण में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष रूप से बनाई गई योजनाओं के संबंध में विशेष वक्तव्य दिया गया था। एक दूसरा सराहनीय कार्य है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई छात्रवृत्तियों की घोषणा जिससे उन्हें नये अवसर मिलेंगे, परन्तु इस योजना को तत्काल क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने पिछली सरकार की विफलताओं विशेषकर कृषि क्षेत्र में इन्हें उजागर कर तथा भारतीय किसानों की आकांक्षाओं में वृद्धि कर सत्ता प्राप्त की है। इसके लिए यू.पी.ए. को भारतीय किसानों के प्रति अपने वचनों और वादों को पूरा करना होगा। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि माननीय

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बी. विनोद कुमार]

वित्त मंत्री ने हैदराबाद के संवाददाता सम्मेलन में स्वयं यह स्वीकार किया था कि हमारे देश के 12 करोड़ किसानों में से केवल 4 करोड़ किसानों को ही संस्थागत ऋण की सुविधा उपलब्ध है। यह संख्या बहुत कम और निराशापूर्ण है। मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस गम्भीर विषय के संबंध में वित्त मंत्री जी ने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है।

अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस विषय पर गौर करें और "राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण मिशन" स्थापित करें, जिससे कि जैसा वादा किया गया है कि अगले तीन वर्षों में सभी योग्य किसानों को ग्रामीण ऋण दिया जाएगा सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए मैं एक बार पुन: माननीय प्रधानमंत्री, माननीय यू.पी.ए. अध्यक्षा और माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे ग्रामीण ऋण के गम्भीर विषय पर पुन: विचार करें। मैं एक बार पुन: वित्त मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें।

महोदय, समय के अभाव के कारण मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्र वारंगल जैसे पिछड़े जिले से आता हूं। मैं वित्त मंत्री द्वारा पिछड़ा क्षेत्र निधि के लिए 5000 करोड़ रु. के आवटन का स्वागत करता हूं। परन्तु मेरी कुछ शंकाएं हैं। पहले मेरा जिला राष्ट्रीय सम विकास के अंतर्गत योजना के अंतर्गत समाहित किया गया था जिसे नहीं किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मेरा जिला इस पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के योग्य है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

अंत में, एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से होने के कारण ग्रामीण अवसंरचना के छ: घटकों वाले भारत निर्माण के अनेक उद्देश्यों को सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। किंतु मेरा अनुरोध है कि एक ओर घटक शामिल किया जाए अर्थात जब तक सभी राज्यों द्वारा ग्रामीण भारत में भू-अभिलेखों का पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत नहीं किया जाता तब तक भारत निर्माण विजन पूरा नहीं हो सकता ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विनोद कुमार, आपने पहले ही छ: मिनट ले लिए हैं।

...(व्यवधान)

श्री बी. विनोद कुमार: महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपना शेष भाषण सभा पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: हां, आप ऐसा कर सकते हैं।

***श्री बी. विनोद कुमार:** पिछड़े तेलंगाना की क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर पहली बार निर्वाचित संसद सदस्य के रूप में, मैं तेलंगाना राष्ट्र समिति की ओर से राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के घटकों के बारे में अपने भाषण में लगभग एक घंटे से अधिक समय लगाने और सामाजिक क्षेत्र के विकास और ग्रामीण भारत तथा कृषि के प्रति सरकार की वचनबद्धता का वर्णन करने के लिए माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम का आभार व्यक्त करता हूं। विकास के कार्यक्रम को शामिल करते हुए ऐसे भाषण की बहुत समय से प्रतीक्षा थी और और आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप संसद के इस सम्माननीय सदन में नहीं सुनी गई थी। बजट भाषण इस देश के लोगों द्वारा संप्रग गठबंधन को दिए गए जनादेश को आंशिक रूप से सही ठहराता है।

मेरा हमेशा से यह मानना है कि वैश्विक रुझानों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में 1991 से शुरू किए गए सुधार आवश्यक हैं परन्तु इन सुधार प्रक्रियाओं को स्थायी और समान बनाने के लिए सामाजिक तथा ग्रामीण संवेदनशीलता के साथ जारी रखने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इस बजट में मुद्दों और आवंटनों के प्रति अपने रवैये में उल्लेखनीय सामाजिक तथा ग्रामीण संवेदनशीलता को प्रतिबिंबित किया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री, श्री मनमोहन सिंह जी और इस संबंध में आवश्यक मार्ग-निर्देशक योगदान देने के लिए संप्रग गठबंधन की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को बधाई देता हूं।

महोदय, जहां तक बजट के विशिष्ट प्रस्तावों का संबंध है तो माननीय वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में 8420 करोड़ रुपए से 10,280 करोड़ रुपए की वृद्धि, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस) के लिए 1623 करोड़ रुपए से 3142 करोड़ रुपए की वृद्धि की प्रशंसा किए जाने की जरूरत है। महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के लिए बजट आबंटन 1675 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3010 करोड़ रुपए करने हेतु और सर्व शिक्षा अभियान के लिए आवंटन को 7156 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4754 करोड़ रुपए करके प्रारम्भिक 'शिक्षा कोष' नामक अव्यपगत कोष बनाने के लिए किया गया प्रयास भी उतना ही प्रशंसनीय है।

महोदय, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन और समग्र स्वच्छता अभियान (टी सी एस) के लिए आवंटनों में वृद्धि, जिससे हमारे गांवों में जीवन की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, भी उतना ही प्रशंसनीय कार्य है।

यह बजट अ.जा. और अज.जा. के विकास हेतु योजनाओं और क्रमश: आवंटन के संबंध में अनन्य विवरण प्रस्तुत करने में भी लीक से हटकर था। यह विकास की प्रक्रिया में अ.जा./

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

अ.ज.जा. को शामिल करके सबके लिए आर्थिक विकास हेतु भी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सरकार को निधियों की उपयोगिता और लाभार्थियों के संबंध में अर्ध-वार्षिक अंतरालों पर राज्य-कर और जिला-वार तारीख जारी करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह समावेशी प्रक्रिया वास्तव में अधिक व्यापक हो।

दूसरा प्रशंसनीय कदम है अ.जा./अ.ज.जा. विद्यार्थियों को बड़ी छात्रवृत्तियों के प्रावधान के द्वारा उत्कृष्ट संस्थानों में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए नए अवसर प्रदान करने की घोषणा करना। मैं पुनः माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में व्यापक प्रचार करके इसी शिक्षा वर्ष के दौरान इस योजना को चलाया जाए। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि इन छात्रवृत्तियों को प्रदान करने की चयन प्रक्रिया में स्थानीय संसद सदस्य की जिला प्रशासन के साथ भागीदारी का परीक्षण किया जाए। इसी प्रकार, हम छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन की प्रगति और जिला-वार लाभार्थियों के बारे में अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करने की कृपा करें। मैं कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में एम.फिल. और पी.एच.डी. कोर्स करने हेतु अ.जा. तथा अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति में स्वीकृति हेतु चयन, रिपोर्टिंग और समीक्षा की वैसी ही प्रक्रिया की सिफारिश करता हूं।

महोदय, भारतीय कृषि और कृषक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और माननीय वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में इस वास्तविकता को स्वीकार किया है। महोदय, संप्रग गठबंधन ने ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार की विफलताओं का व्यापक प्रचार करके और भारतीय कृषकों, जो कि भारतीय जनसंख्या का 65% हिस्सा है, की आकांक्षाओं को पैदा करके केंद्र में सत्ता हासिल की है। महोदय, अब समय आ गया है कि हम भारतीय कृषकों के प्रति अपनी कसम और वचनबद्धता को ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा करें। महोदय, इस संबंध में मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने स्वयं हैदराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में स्वयं स्वीकार किया था कि देश के 11.55 करोड़ किसानों में से केवल चार करोड़ किसानों को संस्थागत ऋण मिलता है। इनमें से अधिकांश किसान हैं जो लगभग 9.27 करोड़ लघु और सीमांत किसान हैं। यह खराब और अस्वीकार्य स्थिति है और इन 11.55 करोड़ किसानों को दो से तीन वर्षों के भीतर संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए युद्ध स्तर पर तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण ऋण और कर्जदारी के प्रावधानों के संबंध में वित्त मंत्री के कदम और कार्य निष्पादन के आंकड़ों से पता चलता है कि यह कम ही है और महोदय इस बजट जिसने बहुत से अन्य क्षेत्रों में नई योजनाएं तैयार की हैं, में ग्रामीण ऋण हेतु तात्कालिकता और बड़े कदम नहीं उठाये गए हैं। वित्त मंत्री की निचले स्तर पर ग्रामीण ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक पर निर्भरता तेजी से ग्रामीण ऋण में अंतर को पाटने के लिये पर्याप्त नहीं है। माननीय वित्त मंत्री ने सिद्धांत रूप में ग्रामीण सहकारी बैंकिंग संबंधी कृतक बल की सिफारिशों और रिपोर्ट को स्वीकार करने और परामर्श संबंधी प्रक्रिया में राज्य सरकारों को शामिल करने के बारे में उल्लेख किया है। सहकारिता के पुनर्गठन की यह प्रक्रिया एक दशक से भी अधिक समय से लटक रही है और स्थायी समाधान अभी भी नहीं निकला है। हम सहकारिताओं की परामर्श संबंधी प्रक्रिया और पुनर्गठन में राज्य सरकारों को शामिल करने का कार्य इस 14वीं लोक सभा के कार्यकाल से आगे तक खिंचेगा। चालू वर्ष में 58.5 लाख किसानों को ऋण दिया जाना और अगले वर्षों में 50 लाख नए किसानों का प्रस्तावित लक्ष्य 7.55 करोड़ किसानों, जिन्हें अभी ऋण प्रक्रिया से जोड़ा जाना है, के समेकित ग्रामीण ऋण अंतर से बहुत कम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि अगले तीन वर्षों के भीतर सभी पात्र किसानों को ग्रामीण ऋण सुनिश्चित करने हेतु 'राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण मिशन' शुरू करने की जांच करें। इस मिशनरी रवैये के लिए नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों, जो कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं, के पूर्व पुनर्गठन और इनकी रफ्तार तेज किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ सरकार राज्य सरकारों को इसमें शामिल करके सहकारिताओं के पुनर्गठन के प्रयासों को जारी रख सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि संप्रग सरकार ने अपनी पूरी शक्ति और क्षमता से इस महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान नहीं किया तो कृषक वर्ग कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरा माननीय प्रधान मंत्री और संप्रग की माननीय अध्यक्षता और माननीय वित्त मंत्री से पुनः विनम्र निवेदन है कि पूर्ण गम्भीरता के साथ ग्रामीण और कर्जदारी के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पुनः विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान फसल बीमा योजना को और पारदर्शी तथा कृषक अनुकूल बनाने हेतु इसे पुनः तैयार करने के लिए भी ऐसी ही शीघ्रता और गम्भीरता प्रदर्शित किए जाने की जरूरत है। माननीय वित्त मंत्री ने फसल बीमा के वर्तमान स्वरूप को एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। किंतु अध्यक्ष महोदय समय तेजी से बीत रहा है और देश के लाखों किसान पूर्णतया पुनर्गठित और प्रयोक्ता अनुकूल फसल बीमा योजना की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सभी पात्र किसानों को ग्रामीण ऋण योजना में शामिल करने और फसल बीमा योजना का पुनर्निर्माण करने के दो प्रमुख मुद्दे संप्रग सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती और मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इन दोनों मुद्दों पर उसी साहस और सूझबूझ का परिचय दें जिसका उन्होंने आर्थिक विकास और इक्विटी के

[श्री बी. विनोद कुमार]

मुद्दे का समाधान करने में दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, परिणाम बनाम परिव्यय पर बहस संबंधी साहसिक घोषणा करने के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी जानी चाहिए। महोदय इसमें दो विकल्प नहीं हैं कि आम आदमी तक पहुंचने के लिए डिलीवरी तंत्र और सरकार के प्रदर्शन में बहुत सुधार करना पड़ेगा। इस संदर्भ में मैं वित्त मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए बजट परिव्यय का जिलावार और निर्वाचन क्षेत्र-वार आबंटन की जानकारी सभी संसद सदस्यों को प्रदान की जाए और इस जानकारी को सरकार की वेबसाइट में भी डाला जाए। महोदय, इस बात पर विचार करते हुए कि हम पंचायतराज संस्थाओं से निम्न स्तर पर इस तरह की जानकारी प्रवाह और पारदर्शिता की आशा कर रहे हैं, यह मांग बहुत ज्यादा नहीं है।

महोदय, बजट भाषण में भाग 'ख' पर चर्चा करते हुए मैं और मेरा दल वित्त मंत्री को अलग-अग करदाताओं के लिए प्रत्यक्ष कर प्रणाली को युक्तियुक्त और सरल बनाने के प्रति उनके प्रयासों के लिए उन्हें बधाई देती है। मैं वित्त मंत्री को विभिन्न मदों पर सीमा शुल्क कम करने के लिए बधाई देता हूं क्योंकि इससे मूल्यों में काफी कमी आएगी और आम आदमी इन उत्पादों को खरीद सकेगा।

मैं ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, मुम्बई में क्षेत्रीय वित्त केन्द्र के गठन के संबंध में की गई घोषणाओं का स्वागत करता हूं। इन उपायों की लम्बे समय से प्रतीक्षा की जा रही है और इसके साथ पूर्ण न्याय किया जाना चाहिए।

कर-अपवंचन रोकने संबंधी दो उपायों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इन प्रस्तावों को मूर्त रूप देने में माननीय वित्त मंत्री का तर्क त्रुटिरहित है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि देश के पश्चप्रदेश में चैक समाशोधन प्रणाली संबंधी वर्तमान बुनियादी ढांचा उनकी चैक अर्थव्यवस्था की कार्यवाही के बारे में उनकी उत्तम मंशा के अनुकूल नहीं है। यहां सैकड़ों उभरते हुए नगर हैं जहां स्थापित समाशोधन प्रणाली रह-रह कर अपनी उपस्थिति का आभास करती है। बुनियादी ढांचे संबंधी घाटे की इन परिस्थितियों में 10,000 रुपये या इससे अधिक की धनराशि नकद निकालने पर कर लगाने से किसानों, लघु कारोबार, छोटे-ऋणदाताओं और निर्धन वर्गों को गंभीर और अपरिहार्य बाधाएं आएंगी। इन छोटे कस्बों में क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड बुनियादी ढांचे की सुविधा नहीं है। अत: मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे चैक समाशोधन बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के आधार पर पुन: प्रस्ताव बनाएं और शहरी/महानगरीय तथा अर्द्ध-शहरी/ग्रामीण शाखाओं के लिए पृथक सीमाएं निर्धारित करे। ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं, जहां समाशोधन प्रणाली का अभाव है, के लिए संशोधित सीमा 50,000 रुपए होनी चाहिए तथा उन महानगरों/शहरी शाखाओं जहां चैक समाशोधन प्रणाली प्रचलन में है, के लिए यह सीमा 20,000 रुपये होनी चाहिए। इसी प्रकार, ग्रामीण शाखाओं को टी.डी.एस. संबंधी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से पूर्णत: छूट दी जानी चाहिए ताकि छोटे जमाकर्त्ताओं को परेशानी न हो।

महोदय, संक्षेप में समग्र बजट वाद-विवाद बहुत व्यापक था और इसमें सभी बातें शामिल थी। इसमें अनेक साहसिक और नए उपायों का उल्लेख है जो लम्बे समय से लंबित थे। समानता के साथ विकास तथा मानवीय आधार का अंतर्विहित दर्शन सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित अनेक प्रयासों में सुस्पष्ट हो गए हैं। मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्री वे जिलावार और निर्वाचन वार का विशिष्ट संदर्भ सहित आबंटन संबंधी आंकड़ों की रूपरेखा में और अधिक सुधार करें ताकि अनेक नए संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बजट परिव्यय का उपयोग करने में रचनात्मक भूमिका निभा सकें। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान मेरे सुझाव अर्थात् 'राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण मिशन' तथा 'फसल बीमा योजना के तत्काल नवीकरण' की ओर दिलाना चाहता है।

महोदय, मैं और मेरे दल को बजट 2005-06 के संबंध में अपने विचार तथा जानकारी देने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

***श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों** (लुधियाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। भारत सरकार भारत में मूल्यवर्धित कर प्रणाली (वैट) लागू करने वाली है। जिस तरह से 'वैट' क्रियान्वित किया जा रहा है, मुझे लगता है इससे कृषि और उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। महोदय, 'वैट' में काफी त्रुटियां हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन दोषों और कमियों को दूर किया जाना चाहिए। यदि 'वैट' क्रियान्वित करना ही है तो इसे सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। अन्यथा यह पंजाब में किसी और तरह, हरियाणा में अलग तरह तथा हिमाचल में भिन्न तरीके से लागू होगा। राज्यों द्वारा अलग-अलग तरीके से 'वेट' लागू नहीं किया जाना चाहिए। 126 देशों में 'वैट' लागू किया गया है। लेकिन इन सभी देशों में 'वैट' समान रूप से लागू किया गया था न कि अलग-अलग और अव्यवस्थित ढंग से।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री ढिल्लों, एक मिनट। क्या आप हिन्दी में बोल सकते हैं? आपने पंजाबी में भाषण देने की सूचना नहीं दी है।

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री शरनजीत सिंह ढिल्लोंः मैं पंजाबी में बोलूंगा।

यदि 'वेट' लागू करना है तो इस प्रकार के अन्य सभी करों को समाप्त करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदयः मैं नियमों के अंतर्गत अधिकाधिक सदस्यों को बोलने का समय देने की कोशिश करूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः आप हिन्दी में बोलने की कोशिश करें, आपने नोटिस नहीं दिया है।

श्री शरनजीत सिंह ढिल्लोंः मैं अपनी स्टेट लैंग्वेज में ही बोलूंगा।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): इन्हें पंजाबी में बोलने दीजिए। यह हिन्दी की ही तरह है *...(व्यवधान)*

श्री शरनजीत सिंह ढिल्लोंः यदि आपको 'वेट' लागू करना है तो बिक्री कर, केन्द्रीय कर, उत्पाद शुल्क, चुंगी आदि जैसे सभी करों को समाप्त करना चाहिए जैसाकि विदेशों में होता है। भारत में लाखों लघु उद्योग हैं और करोड़ों लोग कामगारों के रूप में यहां काम करते हैं। इससे लघु उद्योग को गहरा आघात लगेगा और वे बर्बाद हो जाएंगे। वहां पर काम करने वाले करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे उन प्रभावित उद्योगों को मुआवजा देंगे जिन्हें 'वेट' लागू होने के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा? यदि इस तरह से 'वेट' लागू किया जाता है तो मुझे इन उद्योगों के लिए आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती है। मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वे उस मूल्य वृद्धि के संबंध में क्या करना चाहते हैं जो 1000 से अधिक उत्पादों पर 8% कर को बढ़ाकर 12.5% से मिलेगा। आम आदमी को आसमान छूते मूल्यों के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए, सरकार को 'वेट' लागू करने के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि इससे कृषि और उद्योग प्रभावित होंगे। पंजाब सीमावर्ती राज्य है। चूंकि हिमाचल प्रदेश और कश्मीर को करों में रियायत दी गई है इसलिए पंजाब को भी कर में छूट दी जानी चाहिए। पंजाब को विगत में काफी नुकसान हुआ है। इसलिए, सीमावर्ती राज्य होने के कारण इसे कर में छूट दी जाए।

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): महोदय, धन्यवाद, मुझे यहां पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागार्जुनसागर बांध, भाखड़ा बांध और हीराकुंड बांध का उद्घाटन करते समय कही गई बात याद आ रही है कि ये बांध भारत के आधुनिक मंदिर हैं। उन्होंने कभी भी अयोध्या, मथुरा और पुरी में मंदिर बनाने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि ये भारत के आधुनिक मंदिर हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया उन्हें परेशान न करें।

श्री एल. राजगोपालः इसलिए आज संप्रग सरकार इस बजट के माध्यम से 'भारत निर्माण' के बारे में बात कर रही है। 'भारत निर्माण' का अर्थ यह नहीं है कि हम भारत का पुनर्निर्माण कर रहे हैं लेकिन हम पिछले छह वर्षों में घटित घटनाओं अर्थात् असली मुद्दे पर पुनः ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं तथा हम भारत को पुनः उसी मार्ग पर लाने तथा भारत निर्माण पर पुनः ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भारत निर्माण आज की आवश्यकता है। यह केवल आज की आवश्यकता नहीं है अपितु अतीत की और भविष्य की भी आवश्यकता है। इसलिए हम सभी को भारत निर्माण तथा आम आदमी के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे पेयजल, सिंचाई के लिए पानी, सर्वशिक्षा, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं तथा लाभकारी रोजगार पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारे माननीय वित्त मंत्री, श्री चिदम्बरम ने कहा है कि हमें चीन का अनुसरण करना चाहिए। जी हां, केवल अनुसरण ही नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा कि हमें चीन से मूलमंत्र लेने की आवश्यकता है और हमें इस पर अमल करना होगा ताकि इस मूलमंत्र से प्रगति के ऐसे कई मार्ग प्रशस्त हों जो भारत का कायाकल्प कर दे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमें चीन का अनुसरण करना चाहिए, यह केवल हमारे वामपंथी दलों को खुश करना नहीं है अपितु मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं।

पिछले छह वर्षों में यदि आप विकास देखें तो आप पाएंगे कि इस्पात क्षेत्र, सीमेंट, विद्युत क्षेत्र तथा निर्यात और आयात में क्या हुआ है। मैं आपको कुछ संक्षिप्त आंकड़े दूंगा। पिछले वर्ष चीन ने 150 मिलियन इस्पात का अधिक उत्पादन किया है और हमने केवल 7 मिलियन इस्पात का और वह भी नए उद्योगों के कारण नहीं अपितु पुरानी क्षमता को बढ़ाने के कारण। जब सीमेंट की बात आती है। तो चीन ने 280 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया और भारत ने 23 मिलियन टन का। जब विद्युत की बात आती है तो हमने 52 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया है जबकि चीन ने 555 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया है। जब निर्यात की बात आती है तो उनका निर्यात 593 बिलियन डालर से अधिक है तथा हमारा निर्यात केवल 64 बिलियन डॉलर है। यदि आप आयात को लें तो चीन का आयात 561 बिलियन डालर है तथा हमारा आयात 78 बिलियन डालर है।

[श्री एल. राजगोपाल]

भारत में अत्यधिक विकास और सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। इसलिए श्रीमती गांधी ने कहा है कि हमें केवल बजट को मानवीय आधार से ही नहीं अपितु मानवीय संवेदनाओं के साथ देखना चाहिए। मानवीय संवेदनाओं के साथ हमें इसका अवलोकन करने की आवश्यकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने कहा है कि वायदे नहीं शासन मायने रखता है। हमारे माननीय वित्त मंत्री, श्री चिदम्बरम ने कहा है परिव्यय नहीं अपितु परिणाम महत्त्व रखता है।

क्रिकेट की शब्दावली में मैं एक बात कहूंगा। सरकार ने इस बजट के माध्यम से एक ही स्ट्रोक में छक्का लगाया है, अर्थात् छह रन जो किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

[हिन्दी]

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005-06 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हर बारह साल के बाद महाराष्ट्र के नासिक और त्रिभंशकेश्वर में कुम्भ का मेला लगता है। गत वर्ष वहां गंगा स्नान करने के लिए देश और विदेश से कम से कम दो करोड़ भक्तगण गए थे जिससे वहां काफी भीड़ हो गई और भगदड़ में 29 भक्तगणों की मौत हो गई। वहां हमेशा लाखों की संख्या में भक्तगण जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि नासिक और त्रिभंशकेश्वर के लिए इस बजट में कुछ सुविधा देने की जरूरत है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र मालेगांव में नार और पार दो बहुत बड़ी नदियां हैं। वहां तीस सालों में सिंचाई के बारे में सिर्फ सर्वे ही हुआ है। यदि वह प्रोजैक्ट कम्प्लीट हो जाता तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र, नजदीक के धुनिया डिस्ट्रिक, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट और नन्दुरबार डिस्ट्रिक्ट, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स के किसानों को खेती के लिए और पीने के लिए पानी मिल जायेगा। इसलिए नार पार प्रोजैक्ट के लिए ...*(व्यवधान)* बजट में कुछ सुविधा देने की जरूरत है।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): आपने शिरडी के साईं बाबा को क्यों छोड़ दिया?

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: वहां से वह नजदीक ही है।

उपाध्यक्ष महोदय: नो रनिंग कमेंट्री। इन्हें समाप्त करने दें क्योंकि समय कम है।

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बताया है कि जो व्यक्ति बैंक से एक बार में दस हजार रुपये निकालेगा, उसे दस रुपये टैक्स देना पड़ेगा। स्वतंत्रता से पहले ग्रामीण एरिया, खासकर ट्राइबल एरिया में बहुत से ऐसे किसान थे, जिनके पास पैसा होता था और वे अपने पैसे को जमीन में रखते थे। लेकिन आज बैंक से ही अपना ही पैसा निकालने पर टैक्स भरना पड़ेगा। आज भी देहात में रहने वाले लोग, खासकर ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग, जमीन में अपना पैसा रखते हैं। हमारे यहां अर्बन बैंक और कोआपरेटिव बैंक्स हैं। उन बैंकों से जो व्यक्ति लोन लेता है, उसे लोन मिलने के बाद बैंक को लोन वापस करने में बहुत देर लगती है। इसलिए अर्बन और कोऑपरेटिव बैंक्स बंद हो रहे हैं। इस बारे में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन जिसे अपना पैसा बैंक से निकालना है, उसे टैक्स भरना पड़ेगा-मैं इस बात का विरोध करता हूं।

बहुत सी बातें करनी हैं लेकिन मैं अपना बाकी का भाषण टेबल पर रख दूंगा।

*महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने वर्ष 2005-06 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है। मैं उसका विरोध करता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के नाशिक और त्रयंबकेश्वर में हर 12 साल के बाद कुंभ का मेला आता है। पिछले साल नासिक और त्रयंबकेश्वर कुंभ मेले में गंगा स्नान करने वाले दो करोड़ श्रद्धालु देश-विदेश से आये थे और कुंभ का मेला न रहते भी गंगा स्नान करने के लिए यहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

मेरे मालेगांव निर्वाचन क्षेत्र में नार-पार दो नदियां हैं, पिछले 25 सालों से यहां के क्षेत्र के लोग इन नदियों पर बांध बनाये जाने की मांग करते आ रहे हैं लेकिन सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सिर्फ पार नदी का सर्वे किया गया है। नार-पार नदियों पर बांध की योजना यदि पूरी होती है तो नासिक जिला, नगर जिला और धूलिया जिले की इस बांध से सिंचाई तथा पेयजल की समस्या हल हो सकती है। यह बांध महाराष्ट्र तथा गुजरात की सीमा के अंतर्गत है। इसलिए इस बांध के निर्माण हेतु इस बजट में प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।

बैंक द्वारा 10000 रुपये निकालने के बाद 0.1 प्रतिशत नया कर लगाया गया है और स्वतंत्रता के पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक अपने रुपयों को जमीन के अंदर गाड कर रखते थे, यदि बड़े बैंक से रुपये निकालने पर कर देना होता तो लोग बैंकों में अपनी धनराशि को नहीं रखेंगे और पुराने तरीके का इस्तेमाल करेंगे। बैंक से रुपये निकालने पर जो कर लगाया गया है, वह अन्यायपूर्ण है। इसको समाप्त किये जाने की आवश्यकता है।

---

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरूआत की, जिसके माध्यम से बहुत से गांव सड़कों से जुड़ गये फिर भी महाराष्ट्र में आदिवासी एवं पहाड़ी गांव हैं, जहां पर 40-50 किलोमीटर पैदल चल कर जाना पड़ता है। वर्ष 1980 में जो फॉरेस्ट कन्जेंवशन एक्ट बना है, तब से फॉरिस्ट क्षेत्र में सड़क, बांध, इलैक्ट्रिक पोल इत्यादि के बारे में केन्द्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और 1980 के पहले जो सिंचाई टैंक शुरू हुए थे, वे फॉरेस्ट एक्ट की वजह से करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी अधूरे पड़े हैं, बजट में कंर्जवेंशन एक्ट के अंतर्गत फॉरिस्ट नियमों में ढील देकर बजट में प्रावधान करने का कष्ट करें।

स्थानीय सांसद विकास निधि दो करोड़ रुपये है, वह बहुत ही कम हैं एक संसदीय क्षेत्र में 6 विधान सभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन 2 करोड़ रुपये से इन विधान सभा क्षेत्रों का विकास करना संभव नहीं है। इसलिए स्थानीय सांसद विकास निधि की राशि लगभग 5 करोड़ करने हेतु बजट में प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। संप्रग सरकार के सत्ता में आने के बाद माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत यह पूर्ण बजट है। पिछले वर्ष हुए लोक सभा चुनाव में लोगों ने भाजपा के साम्प्रदायिक राजनीति तथा बैंक की नई आर्थिक नीतियों के विरुद्ध निर्णायक मतदान किया।

महोदय, समयाभाव के कारण मैं सिर्फ सात मुद्दों तक अपने को सीमित करता हूं। पहला मुद्दा अल्पसंख्यक समुदाय के विकास से सम्बंधित है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम की धारिता (इक्विटी) बढ़ेगी लेकिन यदि आप बजटीय दस्तावेजों, विशेषकर वर्ष 2005-06 के व्यय-बजट के पृष्ठ 41 का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि 2005-06 में एन.एम.डी. एफ.सी. के लिए बजट आवंटन मात्र 1960 करोड़ रुपये है। पिछले वर्ष यह 71 करोड़ रुपये था। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि धारिता (इक्विटी) बढ़ेगी। लेकिन यह नहीं बढ़ी है, बल्कि यह घटी है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2003-04 में राजग सरकार द्वारा मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन को दिया गया बजट 13 करोड़ रुपये था। पिछले वर्ष यह घटकर एक करोड़ रुपये हो गया था और वर्ष 2005-06 के लिए एक पैसा भी आवंटित नहीं किया गया है।

अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए आवंटित की गई राशि के बारे में लोग हम से पूछ रहे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के बजट को बढ़ाए। इसकी समग्र निधि कम से कम 1,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए। मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना केवल अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए की गई थी। इसकी समग्र निधि को भी बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए।

तीसरी बात, पिछले वर्ष इस सरकार ने शिक्षा पर 2 प्रतिशत उपकर से लगभग 4,000 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। कम से कम इस प्रकार एकत्र किए गए 4,000 करोड़ रुपये अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए ही जाने चाहिए। वित्त मंत्री ने बताया है कि अल्पसंख्यकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए सभी कोचिंग केन्द्रों को उन्हें पढ़ाने को कहा जाएगा। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं लेकिन जब तक सरकार आगे नहीं आती है और मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम को मजबूत नहीं बनाती है तब तक शिक्षा की उन्नति तथा आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। मैं भाजपा के एक माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि यह अल्पसंख्यकों को खुश करने वाला कार्य है जैसे अल्पसंख्यक छात्रों का विशेष कोचिंग केन्द्रों पर कोचिंग लेने के लिए जाना और कोचिंग प्राप्त करना। यह अल्पसंख्यकों को खुश करने वाला कार्य कैसे हो सकता है? वर्ष 2001 की जनगणना में बिल्कुल साफ है कि भारत में मुसलमानों का साक्षरता स्तर 59.6 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय औसत से कम है।

पूर्व देश में नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी सबसे कम है। इसलिए मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे हमें केवल मछली न दे बल्कि उसे पकड़ना सिखाएं। अल्पसंख्यकों की यही मांग है और केवल बड़ी-बड़ी बातों से इस मामले में काम नहीं बनेगा।

इस सरकार को एक जनादेश प्राप्त हुआ है और यह जनादेश साम्प्रदायिक, राजनीति के खिलाफ मिला था। पिछले छः सालों में जो कुछ हुआ उसके विरुद्ध यह जनादेश था। उस अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों में कोई विकास नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री हमारी मांगों पर ध्यान देंगे।

चौथी बात, वित्त मंत्री ने 67 प्रतिशत विकास दर की बात कही है। पिछले पांच वर्षों में, आर्थिक सर्वेक्षण (इकोनॉमिक सर्वे) पढ़ने के बाद, हमने पाया है कि केवल रोजगार सृजन रहित विकास हुआ है। उच्च आर्थिक विकास से देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मेरा अनुरोध है कि इस

[श्री असादूद्दीन ओवेसी]

रोजगार रहित विकास का अंत होना चाहिए और उस आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें समान विकास और रोजगार के अवसर हों।

खनन के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का हमारी पार्टी विरोध करती है। विगत शताब्दी का एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, जूआन रॉबीनसन ने कहा है कि खनन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति खतरनाक होगी। इसका कारण यह है कि यह हमारा प्राकृतिक संसाधन है और वे समाप्त हो जाने वाले हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार द्वारा बौद्धिक दक्षता प्राप्त श्रमिकों का उपयोग किया जाना चाहिए और बचत करनी चाहिए। इस बचत का उपयोग मूलभूत ढांचे के निर्माण में किया जा सकता है।

पांचवी बात यह है कि हमारी पार्टी पेंशन कोष का विरोध करती है। हम किसी विदेशी प्रचालन को पेंशन नहीं दे सकते। इसके दो उद्देश्य हैं। अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों का अपना लघु-आर्थिक कारक होता है। पेंशन कोष का उपयोग अभी भी सामाजिक क्षेत्र में किया जा रहा है। हम भी पेंशन कोष का विरोध कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी को राजनीतिक शक्ति मिल गई है लेकिन विधिक शक्ति नहीं मिली है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हमारी न्यायिक प्रणाली में एक आम आदमी को न्याय पाने के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए, वित्त मंत्री का यह दावा कि पेंशन कोष उन्हें सहायता पहुंचाएगा, संभव नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

अंत में, उन्होंने अपने बजट भाषण में एक तमिल कविता पर जोर दिया है और उन्होंने इसका मौखिक पाठ भी किया है। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए धन का सृजन होना चाहिए। कृपया इन लोगों के जाल में मत उलझिए और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बात मत कीजिए। यह अल्पसंख्यकों को खुश करने का प्रश्न नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो।

महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं यहां सात घंटे से बैठा हूं। छोटी पार्टियों को भी इस सभा में बोलने का मौका मिलना चाहिए।

[हिन्दी]

मेहरबानी करके आप मुझे एक मिनट दे दीजिए। मैं कल से सब माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा हूं। हमारे फाजिल दोस्त ने कहा है कि *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप किसी पर अटैक न करके कन्कलूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री असादूद्दीन ओवेसी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। आप रिकार्ड से वेरीफाई कर लीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप उसको सही कर दीजिए। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है और माइनोरिटीज को मैजोरिटी के लिए थर्ड वर्ल्ड बताया जा रहा है। अगर आप उस ट्रैप में पड़ेंगे तो नुकसान किसको होगा? सियासी नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? माइनोरिटीज के लिए आपको खुलकर काम करना पड़ेगा, बेखौफ होकर काम करना पड़ेगा क्योंकि यह मुल्क हमारा है। यह मुल्क सिर्फ हिन्दुओं का नहीं है। यह मुल्क हर उस हिन्दुस्तानी का है जो इसके सेक्युलरिज्म को मानता है। आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी हुकूमत वह कारनामे करेगी। पिछले छः साल में इन्होंने आदमी को जो तबाह और नाराज करके रखा है, उसको सामाजिक न्याय मिलेगा।

***श्री लालमणि प्रसाद** (बस्ती): महोदय, यह बजट ग्रामोउन्मुखी तथा किसानों, गरीबों के हित में लाया गया बजट है। इससे देश का चंहुमुंखी विकास होगा। रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आजादी के 57 साल से ऊपर का समय व्यतीत हो रहा है लेकिन जितना विकास गांवों का होना चाहिए अभी तक नहीं हो पाया है। मैं चाहूंगा कि 80 प्रतिशत धन गांवों के विकास पर खर्च किया जाये तथा आबादी के अनुसार पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं अनु. जातियों के विकास पर खर्च किया जाये तथा गन्ना किसानों का शोषण रोका जाये। बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने को सुनिश्चित किया जाये तथा मेरा संसदीय क्षेत्र जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है, सड़के टूटी हैं, गरीबों के घर गिर गये हैं, पानी पीने के लिए इन्डिया मार्का हैण्ड पाइप की जरूरत है। अतएव दस हजार इन्दिरा आवास एवं पांच हजार इन्डिया मार्का हैण्ड पाइप उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा बौद्ध परिपथ का निर्माण कराया जाये। घाघरा नदी पर टांडा का पक्का पुल बनवाया जाये। विद्युतीकरण पूरे क्षेत्र में कराया जाये। टूटी सड़कों का निर्माण कराया जाये।

***श्री प्रदीप गांधी** (राजनंदगांव): माननीय महोदय, यू.पी.ए. सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी द्वारा प्रस्तुत आम बजट वास्तविकता से कोसो दूर है। मैं कहूंगा कि केन्द्र सरकार की वित्तीय स्थिति और आम लोगों की अपेक्षाओं के बीच भरसक

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

संतुलन बैठाने के इस खेल में उन्होंने हाथ की सफाई और वित्तीय इंजीनियरिंग का कमाल ज्यादा दिखाया है। बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गयी हैं, लेकिन उनके लिए बजट कैसे आयेगा इसका उल्लेख नहीं है। राजस्व उगाही में इस बार उन्होंने 25 प्रतिशत वृद्धि का उल्लेख किया है लेकिन पिछले बजट के अनुभव से लगता है कि अनेक घोषणाओं से सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। जैसाकि बजट वर्ष 2004-05 में वे ऐसा कर चुके हैं। जब उन्होंने केन्द्र सरकार के राजस्व में अपेक्षित वृद्धि न होने के कारण 145590 करोड़ रुपये के योजना व्यय में 5.5 प्रतिशत की कटौती करते हुए उसे 137387 करोड़ रुपये कर दिया। इस बार भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है।

वित्त मंत्री जी की अधिकांश घोषणाओं में शोर ज्यादा है जितनी बड़ी-बड़ी घोषणाएं हैं जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, भारत निर्माण योजना, कृषि क्षेत्र में निवेश उस कार्यक्रम के स्वरूप के मुताबिक बजट की व्यवस्था नहीं है। रोजगार गारंटी स्कीम के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 4020 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान व्यक्त किया हैं लेकिन आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 5400 करोड़ रुपये तथा 50 लाख मिट्रिक टन अनाज का प्रावधान है जबकि कार्यक्रम की व्यापकता को देखते हुए यदि इसका सही क्रियान्वयन किया जाये तो इस हेतु न्यूनतम 20,000 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। भारत निर्माण योजना के अधीन बजट में सन् 2009 तक के लिए निम्नांकित लक्ष्य तय किए हैं। 1 करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा, गरीबों के लिए 60 लाख मकान, 1.2 लाख ग्रामों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना और 66822 ग्रामों को टेलीफोन से जोड़ना लक्ष्य अच्छे हैं मगर बजट में कहीं धनराशि का प्रावधान नहीं है अर्थात् यह केवल कल्पना की उड़ान है।

यह बजट राजकोषीय घाटे को कम करने में विफल रहा है। वर्ष 2005-06 में राजकोषीय घाटा 1,51,144 करोड़ रुपये होगा अर्थात् सकल देशीय उत्पाद का 4.3 प्रतिशत यह 2004-05 के 4.5 प्रतिशत के स्तर से थोड़ा नीचे है। इसका मुख्य कारण भारी राजस्व घाटा है जो कुल रुपये में 95,312 करोड़ रुपये का सकल देशीय उत्पाद का 2.7 प्रतिशत होगा। इस विफलता का मुख्य कारण कुल कर राजस्व प्राप्तियों में कमी होना है।

इस बजट में योजना व्यय को बढ़ाया गया है। केन्द्रीय योजना व्यय जो 2004-05 में 82,529 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 2005-06 में 1,10,385 करोड़ कर दिया गया है, परन्तु यह राज्यों की कीमत पर किया गया है जिन्हें केन्द्रीय योजना सहायता 2004-05 में 54,858 करोड़ रुपये से घटाकर 33,112 करोड़ रुपये कर दिया गया है अर्थात 21,746 रुपये की भारी कटौतीं कर दी गयी है।

इस बजट में आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारें अपनी बजट जरूरतों के लिए केन्द्र सरकार से ऊंची ब्याज दर पर सहायता लेने के बदले बाजार से खुद कर्ज उगाहे। लेकिन इसका लाभ आर्थिक और वित्तीय रूप से मजूबत राज्यों गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि को मिलेगा। लेकिन वित्तीय रूप से कमजोर राज्यों झारखण्ड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि राज्य बाजार से किस हद तक कर्ज उगाह पायेंगे। कहा नहीं जा सकता। वित्त मंत्री जी की इस सिफारिश से राज्यों को अपनी योजनाओं के लिए कुल 29003 करोड़ रुपये की बाजार से कर्ज के बतौर उगाहने होंगे। इस कारण राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के बजट में चिदम्बरम जी भारी कटौती करने में सफल हुए है।

इस बजट में नये राज्यों के निर्माण के बाद उसमें विशेष पैकेज का उल्लेख नहीं है। छत्तीसगढ़ नया राज्य है, लेकिन बिहार को पैकेज दिया गया। मगर छत्तीसगढ़ राज्य जहां 44 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की है, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा कोई विशेष घोषणा वहां के लिए नहीं की गयी है।

यह बजट किसानों को कोई राहत प्रदान नहीं कर रहा है। बल्कि ऋण प्रवाह तिगुना किया गया है लेकिन वर्षों से ऋण ग्रस्त किसान के लिए कोई पैकेज या छूट की घोषणा नहीं करके यू.पी.ए. सरकार ने अपना किसान विरोधी चेहरा दिखा दिया है।

इस बजट में किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का कहीं उल्लेख नहीं है जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष से किसानों को 9 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री जी पूरे देश के किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री जी पूरे देश के किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने की एक योजना मंजूर की है ताकि किसान लागत मूल्य घटाकर लाभ अर्जित कर सके।

अत: यू.पी.ए. सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट गांव, गरीब और किसान विरोधी बजट है तथा आंकड़ों की कलाबाजी से चिदम्बरम जी ने एक नई रचना की है। अत: मैं प्रस्तुत बजट को जनविरोधी मानता हूं तथा इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005-06 के आम बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

मुझे यह कहते हुए खेद है कि जन-जातीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में किए गए आवंटन के कारण मैं इस बजट से पूरी तरह खुश नहीं हूं। आजादी के बाद पिछली आधी शताब्दी से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियों में अति पिछड़ा हुआ, उपेक्षित और भेद-भाव का शिकार रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारा बोडोलैण्ड संघ क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ, अत्यंत उपेक्षित और भेद-भाव का शिकार रहा है। यह संघ क्षेत्र भारत के संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत बोडोलैण्ड संघ क्षेत्र जिला के नाम से एक स्वायत्तशासी संघ क्षेत्र जिला में बनाया गया था। दुर्भाग्यवस भारत सरकार ने बोडोलैण्ड क्षेत्र तथा देश में अन्य जन-जाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए स्वाधीनता के बाद पिछली अर्द्ध शताब्दी में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया।

मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि विशेषकर बोडोलैण्ड के लिए तथा सामान्यत: देश में जन-जाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ी संख्या में विशेष पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। पूरे देश के जनजातियों के कल्याण तथा विकास के लिए केन्द्रीय बजट में कम से कम 1,00000 करोड़ रुपये निर्धारित किए जाने चाहिए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास तथा कल्याण के लिए कम से कम 10,000 करोड़ रुपये दिए जाने चाहिए। बोडोलैण्ड संघ क्षेत्र के विकास और कल्याण के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपये निर्धारित किए जाने चाहिए और सरकार द्वारा आवश्यक मूलभूत ढांचे के निर्माण को स्वीकृति दी जानी चाहिए। हमारे यहां कोई सड़क नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, हमारे पास कोई पेयजल सुविधा नहीं है और न ही बिजली है। आप हमेशा विभिन्न योजनाओं की बात करते हैं। लेकिन आपके ये बड़े-बड़े दावे बोडोलैण्ड के लोगों के लिए अर्थहीन हैं।

इसलिए, मैं भारत सरकार से गंभीर सार्वजनिक महत्व में निम्नलिखित शैक्षिक संस्थानों के गठन हेतु समुचित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

* बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला (बी.टी.ए.डी.) के मुख्यालय कोकराझार में एक बोडोलैंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए;
* कोकराझार में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय;
* कोकराझार में एक चिकित्सा महाविद्यालय;
* कोकराझार में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसा एक संस्थान।

भारत सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे छह संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। ऐसे संस्थान केवल छह राज्यों में ही क्यों स्थापित किए जाने चाहिएं और ऐसे संस्थान बोडोलैंड या अन्य जनजातिय बहुत क्षेत्रों में भी स्थापित क्यों नहीं किए जाने चाहिएं? आप इतने कंजूस क्यों हैं? मेरी यह पुरजोर मांग है कि जनजातिय क्षेत्रों विशेषकर बोडोलैंड क्षेत्र में भी एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रस्तावित भारतीय प्रबन्धन संस्थान की स्थापना बोडोलैंड क्षेत्र में कोकराझार में की जानी चाहिए।

एक राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भी बोडोलैंड क्षेत्र में की जानी चाहिए। एक राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भी बोड़ोलैंड क्षेत्र में की जानी चाहिए क्योंकि बोडोलैंड की सभी लड़कियां और महिलाएं पैदायशी ही बुनाई में निपुण होती हैं। हमारा क्षेत्र 'इंडी सिल्क-(वाइल्ड सिल्क)' के नाम से ज्ञात रेशम के मामले में बहुत समृद्ध है।

बी.टी.ए.डी. के अन्तर्गत कम से कम पांच पोलीटेक्नीक संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए;

बी.टी.ए.डी. के अन्तर्गत कम से कम 5 आई.टी.आई. की स्थापना की जानी चाहिए;

बी.टी.ए.डी के अन्तर्गत कम से कम एक राष्ट्रीय पर्यटन और आतिथ्य प्रबन्धन संस्थान की भी स्थापना की जानी चाहिए;

कोकराझार में एक क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए;

कोकराझार स्थित दूरदर्शन केन्द्र का उन्नयन कर इसे एक पूर्ण दूरदर्शन केन्द्र में परिवर्तित किया जाना चाहिए। कोकराझार में एक कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर केन्द्र है। इस ट्रांसमीटर केन्द्र को कम शक्ति वाला क्यों होना चाहिए? उसका एक पूर्ण ट्रांसमीटर, जैसेकि गोवाहाटी और दिल्ली में स्थापित हैं, के रूप में उन्नयन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

आप स्वतंत्रता के पश्चात् गत 5-7 वर्षों से अधिक की अवधि के दौरान आप जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण हेतु कुछ नहीं कर पाए। इस देश के जनजातीय लोगों के साथ आपने किस प्रकार का न्याय किया है? यह महात्मा गांधी की भूमि है। आप हमेशा यह दावा करते हैं कि आप सभी गांधीवादी हैं। आपकी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति इस निष्ठा का क्या तात्पर्य है जबकि आप इस महान देश के जनजातिय लोगों को, जिनके पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत से बलिदान किए थे, उनका जायज हक नहीं दे रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, मैं अपने भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

अंत में मैं, भारत सरकार से इस देश के करोड़ों जनजातीय लोगों द्वारा सही जा रही अंतहीन वेदनाओं और दुखों की ओर ध्यान देने की अपील करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया। हम लोगों की पहचान देश से हटाने की कोशिश की। *...(व्यवधान)* हमें आजादी के बाद स्वराज का जो हिस्सा मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। जब कोई आतंकवादी पैदा होता है, तो आप लोग उसकी परिभाषा दूसरे प्रकार से देते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को कहा जाता है कि इतना रुपया दिया, हर साल 10,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया देते हैं तब आप ऐसा-वैसा कहते हैं। पैसे मिलने के बावजूद भी वहां के लोग खुश नहीं होते हैं। *...(व्यवधान)* इतना उन लोगों को ज्यादा ही दिया गया।

*आदरणीय महोदय, क्या मैं विनम्रतापूर्वक आपसे अपना भाषण सभा पटल पर रखने का अनुरोध कर सकता हूं?

*माननीय महोदय मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से विशेष रूप से तथा केन्द्र की वर्तमान सं.प्र.ग. सरकार से समग्र रूप से यह अनुरोध करता हूं कि वह मेरी निम्नलिखित वास्तविक मांगों, जोकि बहुत समय से लंबित हैं, को पूरा करने हेतु समुचित और त्वरित कदम उठाएं:

(1) देशभर के अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण और विकास हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में न्यूनतम 10,000 (दस हजार) करोड़ रुपये प्रतिवर्ष, आबंटित किए जाने चाहिएं।

(2) स्वतंत्रता के बाद बोडोलैंड क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए गत आधी शताब्दी से उपेक्षित और वंचित बोडो-जनजातीय क्षेत्र के लोगों द्वारा उठाई गई क्षति की प्रतिपूर्ति करने हेतु संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के अन्तर्गत असम में वर्ष 2003 में गठित किए गए पिछड़े जनजातीय क्षेत्र-बोडोलैंड टैरीटोरियल एरीयाज् डिस्ट्रिक्ट-एक संवैधानिक मान्यता प्राप्त क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने चाहिए।

(3) भारत के संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान के अन्तर्गत गठित स्वायत्तशासी जिला परिषदों, जिसमें असम में 'बोडोलैंड टैरीटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट' का विशेष उल्लेख है, को अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान के तहत केन्द्रीय निधियां सीधे प्रदान कर दी जानी चाहिए।

(4) एन.एल.सी.पी.आर. के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों हेतु प्रदान की जाने वाली कुल केन्द्रीय निधि में से बोडोलैंड टैरीटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के पिछड़ेपन और संबंधित बोडो-जनजातीय क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कम से कम इस क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए-जाने चाहिए।

(5) एन.ई.सी. को आबंटित कुल केन्द्रीय निधि में से प्रतिवर्ष न्यूनतम 100 करोड़ रुपये असम में "बोडोलैंड टैरीटोरियल एरीयाज् डिस्ट्रिक्ट" को दिए जाने चाहिए जिससे कि इस पूर्णतया वंचित और उपेक्षित बोडोलैंड क्षेत्र में आवश्यक अवसंरचना विकसित करने में सहायता मिल सके, यद्यपि यह क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत-भूटान सीमा से जुड़ा है और अन्तर-राज्यीय स्तर पर असम-पश्चिम बंगाल की सीमा से जुड़ा है।

(6) राज्य योजना और अन्य केन्द्रीय/राष्ट्रीय परियोजनाओं/कार्यक्रमों को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एन.एल.सी.पी.आर. कोष को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए।

(7) एन.ई.सी. कोष को भी बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कर दिया जाना चाहिए।

(8) भारत सरकार को 'बोडोलैंड टैरीटरी' को पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (एस.ई.जेड) घोषित करने हेत समुचित कार्यवाही करनी चाहिए।

(9) 'बोडोलैंड टैरीटरी' में कुछ चुने हुए कृषि और वन आधारित उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए।

(10) 'बोडोलैंड टैरीटरी में कुछ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी स्थापित किए जाने चाहिए।

(11) बोडोलैंड टैरीटरी के दलित बोडो जनजातीय लोगों के समग्र हित में, बोंगाईगांव ताप विद्युत स्टेशन (बी.टी.पी.एल.) सालाकाटी, कोकराझार, जोकि एक 240 मेगावाट की विद्युत उत्पादन परियोजना है को पुनरूज्जीवित, नवीनीकृत और पुन: आरम्भ किया जाना चाहिए।

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

(12) केन्द्र को बोडोलैंड क्षेत्र में विशेष रूप से तथा देशभर में समग्र रूप से समस्त जनजातीय बहुल गावों में भी व्यापक ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु समुचित कदम उठाने चाहिए।

(13) केन्द्र को बोडोलैंड क्षेत्र में कम से कम 1000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने हेतु समुचित कदम उठाने चाहिएं और जैसाकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मूल प्रस्ताव में था उसी प्रकार पूर्वोत्तर मार्ग गलियारे को राष्ट्रीय राजमार्ग 31 (ग) और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के माध्यम से बंगाल हार्स और बोडोलैंड-असम हार्स के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(14) केन्द्र को बी.टी.ए.डी. में ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत अधूरी पड़ी चम्पामती और धनश्री (प्रमुख नदी सिंचाई परियोजनाएं) को पूरा करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए एकमुश्त केन्द्रीय निधि प्रदान करने हेतु समुचित कदम उठाने चाहिएं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र को बी.टी.ए.डी. क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली हेतु आवश्यक अवसंरचना सर्जित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

(15) बी.टी.ए.डी. क्षेत्र में (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत बेहतर सड़कों के माध्यम से सभी गावों को जोड़ा जाना चाहिए।

(16) केन्द्र को आवश्यक अवसंरचना का निर्माण करके बोडोलैंड क्षेत्र के अंदर सभी लोगों को दूरसंचार सेवा की सुविधाएं प्रदान करने हेतु भी आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

(17) भारत सरकार को भूटान और चीन से आरंभ होकर बोडोलैंड क्षेत्र से बहने वाली कुछ नदियों पर बहुउद्देश्यीय जल-विद्युत तथा सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू करनी चाहिएं।

(18) केन्द्र सरकार को कोकराझार में एक घरेलु विमानपत्तन और भूटान साम्राज्य में गालेगखु से लगते हुए बोडोलैंड क्षेत्र में एक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

(19) भारत सरकार को बोडोलैंड क्षेत्र में हमेशा आने वाली बाढ़ और नदियों द्वारा अपरदन की समस्या को हल करने हेतु समुचित कार्यवाही करनी चाहिए।

(20) भूटान में हमारे बोडोलैंड क्षेत्र से होकर भारत-चीन व्यापार मार्ग/सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए।

लोक महत्त्व की कुछ विशेष शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना किए जाने की आवश्यकता।

बोडोलैंड क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार को निम्नलिखित शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए।

(1) कोकराझार में एक बोडोलैंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय।

(2) कोकराझार में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय।

(3) कोकराझार में एक चिकित्सा महाविद्यालय

(4) कोकराझार में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय (इंजीनियरिंग कालेज)

(5) कोकराझार में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह का एक संस्थान।

(6) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हाल ही में घोषित एक प्रस्तावित आई.आई.एम. की कोकराझार में स्थापना की जानी चाहिए।

(7) कोकराझार में एक राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।

(8) कोकराझार में एक राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान।

(9) बी.टी.ए.डी. में कम से कम पांच पॉलीटेक्नीक संस्थानों की स्थापना।

(10) बी.टी.ए.डी. में आई.टी.आई. के कम से कम पांच सदस्य।

[अनुवाद]

(11) कोकराझार में एक राष्ट्रीय पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन संस्थान।

(12) कोकराझार में एक क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान।

(13) दूरदर्शन केंद्र, कोकराझार का दर्जा बढ़ाकर पूर्णरूपेण दूरदर्शन केंद्र बनाना।

(14) आकाशवाणी केंद्र, कोकराझार का भी दर्जा बढ़ाकर पूर्णरूपेण आकाशवाणी केंद्र बनाया जाना।

(15) कोकराझार में एक राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक विरासत संग्रहालय की स्थापना की जानी चाहिए।

(16) बी टी ए डी में पर्यटन का विकास किया जाना चाहिए।

(17) बी टी ए डी के भीतर आधुनिक सुविधायुक्त कम से कम 100 अस्पताल खोले जाने चाहिएं।

(18) बोडो भाषा और बोडो माध्यम से शिक्षा के विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता।

भारत सरकार को बोडों भाषा और बोडों माध्यम से शिक्षा के विकास हेतु प्रति वर्ष कम से कम 500 करोड़ रुपए आवंटित करने चाहिएं।

सम्पूर्ण देश में जनजातीय लोगों के लिए एक विशेष पैकेज होना चाहिए जैसा नीचे उल्लेख किया गया है

(एक) नई दिल्ली में जनजजातीय लोगों के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए।

(दो) नई दिल्ली में जनजातीय लोगों के लिए एक केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए।

(तीन) नई दिल्ली में जनजातीय लोगों के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान।

(चार) नई दिल्ली में जनजातीय उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय नि:शुल्क परीक्षा कोचिंग संस्थान।

(पांच) नई दिल्ली में लगभग 10 जनजातीय छात्रावास स्थापित किए जाने चाहिए।

(सात) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, सभी अनुसूचित जनजातीय संसद सदस्यों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर का जनजातीय विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए।

(आठ) देशभर में जनजातीय लोगों के कल्याण और विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत कुल आवंटन को बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किया जाना चाहिए।

(नौ) नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक विरासत हेतु एक राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): मैं आपका आभार प्रकट करते हुए मेरा वक्तव्य इतने में असम्पूर्ण रूप से रोकता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

***श्री राकेश सिंह** (जबलपुर): महोदय, वर्तमान बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, अत्यंत भ्रामक व जनविरोधी है। अपनी पूर्व की रीति के अनुसार आंकड़ों की बाजीगरी कर पूरे देश को भ्रमित करने का प्रयास वित्त मंत्री जी ने इस बजट में किया है।

महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है, जहां सत्तर प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जिनके जीवन स्तर को ऊपर उठाये बिना इस देश के विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, खेतिहर मजदूर जो शोषित और पिछड़े ही हैं बहुसंख्यक हैं लेकिन इस बजट में इस वर्ग के लोगों के लिये कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है। जिन विकासोन्मुखी योजनाओं का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। वे सभी एन.डी.ए. सरकार के कार्यकाल में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल विहारी वाजपेयी द्वारा या तो प्रारंभ की गयी थी या प्रस्तावित थीं। उन्हीं योजनाओं के नामों में परिवर्तन कर यू.पी.ए. सरकार श्रेय लेने का प्रयास कर रही है।

आज इस बात की अत्यंत आवश्यकता है महोदय कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे। उनमें जागरूकता आये। इस हेतु शिक्षा को जीवन का आवश्यक अंग मानते हुए समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्राप्त हो, सभी वर्गों के बच्चे स्वाभाविक रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें। स्पष्ट नीति की घोषणा की जानी चाहिये थी। पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल विहारी वाजपेयी जी का स्वप्न था कि इस देश का एक-एक बच्चा शिक्षित हो, इस हेतु ए.डी.ए. की नीति भी स्पष्ट थी, जिसका इस बजट में अभाव है।

माननीय महोदय, दुनिया के अनेक देशों में आम जनता के स्वास्थ्य की सीधी जिम्मेदारी उन देशों की सरकारों पर होती है, जिनका पूरी ईमानदारी से निर्वहन वहां तंत्र करता है। किंतु, महोदय, हमारे देश में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में बच्चे कुपोषण का शिकार होकर गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। यह बीमारियां प्रारंभिक रूप में गंभीर नहीं होतीं। महोदय किंतु, ईलाज के अभाव में गंभीर रूप धारण कर लेती हैं, जिनके कारण बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं। यू.पी.ए. सरकार जो कांग्रेस की नीतियों की

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राकेश सिंह]

मोहताज है, बार-बार गरीबों, किसानों और शोषितों की हितैषी होने का दावा करती हैं। किंतु इसका यह बजट सरकार के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करता है क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस वर्ग के लोगों के लिये उनको राहत हेतु कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है।

आज एड्स एक महामारी के रूप में इस देश में तेजी से फैल रहा है, ऐसा प्रचार विज्ञापनों व अन्य प्रसार माध्यमों से यह सरकार कर रही है, किंतु इसका उल्टा असर इससे ग्रसित लोगों पर हो रहा है। वे भयग्रस्त होकर समय से पहले मनोबल खोकर मृत्यु को गले लगा रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए था कि एड्स से ग्रसित लोगों को स्वच्छता और पवित्रता के साथ जीवन जीने का भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाता। ऐसा जीवन जीने हेतु उन्हें प्रेरित किया जाता क्योंकि सभी जानते हैं कि एड्स को समाप्त कर सके, ऐसी कोई दवा अभी विश्व में नहीं बनी है तब हजारों करोड़ रुपये खर्च कर भी इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। मानसिक रूप से संबल प्रदान करना एड्स ग्रसित व्यक्ति के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता है इसके लिये ऐसे शिविर या कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये, जहां उसे अध्यात्मिक व मानसिक संबल मिले, पारिवारिक वातावरण मिले ताकि उसमें जीवन के प्रति आकर्षण पैदा हो और वह भयमुक्त जीवन जी सके किंतु ऐसी कोई योजना इस बजट में दिखायी नहीं देती।

मैं कहना चाहता हूं महोदय, कि कृषि प्रधान हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या किसान को, उसकी उपज के लिये उचित बाजार उपलब्ध कराने की है ताकि उसका शोषण न हो सके। किसान के बच्चे गांव से पलायन न करें बल्कि कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनायें। कृषि मजबूरी न हो बल्कि सम्मानपूर्ण जीवन जीने का माध्यम हो लेकिन इसके लिए कृषि व कृषि उत्पादों पर आधारित एक कार्ययोजना की आवश्यकता है लेकिन अत्यंत खेद है कि यू.पी.ए. सरकार के इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

भूमंडलीकरण ने सबसे ज्यादा हमारे देश में देशी उद्योगों, लघु उद्योगों व कुटीर उद्योगों को प्रभावित किया है। प्रस्तावित बजट में सर्वाधिक क्षति देशी उद्योगों को ही पहुंचेगी। किसी भी देश में रोजगार के अवसर उत्पाद आधारित नीतियों से उत्पन्न होते हैं, किंतु इस बजट में इस देश को उत्पाद आधारित देश नहीं बल्कि ट्रेडिंग सेंटर के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी कर ली है, जहां कोई भी देश आकर अपने उत्पाद कम कीमत पर भी बेचेगा जिसका सीधा असर देशी उद्योगों पर ही पड़ेगा।

मान्यवर, एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में विकासोन्मुखी स्पष्ट नीति का अभाव है, वहां दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों को गंदगी से मुक्त करने व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कोई ठोस प्रस्ताव इस बजट में नहीं है, यदि ऐसा नहीं है तो माननीय वित्त मंत्री जी बतायें कि इस साल देश में कितने युवाओं को वास्तविक रोजगार मिलने की गारंटी है। मात्र आंकड़ों के आधार पर ऐसे आंकड़े जिसका यथार्थ से कोई तालमेल नहीं है, से विकास नहीं हो सकता। लेकिन वित्त मंत्री जी ने ऐसा ही प्रयास किया है क्योंकि वे मानते हैं कि आम आदमी इन आंकड़ों को नहीं समझ पायेगा क्योंकि ऐसा भ्रम उत्पन्न करके ही कांग्रेस ने 47 साल इस देश पर राज किया है।

हमारा देश प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है। प्राकृतिक संपदाओं और सौंदर्य के आधार पर इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश कहा जा सकता है, किंतु अत्यंत आश्चर्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां दुनिया के अनेकों देश हजारों करोड़ रुपये की आय व रोजगार के अवसर पर्यटन के क्षेत्र से उत्पन्न कर रहे हैं वहीं हमारा देश ठोस नीति के अभाव में आज भी शेष विश्व की तुलना में आंशिक आय ही अर्जित कर रहा है। महोदय, इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अपने संसदीय क्षेत्र जबलपुर कटनी की तरफ जहां एक ओर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर क्षेत्र है, जिनमें भेड़ाघाट, चौंसठ योगिनी, वीरांगना रानी दुर्गावती का समाधि स्थल, नगर निगम सीमा में स्थित 1100 हेक्टेयर का संरक्षित वन क्षेत्र डुमना व पूरे देश का भौगोलिक केन्द्र करौंदी जैसे स्थान हैं, वहीं पूरे देश में सर्वाधिक हरी मटर, सिंघाड़ा, टमाटर सहित अनेक कृषि उत्पाद हैं, जिसमें हरी मटर का उत्पादन तो पूरे देश में सर्वाधिक जबलपुर जिले में ही होता है। कटनी क्षेत्र में चूना पत्थर व संगमरमर की प्रचुर खदानें हैं और भी अनेक खनिज यहां जमीन में बिखरे पड़े हैं। किंतु अभी तक यह क्षेत्र केन्द्र शासन की नीतियों का मोहताज है। मैं मांग करता हूं महोदय आपके माध्यम से इस क्षेत्र के लिये कोई विशेष योजना बनायी जाये ताकि न सिर्फ इस क्षेत्र का बल्कि इसके माध्यम से पूरे प्रदेश का विकास हो सके। क्योंकि जबलपुर के आसपास कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पंचमढ़ी, अमरकंटक, चित्रकूट, मैहर, कुण्डलपुर, जैसे स्थान हैं, जहां पूरी दुनिया से लाखों लोग आना चाहते हैं लेकिन आधारभूत संरचनाओं के अभाव में ऐसा नहीं हो पा रहा है।

महोदय, एक बार पुनः इस बजट के विरोध में अपनी बात रखते हुए आशा के साथ कि मेरे प्रस्ताव को बजट में शामिल करेंगे। मैं अपनी बात रोकता हूं।

[अनुवाद]

***श्री के.वी. तंगबालु** (सेलम): श्रीमती सोनिया गाधी के दूरदर्शी नेतृत्व में संप्रग सरकार सत्ता में आई और उनके जुझारू नेतृत्व में संप्रग के दलों और नेताओं ने संयुक्त रूप से देश के लिए एक शासन उपकरण के रूप में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार किया जोकि एक आद्वितीय विशेषता है और भारत को आने वाले वर्षों में आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से सबसे सम्पन्न राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर देगा।

श्री चिदम्बरम ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम और इसके उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को सम्भावित स्तर तथा संतुष्टि तक लागू करने के लिए बहुत सुविचारित और अर्थपूर्ण कोशिश की है। न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में सरकार को निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर सृजित करने, राजकोषीय संचयन को तेज करने के लिए और कृषि पर विशेष जोर देने हेतु, जिसमें विनिर्माण और अवसंरचना भी शामिल होगी, 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की विकास दर बनाये रखने के लिए आदेश दिया गया है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अधिक लोगों को मिलने के लिए भी व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को सहायता देने हेतु वित्त मंत्री ने प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को सौ दिन के रोजगार का आश्वासन दिया है जोकि गरीबों की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। संप्रग सरकार के पहले वर्ष में वित्तीय विकास संबंधी अनेकों कार्यों के बावजूद भी अगस्त, 2004 में मुद्रास्फीति की दर 8.7 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। परन्तु सर्वोत्तम प्रबंधकीय प्रयासों और प्रभावी नियंत्रण तंत्र के कारण श्री चिदम्बरम मुद्रास्फीति की दर को 5.0 प्रतिशत तक नीचे ले आए जोकि पूर्व वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर से एक प्रतिशत कम है। उन्होंने वर्ष 2004-05 में निवेशकों में विश्वास बहाली का कार्य किया। आज, गैर-खाद्य ऋण 22.2 प्रतिशत तक ऊपर पहुंच गया है।

गत वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों ने कृषि ऋण 1,05,000 करोड़ रुपए तक विनिर्धारित किया था। यह कृषक वर्ग के लिए बहुत बड़ी सहायता थी जोकि बेहतर सुविधाओं तथा ऋण उपलब्धता की लम्बे समय से कामना कर रहा था।

वित्त मंत्री द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण दिए गए थे। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे इस सुझाव पर सहमति जताई कि सम्पूर्ण देश में निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण मिलना चाहिए। वित्त मंत्री की घोषणा और सम्पूर्ण देश के हजारों लाखों जरूरतमंद बालक तथा बालिकाओं को ऋण देने के महान कार्य का कार्यान्वयन एक स्वागतयोग्य कदम है। विशेषकर हमारे समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने में इसका दूरगामी प्रभाव होगा। परिवार तथा विद्यार्थी मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए माननीय वित्त मंत्री को साधुवाद दे रहे हैं।

मैं धन्यवाद भी देता हूं और इस बात की प्रशंसा करता हूं कि वित्त वर्ष 2005-06 के लिए शिक्षा हेतु 18337 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास हेतु 19334 करोड़ रुपए, उर्वरक राजसहायता के लिए 6254 करोड़ रुपए तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 10280 करोड़ रुपए का योजनागत आवंटन किया गया। ये हमारे समुदाय के प्रमुख घटक हैं जिन पर वित्त मंत्री द्वारा समुचित ध्यान दिया गया है।

नगद घटक के रूप में 5400 करोड़ रुपए तथा 5600 करोड़ रुपए की लागत से 50 लाख मी. टन खाद्यान्न प्रदान करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को बढ़ावा दिया गया है। इस तरह इस योजना के लिए कुल 1100 करोड़ रुपए की राशि एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें करोड़ों बेरोजगार लोगों को सम्मानजनक आजीविका में सुरक्षा और रोजगार प्राप्त होगा।

तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय नेता कर्म वीरर कामराज द्वारा तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी और आज भारत सरकार ग्यारह करोड़ छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मध्याह्न भोजन योजना हेतु 3010 करोड़ रुपए देती है। मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है सम्पूर्ण देश में इसे अनिवार्य बनाया जाए और इस महान योजना के लिए और निधियां आवंटित की जाएं। इसके द्वारा हम अपने बच्चों में विश्वास पैदा कर सकते हैं और स्वास्थ्य निर्माण कर सकते हैं।

श्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1991-96 के दौरान राजीव गांधी पेयजल मिशन का कार्य शुरू किया था। इस कार्यक्रम के लिए वित्त मंत्री ने अभी तक बची हुई 31355 ग्रामीण बस्तियों को इसमें शामिल करने हेतु 2005-06 के लिए 4750 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की है। मेरा वित्त मंत्री से यह भी आग्रह है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम, अर्थात 2009 तक पांच वर्षों के भीतर की घोषणा करें कि हमारे देश में ग्रामीण और शहरी सभी बस्तियों को किसी भी तरह से शुद्ध पेयजल मिल जाना चाहिए।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में स्पष्ट सीमा निर्धारण किया गया है कि हमारी सरकार अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. तथा अल्पसंख्यक समुदायों को समग्र रूप से अर्थात् सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से बढ़ावा देने हेतु आवश्यक निधियां प्रदान करेगी। मैं वित्त मंत्री का अभारी हूं कि इस वर्ष उन्होंने केवल अ.जा. और अ.ज.जा. की विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री के.वी. तंगबालु]

लिए ही 6253 करोड़ रुपए प्रदान करके अपनी ओर से अच्छा प्रयास किया है। यह बहुत स्वागत योग्य कदम है और मेरा उनसे आग्रह है कि अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के लिए अधिक निधियां विनिर्धारित की जाएं।

किंतु मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वित्त मंत्री राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम द्वारा अ.वि.व. के लिए किए गए वायदे को भूल गए हैं अर्थात हमारे देश की इस 60 प्रतिशत आबादी के लिए जोकि कमजोर वर्गों में सभी प्रकार से यानी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर हैं, कोई आवंटन नहीं किया।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं है। हमारे देश के इन पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसद में कोई स्थायी समिति नहीं है। मैं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि कम से कम बजट पर बहस के अपने उत्तर में पिछड़े वर्गों के विकास हेतु इसी वर्ष में बड़ा आवंटन करने की घोषणा करें।

हमारे समाज के अल्पसंख्यक वर्गों पर संप्रग सरकार द्वारा उनकी बेहतरी के लिए हमेशा उचित ध्यान दिया जा रहा है और हर तरह से उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके लिए मैं संप्रग नेतृत्व का आभारी हूं।

भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने संसद को अपने अभिभाषण में संप्रग सरकार के जुझारू नेतृत्व में भारत निर्माण हेतु दूरदर्शिता का वर्णन किया है।

[अनुवाद]

हमारा लक्ष्य एक करोड़ हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाना है ताकि एक हजार जनसंख्या वाले सभी गांवों और 500 जनसंख्या वाले पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा जा सकें। गरीबों के लिए 60 लाख अतिरिक्त मकान बनाए जाएगें। शेष 74,000 रहने वालों को पेयजल मिलेगा, 1,25,000 गांवों को बिजली मिलेगी और 2.3 करोड़ मकानों को बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। 66,800 गांवों को दूरभाष से जोड़ा जाएगा। भारत निर्माण कार्यक्रम के ये मुख्य लक्ष्य हैं। यह सभी कार्य 2009 तक पूरे किए जाएंगे। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। यदि हम यह करते है और मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार इसे प्राप्त करने में समर्थ होगी यह हमारे समुदाय में प्रतिष्ठा लाएंगे।

फार्म बीमा कार्यक्रम बजट के महत्वपूर्ण संघटनों में से एक है। मैं वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि प्लेग, प्राकृतिक आपदा अथवा सूखे से पीड़ित किसानों को बीमा के अन्तर्गत कवर किया जाए ताकि प्रभावित कृषक लोग सम्मानपूर्वक तरीके से अपना जीविकापार्जन कर सके। सहायता समूहों के माध्यम से लघु वित्त कार्यक्रम भी प्रशंसनीय है। 2.5 लाख तक 2005-06 में ऋण देने के लक्ष्य को बढ़ाने का वित्त मंत्री का प्रस्ताव वास्तव में उनकी वचनबद्धता को दर्शाता है। मैं इस प्रयास का स्वागत करता हूं। महिला और पुरूष दोनों को मिलकर इसमें भाग लेना चाहिए ताकि उन्नति को प्रोत्साहन मिल सके।

विभिन्न तरीकों से रोजगार सृजन करके इस देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता है। कृषि के बाद एक अन्य क्षेत्र है जहां हम अधिक रोजगार सृजित कर सकते हैं और वह कपड़ा उद्योग है। कृषि क्षेत्र में हम कृषि आधारित उद्योगों जैसे खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे उद्योगों के माध्यम से कृषि व्यापार कार्यक्रम चला सकते हैं। कपड़ा उद्योग के लिए 33,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव भी स्वागतयोग्य है।

एक अन्य रोजगार संरक्षण खादी और ग्रामोद्योग है जिसमें ग्रामीण समुदाय में नए रोजगार सृजित करने की अधिकतम समभावनाएं है। हमारी सरकार इस क्षेत्र में सक्रिय है और मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं। कि वह विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में वृद्धि करे।

चिन्ता का एक अन्य क्षेत्र एस एस आई क्षेत्र है। आज एस एस आई की अधिकतर इकाईयां धन के अभाव के कारण बन्द हो गई हैं। इसका उन्नयन पूरा नहीं हो सका है और वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग भी नहीं ले पाती है। उदारीकरण से हमारे देश में कई अच्छी चीजें हुई हैं लेकिन इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है जिससे हमारे परम्परागत लघु उद्योग बन्द हो गए हैं। अत: मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह एम एम आई के लिए आवश्यक धन और प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करते हुए इसका विशेष ध्यान रखे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों नई इकाइयां खोली जा सके और रोजगार सृजित किए जा सके। न्यूनतम सीमा एक से तीन लाख रुपये की जाए और सहायता राशि 15 से 25 प्रतिशत की जाए। मैं आशा करता हूं कि आप इस क्षेत्र की सहायता करेंगे।

अब मैं बैंकिंग क्षेत्र पर आता हूं, महोदय, आपने बजट में बताया है कि हमारे देश का शीर्ष बैंक अर्थात भारतीय स्टेट बैंक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवसाय के मामले में 82 स्थान पर है। आम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को दुरस्त करने की आवश्यकता है। यही समय की मांग है। हमारी प्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आम लोगों विशेषकर ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। हमारे बेहतर प्रयासों के बावजूद कमी स्तरों पर बैंकिंग क्षेत्र के लोग यही सोचते है कि वे स्वामी

हैं और वह यह भी समझते हैं कि वे लोगों की सेवा कर रहे हैं। यह रवैया पूर्णत: नकारात्मक और अंहकारी है आपने आदेश दिया है कि कृषि समुदाय को और विद्यार्थियों को बिना किसी कठिनाई के ऋण मिलना चाहिए। लेकिन वास्तव में हम पाते है कि बैंकिंग क्षेत्र के अधिकारी उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आप चाहते हैं जिस तरीके से यूपीए के नेता गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र, ग्रामीण बैंक और सहकारिताओं को निर्देश दें कि वह मानदण्डों के अनुसार कार्यों को पूरा करें।

बैंकिंग प्रणाली को भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करना है। लेकिन वे उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं और इसी लिए कुप्रवचन, दुर्व्यवहार और केवल अमीरों का साथ देने की कई शिकायतें की गई हैं। मैं स्वयं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं जहां जरूरतमंदों को व्यवस्था के कारण उनका देय नहीं मिल पाया है। आपका सक्रिय सहयोग और आदेश इस क्षेत्र को सही दिशा प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की निगरानी सम्बन्धित सांसदों द्वारा की जानी चाहिए। राज्य सरकारें इस कार्यक्रम के लिए रखी निधियों का दुरूपयोग कर रही हैं। क्योंकि वे स्वयं उनका चयन कर रही है। इसे तुरन्त रोका जाना चाहिए और सांसदों को कार्य चुनने, उसे करने और उसकी निगरानी करने का अधिकार दिया जाए। केवल इसी तरह केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को पूरी तरह कार्यान्वित किया जा सकता है।

आपने पी एफ को 8.5% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया है इससे कामकार वर्ग के प्रति हमारी वचनबद्धता का पता चलता है।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मे सेलम इस्पात संयंत्र है जोकि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसे आपके आर्शीवाद की आवश्यकता है आप अपने विभाग के लिए आवश्यक सिक्कों का आदेश देकर अपना सहयोग दे सकते है ताकि सेलम स्टील संयंत्र में सिक्के बनाने वाली मशीन का पूरा-पूरा उपयोग कर लाभ उठाया जा सके।

वाटर रोड कार्यक्रम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और आप देश में वाटर बॉडिज को विकसित करने के बारे में विचार कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वाटर बाडिज को कार्यान्वित करने और नए जल प्रवचन कार्यक्रम को विकसित करने के लिए अधिक धन देने की घोषणा करें ताकि हम अपने समुदाय के लिए जल बचा सकें उसका उपयोग कर उसे और जल संग्रहण कर सकें।

नदियों को जोड़ना महत्वपूर्ण और अविलम्ब कार्यक्रमों में से एक है जिसके बेकार जाने वाले जल को रोका जाएगा और हमारे कृषि को भी सुधारेगा, पेयजल उपयोगिता बढ़ेगी और हमारे खाद्य उत्पाद अपनी जरूरतों को तो पूरा करेंगे ही साथ में निर्यात भी कर लेंगे। इस विशाल कार्य में आपके समर्थन और प्रोत्साहनों की आवश्यकता होगी और मैं आशा करता हूं कि आप इस क्षेत्र में भी मदद करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बधाई देता हूं कि आपने सी एम पी को कार्यान्वित करने के लिए निर्भीक कदम उठाए और आपने श्रीमती सोनिया गांधी और डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, पहले आप अपने स्थान पर जाइए। यदि आपको वहां से बोलने में कोई कठिनाई है तो मैं आपको यहां से बोलने की अनुमति दे सकता हूं यदि कोई कठिनाई नहीं है तो आप कृपया अपने स्थान पर जाइए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): मुझे लगा कि स्पीकर साहब का आदेश है। आपके रहते ऐसे ही चल जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय: स्पीकर साहब का आदेश अंतिम है।

श्री रामदास आठवले: उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं, इन्होंने यह बजट पेश करके अच्छा काम किया है। टैस्ट मैच पांच दिन का होता है। हमने पांच दिन का चुनाव टैस्ट मैच सोनिया जी के नेतृत्व में जीत लिया। हमारे माननीय चिदम्बरम जी ने यह बजट पेश करते हुए सोचा कि एक-एक, दो-दो रन निकालकर जीतने का मौका शायद न मिले, इसलिए उन्होंने छक्के और चौक्के मारते हुए बजट पेश करने की कोशिश की और उसी का परिणाम है कि वर्ष 2005-2006 का बजट बहुत अच्छा है।

"2005-2006 का बजट है बहुत ही अच्छा,
सारे देश का खुश है नौजवान और बच्चा-बच्चा,
अर्थ में चिदम्बरम जी नहीं है कच्चा,
डा. मनमोहन सिंह प्रधान मंत्री है सच्चा।
एनडीए ने 6 वर्ष में कमाया है बहुत माल,
अब यूपीए वाले राज करेंगे पांच साल,
आपके चुनाव में फैलाया था सत्ता का क्रूर जाल,
लेकिन सोनिया जी ने किया एनडीए का बुरा हाल।
अब हंगामा खड़ा करना ही तुम्हारा काम है,
इसके लिए सारे देश में तुम्हारा नाम है,
हमारे ही पास अब सीता का राम है,
आडवाणी, जोशी, उमा का अयोध्या में क्या काम है,
हमारे आंगन में तुम्हारा क्या काम है,
एनडीए की जनता में अब सत्ता की शाम है।"

[श्री रामदास आठवले]

यह बजट बहुत ही अच्छा है और हमारे किसानों और मजदूरों को न्याय देने वाला है। यह बजट काले धन वालों को सजा देने वाला है लेकिन जनता के लिए यह सुनहरा और बहुत ही अच्छा बजट है। हम सभी लोग इस बजट को सपोर्ट करने के लिए आये हैं-सपोर्ट करने वाले हैं दलित, मुसलमान और अलग-अलग जाति के लोग। यह बजट गरीबों को न्याय दिलाने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जिस समाज से आते हैं, उस समाज को भी न्याय देने का सवाल है और हमारे माननीय चिदम्बरम जी ने इस बजट के द्वारा वह न्याय किया है। माननीय सोनिया जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है वह बहुत अच्छी है। माननीय लालू जी यहां बैठे हैं, लेकिन पासवान जी कहां गये, मालूम नहीं है। शरद पवार जी, डीएमके वाले, आरपीएम वाले, सीपीएम वाले सभी लोग हैं। सभी लोग इस सरकार का समर्थन करते हैं और यह सरकार पांच साल तक चलेगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने टैस्ट मैच जीत लिया है। वन-डे मैच आयेगा, उस समय क्या होगा, मुझे मालूम नहीं।

"सानिया हारी, मगर सोनिया जी नहीं हारीं,
अटल जी, अब आपकी नहीं आयेगी बारी,
क्योंकि अब देश की जाग गयी है नारी,
जनता आयेगी यूपीए में सारी,
आडवाणी जी की अब कैसे आयेगी बारी।"

हमारी एक बहन कवयित्री वहां बैठी हैं, वह भी कविता करती हैं। उन्हें वहां नहीं, यहां आना चाहिए। यह तो बजट है, यह पांच लाख करोड़ रुपये का है। शैड्यूल कास्ट के लोगों का इसमें 16 प्रतिशत है और शैड्यूल ट्राइब्ज का साढ़े पांच प्रतिशत है।

यदि हमें गरीबी हटानी है तो एससी और एसटी के विकास के लिए 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपया का प्रावधान करने की आवश्यकता है। यदि गरीबी हटानी है तो इन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा आवंटित करना होगा। इस विषय पर प्लानिंग कमीशन को विचार करना चाहिए। मेरा सोनिया गांधी जी से निवेदन है कि वह एससी, एसटी और माइनारटीज की तरफ विशेष ध्यान दें। हम उनका विकास करने के लिए सत्ता में आए हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय देने के लिए हमें काम करना चाहिए और बजट में अधिक से अधिक प्रावधान करना चाहिए।

सड़कें बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर मैमोरियल के लिए सौ करोड़ रुपए देने की आवश्यकता है। मुम्बई और दिल्ली में बाबा साहेब अम्बेडकर मैमोरियल का काम चल रहा है, इसके लिए भारत सरकार समुचित पैसा दे। गरीबों के लिए नई-नई स्कीम्स बनायी जाएं। बैंक वाले उन्हें कर्जा नहीं देते हैं। बैंक वालों को सबक सिखाना चाहिए। बैंक वाले गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा दें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। गरीबी हटानी है तो ज्यादा से ज्यादा राशि का प्रावधान करना चाहिए। *...(व्यवधान)* और बहुत से मुद्दे हैं लेकिन आप पीछे पड़े हैं। *...(व्यवधान)* मेरी पार्टी के मैम्बर्स अनेक राज्यों की विधान सभाओं में हैं, लेकिन मैं यहां अकेला चुन कर आया हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा 28 फरवरी, 2005 को प्रस्तुत केन्द्रीय बजट ने भारत के हृदय को छुआ है तथा भारत निर्माण प्रक्रिया को सुधारों, युक्तिकरण, मूलभूत बदलाव तथा ग्रामीण विकास के माध्यम से और तेज करने की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। केन्द्रीय बजट वृद्धि मूलक, रोजगारोन्मुखी तथा आम आदमी को जीवन में बदलाव लाने पर आधारित है, जिससे भारतीय आर्थिकी को और अधिक बढ़ावा एवं सुदृढ़ता मिलेगी।

मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा जन-मूलक बजट प्रस्तुत करने के लिए उन्हें बधाई देती हूं, जिस में लोगों से जुड़े प्रमुख मुद्दों को विशेष महत्व तथा लोगों के विकास और प्रगति को अधिमान दिया गया है। बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है, जिससे देश के युवा सबसे अधिक जूझ रहे हैं। इस समस्या के निदान के लिए प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए घोषित नए पैकेज से आगामी कुछ वर्षों में तीन करोड़ रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। मैं इसके लिए उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं। मुझे विश्वास है कि बजट में किए गए प्रावधानों से हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कृषि समुदाय, जो हमारी जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा है, के तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि, बागवानी तथा खाद्य क्षेत्र को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया गया है। बजट में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए 630 करोड़ रुपए के प्रावधान से देश तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य, जो फल और सब्जी उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं, में बागवानी क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। मैं इसके लिए मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं।

प्रारम्भिक शिक्षा तथा साक्षरता क्षेत्र के लिये 22,268 करोड़ रुपया रखकर, इस क्षेत्र को बल दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के लिये 7156 करोड़ रुपया के आबंटन से शिक्षण सुविधाओं का व्यापक विस्तार संभव होगा। देश के चिन्हित विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप की शुरुआत की गई है। उसके लिये मैं आपका आभारी मानती हूं। उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के लिये 10,280 करोड़ रुपये बजट में रखे गये हैं, उसके लिये भी मैं वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिये जो कदम उठाये गये हैं, वे स्वागत योग्य हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा भारत निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये एक करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है और 60 लाख गरीब लोगों के लिये मकान बनाने की बात की गई है, 74 हजार बस्तियों को पेयजल योजना उपलब्ध कराई गई है और 1.25 लाख गांवों को विद्युत सुविधा प्रदान की गई है। इसके साथ सड़कें बनाने की बात है-सड़कें बनाने के लिये भी बजट में पैसे का प्रावधान किया गया है। मैं आग्रह करूंगी कि मेरा क्षेत्र जनजातीय है। माननीय वित्त मंत्री जी ने 500 तक की जनसंख्या का मानदंड निर्धारित किया है। मेरी मांग है कि यह जनसंख्या 250 कर दी जाये ताकि इसके अंतर्गत ऐसे जनजातीय क्षेत्र आ सकें, जहां वे सुविधायें प्रदान की जा सकें। मेरा अनुरोध है कि यह मानदंड दोबारा निर्धारित किया जाये।

उपाध्यक्ष जी, इसमें पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू कश्मीर के लिये रियायतें प्रदान की गई हैं। मैं चाहती हूं कि उसमें हिमाचल प्रदेश को भी जोड़ा जाये। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में रेल मार्ग बनाये जाने की बेहतर स्थिति है, जो आने वाले समय में बेरोजगारी दूर कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में उत्तरी पूर्वी राज्यों के मुकाबले साक्षरता दर अधिक है, जिससे इस राज्य में बेरोजगारी की समस्या अधिक है। मेरा अनुरोध है कि बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए तीव्रतर औद्योगिकीकरण की आवश्यकता है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन इस ओर खींचना चाहूंगी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, टूरिस्ट्स को ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे यहां हवाई पट्टियां बनाने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि कुल्लू-मनाली पर्यटक वहां नहीं पहुंच सकते हैं। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि वहां हवाई पट्टी बनाये जाने के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाये, ताकि विदेशी पर्यटक आ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में पहले पोस्ट आफिस और सब पोस्ट-आफिस को एन.आर.सी. मिल रहा था, जिसे भाजपा शासनकाल में बंद कर दिया गया था। इसके बंद होने से राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। नान रिटर्नेबल कंट्रीब्यूशन का पैसा 10-12 करोड़ रुपये बनता है। इसे एकमुश्त माफ किया जाये। इसके अलावा भाजपा सरकार जनता पर 15 हजार करोड़ रुपये का ऋण छोड़ गई है, जिसका 2 करोड़ रुपया ब्याज देना पड़ रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हिमाचल की गरीब जनता पर पड़ रहे 17 हजार करोड़ रुपये के अनावश्यक बोझ को माफ किया जाये। मैं आशा करती हूं कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार की मदद करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी का आभार प्रकट करती हूं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को विशेष महत्व दिया है। आपने इस क्षेत्र में इतना प्रोत्साहन दिया।

मैं अंत में आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि 17 हजार करोड़ रुपये का जो ऋण पिछली सरकार हमारे ऊपर छोड़कर गई है, उस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें और उसमें हमें मुक्ति दिलायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं।

*प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्र कम अवधि तक सड़क मार्ग से जुड़े रहते हैं तथा शरद ऋतु के दौरान इन क्षेत्रों का सम्पर्क केवल वायुमार्ग से ही रह जाता है। राज्य सरकार जन-जातीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों को शरद ऋतु के दौरान हैलिकाप्टर की सेवायें प्रदान करती है। लेकिन हवाई सेवायें एकमात्र विकल्प होने के बावजूद महंगा साधन है, जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है। इसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि प्रदेश में उत्तर पूर्वी राज्यों की तर्ज पर हैलिकाप्टर सेवाओं का उपदान प्रदान किया जाये। उत्तर पूर्वी राज्यों सिक्किम राज्य को हेलिकाप्टर सेवाओं के लिए उपदान योजना के अंतर्गत लाया गया है।

हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां एक समान हैं तथा हिमाचल प्रदेश को भी उपदान योजना के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करती

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

हूं कि वे प्रदेश के जन जातीय तथा सीमावर्ती जिलों के लिए हेलिकाप्टर सेवा पर विशेष मामले के रूप में विचार करें।

महत्वाकांक्षी रोहतांग सुरंग निर्माण परियोजना पर विशेष ध्यान आकर्षित हुआ है, लेकिन इस परियोजना पर आशावान प्रगति नहीं हुयी है। इस सुरंग के निर्माण से लाहौल-स्फिति जिले को साल भर संचार सुविधा प्रदान होगी। मैं इस परियोजना के लिए व्यापक आबंटन का आग्रह करती हूं जिससे जन-जातीय लोगों के जीवन में आशातीत परिवर्तन आयेगा।

केन्द्रीय बजट के प्रस्तावों पर बाजार, उद्योग ने व्यापक विश्वास प्रकट किया है। बजट प्रस्तावों से देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष की स्थापना से जहां असंतुलन समाप्त होगा वहीं गरीबी उन्मूलन में भी सहायता मिलेगी। हम आशा करते हैं कि भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए मिलेनियम विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दहलीज पर पहुंच गये हैं।

उद्योग ही हमारा एक आशा की किरण है जिसके द्वारा हम बेरोजगारी की ज्वलंत समस्या का कुछ हद का सामना कर सकते हैं परन्तु साथ लगते हुए राज्य के दवाब के कारण केन्द्र सरकार ने इस इंडस्ट्रीज पैकेज की अवधि 2007 कर दी है। जिसे राज्य के औद्योगिकीकरण के हित में 2013 किया जाना आवश्यक है। बहुत उद्योगपति हिमाचल में उद्योग लगाने पर दोबारा से विचार करने लगे हैं। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इंडस्ट्रीयल पैकेज की अवधि वर्ष 2013 की जाये।

हिमाचल का सौन्दर्य की दृष्टि से अपना एक विशिष्ट स्थान है और इसीलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है। यहां पर कांगड़ा, कुल्लू, और शिमला में हवाई पट्टी बिछायी जानी चाहिए। वर्तमान में शिमला और कुल्लू के हवाई अड्डों का विस्तार किया जाना आवश्यक है ताकि यहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। सैलानी पर्याप्त हवाई सेवा न होने के कारण कम आ पाते हैं।

हिमाचल में अपार वन संपदा है, जिसे राज्य की कांग्रेस सरकार ने बचा कर रखा है। राज्य में वृक्षों के कटान पर शत प्रतिशत प्रतिबंध है, जिसके कारण राज्य की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मेरा अनुरोध है कि वन संरक्षण की ओर विशेष प्रयास करने के कारण हिमाचल प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार अनुदान दे ताकि उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे।

कालका-परवानु तथा जोगिन्द्र नगर-पठानकोट लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदला जाये ताकि यात्रियों के समय की बचत हो सके और उन्हें अधिक सुविधायें मिल सकें। इसके साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि किरतपुर से भानुपल्ली रेल लाइन, जिसका पूर्व में सर्वे हो चुका है, का शीघ्र निर्माण कराया जाये।

***श्री रघुवीर सिंह कौशल** (कोटा): संप्रग सरकार ने विकास की गति को तेज करने, रोजगार बढ़ाने व सुधार कार्यक्रम को चालू रखने जैसे तीन मुख्य उद्देश्य न्यूनतम साझा कार्यक्रम में बताए हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी यही राग आलापा है। लेकिन यह बजट उपरोक्त तीनों बातों पर ही खरा नहीं उतरता। जहां तक विकास की गति तेज करने वाली बात है, तो बजट की मूल राशि में इस वर्ष की अपेक्षा प्रस्तावित बजट में केवल 1.75 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई है, जबकि मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत हुई है। अत: प्रस्तावित बजट में असलियत में चालू वित्त वर्ष से व्यय कम होने वाला है। योजना व्यय के लिए केवल 1,43,497 करोड़ है। जो संपूर्ण बजट का केवल 27 प्रतिशत के लगभग है जबकि गत कई वर्षों से यह 32 से 35 प्रतिशत के बीच रहता था। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात है कि आयोजना व्यय के अंतर्गत राजस्व खाते में होने वाला खर्च कभी पूर्व में इतना नहीं बढ़ा, वह 89,673 से बढ़कर 1.15982 करोड़ हो गया। परिणामत: पूंजी खाते पर होने वाला व्यय 47,714 करोड़ से घटकर 27,515 करोड़ रह गया। योजना व्यय में पिछले वर्ष के अनुपात में कमी एवं इसी के तहत पूंजी व्यय में भी भारी कमी स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी नहीं रही। आयोजना व्यय के अनुपात के रूप में पूंजी व्यय सदैव 30 से 35 प्रतिशंत रहा है। इस बजट में यह केवल 21 या 22 प्रतिशत रह गया है जो पूरे बजट का केवल 5.6 प्रतिशत है। इसलिए सरकार ने विकास की दृष्टि से इस बजट को सर्वथा असंगत एवं बेकार बना दिया है।

जहां तक रोजगार बढ़ाने का प्रस्ताव है, इस बजट में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। दो वर्ष पूर्व योजना आयोग ने एक कार्यबल का गठन किया था। इस संदर्भ में उसका प्रतिवेदन इस प्रकार है कि जो सिफारिशें आयी हैं, वे चौंकाने वाली हैं। इस समिति का एक निष्कर्ष है कि यदि आर्थिक प्रगति का वर्तमान स्वरूप बना रहा तो आने वाले वर्षों में संगठित क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर बनने की कोई संभावना नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कि रोजगार बढ़ाना है तो सरकार व गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना होगा। असंगठित क्षेत्र के रोजगार में 56 प्रतिशत योगदान कृषि व शेष में लघु घरेलू उद्योग व पर्यटन का है। संगठित क्षेत्र में केन्द्र सरकार राज्य सरकार व कार्पोरेट आते हैं और उनका योगदान केवल आठ प्रतिशत है। इसमें भी 69 प्रतिशत रोजगार सरकारी है। कारपोरेट जगत तो केवल 2.4 प्रतिशत रोजगार देता है। यह संख्या मात्र 80 से 90 लाख है। ये आंकड़े सरकार की आर्थिक समीक्षा में हैं। अत: रोजगार की सभी संभावनाओं कृषि लघु उद्योग व छोटा व्यापार एवं पर्यटन जैसे असंगठित क्षेत्र हैं। इनमें बजट के माध्यम से कोई खास सहायता का प्रावधान नहीं है। आर्थिक सुधार बड़े उद्योगपतियों व व्यापारियों के लिए हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

असंगठित क्षेत्र को तो सरकारी प्रतिबंध भ्रष्टाचार से त्रस्त रहना पड़ रहा है। लघु उद्योगों द्वारा निर्मित 118 चीजों को रिजर्व कर दिया गया है। साथ ही आयात कर की दरों को एक सिरे से नीचा करने के कारण घरेलू उद्योग खास तौर से लघु उद्योग को अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सारा खेल बड़े पूंजीपतियों व विदेशी कंपनियों के लिए है। जहां तक खेती का संबंध है, राष्ट्रीय आय का 1.3 प्रतिशत का ही प्रावधान रखा गया है। जबकि राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत का योगदान कृषि का है। कृषि क्षेत्र में रोजगार 56 प्रतिशत और कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात 69 प्रतिशत है। इन आंकड़ों से देखें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष 26 प्रतिशत निवेश में से होता है। राष्ट्रीय आय में योगदान की दृष्टि से 6.5 प्रतिशत का आवंटन कृषि क्षेत्र में चाहिए। योजना व्यय का भी केवल 4.9 प्रतिशत कृषि को दिया जाता है। राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत का योगदान करने वाले व रोजगार के क्षेत्र में 56 प्रतिशत योगदान करने वाले कृषि क्षेत्र की तो घोर उपेक्षा ही हुई है। सरकार ने किसान का ऊर्जा दुगुना करने की घोषणा की है, किंतु किसान की फसल की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। किसान की फसल पर शीत लहर, ओलावृष्टि, आग लगने, बाढ़ आने पर नाममात्र की राहत दी जाती है। वह भी सीमांत कृषक को। फसल नष्ट होने पर किसान कर्जा कैसे चुका पाएगा। अत: जब उसकी भूमि की नीलामी होगी तब वह खुदकुशी करने की कोशिश करता है। फसल बीमा योजना भी किसान के हित में नहीं है। संपूर्ण तहसील की फसल 50 प्रतिशत से अधिक नष्ट होने पर ही बीमा राशि प्राप्त होती है और यह संभव नहीं कि संपूर्ण तहसील में क्षति हो। इसलिए किसी भी किसान को बीमा की राशि नहीं मिल पाती है। जबकि बैंक से कर्जा लेते समय बीमा का प्रीमियम वहीं काट लिया जाता है। इसलिए कृषि बीमा केवल बीमा कंपनियों के लिए लाभकारी है। किसान को इससे कोई फायदा नहीं हुआ है।

इसलिए यह बजट न तो विकासोन्मुखी है न रोजगारोन्मुखी है। विकास दर में जो बढ़ोत्तरी दिखाई दे रही है व हाई टेक्निक जाब लेस ग्रोथ यानि उच्च तकनीकी वाले रोजगारविहिन प्रगति कर रहे हैं। इससे राष्ट्रीय आय तो बढ़ सकती है, किंतु आम जनता इससे दूर रहेगी। अत: सभी दृष्टि से यह बजट असंगत व व्यर्थ है।

[अनुवाद]

***डा. करण सिंह यादव** (अलवर) महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री को बेहतरीन बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं जिसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस गरीब समर्थन बजट का लक्ष्य गरीबी को हटाना और हमारे देश की सबसे बड़ी समानताओं में से एक समस्या अर्थात बेरोजगारी को समाप्त करना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण गारन्टी योजना अकुशल ग्रामीण लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने से नए अवसर सृजित होंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, कपड़ा उद्योगों सूचना और प्रौद्योगिकी (आईटी) सैक्टर और निर्माण क्षेत्र में निवेश करने से आने वाले समय में रोजगार के लाखों नए अवसर सृजित होंगे।

महोदय, यही उपयुक्त समय है कि हमें अपना ध्यान ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल पर देना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इस दिशा में स्वागतयोग्य कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं चिन्ता का कारण है। उप केन्द्र स्वचालित हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में डाक्टर और नर्से नहीं है। सामुदायिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल चिकित्सक और संवेदनाहरक नहीं है। इन स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरणों अर्थात् एक्सरे मशीनें खून जांचने वाले और अन्य जांच सुविधाओं का अभाव है। औषधियों के लिए बजट राशि को बढ़ाना होगा। टीकाकरण और पोषाहार कार्यक्रमों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता हैं। हमें जनसंख्या विभाजन कार्यक्रम पर अधिक ध्यान देना होगा। समय की मांग है कि ग्रामीण भारत में युवा जोड़ों को निरोधक और अन्य परिवार नियोजन तरीकों को अपनाना होगा। इसकी वहां पूर्ति नहीं की जा रही है।

हमारी स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था को दुरस्त करना होगा ताकि मां और शिशु मृत्युदर को घटाया जा सके। अधिकांशत: जनसाधारण ने तम्बाकू, सिगरेट और गुटका पर उपकर लगाने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। हमें लोगों में तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता लानी होगी। हमें टेलीविजन और अन्य प्रचार साधनों पर इन मदों के विज्ञापन पर प्रतिबंध भी लगाना होगा।

गरीबों के उत्थान को ध्यान में रखकर ही अन्त्योदय अन्न योजना, समेकित बाल विकास स्कीम और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को तैयार किया है। आगामी चार वर्षों में गांवों का नक्शा अवश्य बदलेगा। भारत निर्माण का स्वप्न अवश्य पूरा होगा। ग्रामीण भारत के नक्शे को बदलने का नारा मात्र नारा न बनकर रह जाए इन पर कार्यवाही करनी होगी।

आज गांव दिन पर दिन गन्दे होते जा रहे है। गांव की गलियां कीचड़ से भरी हुई हैं। इसका तात्पर्यता यह नहीं है कि वहां पर जन निकासी व्यवस्था नहीं है। बड़ी संख्या में गांव सड़क से जुड़े तक नहीं है। टेलीफोन सम्पर्क राजस्थान में रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्रों में दिवास्वप्न बनकर रह गया है।

पूर्व राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ नहीं किया था यूपीए सरकार का भारत निर्माण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. करण सिंह यादव]

महोदय, मैं आपका ध्यान अपने गृहराज्य राजस्थान की ओर दिलाना चाहता हूं। सभी स्तरों मानदण्डों से राजस्थान देश का सबसे अधिक पिछड़ा हुआ राज्य है। राजस्थान देश के बड़े राज्यों में से एक है राजस्थान के अधिक हिस्से सूखाप्रवण क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान तो सूखे से पीड़ित ही रहता है। सूखे से बचने और इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर लोग रोजगार की तलाश में गुजरात और अन्य क्षेत्रों में चले गए है। यह पशु प्रजनन क्षेत्र है। यह चारागाह और वन भूमि भी हैं। राजस्थान नहर, जो हमारे जीवन का आधार है, को यथाशीघ्र पूरा करने की आवश्यकता हैं। इसके लिए पर्याप्त बजट आवंटन करना होगा।

राजस्थान के पश्चिमी भाग में तेल के बड़े भण्डार है। बारमार और सनथौर बेसिन में तेल के भण्डार है और वे गरीब राजस्थान का भाग्य बदल सकते है। एच पी सी एल राजस्थान में एक तेल शोधन कारखाना लगाने वाला है। राजस्थान के सभी लोग माननीय पेट्रोलियम मंत्री के अपनाए गए रवैये से निराश हैं क्योंकि राजस्थान को अभी तक उनकी स्वीकृति नहीं मिली है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान में तेल शोधक कारखाना लगाने पर शीघ्र विचार किया जाए। इस परियोजना से राजस्थान के हजारों लोगों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह राजस्थान को विशेष वित्तीय पैकेज देने पर भी विचार करे। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला में संशोधन किए जाएं जिसके आधार पर केन्द्र राज्यों को अनुदानों का अन्तरण करता है। इस विद्यमान फार्मूले में क्षेत्र को उचित महत्व दिया जाना अपेक्षित है क्योंकि बड़े क्षेत्र और जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व के कारण सुविधाएं उपलब्ध कराने में अधिक लागत आती हैं।

राजस्थान का 60 प्रतिशत भाग रेगिस्तान हैं। पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। राजस्थान में बड़ी संख्या में रह रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अन्त में, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र अलवर की ओर दिलाना चाहता हूं। हालांकि इस वर्ष हम सरसों और गेहूं की अच्छी फसल की आशा कर रहे थे लेकिन पिछले सप्ताह को ओलावृष्टि ने पूरी फसल नष्ट कर दी है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र में एक विशेष दल भेजा जाए। और इसे 'सूखाग्रस्त' क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। राहत कार्य भी यथाशीघ्र शुरू किए जाए।

औद्योगिक शहर भिवाड़ी को विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। अलवर में मालवीय औद्योगिक क्षेत्र कभी काफी हलचल वाला और उन्नत औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था। अब यह क्षेत्र निष्क्रिय और शान्त है इस क्षेत्र की अधिकांश फैक्टरियां बंद है। पूरा क्षेत्र उजड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से श्रमिक और कामगार बेरोजगार हो गए हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक विशेष दल या कार्यबल का गठन किया जाए और अलवर के मालवीय औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के बन्द होने के कारणों की जांच की जाए। इस दल का कार्य सुझाव देना होगा कि इन उद्योगों को किस प्रकार पुनर्जीवित किया जाए और पुनः आरम्भ किया जाए हमें इस क्षेत्र के उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन और कर में छूट भी देनी चाहिए।

हालांकि अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है लेकिन अभी तक इसे माननीय शहरी विकास मंत्री से कोई विशेष वित्तीय सहायता अथवा कोई पैकेज नहीं मिला है। हम पैट्रोल और डीजल के ऊंचे मूल्य अदा कर रहे है लेकिन हमें अवसंरचना, सड़क उद्योग, शैक्षिक संरचनाओं और अन्य जन-सुविधाओं के विकास में कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यहां पर कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए प्रचुर संभावनाएं हैं। मैं आशा करता हूं कि संघ सरकार इस दिशा में हर सम्भव प्रयास करेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट सदन में पेश किया गया है, उस की ओर सबकी निगाहें लगी हैं। जो बजट पेश किया जाता है, चूंकि वह देश की अर्थव्यवस्था का आइना होता है, उसमें देश की अर्थव्यवस्था के भविष्य की योजना झलकती है, लेकिन जब इस बार बजट पेश किया गया और जो झलक उसमें दिखाई दी, वह झलक विकासोन्मुखी नहीं थी। उसमें गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और मध्यम वर्गीय जनता के लिए कोई योजना नहीं थी। इस बजट का स्वरूप ऐसा है, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और जिसके कारण मध्यमवर्गीय वेतनभोगी लोगों को अधिक कर अदा करना पड़ेगा। यू.पी.ए. की सरकार राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को कम करने में विफल रही है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के दौरान भारत निर्माण की बात कही, लेकिन अपने बजट में देश को कोई नई दिशा नहीं दी है, बल्कि सबको खुश करने के लिए एक स्वप्निल बजट पेश किया है। भारत निर्माण के लिए आवश्यक है कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाए, किसानों को समृद्ध किया जाए और महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। जब एन.डी.ए. की सरकार

थी, तो उसके कार्यकाल में गरीब, मध्यमवर्गीय एवं आम जनता बेफिक्र थी, क्योंकि कीमतें स्थिर थीं और महंगाई पर काबू रखा गया था, लेकिन यू.पी.ए. की सरकार महंगाई पर काबू रखने में नाकामयाब रही है। कीमतों में वृद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ पता नहीं कि कब किस चीज की कीमत बढ़ जाए। डीजल और पैट्रोल पर पचास पैसे का उपकर लगाकर लोगों की जेब हल्की की गई है। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए सौ किलोमीटर पर पथकर लगाया गया है, जो गलत है। इसके साथ ही छोटे वाहनों पर भी पथकर की मार डाली गई है। वित्त मंत्री जी को इसे बढ़ाकर कम से कम पांच सौ किलोमीटर करना चाहिए। किसानों के लिए ऋण का सरलीकरण तो किया गया है, लेकिन किसान ऋण लेकर कैसे चुकायेंगे, इस बारे में कोई योजना नहीं है। जब तक किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होगा, उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई जायेगी, तब तक किसान समृद्ध नहीं होंगे, यही कारण है कि वे निराश होकर लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यदि हमारी यही सोच रही और किसानों की समृद्धि के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई, तो उनकी आत्महत्याओं का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। बजट में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के उपाय क्या हैं, इसका पता नहीं चलता।

उपाध्यक्ष महोदय, एन.डी.ए. की सरकार ने दक्षिण से उत्तर तक एवं पूर्व से पश्चिम तक सभी नगरों को महानगरों से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत प्रयास किया था। लेकिन इस सरकार के बजट में उसे कोई स्थान नहीं दिया गया है। साथ ही, इसमें नदियों को जोड़ने की योजना का भी कोई उल्लेख नहीं है। बजट में ए.सी. जरूर सस्ते किये गये हैं, लेकिन यह अमीरों को खुश करने के लिए किया गया है, लेकिन यह अमीरों को खुश करने के लिए किया गया है, जबकि अधिकतर लोग प्राकृतिक हवा में सोते हैं। हिंदुस्तान की आम जनता, जो ग्रामीण क्षेत्रों रहती है, उन्हें ए.सी. की कोई आवश्यकता नहीं होती। इन लोगों के लिए बजट में अलग से कुछ नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रोजगार के अभाव में युवा वर्ग में कुंठा एवं निराशा व्याप्त है। वर्ष 2005-06 के बजट में, आगामी पांच वर्षों में अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का ढिंढोरा जरूर पीटा गया है, लेकिन कुल रोजगार सृजन के लक्ष्य तय नहीं किये गये हैं। बजट में रोजगार के बारे में उच्च स्तर पर बयानबाजी जरूर की गई है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न क्षेत्रों में समग्र अर्थव्यवस्था के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित किये जाएं, ताकि पूर्ण रोजगार के लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग निर्धारित किया जा सके। वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को यथावत रखा गया है, जब कि वह केवल कागजों तक ही सीमित है। फसल बीमा योजना में बहुत सी विसंगतियां हैं, जो दूर नहीं की गई हैं। इसके अंतर्गत जो नुकसान का मूल्यांकन होता है ...*(व्यवधान)* इसे पटवारी या हल्के तक किया जाना था, जो नहीं किया गया है तथा फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया वेट कीजिए।

श्रीमती नीता पटैरिया: अत: बजट में भारत निर्माण की बात एक स्वप्न ही नजर आती है।

अपराह्न 6.00 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया एक मिनट रुकिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: अत: भारत निर्माण की बात व्यावहारिक रूप से सपना ही नजर आती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया रुकिए।

अभी इस विषय पर बोलने वाले छ: और सदस्य है यदि सभा सहमत है तो मैं सभा का समय इस मद पर चर्चा पूरी होने तक बढ़ा सकता हूं।

कई माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: अत: वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि वे अपने भाषण में और सुधार करें, अपने बजट में और सुधार करें जिससे देश के गरीबों, मजूदरों और किसानों को राहत मिले। छात्रों की शिक्षा भी सस्ती हो और साथ ही महिलाओं के सशक्तीकरण की ओर भी ध्यान दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री इलियास आजमी। सिर्फ पांच मिनट में अपनी बात कहें।

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): मेरे लिए ही टाइम की बाइंडिंग क्यों।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं यह बात केवल आपको नहीं बल्कि सभी के लिए कह रहा हूं। कृपया इस आशंका में मत रहिए कि मैं यह बात केवल आपको ही कह रहा हूं।

श्री इलियास आजमी: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शक्रिया करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं न तो बजट का अंधा सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूं और न ही आंख बंद करके इसका विरोध करने के लिए खड़ा हूं।

बजट में बहुत सी चीजें अच्छी हैं जिनका में स्वागत करता हूं। जैसे इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाने की बात की है और उसे 1 लाख रुपये तक किया गया है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता चूंकि समय कम दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सी चीजें इंतिहाई गलत हैं। जैसे 'वैट' को मानो कुरान, बाइबल और गीता का दर्जा दे दिया गया है कि 'वैट' को लागू करके छोड़ेंगे। मैं इसका कतई विरोध करता हूं।

दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से लेकर वित्र मंत्री जी के भाषण तक कहीं एक शब्द भी देश में फैले करप्शन और भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में नहीं कहा गया है जबकि 50 प्रतिशत पैसा आज भ्रष्टाचार में जा रहा है। यूपीए को चाहिए कि या तो ऐलान करके करप्शन को तस्लीम कर लें और उसको मान्यता दे दे, या कम से कम उसके खिलाफ कोई बात या कोई शब्द तो होना चाहिए। बजट भी बताता है कि जिन मदों में पैसा बहुत जमाने से लूट लिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, मैं दावे से कह सकता हूं कि पांच प्रतिशत से ज्यादा पैसा उस काम में नहीं आता। अरबों रुपया खर्च करने के बाद पूरे देश में 10 बालिग आदमी तलाश नहीं किये जा सकते जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के जरिये साक्षर हुए हो, लेकिन उसमें पैसे इस तरह दिये जा रहे हैं जैसे गीता का श्लोक है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। 1996-97 में देवेन्द्र प्रसाद यादव जी खाद्य मंत्री थे और चिदंबरम साहब ही वित्त मंत्री थे। उस समय बड़ी मेहनत से गरीबों को सस्ता अनाज देने की योजना बनाई गई थी। मुझे मालूम है कि चिदंबरम साहब इसको नहीं चाहते थे और वे जानते थे कि यह पैसा भ्रष्टाचार में जाएगा। आज उसके अंतर्गत दिया जाने वाला पैसा 8000 करोड़ रुपये से बढ़ते-बढ़ते 25-26 हजार करोड़ रुपये हो गया है। यहां बैठे एक-एक मैम्बर को मालूम है कि मुश्किल से 1000 करोड़ रुपये गरीबों तक पहुंचते होंगे, बाकी सब लुटेरे, डाकू, अफसर, दलाल उसको लूट रहे हैं। अभी एक लाख कार्ड चिदंबरम साहब और बनवाएंगे। आपने मान लिया है कि सारा बजट इन भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को बांटने के लिए है, गरीबों को सारा पैसा इनको बांटने के लिए है। आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि कोई तरीका सोचिये कि अनाज के नाम पर या और किसी नाम पर न करके गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को सीधे पैसा दीजिए ताकि वह भ्रष्ट अधिकारियों की जेबों में न जाए। भ्रष्टाचार सिर्फ यह नहीं है कि पैसा जा रहा है, बल्कि गांव, गरीब, देहात में कुछ ऐसे नए-नए धन्ना सेठ उभर आते हैं जो माफिया हैं, करप्ट हैं, जिनसे इस सोच को बढ़ावा मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब एस.जी.आर.वाई. में साढ़े बाईस प्रतिशत का आरक्षण है तो क्या कोई मैम्बर बता सकता है कि एसजीआरवाई का साढ़े बाईस प्रतिशत पैसा अलग से शैड्यूल्ड कास्ट्स पर खर्च होता है? सब पंचायतों में चला जाता है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। कई योजनाएं बहुत अच्छी हैं, जिनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है-जैसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना। यह गांवों और गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसी योजनाओं में पैसा बढ़ाने में वित्त मंत्री जी को बड़ी दिक्कत होती है, पर जिनमें सारा पैसा लुट रहा है, उसमें बढ़ाते जा रहे हैं।

यह सरकार सैक्युलरिज्म के नाम पर सत्ता में आई है, सांप्रदायिकता का विरोध करके सत्ता में आई है। सैक्यूलरिज्म के नाम पर इन्होंने बिहार और झारखंड में सत्ता एनडीए के हवाले कर दी है। केवल बोलने से सैक्यूलरिज्म नहीं आएगा। जैसाकि मेरे साथी श्री ओवेसी ने बताया कि आपने मौलाना आजाद फाउंडेशन को कुछ नहीं दिया है। सैंट्रल वक्फ काउंसिल को जिसमें अक्लियतों को मौलाना आजाद फाउंडेशन अल्पसंख्यकों के एजुकेशनल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, आपने इस फाउंडेशन को क्या दिया है? आप लाख कहें कि आप सैक्यूलर हैं लेकिन हर आदमी जानता है कि मौलाना आजाद फाउंडेशन का रिश्ता तालीमी इदारों के साथ जुड़ा हुआ है। जब एनडीए की सरकार थी, चाहे श्रीमती मेनका गांधी रही हों, चाहे श्री सत्यनारायण जटिया रहे हों, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। जब से सैक्यूलर लोग सत्ता में बैठे हैं, आप बताएंगे कि मौलाना आजाद फाउंडेशन की मीटिंग कितनी बार बुलाई गई है? अक्लियत के तालीमी इदारों को कितना रुपया दिया गया है? उसके कारपस में पैसा देंगे, तो मालूम होता है कि पाप हो गया। पिछले साल एक रुपया भी नहीं दिया और तीस करोड़ रुपया पहले का भी देना है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि आपको ब्याज से मतलब है। हम आपको ब्याज दे देंगे। हम आपको चार प्रतिशत ब्याज देंगे। आठ प्रतिशत पर जब उनका कारपस में जमा है और उनको नौ प्रतिशत मिलता है। उन्होंने पैसा बाद में देने का वायदा किया है। शायद वह उस वक्त देंगे जब मार्च का महीना खत्म हो जाएगा। सैक्यूलरिज्म चिल्लाने से आप सैक्यूलर नहीं हो जाएंगे। बहुत दिनों तक आपने लोगों को बेवकूफ बनाया है। सैक्यूलरिज्म के नाम पर सांप्रदायिकता से नफरत फैलाकर अक्लियतों का वोट लेकर बहुत फायदा उठाया है। लेकिन अब हमारी जम्हूरियत भी साठ साल की हो रही है। साठ साल में अनपढ़ आदमी भी

अक्लमंद हो जाता है। आप मेरे कहने से नहीं बदलेंगे। आपका यह ढर्रा सैंकड़ों साल से है। खास तौर से कांग्रेसी भाइयों से कहना चाहूंगा कि सोनिया गांधी स्वयं अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और धर्मनिरपेक्षता पर उनका यकीन है तो धर्मनिरपेक्षता सरकार के काम में भी नजर आनी चाहिए। सिर्फ जुबान से धर्मनिरपेक्षता कहने का कोई लाभ नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री इलियास आजमी: महोदय, मैं घंटी की आवाज सुन रहा हूं। मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात खत्म करके बैठ जाऊंगा। आखिल में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मौलाना आजाद फाउंडेशन के कारपस में एक हजार करोड़ रुपया इकट्ठा जमा करा दीजिए। इसके बाद हम कभी आपसे रुपया नहीं मांगेगें। अक्लियत के लोग और खास तौर से मुस्लिम लोग तालीम में बहुत पीछे हो गए हैं। अगर आप रोते हैं तो मगरमच्छ के आंसू न निकालें। आप हकीकत बयान कीजिए। एक हजार करोड़ रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप 25 हजार करोड़ रुपया अधिकारियों पर गरीबों को सस्ता अनाज देने के नाम पर लुटा रहे हैं। आप एक हजार करोड़ रुपया दे दीजिए तो मालूम होगा कि वाकई तब्दीली आ रही है। अल्पसंख्यक लोगों को पता चलेगा कि कुछ सैक्यूलर लोग आए हैं, सिर्फ जुबान से ही सैक्यूलर नहीं कहते बल्कि उस पर यकीन भी करते हैं। ज्यादा न कहते हुए मैं एहतराम करता हूं और कांग्रेसी भाई मेरे इस शेर पर तवज्जो दें। शेर मेरा नहीं है, बल्कि किसी शायर का है।

> ''शौके सफ में गर्द न इतनी उड़ाओ कि मंजिल पर जाकर सांस भी लेना मुहाल हो''

***प्रो. एस.पी. सिंह बघेल** (जलेसर): अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर अपना भाषण सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें।

महोदय, मैं बजट के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष कहना चाहूंगा कि बजट संतुलित नहीं है। देश के सर्वहारा वर्ग के हितों का ख्याल नहीं रखा गया है। देश की जनसंख्या की अधिकतम आबादी गांव और कस्बों में रहती है। ग्रामीण जनता की बुनियादी समस्याएं सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, पशु चिकित्सालय एवं मानव चिकित्सालय, खाद, सिंचाई, डीजल, कीटनाशक, रोजगार हैं, बजट में ग्रामीण सडकों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अलावा अन्य संपर्क मार्गों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बहुत से गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बनाए गए नियमों के अंतर्गत जनसंख्या अथवा दूरी के आधार पर अथवा एक तरफ से कहीं से जुड़ने पर इस योजना की परिधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि उनकी सड़के नहीं बनेंगी। ऐसे गावों को किसी अन्य योजना के अंतर्गत जोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी योजना देश के महान नेता डा. लोहिया, चौ. चरण सिंह अथवा श्री जय प्रकाश नारायण के नाम से प्रारंभ की जानी चाहिए। बड़े गांवों के अतिरिक्त छोटे-छोटे जंगलों, ठारों, नालों को जोड़ने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

महोदय, बिजली के बारे में केंद्रीय सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। उत्तर प्रदेश में लाखों गांवों में बिजली नहीं है। भारत सरकार की जिम्मेदारी झोपड़ी में रोशनी लाने की होनी चाहिए। एक कानून बना कर तथा उसके लिए धन उपलब्ध करा कर प्रत्येक घर और प्रत्येक बस्ती और प्रत्येक ग्राम का संपूर्ण विद्युतीकरण कराना चाहिए। केंद्रीय सरकार अपने देश की जनता को स्वच्छ पानी तक नहीं पिला सकती है, उसे एक दिन भी सरकार में रहने का नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। लगभग सारी बीमारियां दूषित पानी से होती हैं। अगर दूषित पानी से बीमारियों का बोध लोगों को नहीं होता तो बिसलरी का तथा अन्य ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन इतने बड़े स्तर से क्यों हो रहा है? सभी को स्वच्छ पानी की सुनिश्चित व्यवस्था कराना सरकार का दायित्व होना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी को अपने इस दायित्व को स्वीकार करते हुए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करानी चाहिए।

महोदय, सिंचाई के बारे में कोई बड़ी परियोजना, जिससे खेती को ज्यादा से ज्यादा सिंचित किया जा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। चश्मा लगाने के बाद भी सिंचाई की बड़ी परियोजना दिखाई नहीं दे रही है। अंग्रेजों के जमाने में जो केनाल सिस्टम बना था, वह ज्यादा अच्छा था। उसी को संरक्षण एवं संवर्धन करने की आवश्यकता है। जब तक हर खेत को पानी नहीं मिलेगा, तब तक किसान का विकास नहीं होगा। देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से हो कर जाता है। गांव के बिना कभी शहर खुशहाल नहीं हो सकते हैं। शहर के बिना गांव खुशहाल हो सकते हैं।

मेरा लोकसभा क्षेत्र जलेसर शून्य उद्योग है। वहां उद्योग लगा कर ग्रामीण अंचल के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना चाहिए। जब तकेदेश के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक देश में अशांति रहेगी। पुरानी एनडीए सरकार तथा वर्तमान यूपीए सरकार ने नौजवानों को रोजगार देने की बात तो की, लेकिन समयबद्ध कोई कार्ययोजना नहीं बनाई। जब तक इंसान भूखा रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। खाली दिमाग शैतान की खोपड़ी होता है तथा उसमें हिंसात्मक विचार आते हैं। उत्तर प्रदेश की श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार बेरोजगार नौजवानों को हर एक क्षेत्र में रोजगार

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[प्रो. एस.पी. सिंह बघेल]

देने का प्रयास कर रही है तथा रोजगार न देने तक की अवधि में बेरोजगारी भत्ता देने की योजना बनाई किंतु केंद्रीय सरकार द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को स्पेशल पैकेज देने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश की उपेक्षा होने का अभिप्राय देश के बड़े भूभाग की उपेक्षा करना है। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा आपको आज ही करनी चाहिए।

आवास के बारे में जो इंदिरा आवास का उल्लेख है, वह पर्याप्त नहीं है। उसकी रकम बढ़ानी चाहिए। अभी भी एक बड़ी आबादी का हिस्सा धरती को बिछौना और आसमान को चादर समझ कर रह रहा है। सरकार को रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। एक कविता मुझे श्री आदम गोंडवी की याद आ रही है कि-

''फिलहाल जब नाशाद है दिल पर रख कर हाथ यह कहिए देश क्या आजाद है?

कोठियों से मुल्क के मेअॅर से मत आंकिए आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है''!

महोदय, इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की सोच परिलक्षित हो रही है। भारत की आत्मा का जिक्र बजट में नहीं है और हो भी कैसे सकता है क्योंकि दोनों लोगों की शिक्षा दीक्षा विदेशी है। हावर्ड की पढ़ाई का गांव की मिट्टी से कोई मेल नहीं है। हावर्ड का पढ़ा व्यक्ति लच्छेदार अंग्रेजी बोल सकता है। हाथ में बंधी घड़ी की कम्पनी और पैन की कंपनी, मानसिकता प्रदर्शित करती है। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू का मर्म वो लोग क्या समझेंगे जिन्होंने विदेशी चार्ली लेवेन्डर, मैक्सफैक्टर परफ्यूम लगाए हैं। विदेशी परफ्यूम्स की तीखी खुशबू में गांव की मिट्टी और खेत खलिहानों से उठने वाली सुगंध दब गई है। मेरी सोच है कि मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पूस की रात को हावर्ड में पढ़ने वाला, पंचसितारा होटलों में खाना खाने वाले, डनलप पिल्लों और ए.सी. में सोने वाले पढ़ तो सकते हैं, उसको घोटा लगा कर कंठस्थ तो कर सकते हैं, 90 परसेंट नम्बर भी ला सकते हैं लेकिन इस कहानी के पात्रों के दर्द और मर्म को नहीं समझ सकते हैं। वह उस दर्द और मर्म को नहीं समझ सके हैं जिसने एक पिछौरा में एक पुरानी चादर में जाड़ों की पूस की रात न काटी हो।

महोदय, ग्रामीण अंचल के बच्चों को दोहरी शिक्षा पद्धति की मार झेलनी पड़ रही है उनका कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि प्रथम स्तर की शिक्षा स्विस, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप के कालेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। भले ही वह ज्ञानी न हो, किंतु रोजगार मिल रहा है। दूसरी शिक्षा इन स्कूल शेरवुड स्कूल मायो कालेज और सिंधिया स्कूल में पढ़ रहे हैं। तीसरे प्रकार की शिक्षा पीटर, चार्ल्स जार्जेज नाम के स्कूलों में हर एक बड़े शहर में पढ़ाया जा रहा है। चौथी प्रकार की शिक्षा निजी विद्यालयों में पढ़ाई जा रही है और देहात गांव और किसान का बेटा वहां पढ़ रहा है। वह अव्वल स्कूल नहीं हैं। स्कूल हैं तो मास्टर नहीं हैं। मास्टर हैं तो साइन बोर्ड नहीं हैं। साइन बोर्ड हैं तो चॉक नहीं है। चॉक हैं तो बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं है। कुर्सी की बात तो छोड़िये। एक शिक्षा पद्धति जब तक नहीं होगी, जब तक राष्ट्रपति का और उसके चपरासी का बच्चा एक स्कूल में नहीं पढ़ता तब तक भारत महान नहीं होगा। जब तक पूरी हंढिया को एक सा नहीं सेंका जाएगा तो जो कच्चा चावल रह जाएगा, वह दर्द दे जाएगा। अतः सबको समान भोजन तथा शिक्षा और रोजगार का अवसर मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री धमेन्द्र यादव बोलेंगे। यद्यपि आप नए सदस्य है फिर भी मैं आपको केवल पांच मिनट का समय दे सकता हूं। माननीय सदस्यगण, यह इनका प्रथम भाषण है।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव (मैनपुरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैनपुरी लोक सभा उप चुनाव जीतने के बाद बजट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझ जैसे सबसे कनिष्ठ सदस्य को आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका स्वयं अपनी ओर से तथा मैनपुरी क्षेत्र की जनता की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदय, आजादी के समय, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश के किसानों, बुनकरों, नौजवान छात्रों ने जो लड़ाई लड़ी, जिस उम्मीद के साथ बापू के नेतृत्व में देश में आन्दोलन चलाया गया था, आज इस सदन के माध्यम से और माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या गांधी जी के वे सपने, नौजवान छात्रों के वे सपने आज तक पूरे हुए? *...(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): अब तो नकली गांधी आ गए हैं, असली गांधी तो चले गए। *...(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रथम भाषण है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि मेरे भाषण के बीच में टोका न जाए।

महोदय, बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश के किसानों ने, जिन्होंने रोजगार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया, उस क्षेत्र को हमारी आजादी के बाद से आज तक अधिकांश

सरकारें उपेक्षित करती चली आई हैं। आज हिन्दुस्तान के अंदर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हो रहा है, किसान त्राहि-त्राहि करने पर क्यों मजबूर हो रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि उनकी, अब तक की सरकारें उपेक्षा करती आई हैं। वित्त मंत्री जी की योजनाओं में यदि कुछ किसान को देने के लिए है, तो वह ऋण है और वह भी ऐसा ऋण जिसकी ब्याज दरें ऊंची हैं। क्या अधिक लागत और कम मूल्य मिलने के बाद किसान उस ऋण को चुका पाएगा? नहीं, फिर वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। चाहे फिर वह आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो। देश के कोने-कोने में किसान आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं।

महोदय, इस देश में खेती के बाद यदि सबसे अधिक रोजगार मिलता है, तो लघु और कुटीर उद्योगों में मिलता है। आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने खादी बुनने का आन्दोलन चलाकर आम आदमी की सीधे चरखे से जोड़ दिया और चर्खे को गांव-गांव में रोजगार देने का एक माध्यम बनाया। आज वह गांधी जी का चर्खा कहां है? आज हम लोग गांधी जी की दांडी यात्रा की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे वे कुटीर और लघु उद्योग जो गांधी ने शुरू किए थे, वे आज कहां हैं, क्या वे आज सुरक्षित हैं? आज बनारस का रेशम उद्योग, भदोई का कालीन उद्योग और फिरोजाबाद का कांच उद्योग या देश भर के छोटे-छोटे उद्योग कहां हैं? उनमें काम करने वाले आज बेरोजगार हो चुके हैं और वे उद्योग समाप्त होने के कागार पर खड़े हैं। इन उद्योगों से जुड़े हुए करोड़ों लोग आज पूरी तरह से बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति में हैं। हम आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि देश के कुटीर और छोटे उद्योगों को स्थापित किया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि वे इन उद्योगों को स्थापित करने हेतु कोई बड़ी और महत्वपूर्ण योजना लाएंगे।

महोदय, किसानों के बाद, इस देश में यदि कोई सबसे ज्यादा परेशान हैं, तो वे छात्र नौजवान है और नौजवानों ने आजादी की लड़ाई के समय जो आन्दोलन शुरू किया था, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आजादी के 57 वर्ष बीतने के बाद भी, विश्वविद्यालयों से निकले छात्रों को नौकरी की तलाश में दर-दर भटकना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से निकलने वाले कम से कम 80 से 90 प्रतिशत नौजवान आज बेरोजगारी की चपेट में हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि देश के नौजवानों के रोजगार की कोई विशेष योजना लाएं। मैं बताना चाहूंगा कि इस सरकार की उदारीकरण की नीति के अथवा इस सरकार की किसी योजना के विरुद्ध हम नहीं हैं। मैं आज आपके समक्ष खड़ा हूं और मैं इस मौके पर आपसे अपील करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्रों के लिए आप कोई ऐसी योजना लाएं जिससे उन्हें रोजगार के लिए भटकना न पड़े। मैं पूछना चाहता हूं कि आप उनके लिए कौन सी योजना लाए हैं? यह ठीक है कि हमें आपके द्वारा लाई गई योजनाओं का विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि ये योजनाएं इस देश की सर्वोच्च संस्था संसद द्वारा स्वीकार की गई हैं, लेकिन इस मौके पर मैं चिन्ता व्यक्त करूंगा और कहना चाहूंगा कि उदारीकरण के नाम पर 1991 से लेकर आज तक जो बड़ी-बड़ी बातें की गईं उनका क्या लाभ हुआ और उदारीकरण के दौर में हिन्दुस्तान के कितने लोगों को रोजगार मिला?

विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और बड़े-बड़े संस्थानों से निकलने वाले कितने नौजवानों को रोजगार मिला? आज तो इस समस्या के प्रति नौजवानों की चिन्ता और भावना है, उसे मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की गारंटी देने का जो वायदा किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही साथ वित्त मंत्री जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि केवल सौ दिन रोजगार देने से हिन्दुस्तान के नौजवानों का भला होगा, बाकी दिन वे क्या करेंगे, क्या सरकार इस बात की गारंटी देने जा रही है? माननीय मंत्री जी, इस मौके पर हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस देश की जितनी समस्याएं हैं-चाहे असम की हो, कश्मीर की हो या किसी भी प्रदेश की हो। नक्सलाइट्स से लेकर अन्य जो दुनिया में आंदोलन बढ़ रहे हैं, उन सब के मूल में अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो वह निश्चित रूप से बेरोजगारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम वित्त मंत्री जी से अपील एवं अनुरोध करेंगे कि जब हिन्दुस्तान की बड़ी-बड़ी गाड़ियों को चलाने के लिए, विदेशी गाड़ियों की मार्केट को बढ़ाने के लिए स्वर्ण चतुर्भुज से लेकर फोर लाईन की जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसके लिए अभी जैसे आदरणीय सुमन जी ने जिक्र किया कि विगत वित्तीय वर्ष में जो पैसा अलाट हुआ था, वह पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। किसान जो हिन्दुस्तान का सबसे कमजोर वर्ग है, इस वर्ग पर भी उस योजना को और आगे विस्तारित करने के लिए 50 पैसे का और अतिरिक्त उप-कर लगाया। मंत्री जी हम आपसे अपील करते हैं कि आप जब इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए उप-कर बढ़ा सकते हैं, हिन्दुस्तान के रोजगार कार्यालयों में 4.08 करोड़, आपके द्वारा जो दी हुई, आर्थिक समीक्षा है, उसके अनुसार है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं छात्र और नौजवानों के बीच में से निकल कर यहां आया हूं। हमें अनुमान है कि इस देश में तकरीबन दस से 12 करोड़ नौजवान बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं और उसमें से आधे से ज्यादा नौजवान ऐसे हैं, जो शिक्षित, पोस्ट ग्रेजुएट और बड़ी-बड़ी डिग्रियां लिए हुए हैं। आपने जो

[श्री धर्मेन्द्र यादव]

योजना लागू की है, वह निश्चित रूप से गांवों के गरीब लोगों के लिए जरूरत है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस योजना का लाभ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से निकलने वाले छात्र एवं नौजवान नहीं ले सकेंगे। वित्त मंत्री जी, आज इस मौके पर मैं आपसे अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा नौजवानों को रोजगार देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों की भी कुछ सीमाएं हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने हिन्दुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता देने के लिए केन्द्र सरकार कुछ सहयोग करे। हमें उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के बारे में सोचते हुए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के नौजवानों पर अपनी कुछ कृपा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बंगलौर में जो विज्ञान संस्थान है, उसे विश्वस्तरीय बनाने के लिए सौ करोड़ का प्रावधान किया है। मैं आपका इस कार्य के लिए स्वागत करता हूं और बधाई भी देता हूं तथा साथ-साथ अपील भी करता हूं कि बंगलौर के साथ-साथ देश के अन्य कोनों का भी आप ख्याल रखेंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ में सदन का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आज मेरे पहले वक्तव्य में इन्होंने मेरा इतना सहयोग किया एवं उत्साह बढ़ाया। आज जो नौजवानों की चिन्ता एवं समस्याएं हैं, उन्हें हम अपने इस वक्तव्य के माध्यम से आपसे अपील करेंगे कि बजट पास होने के बाद इस पर एक विशेष चर्चा का मौका दें, क्योंकि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या बेरोजगार नौजवानों की है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी उम्मीद के साथ आप सबका उत्साह, सहयोग और समर्थन आपके सबसे जूनियर सांसद को बना रहेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए बजट का इस उम्मीद के साथ समर्थन करता हूं कि उन्हें नौजवानों का पूरा ख्याल रहेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मणि चारेनामै-उपस्थित नहीं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2005-06 के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। सर्वप्रथम, मैं मंत्री महोदय को राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रत्येक पहलू की चर्चा करने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए ज्यादा ध्यान दिया है तथा अधिकांश समय उसी विषय पर लगाया है। यह बिल्कुल सही है क्योंकि कृषि ही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

तथापि, मैं बजट भाषण में कुछ बड़ी खामियों को पाकर चिंतित हूं जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र का सम्बंध है। कुल 5,14,344 करोड़ रुपये के परिव्यय में से कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन 6,949 करोड़ रुपये है जो कुल परिव्यय का 1.25 प्रतिशत है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की मूल और घोर उपेक्षा तभी हुई होगी जब वित्त मंत्री बजट बनाने से पूर्व किसानों और किसान संगठनों से विचार-विमर्श करने में असफल रहे होंगे। प्रतिवर्ष बजट बनाने से पूर्व सामान्यत: वित्त मंत्री फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स, भारतीय उद्योग महासंघ, ट्रेड यूनियनें और देश के विभिन्न अन्य शेयरधारकों से विचार-विमर्श करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस वर्ष, जहां तक मुझे जानकारी है, वित्त मंत्री किसानों या किसान संगठनों से उनके समक्ष उपस्थित कठिनाइयों के बारे में विचार-विमर्श करने में असफल रहे। मुझे उम्मीद है कि कम से कम अगले वर्ष से वित्त मंत्री इस सुझाव पर ध्यान देंगे।

बजट में कुछ अन्य बड़ी भूलें भी हुई है। यद्यपि वित्त मंत्री ने देश में कृषि विकास के विभिन्न पहलुओं की चर्चा बजट भाषण में की है, फिर भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता, की चर्चा नहीं है। पहला जैव कृषि है तथा दूसरा बायो-गैस संयंत्र का विकास है। जैव-कृषि वर्तमान और भविष्य की जरूरत है। हमें इस पहलू पर काफी विचार करना होगा तथा इसे समर्थन करेंगे। हमारे पास कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक की कोई प्रमाणित करने वाली एजेंसी भी नहीं है। केवल एक प्रमाणित करने वाली एजेंसी है और वह भी केरल में उपस्थित है। लेकिन इस प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा प्रमाणित किए गए उत्पादों को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वीकृति के लिए किसी विदेशी एजेंसी से पुन: प्रमाणित करवाना पड़ता है। सरकार को इस पर उचित ध्यान देना चाहिए।

अब हम बायो-गैस की चर्चा हमारी ग्रामीण ऊर्जा की जरूरतों का समाधान है। रसोई बनाने तथा प्रकाश के लिए यह सबसे सस्ती ऊर्जा होगी। हम लगभग एक लाख से डेढ़ लाख के करीब बायो-गैस संयंत्र का निर्माण कर रहे थे। लेकिन अगले साल का बजट मात्र 12,000 संयंत्रों का है। इस विशेष परियोजना को कृषि मंत्रालय को सौंपा जाना चाहिए। लेकिन इसकी देख-रेख अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा की जा रही है। दुर्भाग्यवश पूर्ववर्ती सरकार ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की पूरी तरह अनदेखी कर दी थी। माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि बायो-गैस और बायोगैस संयंत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए वे और ज्यादा धन आवंटित करें ...*(व्यवधान)* मैंने सिर्फ दो मिनट का समय लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप पांच मिनट बोल चुके है। मैं घड़ी देख रहा हूं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, मैं अंतिम सदस्य हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, अभी भी तीन माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में चर्चा है। इस कार्यक्रम को दक्षता विकास के साथ जोड़ा जाना चाहिए। बजट भाषण में दक्षता विकास के सम्बंध में उल्लेख है। इसे इस विशेष कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

वित्त मंत्री ने बड़ी उदारतापूर्वक वृक्षारोपण क्षेत्र के बारे में चर्चा की है। पिछले तीन या चार वर्षों से वृक्षारोपण क्षेत्र में भारी संकट में है। पूरे देश में करीब एक लाख से ज्यादा वृक्षारोपण से सम्बंधित श्रमिक बेरोजगार हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र, केरल का इदुक्की जिले में अठारह वृक्षारोपण कार्य बंद हो गए है। पिछले तीन वर्षों से 30 हजार से अधिक श्रमिक बेरोजगार है। इसे पुनर्जीवित करने तथा पुन: वृक्षारोपण से भी इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। वित्त मंत्री इस माननीय समस्या पर ध्यान दे। चाय की झाड़ियों या काफी के पौधों के जीर्णोद्धार या पुन: रोपण मात्र से वृक्षारोपण की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हमें वृक्षारोपण को पुन: शुरू करना होगा। हमें वृक्षारोपण श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराना होगा राज्य अकेले इसे नहीं कर सकता। उदार केन्द्रीय सहायता देना होगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री इस कठिन समस्या के प्रति उदारतापूर्ण रवैया दिखाएंगे।

ज्ञान केंद्र तथा राष्ट्रीय रणनीतिक कृषि अनुसंधान कोष की स्थापना की चर्चा है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। जब हम प्रत्येक गांव में एक ज्ञान केन्द्र की कल्पना करते है तो हमें एक बात का ध्यान रखना होगा। डा. स्वामीनाथन समिति ने ग्रामीण किसानों के लाभ के लिए कृषि क्षेत्र में जानकारी के प्रचार के लिए सभी गांवों को उपग्रहों के माध्यम से जोड़कर तथा दूरदर्शन और स्थानीय चैनलों का उपयोग करते हुए प्रभावशाली विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही थी।

''पूरा'' (पी.यू.आर.ए.)-ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करना नामक योजना के संबंध में उल्लेख किया गया है। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका उल्लेख राष्ट्रपति जी सदा अपने अभिभाषण में किया करते हैं। यही एक कार्यक्रम है जिसकी चर्चा राष्ट्रपति जी ने हमेशा की। ग्रामीण क्षेत्र को शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना उनका प्रिय कार्यक्रम है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि कुछ ही प्रायोगिक परियोजना होंगी। नगर निगम से लगने वाली पंचायतों से जुड़े क्षेत्रों में पूरे देश में बड़े पैमाने पर कार्य किए गए हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इन सभी परियोजनाओं को स्वीकृति दें जिन्हें पूरा (पी.यू.आर.ए.) योजना के सम्बंध में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपा गया है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको धन्यवाद। कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: मुझे पूरा करने दीजिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कई अन्य कार्य भी है। चूंकि आप मुझे रूकने को कह रहे हैं, इसलिए मैं इसे समाप्त करने के लिए चिंतित हूं। एक बार पुन: मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे एक लाख तक के कृषि-ऋण पर ब्याज तथा दंडात्मक ब्याज को माफ करें। ऐसा उन गरीब किसानों को मदद देने को ध्यान में रखते हुए करना है जो पिछले कई वर्षों से इस देश में सैकड़ों और हजारों की संख्या में आत्महत्या करते रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य** (करीमगंज): महोदय, देश के तत्काल आवश्यकता और भविष्य में विकास के लिए वर्ष 2005-06 के बजट में व्यवहारिक तथा दूरदर्शी प्रयास के लिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। यह एक सुंतलित बजट है जिसका लक्ष्य विकास और सामाजिक न्याय है।

एक विकासशील देश से विकसित देश के रूप में हमारे देश का 2010 तक परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने विशाल मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदल सके। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के आवंटन को दोगुना कर दिया है।

गत वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के आवंटन 8,225 करोड़ रुपये था। इस वर्ष माननीय वित्त मंत्री ने इसे बढ़ाकर 18,337 करोड़ रुपये कर दिया है। शिक्षा पर उनका यह जोर उनके प्रस्ताव में और परिलक्षित होता है जिसमें उन्होंने एमफिल और डाक्टरेट की डिग्री वाले पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी फेलोशिप योजना की शुरूआत की है तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी की है। माननीय वित्त मंत्री ने इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस बंगलौर को विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय में परिवर्तन करने हेतु भी निधियां आवंटित की हैं।

लगभग 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा जिसमें से 67 को उद्योगों से जोड़ा जाएगा। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में बदलना है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य]

माननीय वित्त मंत्री ने समाज के सभी वर्गों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया है। वेतनभोगी वर्ग तथा वरिष्ठ नागरिक आय कर राहत से खुश हैं। कुछ क्षेत्रों ने कर राहत तथा विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन राशि से व्यापारी वर्ग भी खुश है।

इस बजट की अद्वितीय विशेषता यह है कि प्रथम बार इसके तहत लिंग समानता पर विचार किया गया है। माननीय वित्त मंत्री लम्बे समय से चल रहे पुरुष तथा महिला के बीच के भेद-भाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

अस्सी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। माननीय वित्त मंत्री ने उनके उन्नयन और विकास के लिए कुछ उपबंध किए हैं जिनकी लम्बे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। कृषि के विविधीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय निधि निर्धारित की है ताकि कार्यबल की सिफारिश को क्रियान्वित किया जा सके। 15 अगस्त, 2007 से पहले 'नाबार्ड' की सहायता से प्रत्येक गांव में ज्ञान केन्द्र होगा।

11,000 करोड़ रुपये की धनराशि रोजगार सृजन के लिए आबंटित की गई है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत 150 जिलों को शामिल किया जाना है, 60 लाख नए मकानों का निर्माण होगा, 74,000 गांवों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी; 125,000 गांवों को विद्युतीकरण किया जाएगा तथा 16,822 गांवों को टेलीफोन सुविधाएं मिलेंगी। वर्तमान जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार 1,88,168 से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना की जाएगी जो एक स्वागतयोग्य कदम है।

भारत में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों के लिए जनसंख्या का मानदण्ड 500 है। इसके अलावा, एक करोड़ हैक्टेयर भूमि सुनिश्चित सिंचित प्रणाली के अंतर्गत आएगी। ग्रामीण क्षेत्र में ये लाभ प्रदान करने में अभूतपूर्व निवेश होगा जोकि नि:संदेह ग्रामीण क्षेत्र को एक विकास माध्यम में बदलने का एक साहसिक कदम है। अर्थव्यवस्था तभी गतिशील होगी जब ग्रामीण जनसंख्या की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इन कदमों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी कम होगी और ग्रामीण क्षेत्र में आय सृजन होगा।

महोदय, हम असम में वित्तपोषित शिक्षा की समस्या का सामना कर रहे हैं। हजारों स्कूल और कालेजों में जहां अध्यापक लम्बे समय से अवैतनिक सेवा प्रदान कर रहे हैं, धन की कमी के कारण उनको उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है। कुल मिलाकर शिक्षक समुदाय में असंतोष है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि एक विशेष उपबंध कीजिए ताकि हमारी राज्य सरकार उन कुछ स्कूलों और कालेजों का अधिग्रहण कर ले जिन्हें बहुत पहले मान्यता दी गई थी लेकिन धन के अभाव में इन्हें शुरू नहीं किया जा सका।

चूंकि पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, गांवों में मकान बनाने तथा सड़कों से जोड़ने का उपबंध है इसलिए हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आशा की किरण देखते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सीमावर्ती जिलों के लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे और पर्याप्त धनराशि आबंटित करें ताकि ग्रामीण लोगों की मूल समस्याओं का उन्मूलन किया जा सके।

हमें कृषि और चाय उद्योग विरासत में मिला है। हम चाहते हैं कि इन क्षेत्रों को देश के अन्य भागों के समान विकसित किया जाए। विकास असंतुलन कम किया जाना चाहिए।

हमें प्रसन्नता है हमें विनाशकारी बाढ़ से बचाने के लिए बराक और ब्रह्मपुत्र नदियों के लिए बजट में उपबंध किए गए है। हमें सिल्चर-तुपुल तथा कुमारघाट-अगरतला को राष्ट्रीय परियोजना सहित लंबे समय से लंबित लुम्बडिंग-बदरपुर रेल खण्ड घोषित करने तथा पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए विशेष उपबंध किए जाने की भी प्रसन्नता है। इन परियोजनाओं के पूरे होने पर हमें और अधिक खुशी होगी।

दक्षिण असम के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग है कि कोलकाता के लिए माल ले जाने वाले जलमार्गों को खोल दिया जाए। इससे त्रिपुरा और मणिपुर को भी फायदा होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि बंग्लादेश से होते हुए बराक-कुशियारा से कोलकाता में हुगली नदी तक जलमार्गों को पुन: खोलने की हमारी मांग पर विचार किया जाए।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो राजस्व जिले-करीमगंज, हेलाकांडी तथा कछार जिले का भाग शामिल है, जो राज्य का बहुत पिछड़ा इलाका है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की आधी सीमा बंग्लादेश से लगती है। मुझे आशा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जिलों को पिछड़े जिलों की सूची में शामिल किया जाएगा जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष उपबंध किया गया है। यदि इसे शामिल नहीं किया गया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप इन तीनों जिलों अर्थात् करीमगंज, हेलाकांडी तथा कछार को पिछड़ा क्षेत्र के उपबंधों के लिए विशेष अनुदानों के अंतर्गत शामिल कर लें।

[हिन्दी]

***श्री निखिल कुमार चौधरी** (कटिहार): वर्ष 2005-06 का आम बजट किसान विरोधी तथा जन विरोधी है। कृषि लघु उद्योग और असंगठित क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इससे केवल शहरी उच्च आय वर्ग को लाभ होगा। इसमें श्रमिकों के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लिए कुछ नहीं है। इस बजट से कीमतें और बढ़ेंगी। वेतनभोगी कर्मचारियों को अब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। डीजल-पेट्रोल पर उपकर लगाने से महंगाई बढ़ेगी। वैट को सभी राज्यों से सलाह-मशवरे के बाद समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। बिहार को विशेष पैकेज देने को वित्त आयोग से जोड़ना एक मजाक है। इसके लिए विशेष पैकेज सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए संयुक्त रूप से 180 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो नाकाफी हैं। एक तरफ जहां सरकार शुरू से स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात करती रही है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मद के लिए की गई धन की व्यवस्था आवश्यकता से बहुत कम है। दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के सरकारी अस्पतालों में बढ़ते मरीजों की संख्या के हिसाब से आबंटित धनराशि नाकाफी है। खासकर दिल्ली का एकमात्र बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला अस्पताल कलावती सरन की स्थिति अत्यंत ही खराब है। इस स्थिति में इस अस्पताल का बजट 17.25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 18.07 करोड़ रुपये करना बहुत ही कम है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के संबद्ध उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग की योजना भेदभावपूर्ण है। इसे दूसरे समुदायों, गरीब, पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले युवाओं के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। मिड-डे मील स्कीम में प्रति बच्चा एक रुपये की दर से खाद्यान्न और इसके पकाने की लागत पर किसी भी बच्चे की लागत पर किसी भी बच्चे को भर पेट भोजना करना संभव नहीं दिखता है। इस राशि को एक रुपये से बढ़ाकर कम से कम दो रुपये के खाद्यान्न की व्यवस्था की जानी चाहिए। परंतु बजट का काला धब्बा लघु स्तर उद्योगों की 108 मदों की आरक्षण सूची से बाहर कर देना है और इनमें 30 मदें टैक्सटाईल उत्पादों, जिनमें हौजरी भी शामिल है, से संबंधित है। जहां दावा किया जा रहा है कि टैक्सटाइल क्षेत्र अगले पांच वर्षों में 1.2 करोड़ नौकरियां कायम करेगा, वहां प्रासंगिक प्रश्न यह है कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की अपेक्षा कारखाना क्षेत्र को बढ़ावा देगा। टैक्सटाइल क्षेत्र की 30 मदों के अनारक्षण से तो यही स्वाभाविक परिणाम होगा कि हस्तकरघा और पावरकरघी पर आधारित विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की बजाए कारखाना क्षेत्र प्रोन्नत होगा। बजट का काला धब्बा इस बात को उजागर करता है कि इसके नतीजे के तौर पर लघु स्तर क्षेत्र की इकाइयों में सघनता बढ़ जाएगी। यह सब प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की आड़ में किया जा रहा है।

श्री चिदम्बरम की रोजगार जनन रणनीति में एक और त्रुटि यह है कि आगामी पांच वर्षों में अधिक रोजगार जनन का ढिंढोरा पीटती है।

परन्तु 2005-06 में कुल रोजगार सृजन का लक्ष्य तय नहीं करती। अत: जो प्रश्न वित्त मंत्री द्वारा टाला गया है, वह यह है कि रोजगार जनन के विशेष प्रोग्रामों एवं प्रोजेक्टों का कुल रोजगार पर क्या असर होगा? इस संदर्भ में यह उल्लेख करना सही होगा कि वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर विश्व श्रम संगठन द्वारा स्थापित विश्व आयोग ने यह सिफारिश की कि विभिन्न देशों के लिए यह बुद्धिमता का प्रमाण होगा कि वे रोजगार के लक्ष्यों को बजटीय प्रक्रिया के अंग के रूप में स्वीकार करें और नीति निर्णयों में स्पष्ट रूप से रोजगार पर प्रभाव का विश्लेषण करें। बजट में रोजगार के बारे में उच्च स्तर पर बयानबाजी की गई है परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न क्षेत्रों एवं समग्र अर्थव्यवस्था के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित किए जाएं ताकि पूर्ण रोजगार के लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग निर्धारित किया जा सके।

2005-06 के बजट का एक उज्ज्वल पहलू यह है कि इसमें ऐसे आर्थिक प्रोग्रामों की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया है जो समाज के कमजोर वर्गों की ओर निर्देशित है। उदाहरणार्थ, इसने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए 2005-06 की अवधि के लिए 5400 करोड़ रुपये का आवंटन तय किया है। इसके साथ इस प्रोग्राम के लिए 50 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसका मुख्य उद्देश्य इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में परिवर्तित करना है। इसी प्रकार यह अन्तयोदय अन्न योजना का विस्तार 2.5 करोड़ परिवारों तक करना चाहती है। इसके अतिरिक्त, सर्वशिक्षा अभियान पर आवंटन जो 2004-05 में 4752 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2005-06 के लिए 7156 करोड़ कर दिया गया है। 50 प्रतिशत की वृद्धि। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अधीन 2.16 लाख को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। स्त्री एवं बाल कल्याण के लिए 14739 करोड़ रुपये की भारी राशि की व्यवस्था की गई है और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 2005-06 के बजट में 6253 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

भारत निर्माण के अधीन बजट से 2009 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य तय किए हैं-एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई, गरीबों के लिए 60 लाख मकान, 1.2 लाख ग्रामों को बिजली मुहैया कराना और इस प्रकार 2.3 करोड़ बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना और 66822 ग्रामों को टेलीफोन से जोड़ना। किन्तु ग्रामीण भारत के लिए यह लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात् बजट यह नहीं बताता कि इनकी प्राप्ति के लिए कितने निवेश की आवश्यकता होगी। इसे अस्पष्ट ही छोड़ दिया गया है। तब भी वित्त मंत्री को इस बात के लिए श्रेय देना होगा कि उन्होंने ग्राम विकास की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

[श्री निखिल कुमार चौधरी]

बजट में निहित काले धब्बों का विश्लेषण करना रूचिकर होगा। सर्वप्रथम, यह बजट राजकोषीय घाटे को कम करने में विफल रहा है। संकेतों के आधार पर 2005-06 में राजकोषीय घाटा 1,57,144 करोड़ रुपये होगा। अर्थात् सकल देशीय उत्पाद का 4.3 प्रतिशत यह 2004-05 के 4.5 प्रतिशत के स्तर से थोड़ा नीचे है। इसका मुख्य कारण भारी राजस्व घाटा है जो कुल रुपये 95,312 करोड़ रुपये या सकल देशीय उत्पाद का 2.7 प्रतिशत होगा। यह वही स्तर है जो 2004-05 में वर्तमान में था। इसकी विफलता का मुख्य कारण कुल कर राजस्व प्राप्तियों में कमी होना है। 2004-05 में 3,17,733 करोड़ रुपये की कुल राजस्व प्राप्ति के विरुद्ध संशोधित अनुमान इससे 3,06,021 करोड़ की प्राप्ति का संकेत देते हैं। 15,721 करोड़ रुपये की कमी। संघीय उत्पाद शुल्कों एवं निगम कर में भी गंभीर रूप से कमी के संकेत मिले हैं। फिर भी बजट 2005-06 में कुल कर राजस्व में लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। इसके बावजूद निगम कर को 35 से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसके साथ 10 प्रतिशत का अधिभार लगाया गया है। वित्त मंत्री यह आशा करते हैं कि 2005-06 में इससे 1,10,573 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। जबकि इससे 2004-05 में केवल 83,000 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है अर्थात इसमें 32.2 प्रतिशत वृद्धि होगी। यह बात समझ से बाहर है कि वित्त मंत्री इतने आशावादी क्यों हैं जबकि 2004-05 में इस मद में 5436 करोड़ रुपये की कमी अनुभव की गई। इसी प्रकार 2005-06 में संघीय उत्पाद शुल्कों से राजस्व में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। जबकि इसके विरुद्ध बजट का एक और काला धब्बा यह विधि है जिसके अनुसार योजना व्यय को 2005-06 में 84529 करोड़ रुपये था बढ़ाकर 2005-06 में 40385 करोड़ रुपये कर दिया गया, परन्तु यह राज्यों की कीमत पर किया गया है जिन्हें केन्द्रीय योजना सहायता 2004-05 में 54,058 करोड़ की भारी कटौती। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सार्वजनिक उद्यमों के आन्तरिक एवं बाह्य बजटीय संसाधनों से प्राप्ति जो 2004-05 में इस मद में अनुमान की अपेक्षा 7545 करोड़ की कमी व्यक्त हुई। सरकार एक ओर तो इनमें अपनी हिस्सा पूंजी घटाकर 51 प्रतिशत करना चाहती है, परन्तु दूसरी ओर यह आशा करती है कि इस मद से 32,564 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाए। सरकार की नीति में अन्तर्विरोध है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त होने वाले बजटीय संसाधनों का अत्यनुमान लगाया गया है।

एक और काला धब्बा ब्याज का बढ़ता हुआ बोझ है जो 2004-05 में 1,22,905 करोड़ से बढ़कर 2005-06 में 1,33,945 करोड़ रुपये हो जाएगा, अर्थात् 8040 करोड़ रुपये की वृद्धि। देश में घटती हुई ब्याज दरों की पृष्ठभूमि में ब्याज का बढ़ता हुआ भार यह स्पष्ट संकेत देता है कि बढ़ते हुए राजस्व घाटे के परिणामस्वरूप बाजार उधार पर अधिकारिक प्रयोग इस खाई को पाटने के लिए किया जा रहा है। यह कुल राजस्व प्राप्तियों का 38 प्रतिशत है जो कि बहुत ऊंचा स्तर है और इसे कम करने की जरूरत है।

इसके बाद दो और कर हैं जिनका लक्ष्य वित्त मंत्री के अनुसार काले धन संबंधी सौदों को कम करना है। पहला है बैंकों से 10,000 रुपये के ऊपर नकद निकासी जिनमें समावधि जमा ड्राफ्ट एवं चैक भी शामिल है, पर 0.1 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है। जहां तक नकद निकासी का संबंध है इसका सत्तारूढ़ एवं विपक्ष दोनों ने ही विरोध किया है। परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 0.1 प्रतिशत की दर का तुच्छ कर किस प्रकार काले धन को सीमित कर सकता है। वित्त मंत्रालय ने यह तर्क दिया है कि इससे काले धन रूपी आय की पहचान की जा सकेगी, जिस पर आयकर या निगम कर का बचन होता है। परन्तु यह तो प्रत्येक नकद निकासी पर पैन नम्बर अनिवार्य बनाने से भी प्राप्त हो सकता है। दूसरे, बैंक क्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण के कारण यह लक्ष्य तो इस कर को लगाए बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि सरकार इस बारे में गंभीर होती, तो वह 2003-04 की नकद निकासियों का विश्लेषण करा सकती थी और इस कर से संभावित राजस्व प्राप्ति का अनुमान भी लगा सकती थी। बजट संबंधी दस्तावेजों में इस प्रकार से कुछ दिखायी नहीं देता जैसा कि सर्वविदित है बहुत बड़ी मात्रा में नगद-सौदे बिना बैंक से नगद निकासी लिए किए जाते हैं उदाहरणार्थ, वास्तविक जायदाद के सौदों को एक भाग बैंक से नकद निकासी द्वारा, परन्तु मुख्य भाग नकदी (करेन्सी नोटों) के रूप में किया जाता है। वास्तविक समस्या यह है कि काले धन का जनन एजेंसियों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से होता है।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि यह श्री पी. चिदम्बरम का बजट नहीं एक ओर वामपंथियों की मांगों को सन्तुष्ट करने का प्रयास करता है क्योंकि वे संप्रग सरकार का समर्थन कर रहे हैं, यह दूसरी ओर पूंजीपति लाबियों को संतुष्ट करने की क्रिया है जो संघीय उत्पाद शुल्कों और निगम कर को कम करने का दबाव डालते रहे हैं। यह बजट इन दोनों के बीच एक सन्तुलनकारी प्रक्रिया है। निगम क्षेत्र ने वित्त मंत्री की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने निगम कर कम कर दिया और संघीय उत्पाद शुल्क भी घटा दिए। मध्यम वर्ग ने भी महसूस किया कि वित्त मंत्री ने आयकर की छूट की सीमा बढ़ाकर उन्हें राहत दी है और यह जानकर कि एक लाख रुपये तक की बचत को कर योग्य आय को सीधा घटाने के प्रस्ताव ने इन्हें और राहत दी है। वामपंथियों और बाजार लाबियों को प्रभावी रूप से सन्तुष्ट करने के लिए, वित्त मंत्री को पूंजीपतियों को मोहने की उचित उपाधि दी गई है। अत: वामपंथियों ने अनिच्छा से बजट प्रस्तावों पर एक

छोटी सी टिप्पणी करके इन्हें स्वीकार कर लिया है कि श्री चिदम्बरम हमारी मांगों को पूरा करने के लिए और अधिक भी कर सकते थे। इसके विरुद्ध फिक्की, एसोचैम और सीआईआई ने इन प्रस्तावों की झूठी प्रशंसा की है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कोई नीति संबंधी उपचारों का जिक्र किया। उन्होंने निजीकरण और श्रम कानूनों में सुधार के मुद्दे को कालीन के नीचे दबा दिया। वहीं उन्होंने 2005-06 के लिए विनिवेश के कोई लक्ष्य निर्धारित किया। यह बस अपने पूर्ववर्तियों से भिन्न थी। उन्होंने लघु स्तर क्षेत्र की 108 मदों के अनारक्षण की घोषणा करने की गलती अवश्य की। परन्तु बजट के लिए जितनी प्रशंसा की लहर के परिणामस्वरूप इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया नहीं हुई।

बजट के सफेद धब्बों में उल्लेखनीय है रोजगार, ग्रामीण आधार संरचना और सामाजिक क्षेत्र पर बल की ओर परिवर्तन इन क्षेत्रों के लिए अधिक वित्तीय आवंटनों से संप्रग सरकार की प्राथमिकताओं के बदलाव का संकेत मिलता है।

किन्तु कई काले धब्बे भी हैं। उनमें उल्लेखनीय है राजस्व घाटे और परिणामत: राजकोषीय घाटे को कम करने में विफलता, विभिन्न करों के बारे में अति आशावादी एवं अवास्तविक अनुमान जिनके परिणामस्वरूप राजस्व का उत्यनुमान करना कर संकट देशीय उत्पाद को बढ़ाने में विफलता, पूंजी व्यय में आयी कमी, सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त होने वाले आन्तरिक एवं बाह्य बजटीय संसाधनों के अवास्तविक अनुमान, सरकार का ब्याज भार को कम करने में असमर्थ रहना और नकद निकासी कर द्वारा काले धन के दुष्प्रभावों को रोकने का खोखला उपाय। यह उम्मीद की जाती है कि वित्त मंत्री भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय समीकरण कायम करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्रीमती के. रानी से केवल दो मिनट बोलने का अनुरोध करूंगा।

श्रीमती के. रानी (रासीपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे वर्ष 2005-06 के सामान्य बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है।

हमारी दैवी प्रतिभायुक्त नेता श्रीमती सोनिया गांधी संप्रग सरकार की अध्यक्ष के मार्गनिदेशन में तथा प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हमारे दूरदर्शी वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट काफी हद तक पिछले वर्ष के बजट की भांति लोकप्रिय सिद्ध होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण पढ़ रही हैं। आप इसे सभापटल पर भी रख सकती हैं।

श्रीमती के. रानी: इस बजट में अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक बेहतरी पर विशेष ध्यान दिया गया है। अल्पसंख्यकों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु अनेक उपबंध किए गए है जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का एक निश्चित प्रतिशत मुख्यत: अल्पसंख्यक जिलों अथवा विकास खण्डों में खोला जाएगा।

ये इस बजट के सर्वाधिक प्रशंसनीय पहलू हैं। इसके अलावा स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बजट में 1335 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है।

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परीक्षा पूर्व कोचिंग योजनाओं में प्रसिद्ध निजी कोचिंग संस्थाओं को भाग लेने की अनुमति दे दी गई है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु एक नई योजना बनाई गई है। इस प्रयोजनार्थ कुछ विख्यात शैक्षिक/व्यावसायिक संस्थानों की सूची तैयार की जाएगी जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की बढ़ी हुई छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि वे फीस दे सकें; दैनिक शैक्षणिक व्यय पूरा कर सकें तथा किताबें और कम्प्यूटर खरीद सके। इस बजट में कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों में पी.एचडी अथवा एम.फिल कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी फैलोशिप शुरू करने का भी उपबंध है। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं जो व्यावसायिक कालेजों में पढ़ रहे हैं। वे स्वयं फीस देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वे ऋण प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास जा रहे हैं। लेकिन बैंक प्राधिकारी इसके लिए बैंक, प्रतिभूति की मांग करते हैं। यदि वे आवश्यक प्रतिभूति दे भी दें तो बैंक अधिकारी उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं और केवल 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को ही ऋण मिल रहा है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को ऋण स्वीकृत करने हेतु सभी बैंक प्राधिकारियों को उचित अनुदेश जारी करें। यदि ऐसा हो जाता है तो सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी तथा उनके परिवार माननीय वित्त मंत्री के अत्यधिक आभारी रहेंगे।

बजट से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने आर्थिक सुधार के अपने कार्यक्रम को जारी रखने के बावजूद समाज के सभी वर्गों के लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की है।

इस बजट में वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसका उद्देश्य समुदाय स्वामित्व पर आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य

[श्रीमती के रानी]

सेवाओं का सुदृढ़ीकरण है, की घोषणा करके सामाजिक क्षेत्र के लिए अधिक चिंता व्यक्त की है। गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की जा रही है।

इस बजट में वेतनभोगी वर्ग को पर्याप्त कर राहत दी गई है। उदाहरण के लिए 1.5 लाख के वेतन पर आयकर के रूप में 8,000 रुपये की बचत को 13,000 से कम करके 5,000 रुपये कर दिया गया है। स्व रोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए आयकर बचत अधिक है क्योंकि 19,000 रुपये कर को कम करके 5,000 रुपये कर दिया गया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने संप्रग सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में आम आदमी को किए गए वायदे पूरा करने की कोशिश की है।

इस बजट में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने, वित्तीय समेकन बढ़ाने तथा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने को प्रमुखता दी गई है। यह बजट आशावादी है और मुझे आशा है कि यह उच्च आर्थिक विकास में सहायक होगा जिससे वर्ष 2005-06 के दौरान रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं।

***श्री रायापति सांबासिवा राव** (गुंटूर): महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और संप्रग की सभापति श्रीमती सोनिया गांधी के सक्षम मार्गदर्शन में वर्ष 2005-06 के लिए एक जनहितैषी बजट प्रस्तुत किया है।

महोदय, मैं बजट का स्वागत करता हूं और माननीय वित्त मंत्री को उनके द्वारा किए गए ग्रामीण विकासोन्मुखी प्रस्ताव का दिल से स्वागत करता हूं।

सर्वप्रथम, कृषि उत्पादों के लिए तर्कसंगत तथा लाभकारी कीमतों के लिए इस बजट में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसमें एकाधिपत्य वाले व्यापारियों या उद्योगों और स्वार्थी तत्वों द्वारा उत्पादकों के शोषण को रोकने के लिए उनको कीमतों के भुगतान सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी विपणन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी विपणन विनियमन का अभाव है।

माननीय वित्त मंत्री ने "कृषि विपणन अवसंरचना का विकास और सुदृढ़ीकरण" नामक एक नई योजना की शुरूआत करने का प्रस्ताव किया था और उन्होने दी गई सहायक सेवाओं का उल्लेख नहीं किया है।

अक्सर, विद्वान अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक अधिक उपज, उत्पादकता, गुणवत्ता आदि की बात करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वे कृषि उत्पादों के लिए दी जाने वाली कीमतों के बारे में कुछ नहीं करते। उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य पाने हेतु उन्हें सक्षम बनाना होगा। कृषि श्रमिकों को उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, हथकरघा बुनकरों को उनके उत्पादों के लिए उन्हें उचित मूल्य मिलना चाहिए तथा ग्रामीण कारीगरों को उनके उत्पादों के लिए उन्हें उचित मूल्य मिलना चाहिए। जब तक ये बातें सुनिश्चित नहीं होंगी तब तक ग्रामीण लोगों की क्रय क्षमता में सुधार नहीं हो सकता। यह अपेक्षा करना बहुत ही अनुचित है कि ग्रामीण लोग दान और सबसिडी पर जीते रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के सभी उत्पादकों की जेब में पैसा जाना चाहिए। तभी अपनी पसंद, अपने आत्म सम्मान और जरूरतों के लिए खरीददारी करने के लिए उनकी क्रय क्षमता का विकास होगा और उनकी प्रतिरक्षा रह सकती है तथा समाज में उनकी अपनी पहचान बरकरार रह सकती है।

अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्व-रोजगार, स्व-अर्जन तथा स्वयं द्वारा क्रय से ही गरीबी उपशमन संभव है। ग्रामीण लोगों को लोगों या संस्थानों से भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। ग्रामीण लोगों को चाहिए कि वे जीने तथा अपने कार्य संचालन के लिए स्वयं के वित्तपोषण के लिए सक्षम हो, तथा अपनी उत्पादन संबंधी गतिविधियों को वे अपने उत्पादन के बल पर स्वयं चला सके न कि निजी क्षेत्र की दया पर निर्भर करें। राज्य की नीति अथवा कार्यक्रम में आत्मनिर्भरता तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए आत्म-सम्मान पाने का लक्ष्य होना चाहिए।

स्वराज के 60 वर्षों के बाद भी हम ग्रामीण लोगों के भाग्य को बदलने हेतु कोई वास्तविक पूर्ण, व्यापक और प्रगतिशील नीति अपनाने में पूरी तरह असफल रहे हैं। यह सचमुच में दु:खद है। प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता, स्वस्थ जलवायु परिस्थितियों और मेहनती लोगों, जो कठिन श्रम, धर्म और सत्य में विश्वास करते हैं तथा जिनकी 5,000 वर्षों की समृद्ध संस्कृति है, का लाभ लेते हुए विश्व में भारत का तिरंगा आकाश में ऊंचा लहराना चाहिए।

भारत में ग्रामीण लोगों के नेताओं द्वारा ग्रामीण लोगों के लिए एक समान कीमतों के लिए किया जाने वाला लगातार आंदोलन अरण्यरोदन बन गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अपील करना चाहूंगा कि वे संगठित तथा कठोर व्यापारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को शोषण से बचाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करें। ग्रामीण जनता का शोषण कम करने तथा उन्हें न्याय सुनिश्चित करने के लिए उनके उत्पादन के लिए ग्रामीण उत्पादकों को दिये जाने वाले तथा उपभोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले खुदरा मूल्यों के बीच उचित अनुपात होना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री से व्यावसायिक खाद्यान्नों आदि सभी कृषि उत्पादों के विपणन को

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विनियमित करने के लिए व्यापक तथा आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए कदम संबंधी तत्काल आवश्यकता पर विचार करें। जब कभी बाजार में भारी गिरावट आती है तो बाजार में हस्तक्षेप के लिए भारत सरकार को मिर्च तथा तम्बाकू की प्रत्येक फसल के लिए 100 करोड़ रुपये रखने चाहिए। इससे किसान दबाव में बिक्री करने से बच सकेंगे।

ग्रामीण लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए मैं वित्त मंत्री से आगे आने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

***श्री बापू हरी चौरे** (धुले): महोदय, मैं धुले (महाराष्ट्र) अनुसूचित जाति क्षेत्र से चुन कर आया हूं। इसलिए मेरा क्षेत्र 75 परसेंट ग्रामीण क्षेत्र से और 50 परसेंट से ज्यादा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से जुड़ा है। मैं बजट का समर्थन करता हूं। यह बजट गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आशा की किरण दिखाने वाला है। इसमें ग्रामीण विकास के लिए 22682.26 करोड़ रुपये का आवंटन दिखाया है। भारत देश में खेती मजदूरों की संख्या ज्यादा है। हर सुबह उनके सामने अपना पेट भरने के लिए मजदूरी की चिंता ले कर आती है और चिंता और चिता ये दोनों मृत्यु के समान हैं। उसमें से बचने के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय श्री चिदम्बरम जी ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में 9000 करोड़ रुपये का प्रावधान करके मजूरी पर अपना पेट भरने वालों को आशा की किरण दिखाई है। इस बजट में दूसरे सिरे पर पानी लाने वाली महिलाओं की तकलीफ कम करने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 3809.50 करोड़ का प्रावधान करके महिलाओं का आशीर्वाद पाया है।

बुनियादी शिक्षा, परिवार कल्याण तथा बाल विकास तथा ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु भी ध्यान दिया गया है। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा अपने भारत निर्माण का सपना साकार करने की जो घोषणा की है उसकी दिशा साबित होती है।

मैं कुछ मुद्दे यहां रख कर अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूं।

आदिवासी उप-योजना में 721.01 करोड़ का प्रावधान करके जनजाति समुदाय का शैक्षणिक आर्थिक तथा सामाजिक स्तर ऊंचा करने का काम किया है। मगर महाराष्ट्र शासन के अंदर जो बजट बनाया जाता है उसमें महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है उसमें उप योजना क्षेत्र की 9 परसेंट जनसंख्या है। हमारी जनसंख्या के आधार पर महाराष्ट्र के बजट के अनुपात में 9 परसेंट बजट की प्रावधान करने की मांग है। मगर प्लानिंग कमिशन की तरफ से 4 या 5 परसेंट के आगे प्रावधान नहीं होता है। इसलिए जनजाति के लोगों का और क्षेत्र का आरोग्य, शिक्षा बिजली तथा सड़कों के निर्माण हेतु फंड्स के अभाव से विकास के काम में रूकावट आती है। महाराष्ट्र में श्री सुखटन की अध्यक्षता में निधि के बारे में समिति ने अपनी सिफारिश में 9 परसेंट प्रावधान करने की सिफारिश की है मगर उसका आवंटन नहीं किया गया है।

दूसरा सुझाव है महाराष्ट्र के सिंचन के लिए नदियों का क्षेत्र ध्यान में रखते हुए कृष्णा खोरे, तापी खोरे के नाम से मंडल बनाए गए हैं। उसमें मेरा क्षेत्र तापी खोरे में मंडल के अंदर आता है। उसमें पुनदमध्यम प्रकल्प, तालुक करून, जिला नासिक और तापी नदी पर सुठबाडे प्रकाशा और सारंगखेड़ा ब्रजिज का काम है और अक्कूलपाड़ा, बाड़ीशेवाडी नाम के मेडिअम प्रकल्प का काम चालू है। यह सब प्रकल्प पूरे करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। इसलिए जल संसाधन केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से एआईबीपी के अंदर समाविष्ट करके फंड्स उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।

फारेस्ट एंड एनव्याहरमेंट की तरफ से 1980 के एक्ट के तहत वनों की अंधाधुंध कटाई को और वनभूमि को गैर वन कार्य के लिए उपयोग करने पर रोक लगाई है मगर 1980 से पूर्व जो आदिवासी वनभूमि का खेती की उपज के लिए उपभोग कर रहे हैं उनको जमीन का हकदार बनाने के लिए उनके नाम से कानूनी तौर पर रिकार्ड करके अधिकार प्रदान करने की मांग करता हूं जो कि उस किसान का विकास करके जैसे कि भूमि सुधार, कुआं बना कर सिंचाई की सुविधा कर सकते हैं।

राष्ट्रीय नदी कृति योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र शासन की तरफ से निर्धाढिये के कोल्हापुर, वाई, पंढरपुर पैठण तथा मेरे चुनाव क्षेत्र में प्रकाशा, नवापुर के वन और पर्यावरण मंत्रालय में केंद्र सरकार में आए हैं उसको मंजूरी दे कर फंड्स उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस शायद गरीबों को भूल गई है। पहले इन्होंने गरीबी हटाने का नारा दिया था लेकिन अब ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न पैदा करें।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: पेयजल के बारे में इन्होंने लिखा है कि ग्रामीण आबादी के 95.33 प्रतिशत लोगों को हमने इसके तहत

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री हरिभाऊ राठौर]

कवर किया है। यह आंकड़े कहां से आते हैं? हम देहात में देखते हैं कि 75 प्रतिशत लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और ये बता रहे हैं कि 95.33 प्रतिशत लोगों के लिए हमने व्यवस्था कर दी है। वित्त मंत्री जी ने गरीबों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। शायद आदरणीय वित्त मंत्री जी को हिन्दी नहीं आती। इन्होंने बताया कि गरीब लोग अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, इसलिए हम काम के बदले अनाज देंगे। अगर हम देहात में उन बच्चों को मिट्टी के काम में लगाएं, रोड खुदवाने के काम में लगाएं, पत्थर ढोने के काम में लगाएं तो क्या यह काम दे रहे हैं। गरीब लोगों के बच्चे काम नहीं चाहते, गरीबों के बच्चे शिक्षा चाहते हैं, उनको शिक्षा की जरूरत है। जहां तक रोजगार की बात है, आप उनको कारखानों में लगवाएं, सरकारी नौकरियां दिलवाएं। कांग्रेस ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है और पचास साल तक यही किया है। मिट्टी का तेल महंगा, राशन, शक्कर, डीजल, पेट्रोल और गैस आदि सब कुछ महंगा हो गया। देश की जनता इस महंगाई से बहुत परेशान है। गरीबों की चिकित्सा के लिए बहुत अच्छी योगना ...*(व्यवधान)* मुझे बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सभा का समय बर्बाद न करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राठौड़ के भाषण के सिवाए कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: गरीबों के लिए स्वास्थ्य की बीमा योजना अच्छी थी लेकिन ये उसमें अपना इंटरस्ट नहीं दिखा रहे हैं। उसमें कुछ बदलाव लाने की इनकी कोई सोच नहीं है। ...*(व्यवधान)* हर सांसद को सांसद निधि के तहत पांच रकोड़ रुपये देने चाहिए। मैं मांग करूंगा कि कम से कम सौ-दो सौ इंदिरा आवास आबंटित करने का मौका सांसदों को जरूर दें।

अन्त्योदय योजना जो बीपीएल धारकों के लिए, इस योजना के केवल 25 प्रतिशत ही सम्मिलित किया गया है, 75 प्रतिशत लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। गरीबों को अन्त्योदय योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी अन्नपूर्णा योजना लाए थे लेकिन इन्होंने अन्नपूर्णा योजना खत्म कर दी। 75 प्रतिशत लोग उससे वांछित हैं। उनके पास बीपीएल कार्ड होते हुए भी उनको दो रुपये तीन रुपये में अनाज नहीं मिल रहा है क्योंकि केवल 25 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह होना चाहिए।

ग्रामीण रोजगार योजना के तहत इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की धरती पर ग्रामीण रोजगार योजना चालू करने वाले हैं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कन्फ्यूज्ड हैं। वे दो योजनाओं को आपस में मिला रहे हैं। एक तरफ यह बोल रहे हैं कि हम 100 दिन रोजगार की गारंटी देने वाला बिल ला रहे हैं और दूसरी तरफ 150 जिलों में हम काम के बदले अनाज देने की योजना बना रहे हैं। वे बाद में इसे इस योजना में मिलाने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों योजनाएं अलग-अलग हैं। आज फाइनेंस मिनिस्टर को इस बारे में क्लीयर करना चाहिए क्योंकि उसे पेश करने में शायद वे कन्फ्यूज्ड हो गये हैं। सिंचाई के बारे में मजाक किया गया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस देश की नहरों को आपस में जोड़कर हर एकड़ को पानी से भिगोने का सपना देखा था। मंत्री जी ने इसके लिए केवल 2 हजार 800 करोड़ रुपये दिये हैं। यह गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, कपास के बारे में हम बार-बार कहते हैं कि कपास की उपज करने वाला किसान अपनी जान दे रहा है। उनकी 100 परसेंट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए और उनकी कपास की फसल पर ध्यान देना चाहिए। हमारे महासष्ट्र में खासकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में लोग मर रहे हैं। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट और बोलने दीजिए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट में लोगों से जुड़े हुए सवाल यहां बोल दूंगा। कृषि बीमा योजना लाई गयी जिसका प्रीमियम दो तीन प्रतिशत है। जबकि बैंक का ब्याज 9 प्रतिशत है। इस तरह से लगभग 11 प्रतिशत प्रीमियम लेना बहुत नाइंसाफी है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे इसे कम करें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री हरिभाऊ राठौड़: उपाध्यक्ष महोदय, इतने विशाल देश में केवल 2 लाख 50 हजार इंदिरा आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री जी ने इसे उच्च लक्ष्य बताया है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2 लाख 50 हजार उच्च लक्ष्य कैसे हो सकता है? यह तो

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अकेले महाराष्ट्र की डिमांड है। अकेले महाराष्ट्र में आपको 2 लाख 50 हजार इंदिरा आवास देने पड़ेंगे जबकि आप पूरे देश की बात कर रहे हैं। आप यह आंकड़े फिर से देखिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप समाप्त नहीं करते हैं तो आपका भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: उपाध्यक्ष महोदय, मैं 15 करोड़ जनता का प्रतिनिधि हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: मैं पहली बार चुनकर आया हूं इसलिए आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए। ...*(व्यवधान)* पिछड़ा राज्य आयोग का सुझाव अच्छा है। इस तरफ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी मांग है कि तांडे, नगले आदि ऐसे जो दुर्लक्षित लोग हैं, उनके लिए आप पांच हजार रुपये की हर साल व्यवस्था करें। एस.सी. और एस.टी. के लिए हमने बहुत किया है लेकिन इस सैक्शन के लिए हमने कुछ नहीं किया। मेरा सुझाव है कि पांच हजार रुपये टोटली इन लोगों को आवंटित किये जायें। जो नोटीफाइड नोमेटिक ट्राइब्स हैं, उनके लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो आयोग बनाया था, उन्होंने मिटा दिया है। मेरा सुझाव है कि आप वह आयोग फिर से लाकर उनको न्याय दीजिए।

[अनुवाद]

***डा. सी. कृष्णन** (पोल्लाची): अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं तिरू वाइको के नेतृत्व वाली एम.डी.एम.के. पार्टी की ओर से गरीब हितैषी बजट प्रस्तुत करने के लिए हमारे वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

सेतु समुद्रम नहर परियोजना:

तमिलनाडु के लिए सेतु समुद्रम नगर परियोजना अति आवश्यक बड़ी परियोजना है जिसे कुछ निहित स्वार्थों द्वारा लटकाए रखा जा रहा है जो इस बड़ी परियोजना के क्रियान्वयन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और जिस परियोजना से तमिलों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे और व्यापारिक क्षेत्र में सुधार होगा। तमिलनाडु की सरकार द्वारा इस वृहद परियोजना को अभी हरी झंडी दिखाया जाना है। इसमें मैं इस परियोजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना चाहता हूं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. तिरू अरिगनर अन्नादुरई की इस परियोजना में बड़ी दिलचस्पी थी जिसकी कल्पना अंग्रेजों द्वारा 130 वर्ष पूर्व की गई थी। मेरे नेता तिरू वाइको ने मद्रास में सभा के दौरान एक मंच पर, जो तिरू सी.एन. अन्नादुरई के जन्मदिन के अवसर आयोजित की गई थी, जिसमें पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, मेरे नेता और महान अन्ना के सच्चे अनुयायी, तिरू वाइको के व्यक्तिगत आग्रह पर 15 सितम्बर, 1998 को उपस्थित थे, पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की थी कि परियोजना शुरू की जाएगी और क्रियान्वित की जाएगी।

नदियों को आपस में जोड़ना: सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण संबंधी व्यय पर एक छोड़ा नोट तैयार करने हेतु 355 करोड़ रुपये वास्तविक परिव्यय और 88.2 करोड़ रुपये की परिकल्पना की गई थी।

मेरी टिप्पणी यह है कि एक तरफ तो पानी सिंचाई के लिए जरूरी है दूसरी ओर नि:संदेह, देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने पर अच्छी खासी राशि खर्च की जाती है। हम बाढ़ वाली नदियों को सूखा प्रवण क्षेत्रों की ओर मोड़ने की योजना क्यों नहीं बना रहे हैं। तथा भविष्य में देश में कृषि में विकास के लिए देश के सुखे क्षेत्र में नहर क्यों नहीं खोद रहे हैं।

नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में सहमति बनाने तथा जागरूकता पैदा करने के लिए मेरे नेता तिरू वाइको हमारे राज्य तमिलनाडु में तिरूनेलवेली से चेन्नई तक 12000 कि.मी. की पद यात्रा की और पल्लयम (कोयम्बटूर) में वेदासदुर (डिंडुगल) में उन्होंने किसान और कृषि श्रमिक सम्मेलन सभाओं का आयोजन किया और उन्होंने के तमिलनाडु तथा केरल, दोनों राज्यों, में जल संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए केरल का सार्थक दौरा किया।

इसे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र की नदियों को सूखा प्रवण क्षेत्रों की नदियों से आपस में जोड़ना कहा जा सकता है जैसा कि ऊपर कहा गया है।

लेकिन मुझे दु:ख है कि इस बजट में नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. सी. कृष्णन]

कृषि: चूंकि हमारा देश कृषि पर आधारित है इसलिए किसानों को बिना किसी अड़चन के सस्ते ब्याज दर पर और बिना किसी जमानती के सरल प्रक्रिया को अपनाते हुए न्यूनतम ऋण देना होगा। कृषि की संभावना पूर्णत: मानसून पर आश्रित है और यदि मानसून नहीं आता है तो कृषि से जुड़ी गतिविधियां बिल्कुल रूक जाती है और इसका परिणाम यह होता है कि कोई कमाई नहीं होती और इन परिस्थितियों में किसान अपनी दैनिक जरूरत की चीजों को जुटा पाने में भी बढ़ी कठिनाई महसूस करते हैं। चूंकि कोई आय अर्जित नहीं होती अत: कृषक को ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं हाते। दंडात्मक ब्याज किसानों के लिए एक बोझ है। सरकार से मेरी अपील है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पूरा मूलधन तथा उस पर ब्याज माफ कर दिया जाना चाहिए।

सामाजिक उपाय:

निम्नलिखित प्रस्तावित ढांचागत परियोजना के कारण इस बजट का ग्रामीण लोगों द्वारा स्वागत किया गया है:

1. ग्रामीण आवास (इंदिरा आवास योजना) जिसमें परिव्यय में 250 करोड़ रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई है।
2. व्यापक सेवा शर्तें जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में 1200 करोड़ रुपये खर्च करके टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना है।
3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अतिरिक्त बजटीय सहायता 1600 करोड़ रुपये है।
4. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना पर होने वाला व्यय 6,221.04 करोड़ रुपये है।
5. ग्रामीण विद्युतीकरण पर अगले 5 वर्षों में 1.25 लाख गांवों को शामिल किया जाएगा और इसके लिए 1100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जबकि धन का आवंटन की प्रतीक्षा है।
6. देश में अन्न सुरक्षा के लिए कृषि क्षेत्र पर पुन: ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जबकि कृषि उत्पादन का विविधीकरण करते हुए खाद्यान्न से हटकर बागवानी उत्पादन किया जा रहा है जोकि लाभकारी भी है लेकिन अन्न सुरक्षा सुरक्षित वातावरण में खाद्यान्न उत्पादन के बारे में भय बना हुआ है।
7. शिक्षा के लिए बजट में 7538 करोड़ रुपये दिए गए है जब हम विकसित देशों से तुलना करते है तो हमारे देश में साक्षरता औसत को देखते हुए यह राशि पर्याप्त लगती है। हम 106वें स्थान पर हैं। प्रत्येक गांव में कम्प्यूटरोन्मुखी बहुप्रयोजनीय सामुदायिक केन्द्र बनाए जाने चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता का संचार किया जा सके।
8. सिगरेट पर सीमा शुल्क दर को 10% बढ़ाने और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है।
9. महिलाओं और बच्चों के लिए लिंग आधारित बजटीय आबंटन

(एक) लड़कियों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा

(दो) महिला श्रमिकों की कार्य करने की स्थिति को सुधारना।

सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण

सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण मंत्रालय में एस जी एस वाई और एस जी आर वाई के लिए धन का आवंटन।

माचिस

हाथ से दियासिलाई बनाने वाली आठ हजार औद्योगिक इकाईयां हैं। जो तमिलनाडु के चार सूखा प्रवण जिलों में 10 लाख श्रमिकों को सीधे रोजगार प्रदान कर रही है। मशीन से बनाई दियासिलाई पर कर 16% से घटाकर 12% किया गया है और हाथ से बनाई गई दियासिलाई उद्योग मशीन से बनाई गई दियासिलाई उद्योग से भारी प्रतिस्पर्धा के कारण काफी संघर्ष कर रहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि सहकारिता सोसाइटियों को सस्ते मूल्य पर सामग्रियां उपलब्ध कराकर हाथ से बनने वाली माचिस उद्योग को बचाया जा सकता है।

नकद निकासी पर कर

इस बजट पर हमारे माननीय वित्त मंत्री ने बैंक से 10,000 और उससे अधिक निकासी पर 0.01% कर लगाने का प्रस्ताव किया है। इसकी न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 रु. और उससे अधिक किया जाए।

***श्री जी. करूणाकर रेड्डी** (बेल्लारी): महोदय, मैं इस बजट का विरोध कर रहा हूं क्योंकि यह अप्रसन्नता लाया है और इस बजट में नदियों को जोड़ने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। करोड़ों किसानों की इस बजट से एक आस बंधी थी क्योंकि इससे न केवल सिंचाई समस्या का समाधान होगा बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों की जल समस्या का भी समाधान होगा। कांग्रेस पार्टी ने लगभग 46 वर्षों तक इस देश में शासन किया है और उन्होंने इन नदियों को जोड़ने की परियोजना को कार्यान्वित नहीं

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

किया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मामला है और इस परियोजना को शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित करना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो कुछ क्षेत्र सूखे से पीड़ित है। ये विषम स्थिति लोगों की भारी समस्याओं का कारण है और इस परियोजना पर गम्भीरतापूर्वक और अविलम्ब कार्य किया जाना चाहिए। महोदय प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि किसान इस देश की रीढ की हड्डी है लेकिन हम नदियों को जोड़ने वाली परियोजना को महत्व नहीं दे रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि हरित क्रान्ति लाई गई है। मैं समझता हूं केवल नदियों के जोड़ने वाली परियोजना ही हरित क्रान्ति लाएगी।

अब मैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूं जो कि किसानों को फसल ऋण देने से संबंधित है। ऋण जिसकी किसानों को आवश्यकता होती है, उसकी पूरी राशि बैंकों से नहीं दी जाती है। मात्र आंशिक राशि दी जाती है। उदाहरण के लिए मिर्च की फसल सिंचाई के लिए प्रति हैक्टेयर खेती की वास्तविक लागत 40,000 रु. है लेकिन किसानों को मात्र 30,000 रु. ही मिलता है इसका तात्पर्य है किसान अपनी फसल आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा नहीं कर पाता। शेष राशि के लिए किसानों को निजी ब्याज देने वालों के पास जाना पड़ता है और वह लगभग 36% ब्याज लेते हैं। जिससे गरीब किसान मूल और ब्याज लौटाने में असमर्थ होता है। अत:, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह बैंकों को निदेश दें कि किसानों की जितनी राशि की आवश्यकता है उसे दी जाएं क्योंकि किसान को राशि का कुछ हिस्सा ही मिलता है। पिछले चार वर्षों में कई राज्य सूखे से प्रभावित है और किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही है

अब मैं किसानों से इस फसल ऋण पर दी जा रही ब्याज दर और अन्य प्रभारों की ओर आता हूं। किसानों को सूखी मिर्च के लिए बीमा प्रीमियम के लिए 20.2 प्रतिशत और मिर्च की फसल उगाने के लिए बीमा प्रीमियम 17.20 प्रतिशत देना पड़ता है। ब्याज के बीमा के लिए 11 प्रतिशत कपास-सूखी के बीमा के लिए 13.50 प्रतिशत और कपास की फसल के बीमा के लिए 9.65 प्रतिशत देना पड़ता है जोकि प्रतिशतता में काफी अधिक है। इस प्रकार उन्हें 10.25 प्रतिशत सभी उत्पादों के लिए ब्याज देना पड़ता है। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि आई टी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री जी आई टी क्षेत्र को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि गरीब किसानों के लिए भी वही फार्मूला अपनाते हुए बीमा प्रीमियम को घटाकर 2 प्रतिशत और सभी फसल ऋण के ब्याज दर को 5 प्रतिशत कर दे ताकि छोटे किसानों को लाभ मिल सके। मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि गिरवी रखने के लिए स्टाम्प शुल्क की लागत और अन्य प्रभारों को समाप्त किया जाए जोकि अभी 2 प्रतिशत लिया जा रहा है।

महोदय, वेल्लारी जिला, कर्नाटक का पिछड़ा हुआ जिला है तथा यह विशेषकर पिछले पांच वर्षों से गंभीर सूखा प्रभावित जिलों में से एक है। वहां के लोगों को जीविकोपार्जन के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इसे काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित करें ताकि लोगों को जीवन यापन के लिए कुछ धन अर्जित कर सके।

चूंकि वेल्लारी एक पिछड़ा हुआ जिला है इसके विकास के लिए इसे राष्ट्रीय सम विकास योजना में शामिल किया जाए।

संघ सरकार राज्यों को सभी ग्रामीण बसावटों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए 3645 रुपये आवंटित कर रही है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि वेल्लारी में 90 प्रतिशत फ्लोराइड युक्त दूषित जल की आपूर्ति की जा रही है जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि कर्नाटक के वेल्लारी जिले में लोगों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए एक बड़ी राशि प्रदान की जाए।

महोदय, मेरी जानकारी में यह आया है कि ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत बेल्लारी जिला में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रति मकान के हिसाब से 625 रुपये की राशि दी जा रही है। इतनी कम राशि से ग्रामीण स्वच्छता प्रदान करना बहुत मुश्किल है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए इस राशि को बढ़ाकर प्रति मकान 4000 रुपये कर दिया जाना चाहिए।

महोदय, वित्त मंत्री ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 3010 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है जो कि, मेरी समझ से बहुत कम है। कर्नाटक के बेल्लारी जिला में इस मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रति छात्र/छात्रा 1 रुपया दिया जाता है। इतनी कम राशि के कारण विद्यार्थियों को उचित प्रकार का संतुलित आहार नहीं मिल पाता। मेरा सुझाव है कि इस राशि को बढ़ाकर प्रति छात्र/छात्रा 5 रुपये कर दिया जाना चाहिए ताकि वे छात्र/छात्राएं जो हमारा भविष्य बनायेंगे वे संतुलित आहार प्राप्त कर सके।

महोदय, देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, वह एक स्वागत योग्य कदम है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र बेल्लारी में 90 प्रतिशत स्कूलों का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया है। इन स्कूलों में अध्ययन कक्षों की हालत बहुत ही खराब है और इन कक्षों की शीघ्र ही मरम्मत की जानी चाहिए। कर्नाटक के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बेल्लारी में समुचित अध्ययन कक्षों की कमी के कारण कई विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। एक कक्षा में विद्यार्थियों की

[श्री जी. करूणाकर रेड्डी]

संख्या बहुत अधिक हो गयी है। एक ही कक्षा में लगभग 100 विद्यार्थी हैं और इनको बिठाने के लिए जगह नहीं है। महोदय, केन्द्र सरकार ने इन विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए उचित कक्ष उपलब्ध कराने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है और इस उद्देश्य के लिए जो निधियां उपलब्ध करायी गयी हैं वे भी बहुत कम हैं। इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि प्रत्येक स्कूल में कम से कम तीन कक्षाएं बनवायी जायें। अत: मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इन क्लास रूमों के तुरन्त निर्माण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराये।

कर्नाटक में, विशेषकर बेल्लारी जिला में अक्टूबर-नवम्बर तथा मार्च-अप्रैल के महीने में पानी की बहुत अधिक किल्लत हो जाती है। किसानों को अपनी फसलों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी न मिलने के कारण अक्सर किसान आंदोलन करते रहते हैं। तुंगभद्रा बांध में गाद के कारण उसकी पानी भंडारण क्षमता घटकर लगभग 30 टीएमसी रह गयी है। यहां 13 टीएमसी की क्षमता वाले 7 छोटे बांधों के निर्माण की आवश्यकता है और कर्नाटक सरकार ने इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। उसने इन बांधों पर खर्च होने वाली अनुमानित लागत का भी हिसाब लगाया है। इन पर लगभग 650 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह बांध में जमी गाद की सफाई के लिए, कर्नाटक सरकार को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करें तथा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए तुंगभद्रा बांध की भंडारण क्षमता में वृद्धि करे।

कर्नाटक के किसानों विशेषकर बेल्लारी के किसानों को अपने जीवन-यापन के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे पिछले पांच वर्षों से सूखे के कारण तथा सिंचाई हेतु नगर व्यवस्था न होने के कारण अपनी फसलें नहीं उगा पा रहे हैं। सूखाग्रस्त कुछ क्षेत्रों में किसानों को बहुत अल्प मात्रा में खेतिहर भूमि में उसे 5 फुट की गहराई पर लोह अयस्क मिल पा रहा है और वे इसे हाथों से खोदकर ही निकाल रहे है। लेकिन इस खनन कार्य की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। इसके लिए पहले उन्हें राज्य सरकार से और उसके बाद केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होती है। अत: इस प्रक्रिया को आसान बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि किसानों को अपनी रोजी-रोटी का कोई जरिया मिल सके। यदि सरकार इसके लिए कोई रायल्टी तय करती है तो किसान वह भी देने को तैयार हैं। किसानों द्वारा उठायी जा रही परेशानियों के मद्देनजर इस प्रक्रिया को आसान बनाये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, हम सबको पता है कि किसानों को बहुत मुसीबतें उठानी पड़ रही है, इसलिए मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वह किसानों द्वारा लिए गये ऋण पर लगने वाले ब्याज को माफ कर दें।

महोदय, जहां तक स्वास्थ्य देख रेख की बात है मैं कहना चाहूंगा कि कई अस्पतालों में विशेषकर कर्नाटक के बेल्लारी स्थित अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध नहीं है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की कमी है। दवाइयों और चिकित्सकों की कमी के कारण बहुत से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने स्वास्थ्य देखरेख के लिए जो धनराशि आवंटित की है वह पर्याप्त नहीं है और इस उद्देश्य के लिए और अधिक धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, कर्नाटक के बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र में एक ही आयुर्वेदिक अस्पताल है। यह अस्पताल एक पुरानी इमारत में है और इसके लिए नयी इमारत बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए 5 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यदि केन्द्र सरकार अनुदान के रूप में राज्य सरकार को यह धनराशि देता है, तो इस अस्पातल की कार्य क्षमता बढ़ सकती है जो कि मरीजों के लिए भी लाभकर होगी। अत:, मेरा मंत्री जे से अनुरोध है कि जनसाधारण के हितों को देखते हुए वह इस अस्पताल के लिए 5 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रदान करें।

सरकार लैंड लाइन टेलीफोन उपकरणों का विनिर्माण करती है जबकि सेल फोन उपकरणों का निर्माण निजी विनिर्माताओं द्वारा किया जाता है। निजी विनिर्माता इन सेल फोन उपकरणों की बहुत अधिक कीमत वसूल रहे हैं जिससे सेल फोन उपभोक्ताओं को काफी नुकसान हो रहा है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सरकार को सेलफोन उपकरणों का भी विनिर्माण करना चाहिए और इन उपकरणों को उचित मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। इससे आम लोग कम मूल्य पर सेलफोन उपकरण प्राप्त कर सकेंगे।

*सरदार रतन सिंह अजनाला (तरनतारन): महोदय, मैंने इस पूरे बजट का बारीकी से अध्ययन किया है। इस बजट में सीमा क्षेत्र पर रहने वाले पंजाब के लोगों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। इस बजट में गुरूदासपुर, अमृतसर तथा फिरोजपुर जैसे सीमावर्ती जिलों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। पाकिस्तान के साथ जब भी लड़ाई हुई है चाहे 1965 का वर्ष हो या 1971 का, सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने हमारे सैनिकों के साथ मिलकर इस देश की दूसरी रक्षा पंक्ति की भूमिका निभाई है। लेकिन जब कभी इस क्षेत्र के लोगों को सरकार से सहायता की जरूरत पड़ती है तो केन्द्र सरकार बड़ी सहजता से उसकी उपेक्षा कर देती है। मैं इन स्थितियों को देखकर बहुत अधिक दु:खी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग सरकार सत्ता में थी उस समय जिन किसानों की जमीनें कटीले तारों की सीमा के उस पार रह गयी थी उन्हें सरकार ने 2500

*मूलत: पंजाबी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हर्जाना दिया था लेकिन इस सरकार ने ऐसे किसानों को हर तरह की हर्जाना राशि देना बंद कर दिया है। वर्तमान केन्द्र सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की हितैषी नहीं है। उक्त सीमावर्ती तीन जिलों में किसी भी उद्योग के लिए कोई भी पैकेज की मंजूरी नहीं दी गयी है। वास्तव में इन जिलों में कोई आयोग नहीं है। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को कर के रूप में एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसलिए, मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज दिया जाये ताकि इन लोगों को उबारा जा सके। हम, सीमावर्ती क्षेत्र के रहने वाले लोगों को भी यह एहसास कराया जाना चाहिए कि हम भी इश देश का ही अंग है। हम लोग भी भारतीय है इसलिए हमें भी वही सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो भारत के दूसरे लोगों को प्राप्त हैं, पर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की उपेक्षा हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही हो रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल तो हैं लेकिन उनमें पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है। ऐसे में इस क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे? यहां की दस से पन्द्रह कि.मी. की सीमा बेल्ट की निगरानी सीधे केन्द्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गत तीन वर्षों से लगभग 750 एकड़ जमीन सेना के कब्जे में है। हमने कई बार इस भूमि के हर्जाने की मांग की है, लेकिन अभी तक हर्जाने के रूप में एक पैसा भी नहीं मिला है। गरीब किसानों की जमीनें सेना ने हथिया रखी है। अत: माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह सेना के कब्जे वाली इस जमीन के लिए किसानों को हर्जाना राशि दें। उपाध्यक्ष महोदय, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हम लोगों को टेलीफोन सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। जब हम टेलीफोन सुविधाओं की मांग करते हैं तो हमें बताया जाता है कि इससे हमारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिससे यहां के लोगों को भी टेलीफोन सुविधाएं मिल सकें और वे अपने को भारत का अंग समझ सके। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि सरकार इस मामले पर विचार करे। इन लोगों को शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। महोदय सीमा सुरक्षा बल के जवान उन किसानों को अपनी जमीन में अधिक देर तक काम नहीं करने देते जिनकी जमीने कंटीले तार के उस पार होती हैं। किसानों को सुरक्षा बल की चौकियों पर काम करने के लिए बाध्य किया जाता है और इसके लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता। उसके बाद ही उन्हें उनकी जमीनों पर काम करने की अनुमति दी जाती है। यहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। रोशनी की सुविधा नहीं है। लोग बहुत गरीब है। इसलिए मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी कुछ प्रावधान होना चाहिए ताकि हम लोग भी स्वयं को इस देश का भाग समझ सकें और क्षेत्र के लोगों के लिए भी विकास एक हकीकत बन सके। हमारी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड के गिरिडीह क्षेत्र से चुनकर आया हूं। मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब मैं विधायक था तब दो करोड़ रुपया विकास के लिए मिलता था लेकिन अब सांसद बनकर आया हूं, तब भी दो करोड़ रुपया मिलता है। *...(व्यवधान)* जबकि वहां मात्र दो ब्लाक थे और अब 17 ब्लाक हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रति विधान सभा कम से कम एक करोड़ रुपया दिया जाए नहीं तो इस राशि को बंद कर दिया जाए। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गुडे: उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इससे एसोशिएट करता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री टेक लाल महतो: उपाध्यक्ष महोदय, नहीं तो इस राशि को बंद कर दिया जाए क्योंकि इससे बड़ी बदनामी होती है। प्रति विधान सभा कम से कम एक करोड़ रुपया कर दिया जाए। *...(व्यवधान)* राशि बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बदनामी होती है, हम लोगों में क्या बांटें, इसलिए या तो इसे बढ़ाया जाए या फिर बंद कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: आप समाप्त करें।

श्री टेक लाल महतो: मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं ऐसे राज्य से आता हूं, जिसके दम पर पूरा हिन्दुस्तान चल रहा है। झारखंड कहने को बहुत धनी प्रदेश है, लेकिन वहां बहुत गरीब लोग रहते हैं। वहां की सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। वहां के जंगल का, कोयले का, अभ्रक का, ताम्बे का और तमाम अन्य चीजों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। लेकिन गरीब आदमी को पूछने वाला कोई नहीं है। पहले वहां हमें कोयले का सेस मिलता था, उससे विकास के काम होते थे। लेकिन भारत सरकार ने उसे भी बंद कर दिया है। इसलिए वहां विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। कोयला खनन के चलते वहां पानी का हाहाकार मचा हुआ है। जहां कोयले का खनन हो रहा है, वहां बोरिंग से भी पानी नहीं मिल रहा है। वहां की सरकार लोगों को पानी पिलाने में भी असफल है। इसलिए जहां-जहां से कोयला निकाला जा रहा है, वहां पीने के पानी सुविधा मुहैया कराई जाए। उसके बाद दूसरे काम करें।

जहां तक रोजगार का सवाल है, एनडीए सरकार के समय जिन कल-कारखानों पर ताला लगाया, आपने कहा था कि हम

[श्री टेक लाल महतो]

सत्ता में आएंगे तो खुलवाएंगे। लेकिन आज तक एक भी कल-कारखाना नहीं खुल पाया है, बल्कि और जो हैं, वे भी बंद हो रहे हैं। आपने एक साल में 100 दिन रोजगार देने की बात कही है। लेकिन अभी तक कोई राशि इस योजना के तहत नहीं पहुंची है। मई और जून में शायद पहुंचेगी, लेकिन जिन कार्यों के लिए राशि पहुंचेगी, वहां अधिकतर काम ठेकेदार मशीनों द्वारा करा रहे हैं। इससे वह पैसा अमीरों के पास ही चला जाता है। रोड बनाना, तालाब और कुएं खोदना आदि काम मशीनों से हो रहे हैं, जिससे हम गरीबों को कोई रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा पैसा भी समय पर नहीं दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि पैसा समय पर दिया जाए।

वहां रिश्वतखोरी भी चरम सीमा पर है। डी.सी. चाहे बीडीओ हो, सी.ओ. हो या चपरासी हो या अन्य कर्मचारी हैं, सब लोग हाथ फैलाए रहते हैं। जब तक पैसा नहीं मिलेगा, पगड़ी नहीं मिलेगी, काम नहीं होगा। पगड़ी तो आपके और मनमोहन सिंह जी के सिर पर है। मेरा निवेदन है कि वहां रिश्वतखोरी जो चल रही है, पगड़ी मांगी जाती है, उसे बंद कराया जाना चाहिए। इसके अलावा बंद पड़े कल-कारखानों को चालू कराया जाए। इसके अलावा हमारे यहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

हमारे गिरिडीह क्षेत्र में गिरिडीह, बनियाडीह, वुढ़ियारवाद, गोमिया साडम धेसिर हजारी पंचायत में पानी का हाहाकार मचा हुआ है। वहां तेनु घाट डैम है, जहां पर बोकारो स्टील प्लांट और थर्मल पावर स्टेशन को पानी जाता है। लेकिन वहां के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। हमारे धनबाद क्षेत्र में भी पानी की बहुत समस्या है। वहां से कोयला तो निकलता है, लेकिन पानी लोगों को नसीब नहीं होता है। इसलिए वहां के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाए। देश के प्रथम प्रधान मंत्री जी ने बोकारो थर्मल पावर प्लांट 'ए' की आधारशिला रखी थी। लेकिन वह अब बंद हो गया है। इस कारण लोग बेकार हो गए हैं, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसे बनाया गया था। इसलिए उसे अविलम्ब चालू किया जाए, जिससे पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का नाम रौशन रहे। एच.ई.सी. हटिया का प्लांट भी बंद पड़ा है। वह भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में अरबों की लागत से बनाया गया था। उसके बंद होने से हजारों मजदूर बेकार हो गए हैं। इसलिए उन्हें रोजगार दिलाने के लिए उस कारखाने को और बंद पड़े सिंदरी फर्टिलाइजर कारखाने को, जहां से किसानों को खाद मिलती थी, चालू किया जाए। एनडीए सरकार के समय ये कारखाने बंद हुए थे। यूपीए ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम वहां बंद पड़े कारखानों को चालू कराएंगे। अब यूपीए सरकार बन गई है, लेकिन अभी तक उन कारखानों को चालू नहीं किया गया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि बंद पड़े कल-कारखानों को चालू कराकर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री चिदम्बरम जी को बुला रहा हूं। जिन माननीय सदस्यों ने अपना भाषण नहीं दिया है, वे अपना-अपना भाषण सदन के पटल पर रख सकते हैं। ये सभी भाषण प्रोसीडंग का हिस्सा माने जाएंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब समय नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत का भाग नहीं बनेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने देश के प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से मिलकर विनम्र आग्रह किया है कि तमाम राज्यों को आपने आर्थिक पैकेज दिया है उत्तर प्रदेश को भी विशेष आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, माननीय सदस्य किसकी अनुमति से बोल रहे है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): बिहार को कोई पैकेज नहीं मिला है।

श्री रामजीलाल सुमन: हमने बिहार का नाम नहीं लिया है। *...(व्यवधान)* जिन राज्यों की मदद करने का काम भारत सरकार ने किया है उसका हम स्वागत करते हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

श्री रामजीलाल सुमन: क्या अपने सूबे की बात भी हम यहां नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने बार-बार कहा है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और एक तुलनात्मक दस्तावेज

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हम लोगों ने प्रस्तुत किया है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रहते हैं और कुल मिलाकर 18230 करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज का आग्रह हमने भारत सरकार से किया है और यहां सदन में इस बारे में सवाल भी उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से, इस बारे में मिले भी हैं। उपाध्यक्ष जी, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज देंगे या नहीं देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन के भाषण के सिवाए एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। अब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय वित्त मंत्री को सुनें।

[हिन्दी]

****श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी** (रीवा): वर्तमान बजट पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो यह वास्तविकता के धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं देगा और केवल हवा में तैरता नजर आएगा। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आंकड़ों की बाजीगरी और शब्दों की लफ्फाजी का पूरा सहारा लिया है। जहां अपनी सरकार की असफलता के लिए प्रकृति और पिछली व्यवस्था को दोषी करार देने की असफल कोशिश की है। वहीं पिछली सरकार की उपलब्धियों पर अपना ट्रेड मार्क लगाने का भी प्रयास किया है। उन्होंने खुद कहा है कि वाजपेयी जी की सरकार के वित्त मंत्री भाग्यशाली थे जिनके कार्यकाल में आर्थिक वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत पर आ गई थी और यूपीए सरकार के कार्यकाल में 4 प्रतिशत पर आ गई। लेकिन अपनी सरकार की नाकामयाबी को छिपाने के लिए उन्होंने मानसून को दोषी ठहराया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि पिछली सरकार में जो वृद्धि दर बढ़ी थी, वह मुख्यत: कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उत्पादन की बहाली के कारण थी। सही बात यह है कि कांग्रेस सरकारों का कृषि क्षेत्र पर कभी ध्यान नहीं रहा, जबकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की यही रीढ़ है। आजादी के पांच वर्षों बाद तक हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 50 प्रतिशत था लेकिन आज एक चौथाई से भी कम रह गया है। हमारे पड़ोसी देश चीन का क्षेत्रफल भले ही हमसे दो गुना है लेकिन उसके पास कृषि योग्य भूमि हमारे देश से लगभग 4 करोड़ हैक्टेयर कम है। फिर भी उसका वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन हमसे करीब ढाई गुना अधिक है। यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि देश में नदी-नालों का जाल बिछा होने के बावजूद आजादी के 58 वर्षों बाद भी हमारे देश की आधे से अधिक धरती प्यासी है। अभी तक केवल 40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की सुविधा मिल पायी है। कृषि की प्रमुख समस्या सिंचाई की है। मौजूदा बजट में इस पर बहुत कम धनराशि खर्च करने का प्रावधान है। बुनियादी संरचना में सिंचाई को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। वाजपेयी जी की पिछली सरकार ने नदियों को जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी जिसे मौजूदा सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे सिंचाई परियोजनाओं में सरकारी निवेश को बढ़ाने का प्रयास करें। एक तरफ वित्त मंत्री जी यह घोषणा करते हैं कि मैंने 30 प्रतिशत कृषि ऋण बढ़ाने का जो वचन गत वर्ष दिया था उसे पूरा करने के लिए 105,000 करोड़ रुपये के घोषित लक्ष्य की तुलना में 108,500 करोड़ रुपये का वितरण पूरा करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कृषि ऋण अनेक जटिल नियमों के कारण जरूरतमंद किसानों को नहीं मिल पाता और कुछ बड़े किसान ही उसका लाभ उठा पाते हैं। बहुसंख्यक छोटा किसान आज भी सूदखोर साहूकारों के चंगुल में पिस रहा है।

चालू वर्ष के बजट में राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अधीन 11000 करोड़ रुपये खर्च करके एक करोड़ लोगों को वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार देने की बात कही गई है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इतने लोगों को रोजगार देने के लिए इससे दोगुनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी। नई जनगणना के अनुसार इस देश में युवकों की संख्या 54 करोड़ हो गई है। योजना आयोग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 3 करोड़ 60 लाख लोग पूर्ण बेरोजगार हैं। अन्य क्षेत्रों को जोड़ने पर इनकी संख्या 7.6 करोड़ हो जाती है। यदि सरकार इस समस्या के समाधान के प्रति गंभीर है तो उसे रोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान देना चाहिए।

इस बजट में महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी और परेशानी में पड़ जाएगा। इस बजट से उच्च एवं उच्च मध्यम वर्ग को ही फायदा होगा। जो अमीर हैं, वे और अमीर होंगे और गरीब भूखों मरने की स्थिति में पहुंच जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*श्री तूफानी सरोज (सैदपुर): महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने 10,000/- रुपये निकालने पर जो टैक्स लगाया उसकी चर्चा गांव-गांव, खेत खलिहान में काम करने वालों में हुई। आप यह प्रस्ताव बजट में इसलिए लाए कि बजट के शेष दोषों पर गरीब जनता का ध्यान न जाए। अमीर लोग तो बजट से खुश हैं ही। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 10,000 रुपये की सीमा बढ़ा कर कम से कम 25,000 रुपये करने की कृपा करें, गरीबों पर रहम होगा।

सर्व शिक्षा अभियान के लिए सरकार ने धनराशि बढ़ा कर 7156 करोड़ रुपये की घोषणा की है, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान की रिपोर्ट यह बताती है कि देश में 81 लाख बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पाती है। इस आवंटन का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, यह सबसे बड़ी चुनौती है।

सर्व शिक्षा अभियान की बहुत सी योजनाएं गैर जरूरी एवं एनजीओज चलाने वाले माफियाओं की लूट की चपेट में रहती हैं। एनजीओज को धनराशि अवमुक्त करने का मापदंड क्या है? इसकी आपको मुझसे बेहतर खबर होगी। यह आज से नहीं पहले से होता आया है, लेकिन मुझे आप से आशा है कि एनजीओज की लूट पर अंकुश लगाने की कृपा करेंगे।

सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों के एक सदस्य को रोजगार देने की बात कही है। गरीबी रेखा से नाम मात्र ऊपर रहने वाले परिवारों को रोजगार की आवश्यकता है, सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है।

सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ग्रामीण, शहरी इलाके के मध्यम वर्ग को रोजगार की गरांटी देने की बात कही थी। किंतु बजट एवं प्रस्तावित रोजगार गारंटी विधेयक में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। देश में 12 करोड़ बेरोजगारों की संख्या आंकी गई है। चार करोड़ बेरोजगारों के नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज हैं।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके से आता हूं। जहां पर सूखे के कारण कुएं सूख रहे हैं। इस वर्ष सूखे से धान की फसल बर्बाद हो गई है। लोगों को पीने के पानी की किल्लत पड़ रही है। सिंचाई परियोजना की समुचित व्यवस्था न होने के कारण किसान अपनी फसल नहीं कर पा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश घनी आबादी का क्षेत्र है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि सूखे की समस्या से निपटने के लिए विशेष पैकेज पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को देने की कृपा करें।

महोदय, आप इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है कि तेरहवीं लोक सभा के 65 परसेंट सांसद दोबारा जीत कर सदन में नहीं आए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सांसद निधि है। जनता विकास चाहती है। विकास निधि के नाम पर सांसद के पास पैसा, एक कहावत के रूप में "ऊंट के मुंह मे जीरे" के समान है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सांसद निधि 2 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 5 करोड़ करने की कृपा करें।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्कूल एवं कालेज खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए।

*श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, देश की प्रमुख समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी कम करके किसानों की आय स्तर बढ़े। देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की नयी योजनायें नहीं दी गयी। आय बढ़ाने की योजनाएं कम हैं।

देश में अधिकांश जनता गांव में रहती है, उसमें अधिक खेती व खेती पर काम करने वाले मजदूर ही हैं। उन गांव वालों के लिये नये सिरे से विचार नहीं किया गया, किसानों को उत्पादित खर्च पर आधारित मूल्य देने पर विचार नहीं किया गया न उत्पादन पर खर्च कम होने की सरकार की किसी योजना का लाभ इस बजट में नहीं किया गया। किसानों का जीवन स्तर बढ़े परंपरागत उपज लेने के बजाय देश की, दुनिया की जरूरतों को ध्यान में रखकर विश्व के खुले बाजार में किसान खड़ा रहे, नयी फसलों से ऐसा कोई प्रावधान किसानों के लिए नहीं किया गया। किसानों के ऋण पर ब्याज दर कम से कम लेना चाहिये।

देश में पेट्रोलियम उत्पादन जरूरत के अनुपात में अल्प हैं। हम बाहर देश से पेट्रोल डीजल आयात करते हैं। एक लाख 20 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा हमें रुपया बाहर चुकाना पड़ता है। देश में किसानों द्वारा उत्पादित उपज पर आधारित फसल पर बायो डीजल व चीनी मिलों से बायो प्रोडक्ट इथेनाल उत्पादन किया जाता है। केन्द्र सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती है। इस पेट्रोलियम उपज को बढ़ावा देने के साथ इथनौल पेट्रोल में मशीनरी सस्ती करना भी जरूरी है। वित्त मंत्री जी इस पर उत्पादन शुल्क मुक्त करें। जिसमें किसानों को लाभ होगा तथा हमें पेट्रोलियम पदार्थ की आयात भी कम करनी पड़ेगी। देश का रुपया बचेगा किसानों को मिलेगा। मैं विनती करता हूं कि पेट्रोल में इथेनाल मिश्रण करना अपरिहार्य होना चाहिये। जिन चीनी मिलों में महाराष्ट्र की 66 चीनी मिलों में, जिसमें 22 चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र की हैं, इथेनाल का उत्पादन करती हैं, उन्हें भी राहत मिलेगी। देश की सभी चीनी मिलों का पोषण होगा, इस पर विचार होना चाहिये।

एक करोड़ हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने की घोषणा की है। वह सर्वव्यापी होनी चाहिए। देश में सभी राज्यों को इसका

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लाभ मिलना चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अनेक राज्य ऐसे हैं, जिनमें वन संवर्धन कानून की वजह सिंचाई योजना नहीं बन पाती, इस पर विचार होना चाहिए। मेरे क्षेत्र गडचिरोली-चंद्रपुर वन कानून से प्रभावित है, इन क्षेत्रों को सिंचाई योजना का पूरा लाभ मिलना चाहिए। गडचिरोली-चंद्रपुर-भंडारा-गोंदिया इन जिलों में गरीब 8000 छोटे मालगुजारी तलाब हैं जिनकी मरम्मत व क्षमता बढ़ाने पर प्रावधान करना चाहिए। तभी इस योजना का लाभ सभी राज्य व क्षेत्रों को पूरा मिलेगा। गडचिरोली-चंद्रपुर क्षेत्र में वन भूमि से प्रभावित योजनाओं पर विचार किया जाना चाहिए।

बिजली 1 लाख 25 हजार गांवों को पहुंचाने की बात कही 1100 करोड़ रुपया में बिजली पहुंचाने की बात में कोई दम नहीं क्योंकि इन गावों को बिजली देने हेतु सभी राज्य बिजली बोर्ड असमर्थ है। बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। पहले बिजली उत्पादन बढ़ाना होगा। बिजली बोर्डों को कोयला पूर्ति नहीं होती। कोयला उत्पादन बढ़ाना होगा। पूर्ति करनी होगी तथा इस देश में सौर ऊर्जा, जल विद्युत को बढ़ावा देना जरूरी है। देश में भौगोलिक व ऋतुमान की स्थिति देखते हुए हम इन अपारंपरिक बिजली योजनाओं को बढ़ावा संरक्षण देने की बात करते हैं लेकिन बजट में प्रावधान नहीं किया गया। इस अपारंपरिक बिजली के स्रोतों का उपयोग किया जाये, बढ़ावा देने की आवश्यकता है। देश के राष्ट्रीय सिंचाई योजनाओं पर तथा अन्य सिंचाई परियोजनाओं पर बिजली का उत्पादन होने हेतु नये सिरे से प्रयास अथवा कार्यक्रम बनाने की जरूरत है।

मैं मांग करता हूं मेरे क्षेत्र में प्रलंबित गौसीखुर्द सिंचाई परियोजना पर जल विद्युत निर्माण करने हेतु नेशनल हैड्रोलिक पावर कारपोरेशन के सुपुर्द किया जाये तथा इस योजना को राशि उपलब्ध करायी जाये। बिजली व पानी किसानों को दी जाये तभी आपकी बिजली योजना पूरी होगी, इस पर विचार होना चाहिए।

काम के बदले अनाज की योजना को रोजगार गारंटी योजना में परिवर्तित कर ग्रामीण व ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने की इस योजना पर प्रावधान 11 हजार करोड़ रुपया अल्प है। इसे बढ़ाने की व सर्वव्यापी योजना बनानी चाहिये। साथ में शहरी बेरोजगारों को भी रोजगार सुनिश्चित कराने हेतु योजना देनी चाहिए। बेरोजगार भत्ता दिया जाना चाहिए। ऐसी मैं मांग करता हूं।

वन सवंर्धन कानून की वजह हम जागतिक बैंक के निर्देश पर देश के कुछ हिस्सों पर अन्याय कर रहे हैं। 33 प्रतिशत वन क्षेत्र देश के चारों ओर सभी राज्यों को सभी जिला स्तरों पर लागू होना चाहिए। लेकिन इस कानून का शिकार वही क्षेत्र तथा राज्य व जिले हो रहे हैं, जहां अधिक वन भूमि वन क्षेत्र हैं और इसी क्षेत्रों में नदियां तथा खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसकी आपको जानकारी होगी। इन वन कानून की वजह इन अभागे क्षेत्रों को सर्वांगीण विकास से रास्ते, उद्योग रेलवे सिंचाई से वंचित रहना पड़ रहा है। उद्योग नहीं हो पा रहे हैं। खनिज सम्पत्ति का खनन नहीं हो रहा है। इसी वजह से मेरे क्षेत्र में गडचिरोली-चंद्रपुर क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाएं प्रलंबित हैं। उच्च प्रति का लोह अयस्क सुरजागढ़ में, उच्च प्रति का लाइम स्टोन देवलमरी में तथा कापर व कोयला जैसी खनन संपदा वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहां क्रमशः 68 व 44 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र को वन कानून से मुक्त करायें। नये उद्योग इन स्थानों पर स्थापित करने हेतु आवश्यक आर्थिक सहायता इस बजट में प्रावधान करें। गरीब आदिवासी व गैर आदिवासी भाइयों को रोजगार मिलेगा। वन-संवर्द्धन कानून की वजह से हमारे देश की खनिज संपत्ति, जल संपत्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस कानून को बदलना जरूरी लगता है।

अंत्योदय योजना में लाभार्थियों की संख्या 50 लाख बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। इसमें 3.5 करोड़ परिवारों को लाना चाहिए गरीबों की मांग है।

देश में औषधि उद्योग को बढ़ावा देने को अत्यंत आवश्यक मानता हूं। दुनियां के सभी राष्ट्रों में औषधियों पर उत्पादन खर्च अल्प आता है उनमें हमारा देश भी है। हम औषधि के बड़े निर्यातक हैं।

हम सारी दुनियां को औषधि सस्ते दाम पर निर्यात करते हैं। इस औषधि उद्योग को विश्वासपात्र उद्योग मिलावट नकली दवाइयों के कलंक से मुक्त कराने तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु पहल करें। बजट में प्रावधान व उत्पादन पर रियायत दें ताकि हम साफ्टवेयर जैसी ही करन्सी इस व्यवसाय से प्राप्त कर सकें। ऐसा यह उद्योग हमारे देश में खड़ा कर सकते हैं। देश की आयुर्वेद विरासत है इस उपचार पद्धति को तर्कसंगत बनाने हेतु प्रयास करने की अत्यंत जरूरत है। इस उपचार पद्धति को विश्व में मान्यता मिली है, अनेक वनौषधियां इस पवित्र भूमि पर उपलब्ध है, इसका संवर्द्धन किया जाना चाहिये। सांप्रत पेंटिट के कारण यह विरासत हमसे छीनी न जाये इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। बजट में विशेष अधिक राशि इस उपचार पद्धति के विकास पर प्रावधान करने की जरूरत है। इस मार्ग से भी हम विदेशी चलन प्राप्त कर सकते हैं।

***डा. वल्लभभाई कथीरिया** (राजकोट): महोदय, कल जब बजट की चर्चा की शुरूआत हुई तब मैं अपने युवा सांसद श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया के वक्तव्य को ध्यान से सुन रहा था। वह यूपीए सरकार के बजट के झूठे आंकड़े दिखा कर प्रशंसा कर रहे थे। मैं भी एनडीए सरकार के पिछले पांच साल के खर्च

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. वल्लभभाई कथीरिया]

किए गए रुपयों के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि एनडीए सरकार द्वारा लगातार कोर सेक्टर में खर्च कम किया गया और यूपीए सरकार ने आज ही में आंकड़े बढ़ा दिए हैं। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि एनडीए सरकार के समय में 1999 से 2004 के दरम्यान सैंट्रल प्लान में क्रमश: 87279.4, 1011119.3, 104403, 126247.13 और 141765.8 करोड़ रुपये खर्च किए गए। जिसमें एक साल भी कम खर्चा नहीं हुई है बल्कि लगातार खर्चा बढ़ता ही गया है। यदि राज्य प्लान की ओर देखा जाए तो उसी दशा में क्रमश: 70027, 72428.6, 76837.0, 78430.23 और 95701.73 करोड़ रुपये खर्च किए।

यही स्थिति शिक्षा, आरोग्य और हाउसिंग के लिए किए गए एक्चूअल खर्चे की है। ग्रामीण, खेती, खेती ऋण और सिंचाई के आंकड़े भी मैं प्रस्तुत करता हूं जो सारी परिस्थितियों को स्पष्ट करता है।

इन आंकड़ों से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि एनडीए सरकार के आने के बाद उपरोक्त क्षेत्रों में बजट आबंटन और खर्च में कितनी वृद्धि हुई है। पिछली सरकारों ने कभी भी आजादी के पचास सालों में खेती, ग्रामीण विकास, सिंचाई हाउसिंग, शिक्षा, आरोग्य की ओर ध्यान नहीं दिया था जबकि एनडीए सरकार ने इनको पूरी प्राथमिकता दी और पूरे देश की जनता जिसमें से 70 परसेंट गांवों में रहती है और कृषि और कृषि आधारित जीवन जीते है उनको लगा कि उनकी ओर ध्यान दिया गया है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में भारत निर्माण के अंतर्गत अगले पांच साल में एक करोड़ एकड़ जमीन को सिंचाई और 60 लाख आवास बनाने की घोषणा की है लेकिन इस साल बजट में 15 प्रतिशत भी प्रदान नहीं किया गया है फिर वे पांच साल में अपना लक्ष्य कैसे पूरा कर पाएंगे?

आज गांवों में इनफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा खेती के लिए पानी, किसानों को कम ब्याज पर लोन, खेती के उत्पादन का उचित मूल्य और एग्रो प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिसन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, खादी, फर्टीलाइजर, हाई ब्रिड सीड्स, वाटर लिंकेज की जरूरत है, जिसका बजट में एलोकेशन नहीं किया गया है। आज किसानों को पानी की जरूरत है, लेकिन सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है आप पानी की समस्या के समाधान के लिए लगे हुए है। वाटर शेड डेवलपमेंट स्कीम वर्षों से चली आ रही है जिसे बड़े पैमाने पर हर गांव में लागू करने की आवश्यकता है। हर गांव बरसाती पानी को वैल रिचार्जिंग, डिपनिंग आफ वाटर बाडी, चैक डैम, वाटर हारवेस्टिंग, वाटर टैंक द्वारा पानी के स्टोर को या उसे जमीन में उतारने का काम करेगा। उससे न केवल रबी की फसल के लिए बल्कि गर्मी के मौसम में भी पानी उपलब्ध होगा। इससे पीने के पानी की समस्या हल हो जाएगी। गुजरात में यह प्रयोग बड़ी मात्रा में सफल हुआ है। सरकार के साथ किसानों, मजदूरों, सामाजिक संगठनों आदि को जोड़ने और पानी बचाने का अभियान चला। इसके कारण किसानों की पैदावार में वृद्धि हुई। पेयजल की समस्या हल हुई और समृद्धि के द्वार खुल गए। आज किसान आगे के बारे में सोच रहा है। इसी पानी से ड्रिप या स्पिंकलर इरीगेसन के द्वारा फसलें कैसे बढ़ाई जाएं, इसके लिए बड़ी मात्रा में धनराशि दी जानी चाहिए। वाटर बाडीज के लिए 100-500 करोड़ से काम नहीं चलेगा। इंटरलिंकिंग आफ रिवर्स प्रोजेक्ट एक लंबी यात्रा है। उसे आगे बढ़ाएं, लेकिन जल्दी परिणाम के लिए वाटर शेड यही एक मात्र टाइम टेस्टेड सोल्यूशन है, जिसके लिए सरकार विचार करके बजट में प्रावधान करने की कृपा करे। खाद, कीटनाशक दवाएं, कृषि यंत्रों के दाम बढ़ने से किसानों को ओरगेनिक फार्मिंग ओर मोड़ने की जरूरत है। इसके लिए किसानों को कम ब्याज पर पैसा देने की आवश्यकता है। यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां बैंक सबसे ज्यादा क्रेडिट लोन दे सकते है और सबसे कम एनपीए होने की संभावना है। क्रोप इंश्योरेंस स्कीम को भी किसानों में लोकप्रिय बनाए जाने की आवश्यकता है। कृषि मंत्री इस बारे में चिंतित हैं और खुद प्रयास कर रहे हैं लेकिन वित्त मंत्री जी की अभी दृष्टि डालनी की उन पर आवश्यकता है। किसान जो कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है उसे पूरी मदद देने पर ही समस्या का समाधान होगा। आज कल धर्मनिरपेक्षता का जमाना है। सचमुच किसानों का आशीर्वाद मिलेगा और वित्त मंत्री पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। मेरा अनुरोध है कि इस बारे में जल्दी योजना बनाकर घोषणा की जाए। खेती के साथ एग्रो प्रोसेसिंग और एग्रो इंडस्ट्री भी जुड़े हुए हैं। श्री वाजपेयी जी की सरकार में एक नया मंत्रालय एग्रो प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया था। एग्रो एवं रूरल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक अलग विभाग खोला गया। इस क्षेत्र की क्षमता को देखते हुए देश में इंटरप्रयोनेर इंडस्ट्रेलिस्ट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट के लिए योजना घोषित की जाए। इससे पांच साल में पूरे देश का नक्शा बदल सकता है। देश का जीडीपी बढ़ेगा तथा रोजगार मिलेगा और निर्यात बढ़ेगा। किसान डीजल इंजन पानी की निकासी के लिए उपयोग में लाते हैं जिस पर 16 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी है। जैसे वित्त मंत्री जी ने ट्रैक्टर पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है वैसे ही 20 एचपी वाले इंजन पर 16 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की घोषणा करें।

महोदय, भारत सरकार ने विकलांग लोगों के लिए 50 प्रतिशत की बजाए 40 प्रतिशत स्थायी रूप से विकलांगता घोषित की है इससे उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन आईटी विभाग में अभी भी पुरानी

व्याख्या चल रही है। इसको भी 40 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। बजट में किए गए प्रावधानों के कारण गुजरात का ब्रास इंडस्ट्री पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने ब्रांडेड ज्वैलरी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं जिस पर सर्विस टैक्स लगाया गया है आप जानते हैं कि देश में इस प्रकार को छोटे कारीगर है जो माल खरीदकर बड़े व्यापारियों को बेचते हैं। बहुत से लोग ठेके पर ज्वैलरी बनाते हैं। मेरा अनुरोध है कि ब्रांडिड ज्वैलरी पर सर्विस टैक्स को दूर किया जाए।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने फारमिसीटिकल प्रोडक्ट्स पर एम.आर.पी. कीमत पर 16 परसेंट एक्साइज ड्यूटी डाली है। गुजरात में दवाइयों का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जिसके कारण एक्साइज 30 से 26 प्रतिशत तक हो जाती है। उत्तरांचल, हिमाचल में जहां इंसेंटिव दिए जाने के कारण यहां का उद्योग प्रभावित होता है। फार्मा इंडस्ट्री को भी इस प्रकार की एक्साइज ड्यूटी में रियायत दी जाए। हमारे देश में लघु उद्योगों का ग्रामीण रोजगार और जीडीपी में काफी योगदान है। वैश्वीकरण, उदारीकरण के कारण इन उद्योगों पर खतरा पैदा हो गया है। कारपोरेट फील्ड के कारण लघु उद्योगों पर कम ध्यान दिया जा रहा है। बैंक भी लोन क्रेडिट के लिए इनको प्राथमिकता नहीं देते हैं। इसके अलावा लघु उद्योगों में अनआर्गेनाइजड सैक्टर है। जिसमें केवल 214 प्रतिशत उद्यमियों को ऋण मिलता है। 0.5 प्रतिशत की सब्सीडी, 0.8 प्रतिशत मशीनरी पर लोन उपलब्ध कराने की सुविधा है। सही मायने में 96 प्रतिशत यूनिट्स को सहायता नहीं मिलती है। लघु उद्योग हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। इसलिए लघु उद्योगों को बचाने के लिए पैकेज दिए जाना ही एक मात्र उपाय है। इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री मेरे विचारों पर गौर करेंगे और उपयुक्त उपाय सोचेंगे।

अंत में काले धन की समस्या को हल करने के लिए 10000 रुपये से ज्यादा की निकासी पर टैक्स लगाने का प्रावधान कोई उपाय नहीं है। लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। काले धन को बाहर लाने के लिए अच्छी स्कीम बनाने की जरूरत है। इस घोषणा का मजाक हो रहा है। कृपया ऐसी घोषणा को रद्द करने की कृपा करें।

***डा. रामकृष्ण कुसमरिया** (खजुराहो): जिन्हें रोटी की जरूरत थी, रोटी न मिली। जिन्हें बोटी की जरूरत थी, बोटी न मिली। तुम्हारी सियासी तकरीरों को चाटें, नंगे को लंगोटी न मिली।

मान्यवर, ये हालात हैं इस 2005-06 के बजट में गरीबों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। विश्व बैंक और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में आकर देश हित को ताक पर रख दिया गया है। कर्मचारियों के प्राविडेंट फंड पर टैक्स, आम आदमी की बैंक में जमा पूंजी को निकालने पर टैक्स। यह सरकार की खराब नियत का परिचायक है। अपना पैसा बैंक से निकालने पर जुर्माना लगे, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।

किसानों के लिए कर्ज बढ़ाने की बात तो कही है किंतु कर्ज पर ब्याज दर कम करने की बात नहीं कही। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड एवं बैंक के कृषि ऋण पर ब्याज दर 13-16 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत की थी।

ग्रामीण गोदाम का निर्माण, प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा गांवों को जोड़ने का पवित्र कार्य इतिहास में पहली बार एनडीए की सरकार ने किया था। उसे यथावत चालू रखने की आवश्यकता है। देश की उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की नदियों को जोड़ने का कार्य जिससे बाढ़ एवं सुखाड़ से निपटा जा सकता है। इस बजट में इसका जिक्र भी नहीं है।

प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट होने वाली फसलों के लिए फसल बीमा योजना को लागू किया गया था, जिसमें खेत की ईकाई मान कर उसका मुआवजा देने के प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले, इसका भी कोई प्रावधान नहीं है। सिंचाई के संसाधनों की आवश्यकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो में केन परियोजना एवं ओरक्षा परियोजनाएं लम्बित हैं, जिससे खजुराहो क्षेत्र में अधिकांश ग्राम सिंचित होने से वंचित हैं। उन परियोजनाओं को यदि सरकार चालू करती है तो उनसे विद्युत उत्पादन भी होगा।

विश्व प्रसिद्ध खजुराहो, राम राज्य का दरबार एवं ओरक्षा पर्यटन स्थल हैं। इन स्थानों पर पर्यटन की अनेक सम्भावनाएं हैं। किन्तु सड़कें और आवागमन के साधन सुगम नहीं हैं। नेशनल हाइवे टूटे-फूटे पड़े हैं। उनके तत्काल सुधार की आवश्यकता है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जा चुका है किन्तु वहां कार्य नहीं हो रहा है। उसकी उपेक्षा की जा रही है। यही नहीं इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट भी बंद कर दी गई है जिससे विदेशी एवं देशी पर्यटकों को असुविधा हो रही है। अत: पुन: वहां से हवाई सेवा चालू की जानी चाहिए तथा कलकत्ता से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को खजुराहो में रोका जाना चाहिए। जिससे पर्यटकों का खजुराहो में आवागमन बढ़ेगा एवं सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र खजुराहों के दोनों जिले छतरपुर एवं टीकमगढ़ में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। इस वर्ष वैसे ही वर्षा कम होने से सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी। जहां कुछ फसले थीं, वे भी ओलावृष्टि से नष्ट हो गई हैं। वहां अकाल की

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. रामकृष्ण कुसमरिया]

स्थिति बन गई है। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि विशेष पैकेज के तहत किसानों को मुआवजा देने का प्रबंध किया जाए। साथ ही लोगों के लिए राहत कार्य खोल कर निर्माण एवं विकास के कार्य शुरू करें।

टीकमगढ़, छतरपुर, पिछड़े हुए जिले हैं। उन्हें विकास की मूल धारा में लाने के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान करें। स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी, पेय जल का अभाव एवं रोजी-रोटी के अभाव में लोग पलायन कर रहे हैं। गांव खाली हो रहे हैं। गरीब आदमी महंगाई से, किसान लूट एवं नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं। परिस्थिति विस्फोटक है। अत: इसे ठीक नहीं किया गया तो-जोर और जुल्म के होने से शुरू होती है, किसी गरीब के रोने से शुरू होती है, भस्म होते हैं तख्ते ताउस, जब आग किसी कोने से शुरू होती है।

कुछ सुझाव हैं जो बुंदेलखंड की तकदीर एवं तस्वीर बदल सकते हैं। टीकमगढ़ में शुगर फैक्टरी खोली जाए। ओरक्षा एवं केन परियोजना की शुरूआत की जाए। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। कृषि, बागवानी, पशुपालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उपरोक्त सुझावों पर अमल होते ही कायाकल्प हो सकता है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस 15 या 16 घंटे के व्यापक वाद-विवाद के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं। यह वाद-विवाद विपक्ष की ओर से हमारे माननीय मित्र प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा तथा सत्ता पक्ष की ओर से युवा साथी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा शुरू किया गया था।

मैं समझता हूं कि श्री मलहोत्रा काफी उदास, निराश और खिन्न हो गए थे। दूसरी ओर बजट का समर्थन करके ज्योतिरादित्य विश्वास से भरे हुए, आशावादी और गौरवान्वित लग रहे थे। मैं समझता हूं कि यह सिर्फ उनकी अपनी-अपनी उम्र का प्रभाव था। लेकिन मेरा मानना है कि यहां का व्यवहार इस बात पर निर्भर है कि वे कहां बैठे हैं और क्या देख रहे हैं।

गत वर्ष, बजट पर चर्चा का न तो आपको न ही मुझे अवसर मिला था इस वर्ष हमने काफी प्रगति की है, कम से कम आज बजट पर वाद-विवाद और चर्चा तो हो रही है। लेकिन हमने जो कुछ सुना उसमें कोई बड़े मुद्दे नहीं थे। यह एक मूक विवाद था।

वास्तव में, कुल मिलाकर मैंने एक ही शिकायत सुनी कि 'आप सभी को खुश करने की कोशिश कर रहे हो' जैसे प्रत्येक को या प्रत्येक वर्ग के लोगों को खुश करना एक अपराध हो। वास्तव में, एक सरकार को प्रत्येक वर्ग के लोगों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए और यदि आप विपक्ष की ओर से कहते है कि मैंने प्रत्येक को खुश किया तो मैं समझता हूं कि यह बजट की असफलता की बजाए उसकी सफलता है। वास्तव में जब मैंने 1 घंटे और 45 मिनट के लिए बजट भाषण को पढ़ा तब तक लोग पूरी तन्मयता से सुनते रहे जब तक मेरे साथी हरिन पाठक खड़े नहीं हुए जैसे उन्हें सुनामी की लहरों ने प्रभावित किया हो, और जो घोषणाएं की गई उसे सुनकर, तथा जो दूरदर्शिता दिखाई गई उससे, या जो आवंटन किया गया तथा जो विचार व्यक्त किए जाए उसे सुनकर लोग बहुत खुश थे। मैं समझता हूं कि उसी प्रकार की भावना पिछले तीन दिनों तक छाई रही है और मैं वास्तव में सभा के सभी वर्गों के प्रति इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बजट को अपना समर्थन दिया है।

महोदय, मैं लम्बा भाषण देना नहीं चाहता। बजट भाषण यहां पर मौजूद है। एक 'की गई कार्यवाही रिपोर्ट' भी है। मैं केवल 'की गई कार्यवाही रिपोर्ट' की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह एक नई परंपरा है जिसे राजग सरकार ने शुरू किया था और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन यह ऐसी प्रथा है जिसे हमने जारी रखा हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर माननीय सदस्यगण आज रात में या कल सुबह में इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कुछ मिनट का समय दे सकें तो वे पायेंगे कि पिछले बजट की केवल दो या तीन घोषणाओं को छोड़कर सभी घोषणाओं को क्रियान्वित किया गया है और उनमें से एक या दो का अभी क्रियान्वयन किया जा रहा है। कुछ प्रशासनिक परेशानियां हैं लेकिन मुझे विश्वास है कि 31 मार्च, 2005 तक उनको भी क्रियान्वित कर दिया जाएगा। अत: जब मैं बजट भाषण लिखता हूं, जब मैं एक बजट भाषण पढ़ता हूं, तो मुझे बहुत सावधान रहना पड़ता है क्योंकि अगले वर्ष मुझे फिर आपके सामने आना पड़ेगा और आपके समक्ष दूसरी रिपोर्ट रखनी होगी जिसमें दिखाया जाएगा कि हमने क्या किया है, हमने कितना पूरा किया और इसलिए और किसी बड़े आश्वासन की गुंजाइश नहीं है।

वास्तव में, मैं इस बात से खुश हूं कि बजट बनाने में बजट का समर्थन करने, और उसकी आलोचना में कुछ वास्तविकताओं की बड़ी भूमिका रही है। हम बड़े-बड़े वादे नहीं कर सकते। इस देश के पास बहुत क्षमता और संभावनाएं हैं लेकिन इन क्षमताओं और संभावनाओं का अहसास तभी होगा जब हम अर्थशास्त्र तथा आर्थिक विकास के कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करें। जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में कहा था इस बजट से जो सामने आ रहा है वह विकास, स्थायित्व और समानता का सिद्धांत है। हम विकास को प्रथम स्थान पर क्यों रखते है? यदि यह विकास दर इस वर्ष 6.9 प्रतिशत या 7 प्रतिशत नहीं होता तो हम जो वादे

कर रहे हैं उनको पूरा करने के लिए अगले साल पैसे नहीं रहेंगे। मैं समझता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसे दोहराना पड़ेगा कि बिना विकास के हमारे पास बहुत कम इक्विटी होगी। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सभी अपना ध्यान विकास पर केन्द्रीत करें।

यदि आर्थिक विकास 7 प्रतिशत होता है तो आप जितना काम करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास उतना पैसा होगा। यदि यह आर्थिक विकास दर 8 प्रतिशत रहता है तो आप जितना काम करना चाहते हैं उससे ज्यादा पैसा होगा लेकिन यदि आर्थिक विकास दर घटकर 5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत हो जाती है या यदि आर्थिक विकास 1999 और 2002 के बीच जिस प्रकार की थी वैसी असमान रहती है तो आपके पास पैसा नहीं होगा और हमें जो काम करना है उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं होगा। यह विकास स्थायी और टिकाऊ होना चाहिए। हम विकास के लिए अपने ढंग से खर्च नहीं कर सकते। हम विकास के लिए कर्ज नहीं ले सकते। विकास अवश्य ही टिकाऊ होना चाहिए। इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम करों और उधारों के बीच, कर्ज देने के दर तथा उधार लेने के दर के बीच तथा योजना व्यय और गैर-योजना व्यय के बीच तथा पूंजी व्यय और राजस्व व्यय के बीच एक सही संतुलन कायम करें।

सायं 7.00 बजे

यदि हम एक पर जोर देते हैं और दूसरे की उपेक्षा करते है तो हमारा विकास अल्पकालिक होगा और यह अस्थायी और न टिकने वाला विकास होगा। इस बजट में प्रथम जोर विकास पर है लेकिन यह स्थायी और निरन्तर विकास होना चाहिए। आप मुझ पर विश्वास करें, यदि हम पांच वर्ष के लिए स्थायी और निरन्तर विकास दर को बनाए रखते है तो आप पायेंगे कि पांच वर्ष के अंत तक इस देश में उतनी ज्यादा इक्विटी पैदा हो जाएगी जितनी पहले कभी नहीं हुई और सभी परियोजनाओं के लिए इतना पैसा होगा कि यह हमारे दिलों को खुश कर देगा।

मेरा विश्वास है कि मैं राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम से भटका नहीं हूं। वास्तव में, वे भी जो डरते है कि मैं राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम से भटक जाऊंगा, वे भी मानते है कि मैं राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बहुत करीब हूं।

मैंने बजट भाषण में इन चीजों का उल्लेख किया है। मैंने सिर्फ एन.सी.एन.पी. के लिए ही 25,000 करोड़ रुपये अर्थात् 50,000 करोड़ रुपये से 75,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं यह संभव नहीं हो पाता यदि संप्रग सरकार एन.सी.एन.पी. के उद्देश्यों के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध नहीं होती। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि इस वर्ष हमारा विकास दर ऊंचा रहा तो अगले वर्ष अर्थात्, 2006-2007, आप पायेंगे कि एन.सी.एन.पी. के लिए और ज्यादा धन आवंटित होगा ताकि हम अपने लक्ष्य के करीब हों।

महोदय, कुछ आलोचनाएं या कुछ सुझाव आए थे कि निवेश नहीं हो रहा है। अब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वास्तव में, प्रत्येक टीकाकार ने नोट किया है कि निवेश का अकाल के बाद, संभवत: अकाल ज्यादा गंभीर शब्द है। दो वर्षों या ढाई वर्षों के निवेश के क्षेत्र में निवेश सुखा के बाद वर्ष 2004-2005 में ही निवेश में भारी वृद्धि हुई है।

हम सभी अपने आंकड़े एक ही स्रोत से जुटाते है। राजग ने भी उसी स्रोत आंकड़े जुटाए थे जब वह सत्ता में था। ये रिजर्व बैंक के आंकड़े है, और ये केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े हैं। निवेश के लिए सबसे अच्छा उपाय गैर-खाद्य उधार है। गैर-खाद्य उधार फरवरी, 2004 में 7,75,697 करोड़ रुपये था। मुझे मार्च के आंकड़े मिले हैं लेकिन मेरे पास मार्च के आंकड़े भी तुलनीय नहीं है। इसलिए, मैं फरवरी का आंकड़ा ही पढ़ता हूं। फरवरी, 2005 में यह बढ़कर 10,07,801 करोड़ रुपये हो गया जिसका मतलब है कि 12 महीने में 2,32,104 करोड़ रुपये का नया निवेश हुआ।

दूसरा उपाय बैंक उधार का है। उसी अवधि के दौरान बैंक उधार बढ़कर 2,39,784 करोड़ रुपये हो गया। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे संसदीय ग्रंथालय में आए और भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटीन को पढ़े जिसमें आप को पता चलेगा कि यह पैसा कहां जा रहा है। यह पैसा विनिर्माण, बुनियादी ढांचा निर्माण, सेवाओं तथा व्यापार में जा रहा है। प्रथम बार, कई महीनों के बाद, निवेश में आज हम उछाल पा रहे हैं। मैं इसका श्रेय नहीं ले रहा हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह अच्छी स्थिति है। हमारी स्थिति ऐसी है कि जहां उद्योग व्यापार, सेवाएं आश्वस्त है कि वे निवेश कर सकते हैं और वे अपने निवेश पर लाभ कमा सकते हैं। अब हम ऐसा कुछ न करे, जो इस वातावरण को खराब कर दे। अब हम उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित करे क्योंकि केवल निवेश से इस देश में विकास हो सकता है और विकास से ही अधिक धारिता का निर्माण हो सकता है।

महोदय, मेरे पास निवेश संबंधी अन्य आंक्रड़े भी हैं। उदाहरण के लिए ये नीति निर्धारक ही हैं जो क्षेत्र-वार निवेश की निगरानी कर सकते हैं। प्रथम बार आप पाएंगे-यदि आप अक्टूबर से अक्टूबर के आंकड़े पर नजर डालेंगे-कि अक्टूबर, 2004 तक उद्योग में किया गया कुल निवेश अक्टूबर, 2003 से अक्तूबर, 2004 तक 14,13,698 करोड़ रुपये से बढ़कर 17,93,979 करोड़ रुपये हो गया है जो मोटे तौर पर भा.रि. बैंक के आंकड़ों का समर्थन करता है।

[श्री पी. चिदम्बरम]

आज हमारा निवेश वृद्धि की ओर उन्मुख है। मुझे विश्वास है कि यदि हम बृहत आर्थिक स्थिति को सही तरह से बिना किसी रूकावट अथवा किन्हीं बाधाओं के नियंत्रित कर सके तो आज से कुछ दिन बाद, 1 अप्रैल, 2005 (2005-06) से जो वर्ष आरंभ होगा, वह और एक बेहतर वर्ष होगा। मुझे विश्वास है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार सात प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर का एक और वर्ष देने की उपलब्धि को हासिल कर सकेगी।

महोदय, हम कृषि, सिंचाई और जल संसाधनों में होने वाले निवेश को बहुत सावधानीपूर्वक देखेंगे। हम सरकारी निवेश और निजी निवेश दोनों की निगरानी करेंगे। हम निर्माण क्षेत्र में निवेश को सावधानीपूर्वक निगरानी कर रहे हैं। राष्ट्रीय निर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मक परिषद और निवेश आयोग दोनों उद्योग-वार और क्षेत्र-वार निर्माण के क्षेत्र में निवेश की बारीकी से जांच करेंगे। हम भी अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश को देखेंगे। यहां, निश्चय ही मुख्य भूमिका राज्य को निभानी है। विद्युत, दूरसंचार, सड़क, हवाई अड्डों तथा बन्दरगाहों के क्षेत्र में मुख्य भूमिका राज्य निभायेंगे और निश्चय ही निजी क्षेत्र द्वारा सहायक भूमिका निभायी जाएगी। लेकिन हम अवसंरचना के क्षेत्र में किए जा रहे निवेश की सावधानीपूर्वक निगरानी करने जा रहे हैं। अन्त में, हम शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के क्षेत्र में हो रहे निवेश की सावधानीपूर्वक निगरानी करेंगे जहां एक बार फिर मुख्य भूमिका राज्य की होगी।

महोदय, कृषि के क्षेत्र में हमारे युवा मित्र तथा अनेक लोगों ने कहा है कि मूल मुद्दा है ऋण। हमने अपनी सरकार के प्रथम माह में ही वह जान लिया था। यह सरकार मई, 2004 में सत्ता में आई और 18 जून को हमने ऋण नीति की घोषणा कर दी। अब, मैं जानता हूं कि इसके रूप के कारण आप इसकी आलोचना करना चाहेंगे। लेकिन विपक्ष में बैठें अनेक माननीय सदस्यों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया है कि जो सबसे अच्छी बात हुई है वह है कृषि में ऋणों का प्रवाह। इस वर्ष हमने 1,05,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। हम वास्तव में उस लक्ष्य को पार कर जायेंगे, हम 1,08,000 करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ा सकेंगे। अगले वर्ष के लिए हमने 1,40,000 करोड़ रु. का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन मुझे उसके लिए आपका समर्थन चाहिए। मुझे माननीय सदस्यों की सहायता की आवश्यकता है। आपको अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या बैंक जरूरतमंद कृषकों को ऋण दे रहे हैं। मैंने उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा किया है। मैं बजट सत्र के समाप्त होते ही महाराष्ट्र और बिहार का दौरा भी करना चाहता हूं। लेकिन मुद्दा यह है कि जब तक सभी माननीय सदस्य अपना सहयोग नहीं देते और सुनिश्चित.....

उपाध्यक्ष महोदय: आपको पंजाब भी जाना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, पंजाब हमें अन्न देने की स्थिति में है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम: लेकिन आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपको अन्तर सत्र के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन से बैंक कृषकों को ऋण दे रहे हैं और कौन से बैंक कृषकों को ऋण नहीं दे रहे हैं और कौन सी शाखाएं कृषकों को ऋण दे रही हैं। यदि हम सभी कृषि के प्रति इतने आवेश से वचनबद्ध है....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: लेकिन जो परसेन्टेज ले लेते है, उसे तो आप रोकिये।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: क्या हम अपने निर्धारित कार्यक्रम में से दो-तीन दिन अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए नहीं निकाल सकते और वापस आकर सूचना नहीं दे सकते कि कौन सा बैंक अच्छा कार्य कर रहा है और कौन सा बैंक अच्छा कार्य नहीं कर रहा है?

महोदय, ग्रामीण विकास के संबंध में कुछ गलत आंकड़े दिए गए थे। कृपया याद रहे कि ग्रामीण विकास संबंधी व्यय को अनेक विभागों में बांट दिया गया है और आपको बजट संबंधी दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक पढ़ना है। आपको तुलनात्मक आंकड़ों को देखना है। मैं आपको बता दूं कि हम अगले वर्ष कितना व्यय करना चाहते हैं। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-4,000 करोड़ रु.। काम के बदले अनाज संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (नकद घटक)-6,000 करोड़ रु.। खाद्यान्न घटक भी है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-958 करोड़ रु.। ग्रामीण आवास-2,769 करोड़ रु.। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-4,232 करोड़। प्रत्येक पहलू से चालू वर्ष की तुलना में यह आबंटन काफी अधिक है; चालू वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना से काफी अधिक आबंटन किया गया था। यह धनराशि काफी अधिक है। यदि इस धनराशि का उपयोग किया जाता है, यदि इस राशि को खर्च किया जाता है ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह तथ्य नहीं हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे अपने आंकड़ों पर विश्वास है। आप मुझे अपने आंकड़ों के बारे में बता सकते हैं, जनता निर्णय करेगी।

यदि यह धनराशि खर्च की जाती है तो ग्रामीण भारत में आपको काफी अन्तर दिखाई देगा।

महोदय, अब मैं वित्त विधेयक पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, एक अन्य चर्चा होगी। मैं केवल कराधान पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं। करों के दो प्रयोजन होते हैं। कर लगाना अथवा कर की दर अथवा कर लगाने के उद्देश्य को बहुत सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए कि यह न केवल राजस्व में बढ़ोत्तरी करे बल्कि बचतों को भी बढ़ावा दे। यदि आप बहुत अधिक कर लगायेंगे तो बचतें प्रभावित होंगी। यदि आप बहुत कम कर लगायेंगे तो राज्यों के पास अपने प्रस्तावों पर खर्च करने के लिए बहुत कम राजस्व एकत्रित होगा। कराधान के प्रति मेरा दृष्टिकोण, कराधान के प्रति यू.पी.ए. का दृष्टिकोण यह है जैसा कि एन सी एम पी कहता है: ''करो की दरे सामान्य और स्थिर होगी।'' जब हमने मई में यह कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा विश्वास था कि पूर्व सरकार की सत्ता के दौरान कर की दरें सामान्य नहीं थीं। अन्यथा हम सामान्य शब्द का उपयोग क्यों करें? यही कारण है कि हमने बचतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर की दरों को सामान्य किया। जब मैं अप्रैल और मई के अन्त में वित्त विधेयक पर चर्चा करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हम बचतों को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। इस संबंध में कुछ आलोचना हुई थी उस पर हम बाद में बात करेंगे।

राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ बचतों को बढ़ावा देने का विचार है। मुझे विश्वास है कि भारत जैसे देश में इच्छा से खपत प्रेरित होती है और खपत से उत्पादन प्रेरित होता है। इस देश में काफी बड़ी संख्या में लोग मूल भौतिक वस्तुएं रखने की इच्छा करते हैं। हमारे पास किराए की वस्तुएं है लेकिन हमारे पास किराए की वस्तुओं से कुछ अधिक है। मेरे विचार में उनके पास प्रत्येक व्यक्ति के पास जूतें, चप्पले, पुस्तकें इत्यादि होनी चाहिएं। प्रत्येक व्यक्ति के पास सभी वस्तुएं होनी चाहिएं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। यह ऐसी इच्छा है जो कि खपत को प्रेरित करती है और यह खपत है जो कि उत्पादन को प्रेरित करेगी।

जिस तरह से हमने अपनी कर प्रणाली तैयार की है उससे प्रत्येक व्यक्ति की जेब में अधिक पैसा रहेगा। मैंने कहा है-उन्होंने सोचा कि मैं यह ऊपर-ऊपर से कह रहा हूं- और मैं यह पूरी गंभीरता से कहता हूं कि जिनके पास पैसा है उनको उस पैसे का 60 प्रतिशत खर्च करना चाहिए और 40 प्रतिशत की बचत करनी चाहिए। यदि पूरी बचत कर ली जाती है और खर्च नहीं किया जाता है, तो उत्पादन नहीं होगा। यदि सारा पैसा खर्च कर दिया जाता है और कोई बचत नहीं की जाती है तो निवेश नहीं होगा। अत: मैं गृहिणियों से अनुरोध करूंगा, मैं परिवार के मुखियाओं से अनुरोध करूंगा, मैं परिवारों से अनुरोध करूंगा कि चूंकि अब आपकी जेबों में अधिक पैसा है, इसलिए कृपया उस पैसे का एक भाग खर्च करिए और एक भाग की बचत करिए। यही एक तरीका है जिससे ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: आप मूल्य वृद्धि के संबंध में क्या कहेंगे?

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया मेरी बात सुनिए। हरिन जी, आपकी समस्या यह है कि आप बात नहीं सुनते हैं।

आज मुद्रास्फीति की दर पिछले वर्ष की तुलना में एक प्रतिशत कम है। ...*(व्यवधान)* तथ्य यह है कि मुद्रास्फीति की दर पिछले वर्ष की तुलना में पूरी एक प्रतिशत कम है। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: पिछले वर्ष की तुलना में मूल्य-वृद्धि भी अधिक है।

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया मेरी बात सुनिए। आप गलत कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आप यह बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कृपया मेरी बात सुनिए।

मुद्रास्फीति की दर पिछले एक वर्ष की तुलना में पूरी एक प्रतिशत कम है। पिछले वर्ष आपने कहा था: ''यह सरकार अक्षम है; यह मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित नहीं कर सकती है।'' मैंने कहा: ''कृपया धैर्य रखिए; हम मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करेगें।'' हम मुद्रास्फीति की दर को पांच प्रतिशत से नीचे ले आए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: आप मूल्य वृद्धि के संबंध में क्या कहेंगे?

श्री पी. चिदम्बरम: मेरे विचार में मुझे अर्थशास्त्र की बुनियादी जानकारी देनी पड़ेगी कि मुद्रास्फीति क्या है और मूल्यों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है।

श्री हरिन पाठक: मैं जानता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैंने आपसे पहले ही आबंटन का खुलासा कर दिया है। एन.सी.एम.पी. योजनाओं के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 75,000 करोड़ रुपये। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, आम आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्हें काफी अधिक खर्च करना पड़ेगा।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं उस मुद्दे पर भी चर्चा करूंगा। कृपया सुनिए। मैं अपने क्रम से उत्तर दूंगा। मुझे आपके क्रम में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। ...*(व्यवधान)* श्री मल्होत्रा जी, मैं अपने क्रम में उत्तर दूंगा न कि आपके क्रम में। मैं अपने क्रम में उत्तर दूंगा।

एन.सी.एम.पी. के कार्यक्रमों के लिए चालू वर्ष में लगभग 50,000 करोड़ रुपये की तुलना में 75,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। यह काफी अधिक वृद्धि है। लेकिन परिणाम महत्वपूर्ण है। मेरे विचार में बजट भाषण में सबसे महत्वपूर्ण पैरा 100 है। विगत में, हम सभी परिव्यय से आकर्षित और प्रभावित थे। परिव्यय है लेकिन हमें उसे उपलब्धियों के रूप में देखना चाहिए। अत: हमने क्या किया कि हम प्रत्येक मंत्रालय को कह रहे हैं कि वह इस परिव्यय को उपलब्धियों में परिवर्तित करे। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों और मंत्रियों को पत्र लिखा है जिसमें उनसे यह अनुरोध किया है कि इस महीने के अंत में हमें परिव्यय को उपलब्धियों में परिवर्तित कर देना चाहिए और उन्हें सूचित करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस सत्र के दौरान किसी समय, हम इस सभा के समक्ष न केवल वित्तीय परिव्यय सभा पटल पर रखेंगे जो कि बजट में है बल्कि वित्तीय परिणामों को भी सभा पटल पर रखेंगे। हम न केवल मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा वर्ष में किए गए व्यय पर निगरानी रखना चाहते हैं बल्कि हम यह देखना चाहते हैं कि उस व्यय से सड़कों की लम्बाई के रूप में, विद्युत उत्पादन के रूप में, आवास निर्माण के रूप में, गांवों के विद्युतीकरण के रूप में और पूरी की गई पेयजल योजनाओं की संख्या के रूप में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। संसद को वर्ष के अंत में अपने अधिकार का उपयोग परिव्यय पर न करके उसके परिणामों पर करना चाहिए। माननीय सदस्यों को खड़े होकर मंत्री महोदय से यह नहीं पूछना चाहिए कि कितना व्यय किया है। हम जानते हैं कि उन्होंने कितना खर्च किया है। संशोधित आकलन से आप इस बारे में जान जायेंगे। लेकिन उस राशि को खर्च करके आपने क्या उपलब्धियां प्राप्त की? इसके लिए माननीय सदस्यों को संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से तब तक प्रतीक्षा करने का अनुरोध करता हूं जब तक मैं उस परिणाम के संबंध में एक विस्तत विवरण इस सभा में नहीं रख देता जो हम वर्ष के अंत तक प्राप्त कर लेंगे ...*(व्यवधान)*।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। व्यवधान मत डालिए। इसे रिकार्ड न किया जाए.

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, रोजगार रहित विकास को अस्वीकार करने के मामले में हम सब एकमत हैं। मैं समझता हूं कि इससे इस देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम सभी इस बात से सहमत है। इसलिए, इस बजट भाषण में मैंने उन क्षेत्रों की पहचान की थी जहां रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि हम सभी उन क्षेत्रों के बारे में सहमत हैं। इस वर्ष के दौरान हम संबंधित मंत्रालयों-वस्त्र मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, खान मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खनन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय-के साथ काम करते हुए क्या करना चाहते हैं। इस वर्ष के दौरान हम उन निवेशों की जो इन क्षेत्रों में हो रहे हैं तथा उन क्षेत्रों में सृजित रोजगार की गहन निगरानी करना चाहते हैं।

इस समय हमने उन क्षेत्रों की पहचान कर ली है जिनमें रोजगार सृजन के अवसर सबसे ज्यादा है, और आप देखेंगे कि वर्ष के दौरान मंत्रालय और विभाग उस क्षेत्र में शेयर धारकों और निवेशकों के साथ यह बात सुनिश्चित करने के लिए वार्ता में सक्रिय होंगे कि न केवल निवेश हो बल्कि इस निवेश से रोजगार भी पैदा हो।

अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस विषय पर मैं दो या तीन मिनट लेना चाहूंगा। कम से कम आधा दर्जन ऐसे क्षेत्र है जहां संसद को एक निकाय के रूप में और संसद सदस्यों को कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। अन्यथा, हम असफल हो जाएंगे। ये कौन से क्षेत्र हैं? ये हैं 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम जो इस वर्ष के दौरान, जब विधेयक पारित हो जाएगा तब यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम बन जाएगा। माननीय सदस्यों ने कहा था कि हम दोनों के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में यह 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' है। जब विधेयक पारित हो जाता है और एक कानून बन जाता है तब यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम बन जाएगा। लेकिन यह कार्यक्रम तभी सफल होगा जब अभिकल्पन सही हो तथा क्रियान्वयन दुरूस्त हो। अन्यथा यह रुपए को गर्त में डालने जैसा होगा।

इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 1 अप्रैल को शुरू किया जाएगा। मुख्य ध्यान सरकारी और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली पर होगा। एक माननीय सदस्य ने पूछा था: 'क्या आप जवाबदेही छोड़ रहे हैं।' इसका सवाल ही नहीं पैदा होगा। हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि राज्य वित्तीय परिव्यय संबंधी जिम्मेदारी वहन करेगी जबकि समुदाय को अपनी स्वयं की प्रणाली रखनी होगी। प्रणाली के स्वामित्व को समुदाय को स्वयं स्वीकार करना होगा ताकि प्रणाली समुदाय के प्रति जवाबदेह हो। आज अस्पताल और औषधालय प्रणालियां किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। चिकित्सा सेवा के कुछ निदेशक राज्य की राजधानियों में टिके हुए हैं।

अब आई.सी.डी.एस. कार्यक्रमों को लें। आई.सी.डी.एस. कैसे सफल होगा यदि हम वर्ष के अंत तक यह गणना नहीं कर लेते कि 1,88,168 आंगनवाड़ी वास्तव में काम कर रही हैं। मैं समझता हूं कि कुछ स्थानों में आंगनवाड़ी सिर्फ भूतहा घर हैं। लेकिन हम यह कहकर अपने को भ्रमित नहीं कर सकते कि हमने पैसा उपलब्ध कराया है और वहां आंगनवाड़ी है। लेकिन न तो कोई आंगनवाड़ी है, न कोई उसको चलाने वाला है और न ही बच्चे हैं। वर्ष के अंत तक हमें वास्तव में इतना सक्षम होना चाहिए कि हम कह सकें कि हमने वास्तव में 1,88,168 आंगनवाड़ियों की स्थापना की है।

अब हम 'दोपहर का भोजन योजना' की बात करते है। माननीय सदस्य ने कहा है कि राशन बहुत ही कम है। मैं इसकी जांच करूंगा। लेकिन वर्षों से तमिलनाडु में 'दोपहर का भोजन योजना' बहुत ही सफल रही है। हमें इसे शेष राज्यों में भी सफल बनाना होगा। मानव जाति के इतिहास में यह योजना कराने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। मानवजाति के इतिहास में कभी भी 11 करोड़ बच्चों को खाना नहीं खिलाया गया। हम एक प्रयास कर रहे है। इसमें कमियां भी हैं। कुछ खामियां है। मैं इससे इनकार नहीं करता। लोगों को रसोई घर बनाना पड़ेगा, उन्हें अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी। उन्हें चावल या गेहूं या तेल या सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। इसमें समय लगेगा। कामराज को दोपहर का भोजन योजना को बनाने में कम से कम पांच से छ: वर्ष का समय लग गया था। इसलिए राज्यों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन उन्हें जब सफलता मिलेगी, मुझ पर विश्वास कीजिए, यह भोजन कराने वाला आज तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। 11 करोड़ बच्चों को भोजन खिलाया जाएगा।

अब हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करते है। सर्व शिक्षा अभियान रुग्ण क्यों है। अनुपस्थिति के कारण ही सर्व शिक्षा अभियान का यह हाल है। ऐसी रिपोर्ट है कि शिक्षा प्रणाली के तहत सर्वशिक्षा अभियान में शिक्षकों की अनुपस्थिति 20 से 25 प्रतिशत है। जब शिक्षक विद्यालय जाते भी हैं तो शिक्षण का समय 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं होता। फिर पिछड़े क्षेत्रों के लिए धन की जरूरत है। हर साल हम 5,000 करोड़ रुपये अलग से निर्धारित करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग और कुछ अन्य राज्य जिनकी सूची बनी हुई है-के 170 जिलों की योजना आयोग द्वारा पहचान की गई है-, को अधिक धन मिले हम पांच साल तक ऐसा करेंगे। लेकिन इन सभी कार्यों में सफलता तभी मिलेगी। जब कार्यक्रम का डिजाइन अच्छा हो यदि क्रियान्वयन अच्छे हाथों में है और यदि हम वर्ष के अंत में परिणामों का आकलन कर सकें। ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। ये ऐसे कार्यक्रम है जिसके लिए हमें वास्तव में गर्व महसूस करना चाहिए। यदि वर्ष के अंत तक हम कह सकें कि हमने काफी सफलता प्राप्त की है जिसे प्राप्त करने के लिए हमने वर्ष के शुरू में लक्ष्य तय किए थे।

भारत निर्माण के बारे में कुछ सवाल पूछे गए है। भारत निर्माण कोई काल्पनिक योजना नहीं है। भारत निर्माण एक कार्य योजना है और हम व्यापारिक कार्यशैली में धीरे-धीरे इस ओर बढ़ रहे हैं। भारत निर्माण में जो कहा गया है उसकी मैंने सूची तैयार की है। हमने लक्ष्य भी निर्धारित किए है, हमने चार साल के लिए कार्य योजना बनाई है। मुझे विश्वास है कि हम इसे प्राप्त करेंगे यदि हम जवाहर लाल नेहरू जी के शब्दों में कहें, तो पूरी तरह नहीं, तो कम से कम बहुत हद तक हमने लक्ष्य प्राप्ति की ओर चल पड़े है। भारत निर्माण का लक्ष्य अतिरिक्त एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को सुनिश्चित सिंचाई के तहत लाना है। सिंचाई ऐसा विषय है जो राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है लेकिन हम धन मुहैया करा रहे हैं। राज्य भी अपने बजट से धन उपलब्ध कराते हैं। वृहद और मध्यम सिंचाई के लिए प्रति हेक्टेयर हम लगभग 75,000 रुपये की दर से तथा लघु सिंचाई के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से धन उपलब्ध कराते हैं। हमें इस कार्य हेतु 67,500 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। वर्ष 2003-04 में राज्य सरकारों ने अपने कोष से तथा केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि से लगभग 12,000 करोड़ रुपये सिंचाई पर पूंजी व्यय किए है। इस दर से व्यय करते हुए यह मान लेना सुरक्षित है कि 50,000 करोड़ रुपये उपलब्ध है। अब हमें और 17,500 करोड़ रुपये का प्रबंध करना होगा। यह कठिन तो नहीं, यह असंभव भी नहीं है। हम यह पैसा जुटा सकते है और मुझे विश्वास है कि चार वर्ष की अवधि में हम इस लक्ष्य को बहुत हद तक प्राप्त कर लेंगे जिसे हमने सिंचाई के क्षेत्र में तय किया है।

हमारा अगला लक्ष्य 1000 की आवादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ना है।

इस कार्यक्रम के लिए प्रति वर्ष औसतन 8,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यदि आप केवल केन्द्रीय कोष की ओर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इसमें संसाधन की कमी है। लेकिन यदि हम इसमें राज्य के धन को भी जोड़ दें और राज्य भी सड़कों तथा पुलों पर खर्च करें तो मेरा अनुमान दिखाता है कि 1000 की आबादी वाले गांवों को जोड़ने के लिए प्रतिवर्ष 8,000 करोड़ रुपये राज्य कोषों तथा केन्द्र के कोषों से प्राप्त हो सकते हैं।

तीसरा लक्ष्य इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत-60 लाख अतिरिक्त घर बनाना। वास्तव में यह प्राप्त किया जा सकता है। हम प्रतिवर्ष 15 लाख आवास बनाने में सक्षम है और चार वर्षों

[श्री पी. चिदम्बरम]

में 60 लाख आवास बनाने के लिए काफी धन है तथा हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

चौथा लक्ष्य शेष 74,000 बसावटों में पेयजल आपूर्ति सुलभ कराना है। अब, शेष वंचित गांवों के लिए 15,300 करोड़ रुपये की जरूरत है। फिर पानी की गुणवत्ता की समस्या है जिसके लिए देश के पूर्वी भाग में अतिरिक्त धन की जरूरत है। इस कार्यक्रम के लिए औसतन लगभग 6,560 करोड़ रुपये की जरूरत है और इसमें यदि उस राशि को जोड़ दें तो राज्य मुहैया कराते है-पिछले वर्ष के आंकड़ो को देखते हुए-तो हमारे पास इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन है।

पांचवां लक्ष्य टेलीफोन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। यह काफी हद तक प्राप्य है। 66,822 गांवों के लिए एक व्यापक सेवा बाध्यता है। निजी क्षेत्र इसमें काफी सक्रिय है। वास्तव में, सभी 6 लक्ष्यों में से एक जो सबसे पहले प्राप्त होने वाला है वह है गांवों के टेलीफोन से जोड़ना। एक समस्या ग्रामीण विद्युतीकरण की है। वहां अपेक्षित संसाधन की कमी है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक लक्ष्य तय नहीं कर सकते। हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है इसके लिए संसाधनों की कमी है। हम शीघ्र ही संसाधनों को जुटायेंगे। मैं संसाधनों को जुटाने का प्रयास करूंगा।

इसलिए, भारत निर्माण एक तरह की कार्य योजना है। यदि राज्य सरकारें हमारे साथ शामिल होकर इस कार्य योजना को लागू करती हैं, तो मेरा विश्वास है कि हमने इस दिशा में चार वर्ष की जो अवधि तय की है उसमें अच्छी-खासी प्रगति हो सकती है, और मेरा मानना है कि पांच वर्ष के अंतराल के बाद संप्रग सरकार यह साबित कर दिखायेगी कि भारत निर्माण के सपने को साकार करने की दिशा में काफी प्रगति हुई।

महोदय, मैं कुछेक उन नये प्रयासों का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्हें इस चर्चा में शामिल नहीं किया गया है। पिछली राजग सरकार ने एन एच डी पी-I तथा एन एच डी पी-II परियोजनाएं शुरू की थी। लेकिन एन एच ए आई परियोजना राजग सरकार के पहले शुरू की गई थी, जिस पर मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा। लेकिन एन एच डी पी-III परियोजना इस सरकार द्वारा नयी शुरू की गई है। बुनियादी ढांचे के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की विशिष्ट उद्देशीय परियोजना इस सरकार की एक नयी योजना है। इस सरकार के ये प्रयास भी मौलिक हैं कि सात बड़े शहरों तथा सभी बड़े कस्बों के लिए राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण मिशन शुरू किया जाये और यह बात भी, जोकि मेरा एक सपना है, कि भारत में एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय और विद्यमान विश्वविद्यालयों में से कम से कम एक विश्वविद्यालय विश्व स्तर का अवश्य होना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वर्ष हम इस दिशा में एक नई शुरूआत करेंगे और हम यह दिखा देंगे कि हमने इस क्षेत्र में कितनी प्रगति की है।

महोदय, मैं यहां उल्लिखित कुछेक बातों के बारे में एक दो शब्द बोलना चाहता हूं। लेकिन पहले मैं एनएचएआई की बात करता हूं। इस बारे में यह आलोचना की जाती रही है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस योजना को इतने उत्साह से शुरू किया था उसके प्रति यह सरकार बहुत अधिक रुचि नहीं दिखा रही है।. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में सड़क निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता उस समय से चली आ रही है जब राजग सरकार सत्ता में भी नहीं आयी थी। मैं समझता हूं और शायद आपको भी याद होगा कि एनएचएआई की स्थापना 1988 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से हुई थी।

श्री हरिन पाठक: लेकिन इस बारे में कोई कार्य नहीं हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: आप मेरी बात सुनिये। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। फिर 12.12.2000 से 21.05.2004 तक की अवधि में, मैं समझता हूं कि आपको यह तिथि अच्छी तरह याद होगी क्योंकि यह आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपने चार लेन वाली कुल 2,342 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जो कि प्रतिदिन के हिसाब से 1.86 किलोमीटर बनती है।

श्री हरिन पाठक: महोदय, ऐसा नहीं है। यह प्रतिदिन 11 कि.मी. बनती है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: आप मेरी बात तो सुने। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मंत्री जी की बात सुने।

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया मेरी बात सुने। 1,257 दिनों की अवधि में एनएचडीपी-I के तहत 2,342 किमी सड़कें बनायी गयी। यदि आप 2,342 को 1,257 से भाग दें, चाहे मैं भागफल निकालूं या आप इसका उत्तर 1.86 किलोमीटर प्रतिदिन आता है।

जहां तक सड़कों को चार लेन का किये जाने का संबंध है हमारी सरकार ने 22.05.2004 से 31.01.2005 तक अर्थात् 255 दिनों में 1,921 किमी. सड़कों को चार लेन का बनाया है और यह औसत प्रतिदिन 7.53 किमी. बैठता है। इसलिए आप यह कैसे कह सकते हैं कि हम इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: आप तो बहुत होशियार हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: आप आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। मैं यह साबित कर सकता हूं कि हमने किस तरह प्रतिदिन 11 किमी. के हिसाब से सड़क निर्माण का कार्य पूरा किया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाये।

*...(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया मेरी बात सुने। *...(व्यवधान)* इस बारे में तथ्य यही है।

महोदय, वर्ष 2003-04 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा 2,195 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जैसाकि मेरे पास उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है। लेकिन वास्तव में केवल 1,340 करोड़ रुपये ही खर्च किये गये। वर्ष 2004-2005 में हम इस पर 2155 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि यद्यपि एनएचडीपी को आज जिस रूप में लागू किया जा रहा है उसकी शुरूआत आपने की थी, और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, फिर भी आप कृपया इस बात को स्वीकार करें कि यह सरकार इस परियोजना को पूर्व सरकार की तुलना में और अधिक उत्साह से चला रही है। मैं यहां पर इसी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं।

यहां पर कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि हमने बकाया करों में से कितनी धनराशि वसूल की है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। जब हम वित्त विधेयक पर चर्चा करेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आप मेरी बात पर विश्वास करें। इस बारे में हमारे पास आंकड़े हैं कि हमने विगत के वर्षों की तुलना में इस वर्ष बकाया करों की सबसे अधिक वसूली की है। मैं आपको बाद में आंकड़े दे दूंगा।

जूट को लेकर भी कुछ प्रश्न किये गये हैं। हो सकता है मैंने अपने बजट भाषण में जूट का उल्लेख न किया हो, लेकिन मेरा मानना है कि यह वस्त्र उद्योग का ही एक भाग है। हमारे सामने जूट से संबंधित एक विस्तृत प्रस्ताव आया है। मैं जूट पैदा करने वाले राज्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जूट से संबंधित ये प्रस्ताव हमारे विचाराधीन हैं और इस बारे में जब निर्णय हो जायेगा तब हम संसद को सूचित करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जूट की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वस्तु स्थिति यह है कि हम इस पर पूरा ध्यान केन्द्रित किये हुए हैं, चाहें इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का सवाल हो, चाहे इससे संबंधित अप्रत्यक्ष रोजगारों के सृजन का सवाल हो या इसमें शामिल श्रमिकों और कृषकों की संख्या का प्रश्न हो। मेरे पास जूट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। हम इस मामले पर नजर रखे हैं और शीघ्र ही हम इस विषय की सारी जानकारी देंगे और आपको बतायेंगे कि हम जूट के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं एक बार फिर लघु उद्योगों पर आता हूं। इस बारे में एक आम गलत फहमी यह है कि लघु उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ लघु उद्योग इकाइयों को बंद कर दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लघु उद्योग इकाइयां खुली भी हैं। लघु उद्योग इकाइयां भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। हम इनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े हमारे और आपके लिए, दोनों के लिए उत्साहवर्द्धक हैं। इनमें किसी को दोष देने या वाहवाही लूटने का प्रश्न नहीं है।

वर्ष 2000-01 में कुल 101 लाख लघु उद्योग इकाइयां थी। वर्ष 2004-05 में यह संख्या बढ़कर 118 लाख हो गई है और इनका उत्पादन 2,61,289 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,99,020 करोड़ रुपये हो गया है। इनमें काम करने वालों की संख्या भी 239 लाख व्यक्तियों से बढ़कर 282 लाख हो गयी है। निर्यात बढ़ रहा है। मेरे पास केवल तीन वर्षों 2002-03 तक के आंकड़े हैं, जिससे पता चलता है कि इनका निर्यात 69,797 करोड़ रुपये से बढ़कर 86,013 करोड़ रुपये हो गया है।

मैं यह नहीं कहता कि लघु उद्योगों के सामने कोई चुनौतियां नहीं हैं। मुझे पता है कि लघु उद्योगों के समक्ष बहुत चुनौतियां हैं। लेकिन इसके बावजूद लघु उद्योग क्षेत्र फलफूल रहा है। हमने पिछले बजट में कुछ कदमों को उठाये जाने की घोषणा की थी। हम शीघ्र ही लघु और मझोले उद्योगों पर एक विधेयक पेश करेंगे। लघु और मध्यम उद्यम निकाय विधेयक इस सत्र में पेश किया जा रहा है। जब उस विधेयक पर चर्चा होगी तब संबद्ध मंत्री इस बारे में विस्तार से बतायेंगे। यदि हमें मौका मिला तो हम इसमें हस्तक्षेप कर आपको बतायेंगे कि हम लघु उद्योग क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं।

लेकिन मैं लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित लोगों को, और वे लोग जो अभी हमारे इस भाषण को सुन रहे हैं-चाहें वे उद्यमी हों, प्रवर्तक हों या श्रमिक हों, मैं सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सरकार भारत में लघु उद्योगों की भूमिका से भली भांति परिचित है। हम चाहते हैं कि वे लघु और मझोले उद्यमों के रूप में कार्य करें। लघु और मझोले उद्योग में अधिक से अधिक रोजगार सृजन की क्षमता है। संप्रग सरकार लघु और मझोले उद्यमों को विकसित करने की दिशा में हर संभव कदम उठायेगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अनारक्षण के बारे में आपका क्या विचार है।

श्री पी. चिदम्बरम: अरनाक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो साल-दर-साल चलती रहती है। प्रत्येक वर्ष आरक्षण सूची से कई मदों को निकाल दिया जाता है, क्योंकि अब उनका आयात हो रहा है। राजग सरकार के कार्यकाल में भी ऐसा हुआ है। जब

[श्री पी. चिदम्बरम]

हम उसी वस्तु का आयात करें और यदि कोई बहु-राष्ट्रीय कंपनी उसी वस्तु का उत्पादन कर सकती है और उसका 50 प्रतिशत निर्यात करती है तो उसके आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक कि उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लघु उद्योग कार्य न कर रहे हों। इसलिए अनारक्षण की प्रक्रिया साल-दर-साल चलती रहती है। आपसे मैं जो बात कहना चाहूंगा वह यह है कि आप विगत में जायें और श्री यशवन्त सिन्हा अथवा श्री जसवंत सिंह के भाषणों को पढ़कर देखें।

महोदय, मैं सभी सदस्यों से इस अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि आप कृपया उन आधा दर्जन क्षेत्रों की ओर ध्यान दें जहां मैं चाहता हूं राज्य काम करें। भारत सरकार बड़े पैमाने पर निधियां उपलब्ध कराती है, योजनाएं उपलब्ध कराती है। लेकिन कार्यान्वयन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए दूसरे बजटों की तरह यह बजट की सफलता अथवा असफलता राज्यों के सहयोग पर निर्भर करती है और महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा के माध्यम से राज्यों से अपील करना चाहता हूं कि पहले वे अपने यहां की शासन व्यवस्था में सुधार लायें। यदि राज्यों में शासन कमजोर होता है, तो लोगों द्वारा बनायी गयी एक से बढ़कर एक योजनाएं असफल हो जाती हैं। इसलिए राज्य में शासन व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। जब किसी विशेष कार्यक्रम के लिए धनराशि दी जाती है, तो राज्यों को वह धन उसी कार्यक्रम के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। उसका किसी अन्यत्र प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अक्सर हम पाते हैं कि धन आवंटित किसी और कार्यक्रम के लिए होता है पर उसका उपयोग कहीं और होता है। हम धन देते हैं इंदिरा आवास योजना के लिए और वह खर्च होता है किसी और कार्यक्रम में। हम इसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए देते हैं और यह अन्यत्र चला जाता है। हम इसे ग्रामीण स्वास्थ्य की देखभाल के लिए देते हैं लेकिन यह किसी अन्य मद में खर्च हो जाता है। ऐसा हर राज्य में होता है। मैं समझता हूं कि राज्यों को पैसा उसी कार्यक्रम पर खर्च करना चाहिए जिसके लिए वह आवंटित किया गया है।

तीसरी बात, मैं सभी राज्यों से अपील करता हूं कि वे कृपया अपने मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए वादों का सम्मान करें, अपने वित्त मंत्री के वादों का सम्मान करें और वैट लागू करें। यह भारत के लिए अच्छा है। महोदय, 113 देश वैट को क्रियान्वित कर रहे है। वैट को क्रियान्वित करें। इससे राज्य स्तर पर भारतीय कराधान प्रणाली आधुनिक तथा दक्ष कराधान प्रणाली बनेगी।

चौथी बात कि आप अपने ए.पी.एम.सी. अधिनियमों को संशोधित करें. ए.पी.एम.सी. अधिनियम बहुत पुराने हो गये हैं। हमने कृषि मंत्रालय के अधीन इस शर्त के साथ एक घोषणा की है कि ए.पी.एम.सी. अधिनियमों को संशोधित किया जाएगा। आधे दर्जन राज्यों ने इन अधिनियमों में संशोधन कर दिया है। इस समय हम वर्ष 2005 में रह रहे हैं। आज का किसान 40 वर्ष पहले वाला किसान नहीं रहा। ए.पी.एम.सी. अधिनियम पुराने अधिनियम हो गए हैं। मैं राज्यों से उनमें ए.पी.एम.सी. अधिनियमों को संशोधित करने का अपील करूंगा। तथा उनसे कृषि मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही नई योजनाओं से लाभ प्राप्त करने को कहूंगा।

आप वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करने में सरकार का साथ दें। आज पूरा सहकारी ऋण ढांचा खतरे में हैं। वैद्यनाथन समिति ने एक बड़ी राशि खर्च करने तथा सहकारी संस्थानों को पुनर्जीवित करने हेतु खर्च करने की सिफारिश की है। मुझे विश्वास है कि मैं प्रधानमंत्री जी को सहमत कर पाऊंगा। मैं मंत्रिमंडल को पैसा देने के लिए सहमत कर सकता हूं और मैं आपके पास पुन: आ सकता हूं और पैसे के लिए आपको मतदान करने को कह सकता हूं। जब तक सरकार सहकारी संस्थानों में सुधार नहीं लाती है, जब तक विधिक ढांचा ठीक नहीं होता है, सहकारी संस्थानों में जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है तब तक 15,000 करोड़ रुपये खर्च करने का क्या मतलब है? जब हम राज्यों की एक बैठक बुला रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ करना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: भा.रि. बैंक ने ही इसे शुरू किया था। जब हम वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों की बैठक बुलाएंगे तो मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी राज्य सरकारों को हमारे साथ काम करने के लिए सहमत करें ताकि इन सहकारी संस्थानों को पुनर्जीवित कर सकें तथा उन्हें बचा सकें जिन्होंने विगत समय में समाज सेवा का काम किया है।

अंत में, राज्यों द्वारा सहकारी बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण की लागत को अवश्य कम किया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अनुरोध है कि वे ब्याज दर को कम करे। राजग सरकार के दौरान यह 9 प्रतिशत था, चालू वर्ष में 8.5 प्रतिशत है और मैं चाहता हूं इस ब्याज दर को संभव सीमा तक घटाने के लिए कदम उठाए। एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 8.5 प्रतिशत ब्याज पर उधार दे रहे हैं जबकि सहकारी बैंक 12 प्रतिशत की दर पर दे रहे है। इसमें बहुत अपवाद है। आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां राज्य को राजसहायता दी जा रही है और इसे 6 या 6.5 प्रतिशत की दर से उधार दे रहे हैं। लेकिन राज्यों को सहकारी बैंकों के प्रबंधन को ठीक करना चाहिए, विस्तार को कम करे ताकि सहकारी संस्थानों द्वारा किसानों को ऋण स्वीकार्य ब्याज दर पर दिया जा सके।

अंत में मैं राज्यों से इस बात के लिए अपील करना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक यह है कि चाहे जो भी सरकार हो, प्रयास को गति और बल मिला है और वह है स्वयं-सहायता समूह। हमने लघु वित्त संस्थानों के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए एक प्रमुख कदम उठाया है। हमारे पास अब लघु वित्त संस्थानों के लिए एक नियामक होगा। स्वयं सहायता समूह का प्रसार तेजी से हो रहा है। वास्तव में महिलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। हमारे पास महिला स्वयं-सहायता समूह है जिसकी वसूली दर 99 प्रतिशत है जो दर्शाता है कि जब भारत की महिला एक जुट हो जाएगी और पैसा उधार लेंगी तो केवल उधार लेने में ही उनका स्थान नहीं बल्कि उसको वापस करने में भी उनका स्थान सम्मानजनक और गर्व पूर्ण है।

हम स्वयं-सहायता समूहों को गति प्रदान करने जा रहे हैं। हम लघु वित्त संस्थानों को तीव्र गति प्रदान करने जा रहे हैं ताकि ऋण छोटे और अति छोटे उद्योगों के लिए भी प्राप्त हो सके। इससे रोजगार और आय का सृजन होगा। इसलिए, मेरा मानना है कि बजट का दर्शन निवेश, विकास, स्थायित्व और धारिता पर आधारित है। मैं समझता हूं कि जहां तक हो सकता है मैंने सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय किया है लेकिन कुछ वर्ग ऐसे है जो वंचित रह गए हैं। हम निश्चित रूप से उन पर ध्यान देंगे। हमने अनुसूचित जातियों की चिंताओं का समाधान किया है, हमने अनुसूचित जन-जातियों की समस्या का हल ढूंढा है, हमने अल्पसंख्यकों की चिंताओं को हल किया है, हमने महिलाओं, किसानों और लघु उद्योगों की समस्याओं को हल किया है।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन के वित्त पोषण का उल्लेख किया गया है। अब वार्षिक अनुदान राशि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी जाती है। चालू वर्ष अर्थात् वर्ष 2004-05 के लिए वित्त पोषण कार्यक्रम 71.75 करोड़ रुपये का था और अगले वर्ष अर्थात् 2005-06 के लिए मंत्रालय फाउंडेशन को 100.48 करोड़ रुपये देगा जो लगभग 29 करोड़ रुपये अधिक होगा। लेकिन यदि मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन और कार्यक्रमों को शामिल करता है और उसे अधिक धन की जरूरत पड़ती है तो मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से इसे धन देंगे।

जहां तक केन्द्रीय वक्फ कौंसिल का संबंध है, वर्ष 2004-05 के 12.20 करोड़ रुपये के आबंटन को बढ़ाकर वर्ष 2005-06 में 19.17 करोड़ रुपये कर दिया गया है। लेकिन मैं मानता हूं कि यह भी अपर्याप्त है। इसलिए, विनियोजन विधेयक के लिए मतदान करते वक्त मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय वक्फ कौंसिल को अधिक धन दूंगा ताकि इसकी गतिविधियां बाधित न हों। *...(व्यवधान)*

मैंने वित्त विधेयक के किसी पहलू पर चर्चा नहीं की। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो चिंताएं व्यक्त की है उसके प्रति मैं सचेत नहीं हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा जब हम वित्त विधेयक पर चर्चा करेंगे कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए कोई कर नहीं लगाया गया है। एक कर का प्रस्ताव किया गया है और आप इसे खत्म कर सकते हैं। इसलिए, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने मुझसे पूछा, ''जब मैंने धन निकासी पर कर की चर्चा की तो हंगामा क्यों हुआ?'' मैंने कहा, महोदय, मैं आपके और अपना विशुद्ध मानक का उपयोग कर रहा था लेकिन स्पष्टतौर पर समय में परिवर्तन किया गया है।'' मैं आपकी चिंताओं से अवगत हूं और हमारे माननीय मित्रों ने बचत खाते के बारे में जो कुछ कहा है उसके प्रति भी सचेत हूं। जब हम वित्त विधेयक पर चर्चा करेंगे तब आपको एक अच्छा समाचार मिलेगा। पेंशन भोगियों और महिलाओं के संबंध में श्री मल्होत्रा जी के मुद्दे के बारे में मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। पूर्व के विभिन्न समाचार पत्रों में की गई अवधारणाएं सही नहीं है। मैं आपको आंकड़ा पेश करूंगा। लेकिन इसके बाद भी यदि चिंता है, जिन्हें दूर किया जाना है तो मैं समझता हूं कि हम यहां बैठे हैं और हम सभी चिंताओं को दूर कर देंगे। महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक केवल आपके ही नहीं हमारे चुनाव क्षेत्र में भी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सायं 7.46 बजे

(तत्पश्चात्, प्रो. राम गोपाल यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, चूंकि बोडोलैण्ड से जुड़े मसले पर चर्चा नहीं हुई है, मैं विरोध में सभा से बहिर्गमन करता हूं। *...(व्यवधान)*

सायं 7.47 बजे

(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी सभा भवन से बाहर चले गए)

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2005-2006 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 34, 36, 37, 39 से 63, 65 से 73, 75, 76, 78 से 105 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत को संचित निधि में से लेखे पर राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 2004-2005 के बजट (सामान्य) के अनुदानों की मांगों

संख्या और मांग का शीर्षक		दिनांक 21 जुलाई, 2004 को सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि		लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1		2	3	4	5
कृषि मंत्रालय					
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	1489,86,00,000	43,48,00,000	1292,91,00,000	51,25,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	876,66,00,000	–	876,65,00,000	–
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	412,91,00,000	6,96,00,000	299,86,00,000	6,95,00,000
कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय					
4.	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	380,01,00,000	81,00,000	480,01,00,000	80,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग					
5.	परमाणु ऊर्जा	905,70,00,000	751,66,00,000	905,69,00,000	779,52,00,000
6.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	656,51,00,000	1128,81,00,000	656,50,00,000	1128,81,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय					
7.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	42,68,00,000	24,17,00,000	40,04,00,000	17,50,00,000
8.	उर्वरक विभाग	9655,92,00,000	65,99,00,000	3506,27,00,000	65,98,00,000

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

1	2	3	4	5
नागर विमानन मंत्रालय				
9. नागर विमानन मंत्रालय	187,72,00,000	22,53,00,000	54,37,00,000	22,52,00,000
कोयला और खान मंत्रालय				
10. कोयला विभाग	159,91,00,000	64,25,00,000	159,91,00,000	64,25,00,000
11. खान विभाग	270,82,00,000	72,14,00,000	205,81,00,000	13,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय				
12. वाणिज्य विभाग	906,46,00,000	263,00,00,000	906,47,00,000	263,00,00,000
13. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	291,88,00,000	9,55,00,000	289,42,00,000	9,55,00,000
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
14. डाक विभाग	3115,05,00,000	124,30,00,000	2915,30,00,000	54,44,00,000
15. दूरसंचार विभाग	1165,62,00,000	50,00,000	1165,62,00,000	508,50,00,000
16. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	368,00,00,000	24,75,00,000	369,00,00,000	24,75,00,000
कम्पनी कार्य मंत्रालय				
17. कम्पनी कार्य मंत्रालय	27,25,00,000	1,50,00,000	27,25,00,000	1,50,00,000
उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय				
18. उपभोक्ता मामले विभाग	20,67,00,000	4,96,00,000	20,67,00,000	4,50,00,000
19. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	13307,75,00,000	236,11,00,000	13320,84,00,000	236,11,00,000
संस्कृति मंत्रालय				
20. संस्कृति मंत्रालय	333,17,00,000	22,75,00,000	334,16,00,000	22,75,00,000
रक्षा मंत्रालय				
21. रक्षा मंत्रालय	3981,86,00,000	271,91,00,000	1630,42,00,000	217,91,00,000
22. रक्षा पेंशन	5624,87,00,000	-	5624,87,00,000	-
23. रक्षा सेवा-थल सेना	14314,53,00,000	-	14314,53,00,000	-
24. रक्षा सेवा-नौसेना	2687,60,00,000	-	2687,60,00,000	-
25. रक्षा सेवाएं-वायु सेना	4322,79,00,000	-	4322,78,00,000	-
26. रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	943,54,00,000	-	-	-
27. रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	1176,47,00,000	-	1176,47,00,000	-

1	2	3	4	5
28. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	–	16736,50,00,000	–	16736,49,00,000
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय				
29. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	519,28,00,000	28,96,00,000	519,28,00,000	28,68,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय				
30. पर्यावरण और वन मंत्रालय	642,23,00,000	8,38,00,000	642,23,00,000	8,37,00,000
विदेश मंत्रालय				
31. विदेश मंत्रालय	1823,54,00,000	261,32,00,000	1440,49,00,000	115,31,00,000
वित्त मंत्रालय				
32. आर्थिक कार्य विभाग	1280,58,00,000	771,38,00,000	1280,58,00,000	771,38,00,000
33. करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	466,91,00,000	245,75,00,000	446,91,00,000	245,75,00,000
34. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	1757,71,00,0004	4604,57,00,000	1757,70,00,000	4604,56,00,000
36. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	13404,78,00,000	–	13404,77,00,000	–
37. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	–	300,00,00,000	–	300,00,00,000
39. व्यय विभाग	13,31,00,000	–	13,31,00,000	–
40. पेंशन	2348,98,00,000	–	2348,98,00,000	–
41. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	552,27,00,000	5,50,00,000	506,27,00,000	5,50,00,000
42. राजस्व विभाग	270,80,00,000	2,53,00,000	120,82,00,000	2,52,00,000
43. प्रत्यक्ष कर	572,98,00,000	51,00,00,000	572,98,00,000	51,00,00,000
44. अप्रत्यक्ष कर	630,80,00,000	99,42,00,000	631,30,00,000	99,41,00,000
45. विनिवेश विभाग	55,00,00,000	–	–	–
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय				
46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	57,84,00,000	–	57,84,00,000	–
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय				
47. स्वास्थ्य विभाग	1535,64,00,000	177,85,00,000	1211,78,00,000	177,85,00,000
48. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुध)	112,61,00,000	26,00,000	112,61,00,000	25,00,000
49. परिवार कल्याण विभाग	3348,19,00,000	–	3348,18,00,000	–
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय				
50. भारी उद्योग विभाग	79,94,00,000	235,57,00,000	79,93,00,000	235,56,00,000
51. सरकारी उद्यम विभाग	16,33,00,000	–	16,32,00,000	–

1	2	3	4	5
गृह मंत्रालय				
52. गृह मंत्रालय	353,61,00,000	14,03,00,000	353,60,00,000	14,02,00,000
53. मंत्रिमंडल	81,52,00,000	50,00,000	81,52,00,000	50,00,000
54. पुलिस	5454,20,00,000	750,98,00,000	5454,20,00,000	750,97,00,000
55. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	378,19,00,000	–	378,19,00,000	–
56. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	303,52,00,000	204,49,00,000	303,51,00,000	204,48,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय				
57. बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	5237,30,00,000	–	767,38,00,000	–
58. माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	2528,69,00,000	1,00,000	2528,69,00,000	–
59. महिला और बाल विकास विभाग	1480,64,00,000	–	973,55,00,000	–
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय				
60. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	631,68,00,000	125,43,00,000	631,67,00,000	125,43,00,000
श्रम और रोजगार मंत्रालय				
61. श्रम और रोजगार मंत्रालय	522,86,00,000	3,00,000	522,85,00,000	3,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय				
62. निर्वाचन आयोग	5,75,00,000	–	5,75,00,000	–
63. विधि और न्याय	1255,85,00,000	51,00,000	105,85,00,000	51,00,000
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय				
65. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	254,62,00,000	48,02,00,000	254,61,00,000	48,02,00,000
अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय				
66. अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	3,00,00,000	50,00,000	3,00,00,000	50,00,000
पंचायती राज मंत्रालय				
67. पंचायती राज मंत्रालय	15,52,00,000	–	15,52,00,000	–
महासागर विकास विभाग				
68. महासागर विकास विभाग	114,54,00,000	50,00,000	114,54,00,000	50,00,000
संसदीय कार्य मंत्रालय				
69. संसदीय कार्य मंत्रालय	2,95,00,000	–	2,94,00,000	–
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय				
70. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	125,86,00,000	3,58,00,000	125,86,00,000	3,57,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
71. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1786,71,00,000	–	1786,71,00,000	–

1	2	3	4	5
योजना मंत्रालय				
72. योजना मंत्रालय	3223,44,00,000	911,50,00,000	3223,44,00,000	911,50,00,000
विद्युत मंत्रालय				
73. विद्युत मंत्रालय	1051,94,00,000	1318,80,00,000	1051,93,00,000	1318,80,00,000
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय				
75. लोकसभा	101,40,00,000	–	101,40,00,000	–
76. राज्य सभा	44,96,00,000	–	44,95,00,000	–
78. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	1,56,00,000	–	1,55,00,000	–
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय				
79. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2687,88,00,000	3616,48,00,000	2687,87,00,000	3616,47,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय				
80. ग्रामीण विकास विभाग	7549,48,00,000	2,50,00,000	6049,48,00,000	2,50,00,000
81. भूमि संसाधन विभाग	632,24,00,000	–	632,24,00,000	–
82. पेय जलापूर्ति विभाग	1650,70,00,000	–	1650,69,00,000	–
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
83. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	609,76,00,000	35,35,00,000	609,75,00,000	35,35,00,000
84. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	647,95,00,000	2,05,00,000	647,95,00,000	2,05,00,000
85. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	161,73,00,000	—	161,72,00,000	—
नौवहन मंत्रालय				
86. नौवहन मंत्रालय	273,04,00,000	153,82,00,000	297,51,00,000	153,81,00,000
लघु उद्योग मंत्रालय				
87. लघु उद्योग मंत्रालय	199,70,00,000	7,50,00,000	199,70,00,000	7,50,00,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय				
88. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	685,71,00,000	89,88,00,000	691,55,00,000	89,87,00,000
अंतरिक्ष विभाग				
89. अंतरिक्ष विभाग	1055,97,00,000	274,67,00,000	1110,97,00,000	289,67,00,000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
90. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	882,69,00,000	10,42,00,000	952,18,00,000	10,42,00,000
इस्पात मंत्रालय				
91. इस्पात मंत्रालय	74,16,00,000	44,45,00,000	17,49,00,000	44,44,00,000

1	2	3	4	5
कपड़ा मंत्रालय				
92. कपड़ा मंत्रालय	662,97,00,000	227,34,00,000	662,96,00,000	227,34,00,000
पर्यटन मंत्रालय				
93. पर्यटन मंत्रालय	113,62,00,000	147,25,00,000	113,62,00,000	227,34,00,000
जनजाति कार्य मंत्रालय				
94. जनजाति कार्य मंत्रालय	68,91,00,000	21,63,00,000	69,41,00,000	28,63,00,000
विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र				
95. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	453,49,00,000	104,16,00,000	453,49,00,000	104,16,00,000
96. चंडीगढ़	451,22,00,000	76,18,00,000	451,21,00,000	76,17,00,000
97. दादरा और नगर हवेली	226,91,00,000	17,75,00,000	226,91,00,000	17,74,00,000
98. दमन और दीव	123,75,00,000	14,90,00,000	13,75,00,000	14,90,00,000
99. लक्षद्वीप	109,33,00,000	19,02,00,000	109,33,00,000	19,01,00,000
शहरी विकास मंत्रीलय				
100. शहरी विकास विभाग	477,18,00,000	657,96,00,000	477,17,00,000	177,96,00,000
101. लोक निर्माण कार्य	344,20,000,000	120,25,00,000	344,20,00,000	120,24,00,000
102. लेखन-सामग्री और मुद्रण	73,53,00,000	10,00,000	73,52,00,000	10,00,000
शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय				
103. शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	225,57,00,000	155,78,00,000	304,56,00,000	155,77,00,000
जल संसाधन मंत्रालय				
104. जल संसाधन मंत्रालय	396,69,00,000	28,74,00,000	396,69,00,000	28,74,00,000
युवा मामले और खेल मंत्रालय				
105. युवा मामले और खेल मंत्रालय	225,88,00,000	7,12,00,000	225,88,00,000	7,12,00,000
जोड़ राजस्व/पूंजी	143140,51,00,000	35829,30,00,000	124690,71,00,000	35639,39,00,000

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2004-05 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 4, 8 से 10, 12 से 16, 18, 20 से 23, 25 से 27, 29 से 32, 34, 36, 40 से 44, 46 से 50, 52 से 58, 60, 61, 63, 65, 68, 70, 71, 79, 80, 83, 84, 86, 88, 90 से 92, 95 से 100, 104 और 105 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 2004-2005 के अनुदानों की पूरक मांगों का द्वितीय बैच (सामान्य)

संख्या	मांग का शीर्षक	लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	3,00,000	20,91,00,000
2.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	1,00,000	–
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	1,00,000	–
4.	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	1,00,000	–
8.	उर्वरक विभाग	2996,36,00,000	–
9.	नागर विमानन मंत्रालय	89,90,00,000	–
10.	कोयला विभाग	1,00,000	–
12.	वाणिज्य विभाग	1,00,000	25,20,00,000
13.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	1,00,000	–
14.	डाक विभाग	10,78,00,000	1,00,000
15.	दूरसंचार विभाग	2082,50,00,000	407,10,00,000
16.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	–
18.	उपभोक्ता कार्य विभाग	38,07,00,000	–
20.	संस्कृति मंत्रालय	2,00,000	–
21.	रक्षा मंत्रालय	959,10,00,000	–
22.	रक्षा पेंशन	672,00,00,000	–
23.	रक्षा सेवा-थल सेना	1334,41,00,000	–
25.	रक्षा सेवा-वायु सेना	30,00,00,000	–
26.	रक्षा आयुध कारखाने	75,45,00,000	–
27.	रक्षा सेवा-अनुसंधान एवं विकास	66,91,00,000	–
29.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	–	2,62,00,000
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	2,00,000	–
31.	विदेश मंत्रालय	253,30,00,000	–
32.	आर्थिक कार्य विभाग	1,00,000	–
34.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	6,00,000	1,03,00,000
36.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को अंतरण	316,62,00,000	–

1	2	3	4
40.	पेंशन	213,00,00,000	–
41.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	83,31,00,000	2,96,00,000
42.	राजस्व विभाग	11,94,00,000	–
43.	प्रत्यक्ष कर	23,95,00,000	–
44.	अप्रत्यक्ष कर	53,47,00,000	–
46.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,00,000	–
47.	स्वास्थ्य विभाग	3,00,000	–
48.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुध)	3,60,00,000	–
49.	परिवार कल्याण विभाग	1,00,000	–
50.	भारी उद्योग विभाग	–	1,00,000
52.	गृह मंत्रालय	8,87,00,000	–
53.	मंत्रिमंडल	62,45,00,000	–
54.	पुलिस	434,80,00,000	6,00,00,000
55.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	135,00,00,000	–
56.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	147,66,00,000	4,00,00,000
57.	प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	1,00,000	–
58.	माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग	167,17,00,000	–
60.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	18,52,00,000	–
61.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	91,45,00,000	–
63.	विधि एवं न्याय	2,00,000	–
65.	गैर-पारंपरिक ऊर्जा-स्रोत मंत्रालय	1,00,000	–
68.	महासागर विकास विभाग	1,00,00,000	–
70.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	1,00,000	–
71.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	–	2,00,00,000
79.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	82,45,00,000	1,00,000
80.	ग्रामीण विकास विभाग	46,00,000	–
83.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	1,00,000
84.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	2,00,000	–
86.	नौवहन मंत्रालय	29,00,00,000	–

1	2	3	4
88.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1,00,000	–
90.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	64,00,000	–
91.	इस्पात मंत्रालय	23,67,00,000	1,00,00,000
92.	कपड़ा मंत्रालय	3,00,000	–
95.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	111,66,00,000	–
96.	चंडीगढ़	60,41,00,000	3,95,00,000
97.	दादरा और नागर हवेली	1,00,000	1,81,00,000
98.	दमन और दीव	1,00,000	7,66,00,000
99.	लक्षद्वीप	2,09,00,000	35,00,000
100.	शहरी विकास विभाग	8,01,00,000	300,01,00,000
104.	जल संसाधन मंत्रालय	–	6,50,00,000
105.	युवा मामले मंत्रालय	2,00,000	–
	कुल जोड़	10700,40,00,000	793,14,00,000

सायं 7.48 बजे

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005–
*पुर:स्थापित**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 19 विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पर चर्चा करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं विधेयक** पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, अब विचार हेतु विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम विधेयक पर खंड-वार चर्चा आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 17.3.2005 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ी गयी।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.51 बजे

विनियोग विधेयक, 2005-पुर:स्थापित

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, अब विचार के लिए विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, अब विधेयक पारित करने के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.53 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, आपकी अनुमति से मैं कार्य मंत्रणा समिति का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा 18 मार्च, 2005 को पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.54 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा शुक्रवार, 18 मार्च, 2005/27 फाल्गुन, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	201
2.	श्री रामदास आठवले श्री ब्रजेश पाठक	202
3.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	203
4.	श्री एस.के. खारवेनथन श्री देविदास पिंगले	204
5.	श्री सुरेश कुरूप	205
6.	श्री सुखदेव सिंह ढींडसा सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा	206
7.	श्री राजेश वर्मा	207
8.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	208
9.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	209
10.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' श्रीमती जयाप्रदा	210
11.	श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी	211
12.	प्रो. महादेवराव शिवनकर श्री भर्तृहरि महताब	212
13.	श्री डी. विट्टल राव	213
14.	श्री सुग्रीव सिंह श्रीमती निवेदिता माने	214
15.	श्री हेमलाल मुर्मू	215
16.	श्री बापू हरी चौरे	216
17.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	217
18.	श्री सुबोध मोहिते	218
19.	श्री प्रभुनाथ सिंह	219
20.	श्री सीताराम यादव श्री अखिलेश यादव	220

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	2211, 2367
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2232, 2311, 2339, 2374
3.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	2327
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	2187
5.	अजनाला, डा. रतन सिंह	2281
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	2324
7.	अर्गल, श्री अशोक	2363
8.	आठवले, श्री रामदास	2283, 2342
9.	बारड़, श्री जसुभाई	2271
10.	बर्मन, श्री हितेन	2199, 2275, 2298, 2327, 2330
11.	बखला, श्री जोवाकिम	2200, 2327
12.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2243, 2305, 2366
13.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2188
14.	बोस, श्री सुब्रत	2260, 2327
15.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2212, 2298, 2299
16.	चालिहा, श्री किरिप	2219, 2288, 2356
17.	चन्देल, श्री सुरेश	2189, 2302
18.	चारेनामै, श्री मणि	2268
19.	चौरे, श्री बापू हरी	2225, 2310
20.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2190, 2286, 2303
21.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2207

1	2	3
22.	चिन्ता मोहन, डा.	2248, 2306
23.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2237
24.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	2229, 2296, 2311, 2333, 2362
25.	चौधरी, श्री पंकज	2228
26.	चौधरी, श्री अधीर	2202, 2276, 2325, 2371, 2372
27.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2241
28.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	2281
29.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2194, 2311
30.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	2297
31.	गमांग, श्री गिरिधर	2201
32.	गंगवार, श्री संतोष	2236
33.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2259
34.	गोहेन, श्री राजेन	2266
35.	गुप्त, श्री श्यामा चरण	2240, 2366
36.	हसन, श्री मुनव्वर	2285, 2334, 2338
37.	जगन्नाथ, डा. एम.	2223, 2291
38.	जय प्रकाश, श्री	2184, 2273, 2324
39.	जयाप्रदा, श्रीमती	2248, 2306
40.	जोगी, श्री अजीत	2374
41.	जोशी, श्री प्रहलाद	2263, 2318
42.	कलमाडी, श्री सुरेश	2185, 2272
43.	कामत, श्री गुरूदास	2254
44.	कनोडीया, श्री महेश	2246, 2282, 2326
45.	करूणाकरन, श्री पी.	2356
46.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2214, 2231
47.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2242
48.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2274, 2298, 2347, 2356
49.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2197
50.	कृष्ण, श्री विजय	2208
51.	कुरूप, श्री सुरेश	2290
52.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	2229, 2315, 2362
53.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2295
54.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	2235
55.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	2281
56.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2282
57.	माधवराव, श्रीमती मनोरमा	2224, 2244
58.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2215
59.	महाजन, श्री वाई.जी.	2190, 2193, 2298, 2299
60.	महतो, श्री बीर सिंह	2217
61.	महतो, श्री सुनिल कुमार	2327
62.	महताब, श्री भर्तृहरि	2307
63.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	2230
64.	मंडल, श्री सनत कुमार	2234, 2298
65.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	2232, 2297
66.	मनोज, डा. के.एस.	2225
67.	मेघवाल, श्री कैलाश	2247
68.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2366, 2368
69.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	2214

1	2	3
70.	मुकीम, मो.	2222, 2303, 2320, 2369
71.	मो. ताहिर, श्री	2229, 2257, 2296, 2311, 2315
72.	मोहित, श्री सुबोध	2239, 2301
73.	मुन्शी राम, श्री	2229, 2257, 2296, 2311, 2333
74.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2304, 2336, 2351, 2357
75.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	2212, 2261
76.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	2191
77.	निखिल कुमार, श्री	2313, 2354, 2364
78.	ओराम, श्री जुएल	2198, 2292, 2331, 2348, 2358
79.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2224, 2254
80.	पाल, श्री राजाराम	2238
81.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2255, 2312
82.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2236, 2300, 2369
83.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2210
84.	पासवान, श्री सुकदेव	2218
85.	पटेल, श्री दिन्शा	2221
86.	पटेल, किसनभाई वी.	2206, 2322, 2341, 2353
87.	पाठक, श्री ब्रजेश	2199, 2303, 2335, 2361
88.	पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.	2193
89.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2227, 2294
90.	पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	2253
91.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2217, 2287
92.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	2226
93.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2250
94.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2265, 2270
95.	राणा, श्री गुरजीत सिंह	2252, 2308
96.	राणा, श्री काशीराम	2287, 2366
97.	राव, श्री के.एस.	2205, 2279, 2314, 2337, 2355
98.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2284, 2328, 2364
99.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2261, 2286
100.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2280, 2329, 2346, 2373
101.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2196
102.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2192, 2309, 2345
103.	साई प्रताप, श्री ए.	2195, 2319
104.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2262, 2284, 2317, 2328
105.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2267
106.	सत्पथी, श्री तथागत	2270
107.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2203, 2365
108.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2253, 2270, 2295, 2349, 2360
109.	शिवन्ना, श्री एम.	2258, 2316
110.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2296, 2333, 2350, 2362

1	2	3
111.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	2269, 2300
112.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2213
113.	सिंह, श्री दुष्यंत	2215, 2220, 2321, 2343, 2370
114.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2208, 2209, 2232
115.	सिंह, श्री मोहन	2233
116.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2289, 2340, 2352, 2359
117.	सिंह, श्री राकेश	2204, 2277
118.	सिंह, श्री सुग्रीव	2232, 2297, 2323
119.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	2249
120.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2282, 2326, 2344
121.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2186, 2244
122.	सुमन, श्री रामजीलाल	2295
123.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2282
124.	थामस, श्री पी.सी.	2216
125.	तुम्मर, श्री वी.के.	2282, 2309, 2326, 2344, 2345
126.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2369
127.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2278, 2332, 2349, 2375
128.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	2282, 2326, 2344
129.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	2363
130.	वर्मा, श्री राजेश	2293
131.	विनोद कुमार, श्री बी.	2219, 2251
132.	यादव, डा. करण सिंह	2245
133.	यादव, श्री पारसनाथ	2264
134.	यादव, श्री राम कृपाल	2218, 2366
135.	यादव, श्री सीता राम	2368
136.	यास्खी, श्री मधु गौड	2205, 2256, 2279, 2314, 2337
137.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2291

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	203, 211
संस्कृति	:	
रक्षा	:	206, 212, 217
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
सूचना और प्रसारण	:	205, 209
पंचायती राज	:	214
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	207, 213, 215, 218
रेल	:	201, 204, 208, 210, 220
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	202, 216, 219

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	2235, 2244, 2253, 2263, 2267, 2291, 2301, 2306, 2315, 2318, 2322, 2356, 2360, 2372, 2373
संस्कृति	:	2212, 2215, 2222, 2242, 2249, 2281, 2310, 2319, 2320, 2331, 2339, 2341, 2368
रक्षा	:	2184, 2187, 2188, 2189, 2195, 2196, 2201, 2203, 2204, 2205, 2210, 2220, 2226, 2243, 2247, 2257, 2259, 2262, 2264, 2270, 2273, 2277, 2290, 2302, 2311, 2317, 2332, 2336, 2349, 2361, 2364, 2371, 2374
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	2185, 2200, 2239, 2251, 2351
सूचना और प्रसारण	:	2214, 2254, 2265, 2295, 2304, 2305, 2324, 2342, 2347
पंचायती राज	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	2186, 2190, 2192, 2193, 2194, 2197, 2199, 2206, 2211, 2217, 2218, 2219, 2221, 2224, 2231, 2232, 2234, 2237, 2245, 2256, 2268, 2272, 2275, 2278, 2279, 2280, 2282, 2284, 2292, 2294, 2299, 2307, 2308, 2312, 2314, 2321, 2323, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2334, 2337, 2343, 2344, 2345, 2346, 2353, 2354. 2362, 2363, 2365, 2367, 2369, 2370
रेल	:	2191, 2198, 2202, 2208, 2209, 2213, 2216, 2223, 2227, 2228, 2230, 2233, 2236, 2238, 2240, 2241, 2248, 2252, 2255, 2258, 2260, 2261, 2266, 2269, 2274, 2276, 2286, 2287, 2288, 2289, 2293, 2297, 2298, 2300, 2303, 2309, 2330, 2333, 2335, 2348, 2350, 2352, 2355, 2357, 2358, 2359, 2366, 2375
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	2207, 2225, 2229, 2246, 2250, 2271, 2283, 2285, 2296, 2313, 2316, 2338, 2340.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।